मीणा जाति और स्वतन्त्रता का इतिहास



लक्ष्मीनारायण झरवाल
जयपुर

अध्याय- 1

मीणा जाति का उद्भव एवं विकास

मीणा जाति विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक पौराणिक आख्यान प्रचलित हैं, जिन पर इस वैज्ञानिक युग में आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। परन्तु किसी शब्द व धारणा के पीछे एक इतिहास अवश्य होता है तथा पौराणिक आख्यानों का विश्लेषण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुनि मगनसागर जी महाराज ने अपनी पुस्तक ''मीन पुराण भूमिका'' में बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है। उनकी मान्यता के अनुसार मीणा जाति शुद्ध आर्य है और देश के प्राचीनतम क्षत्रिय हैं। इसकी पुष्टि के लिये उन्होंने वेदों व पुराणों के अनेक आख्यान उद्धृत किये हैं। वेदों में ''मेनि'' शब्द का उल्लेख है। मेनि का अर्थ बज्र या बज्रकाय होता है। अत: बज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाली जाति ''मेना'', मारण, ''मैना'', व मीना कही जाने लगी।

प्राचीनकाल में मीणा जाति के शासकों के हाथ में बज्र, मुकुट तथा ध्वजाओं में मत्स्य का चिन्ह रहता था। इसी आधार पर शास्त्रकारों ने इन प्राचीन शासकों को मेना, मीना, मीनकेतु, मीन केतन, मीन ध्वजा आदि नामों से संबोधित किया है। यजुर्वेद के एक मन्त्र में ''विषमेम्यो मैनालम्'' शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यह जाति बहुत प्राचीन है। इसी ग्रन्थ में आगे लिखा है:-

अल वारेण मीनान लति वारयतीति मीनालस्तदपत्यम् मैनालम् अर्थात् जो अन्याय, अपराध षड़यंत्रों व पापों से मनुष्य को बचाए, मना करे, उस प्रजावत्सल क्षत्रिय जाति को मैनाल मीणा कहते हैं। चित्तौड़ व कोटा के मध्यवर्ती प्रदेश में इस जाति का राज्य था, इसी कारण इस प्रदेश को मेनाल कहा जाता था, जिस पर अग्रिम पृष्ठों में विस्तार से चर्चा करेंगे।

वेदों के इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि मीणा प्राचीन क्षत्रिय जाति है। पुराणों में इस जाति पर और अधिक प्रकाश डाला गया है। मीन (मत्स्य) पुराण की एक कथा के अनुसार ''शिवजी से वरदान पाकर शक्ति संपन्न शंखासुर राक्षस ने मदोन्मत्त होकर सभी देवों को परास्त कर दिया और ब्रह्मा जी से चारों वेद छीन कर रसातल में ले गया। चारों ओर संसार में अज्ञानान्धकार छा गया। साधुजन को राक्षस अनेक प्रकार की यातनायें देने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने मीनावतार (मत्स्यावतार) लिया और शंखासुर राक्षस का वध करके न्याय व्यवस्था स्थापित की और ''मनु'' आदि को वेदों की शिक्षा दी। अत: आगे चलकर मीन भगवान के वंशज ही मीना कहलाये। स्वयं मनु से मीना जाति की उत्पत्ति का उल्लेख भी मीन पुराण में मिलता है, ''मनुनीराणो मीन: पुराण पुरुषोत्म:''

अग्निपुराण में लिखा है कि उषा की पाँच कन्यायें कश्यप जी को ब्याही गई थीं। उनमें से पहली ''मीना'' दूसरी मैना नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं की संतान मीना, मीणा, मैना आदि क्षत्रिय जातियाँ हैं, क्योंकि उस समय जाति का नामकरण माता के नाम से होता था।

इसी तरह स्कन्द पुराण में मीना जाति का उल्लेख है:-

मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठि ने।

कामान्तकाय बुद्धाय, बुद्धिनां पतये नमः॥

इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान पर उल्लेख है:-

शिवोमीनस्ममाख्यातः सर्वलोक पितामहः।
महेशोपासकाः मीनः क्षत्रिया वीर सम्माता॥

अर्थात् मीनों के नाथ शिवजी कैलाश पर्वत पर राज करते थे और उनके उपासक मीना कहलाये। शिव पुराण में मीनाओं की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से बताया गया है। नारद के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने इस जाति की उत्पत्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। वे कहते हैं कि दक्ष के साठ कन्यायें थीं, जो कश्यप आदि ऋषियों को ब्याही गई थी। इनमें से मैना तथा कलावती सनतकुमारों के श्राप से मुक्त होकर मानवी रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। इनमें से मैना नामक कन्या राजा हिमाचल की पत्नी बनी, जिनसे पार्वती जी का जन्म हुआ। पार्वती के अतिरिक्त मैना के सौ पुत्र और हुए जो मैना कहलाये। इन मैनाक पुत्रों के वंशज ही मैना या मीना कहलाये।

श्रीमद्‌भावगत में मीना जाति के राज्य का उल्लेख है। बारहवें स्कन्ध में भावी राजाओं के प्रकरण में बताया गया है कि –

''नवाधिकांचनवती मीना एकादश सितिम्
भोसन्तयब्द, शतांन्यंगण भीणिते संस्थिते ततः''

समस्त भारत पर मीना क्षत्रियों का राज्य था।

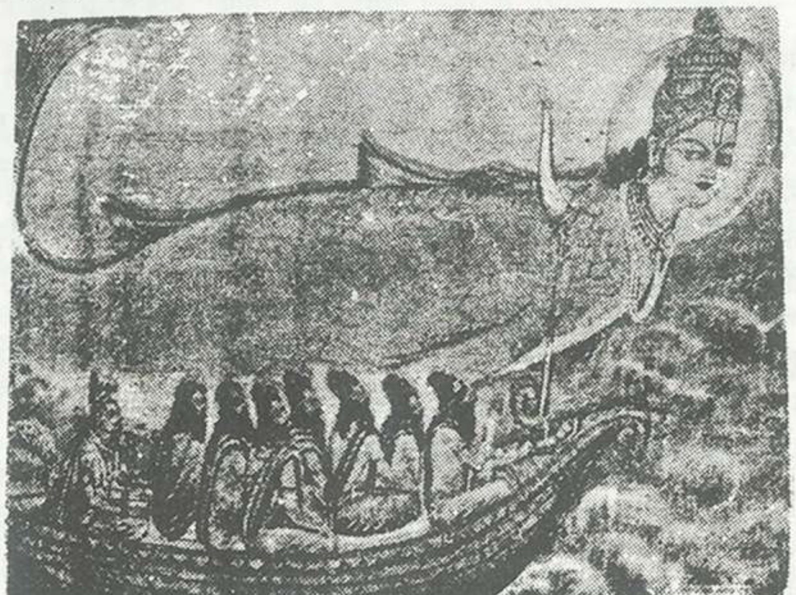
जैन मतावलंबियों के अनुसार भगवान ऋषभ देव के सौ पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम मत्स्य देव था जिन्होंने अपने नाम से मत्स्य देश बसाया। यहां के निवासी ही मीना कहलाये, क्योंकि मत्स्य को प्राकृत भाषा में मच्छ, मीन और मीणा कहते हैं। अतः मत्स्य मीणों का ही देश है। श्री चन्द्रराज भण्डारी ने ''भगवान महावीर'' नामक ग्रन्थ में स्पष्ट किया है कि ''मत्स्य राज्य'' कुरू राज्य के दक्षिण और यमुना के पश्चिम में था (वर्तमान में अलवर, भरतपुर व जयपुर के क्षेत्र) यहाँ के अधीश्वर मेना, मीणा (मीना) कहलाते थे। वर्तमान में भी यहाँ मीणा जाति का बाहुल्य है।

कुछ विद्वानों का मत है कि जब परशुराम जी ने क्षत्रियों के विध्वंश की दृढ़ प्रतिज्ञा की तो अनेक क्षत्रियों ने ''मैना'' मैना मैना कहकर प्राणों की भिक्षा मांगी, वे ही लोग मीणा कहलाये। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि बहुत से क्षत्रियों ने परशुराम जी को अवतार मान लिया और उनके सामने आत्म-समर्पण कर दिया। उनके अनुयायी होने के कारण ही कार्तिक कृष्णपक्ष चौदस को निशस्त्र होकर मीणा समुदाय अपने पितरों को तर्पण देते हैं, क्योंकि इसी दिन परशुराम जी ने बद्रिकाश्रम में शरीर छोड़ा था।

राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों की सम्मति है कि परशुराम जी के भय से जब अनेक प्राचीन क्षत्रिय छिप गये, उन्हीं को आबू पर्वत पर यज्ञ करके ऋषियों ने चार नवीन राजपूत शाखाओं में दीक्षित किया। चौहान, परमार, तोमर व पड़िहार। आधुनिक मीणा जाति के सभी गौत्र इन राजपूतों के गौत्रों से मिलते-जुलते हैं। अनेक विद्वानों की यह भी मान्यता है कि इनके आदि पुरुष का सुमेरू पर्वत पर राज्य था। अतः उसके उत्तराधिकारी ''मैर'' कहलाये। भाटों की ख्याति के अनुसार इन्द्र की रक्षा के लिये भगवान् विष्णु ने अपने मुकुट की मणि से एक पराक्रमी पुरुष पैदा किया, जिसकी संतान ही आगे चलकर मीणा कहलाई।

महाभारत के वन पर्व में मत्स्यावतार की कथा मत्स्य पुराण में से ही ली गई है। इसमें सृष्टि के प्रलय की कथा को प्रधानता दी गई है। वैवस्वत मनु जब चारिणी नदी में स्नान कर रहे थे, तब एक छोटी मछली ने मनु से निवेदन किया कि भगवन् ये बड़ी मछलियाँ मुझे खा जायेंगी। अत: आप मेरी रक्षा कीजिये। मैं समय आने पर आपके इस उपकार का बदला चुका दूंगी। मनु ने दया करके उसे एक पानी के घड़े में डाल दिया। धीरे-धीरे मछली बड़ी होती गई और उसका घड़े में रहना कठिन हो गया तो मछली की प्रार्थना पर मनु ने उसे एक बड़े जलाशय में डाल दिया। समय पाकर मछली ने एक बड़े मच्छ का रूप धारण कर लिया। उसके निवेदन पर मनु ने उसे समुद्र में डाल दिया।

मनु ने जब उसे समुद्र में डाला, तब मच्छ ने मनु से मुस्करा कर कहा कि आपने मुझ पर उपकार किया है, समय आने पर मैं आपके काम आऊंगी, क्योंकि पृथ्वी पर जल प्रलय होने वाला है। सभी पदार्थ जल में डूब जायेंगे। आप एक नाव बना लें तथा एक मजबूत रस्सा भी रख लें। प्रलय के समय सप्त ऋषियों के साथ उसमें सवार हो जायें और सभी विभागों व प्रजातियों के बीज नाव में रखकर उनकी रक्षा करें और मेरे आने की प्रतीक्षा करें। मेरे मस्तक पर एक सींग होगा, यही मेरी पहिचान होगी। याद रखिये, मेरी सहायता से आप इस विपत्ति से बच सकेंगे और सृष्टि को भी बीज रूप में बचा सकेंगे।



इधर प्रलय होने पर मनु ने सभी प्रजातियों के बीज नाव में रख लिये और मच्छ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पर्वताकार मच्छ आता देखकर मनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी नाव उसके सींग से बांध दी। मच्छ बड़े वेगपूर्वक चलने लगा। प्रलय का दृश्य बड़ा भयानक था। पृथ्वी, आकाश तथा दिशायें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों ओर जल ही जल था। चलते-चलते मच्छ को पर्वतराज हिमालय की चोटी दिखाई दी। मच्छ बोला कि आप झटपट इस नाव को इस शिखर (सुमेरू) पर बांध दो। ऋषियों ने ऐसा ही किया। आज भी हिमालय के इस शिखर को ''नौ बन्धन'' (नांव बांधने का स्थान) कहते हैं। इसके बाद मच्छ बोला- ''मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ और तुम्हें बचाने के लिये ही मैंने मत्स्य का रूप

धारण किया है। मैं ब्रह्माण्ड में सर्वश्रेष्ठ हूँ। हे मनु तुम देवता, मनुष्य, असुर आदि सभी चराचर जीवों की सृष्टि करो। तुम अपने तपोबल से ऐसा कर सकोगे। यह कहकर मत्स्यवतारधारी भगवान ब्रह्मा अन्तर्ध्यान हो गये।

जल प्रलय की कथा अन्य धर्मों में थोड़े बहुत अंतर से मिलती है, परंतु मनुष्येत्तर अवतारों से वंश चलाना असंभव है। परन्तु यह तो इतिहासकार भी मानते हैं कि प्रलयकाल में पृथ्वी जल मग्न थी। सुमेरू तथा तिब्बत का कुछ हिस्सा सर्वप्रथम जल से निकला, उसी समय सूर्य की रश्मियों द्वारा जलज जन्तु और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण भगवन् मनु को सूर्य पुत्र कहा जाता है। आदि सृष्टि के मनुष्य भी एक प्रकार से जल जन्तु ही थे। आज भी बहुत से द्वीपों में जल मानुष देखे जाते हैं। जैनाचार्यों ने भी प्रज्ञाप्ति आदि सूत्रों में परमात्मा को मूर्तिमान् मनुष्य, स्त्री, हस्ती, अश्व आदि प्रकार के मत्स्य लिखे हैं। मीन, मैन या मनुष्य भी एक प्रकार का मत्स्य ही है। लाखों वर्षों के बाद इसमें उत्तरोत्तर सुधार होता गया और इसकी जल में रहने की आदत छूट गई और क्रमश: विकास एवं शिक्षा का अवसर प्राप्त कर वह सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। अंग्रेजी भाषा में मनुष्य मात्र ''मैन'' संज्ञा ऐसे जीवों के विकास से बनी है। डारविन के विकासवादी सिद्धान्त ने भी सर्वप्रथम जल में मछली का आविर्भाव और उसी से सृष्टि का विकास बताया था।

अनेक खोजकर्ताओं की मान्यता है कि पाण्डवों के समय ''मैनपुरी'' कस्बा विद्यमान था। आज भी मैनदेव की प्रतिमा ''शहरतली'' (उत्तर प्रदेश) में देखी जा सकती है। मैनपुरी में रहने वाले क्षत्रिय जब परिस्थितिवश देश-देशान्तर में जाकर बसने लगे तो वहां पर वे मैना नाम से प्रसिद्ध हुये। अन्वेषण से पता चलता है कि पश्चिम में सिन्धु पर्यन्त इस जाति के राजाओं का राज्य था। राजधानी मीनगढ़ थी। जो आज भी सिन्धु नदी तट पर विद्यमान है। मैनपुरी गंगा-यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में आज भी स्थित है। अनेक प्राचीन खण्डहरों के विषय में यहां के निवासियों की मान्यता है कि ''ये मेवासी क्षत्रियों के भवनों के भग्नावशेष है।'' मीना जाति में आज तक सामन्तों को मेवासी कहते हैं। वेदों में जो मेहना शब्द आता है, वह भी इसी जाति का सूचक है। जैसे मेहना, महनीय पूजार्हम् ''निर्युक्त'' अर्थात् स्थूल सर्जित क्षम्भ जाति को मेहना कहते हैं। इसी का अपभ्रंश मेना, मीना व मैना हो गया।

जाति विद्या-विशारद ''प्लिनी'' के अनुसार सिन्धु नदी से यमुना तक मींगाली क्षत्रिय जाति का राज्य था। इस मींगाली जाति की वीरता की कहानियाँ प्राचीन विश्व इतिहास में वर्णित हैं। (विश्वकोष भाग-17) इस प्रकार के परस्पर विरोधी तथ्यों से कोई सर्वसम्मत तथ्य निकालना कठिन है, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि यह मीना जाति भारत की प्राचीनतम जाति है।

वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण

इतिहासकारों ने भारत के आदिवासियों का उल्लेख करते हुए इन्हें दो भागों में बांटा है- आर्य तथा अनार्य। आर्यों के आदि ग्रन्थ ''ऋग्वेद'' में मत्स्य नामक जाति का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त दस राजाओं के युद्ध में भी मत्स्य राज का उल्लेख है। जब भरतवंश के राजा सुदास के विरुद्ध दस राजाओं ने संघ बनाकर युद्ध किया, उसमें मत्स्य राज भी था। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा गया है कि मत्स्यों पर तुवर्स नामक राजा ने आक्रमण किया था। भाष्यकार सायण ने भी वेदों में मत्स्यों के पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की है। इतिहासकार हरमन गोइज ने अपनी पुस्तक ''दि आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर'' में मीणा

जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। उसके अनुसार मीणा जाति उस मत्स्य जन जाति की संतान है जो ऋग्वैदिक काल में थी। ''दस राजाओं के युद्ध'' में भरतवंश के राजा सुदास द्वारा यह जाति पराजित हो गई थी तथा जिसने महाभारत के युद्ध में पाण्डव पक्ष का साथ दिया था।

इसके विपरीत आर्यों से भी प्राचीन मानी-जानी वाली ''सिन्धु-घाटी'' सभ्यता के सुप्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ों से प्राप्त चिन्हों से इस जाति का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह आर्येतर थी और आर्यों से आने के पहले ही भारत में निवास करती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मीन-मछली के चिन्ह वाली मिट्टी की अनेक मुहरें मिली हैं। प्राच्य विद्या विशारद ''फादर हेरास'' ने इन मुद्राओं को पढ़ने का प्रयास किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुद्रा पर अंकित ''मीन'' का चिन्ह किसी जाति से संबंधित है। फादर हेरास ने सरजॉन मार्शल के ग्रन्थ मोहनजोदड़ो एण्ड इण्डस सिविलिजेशन का अध्ययन करते समय यह निष्कर्ष निकाला कि ये चिन्ह जाति के प्रतीक होते थे। यहाँ की एक मुद्रा में एक कोली (मुर्गा) द्वारा हाथी को पराजित करने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न निशानवाली जातियां आपस में लड़ती थी। इन मुद्राओं पर अंकित चिन्हों से यह धारणा बनाई जा सकती है कि जाति के प्रतीक के रूप में जिन्होंने ''मीन'' को प्रदर्शित किया, वे ''मीना'' कहलाये। धीरे-धीरे यही प्रथा लोकाचार में बदल गई और आदि पुरुष की उत्पत्ति पेड़-पौधों तथा जानवरों से मानने लग गये। डॉ. मेक्डालन ने अपनी पुस्तक ''वैदिक माइथोलोजी'' के पृष्ठ 153 पर इसका विस्तार से वर्णन किया है।

स्वर्गीय डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ''पाणिनी कालीन भारत'' में पृष्ठ 445 पर लिखा है कि पाणिनी के समय (ईसा के चार पाँच सौ वर्ष पूर्व) प्रत्येक संघ का अंक और लक्षण होता था। लक्षण का अर्थ उस प्रतीक चिन्ह से है जिसे संघ अपनी मुद्रा, सिक्के या ध्वज आदि के लिये चुन लेता था। पाणिनी ने स्वयं उन लक्षणों का उल्लेख किया है जो पशुओं के पहिचान के लिये उनके कानों पर अंकित किये जाते थे। मोहनजोदड़ों में प्राप्त मीनांकित मुद्राओं का अध्ययन करने वाले एक सिंधी विद्वान ''सिराजुलहक'' ने अपनी पुस्तक ''सिंधी बोली'' पृ. 128 पर बताया है कि यह निशान पशुओं पर लगाया जाता था। आज भी ऐसे निशानों को ''लख'' कहते हैं। इसी विद्वान ने ''मीन'' के निशान का अर्थ किसी ''म'' अक्षर से माना है। उनके अनुसार ब्राह्मी लिपि में ठीक इससे उल्टे निशान का अर्थ ''म'' शब्द से है।

भारत ही नहीं विश्व की अन्य आदिम जातियां भी इस प्रकार गणचिन्हों में विश्वास रखती थी। आदिम जाति ही नहीं वरन् आधुनिक सभ्य राष्ट्र भी इस प्रकार के चिन्हों में विश्वास रखते हैं। तमिल भाषा में मीन शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। विशाल तमिल साम्राज्य में बसने वाली जातियों में प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित ''विल्लावर'' (धनुर्धारी) तथा मीनावर (मछुए) जैसी आदिम जातियां भी थी। हम विल्लावर को आज के भील तथा मीनावर को आधुनिक मीणा मान सकते हैं।

कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग- 3 पृ. 521 पर बताया गया है कि तमिलन से ''मीन'' शब्द को जोड़ने पर हम निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं जिसके अनुसार सर्वप्रथम भारत में आकर बसने वाले लोग काले हब्सीनुमा थे, तत्पश्चात्, उत्तर भारत में आकर सर्वत्र फैल जाने वाले पहले प्रोटो-द्रविड़ (जो बाद में तमिल, द्रवड़ि-दमिल-तमिल:) कहलाये और इनके बाद ही आर्य आये।

मोहनजोदड़ो संस्कृति से आर्यों से पूर्व की तथा उसमें प्राप्त मीनांकित मुद्राओं के आधार पर ''मीना''

जाति को भी तत्कालीन मान लेने पर ''मीन'' शब्द की तमिल से व्युतपत्ति की बात समझ में आती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फादर हेरास ने ''मोहनजोदड़ो'' की भाषा को प्रोटोद्रविड़ चित्रलिपि बताया है। सिन्धी विद्वान् मनु मिदवानी की भी यही धारणा है कि सिंध में ''मुहारणो'' कहलाने वालों का संबंध मीणा जाति से संभव है। इतिहासकार इलियट एण्ड डासन ने अपनी पुस्तक ''हिस्ट्री ऑफ इण्डिया टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिन्यस'' पृ. 392 पर लिखा है कि ''सिंध के ऐतिहासिक स्थानों तथा वहां के आदिवासियों के जो उल्लेख प्राचीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किये हैं, उनकी व्याख्या करते हुए ''सी रिट्टर'' नामक विद्वान् ने ''मीनागार'' शब्द के प्रसंग में लिखा है कि ''मीन'' शकों का नाम है और इसके अनुसार राजपूताने की आदिवासी मीणा जाति इन शकों से ही निकली है, जो पुराने निवास स्थान से पूर्व की ओर धकेल दी गई। इसी प्रकार बीना नाम से उल्लिखित आदिवासी जाति को भी मीना ही माना गया है, जो अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर बसी हुई है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचन्द ओझा ने मीणों के क्षत्रपों के अनुयायी में मानने की संभावना प्रकट की है। इसी प्रकार डॉ. मथुरालाल शर्मा ने अपने कोटा राज्य के इतिहास में मीणों को सीथियन तथा हूणों के वंशज माना है।

उपर्युक्त सभी तर्कों तथा प्रमाणों के होते हुये भी हम निश्चयपूर्वक कहने की स्थिति में नहीं है कि मीणों का वास्तविक उद्‌गम कहां से हुआ और ये इस नाम से क्यों पुकारे जाने लगे? यह भी एक अनोखा साम्य है कि अन्य आदिवासी जातियों के नाम भी प्राय: मकार से ही प्रारंभ हुये हैं। राजस्थान में मेर, मेव, मेद एवं मेवाती इसी श्रेणी में आते हैं। इस जाति के बड़े बूढ़े अपने आपको मीणों से ही उत्पन्न मानते हैं। इनके गौत्र मीणों जैसे ही हैं। विश्वकोष में ''मीना'' ''मैना'' नामक जातियों का उल्लेख है। ये जातियां भी प्राय: कबीलों के रूप में जंगलों में रहने वाली है। स्पार्टा से ''मताहन'' टापू तक फैली हुई टेगटेस पहाड़ी की श्रृंखला में बसे हुए प्रदेश को ''मैना'' और वहां के निवासियों को मैनोत कहते हैं। आजकल इस प्रदेश का नाम ''मोरिया'' है। तुर्कों से इनका बराबर संघर्ष होता रहा।

इसी प्रकार ''मैनान'' नामक एक स्वतंत्र भाषायी राज्य दक्षिणी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का है जिसका नामकरण ''मैना'' नामक जाति से हुआ। उत्तर पश्चिमी ''पेरू'' में इस जाति ने बहुत बड़ा भाग घेर रखा है। ये लोग शांतिप्रिय कृषक एवं शिल्पी है। इसी तरह दक्षिणी अरब में भी ''मैनन'' नामक एक बोली है, जो मैनी नामक प्रदेश में प्रचलित है तथा जिसके बोलने वालों को यूनानी भूगोल वेत्ताओं ने मिनई कहा है। पुरातत्वविद् फादर हेरास भी इसी मत के हैं कि ''मीन'' गणचिन्ह विश्वव्यापी है। स्पेन के निकट एक टापू में भी मोहनजोदड़ों में प्राप्त मीन चिन्ह वाली मुद्रायें मिली है। 28 फरवरी, सन् 1947 में फादर हेरास ने जयपुर भ्रमण के समय स्थानीय मीणा समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से भेंट की। इनमें स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनाराण झरवाल, श्री गुलाबचंद गोठवाल बी. ए., राजेन्द्र कुमार अजेय इत्यादि तथा अन्य विद्वत्‌जनों के साथ-गैटोर, आमेर, झोटवाड़ा, नरेठ, झिरि, आमागढ़, हथरोई, नाहरगढ़, जयगढ़ एवं आभानेरी आदि मीणों के प्राचीन ठिकाने देखने गए। फादर हैरास का पूर्ण विश्वास है कि ''आधुनिक मीणा'' उन्हीं पूर्व आर्यकाल के ''मीन'' गणचिन्ह वाले लोगों के वंशज है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान् लेखक स्वर्गीय रावत सारस्वत ने मीणा जाति के उद्‌भव के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निरूपित किये हैं जो पठनीय हैं:-

1. मीणा लोग सिन्धु सभ्यता के प्रोटो द्रविड़ लोग हैं जिनका गण चिन्ह मीन (मछली) था।

2. ये लोग आर्यों से पूर्व ही भारत में बसे हुए थे और इनकी संस्कृति व सभ्यता काफी बढ़ीचढ़ी थी। रक्षा के लिये दुर्गों का निर्माण होता था।
3. क्रमश: आर्यों तथा अन्य जाति के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बस गये। यहां आज भी इनकी संख्या अधिक है।
4. संस्कृत में "मीन" शब्द व्युत्पत्ति संदिग्ध होने के कारण इनको मीन के संस्कृत पर्याय "मत्स्य" से ही संबोधित किया जाने लगा, जबकि ये स्वयं अपने को "मीना" ही कहते हैं।
5. आर्यों से भी प्राचीन तमिल संस्कृति में "मीन" शब्द का प्रयोग बहुधा हुआ है, जिससे इनका तमिल साम्राज्य के समय होना सिद्ध होता है।
6. सिंधु-घाटी सभ्यता के विनाश तथा वेदों के संकलन के बीच का समय निश्चित नहीं होने से तथा पर्याप्त समय बीत जाने पर वैदिक साहित्य में मीनों का आर्य मान लिया गया। इसी आधार पर आर्य राजा सुदास के शत्रु दल राजाओं में मत्स्य राज की गिनती की गई।
7. मत्स्यों का जो प्रदेश वेदों, ब्राह्मणों तथा अन्यान्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बताया गया है, वही प्रदेश, आज की मीणा जाति का प्रमुख स्थान होने के कारण आधुनिक मीणा प्राचीन काल में मत्स्य कहलाये गए होंगे।
8. सीथियन, शक, क्षत्रप, हूण आदि के वंशज इनको नहीं मान सकते, क्योंकि ये सभी जाति भारत में बहुत बाद में आई। अत: ये ही भारत के आदिवासी हैं, जो आर्यों से पूर्व भारत के निवासी थे।
9. बलवान तथा स्वभाव से ही युद्धप्रिय होने के कारण तथा दुर्गम स्थानों पर अपने किले बनाकर रहने से यह जाति प्रारंभ से भूमि का स्वामित्व भोगने वाले शासक वर्ग में रही और अपने स्वाभिमान तथा अस्तित्व की रक्षा के लिये निरंतर संघर्षरत रही। स्वतंत्रता व स्वाभिमान के लिये संघर्ष का वर्णन अग्रिम पृष्ठों में किया जायेगा।

नामकरण एवं गोत्र

विशुद्ध धार्मिक धारणा के अनुसार मत्स्य भगवान के नाम पर ही ये लोग मीना या मीणा कहे जाने लगे। यह जाति अनेक नामों से संबोधित की जाती है। कर्नल टाड ने इन्हें मेर, मेरा, मेना, मैना, मैरोत, मेराउत, मैरावत, माइना, मैरा और मीना के नाम से संबोधित किया है। मेरा संस्कृत वाडमय में एक पर्वत है। मेरा के निवासी होने के कारण ही इनको मेरावत व मैरात कहा गया है। इस जाति की एक मुस्लिम शाखा है, जिसे मेव या मेवाती कहते हैं। महमूद गजनवी के सेनानायक मसूद ने मीणा जाति पर आक्रमण किया और लंबे संघर्ष के बाद अनेक मीणाओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वे मेव कहलाये। मुसलमान बनने के बाद भी इनके रीति-रिवाज हिन्दू मीणों जैसे ही हैं। अपने आपको मीणों के वंशज मानते हैं।

मुनि मगनसागर जी के अनुसार इनके बारहपाल एवं बावन सौ गोत्र है। राजपूतों के 12 पाल भी इनके जैसे ही हैं। मेवों के 12 पाल में से 6 पाल मीना जाति जैसे ही हैं। इनका एक लंबा इतिहास है। वर्तमान में इस जाति के दो प्रमुख वर्ग जमींदार और चौकीदार मीणें हैं। इनके 32 तड़े हैं। मीणा जाति में राजनीतिक और सामाजिक जागृति की ज्योति जगाने वाले समाज सेवी लक्ष्मीनारायण झरवाल (लेखक) के अनुसार

जमींदार तथा चौकीदार मीणों का भेद निम्नलिखित आधार पर हुआ।

11वीं से 16वीं शताब्दी तक राज सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद मीणों ने हार नहीं मानी और गुरिल्ला प्रणाली से निरंतर छुट-पुट शत्रुओं पर आक्रमण करते रहे। इस छापामार युद्ध प्रणाली में स्वभावत: मीणागण दो भागों में विभाजित हो गये, एक वे जो मोर्चे पर लड़ते रहते थे, दूसरे वे जो पीछे शस्त्र एवं रसद आदि पहुँचाते थे। कालान्तर में रसद पहुँचाने वाले केवल खेतिहर हो गये और राजसत्ताओं ने उन्हें भूमि देकर बसा दिया। भारमल ने गुरिल्ला युद्ध करने वालों से तंग आकर शासक वर्ग से समझौता किया, जिसके अनुसार इनको जनता से चौथ वसूल करने का अधिकार मिला और बदले में उन्होंने शांति व सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभाल लिया। बाद में इनमें कुछ मतभेद उभरने लगे। एक वर्ग इस मत का था कि हम मरते मर जायेंगे परन्तु स्वाधीनता के के लिये संघर्ष जारी रखेंगे। कुछ लोग इस विचार के हो गये थे कि संघर्ष कब तक चलेगा? सत्ता मिलने वाली नहीं है। ऐसे विचार वालों को राजपूत भी प्रलोभन देकर फुसलाते रहे और जमीनें देकर शांत कर दिया। अत: इस संघर्ष से घबराकर वे कृषक जीवन व्यतीत करने लगे और जमींदार मीणा कहलाये। किन्तु जो लोग लड़ते रहे उनसे भी अंत में राजपूत शासक तंग आ गये और विवश होकर इनसे संधि की और इनको राजसी ठाट बाट से विभूषित कर राज्य के रक्षक नियुक्त किये। राज्य की आय का चौथा भाग हथपल्ला और जमीने इनाम दी। राज्य की आय का एक भाग स्वायत्त शासन, दूसरा प्रशासन, तीसरा भाग राजा को और चौथा भाग मीणा सरदारों को दिया।

श्री रावत सारस्वत के इस मत से कि मीणा जाति का उद्‌गम स्थल सिंधु सभ्यता है, वह प्रोटो द्रविड़ जाति के है। अनेक विद्वान् इससे सहमत नहीं हैं। श्री बालूलाल पानगड़िया के अनुसार ''हम उन्हें द्रविड़ जाति से नहीं जोड़ सकते। इनके डील-डोल, रूप रंग तथा नाक नक्शे से इन्हें हम द्राविड़ जाति के नहीं मान सकते। ये लोग शुद्ध आर्य हैं। आर्यों के कितने ही कबीले अलग-अलग समूह व स्थानों में रहते थे। शक्तिशाली कबीले उनसे कमजोर कबीलों को मूल स्थान से खदेड़ देते थे। इस दृष्टिसे मूल रूप से ये पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में रहने वाले कबीलों को नवागन्तुक आर्य कबीलों ने वहाँ से हटने के लिये विवश कर दिया और उत्तर प्रदेश से सटे अरावली पहाड़ी प्रदेशों में इन्होंने अपने मेवासे बनाये और आगे चलकर ढूढ़ांड़ में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जिनका विशद वर्णन हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

मीणा जाति का प्रसार

यह जाति राजस्थान की जनजातियों में अपना विशेष स्थान रखती है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार इस जाति की कुल संख्या 11, 55, 620 है। अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर टोंक तथा उदयपुर जिलों में इनकी संख्या अधिक है। जनजाति में मीणों व भीलों का अनुपात क्रमश: 50 तथा 39 का है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12 प्रतिशत भाग इस जाति का है।

बही भाटों (जागा) के अनुसार इस जाति के 12 पाल, 32 तड़ एवं 5200 गौत्र क्षत्रिय जाति से मीणों की उत्पत्ति मानकर जागाओं ने क्षत्रियों के 12 पालों से इनका संबंध बताया है। 12 पाल इस प्रकार हैं। 1. चौहान, 2. परमार, 3. गहलोत ,4. चन्देल, 5. कछावा, 6. यादव, 7. तंवर, 8. पड़िहार, 9. निर्वाण, 10. गौड़, 11. बड़गूजर 12. सोलंकी। परन्तु यह वर्णन सत्य से दूर है। कछावा राजपूत ग्वालियर से आये और धोखे से मीणों का राज्य छीना, जिसका विस्तृत विवरण हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जागाओं द्वारा वर्णित इन 12 पालों को हम ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं मान सकते।

एक अन्य जागा ने पालों का संबंध स्थान विशेष से जोड़ा है, इसे भी हम मनगढ़ंत मानेंगे।

1. अजय नगर- अजमेर राज्य की स्थापना कर चौहान अग्निवंशी मेरुपाल कहलाये।

2. मरू देश- मरूस्थल भटनेर में यदुवंशी कहलाये।

3. मादेश मारवाड़ में मरियाड़पुर या मांडूनगर में मेहड़ा राजा मारपाल कहलाये।

4. मालदेश- मालवा, धारा नगर, धारवै मैना मालपाल कहलाये।

5. मेवपाल- महीपुर-महीदेव.राजा मेवपाल।

6. हरीदेश- सोहन नगर, राहड़देव हरीपाल कहलाये।

7. राठ देश- में घाहाट नगर-वीरभट राजा राठपाल कहलाये।

8. व्रज देश- कामांकोशी-देवासुन-मैना ब्रजपाल कहलाये।

9. सुवालक देश- सोलावती नगरी- सोहंग राजा सुवालक पाल कहलाये।

10. गंध देश- गंधार नगर-सोण देव राजा गंधहपाल

11. हाऊ देश- इन्दुण (हिन्दु अ) नगर-बुद्ध देव हाड़ापाल कहलाये।

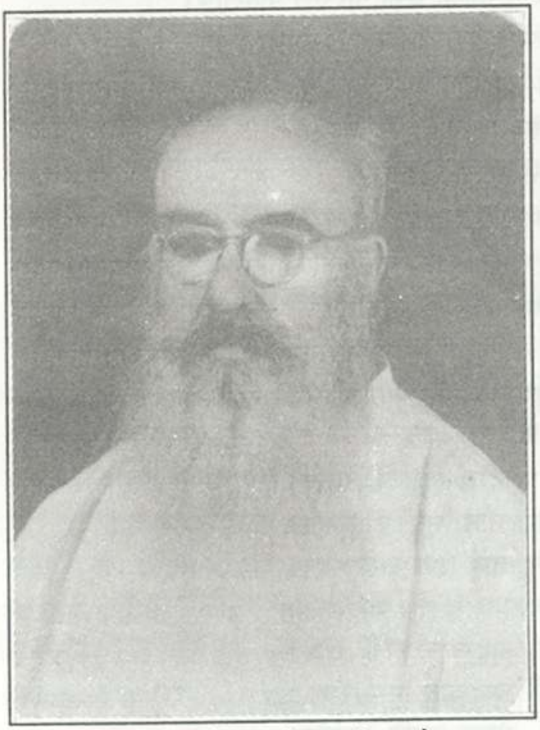
12. बाढ़देव- बाड़मेर-मोहड़ा देव राजा वाढ़पाल कहलाये। इसी आशय का एक छन्दबद्ध वर्णन जागाओं की पोथी में भी मिलता है, जो इस प्रकार है।

द्वादस देस पुरेस नृप दीर्घ दुर्ग विसाल।
नित नित सासन करें, मीन भूप प्रतिपाल।
मरू, मेर अरू मार पुनि, हाड़ बाढ अरू माल।
मेव, हरी अरू राठ, ब्रज स्वालख गंध प्रतिपाल॥
मरू देस भटनेरपुर, यदुकुल राजै राज।
मेरूगिरि अजमेर में चाहुवात भुय राज॥
मार देश मरियाड़पुर, मेहड़ नृपति किसोर।
माल देस धारा नगर धारि भूप बरजोर॥
सुल देस पुरसोल भानु, सहिन भूपति भुयेन।
गंध देस गंधारपुर सुवपाल महि वैन॥
मेव देस माहोरपुर महिदेव महिराण।
हरि देस सहिन नगर राहड़देव सुरताण॥
राठ देस पुर घाटवर, वीर भट्ट भूपाल॥
बिरज देस कामकौसपुर, राजदेव बरवाल॥
आहड़ देस हाड़वनगर, बुद्धदेव नरपाल।
बाड़ देस बड़मेरपुर, मोहड़देव भूपाल॥

इसमें भी सच्चाई का अंश कम ही है। इसी तरह एक जागा ने पालों का नामकरण एक अन्य ढंग से किया है। 1. देसपाल (देसवाली), 2. चोयतपाल (चौकायत), 3. खेतपाल (खेतड़ा), 4. प्राचीनपाल (पुराणावासी), 5. नवपाल (नवावासी), 6. पारपाल (पारमीणा), 7. मेरपाल (मेरमीणा), 8. मालापाल (मालीमीणा) 9. पड़ियारपाल (पड़ियार मीणा) 10. मेलापाल (मेला मीणा), 11. चिरमपाली (चमरिया मीणा), 12. रावत पाल (रावत मीणा)।

मीणा जाति और फादर हेरास

सेन्टजेवियर कॉलेज बंबई से सम्बन्धित इण्डियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रेवरेंट फादर एच. हेरास का जन्म स्पेन में हुआ था। 18 नवम्बर, सन् 1946 को बंबई आये थे। यहाँ पर इण्डियन हिस्टोरिकल इन्स्टीट्यूट के निदेशक के पद पर रहते हुये उन्होंने भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया, इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास का पुरातत्व संपदा की खोज में बराबर लगे रहे। इन खोजो के फलस्वरूप आपने 300 फुटकर शोध लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किये। पुरातत्व इतिहास पर आपने 13 पुस्तकें लिखीं। उनकी गणना देश के प्रतिष्ठित इतिहासकारों में की जाती है।



फादर हेरास फ्रांस विश्व इतिहास संगठन के अध्यक्ष, चर्च गेट, मुम्बई

वे भारतीय इतिहास व संस्कृति के अध्ययन के लिये आजीवन समर्पित रहे। उन्होंने बंबई में 'इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डियन हिस्ट्री तथा कलचर' नामक संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान के स्वर्ण जयन्ती समारोह की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन् ने की थी। फादर हेरास पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई के आधार पर मीणा जाति को प्राचीनतम आदिवासी जाति माना और इसका संबंध सिन्धु घाटी सभ्यता से जोड़ा। वे पूरे विश्वास के साथ कहते थे कि आधुनिक मीणा जाति आर्यों से आने से पहले ही इस धरती पर रहने वाले "मीन" गणधारी लोगों के वंशज हैं।

राजस्थान की पुरातत्व सामग्री की खोज में वे 28 फरवरी, 1947 ई. में जयपुर आये थे और सेंट जेवियर स्कूल जयपुर के आचार्य के वहां ठहरे हुये थे। वहीं पर उन्होंने मीणा जाति के इतिहास में रुचि रखने वाले वयोवृद्ध समाज सेवी नेता गुलाबचन्द गोठवाल एवं स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल से संपर्क किया। फादर हेरास को जयपुर आने की प्रेरणा स्वर्गीय रामसिंह जी नौरावत ने दी थी। यहां आकर फादर हैराश ने राजस्थान में मीणा जाति के प्राचीन ठिकानों को देखने की इच्छा प्रकट की। अत: वे खोहगंग, मांच (जमवारामगढ़) झोटवाड़ा, हथरोई, गेटोरघाटी नहान, जारुण्डा, नरेठ, बूज, झिरि आदि स्थानों पर गये और यहां के प्राचीन शासकों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। खोहगंग में मीणा राजा आलण सिंह चांदा व उनके पूर्वजों द्वारा निर्मित महल, मंदिर, बावड़ियों नौबत नक्काराखाने की छतरी आदि भवन देखे और और उनकी वास्तुकला से बहुत प्रभावित हुये। एक सुन्दर बावड़ी पर लगे शिलालेख को देखने में उन्होंने विशेष रुचि ली और इसे प्राचीन शिलालेख बताया। खोह के प्रवेश द्वार पर सर्प की एक खड़ी मूर्ति भी थी। इसके बारे में उन्होंने मत व्यक्त किया कि यह वह मूर्ति है, जिसका उल्लेख जेम्स कर्नल

टाड ने अपनी पुस्तक ''एनाल्स एण्ड एण्टी क्विटीज ऑफ राजस्थान'' में किया है। दूल्हराय की शिशु अवस्था में इस सर्प ने रक्षा की थी।

खोहगंग में उन्होंने वह तलाई भी देखी जहां पर आलण सिंह ने सपरिवार अपने सैनिकों के साथ दीपावली के दिन अपने पितरों को जल तर्पण किया था। यही पर निशस्त्र सरदारों पर अचानक आक्रमण कर उनका संहार किया गया। यह हत्याकाण्ड इतना भीषण था कि समस्त तलाई मीणों के खून से लाल हो गई। खोहगंग से लौटते समय घाट की गुणी के ऊपर से मीणा राजाओं द्वारा निर्मित आमागढ़ का किला और अंबा माता का मंदिर भी देखा। दूसरे दिन फादर हेरास मॉच गये। वहाँ पर उन्होंने मीणा राजा राव सीहरा के महल, हथाई, तथा जमवामाता का मंदिर आदि देखे और बहुत प्रभावित हुये।



प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ रेवरेण्ड फादर हेरास सन् 1947 में जयपुर-भ्रमण के समय मीणा समाज के हित साधन में जुटे हुए प्रमुख लक्ष्मी नारायण झरवाल व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ

अपनी संपूर्ण यात्रा का वर्णन उन्होंने महाराजा कॉलेज के सभागार में उनके सम्मान में आयोजित सभा में किया।

जयपुर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर नरेन्द्र सिंह ने अध्यक्षता की। इस सभा में मीणा समाज के मान्य सदस्यों लक्ष्मी नारायण झरवाल, राजेन्द्र कुमार अजेय, अड़िसाल सिंह के अतिरिक्त अनेक विद्वान् एवं इतिहासवेत्ता उपस्थित थे। अपने वर्णन में उन्होंने बताया कि ''पहली शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक खोहगंग , माँच, आमेर, झोटवाड़ा, बेनाड़, नहाण, खेराड़, बूंदी, कॉठल (प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़) पर मीणा राजाओं का शासन था। फादर हैराश ने अपने भाषण में यह भी बताया कि ''यूरोप के स्पेन पुर्तगाल

में उत्खनन के दौरान मछली चिन्ह से अंकित मुद्रायें मिली हैं, जिन पर ''मुनानिर'' खुदा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मीणा जाति का विस्तार यूरोपीय देशों तक भी था। सभा में उपस्थित लोग

1. स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनाराण झरवाल जयपुर
2. क्रांतिकारी नेता ज्वाला प्रसाद शर्मा, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, अजमेर।
3. फादर हेरास फ्रांस विश्व इतिहास कमेटी के अध्यक्ष।
4. पं. बंशीधर शर्मा, श्री माधोपुर
5. अड़िसाल सिंह छापोला, सुलतान राम सीहरा, कोटपूतली।
6. किशनलाल एवं जयपुर कॉलेज के छात्र एवं मास्टर रामचन्द्र व मास्टर भक्तराम झरवाल अजीतगढ़, सीकर।
7. श्री रामप्रताप पबड़ी, जयपुर एवं अन्य अतिथिगण।

मीणा सरदारों के प्रमुख मेवासे

बड़े राज्यों के अतिरिक्त मीणाओं को छोटे-छोटे अनेक ठिकाने थे। ये मेवासे मध्यकाल से चले आ रहे हैं। महाराजा सवाई जयसिंह के समय घटते-घटते तेरह प्रमुख मेवासे रह गये। इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के लिये हमें मेवास शब्द का अर्थ जान लेना भी आवश्यक है। इससे इनकी प्राचीनता का बोध हो सकेगा।

मेवासियों के विषय में मान्यता है कि ये लोग ''मेवासा'' (साफा) बाँधकर रहने के कारण मेवासी कहलाये। इस शब्द का प्रयोग मीणा जाति के गीतों में भी देखने को मिलता है।

हार माले, हीरो ओ नणदबाई, थारो जी वीरो।
सेजॉ रो मेवासी (निवासी) ओ नणद बाई, थारो जी बीरो।

(राजस्थान का लोक गीत पृ. 94 ले. रावत सारस्वत।) हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान बाबू श्याम सुन्दर दास ने ''मेवासी'' शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुये लिखा है कि घर के मालिक किले में रहने वाला संरक्षित एवं प्रबल व्यक्ति को ''मेवासी'' कहा जाता था। हिन्दी शब्द सागर (1930 पृ. 2814) मुनि मगन सागर जी ने ''मेवासी'' का आशय मेवास प्रदेश में रहने वाले से लिया है। आजकल के मेवात (गुड़गांव तथा अलवर जिले के प्रदेश) को ही मुनि जी मेवास मानते हैं। मेव जाति का निवास स्थान होने से भी यह प्रदेश मेवास कहलाया। मुनि जी की दृष्टि में मीणा और मेव एक ही जाति के है। इसकी पुष्टि में कहते हैं कि ''मीना जाति'' में आज तक सामंतों को मेवासी कहते हैं। (मीनपुराण की भूमिका पृ. 12 एवं 20)

हिन्दी के अनेक ख्याति प्राप्त कवियों ने अपने काव्य में मेवास या मेवासी शब्द का प्रयोग किया है। कबीर साहब ने अपनी साखियों में इसका प्रयोग इस प्रकार किया है।

मन मेवासी मुण्डिये, केसहि मूड़े काहि।
जो किया सो मन किया, केसा किया कुछ नाहिं॥
कबीर मन मेवास भया, बस करि सके न कोय।
सनकादिक रिषि सारिखे, तिनके गया विगोय॥
कबीर हरि की गति का, मन में बहुत हुलास।
मेवासी भॉजे नहीं, होन चहे निजदास।

जमने आई पुकारिया, डंडा दिया डारि।
संत मवासी व्है रहा, फांसी न परै हमारि॥

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ''मेवास'' का आशय दृढ़ता से है जो मीणा जाति का विशेष गुण है। अन्य कवियों ने भी मेवास का प्रयोग किया है। सूरदास ने अपने पद में प्रयोग किया है।

गो रस चुराह खाइ, बदन दुराई राखै,
मन न धरै वृन्दावन को मवासी।
सूर स्याम तो हि घर घर सब जानै
इहाँ को है तिहारी दासी॥

ग्वाल कवि ने भी ''मवासी''.का अर्थ दृढ़ता से लिया है।

आई मिले सब विकट मवासी,
चुक्यो अमल ज्यों रैयत खाली।

भूषण ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है-

हठी मरहठी तामे राख्यो न मवास कोऊ,
छीनी हथियार डाले, बन बन जारे सो॥

सूदन कवि ने भी शत्रु को पराजित करने वाले को ''मवासी'' कहा है।

हते शत्रु जेते हुते ते भिखारी,
मवाते मवासिन की जोम झारी।

संत कवि तुलसीदास ने इसका अर्थ कोट एवं किलों से लिया है-

सिंधुतीरे बड़े वीर, दले खल जारे,
है लंक से बंक मवासे॥

मतिराम जी ने भी इसका अर्थ ऊँचे पहाड़ों पर रहने वालों से लिया है।

कोट किरीट किये मतिराम, करै चढ़ि मोर-परवानि मवासे। आमेर निवासी रीतिकालीन कवि बिहारी के एक दोहे में मेवास शब्द का प्रयोग बहुत सार्थक ढंग से किया है।

कुच उत्तंग गिरिवर गाह्यो, मैना मेन मेवास।

उपर्युक्त दोहे की एक पंक्ति में बिहारी ने उत्तगंकुच पर निवास करने वाले मैन (कामदेव) की उपमा के लिये ऊँचे गिरिवर पर मवास बनाकर रहने वाले, ''मैना'' वीर मेवासी से तुलना करना उचित समझा। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि उस समय ढूंढाड़ में मेवासी मीणों का प्राबल्य था।

रीतिकालीन कवि गुलाब ने मीणा जाति के शौर्य का वर्णन इस प्रकार किया है।

सुकवि गुलाब कहै, अधिक उपाधिकारी,
मैना मारि-मारि करै, अखिल अभूत काज।

इस प्रकार के उल्लेख से विदित होता है कि मेवास (मेवास) गढ़, किले, रक्षा व त्राण स्थल, जो विकिट दुर्गम स्थानों पर बनाया जाता था। मेवासी का तात्पर्य ऐसे अधिपति उस वीर से है, जो किसी शासक के अधीन न रहकर स्वतंत्र विचरण करता हुआ बड़े से बड़े शासक को चुनौती देने में समर्थ है।

मेवासी को वशीभूत करना बहुत कठिन कार्य समझा जाता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मीणों की प्रबल शक्ति का शमन करने में कछावा राजवंश को कितनी ही शताब्दियां लगी थी। अंत में मुगल सम्राट अकबर की सहायता से ही इनकी पराजित किया जा सका।

हिन्दी के विद्वानों के अतिरिक्त अंग्रेज लेखकों ने भी ''मवास'' शब्द की व्याख्या की है। इलियट एण्ड डाउसन ने जिल्द दो में बताया है कि ''मवास'' फारसी शब्द है जिसका अर्थ किसी विकट प्रदेश में बनाये गये सुरक्षा स्थान से है। मूलरूप में यह शब्द ढूंढाड़ के मेवासी के लिये प्रयुक्त हुआ था, परन्तु धीरे-धीरे लोक-व्यवहार में आने के कारण सामान्य परिवर्तन के साथ बोलचाल की भाषा में भी काम आने लगा। मेवासे पर राज्यसत्ता का कोई वश नहीं चलता था। राजस्थान की मीणा जाति भी ऐसी ही दृढ़ एवं शूर-वीर जाति थी, जिस पर निरंकुश शासकों का नियंत्रण लेश मात्र भी नहीं था। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया जि. 6 पृ. 130 पर इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए स्मिथ लिखते हैं कि ''मेवासियों की उपद्रवी प्रवृत्ति तथा अधिकांश लोगों के दुर्दान्त स्वभाव ने ब्रिटिश शासकों के सामने बहुत ही भीषण संकट खड़े कर दिये थे।''

संक्षेप में राजस्थान के मेवासी मीणों इसी भूमि के मूल-निवासी के कारण सैंकड़ों वर्षों तक विजेता शासकों से युद्ध करते रहते थे और उनकी अधीनता स्वीकार न कर निरंतर अपनी स्वतंत्रता बनाये रखते थे। इस भूमि के आदिवासी होने के कारण इस प्रदेश के चप्पा-चप्पा भूमि से वे परिचित थे। इसी कारण दुर्गम स्थान भी उनके लिये सरल थे। उनको अपने अधीन करना बड़ा कठिन था। इसीलिये तो मेवासी मीणों की वीरता के गीत उनकी वीरता की प्रशस्ति के रूप में आज भी गाये जाते हैं।

जागाओं की पोथी में बारह ''मेवासी'' बताये गये हैं।

1. हदमल चीतो	–	चॉग चॉदसेण
2. मुरकल्यो बारवाल	–	छारैडा
3. बोलो पोथो छोडिवाल	–	बैजवाडी
4. हड़प्पा डोबवाल	–	डोब
5. बॉदो ब्याड़वाल	–	नरेठ
6. आहाड़ो मॉदड़	–	सरजोली (चूली)
7. टावो सोगुण	–	कोलेसर (अजबगढ़ के पास, बूज)
8. घुड़ो (लावो, बैनाड़ो)	–	बैनाड़
9. सकतो पांकल	–	राजोरगढ़
10. भीखो देवड़वाल	–	बिलॉचाणों (माणूतो)
11. कालू खोड़ो	–	माचड़ी
12. देलो भींवड़ो	–	ध्यावण
13. खाटो बेफलावत	–	खाट-खंडेल्यो (पापड़ दो)

बारह के स्थान पर तेरह का उल्लेख होने से जागाओं के उल्लेख में संदेह होता है। इनके अतिरिक्त कई लोग राव नाथू सीहरा (मॉच) को मेवासी मानते हैं, जबकि ये राव पदवीधारी थे। नाहिल देवड़वाल, लाहोड़, गोठवाल, केस्यो छॉडवाल भी इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ जागाओं ने मेवासियों की कुछ और

सूचियां भी प्रस्तुत की है। इनमें कई राव अथवा राजा पदवीधारी व्यक्तियों को भी ले लिया गया है। इसी मान्यता के अनुसार 12 प्रसिद्ध मेवासी, 5 पचवारा के मेवासी तथा 4 खरोड़ के मेवासी हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है।

1. बीलोजीखोड़ा	–	गाव बीलोत आमेर तहसील
2. बीखोजी देवड़वाल	–	बिचलाणॉ (माणूँतो) त. जमवारामगढ़
3. राव मीणो जी सीरा	–	मॉच तहसील- जमवारामगढ़
4. भींवोजी देला को, ध्यावणा	–	ध्यावण तहसील बस्सी
5. आहड़ोज मॉदड़	–	सूरजोली (बूज 2) जमवारामगढ़
6. सकतोजी पाकल	–	औं डेरी तहसील स्पोटरा।
7. लावोजी बैनाडा	–	छापराड़ी, तहसील जमवारामगढ़
8. टावोजी स्योगुण	–	बूज थाना गाजी
9. राव बादोली ब्यावड़वाल	–	नरैठ थानागाजी
10. सालोजी मेवाल	–	औरली थानागाजी
11. भाटी राव सूसावत	–	आमेर-कुंतलगढ़, सीरस्यावास (आमेर)
12. सॉगोजी मारग	–	गठवाड़ी त. जमवारामगढ़।

<u>पचवारा के पाँच मेवासे</u>

1. हड़पोल डोबवाल	–	गाँव डोब (त. लालसोट)
2. मुरकल्योजी	–	छारैडा त. दौसा
3. करणो जी बैफलावत	–	(उपनाम खारोराव) गांव पापड़दा त.दौसा
4. कागोजी (केस्योजी) छाँडवाल	–	गाँव बैजवाड़ी त. दौसा
5. लाहड़ोजी गोठवाल	–	लाहडी वाला

<u>खेराड़ के चार अन्य मेवासे</u>

1. पेमो पड़िहार।
2. जोंझों खोखर (खैराड़)
3. सिगंली-सारसोप (गंगापुर-सवाई माधोपुर)
4. चांग-चीता चांदसेन हदमल चीता

इन सूचियों में उस प्रसिद्ध मीणा शासकों के नाम छोड़ दिये गये हैं जो राजा या राव की पदवी धारण करते थे। मेवासियों की श्रेणी में आने वाले मीणा सरदारों के कुछ नाम छूट गये हैं। यह शोध का विषय है फिर भी यह सूची संतोषजनक हैं।

मीणों के प्रमुख स्थान

राजस्थान में पचवारा, ढूंढाढ़, खोहगंग, आमेर, नरेठ, झिरी, खेराड़, हाड़ौती, मेवात, मेवाड़, मेवल, मैनाल, बागड़, गोड़वाड़, जालौर, मेरवाड़ा, सुनालक तथा शेखावाटी तोरावाटी मीणों के प्रमुख स्थान हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

पचवारा

मीणों के निवास के विषय में यह बहुत प्राचीन स्थान कर्नल जेम्स टाड ने इसे मीणों की मूल-पवित्र और अमिश्रित पाँच बड़ी जातियों द्वारा बना होने के कारण इसे पचवारा बताया है। मूल स्थान कालीखोह नामक पर्वत श्रेणी से लेकर अजमेर से यमुना नदी के किनारे तक यह प्रदेश फैला हुआ था। कर्नल टाड के अनुसार इसी भू- क्षेत्र में अम्बा माता का मंदिर बसा कर आम्बेर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। अम्बामाता को ही मीणा लोग ''घाटाराणी'' कहते हैं। इस श्रेणी के मुख्य शहर खोहगंग, माँच तथा अन्य बड़े नगर थे। मुनिमगन सागर जी ने मीन पुराण में लिखा है कि अजमेर सेजमना नदी तक किसी समय यहां भड़ागोत्रीय शाखा राज करती थी। इसीलिये इस प्रदेश का नाम पंचभड़ा था, जिसे आजकल पचवारा कहते हैं। एक जागा के छन्द के अनुसार पाँच प्रसिद्ध गोत्रों एवं अथवा व्यक्तियों का निवास होने के कारण ही ''पचावारा'' यह भू-भाग कहलाया:-

पाँचाँ को पचवारो बैसा, बारा बसै इक ठोड़,
मुरकल्या, बारबाल थारी घाली लागताँ, भाजया बावन राजा चित्तौड़

जिन पाँच के बसने का उल्लेख हैं, उनमें ''मुरकल्या बारवाल'' गोत्र प्रमुख था।

''पचवारा'' नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र जयपुर जिले की तहसील लालसोट के पर्वतों से पश्चिम और उत्तर की ओर बसा हुआ है। इसकी सीमा इस प्रकार है। पूर्व में बाँसखो (नई-नहान) पश्चिम में अरावली पर्वत से पपलाद देवी तक तथा दक्षिण में मोरेल नदी और लालसोट के घाटे से उत्तर में सेंथल तक ही कहते हैं संवत् 1300 के आस-पास यह क्षेत्र चरम उन्नति पर था। इस प्रान्त के मीणों का आज भी अन्य शाखाओं की अपेक्षा अधिक मान है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि पाँच प्रसिद्ध जातियों अथवा पाँच प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम से ''पचवारा'' नाम का प्रचलन ठीक लगता है।

इस संबंध में केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया के लेखक विन्सेट स्मिथ का कथन भी पठनीय है। ''प्राचीन शासन प्रणाली में पाँच सभाओं का बड़ा महत्व था। ये सभायें समाज के पाँच विभागों का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रान्तीय शासन प्राय: गाँवों में जातियों में विभाजित होता था और उनके प्रतिनिधि मिलकर निर्णय लेते थे। इन निर्णयों का उस समय महत्व था। इसी दृष्टि से पचवारा नामकरण के मूल में ऐसा कोई सामाजिक गठबंधन रहा हो।

ढूंढाड़

इस क्षेत्र में जयपुर जिला, अलवर टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों के कुछ भाग आते हैं। ऐसे भी जयपुर जिले को बोलचाल भाषा में ढूंढाड़ कहते हैं यहां की भाषा भी ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ की सीमा का उल्लेख एक जागा ने इस प्रकार किया है:-

उत्तर टोंक रोड सै, सैंथल सै आथूणो धरा।
इसड़ा मिनख बसे ढूंढाड़ में, परवत को उरा परा॥

ढूंढाड़ की यह सीमा वर्तमान समूचे जयपुर जिले को आत्मसात् करती हुई अधिकांश टोंक को लपेटती हुई तथा सवाईमोधापुर एवं अलवर की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को बेधती हुई अजमेर तथा नागौर जिलों की सीमाओं पर परबसतसर के पास समाप्त होती है।

इस प्रदेश के नामकरण के संदर्भ में भी अनेको मत मे से एक मत के अनुसार अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव द्वारा शाप ग्रसित होकर जोबनेर के निकट ढूंढ पहाड़ पर तपस्या करने के कारण इस पहाड़ के आधार पर इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ पड़ा। एक अन्य लोक प्रचलित धारणा के अनुसार अजमेर का चौहान राजा ऋषि कन्या की पवित्रता नष्ट करने के कारण राक्षस बना। इसकी चौथी पीढ़ी में सोमेश्वर नामक राजा हुआ। वह राक्षस संबंधी बात जानता था। उसको ब्राह्मण से यह संदेश मिला कि तुम्हारा पूर्वज राक्षस बना हुआ है। अपनी मुक्ति के लिये वह सुअर बनेगा और तुम्हें उसका वध करना है और जो इस माँस को खायेगा उसके पुत्र होगा। सोमेश्वर ने ऐसा ही किया। सुअर (शूकर) का माँस खाने से पृथ्वीराज उत्पन्न हुआ और साथियों ने भी माँस खाया, उनके पुत्र पृथ्वीराज के सामन्त बने। उस शूकर की जीभ एक भट्ट के हाथ लगी जिससे चन्दबरदाई का जन्म हुआ। इसी ढूंढिया नामक राक्षक के नाम पर इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा।

एक मान्यता के अनुसार राक्षस के भय से जंगलों तथा पहाड़ों से आच्छादित इस भूमि में बहुत कम लोगों का आना जाना रहता था। अत: यह प्रदेश वीरान रहा। इसी संदर्भ में आज भी सुनसान स्थानों तथा खण्डहरों को ढूंढाड़ अथवा ढूंढा कहा जाता है। भूतपूर्व जोबनेर ठिकाने के स्वामी स्वर्गीय रावल नरेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक ''ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जयपुर'' पृ. 21 पर लिखा है कि चौहान नरेश बीसलदेव ने ढूंढ के पहाड़ पर इस प्रदेश के स्वच्छन्द मीणों का दमन के लिये ढूंढ पहाड़ पर एक चौकी स्थापित की थी। सभी मीणा मेवासों को नष्ट करके ढूंढ-ढूंढ कर उनको समाप्त किया। इसी कारण इस प्रदेश का नाम पुराने मत्स्य प्रदेश से बदल का ढूंढाड़ पड़ गया। कर्नल जेम्स टाड भी ढूंढ पहाड़ के कारण ही इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ पड़ा बताते हैं। नाथावतों के इतिहास के लेखक हनुमान शर्मा ने आमेर के ढूंढा कृति पहाड़ के नाम पर ढूंढाड़ नाम पड़ने की बात कही है। कई लोग इस क्षेत्र की मुख्य नदी ढूंढ के नाम से ढूंढाड़ की व्युत्पत्ति खोजते हैं। भाषा विज्ञान के विद्वान ''धुंधवार'' से ढूंढाड़ की उत्पत्ति मानते हैं।

मेजर जनरल कनिंघम ने अपनी पुस्तक आकर्योलेजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया में लिखा है कि जयपुर के समीप गलता तीर्थ में धुन्ध की गुफा देखी है और यह बताया कि ढूंढ नदी के दोनों किनारों पर उड़ने वाले बालू रेत के बथुलों से शायद इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा।

स्वर्गीय रावत सारस्वत की दृष्टि से महाभारत और विष्णु पुराण में उल्लेखित प्रसिद्ध पौराणिक योद्धा धुन्धु की स्थली होने के कारण ही इसका नाम ''धुन्धवाट'' अथवा ढूंढाड़ पड़ा। यद्यपि मीणा समाज के लोग अपने आपको तथाकथित क्षत्रियों में मानते आये हैं, परन्तु यदि उन्हें पराक्रमी योद्धा धुन्धु के वंशज मानने की कल्पना भी की जाये तो बुरा नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस भूमि के आदिवासी लोगों को असुरदानव आदि की संज्ञा देकर आर्यों ने उनसे युद्ध किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार पृथ्वीसिंह मेहता ने अपनी पुस्तक ''हमारे राजस्थान'' में लिखा है कि ''इस भूमि पर कमलनयन विष्णु को मधु कैटव नामक दो महाबली राक्षसों से पाँच हजार वर्ष तक युद्ध करना पड़ा।''

श्री मेहता इसे पुष्कराण्य की धरती में मानते हैं। अयोध्या के रघुवंशी निकुंभ क्षत्रियों तथा बाद में ग्वालियर के कुशवंशी कछावों ने भी इक्ष्वाकुवंशी कुवलाश्व की परंपरा में ही इस धरती के मूल निवासियों का दमन कर उनका राज्य हस्तगत किया था। इस दृष्टि से ढूंढाड़ के आदिवासी मीणों का क्षत्रियों के साथ संघर्ष सहस्त्रों वर्षों से चला आ रहा है।

मेंवात

अलवर, भतरपुर तथा हरियाणा के गुड़गांव जिलों के अधिकांश प्रदेश को मेव जाति का वास स्थान मानकर इसे ''मेवात'' कहते हैं। पहले इस क्षेत्र को मत्स्य राज्य कहते थे। परन्तु यहाँ अनेक मीणों को मुसलमान बनाये जाने पर इस क्षेत्र को मुस्लिम काल में मेवात कहा जाने लगा। मेवाती व मेव दो पृथक जातियां हैं। आज दोनों ही मुसलमान हैं, परन्तु पहले ये दोनों ही हिन्दू मीणाजाति के थे। मेवाती शासक वर्ग में थे। बाबर के समय हसन खां मेवाती खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से लड़ा था। मेव लोग खेती का कार्य करते और अलवर जिले में अधिकांश कृषि-भूमि इन्ही के पास है। जजिया कर से मुक्ति पाने के लिए फिरोज तुगलक के समय अनेक हिन्दू मुसलमान बन गये। उनमें मीणा जाति के लोग मेव कहलाये। आज भी मेव अपने आपको मीणा ही मानते हैं। काला के वंश वालों को कुल मिलाकर 24 शाखा और कान्हा के वंश की 24 शाखायें बन गई। इस तरह मेरों की 48 शाखायें बन गई। अणहल के वंशज संख्या में बढ़ने लगे और कालान्तर में इतने शक्तिशाली हो गये कि मेरवाड़ा के प्रमुख स्थान झक, शामगढ़, लुलुआ, हहूण, कूकरा, कोट किराणा तथा नाई के आदि अनेक स्थान अपने वंश के राज्य स्थापित किये। मेरवाड़ा सेटलमेन्ट रिपोर्ट (1875) के अनुसार व्यावर के समस्त 117 गांव तथा कोट किराणा और टाटगढ़ के क्रमश: 16 व 53 गाँव हैं। अजमेर में चीतों के 21 गांव खालसा एवं जागीर के थे। चीतों की अनेक जातियों में सर्वाधिक संख्या में रावत गोत्र के है। औरंगजेब के समय इस जाति के लोग मुसलमान बन गये। इनमें काठति-गोत के लोगों ने अजमेर के अनेक गाँवों पर अधिकार कर लिया। इन्होंने अपना नया गोत भी चलाया जिनमें बहादुरखानी चीते सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मुगल सम्राटों द्वारा इनको तौसर राजावासी अजयसर तथा करकेड़ी गाँव इसलिये दिये थे कि वे अजमेर तथा आस-पास के गाँव की रक्षा करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा रिपोर्ट में इनको इस्तमुरारदार लिखा है।

बरड़

अणहल के भाई अनूप ने टाटगढ़ में बसकर बरड़ शाखा की वृद्धि की। टाटगढ़ तहसील का समूचा भाग इनके अधिकार में ही रहा। चीतों की तुलना में ये लोग अधिक सभ्य और अपने आपको राव कहलाना पसन्द करते हैं। अजमेर सेटलमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार ''कूकरा'' तथा बरार के गाँव मुख्य माने गये हैं। काठात को छोड़कर सभी चौहान मीणे अपने को हिन्दू ही मानते हैं। वीर विनोद के लेखक कविराज्य श्यामलदास जी ने पृ. 199 से 201 पर इनके चरित्र की प्रशंसा की है। ''मेर लोग बहुत बहादुर होते हैं और स्त्रियों की इज्जत बिगाड़ने वालो को वे जान से मार देते है। ये मेहनती-मजबूत, चालाक होते हैं।''

मेरवाड़ा

मेर जाति का मुख्य निवास स्थान होने के कारण उत्तर में मारवाड़ तथा अजमेर से दक्षिण में मेवाड़ से घिरा हुआ यह प्रदेश मेरवाड़ा कहलाता है। कर्नल जेम्सटाड ने मैना या मेना, मेर, मेराते आदि पहाड़ी जातियों को मेर ही बताया है। ''मेर'' जाति भी मेर (पहाड़ों) पर निवास करने के कारण मेर कहलाये। कार्लाइल ने अपनी पुस्तक आर्क्योलीजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मेर तथा मीणों को एक ही माना है। मेरवाड़ा के वर्तमान निवासी अभेद रूप से ''मेर'' कहलाते हैं। इसका अर्थ पर्वतों पर निवास से है। पत्रिका 25 अप्रैल के अंक में अजमेर राज्य के परिचय में बताया गया है कि अजमेर को अज्जा मेर द्वारा ही बसाया गया है। अज्जा मेर से अजमेर हो

गया। मेरवाड़ा की दो प्रधान जातियां ''चीता'' और बरड़'' मेर ही है। परम्परा के अनुसारये 24, 24 गोत्रों में विभक्त है। धीरे-धीरे इनके गोत्रों की संख्या बढ़ती गई। अजमेर मेरवाड़ा सेटलमेन्ट रिपोर्ट में (1875) इनके 40 गात्रां का उल्लेख है। कर्नल जेम्स टाड में इनको शुद्ध रूप से मीणा जाति का ही माना है परन्तु मिस्टर इलियट का मत है कि ये लोग इंडोसीथियन जाति के हैं उन मेड़ों के स्मृति चिन्ह जिन्होंने मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया। वीर विनोद के लेखक कविराजा श्यामलदान ने ''स्केच ऑफ मेरवाड़ा'' पुस्तक के आधार पर लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने तीज की पूजा करती हुई जिन मीणी को बूँदी में पकड़ा था उसका नाम ''सहदे था वह आसावरी (अषाहरी) जाति की थी। यह अपने दोनों पुत्रों को लेकर ''चाँग'' गई और कुछ ही वर्षों बाद चाँग के शासक चन्देल गुजरों को अणहद ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया। वीर विनोद में चाँग में अणहल तथा अनूप की पाँच पीढ़ी के शासन के उल्लेख हैं।

चांग मीणा

वीर विनोद के अनुसार अहज के दो पुत्र कान्हा तथा काला बहुत पराक्रमी हुए। इनसे ही क्रमशः चीता तथा बड़ नामक दो शाखायें निकली। काला के वंशज केलवाड़ा (मेवाड़) पहुँचे और कान्हा के वंशज चाँग जा पहुँचे। कालान्तर में कान्हा के वंशेजों ने मीणा, भील और धाकड़ मीणों से इनके गोत्र मिलते हैं। मेवाती अपना उद्‌गम करौली के राजा नहनपाल यादव (संवत् 1130) मानते हैं तथा इनका शासक खानजादा कहलाता है जिसका विस्तृत वर्णन अग्रिम पृष्ठों में किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मीनपुराण भूमिका पृ. 5-11
2. हिन्दी महाभारत इण्डियन प्रेस वन पर्व 187वाँ अध्याय
3. ऋग्वेद 7-8-9
4. न्यू इण्डियन एनीक्वेरी (1939-40) जिन्द दो पृ. 451 ले. आर. एम सेलेटोर
5. वैदिक माइलोलोजी- डॉ. मैकडाल न पृ. 153
6. ऐतरेय ब्राह्मण पृ. 26 ए. बी. कीथ
7. एन्रोन्ट मिड इण्डियान क्षत्रिय ट्राइब्स, बी. सी. लॉ. पृ. 65
8. संस्कृत इंगलिश डिक्शनेरी- आप्टे पृ. 439
9. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया- विन्सेन्ट स्मिथ जिल्द एक पृ. 559, जिन्द तीन पृ. 521
10. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया टोल्ड बाई ओन हिस्टोरियन्स जि. एम पृ. 392 इलियट एण्ड डासन
11. उदयपुर राज्य का इतिहास जि. 2 पृ. 543 गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
12. कोटा राज्य का इतिहास पृ. 21, डॉ. मथुरालाल शर्मा
13. एन साइक्लोपीडिया, बिटार्निका जिल्द 14 पृ. 182, 185
14. राजस्थान की जातियाँ पृ. 37 राममनोहर लोहिया।
15. जयपुर एवं अलवर राज्य का इतिहास पृ. 227 जगदीश सिंह गहलोत
16. राजपूताने का इतिहास प्रथम भाग पृ. 190 गौरी शंकर हीराचन्द औझा।
17. एनाल्स एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान जिल्द एक पृ. 283 कर्नल जेम्स टाड
18. मीन पुराण भूमिका पृ. 25, मुनिमगन सागर जी।

❑❑❑

अध्याय- 2

मीणा जाति का राजनीतिक प्रभुत्व

प्राचीनकाल

जैसाकि विगत अध्याय में हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मीणा जनजाति संसार की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हुई है। सिन्धुघाटी सभ्यता इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है। इसके समानान्तर राजस्थान में इसी प्रकार की प्राचीन सभ्यताओं के मीणा जाति के महल अनेक स्थान जैसे जयपुर स्थित आमागढ़ का किला, आलनसिंह चांदा के महल, हथरोई का किला और खोहगंग, बूज, मॉंच, झिरी, नरेठ, बून्दी, ढूंढ़ार आदि स्थानों पर अवशेष मिले हैं। परन्तु इनका कोई राजनीतिक प्रभुत्व के चिन्ह अति प्राचीनकाल के नहीं मिले, यह आज भी शोध का विषय है। मत्स्य की राजनीतिक इकाई का परिचय हमें सर्वप्रथम वैदिक युग में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार मत्स्य लोगों का स्थान इन्द्रप्रस्थ के दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम तथा सूरसेन या मथुरा के दक्षिण में था। मत्स्यों पर आर्य नरेश तुर्वसु के आक्रमण का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। वेदों के भाष्यकार सायण ने वेदों में मत्स्यों के पराक्रम का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में सुदास के विरुद्ध शत्रु संघ में इसकी गणना की गई है। ऋग्वेद में यह भी उल्लेख है कि भारत की अनेक आदिम जातियों ने आर्यों को आगे बढ़ने से रोका था। ये लोग अपना अलग धार्मिक एवं सामाजिक अस्तित्व रखते थे और परकोटे के अन्दर बने शहरों में रहते थे। इन सभी तथ्यों से यही विदित होता है कि प्राचीन मत्स्यों के निवास स्थान सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में विद्यमान थे। इन प्राचीन मत्स्यों के वंशज ही आधुनिक मीणा समुदाय है।

वेदों के बाद उपनिषद युग में भी इनका उल्लेख मिलता है। कौशीतकी उपनिषद में उषीनगर, वत्स, कुरू, पांचाल, काशी एवं विदेहों के साथ मत्स्यों का भी उल्लेख है। वृहतसंहिता के लेखक वराहमिहिर के अनुसार मत्स्य जनपद एक प्रमुख जनपद था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ''ध्वसान द्वैतवन'' मत्स्य देश का प्रतापी सम्राट था। इसने अनेक बार अश्वमेघ यज्ञ किये। इनमें देवतवन यज्ञ प्रसिद्ध है। गोपथ ब्राह्मण साल्वों तथा कुरू पांचलों के साथ मत्स्यों का भी उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि आर्यावर्त के पाँच भागों में एक भाग मध्यदेश था। यह मध्य देश 16 जनपदों में विभक्त था, जिसमें मत्स्य, शाल्व और वसों के जनपद का एक साथ उल्लेख है। मनु स्मृति के अनुसार मत्स्य जनपद ब्रह्मावर्त का एक प्रमुख भाग था। मनु ने इनकी वीरता का उल्लेख करके योद्धा बताया है। ब्रह्मावर्त में कुरू क्षेत्र में मत्स्य सूरसेन तथा पांचाल जनपद थे।

मत्स्य पुराण में मत्स्यावतार के कथा के संदर्भ में मत्स्य भगवान की कथा है। इसके अनुसार आधुनिक मीणा समुदाय मत्स्य भगवान के वंशज हैं। इसका संक्षिप्त विवरण हम पहले पढ़ चुके हैं। परन्तु आज के इस वैज्ञानिक युग में इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। अन्य पुराणों में मत्स्य जनपद का अवश्य उल्लेख हुआ, जिनमें पद्मपुराण एवं विष्णु धर्मोत्तर महापुराण विशेष उल्लेखनीय है। रामायणकाल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कैकेय से अयोध्या जाते हुये मत्स्यों का वर्णन मिलता है। महाभारत

काल में मत्स्य नरेश राजा विराट के वैभव एवं समृद्धि का वर्णन विस्तार से मिलता है। इस काल में राजा विराट ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया अनेक देशों को अपने राज्य की सीमा में मिला लिया। इस प्रतापी सम्राट का वर्णन अग्रिम पृष्ठों में विस्तार से किया जायेगा।

बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के समय के सोलह जनपदों में से एक मच्छ (मत्स्य) जनपद भी था। (अंगुतर निकाय पृ. 2131) बौद्ध साहित्य में अन्यत्र कई स्थानों पर मत्स्य देश का उल्लेख हुआ है। दिग्ध निकाय में बताया है कि कुरूराजा की द्यूत-क्रीड़ा देखने वालों में मत्स्य नरेश भी था। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि बौद्ध काल में भी यह राज्य सुपरिचित था। भूमि के स्वामी होने के साथ ये लोग बड़े सभ्य व न्याय प्रिय थे। श्री नेत्र पाण्डे ने "संपूर्ण भारत के इतिहास" भाग एक में बौद्ध कालीन मत्स्य देश का उल्लेख करते हुये, इसकी सीमा कुरू के दक्षिण में सूरसेन के उत्तर में तथा पांचाल देश के पश्चिम में बतायी है।

मत्स्य राष्ट्र की भौगोलिक सीमा

प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल से ही मत्स्य देश की सीमा का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में उसे इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) से दक्षिण या दक्षिण पश्चिम तथा सूरसेन तथा मथुरा के दक्षिण में बताया है। उपनिषदों तथा ब्राह्मणों आदि ग्रन्थों में मत्स्य की उपय्रुक्त सीमा ही निर्धारित की है। इन शास्त्रों में मत्स्य देश की भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए जनरल कनिंघम ने अलवर की अरावली पहाड़ियों से यमुना तट तक की पवित्र भूमि को मत्स्य देश कहा है। डॉ. भण्डारकर ने भी अलवर जयपुर और भरतपुर को मत्स्य देश का अंग बताया है।

महाभारत काल में तो इसकी भौगोलिक सीमा के अनेक उल्लेख मिलते हैं। विराटपर्व में अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि कुरू देश के चारों ओर अनेक जनपद है, जिनमें मत्स्य संघ बहुत ही रमणीय है। वहां का राजा विराट महान् धर्मात्मा व वीर पुरूष है। अत: वहीं अपना अज्ञातवास व्यतीत करना चाहिए, पाण्डव मत्स्य प्रदेश पहुँचे। पाणिनिकालीन भारत के लेखक डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है ''मत्स्य की सीमा सुनिश्चित है, उसकी राजधानी विराट थी, जो आज जयपुर में बैराठ है।'' जनरल कनिंघम के अनुसार अलवर की अरावली पहाड़ियों तथा यमुना के बीच का समस्त प्रदेश पश्चिम में मत्स्यों तथा पूर्व में सूरसेन का था। मत्स्य में वर्तमान अलवर जयपुर तथा भरतपुर का कुछ भाग ''बैराठ'' तथा मॉचेड़ी दोनों मत्स्य देश में थे। कामा, मथुरा और बयाना खण्ड सूरसेन में थे। पूर्व में पांचालों के पास रूहेलखण्ड अन्तर्वेद या गंगा का दोआब था।

''कैम्ब्रिज हिस्ट्री'' में भी मत्स्य की सीमा का उल्लेख है इसके अनुसार मत्स्य जाति अलवर, जयपुर तथा भरतपुर के नामों से जाने गए भू-भागों में निवास करती है। इस जाति के ध्वसन द्वैतवन नामक राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह राजा संभवतया अलवर तथा जयपुर के आस-पास राज्य करता था। प्रसिद्ध इतिहासकार आर. सी. मजूमदार ने अपने ग्रन्थ ''दी वेदिक एज'' में मत्स्य की सीमा दिल्ली, जयपुर तथा आगरा के बीच बताई गई है। चीनी यात्री ने मत्स्य देश को पारियात्र (बैराठ) देश कहकर संबोधित किया है। उसने 634 ई. में मत्स्य देश की यात्रा बौद्ध अवशेषों को देखने के लिये की थी। उसने मत्स्य देश का क्षेत्रफल 500 वर्गमील (800 वर्ग कि.मी.) बताया है जो कनिंघम की पुस्तक अर्नेस्ट इण्डियन ज्योग्राफी में वर्णित सीमा से मेल खाती है। कनिंघम के अनुसार मत्स्य देश की सीमा झुंझुनू से पूर्व में कोट कासिम तक 70 मील (120 कि.मी.) कोटकासिम से दक्षिण में चंबल तथा बनास के संगम तक 150 मील (240

भारत में आदिवासी राज्य



संसद सदस्य श्री सोनजी भाई द्वारा प्रकाशित भारतवर्ष में आदिवासी राज्य का मानचित्र


मत्स्य राज्य
मीणा जाति और स्वतन्त्रता का इतिहास
मरुप्रदेश
उत्तराखण्ड
अलवर
जयपुर
मत्स्य राज्य
भिण्ड
अजमेर
सवाई माधोपुर
ग्वालियर
टोंक
शिवपुरी
बुन्दी
मुरैना
कोटा
झालावाड
भील प्रदेश
गौंडवाना

कि.मी.) अजमेर से उत्तर में झुंझुनू तक 120 मील (192 कि.मी.) तक बताई है जिसका क्षेत्रफल करीब करीब चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा बताये गये क्षेत्रफल के समान ही है।

महाभारत काल में मत्स्य संघ

मत्स्य संघ का गौरवपूर्ण इतिहास महाभारतकाल इस संघ का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। महाराज विराट, विराट नगर की स्थापना करने वाले थे। इनकी गणना उन महापुरुषों में की जाती है जिन्होंने धर्म और न्याय के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। धर्म-रक्षार्थ महाभारत युद्ध में स्वयं के साथ दोनों पुत्र व दामाद अभिमन्यु भी वीरगति को प्राप्त हुये। भीष्म पितामह ने मत्स्य संघ के विषय में कहा कि वहां की प्रजा प्रसन्न है। सभी प्रकार की वहाँ सुख सुविधा है, कोई अन्याय नहीं होता, वह प्रदेश मत्स्य संघ है। भीष्म पितामह के इस कथन से मत्स्य नरेश विराट की महानता स्वत: ही सिद्ध हो जाती है। पुराणों के रचियता पुरुष वेदव्यास जी ने अपने विशद् महाकाव्य ग्रन्थ में ''विराट'' की प्रशंसा की। वे शांति व न्याय के समर्थक थे। महाभारत युद्ध के पूर्व युद्ध रोकने के लिये शांति सम्मेलन वहीं हुआ था। जब कौरव किसी भी तरह शांति के लिये तैयार नहीं हुये तो मत्स्य नरेश विराट ने पाण्डवों का साथ दिया।

महाभारत के उद्योग पर्व में इन्हें महावीर बताया है। वास्तव में वे स्थित प्रज्ञ थे। अपने ही सामने परिवारजनों की महाभारत युद्ध में मृत्यु को देखकर वे तनिक भी विचलित नहीं हुये। निरंतर पाण्डवों की विजय के लिये युद्धरत रहे। यद्यपि मत्स्य संघ का शासन राजतंत्र प्रणाली का था, परन्तु राजा जनता के प्रति उत्तरदायी था। ''राजा रंजयति प्रजा'' इनकी शासन नीति का आधार था। इसी कारण इन्होंने गौ रक्षा के लिये विशाल कौरव सेना से युद्ध किया था। उद्योग पर्व में इस राजा की संपन्नता का विशद् वर्णन है। विराट नगर में शांति सम्मेलन जिस प्रकार के ऐश्वर्य के साथ किया गया, वह उस राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। आज मीणा जाति भी अपने गौरवशाली विराट की अनुगामी होकर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रही है। वे महान दानवीर थे, कोई भी याचक उनके द्वार से निराश नहीं लौट सकता था। मत्स्य देश का जनजीवन इतिहासकारों के अनुसार ये लोग युद्ध प्रिय थे। पश्चिमी भारत में इन्हें ''प्रतीच्या: पार्वतीय:'' इनके समूह को ऋग्वेद में आर्य योद्धाओं को व्रातसाह कहा गया है। श्रोत सूत्रों में व्रात्य का उल्लेख है। व्रात लोग तख्ते का पट्टा जुड़ा हुआ खड़ा किया रथ रखते थे तथा उबड़ खाबड़ मार्गों पर चलते थे। पाणिनी कालीन भारत में लिखा है कि ये लोग बिना डोरी व प्रत्यंचा के धनुष (गुलेल) रखते थे, लाल तथा पीले कपड़े पहनते थे। संघबद्ध होने पर भी व्रत-वृत्ति वाले लोग इन सबमें ऊपर रहते थे।

उपर्युक्त संदर्भ से यह सिद्ध होता है कि मत्स्यों का संघ जिनके वंशज शताब्दियों तक लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, मूलत: आयुध प्रवृत्ति के रहे होंगे। पहाड़ी प्रदेशों में रहने के कारण उनका आयुध जीवी होना स्वाभाविक था। संभवत: इनमें कुछ लोग अपने बाहुबल तथा सशस्त्र बल से ''पुर राज्यों'' की स्थापना करने में सफल हुये। इन पुर राज्यों का विस्तार पूर्वी राजस्थान में ही नहीं, वरन् दक्षिणी राजस्थान में कोटा, बूंदी व चित्तौड़ तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं मालवे में इनके पुर राज्य थे, जिनका वर्णन यथा स्थान करेंगे।

महाभारत युद्ध के बाद मत्स्य लोगों को अपने समीप के गणराज्यों से युद्ध करना पड़ा। इसके बाद जब गण राज्यों का स्थान बड़े-बड़े साम्राज्य लेने लगे तो मत्स्य संघ को भी उन साम्राज्यों का अंग बनना पड़ा। परन्तु ज्योंही साम्राज्य विघटन के कारण उत्पन्न हुये ये मत्स्य लोग अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिये

निरंतर प्रयास करते थे। अपने पड़ौसी राज्यों, राजपूतों, मुसलमान राज्यों को मीणा लोग बराबर चुनौती देते रहे। मीणाओं के स्वतंत्र राज्य एवं राजपूतों, मुगलों तथा अंग्रेजों से संघर्ष का वर्णन अगली पंक्तियों में विस्तार से करेंगे। इससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि मत्स्य संघ के विघटन के बाद मत्स्यों को किन-किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा।

मौर्य काल में मत्स्य संघ

मत्स्य संघ ने बौद्ध काल तक तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखा, परन्तु मौर्य साम्राज्य के समय मत्स्य जनपद की स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता तो समाप्त हो गई परन्तु यह मौर्य साम्राज्य का महत्त्वपूर्ण प्रान्त अवश्य बना रहा। मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण जनपद था। मौर्य साम्राज्य का अंग होते हुये भी यह स्वायत्तशासी क्षेत्र बना रहा। चाणक्य के अर्थ शास्त्र के अनुसार मत्स्य संघ मौर्य साम्राज्य के 16 जनपदों में से एक था और इसका उस समय भी विशिष्ट स्थान था। महाजनपदों का कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं मिलता है, इसलिये उस समय की शासन प्रणाली के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अत: मौर्य साम्राज्य के अंग के रूप में मत्स्य जनपद को स्वीकार करना पड़ेगा।

महाजनपदों के इतिहास की बात तो दूर रही, परन्तु स्वयं मौर्य वंश की उत्पत्ति के संबंध में ही अनेक विवाद है। अत: ऐसी स्थिति में मत्स्य संघ के विषय में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। चन्द्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम प्रतापी सम्राट था, जिसने भारतवर्ष को एक राष्ट्र का रूप दिया, उस समय मत्स्य संघ मौर्य साम्राज्य का अंग था। इससे पहले देश पर यूनान के महान् विजेता सिकन्दर जब भारतीयों की फूट से लाभ उठाकर पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर भारत के दक्षिण पूर्व में बढ़ने की योजना बनानेवाला था, तब उसे रोकने वाला मत्स्य गणराज्य ही था। आधुनिक शोध से विदित होता है कि सिकन्दर की सेना को आगे बढ़ने से रोकने का श्रेय मत्स्य संघ को ही है। इस तरह विदेशी आक्रमण को रोकने में मत्स्य संघ सफल रहा।

मौर्यकाल के ऐतिहासिक घटनाचक्र को देखने से विदित होता है कि मौर्य शासन की सफलता विशालता व संपन्नता में मत्स्य जनपद की मुख्य भूमिका रही। इसका प्रमुख कारण यह था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य की माता यहां की पुत्री थी और उसका शैशवकाल भी यहीं बीता। संभवतया इसी कारण मौर्य सम्राटों ने मत्स्य क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया। जिस प्रकार महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर धर्म व न्याय का साथ देकर भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाया उसी प्रकार मौर्यकाल के वैभव एवं संस्कृति के विकास में इस संघ का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

सम्राट अशोक के शासनकाल में इस प्रदेश की बड़ी ख्याति थी। डॉ. दयाराम साहनी, श्री रतनचन्द्र अग्रवाल एवं ज्ञानस्वरूप गुप्ता के शोध कार्यों के अनुसार मौर्य वंश की उत्पत्ति का स्थान मत्स्य जनपद ही था। श्री ज्ञानस्वरूप गुप्ता ने अपने लेख ''बुद्ध धाम बैराठ'' में स्पष्ट रूप से बताया कि मौर्यवंश का इस क्षेत्र से निकट का संबंध था। विराट नगर में जो बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं, वह इसका ज्वलन्त प्रमाण है। सम्राट अशोक ने भी इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद एक वर्ष तक श्रवण मनन के लिये विराट नगर में ही रहे और यहीं से बौद्ध धर्म को जन-जन तक पहुँचाने का अभियान चलाया। विराट नगर का बौद्ध स्तूप जो लकड़ी का बना हुआ था वह सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था, क्योंकि प्रारंभ में मौर्यकालीन वास्तु कला में ईटों व लकड़ी का ही प्रमुख स्थान था। बीजक की पहाड़ी

पर पत्थरों को काटकर बनाये गये बौद्ध स्तूप इसका स्पष्ट प्रमाण है कि यह क्षेत्र अशोक व बौद्ध धर्म की प्रमुख कार्य स्थली रही।

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सुदृढ़ केन्द्रीय शासन का भी अन्त हो गया। इस अराजकता की स्थिति में यौद्धेय, मालव, अर्जुनायन, कुनिंद्र आदि जातियों ने अपने अनेक राज्य स्थापित कर लिये। परन्तु यूनानी, शक, पार्थियान तथा कुषाण के आक्रमण के कारण इन गणराज्यों को अपनी भूमि छोड़कर राजस्थान में प्रवेश करना पड़ा। अर्जुनायन जातिवालों ने राजस्थान के अन्दर अलवर, भरतपुर, सालव जाति वालों ने आधुनिक जयपुर, शिविर जातिवालों ने माध्यामिका (चित्तौड़) और यौद्धेय जाति ने उत्तरी राजस्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस तरह से मत्स्य जाति के इन राज्यों का राजस्थान में प्रवेश के कारण मत्स्य राजा का भाग्यसूर्य अस्ताचल की ओर चला गया तथा मीणा जनजाति ने जंगलों में जाकर पहाड़ों पर अपने राज्य स्थापित किये, जिसका वर्णन यथा स्थान विस्तार से करेंगे। परन्तु इतना स्पष्ट है कि अर्जुनायन, मालव और यौद्धेय गणराज्यों की स्थापना मत्स्य राज की समाधि पर ही की गई। स्थानाभाव के कारण मीणा जाति से इन गणराज्यों के संघर्ष का वर्णन संभव नहीं है। इन गणराज्यों को भी शकों व कुषाणों से अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करना पड़ा। इसमें मीणा जाति के लोग भी अवश्य रहे होंगे, क्योंकि मत्स्य जनजाति के लोग सभी तो पर्वतीय प्रदेशों में नहीं गये होंगे। अत: गणराज्यों के साथ इसको शकों और कुषाणों से युद्ध करना पड़ा। गुप्तवंश के शासन में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा समुद्रगुप्त ने इन गणराज्यों को समाप्त कर पुनः सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की जिसका वर्णन यहाँ करना आवश्यक नहीं है।

गुप्तकाल में ही हूणों के आक्रमण ने राज्य की स्थिति को डांवाडोल कर दिया। इन्होंने राजस्थान पर भी अधिकार जमा लिया। दूसरी सदी ई. पू. से छह सौ ई. तक के राजस्थान के लगभग 800 वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें विदित होगा कि इस काल में राजस्थान के मूल निवासी भील, मीणा, मेवाती आदि के राज्यों को पंजाब के मूल निवासी मालव, यौद्धेय के साथ शक, पार्थियन, कुषाण एवं हूण जाति के विदेशी आक्रमणकारियों ने इन आदिवासी जाति के राज्यों को निगल जाने का भरपूर प्रयास किया, परन्तु चरित्र के धनी इस राजनीतिक लूटमार के युग में अपने तीर-कमान के बल पर दक्षिण में हैदराबाद तक धावा बोलने वाले मीणा जाति का शांत बैठना संभव नहीं था। जब गुप्त सम्राट व हूण शासक मिहिरकुल और तोरमाण इन गणराज्यों को समाप्त करने में लगे थे तब मीणा जाति ने पुनः अपने राजनीतिक गौरव को प्राप्त करने का अवश्य प्रयास किया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं।

महाराजा हर्ष ने हूणों के आक्रमण से अशांत राजस्थान में शांति का प्रयास अवश्य किया होगा परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। हर्ष की मृत्यु के बाद समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक अराजकता फैल गई। इसका लाभ उठाकर मीणा जाति ने ढूंढाड़, मेवाड़, बूंदी इतना ही नहीं मालवा के कितने ही प्रदेशों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया जो मुगल काल के अन्त तक अपना वर्चस्व किसी न किसी रूप में स्थापित करने में सफल रहे। बूँदी गजेटियर तथा हरमन गोइज की धारणा के अनुसार महाभारत कालीन मत्स्य राज्य के शासक मीणा जाति के लोग ही थे। बूँदी गजेटियर से यह भी विदित होता है कि बूँदी क्षेत्र की आदि निवासी मीणा जाति ही है। बूँदी जिला के उत्तर के और उत्तर पश्चिम में स्थित दिल्ली, आगरा और जयपुर के बीच के क्षेत्र के निवासी भी मीणा जन जाति के लोग थे। कर्नल जेम्स टाड के अनुसार बूँदी क्षेत्र में रहने वाले मीणा लोगों का ग्यारहवीं तथा बारहवीं सदी में आमेर में एक संघ राज्य था। बूँदी के साथ टोंक व

अजमेर में इनकी संख्या बहुत अधिक थी । मध्य प्रदेश में परमार वंश के पतन के बाद मीणा जाति ने वहां अपना राज्य स्थापित कर लिया था । कर्नल टाड के अनुसार इस जनजाति की एक शाखा चीता थी, जिसका मारवाड़ पर वर्षों तक राज्य रहा । मुनि मगनसागर जी महाराज के अनुसार गुजरात के बनास काँठा जिले से लेकर ठेठ दिल्ली तक चली गई अरावली पर्वतमाला में रहने वाले मूल निवासी मीणा ही थे ।

जैसाकि पूर्व में बताया जा चुका है कि ''मीन'' गणचिन्ह धारी सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग ही आधुनिक मीणा हैं । इस सभ्यता के पतन के बाद इनका एक थोक पंजाब, हरियाणा, गंगा के मैदानों की ओर तथा उत्तरी राजस्थान की ओर चला गया । वहाँ उन्होंने मत्स्य जनपद की स्थापना की जिसका विस्तृत वर्णन पहले किया जा चुका है । दूसरा थोक थार रेगिस्तान पार करके मेरूपाट (मारवाड़) और मेदपाट (मेवाड़) में आ बसा । यहां आकर वे मेरू, मेर या मेवल कहलाये । इसी कारण दक्षिणी राजस्थान की भूमि को मेवाड़ कहा जाने लगा । इसे इतिहासकार भी मानते हैं । वास्तव में अजमेर मेरवाड़ा और सौराष्ट्र में रहने वाले मेर यहीं से निकल कर यहाँ पहुँचे और मेवात के मेव और उत्तर प्रदेश के मेव भी इसी भूमि से निकलकर वहाँ गये । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि ये सभी लोग मीणा जाति के ही हैं । इनका सातवीं सदी से लेकर बारहवीं सदी तक राजपूतों से अपनी स्वतंत्रता के लिये निरन्तर संघर्ष होता रहा ।

मीणा जाति सदा से ही धर्मपरायण, सत्यवादी एवं छल प्रपंच से कोसों दूर रहने वाली रही है । महाभारतकाल में धर्म रक्षार्थ ही महाभारत के धर्मयुद्ध में पाण्डवों का साथ देकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था । आगे भी शरणागत वत्सल इस जाति ने इधर-उधर मारे-मारे फिरने वाले राजपूतों को शरण दी । परन्तु इन्होंने उपकार का बदला अपकार से दिया और छल प्रपंच से अपने आश्रयदाता मीणा शासकों का राज्य छीन लिया । परिणाम यह निकला कि बूँदी के शासक वीरवर जेता मीणा को धोखे से मारकर बम्बावदेव के शासक देवीसिंह हाडा ने बूँदी मीणा राज्य को समाप्त किया । इसी तरह बापा रावल ने चित्तौड़ (मेवाड़) पर तथा ग्वालियर नरवर से आये दुल्हाराय ने ढूंढाड़ (जयपुर) प्रदेश के समस्त मीणा राज्यों को धोखे व छल से ध्वस्त कर दिया ।

मत्स्य संघ राज्य के विघटन के बाद मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य में भी मीणा राज्यों का इन साम्राज्यों के अंतर्गत अस्तित्व बना रहा । यह तथ्य सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतान्त से स्पष्ट है जिसमें ह्वेनसांग ने सातवीं सदी में मत्स्यराज का उल्लेख करते हुये उसके राज्य का विस्तार से वर्णन किया है । वह लिखता है कि शयुद के दक्षिण पश्चिम की यात्रा करते हुए हम ''पो-लि-टो-लो (पारियात्र-विराट पहुँचे) यह राज्य 800 कि.मी. के क्षेत्रफल में फैला हुआ था । इतिहास में भी अपनी पुस्तक एनसियन्ट ज्योग्राफी इण्डिया पृ. 391 पर विराटनगर का उल्लेख किया है । आठवी सदी में इनके राजनीतिक वर्चस्व का उल्लेख मिलता है । पाल राजा धर्मपाल देव के खलीपुर लेख में इसका वर्णन है । कनौज का सिंहासन धर्मपाल के द्वारा मत्स्यों की सहमति से चक्रायुद्ध को दिये जाने का उल्लेख नारायणपाल देव के भागपुर लेख में मिलता है। इस लेख के अनुसार मत्स्य देश भोजकों के देश

(भोज का धार) और मडकों (रावी-चिनाव के प्रदेश जिसकी राजधानी स्यालकोट थी) के बीच अवस्थित था। डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में पृ. 398 पर लिखा है कि जब राष्ट्रकुल तथा गोड (बंगाल) राजा धर्मपाल के कन्नौज पर आक्रमण किया और वहां के इन्द्रायुद्ध को हटाकर अपने पक्ष के राजा चक्रायुद्ध का कन्नौज के सिंहासन पर बिठाने के पहले, भोज, मत्स्य, मद्र, कुरू, यवन अवन्ति तथा गंधार तथा कीर के राजा की सहमति लेना आवश्यक समझा। पालों तथा मत्स्यों के इस समझौते का वर्णन कीलहार्न ने भी किया है। न्यू इण्डिया एण्टीक्वेरी (1939-40) जिल्द दो पृष्ठ 396-97 पर इस समझौते के बारे में लिखा गया है कि मत्स्यों तथा धर्मपाल के बीच यह समझौता 801 ई. में हुआ। धर्मपाल देव व मत्स्यों का समझौता अधिक दिन तक बना नहीं रहा और गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध को पदच्युत कर दिया। इतना ही नहीं नागभट्ट ने धर्मपाल तथा चक्रायुद्ध के समर्थक मालव, किरात, तुरूसक, वत्स एवं मत्स्य प्रदेश के पहाड़ी राजाओं पर भी विजय प्राप्त की। इस घटना का वर्णन नवीं सदी के गुर्जर प्रतिहार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में अंकित है। नागभट्ट के बाद राष्ट्रकूट राजाओं ने भी इन पहाड़ी राज्यों पर विजय प्राप्त की, परन्तु उसने इन राज्यों की स्वायत्तता को बनाये रखा। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि पालों, गुर्जर प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूट राजाओं के समय अर्थात् नवीं सदी तक मत्स्य लोग जातीय नेताओं के रूप में शासन चलाते रहे।

इस प्रकार के राज्यों में खोहगंग में चाँदावंशी मीणों का राज्य, माँची में सीहरा मीणाओं का राज्य, गैटोर घाटी तथा झोटवाड़ा के नाढ़ला मीणाओं का राज्य, आमेर का सूंसावत राज्य एवं नहान (नई) का गोमलाडू राज्य तथा नरेठ ब्याडवाल मीणा व झरी का झरवाल वंशीय राज्य प्रसिद्ध है। नहान का राज्य मुगल सम्राट अकबर के समय तक शक्तिशाली बना रहा। आमेर के कछावा राजा भगवानदास ने मुगलों की मदद से इस राज्य को नष्ट किया।

मीणा जाति के प्रसिद्ध राज्य

शताब्दियों तक शासन करने वाली मीणा जाति के राज्यों पर चौहान, कछावा, गुहिलोतों तथा राठौड़ आदि राजाओं ने अपनी आँख उठाई और उसे हड़पने के लिये अनेक कुचक्र रचे गये तो मीणाओं का इन राजपूत राजाओं से संघर्ष होना स्वाभाविक था। ग्यारहवीं सदी से ही शुरू हुआ यह मीणा-राजपूत संघर्ष सोलहवीं सदी तक निरंतर चलता रहा। जब तक मुगल सत्ता दृढ़तापूर्वक भारत के राज सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकी तब तक परास्त होकर भी मीणा इन राजपूत शासकों से जूझते रहे और इन राजपूत राजाओं का शांतिपूर्ण शासन करना एक दुष्कर कार्य हो गया। राजस्थान के मीणाओं का यह छः सौ वर्षों का संघर्ष ही उनके इतिहास का सर्वाधिक उज्जवल युग कहा जा सकता है। किस प्रकार धीरे-धीरे एक -एक करके मीणाओं की छोटी-छोटी सत्ताओं को समाप्त करने के लिये छलकपट का सहारा लिया गया यह एक मर्मान्तक दुखपूर्ण कथा है, जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:-

खोहगंग का चाँदा राज्य

वर्तमान जयपुर के पूर्व दक्षिण दिशा में लगभग 8 कि.मी. की दूरी पर पहाड़ों से सटी हुई खोहगंग नामक एक बस्ती है। परकोटे से घिरी हुई तथा महलों, मंदिरों, बावड़ियों और पक्के

राजमार्गों से युक्त यह नगर किसी समय मीणों के चाँदावंश के राज्य की राजधानी थी। मुनि मगनसागरजी महाराज के अनुसार खोह नामक इस नगरी को चन्द्रवंशी मीणा राजा गंग ने बसाया था। इसीलिये इसका नाम ''खोह गंग'' पड़ा। इसी महाराज गंग के वंशधर महाराज आलन सिंह ने खोहगंग पर लंबे समय तक शासन किया। मुनि मगनसागरजी ने राजा आलनसिंह का राज्यकाल 1090 ई. से 1147 ई. बताया है। राजा आलन सिंह बहुत दयालु एवं धर्मात्मा राजा था। इन्हीं धर्मात्मा राजा के राज्य का विनाश करने वाला ग्यालियर का कछावा वंशीय युवक दुलहराय था। इस घटना का वर्णन कर्नल जेम्सटाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में विस्तार से किया है।

दुलहराय का संक्षिप्त परिचय

दुलहराय के पिता का नाम सोढ़ाराय था। वह नरवर का राजा था। उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य को उसके भाई ने हड़प लिया और विधवा रानी को वहाँ से निकाल दिया। विधवा रानी ने अपने छ: माह के पुत्र को लेकर 1128 ई. में वहां से प्रस्थान किया। उसने कंगालनी का वेश बनाकर शिशु दुलहराय को जिसका प्रारंभिक नाम तेजकरन था, एक टोकरी में लेकर नरवर के पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। चलते-चलते वह आज के जयपुर के निकट प्राचीन नगर खोहगंग के निकट पहुँची। भूखी प्यासी रानी ने अपने पुत्र को एक पेड़ के नीचे रखकर अपनी भूख को शांत करने के लिये कुछ ही दूरी पर जंगल में बेर तोड़ने लगी। इतनें में उसने मुड़कर देखा तो उसके पुत्र पर एक काला सर्प फन करके बैठा है। यह दृश्य देखकर वह चीख पड़ी और पुत्र की रक्षा के लिये दौड़ पड़ी, इतने में ही एक ब्राह्मण ने रानी को ढ़ाढ़स बंधाते हुये कहा कि घबराओं नहीं, सर्प का फन करना अच्छा शकुन है। तुम्हारा लड़का आगे चलकर राजा बनेगा। तुम पास में ही चाँदा राजा राजा आलनसिंह के पास ''खोहगंग'' चली जाओ वह राजा दयालु व धर्मात्मा है। तुम्हें शरण अवश्य देगा।

नरवर की विधवा रानी अपने पुत्र दुल्हाराय को लेकर खोहगंग के राजमहलों में वहां की रानी के पास पहुँची और अपना सारी व्यथा सुनाई। अत: उसे दासी के रूप में वहाँ रख लिया गया। एक दिन रानी के आदेश से उसने भोजन बनाया। राजा आलनसिंह को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और पूछा कि यह किसने बनाया। रानी द्वारा दासी का नाम लेने पर उसे बुलाया गया। दासी ने सच-सच अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। राजा आलन सिंह ने उसे अपनी बहिन बना लिया और बालक दुलहराय का लालन-पालन राजसी ठाट-बाट से होने लगा।

जब दुलहराय 14 वर्ष के हुये तो उसे अपने आदमियों के साथ दिल्ली के तंवर सम्राटों के दरबार में जाकर खोह राज्य का कर जमा कराने को भेजा। दुलहराय वहाँ पाँच वर्ष रहा। इस बीच उसके मन में खोह पर अधिकार कर राज्य करने की भावना जाग उठी। चाँदा राज्य के भीमा बारेठ से उसने इस संबंध में परामर्श किया तो उसने बताया कि दीवाली के अवसर पर सभी मीणा सरदार अपने पितरों को तर्पण देने के लिये नि:शस्त्र होकर तालाब या नदी में जाते हैं। अत: निशस्त्र मीणों की स्थिति से लाभ उठाकर भीमा बारेठ के कहने के अनुसार खोह के निकट ही एक तलाई में तर्पण करते सहस्त्रों मीणों पर अचानक धावा बोल दिया। इस कार्य के लिये दिल्ली के तोमर शासक से भी सैनिक सहायता मिली थी। मुनि मगनसागरजी ने अनुसार तलाई को लाशों से पाट दिया गया उसमें 1445 शव पाये गये भीमा (बारेठ) को भी दुलहराय ने यह कहकर मार डाला कि जो व्यक्ति अपने मालिक का न हो सका, वह मेरा क्या होगा ? उसकी लाश को

खोहगंग स्थित राजा आलम सिंह मीणा गौत्र चांदा के महल, जयपुर





महल के अन्दर का भाग



महल के अन्दर का भाग



राजा आलम सिहं चांदा के समय बनाई गई बावड़ी



खोह स्थित मंदिर के अवशेष



खोह स्थित 24 खम्भों की छत्रियाँ



अमूल्य धरोहर के बिखरे हुए अवशेष

सबसे ऊपर रखकर उसे उच्च पद देने का आश्वासन भी पूरा कर दिया।

इस भयंकर नरसंहार को देखकर सैंकड़ों मीणा वीरांगनाओं ने अपने अपने पति का शव लेकर चिता सजाई और सती हो गई जिनके सैंकड़ों देवल व छतरियां खोह के पूर्व में आज भी देखी जा सकती है। आलन सिंह जी की पटरानी ने सती होते समय दुलहराय को श्राप दिया कि कृतघ्न दुलहराय ''तेरी मृत्यु भी आने ही वाली है'' श्राप सुनकर दुलहराय भयभीत हो गया और सती से क्षमा माँगने लगा। तब दयालु सती माता ने कहा कि तेरा राज्य तब तक ही स्थायी रहेगा जब तक चाँदा मीणा वंश के वयोवृद्ध सदस्य के पैर के अंगुष्ठ के रूधिर से तिलक करवाता रहेगा।

कुछ इतिहासकारों के अनुसार दुलहराय का विवाह मोरां (दौसा के पास) की राजकुमारी (कुछ ख्यातों के अनुसार रालण सिंह) की पुत्री कुमकुम देवी के साथ हुआ था। सालार सिंह के परामर्श से वह दौसा में आकर बस गया। आधी दौसा उस समय चौहानों के अधिकार में थी और आधी पर देवती के गूजरों का अधिकार था। इन बड़गुजर शासकों की चौहानों से अनबन थी। अत: चौहानों की मदद से बड़गुजरों से दौसा का राज्य छीन लिया। कनिंघम ने भी ''कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया'' में लिखा है कि ग्वालियर के कछावाराजा वज्रदामन् से आठवीं पीढ़ी में तेजकरन (दुलहराय) ने अपना पैतृक राज्य थोड़े दिनों के



खोहगंग के प्रवेशद्वार पर लगी विशाल सर्प शिला का चित्र

लिये अपने पड़िहार वंशीय भानजे को संभालकर बाहर प्रस्थान किया और दौसा के बड़गूजर राजा की लड़की से विवाह किया। दौसा के राजा के कोई संतान नहीं थी। अत: उसने अपना राज्य दुलहराय को सौंप दिया। परन्तु इसमें जेम्स टाड का वृतान्त ही सच विदित होता है। टाड के राजस्थान के वर्णन का गुजराती अनुवाद में भी इसका उल्लेख है जिसमें 1128 ई. में धोखे से खोहगंग पर अधिकार बताया गया है। गुजराती अनुवाद के अनुसार ''खोहगंग राजा तेनो बेहद उपकार कर्यो हतो। ढोलाराय (दुलहराय) शुं तेणे

करे लो उपकार भूलि गयो। तेणे शुं तेणा शोणित माँ हाथ धोया। राजपूतों को मूलमंत्र भूमि लाभ है। ये मूलमंत्र साधवा राजपूतों घणा हल्का काम करे छै। ढोलाराय आज प्रमाणे पोताना मंत्रानो साधन कर्यो। तेम करवामां विश्वास घात कर थई। तेणे परमोपकारी। राजा आलनसिंह सपरिवार संहार करी खोगंग राज्य नो कब्जो कर्यो हतो। विश्वासघातकता, कृतघ्नता अनेका पुरुषातानी मददे पोतानो हल्को उद्देश्य साधी तेने पोतणों परमार्शदाता मीन कवि नोपण संहार कर्यो।''

खोहगंग का निरीक्षण करते हुये महाराज मुनिमगनसागर जी ने विक्रमसंवत् 1980 में लिखा है कि ''वहाँ के किले के कोट विशाल पत्थरों से बने हुये हैं। महाराजा आलनसिंह का राज्य बड़ा विशाल था। प्रसिद्ध आलनपुर शहर उनका ही बसाया हुआ था। परमार, मारण, चेदि, कलचुरि, हूण, नाग तक्षक शेष, चाँदेल, अग्नि आदि इसी चन्द्रवंशी वंश की शाखायें हैं। चाँदा, चन्द्रावती, चँदेरी, चन्द्रपुरी, चाँदनपुरी आदि कई प्राचीन नगर इन्हीं चन्द्रवंशी राजाओं के बसाये हुये हैं। शिलालेख आदि अनेक प्राचीन सामग्री अंग्रेज इतिहासकार उठाकर ले गये, जिसके आधार पर अनेक अंग्रेजी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

खोहगंग के प्राचीन मीणा शासकों द्वारा बनवाये गये प्राचीन राजसी महल खण्डहरों के रूप में आज देखे जा सकते हैं। खोह के बाहर एक विशाल शिला पर सर्प की मूर्ति आज भी पूजी जाती है। खोह के श्मसानों में बनी बावड़ी तथा पास ही के एक कच्चे मकान के पास वह तलाई है, जहाँ मीणा वीरों पर तर्पण करते समय दुलहराय ने आक्रमण किया। खोह में किसी भी मीणा का घर नहीं है। इसका कारण जयपुर राज्य द्वारा इस गाँव में मीणा प्रवेश पर प्रतिबंध हो सकता है। खोह की पहाड़ी पर चाँदा देवी का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर आज भी चाँदा मीणा समाज गठजोड़े की रात एवं लड़कों के झडूले उतारते हैं। यहाँ दरवाजे पर अर्वाचीन तक जयपुर महाराजा की ओर से पहरा रहा था। ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है कि यदि कोई चाँदावंशी दुर्ग में प्रवेश करेगा तो शून्य महल में अपने आप नक्कारे बजने लग जायेंगे। यहाँ पर दो बावड़ियां तथा विष्णु के मंदिर,जो महाराजा आलनसिंह के बनाये हुये हैं। पहाड़ी की चोटी पर दो छतरियाँ बनी हुई हैं, जो कलात्मक है। ये छतरियाँ खोह राजाओं के नक्कारखाने की थी। इससे स्पष्ट है कि चाँदा मीणा गोत्र के लोग ही यहाँ राज्य करते थे और उन्हीं से कछावा राजपूतों ने धोखे से सत्ता छीनी।

जैसाकि पहले व्यक्त किया जा चुका है मीणा जाति बहुत ही सरल हृदय होती है। जब राजा आलनसिंह के वध से चारों ओर मीणा सरदारों में प्रतिशोध की आग धधक उठी तो दुलहराय ने बहुत ही नम्रता से मीणा सरदारों से निवेदन किया। ''मीनायण'' काव्य के रचियता परमारमारण क्षत्रिय कुल के श्री भौतिक राम ने (सिंगलखेड़ी) मीणायण नामक काव्य ग्रन्थ में किया है।

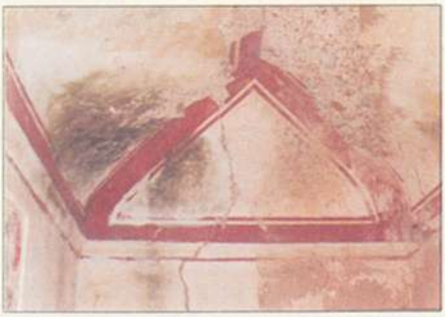
इस अनर्थकारी घटना से मीन प्रजा जोश में उमड़ गई तो भी संगठन न्यूनता से रिपुवध में वह सफल हुई।

अब बाँके मारण क्षत्रिनने शाश्वत बगावत जारी की।
हो गया नाक में दम रिपु के, ऐसी सु मोरचा मारी की॥
उनकी शाश्वत् रण धाँधिलसे, दूल्ह भयभीत हुआ भारी।
मीन प्रजा शांत हो वै ऐसी, इस गल्प घोषणा की जारी।
ऐ चन्द्रवंशी मारन क्षत्रिन् शाबाश है शक्ति तुम्हारी को।
दूल्ह को क्षमा याचना, पुनः सुनहु पुकार हमारी को।

श्रीयुत नृप आलन सिंह जी की, यह पगड़ी मेरे शीश पे है।
चाँदो की गद्दी सती द्वारा जब मोहि मिली वह शीश में है।
तक मैं हूँ नृप का दत्तक सुत मुझको भी चन्द्रवंशी समझो।
तुम रहो यथावत पहले वत्, नहिं बात दूसरी कुछ समझो।
दुल्ह की बक भक्ति का पड़ा प्रभाव अगाध।
मीना क्षत्रिन् ने किये, सभी क्षमा अपराध।
भोले भाले मीनगण, सुकृति परम उदार।
दुल्ह के कर मंत्रणा, भूल गये अविचार।

माँची या माँच का सीहरा राज्य

वर्तमान जयपुर से लगभग 27 कि.मी. दूरी जमवारामगढ़ कस्बा है। यही कछावा राजपूतों की प्रारंभिक राजधानी थी। इसका प्राचीन नाम माँची या माँच था। ऊँचे व विशाल पर्वत की ढलान पर होने के कारण ही इसका नाम माँच पड़ा। यहाँ सीहरा वंश के राजाओं का राज्य था। खोहगंग विजय के बाद दुलहराय कछवाह ने माँची पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासन मीणा राजा राव नाथू के हाथ में था। सीहरा मीणा राजाओं पर विजय प्राप्त कर दुलहराय ने अपने पूर्वज श्रीराम के नाम पर इसका नाम "रामगढ़" रखा। यही पर उसने उसकी कुलदेवी जमुवा माता का मंदिर बनवाया। इसी कारण प्राचीन माँच का नाम जमवारामगढ़ हो गया, जो आज भी जमवारामगढ़ के नाम से ही विख्यात है। यहीं पर बाणगंगा नदी को रोककर रामगढ़ बाँध बनवाया गया जो जयपुर की जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है।






माँच (रामगढ) के शासक के महल के आन्तरिक हिस्से में बने बेजोड़, कलात्मक भवन निर्माण की जर्जर स्थिति के चित्र

राव नाथू गौत्र सिहरा

राव नाथू के शासनकाल में ही दुलहराय ने आक्रमण कर क्षेत्र को अपने राज्य की प्रमुख राजधानी बनाई। मीणों पर इस अचानक आक्रमण का उल्लेख चारण रामनाथ रतन ने अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में किया है। ''मौराँ व दौसा की अपार सेना लेकर दुलहराय ने मीणों के अंतिम शक्तिशाली राज्य माँच पर आक्रमण किया। उस समय गणगौर के पर्व पर बहुत से मीणे आकर एकत्रित हो गये थे। अचानक आक्रमण करने के बाद दुलहराय पराजित हुआ। उस समय यहाँ के राजा के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कर्नल जेम्स्टाड के अनुसार यहाँ राव नाथू राज्य करता था। डॉ. वी. एस. भार्गव के अनुसार माँची के मीणा राजा का नाम मेहवास था। मुनिमगनसागर जी महाराज के अनुसार यहाँ सीहरा वंश के राव नाथू का शासन था।

विजय के उल्लास में मस्त होकर सभी मीणा सरदार जीत के नक्कारे बजाते हुये किले में पहुँचे वहाँ उन्होंने जी भरकर मद्यपान किया और नशे में उन्मत हो झूमने लगे। मीणा सरदारों की असावधानी से लाभ उठाकर दुलहराय ने पुन: आक्रमण किया और मीणा सरदारों का वध कर माँच नगरी पर अधिकार किया। मुनि मगनसागरजी के अनुसार दुलहराय की विजय का प्रमुख कारण मीणा सरदारों की आपसी फूट थी। उनमें एकता का अभाव था। राव नाथू के वीरगति प्राप्त होने पर कोई शक्तिशाली मीणा सरदार भी नहीं बचा था, जो मीणा जाति को संगठित कर शत्रु से लोहा लेने के लिये तैयार करता। राव नाथू का सबसे छोटा पुत्र मेदा किसी तरह दुलहराय द्वारा आयोजित मीणा नरसंहार से बच निकला और उसने गाँव-गाँव घूमकर मीणा जनजाति के लोगों में उत्साह का संचार किया।

राव मेदा- गौत्र सिहरा

राव मेदा शूरवीर एवं ओजस्वी वक्ता था। उसने एक प्रेरणादायक भाषण जंरूडा घाट (जमवारामगढ़ के पास) दिया जिसका अनुसरण आज भी बहुत प्रासंगिक है।

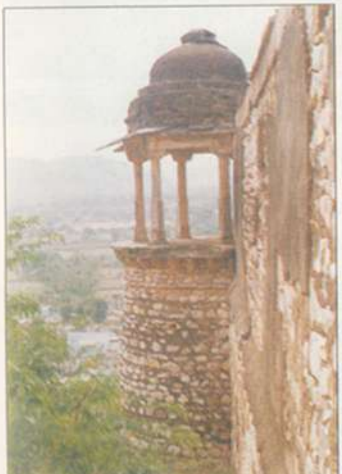
''भाईयों, प्राणीमात्र को अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है। पशु पक्षी भी इसकी रक्षा के लिये अपने प्राण देते हैं। मनुष्य का धर्म नहीं है कि किसी दूसरे का अधिकार छीने। हम मत्स्य देशीय यदि कच्छप देशीय पर आक्रमण करें तो हमारे जैसा कोई पापी नहीं होगा। अतीतकाल से यह मत्स्य देश हमारा है।''

मनु कहते हैं कि ''स्थाणु छेदस्य केदारम्'' अर्थात् जो जमीन छेद कर उसमें बीज बोता है, उसी की जमीन होती है। यही उस जमीन का स्वामी है। अस्तु इसके अधिकारी हम हैं। राजा केवल पंचों द्वारा निर्धारित करों को वसूल करने का अधिकारी है। ताकि वह संचित कोष राज्य कल्याण में लगावे। राजा को यह अधिकार नहीं है कि किसी को अपनी दासता में जकड़ कर रखे और उस पर अत्याचार करे। राजा प्रजा का सेवक है, स्वामी नहीं। यह राज्य आपका है किसी अन्य का नहीं आप ही इसे संभालो। मुझे राज्य का लोभ नहीं है मैं तो एक प्रजाजन के रूप में रहना चाहता हूँ।'' यह कहकर राव मैदा ने अपना राज मुकुट उतार दिया। इसी समय एक मीणा वीर बोला-जाति की उन्नति के लिये आपका यह संदेश उत्तम है, परन्तु हमारे पास साधन नहीं है। इस पर राव मेदा ने कहा कि ''सरदारों, यह हमारे साहस की कसौटी है। इसलिये हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यदि हम हिम्मत हार गए तो हमारे पूर्वज स्वर्ग में लज्जित होंगे।

माँच शासक राव नाथू (सीहरा) के महल (रामगढ़, जिला जयपुर)









राव मैदा मीणा गौत्र सीहरा के विध्वंस महल, जारूण्डा घाट, रामगढ़





राव मैदा का मन्दिर









स्वाधीनता खोकर जीने से तो मर जाना कहीं अच्छा है। यद्यपि माँच नगरी पर आज शत्रुओं का अधिकार है, परन्तु मेरे पूर्वजों द्वारा संचित अपार धन पहाड़ी किले में रखा हुआ है। मेरे पिता नाथूराव उनके पिता भीमराव उनके पिता जयरासीराव उनके पिता बीसाराम और उनके पिता आसाराम के इन पाँच पीढ़ियों का धन हमारे लिए पर्याप्त है। यदि आप साहस रखें तो मैं तेईस हजार सैनिकों के लिये सभी प्रकार के साधन जुटा सकता हूँ। शस्त्रों का अंबार खड़ा कर दूंगा।''

भाइयों यह युद्ध है। यदि इसमें जीत गये तो मातृभूमि को स्वतंत्र करा सकेंगे और यदि मर गये तो अवश्य स्वर्ग मिलेगा। फिर हम मृत्यु से क्यों डरें? वह तो एक दिन अवश्य आने वाली है। हममें से प्रत्येक को एक दिन मरना है। फिर हम खटिया पर पड़े-पड़े क्यों मरे? इसलिये अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने को चढ़ा देना कहीं अच्छी बात है? इस ओजस्वी संबोधन का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा और ग्यारह हजार मीणें उसी समय शस्त्रास्त्र से सन्नध होकर लड़ने को तैयार हो गये। सभी ने प्रतिज्ञा की कि मातृभूमि की रक्षा के लिये हम अपने आपको होम देंगे और रणक्षेत्र से तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे।

राव मेदा का आदर्श चरित्र

राव मेदा ने ही मीणा जाति में अद्‌भुत शौर्य का संचार किया और बिखरी मीणा शक्ति को पुनः संगठित कर माँची पर पुनः मीणों की राज्य सत्ता स्थापित की। वे बहुत दानवीर व दयालु हृदय के व्यक्ति थे। एक कवि ने उनके चरित्र का गुणगान करते हुए लिखा है:-

धन्य वीर मेधा तुमको, धन्य तुम्हारे पितु अरू माय।
अशरण शरण धर्म प्रतिपालक, धर्म ध्वजा जग में फहराय
धन्य धन्य तुम वीर शिरोमणि धर्म कर्म के तुम अवतार।
शत्रु सम्मुख घर न छोड़े, छोड़े चाहे घर परिवार ॥
दुलहराय को मार गिराया, माँचीगढ़ पर किया अधिकार।
माँचीगढ़ की नर नारिन से, बदले का नहीं हुआ विचार॥
समाचार दुल्ह मृत सुनकर, महलन मचग्यो हाहाकार।

मेधा राय शत्रु दुल्ह का, बच्चे नारिन का प्रतिपाल।
निडर रहो तुम माँचीगढ़ में, तुम पर नहीं आफत की जाल।
उत्तम कुल क्षत्री जन हीं, धर्म हेतु खोते सब प्रान।
तंवर कछावा चौहानन की नारी, समझी मात समान,
मेधा रानी दुल्ह राय को, समझ लिया है बहन समान।
सबरो बन्दोबस्त यहां कीनो, धर्म कर्म की राखी टैर।
रथ गाड़ी प्यादे सजवा के, पहुँचा दई पीहर अजमेर।
उसी गर्भ से काँकिल, जन्मा मीना बने मीन सरदार।
बना भानजा दीर्घ हुआ जब, कृतघ्नता कीना संहार।

इस तरह मेदाराव परमवीर दयालु और महानदानी के स्वरूप में भाटों की ख्यातों में प्रसिद्ध है। भाटों की ख्याति से मेदाराव की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

दोहा:- अड़भड़िया, भड़ बाँकड़ा, चाँग रिंदा खूट।
आपसरी की फूट में, मची चाँग में लूट।
लायो गाय छुड़ाय कै, चीता किया गरद्द।
माँच नगारा बोलिया, मेदो बड़ो मरद्द।
चाढ़ियो सीहरी हुई हलमल पचवारै।
देली लूँटे सरद करी, रावजी ढोल के धीकारै।
मेड़ी बैढ़या मद पीवै, रावजी छात्यां चौबरै।
सीहरा साख सारै सुणी, देख्या सिंघा बीसा सारसा॥
बड़ी माँच बैठणो, बड़ै ई दरबार बड़ाई।
वाँसे सिंघल दाँत, सीरो ने राम देई रोहताई॥
खरा खान कहकर गया, बाकी का गरदण मरया।
ऊँचो राव ओसा बसै, जिसूं निरा बादस्या हारया।
तूं छै चाले मजीठ, रंगिया, सूमकसूंम ज्यू
उड़-उड़ जाय पतंग (तो नै) स्योगण जायो सीहरा।
मेदा जी कान्हरूप कंसासुर खेलत जमना की तीर
मयारण की पत मेदा नवलखा ज्यों तारों की पत चंद

माँच विजय और दुलहराय का अन्त

मीणा सरदारों की तैयारी का पता चला तो दुलहराय भी चार हजार चुने हुए लोगों को लेकर रणक्षेत्र में आ पहुँचा। कतिपय मीना सरदारों ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि किसी तरह झगड़ा टल जाये। परन्तु दुलहराय को अपनी शक्ति पर गर्व था। उसने किसी की न सुनी परन्तु बहुत समझाने बुझाने के बाद उसने मीणा सरदारों से निवेदन किया कि मुझे एक बार देवी के दर्शन करवा दो मैं फिर लौट जाऊंगा। भोले और सरल स्वभाव के मीणा सरदारों ने इस बात पर विश्वास कर लिया और उसे मार्ग दे दिया। दुलहराय अपनी सेना सहित अन्दर घुस गया और अचानक मीणा सरदारों पर टूट पड़ा। क्षण भर में खून की नदिया बह गई। इस घमासान युद्ध में मीणा विजयी हुए।

टाड ने इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि विरोधियों की सेना अधिक होने के कारण दुलहराय बहुत वीरता से लड़ा परन्तु युद्ध में राव मेदा सीहरा के द्वारा मारा गया। उसके मरते ही उसकी सेना भाग निकली, मीणाओं की विजय घोषणा से पृथ्वी हिलने लगी। दुलहराय की दूसरी रानी ने गर्भावस्था में बड़े कष्ट के बाद अपने पिता के पास अजमेर जाकर शरण ली। उसके गर्भ से कॉकिल राव का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर छल कपट से माँची पर विजय प्राप्त की। कुछ इतिहासकार जिन्होंने राजकीय संरक्षण में जयपुर राज्य का इतिहास लिखा, उनके अनुसार माची पर दुलहराव ने विजय प्राप्त की, परन्तु उसे ग्वालियर के दक्षिण की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होना बताया है। टाड साहब ने पुस्तक ''एनाल्स एण्ड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान'' में दुलहराय को माँची के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना बताया है, जो अधिक युक्ति संगत है। यह तो अधिकतर इतिहासकारों की मान्यता है कि दुलहराय और माँची के मीणा शासक मेदाराव के बीच भयंकर युद्ध हुआ और दुलहराय पराजित हुआ। जयपुर के कपड़ द्वारे के किसी

सेवक द्वारा रची गई ख्यात में माँच के युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया गया है :-

"पाछे माँची में मीणा को अमल छो। सो माँची पर
दुलहराय जी चढ्या। जदि मीणां खबर पाये।
राठ, कूंडला और सब सिमिट आए। माँची सूं चढ़या।
सो दुलहराय जी के या मीणा के माँच सू कोस
तीन अगाऊ नाका में झगड़ो हुया, सो मीणा के लोग
तो मरयो नहीं। अर दुलहराय जी घायल होय
फोज सुधा खेत पड़ाया। जदि मीणा के फतह
का ढोल बाज्या। अर माँची में आय मतवाल
करी। पाछैं अरध रात्री के समै दैवी बूढ़वाय
आई और दुलहराय ने कही कि तूं अठ, जदि दुलहराय
जी खड़ा होय अरज करी। आप कुण छो। जदि देवी
बोली मैं थारी देवी बूढ़वाय छूं। जदि राजा
अस्तुति करी। जदि प्रसन्न होय वरदान दीनों। थारी
रण में विजै होसी। अठी की वसुधा म्हें तोनें दी।
अब ताई थे देव बूढ़वाय कर पूजै छा। आज सूं देवी
जमवाय कर पूजो। अर ई नाका में म्हारो
मन्दिर बणवाबो। थारो अठे राज होसी।"

दुलहराय का इस प्रकार देवी की मदद से पुनः मीणों पर विजय प्राप्त करना यह तो सिद्ध करता है कि दुलहराय मीणों से पराजित हुआ था। मीणा लोग आपस में कटार खाकर मर गये। ख्यातकार आगे लिखता है कि "दुलहराय ने माँची पर विजय प्राप्त कर देवती के बड़गुजरों पर आक्रमण किया और उन पर विजय प्राप्त की। इसके बाद खोह के चाँदा राज, गेटोर घाटी तथा झोटवाड़ा के राजा झोण मीणों को मारकर उन स्थानों पर अधिकार किया। इससे स्पष्ट है कि मीणों का बड़गुजरों से निकट का सम्पर्क था। चौहानों से इनकी नहीं पटती थी। नवीन खोज के अनुसार दुलहराय का विवाह दौसा के बड़गुजर कुकुम देवी से न होकर मोराँ के चौहान राजा सालार सिंह की पुत्री के साथ हुआ था। टाड के अनुसार जब दुलहराय ने अजमेर के चौहान शासक की राजकुमारी मोहनी से दूसरा विवाह किया और जब वह रानी के साथ जमवा माता के दर्शन कर लौट रहा था तब 11000 मीणा लोगों ने उन्हें घेर लिया। मेदा राव ने दुलहराय का सिर काटकर मार डाला उसके पश्चात् दुलहराय की रानी अजमेर चली गई। इस रानी के लड़के काकिल राव ने पुनः माँची पर अधिकार किया। इसके बाद मीणों और कछवाहों के बीच शुत्रता अधिक बढ़ गई। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

कांकिल की माँची पर विजय

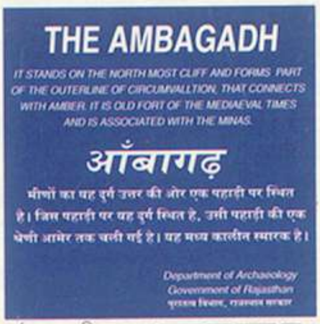
राव मेदा पद लोलुप नहीं थे। माँची विजय के बाद उन्होंने अपना राजचिन्ह मीणों के सम्मुख रख दिया। मीणा सरदारों ने राव मेदा को शासन संभालने के लिये बहुत अनुनय विनय की, परन्तु मेदा ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे समस्त मीणा सरदारों ने एकत्रित होकर यह निर्णय लिया कि माँची राज्य की समस्त जमीन को आपस में बाँट ली जाये और इसका लगान किसी को न दिया जाये। इस व्यवस्था से

मीणों में स्वेच्छाचारिता बढ़ गई और अधिक जमीन के लिये आपस में लड़ने लग गये। इस अराजकता का लाभ दुलहराय के पुत्र काकिल ने उठाया। सर्वप्रथम उसने चौहान राजा वीर्यराम की मदद से झोटवाड़ा पर आक्रमण कर वहाँ के राजा जयंत सिंह को पराजित किया। झोटवाड़ा का राजा जयंतसिंह बहुत वीर था, परन्तु किसी अन्य मीणा सरदार ने कोई मदद नहीं की। फिर भी वीरवर जयंतसिंह ने कांकिल के अधीनता स्वीकार नहीं की और सपरिवार अपनी मातृभूमि के लिये लड़ते हुये वीरगति को प्राप्त हुये।

झोटवाड़ा विजय के बाद कांकिल ने कूटनीति का सहारा लिया और मीणा सरदारों को अपनी सेना में भरती करना शुरु कर दिया। जागीर आदि का प्रलोभन देकर उसने मीणाओं को अपनी ओर मिलाना शुरु कर दिया। अपनी शक्ति बढ़ाकर उसने एक-एक करके उसने चाटसू, लबान, खोह, दौसा, जटवाड़ा, खोवा और माँच पर पुन: अधिकार कर लिया। खोवा व जमुवादेवी के बीच राव मेदा के साथ संग्राम हुआ। अन्त में राव मेदा मातृभूमि की रक्षा करते-करते वीरगति को प्राप्त हुये।

गेटोर तथा झोटवाड़ा के नाँढला राज्य

ख्यातों के अनुसार गैटोर तथा झोटवाड़ा दोनों राज्यों को स्वयं दुलहराय ने ही समाप्त किया था। गैटोर घाटी जयपुर स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ी से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुरी काला हनुमान जी, यज्ञ स्थल, जलमहल आदि स्थानों को समेटे हुए थी। संभवत: झोटवाड़ा वर्तमान जयपुर पश्चिम से दक्षिण की ओर पहाड़ से सटा हुआ था। क्योंकि प्राचीनकाल में सुरक्षा हेतु पहाड़ का आश्रय लिया जाता था। इस दृष्टि से नाँढला राज्यों के अधीन भूमि पर विचार करने से विदित होता है कि नाहरगढ़ हथरोई तथा आमागढ़ के किले नाँढला मीणा राजाओं द्वारा ही बनवाये गये थे।



(पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया सूचना पट्ट जिसको अतिक्रमणकारियों ने उखाड़ दिया)

आमागढ़ का किला तो निश्चय ही मीणों का था। पुरातत्व विभाग ने आमागढ़ किले पर जो सूचना पट्ट लगा रखा है, उसमें बताया गया है कि ''आँबागढ़ का यह दुर्ग उत्तर की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिस पहाड़ पर यह दुर्ग बना हुआ है, उस पहाड़ की एक श्रेणी आमेर तक चली गई है।'' यह मध्यकालीन स्मारक है। किले के अन्दर एक जलाशय-दो तीन पक्के मकान है, परन्तु सुरक्षा परकोटे एक पर तीन बने हुये हैं। इससे अनुमान है कि प्राय: इस किले का उपयोग मीणा संघ शासन सुरक्षा के रूप में करता था। पुराने घाट के नाके पर सामरिक दृष्टि से यह किला बड़ा उपयोगी रहा होगा।

हथरोई राव हत्था ने बनवाई। हथरोई को बसाने वाले राव हत्था मीणा थे। राव हत्था मीणा राजा के पास 4000 सेना थी, यह झरवाल गोत्र के थे। किला अजमेर राज मार्ग पर ''हथरोई'' नाम से है। यह छोटी सी टीकरी पर बनी एक गढ़ी है। इसके पास एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो जयपुर बसने के पहले का है।

जयपुर के पूर्वी भाग की पहाड़ी पर स्थित आँबागढ़ दुर्ग



दुर्ग का प्रवेश द्वार



दुर्ग का आन्तरिक द्वार



दुर्ग के अन्दर जाने का दूसरा द्वार



दुर्ग में स्थित शिव मन्दिर



दुर्ग में स्थित विशाल जल संग्रह बावडी



दुर्ग में पूर्व दिशा से आन्तरिक भाग में आने-जाने के मार्ग

आँबागढ़ दुर्ग के वहिरङ्ग दृश्य, जयपुर













ऐसे मीणा परम शिवभक्त थे। अत: इसी तरह नाहरगढ़ के पीछे के मकान मीणें राजाओं द्वारा ही बनाये गये थे। कुछ वर्षों पहले किले के पीछे मीणों की घनी बस्ती थी, जो आजकल उजड़ गई है। नाहरगढ़ किले के पीछे मकानों की बनावट आमागढ़ तथा कुन्तलगढ़ की शैली पर बने हुये हैं, जिनसे भी पुष्टि होती है कि ये भवन मीणों के बनाये हुये थे। इस किले में श्रीकृष्ण भगवान के नाम पर सुदर्शन मंदिर बना हुआ है



हथरोई किले के आन्तरिक भाग का विहंगम दृश्य, जयपुर

जिससे नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ बताया जाता है। यह भी विचारणीय बिन्दु है कि जब कछवाहों की राजधानी आमेर थी, तब कछवाहों द्वारा यहाँ दुर्ग बनाने की क्या तुक थी। अत: यह मान लेना ठीक है कि इस किले का नाम चाहे सुदर्शनगढ़ रहा था या नाहरगढ़ प्राचीनकाल में यह गढ़ मीणों का ही था। इतना ही नहीं जहां-जहां मीणों की घनी आबादी रही और जहाँ हजारों वर्ष तक उनका वहाँ रहना यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है कि वह छोटे-बड़े रूप में उनके निवास के महल एवं सुरक्षा की दृष्टि से किले अवश्य रहे होंगे। इस दृष्टि से आमेर तथा उसके पास बने दुर्गों की समीक्षा की जानी चाहिए।

जनश्रुति के अनुसार कुन्तलगढ़ (आमेर) का पुराना किला, जयगढ़ का भीतरी भाग मीणों द्वारा ही निर्मित किया गया था। इसी तरह जमवारामगढ़ का किला यद्यपि मानसिंह प्रथम द्वारा 1669 ई. में बनवाया गया था, परन्तु यह भी मूलरूप से मीणों का ही था। सुसावत वंश के और माँची नरेश राव मेदा के प्राचीन महलों को आज भी मीणा समाज बड़े चाव से देखता है। इतना ही नहीं यहां पर कितने ही प्राचीन प्रस्तर खण्ड भी बिखरे पड़े हैं, जो मीणा राजाओं के किलों के भग्नावशेष है।

आमेर का सूसावत राजवंश

कांकिल के पुत्र मेकुल राव के समय महाराज शूर सिंह (1135-1145 ई.) सुसावत मीणां गोत्र के प्रसिद्ध राजा हुये। वे बहुत धर्म परायण एवं ईश्वर भक्त थे। उनको संसार से विरक्ति हो गई और धर्म परायण

पत्नी बीलीबाई के साथ गंगातट पर हरिद्वार रहने लग गये। उन्होंने आमेर का संपूर्ण राज्य अपने पुत्र भानो को दे दिया।

भानो राव की मृत्यु (1150)

भानो राव जी के शासन में प्रजा बड़ी सुखी थी। इनके समय में आमेर राज्य ने बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। यह बात माँची के शासक मेकुलराव कछवाह के पास पहुँची तो उसने पहले तो राव भानो से मित्रता का हाथ बढ़ाया, परन्तु कुछ ही दिनों में उसने भानोराव का काम तमाम करके आमेर पर अधिकार करने का मन बना लिया। एक दिन उसने अंबिकेश्वर जी के दर्शन करने का बहाना बनाकर डोलिया तथा पालकियों में सशस्त्र योद्धाओं के साथ आमेर नगरी में प्रवेश किया। भानोराव जी मित्र के स्वागत में थोड़े से मीणा सरदारों को लेकर उपस्थित हुए। इतने में ही कपटी मैकुलराव ने अपने हाथों से तलवार का वार करके भानोराव जी का सिर धड़ से उड़ा दिया। पालकियों में छिपे राजपूत सरदार भी नि:शस्त्र मीणा सरदारों पर टूट पड़े। देखते ही देखते रक्त की नदी बह चली। स्त्री बालक एवं वृद्धों के करूण क्रन्दन से निर्दयता भी लज्जित हो गई।

कर्नल जेम्स टाड के अनुसार कांकिल के पुत्र मैदल ने सुसावत राव भत्तो से आमेर हस्तगत किया। इतिहासकार कनिंघम ने भी केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में भी इस तथ्य की पुष्टि की और लिखा कि मैकुलराव कछवाहाने सूसावत वंश के राव भानों से आमेर छीन लिया। इसके विपरीत रावल नरेन्द्र सिंह ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जयपुर में पृष्ठ 25 पर यह लिखा है कि कांकिल देव (दुलहराय के पुत्र) ने आमेर पर विजय प्राप्त की। कपड़ द्वारे की एक ख्यात में भी यही बताया गया है कि "जमीन दाबने पर क्रुद्ध होकर काँकिल ने मीणों पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में कांकिल देव मूर्छित हो गया, परन्तु कुछवाहों को इष्ट देवी जमवामाता की कृपा से उसकी मूर्छा हटी और उसने मीणों पर विजय प्राप्त की। कपड़ द्वारे के इस ख्यात में जमवा माता और कांकिल के वार्तालाप का विशद वर्णन है।"

जयपुर राज्य वंशावली में कांकिल का शासनकाल केवल दो वर्ष दो माह अठारह दिन लिखा है। अत: इतने अल्पशासन काल में उससे कोई बड़े योगदान की आशा नहीं की जा सकती। कपड़ द्वारे की एक ख्यात के अनुसार दुलहराव के विधवा रानी की कोख से कांकिल देव का जन्म हुआ। पन्द्रह बीस वर्ष के बाद होश संभालते ही उसकी माता ने अपने प्रकोप से उसे जला डाला। जनश्रुति के अनुसार कांकिल के मरने के बाद आमेर कछावों के हाथ से निकल गई। कांकिल के अल्पकालीन समय को देखते हुये यह नहीं माना जा सकता कि कांकिल ने आमेर पर विजय प्राप्त की हो। अत: इस संबंध में कर्नल जेम्स टाड का कथन ही ठीक लगता है कि कांकिल के पुत्र मैकुलराव ने आमेर पर विजय प्राप्त की। राज्य संरक्षित इतिहासकारों का यह कहना भी सत्य से परे है कि कांकिल ने आमेर बसाई। पुरानी आमेर तथा उसकी सुरक्षा के लिये बनाये गये महत्त्वपूर्ण नाके तथा गढ़ी को देखने से स्पष्ट है कि आमेर सुसावत वंश के मीणाओं की राजाधानी थी और यह मीणा राज्य संघ का प्रमुख केन्द्र था। कांकिल के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि उसने कुछ समय के लिये आमेर पर अधिकार कर लिया था और इसी प्रसंग में हुये किसी युद्ध में वह मारा गया। टाड व मुनिमगनसागर जी के मत से आमेर पर विजय प्राप्त करने का श्रेय मेदलराव को है।

कच्छावा हूण देव द्वारा मीणों पर अत्याचार

हूणदेव का मीणों से निरंतर संघर्ष चलता रहा। उसने मीणों की प्रबल सेना की सहायता से माँडेरिया गोत्रीय मीना राजा को परास्त कर भाण्डारेज पर अधिकार कर लिया। इसी तरह मुनि मगनसागरजी महाराज के मतानुसार हूण देव ने धोखे से मत्स्य गौत्रीय बैराट के महाराजकुमार से अपनी कन्या का विवाह निश्चित कर दिया। बरात जब आमेर आकर उतरी तो चौहानों की मदद से हूणदेव ने समस्त बरातियों को नष्ट कर दिया और आगे बढ़कर मत्स्य नगरी को नष्ट कर दिया। मत्स्य नगरी को नष्ट-भ्रष्ट करने से सभी प्रान्तों के मीणों में क्रोध की ज्वाला भभक उठी और वे संगठित होकर हूणदेव की सेना से मोर्चा स्थापित कर लड़ाई लड़ने लगे। इस युद्ध में दोनों पक्षों की अपार जन हानि हुई और स्वयं हूण देव भी युद्ध में मारा गया। इसके बाद कुछ शांति स्थापित हुई और बहुत से जनपद पुन: मीणों के अधिकार में आ गये किन्तु सुरक्षा कोट के कारण आमेर पर पुन: मीणों का अधिकार न हो सका। हूणदेव के बाद उसका पुत्र जानड़देव आमेर की गद्दी पर बैठा। उसने भी मीणा सरदारों के साथ न्याय नहीं किया। इसके विरुद्ध मीणा सरदारों ने अहिंसात्मक सत्याग्रह किया। उन्होंने पूर्व प्रचलित आठ प्रकार के विशेषाधिकारों की मांग की, परन्तु जानड़देव ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनेक मीणा सरदार वीरगति को प्राप्त हुए और जब मीणा समाज की शक्ति क्षीण होने लगी तो उन्होंने दक्षिण की ओर चंबल के किनारे के पहाड़ों तथा वनों में अपने निवास स्थापित किये। डॉ. आर. सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक दी स्ट्रगल फार एम्पायर पृ. 69 पर इसका विस्तृत विवरण करते हुए लिखा है कि लगभग 1173 ई. तक ढूंढाड़ से खदेड़े गए मीणा लोगों ने परमारों की क्षीण होती हुई शक्ति का लाभ उठाकर मालवा के पठार तक पहुँच गए।

राव पजोनी. कच्छावा उदार शासक

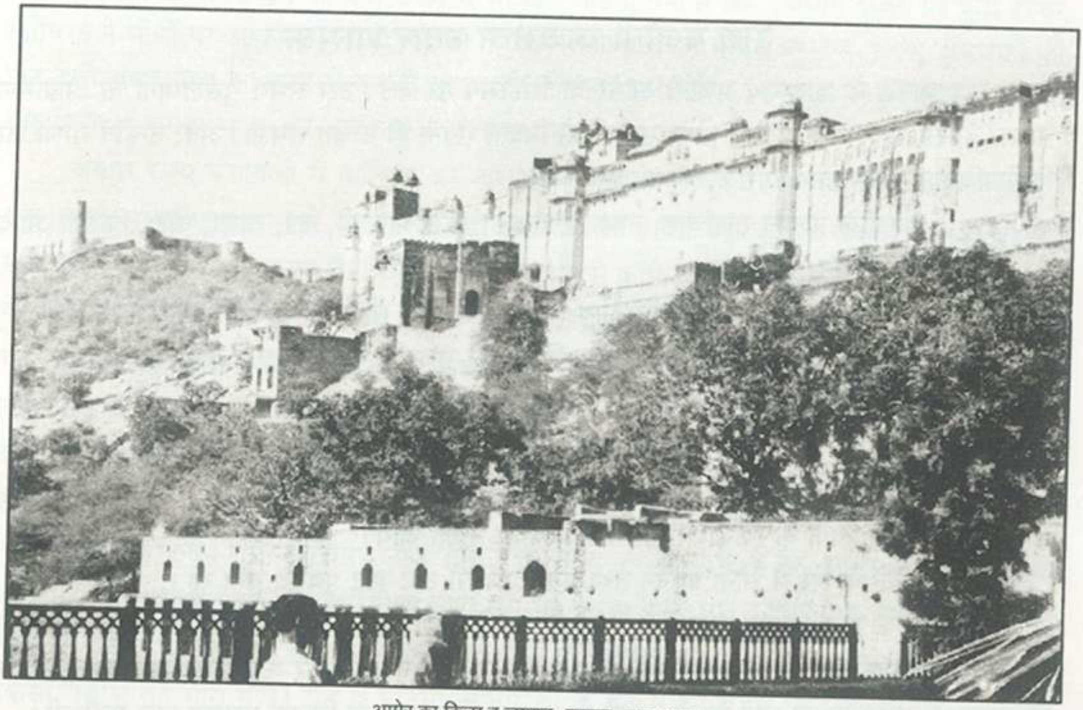
राव जानड़ के बाद राव पजोनी आमेर के सिंहासन पर बैठे। उस समय मुसलमानों के आक्रमण बराबर हो रहे थे। राव पजोनी ने मीणा सरदारों से मित्रता रखना ही उचित समझा। अत: उन्होंने मीणों को विशेषाधिकार प्रदान किये। इसके अनुसार:-

1. मीणों के प्राचीन राजचिन्ह, नक्कारा, पताका, छड़ी पालकी, छत्र, चामर, घोटा, किरणी आदि उनको पुन: दे दिए गए।
2. फोज, खजाना, शस्त्रघर और आय व्यय का विवरण मीणों के हाथों में ही रखा गया।
3. मीणा सरदारों की सम्मति के बिना किसी को राजगद्दी पर न बिठाया जायेगा।
4. सेना में विशेषकर मीणों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।
5. मीणों की स्वीकृति बिना किसी को न तो जागीर दी जावे और न किसी से छीनी जावे।
6. मीणा सरदारों से किस प्रकार का कर नहीं लिया जाये।
7. मीणा जाति के किसी भी किसान से बेगार न ली जाये।
8. मीनों के पैर में सोना पहनने तथा उनके राजसी ठाट बाट पूर्ववत बना रहे।

खोहगंग के राजा आलन सिंह के बाद ही चाँदावंशी मीणा सरदार के अंगूठे के रक्त से कछावा राजा के तिलक करने की परम्परा चल पड़ी थी। मुनि मगनसागरजी के कथानुसार कालीखोह के राजा चूहड़देव के समय भी चूहड़देव के बायें पैर के अंगूठे के रक्त से मैकुलराव के तिलक परम्परा चल पड़ी थी।

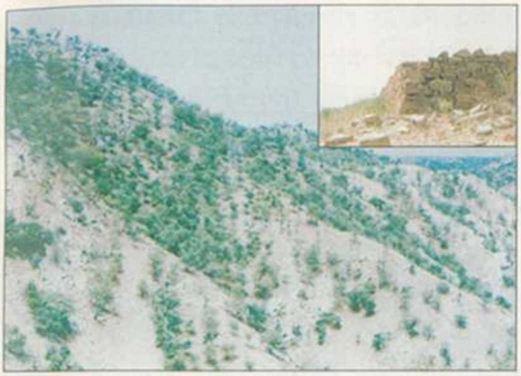
उपर्युक्त सभी विवरण से स्पष्ट है कि छल कपट और धोखेबाजी से कछावों ने यद्यपि मीणाओं के अनेक राजवंशों के राजध्वस्त कर दिये थे, परन्तु पूरी तरह से मीणों पर नियन्त्रण न कर सके। कर्नल जेम्स टाड व अन्य इतिहासकारों के अनुसार कछावों ने मीणों से सत्ता युद्ध करने के स्थान पर समझौते से ही सत्ता प्राप्त की। मीणा सरदारों के इस कथन में सच्चाई है कि दुलहराय ने मीणों का भानजा बनकर तथा कांकिल ने सूसावतों के गोद बैठकर ही सत्ता हस्तगत की। मीणों द्वारा नक्कारे-निशान अपने संरक्षण में रखना, राजकीय कोषागार पर अधिकार रखना सभी गढ़ों व किलों पर नियंत्रण रखना तथा राजकीय महलों, अंत:पुरों, शहरों की तमाम चौकियों, नाकों, दरवाजों तथा स्वयं महाराज के शरीर तक की रक्षा का समस्त भार मीणों को ही सौंपे जाने से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सुलह-समझौते की नीति से ही कछावा आमेर में अपना राज्य स्थापित कर सके। कर्नल जेम्सटॉड ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ -''एनाल्स एण्ड एण्टी क्विटीज ऑफ राजस्थान'' जिल्द-2 पृष्ठ 347 पर इस सन्दर्भ में विस्तार से लिखा है।

''जानड़देव के बाद पज्जूण (पजोनी), मलयस, राजदेव, कील्हण, कुंतल, जूणसी, उदयकरण आदि 16 पीढ़ियाँ राजा भारमल तक हुई- वे सभी मीणों का सम्मान करके ही अपना शासन चला सके। जब भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वे पुन: युद्ध करने को सन्नध रहे। अन्त में मुगल सम्राट अकबर की मदद से नहान के विस्तृत एवं शक्तिशाली नहान के राज्य को समाप्त करके ही कछावा सुख की नींद सो सके।'' इसका विस्तृत विवरण अगले पृष्ठों में पढ़ेंगे।



आमेर का किला व जयगढ़, जयपुर, राजस्थान

राजा अहाड़ो मीणा गौत्र मान्दड़, सरजोली के विध्वंस महल, जयपुर













राजा अहाड़ो मीणा गौत्र मान्दड़, सरजोली के विध्वंस महल, जयपुर













नायला का देवड़वाल गौत्र मीणा राज्य

जैसा कि हम पूर्व पृष्ठों में पढ़ हैं चुके कि 'क्यारा' देवड़वाल गौत्र के मीणों का शक्तिशाली ग्यारहवीं शताब्दी में राज्य था। भीखम देव यहाँ के शक्तिशाली शासक थे। झाल इनकी राजधानी था। राजा भीखमदेव के 12 पुत्र थे। उनमें नाहिल सिंह सबसे बड़ा था। नाहिल सिंह पराक्रमी था। उसने क्यारा से प्रस्थान कर ढूंढ़ाड़ प्रदेश में खोहगंग से 15-20 किलोमीटर दूर अपने नाम पर नायला राज्य का निर्माण किया। नायला को राजधानी बनाकर उसने आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया।

नायला के निकट ही बचलाणां जिसे आजकल 'बूज' कहते हैं, नाहिल सिंह के राज्य का समृद्धिशाली गांव था। यहां पर नाहिल सिंह ने अनेक भवन बनवाये और अपनी सैनिक छावनी यहां स्थापित की। यहां पर आज भी उस समय के भवनों तथा हाथी के ढाणों के खण्डहर देखे जा सकते हैं।

नाहिल सिंह का विवाह खोहगंग के प्रसिद्ध प्रतापी राजा आलनसिंह चाँदा गौत्र की पुत्री के साथ हुआ था। वे अपनी पत्नी को लेने जब खोहगंग गये हुए थे, तब कछावा राजपूतों ने बचलाणा पर धावा बोल दिया। उस समय कछावा दौसा पर अपना अधिकार जमा चुके थे।

क्यारा के शासक भीखम देव को जब पता लगा कि कछावा राजपूतों ने बचलाणा पर आक्रमण कर दिया, तो वे भी सेना लेकर अपने ज्येष्ठ पुत्र नाहिल सिंह की सहायता के लिए चल पड़े। नाहिल सिंह की दो बहिनें 'लाली' तथा 'लुधा' बड़ी वीरांगनायें थी। वे भी अपने भाई की सहायता के लिए अपने पिता के साथ बचलाणा पहुंची। कछावा तथा देवड़वाल गौत्र के मीणों के बीच इस स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। मीणा सरदार बड़ी वीरता से लड़े। परन्तु राजपूतों की संख्या अधिक थी और देवती के बड़गूजरों की इनको पूरी मदद थी।

भीषण युद्ध में भीखमदेव तथा यहाँ नाहिल सिंह सहित उसके 12 पुत्र रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद 'लाली' 'लुधा' ने भी तीर कमान सम्भाले और शत्रुओं से जमकर लोहा लिया और वे भी वीरगति को प्राप्त हुई। नाहिल की स्मृति में आज भी नायल भौमिया का स्थान है और क्यारा में इनकी स्मृति में मन्दिर बना हुआ था। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि नाहिल सिंह देवड़वाल ने ही अपने नाम पर नायला नगर बसाया और पास के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। प्राचीन वैभव तो अब नहीं रहा परन्तु अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की नायला यात्रा से यह विश्व मानचित्र पर दखाई देने लगा।

जामडोली नगर राज्य

महाभारत काल से कछावा राजपूतों के आने के पहले ढूंढाड़ में मीणा जाति के अनेक गणराज्य थे। इनका विस्तृत वर्णन हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। परन्तु छोटे-छोटे कितने ही मीणा मेवाशे थे जिनके विषय में हम संक्षेप में पहले परिचित हो गये हैं। ऐसा ही एक राज्य जामड़ोली में था, जहाँ राव जामा का शासन था। इस जामडोली नगर राज्य की सीमा जयपुर की सरगासूली तक थी। उस समय ताड़केश्वर जी का मन्दिर भी मीणों की बस्ती में था।

इसी तरह घाट की गूणी के आसपास मीणों का नगर राज्य था। यहाँ प्राचीन बालाजी का मन्दिर मीणा समाज द्वारा ही बनवाया गया था। यह सब नगर, जयपुर नगर से बहुत पहले के बने हुए हैं। इनके भवन भी प्राचीन शैली के हैं। जबकि आधुनिक जयपुर नगर के भवन लगभग सभी मुगल शैली के हैं।

जामड़ोली के पास साँवता मीणा का स्मारक इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ मीणों की बस्तियाँ थी। अचरोल के पास से निकली ढूँढ़ नदी के आसपास की बस्तियाँ भी प्राचीन मीणाओं की बस्तियाँ थी। ढूँढ़ाड़ सभ्यता की खोज से यह स्पष्ट हो जायेगा। गणेश्वर के आसपास मीणा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्राचीन ढूंढ़ाड़ संस्कृति को मीणा सभ्यता व संस्कृति के रूप में खोज की आवश्यकता है।

नरेठ तथा झिरी शक्तिशाली मीणा राज्य

नरेठ और झिरी नाहन के शक्तिशाली राजा बाधाराव व झरिया राव के विषय में हम विगत पृष्ठों में विस्तार से जान चुके हैं। नाहन नगर आज की थानागाजी तहसील जिला अलवर जिले में स्वतंत्र राज्य थे। यह भी हम जान चुके हैं कि राव बाधाराव ब्याडवाल व झरिया राव झरवाल गौत्र के थे। नरेठ के साथ ही झिरी भी मीणा जाति के शक्तिशाली जनपद थे। ऐसा कहा जाता है कि राव बाधा एवं झिरिया राव सगे भाई थे। झिरिया राव झरवाल गौत्र के थे। नरेठ व झिरि दोनों मीणा राज्य मुगल शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य थे।

झिरियाराव व बाधाराव के पूर्वज राव चन्द्रसेन ने मुगल सम्राट बाबर तथा हुमायूँ से भी जमकर युद्ध किया था। जब मुगल सम्राट अकबर ने समस्त राजपूताने को अपने अधिकार में लाने की योजना बनाई तो आमेर के कच्छावा शासक तो पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे परन्तु नरेठ के राव बाधा एवं झिरि के राव झरिया ने महाराणा प्रताप की भाँति अकबर के आधीन होना ठीक नहीं समझा। इनके अन्तर्गत शक्तिशाली मेवासे थे। वे सभी झरिया राव और बाधाराव के साथ थे।

राव बाधा की राजधानी नरेठ व राव झिरिया की राजधानी झिरि थी। दोनों नगर बहुत ही भव्य थे। पर्वतों पर इनके विशाल महल बने हुए थे, जिसके भग्नावशेष आज भी इनकी विशालता का परिचय दे रहे हैं। चारों ओर विशाल परकोटा है तथा मध्य में भव्य महल अपनी अलग ही छटा दिखाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों नगर बहुत ही शक्तिशाली थे। यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों तक कोई मुगल सम्राट इन पर अपना अधिकार न कर सके थे। अकबर सम्राट ने प्रारम्भ में तो राव बाधा तथा झिरिया को अनेक प्रलोभन दिए और ऊंचे-ऊंचे पद देने का भी आश्वासन दिया, परन्तु वीरवर प्रताप की भाँति इन्होंने भी सभी प्रलोभन ठुकरा दिए। वैभव तथा सम्पन्नता के स्थान पर इन्होंने अपनी स्वतंत्रता और इज्जत को अधिक मूल्यवान समझा।

प्रलोभनों से काम न चला तो मुगल सम्राट अकबर नरेठ व झिरि के सेनापति राव टोडरमल को भी अपनी ओर मिला लिया परन्तु राव बाधा एवं झिरिया ने हिम्मत नहीं हारी और सम्राट को स्पष्ट बता दिया कि हम क्षत्रीय जाति के हैं और अपने स्वाभिमान के लिए प्राण देना हमारे लिए खेल के समान है।

अन्त में भारमल कछावा आमेर व मुगल सेना ने नरेठ व झिरि पर आक्रमण कर दिया। भीषण संग्राम हुआ। इसमें मीणा वीरों के साथ महिलाओं ने भी अपना पर्दा तोड़कर रणचण्डी का रूप धारण कर लिया। अन्त में मीणा सरदार व महिलायें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जिसका वर्णन विस्तार से हम पूर्व पृष्ठों में कर चुके हैं।

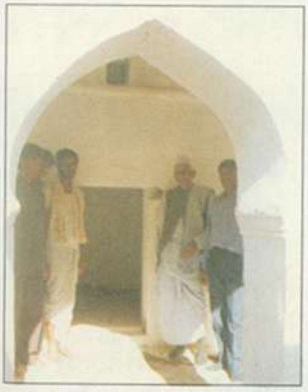
इन दोनों के वैभव एवं सम्पन्नता के स्मारक आज भी भग्नावस्था में खड़े हुए महल हैं। राव बाधा की सम्पन्नता के विषय में जागा की पोथियाँ बताती है कि बाधा राव के महलों का पंखा (बीजणा) भी इतना मूल्यवान था कि उसके समान मुगल अकबर की समस्त सम्पत्ति भी कुछ नहीं थी। इसी तरह से झरि

राव झरिया झरवाल के विध्वंस महल, झिरी, जिला अलवर










राव झरिया के राजगुरू, कराडोलिया जोशी परिवार का सतिमन्दिर (सन् 536 ई.)

राव बाधा मीणा गौत्र ब्याडवाल, के विध्वंस महल, नरेठ, अलवर







←
खेड़ा बाबा का स्थान, नरेठ, जिला अलवर
जहाँ आज भी प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व
ब्याडवाल गौत्र के लोग पूजा करने आते हैं।

→
राव बाधा के वंशज के श्री रघुनाथ जी मीणा, नरेठ (दांये)
के साथ लक्ष्मीनारायण झरवाल (लेखक) का चित्र



ने भी अपनी स्वतंत्रता का परिचय बराबर दिया। अभी भी इस सन्दर्भ में यह कहावत प्रचलित है-

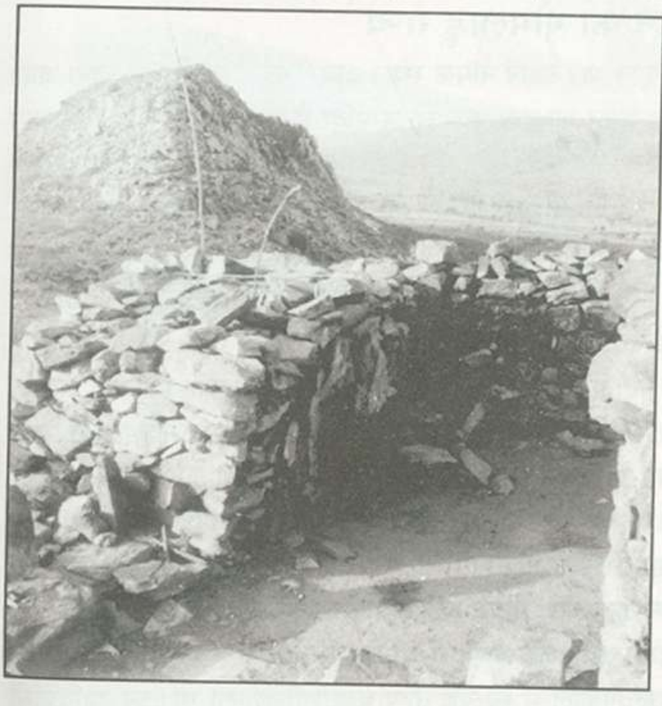
दातल से धौंसो लाग्यो, झिरि रूप्यो निशान।

नरेठ के बाधा राव जिकी बादशाह माने कांण।

मित्रता के सम्बन्धों को छोड़कर अकबर की मुगल सेना व भारमल कछावा की सेना ने नरेठ तथा झिरि के राजमहलों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ के मूल्यवान पत्थर आगरे ले जाये गये, जिनसे वहाँ मस्जिद बनाई गई जो 'मीना मस्जिद' के नाम से विख्यात है। भारमल ने लूट का माल नाहरगढ़ किले के जीर्णोद्धार व विस्तार में लगाया। उत्थान-पतन इतिहास की सतत प्रक्रिया है। आज दोनों राज्य नहीं हैं परन्तु आगे भी ब्याड़वाल एवं झरवाल गौत्र के मीणा समाज ने आजादी की लड़ाई में अपनी अलख जगाई। जरायमपेश कानून को ध्वस्त करने में झरवाल गौत्र के स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अहम भूमिका निभाई।

लक्ष्मीनारायण झरवाल अपने पूर्वजों के शौर्य एवं स्वाधीनता प्रेम से अभिभूत हो अपने पुत्र सत्येन्द्र कुमार को लेकर एक फोटोग्राफर के साथ नरेठ व झरि पहुंचे। उनका आंखों देखा विवरण इस प्रकार है-

''झिरी (झरि) नगर के पश्चिमी दिशा में दो पहाड़ हैं। पहाड़ों में बहुत ऊंचे क्षेत्र पर राव झिरिया के महल, हाथियों व घोड़ों के बांधने के स्थान के अवशेष विध्वंस स्थिति में देखने को मिले। किले के चारों ओर सुदृढ़ परकोटा, जो अभी खण्डहर रूप में अपनी विशालता की साक्षी दे रहा है, किला चार किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पहाड़ पर ही कुलदेवी का मंदिर, जो अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। दशहरे पर देवी के दर्शनों के लिए आज भी श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है।



राव झरिया झरवाल, ग्राम झिरी, जिला अलवर स्थित विध्वंस महलों के बीच स्थित धार्मिक स्थल जहाँ आज भी दशहरे के पर्व पर श्रद्धालुओं का भारी मेला लगता है।

किले नष्ट-भ्रष्ट कर दिये तो बहुत से लोग नीचे पहाड़ की तलहटी में बस गए। वहाँ उनके पुराने मकान बने हुए हैं, जिनके खण्डहर अभी भी देखे जा सकते हैं। अपना योद्धा रूप त्यागने के बाद अनेक परिवार झरवाल, ब्याडवाल निकट ही ढाणियों में बस गये और जीविका के लिए कृषि का धन्धा अपना लिया।

जनसंख्या बढ़ने से अनेक पढ़े-लिखे परिवार मैदानी क्षेत्र के गाँवों में चले गए। अभी इस क्षेत्र में लगभग 500 गाँव मीणों की बस्ती हैं। इनमें जयपुर- हीदा की मोरी, सांगानेरी गेट, धूलेश्वर गार्डन, बूज एवं उदयपुरवाटी, नांगल, अमरसर, नांण, मुंडरू, करीरी, धोली, महार, तिगरिया, निवाणा, खेजरोली, खिरोड़, मनोहरपुर, रामपुरा आदि गाँव उल्लेखनीय है।

नीचे मैदान में बसा हुआ झिरि गाँव आजकल सभी सुविधाओं से सम्पन्न हैं। बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सड़कें, बिजली- पानी सभी प्रकार की सुविधा है।

मेवात का मीणा राज्य

अलवर, भरतपुर तथा पंजाब के गुड़गांव जिले के अधिकांश प्रदेश को मेव जाति का निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को ''मेवात कहा जाता है। पहले इसे ''मेवास'' (मेवों का वास) के नाम से पुकारा जाता था। ऐसा अनुमान है कि मुसलमानों के समय से इसका नाम मेवात पड़ा। वैसे अभी भोडस क्षेत्र में मेव तथा मेवात दोनों जातियां रहती हैं और दोनों ही इस्लाम धर्म को मानने वाली है। परन्तु गुलामवंश के सुल्तान बलबन से पहले ये हिन्दू ही थे। मेवात लोगों का संघर्ष राजपूतों से न रहकर मुसलमानों से अधिक हुआ। इसका वर्णन अगले पृष्ठों में विस्तार से करेंगे।

नहान का गोमलाडू राज्य

यह मीणों का अंतिम शक्तिशाली राज्य था। नहान नामक स्थान अब ''नई'' के नाम से जाना जाता है। यहाँ मीणों के शासनकाल का भगवान शंकर का एक भव्य सुन्दर मंदिर है जो ''नई का नाथ'' के नाम से विख्यात है। पुरातत्वज्ञ ''कार्लाइल'' ने नई की सर्वे रिपोर्ट में स्थान का विस्तार से वर्णन किया है। उसने लिखा है कि दौसा से दक्षिण पश्चिम में 32 कि.मी. एवं लवाण से उत्तर पश्चिम में 11 कि.मी. दूरी पर स्थित यह मंदिर एकदम छिप सा गया है तथा इसे बिना किसी मागदर्शक के ढूंढ निकालना अत्यधिक कठिन है। श्री कार्लाइल के अनुसार यह 500 वर्ष पहले ही उजड़ गया था। यहाँ तत्कालीन मीणा राजाओं के महलों के ध्वस्त खण्डहर मात्र दिखाई देते हैं। कार्लाइल ने इस स्थान की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ''यह स्थान भारत भर में उनके द्वारा देखे गए तीन प्रमुख स्थानों में से एक है। वे लिखते हैं कि नई के बावन कोट से आशय मीणा राजा के 52 सुरक्षित स्थलों तथा छप्पन रास्तों से होगा जिनके द्वारा उनके क्षेत्र में प्रवेश किया जा सके। यह स्थान एक हजार वर्ष प्राचीन है।

कर्नल जेम्सटाड ने भी अपने ग्रन्थ एनाल्स एण्ड एण्टीक्विन्टीज ऑफ राजस्थान जिल्दी 2 पृष्ठ 283 पर नई राज्य के वैभव का वर्णन करते हुए लिखा है कि-

बावन कोट छपन दरवाजा, मीणा मर्द नहाण का राजा।

बूडो राज नहाण को, जब भुसा में बाँटो मांग्यो॥

मुगल सम्राट बाबर से भी पहले सल्तनकाल में भी यह राज्य बड़ा शक्तिशाली था। इन आदिवासी राज्यों का इतिहास नहीं होने के कारण नहाण राज्य की वंशावली के विषय में निश्चित पूर्वक कुछ नहीं

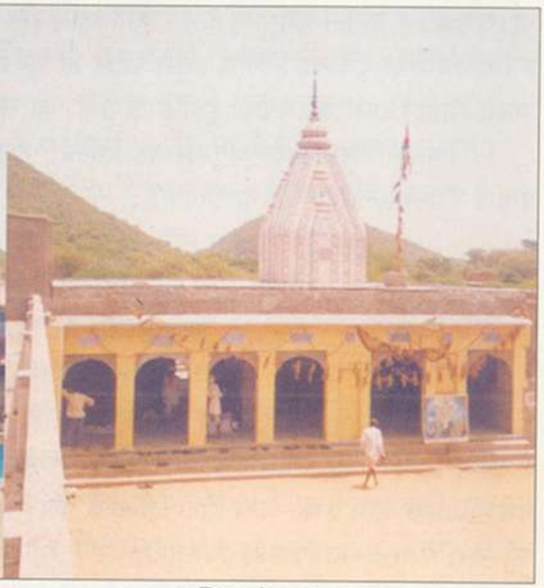
कहा जा सकता। कार्लाइल ने एक दोहा उद्धृत करते हुए लिखा है-

ढूंढाण के दो धणी, के जयसिंह के जगराज।
वो तो मानमहाबली, वो दूजे भगवान॥

इस दोहे के अनुसार ''जगराम'' नामक यहाँ कोई प्रतापी राजा अवश्य हुआ था। इन सभी बातों से कार्लाइल ने आर्क्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया जि. 6 ईस्टर्न राजपूताना में लिखा है कि ढूंढ़ार में नहाण का राजा बहुत शक्तिशाली था और मुगल सम्राट अकबर की सहायता से ही आमेर नरेश भारमल इस नगर पर अधिकार कर सका। इसका विस्तृत वर्णन हम अगले पृष्ठों में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट राव बाधा हुआ जिसने वीरवर महाराणा प्रताप की भांति मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और न ही उन्होंने मुसलमानों को अपनी बहन बेटियां दी जबकि आमेर नरेश मुगलों को अपनी बेटियां देकर ही राज्य सुख भोग सके। इस दृष्टि से स्वतंत्रता संग्राम में राजपूतों से कहीं अधिक मीणों का योगदान रहा, जिसका विस्तार से वर्णन अगले अध्यायों में किया जायेगा।



शिव मन्दिर, नई का नाथ, जयपुर



मत्स्य मन्दिर, नई का नाथ, जयपुर

नई के शासक बाधा के शौर्य पर मुनिमगनसागर जी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। अकबर की सहायता से नहाण राज्य को नष्ट करने पर भी मीणों के अनेक मेवासे शक्तिशाली बने रहे। जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने मीणा राज्य को पूरी तरह नष्ट करके नई के पास ही लवाण नामक कस्बा बसाकर उसे अपने वंश की बीकावत शाखा को जागीर में दे दिया। राजा भारमल (1547-1573) के साथ मुगल सेना ने भी कई मीणा राज्यों पर आक्रमण किया था जिसका मीणा नरेश बाघाराव ने डटकर विरोध किया। इसका विस्तृत वर्णन मुगलों के संदर्भ में किया जायेगा।

करौली में मीणाओं का राज्य

इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत ने राजपूताने के इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आमेर, खोहगंग एवं माच (जमवा रामगढ़) में करौली पर मीणाओं का शासन था, जो 1361 ई. तक चलता रहा। राजपूत नेता विक्रम सिंह ने इस राज्य पर आक्रमण किया। बहादुर नामक स्थान राजपूतों तथा मीणों के बीच घमासान युद्ध सर्वदा की भाँति मीणा समुदाय के लोग आक्रमणकारी राजपूतों से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

परन्तु बाद में करौली किले में मीणा सैनिकों की चौकी ही स्थापित की गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मीणों ने ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। यहाँ का शासक अंग्रेजों के पक्ष में था। कोटा विद्रोह में भी मीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहाँ के रेजीडेन्ट बर्टन की हत्या उसी क्रान्ति में हुई थी।

रणथंभोर का टाटू राज्य

सवाईमाधोपुर से 10 कि.मी. दूरी पर स्थित इतिहास प्रसिद्ध रणथंभोर दुर्ग किसने बनवाया? यह विवाद का विषय है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण रणथम्मनदेव चौहान राजा ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय का विक्रम संवत् 1160 का लेख यहां मिला है, जिससे विदित होता है कि रणथंभोर दुर्ग का निर्माण इससे पहले हो चुका था। कवि राजा श्यामलदास ने इसे तेरहवीं सदी में किसी चौहान राजा का बनाया हुआ बताया है, जो संभवतया ठीक नहीं है।

मीणों की परम्परा के अनुसार यह किला ''टाटू खाँप के मीणों'' के द्वारा बनवाया गया था जिसके प्रमाण में निम्नलिखित दोहे प्रचलित हैं:-

राजा लूंटै, फौजा मोड़े, नित उठ करै पौ बारा।
दो नगर टाटुआं का, किला रणत भंवर टटवारा।
टाटू ठाकर ठेट का, आइ पीढ़ी राज।
पीपल दै हाथी दियो, मद झरतो गजराज।

मुनि मगनसागर जी ने टाटू राजा जुहार सिंह जी की कन्या सारंगदेव चौहान को विवाही गई लिखा है परन्तु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हमीररासों में सोमनपुर के मीणा राजा के महिमा सिंह तथा गभरू नामक सामंतों का जन्म होना लिखा है, जिनमें महिमाशाह के यहाँ शरण ली और गभरू अलाऊद्दीन की सेना में बना रहा। इसका विस्तृत विवरण हमीररासो में है। दोनों मीणा सरदार बहुत पराक्रमी थे।

यह हमीन जृत जैत के, अमरकरण आचार।
मीणा भारू बन्ध दोउ, भाई नारि तिहि बार॥

ऐसा भी उल्लेख है कि राव हमीर टाटू राजा की सेना में सीहरावंश के मीणा बहुत अधिक संख्या में थे और इन्होंने रणथंभोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का डटकर सामना किया था। अत: यह अनुमान लगाना ठीक ही है कि रणथंभोर किला चौहानों के पूर्व मीणों के अधिकार में ही रहा होगा।

बूंदी का उषरा मीना राज्य

परम्परा के अनुसार बूंदी में राज्य करने वाले उषरा वंश के थे। हाड़ौती क्षेत्र के इतिहासकारों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। नैणसी की ख्यात (जि. एक पृ. 106 से 9) में यह स्पष्ट उल्लेख हैं। बूंदी

गजेटियर (सन् 1964) में इसका वर्णन है कि हाड़ा चौहानों के पहले यहाँ उषरा मीणों का शासन तथा ''वंश भास्कर'' (सूर्यमल्ल) तथा डॉ. मथुरालाल शर्मा ने भी कोटा राज्य के इतिहास में यह स्वीकार किया है कि हाड़ाओं के पूर्व यहां मीणों का राज्य था जिनमें बूँदी नरेश जयंती सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उषरा गोत्र, मीणों में सबसे प्राचीन है। ऐसी भी मान्यता है कि आमेर में अतिप्राचीनकाल में उषरा वंश का शासन था। वीर विनोद में श्यामलदान जी ने लिखा है कि मैनाल प्रदेश का चौहान देवी सिंह बंबावदा में रहता था, उसने अपनी लड़की का विवाह मेवाड़ के महाराणा अरिसिंह से कर दिया और महाराणा की मदद से तेरहवीं सदी के अन्त में बूँदी के राजा जैता को धोखे से मारकर बूँदी पर अधिकार कर लिया।

मुंहता नैणसी ने ''नैणसी की ख्यात'' में इसका उल्लेख किया है कि बूँदी पर उषरा मीणों का शासन था। उनके अनुसार हाड़ा देवा विपत्ति का मारा भैंसरोड़गढ़ से बूँदी जा रहा था। कहते हैं कि एक ब्राह्मण जिसकी लड़की से वहां के मीणा विवाह करना चाहते थे, अपना दुख सुनाने अपने यजमान देवा के पास भैंसरोड़गढ़ गया और उसकी सलाह से मीणों का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करके उनसे कहा कि मैं आपकी बराबरी का नहीं हूँ। इसलिये आपके सत्कार के लिये यजमान हाड़ों को बुला लेता हूँ। मीणों ने यह बात स्वीकार कर ली। विवाह की खुशी में मीणें शराब पीकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। अवसर पाकर देवा के साथियों ने काँटों की छड़े और मिट्टी की कुटिया बँधवा दी और उसमें बारूद बिछाकर घास बिछवा दी। इसी स्थान पर मीणों को स्वागत सत्कार को बुलाया यहाँ उनको खूब शराब पिलाई गई। जब अपना होश खो बैठे तो चौहान सरदारों ने मीणों की मार काट शुरू कर दी और मण्डप में आग लगा दी। इससे मीणें सरदार मारे गए। नैणसी की ख्यात में इस संबंध में अनेक किंवदंतियों का उल्लेख है परन्तु बारूद का प्रसंग विश्वसनीय नहीं है। भारत में बारूद बाबर के आक्रमण से संबंधित है। यह घटना विक्रम संवत् 1298 ई. की है।

इस संबंध में मुनिमगनसागर जी महाराज का कथन भी उल्लेखनीय है। विक्रमसंवत् 1348-1398 तक बूँदी पर उषरा मीना राज्य जयन्त सिंह का शासन है। टोडा के सोलंकी और राव देवा की पुत्रियों से बूँदी नरेश जयन्त सिंह का लग्न निश्चित हुआ परन्तु जयन्तसिंह ने बम्बावदा व टोडे जाकर राजपुत्रियों का पाणिग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। बूँदी में ही सामे डाले कन्याओं का विवाह करना निश्चित हो गया। दोनों राजाओं ने विवाह से पहले ही बूँदी के बाहर मैदान साफ करवा कर शिविर लगा दिए। विवाह के सामान का बहाना बनाकर वे शस्त्रास्त्र वहाँ एकत्रित करते रहे और विवाह के मण्डप के चारों और मोर्चे बना लिये। रानियों के नाम से पीनस रथ और डोलियों में बैठकर भैंसरोड़गढ़ बंबावदा और टोडा से हजारों सशस्त्र योद्धा बूँदी के बाहर आ पहुँचे। जनवासे एवं विवाह मण्डप के नीचे बारूद बिछा दी। अपने परिवार, भाई बेटे एवं जागीरदार उमरावों के साथ मीना राजा भी विवाह स्थल पहुँचे। वहाँ स्वागत में मीणा सरदारों को खूब शराब पिलाई गई। नशे में मीणा सरदार सुध बुध खो बैठे। उसी समय चारों ओर से आग लगा दी गई और जो बचे उनहें तलवारों से काट दिया गया। इतना ही नहीं राजपूतों ने बूँदी नगर में प्रवेश कर वहाँ नरसंहार करना शुरू कर दिया। इस तरह से मीनों की बस्तियों के पाँच लाख आदमी मौत के घाट उतार दिये गये।

इस नरसंहार से रावदेवा का हृदय आगे चलकर बहुत ही व्यथित हुआ और वह बूँदी से 16 कि.मी. दूरी अमरनाथ शिवालय चला गया। किसी समय यहाँ अमर गोत्री मीणा राजाओं का शासन था। मीणा राजा

अमरसिंह द्वारा ही लोहमय अमरेश्वर लिंग की स्थापना की गई। अपने बड़े पुत्र हरराज को बंबावदा एवं छोटे पुत्र समरसी को बूँदी का राज्य सौंपकर अपने पापों का प्रायश्चित करने वह इस तीर्थ स्थल पर आया था, परन्तु उसका मन शांत नहीं हुआ किसी कवि ने इस प्रसंग में ठीक ही कहा है:-

तिलभर मीना मार के कोटि गऊ को दान
काशी करवट ले मरे तो भी नर्क निदान॥

मीणा जाति पर इन जघन्य अपराधों के कारण ही वह प्रतिशोध में अपराध की ओर अग्रसर हुई। इस संबंध में डॉ. मथुरा लाल शर्मा ने बूँदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल्ल मिश्रण के ऐतिहासक ग्रन्थ वंश भास्कर के आधार पर इस घटना का विवरण इस प्रकार किया है।

डॉ. शर्मा ने लिखा है कि ''मीणा मुखिया जैता ने देवा की पुत्रियों से अपने पुत्रों का विवाह का प्रस्ताव भिजवाया जिसे देवा ने अस्वीकार कर दिया और कहला भेजा कि यदि मीणा क्षत्रियों की संस्कृति अपना ले तो भाई आसकरण की पुत्रियों का विवाह कर दिया जायेगा। जैता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अमरथण नामक गाँव में मण्डप बनाकर बारात के स्वागत के लिये एक बाड़ा बनवाया और उसमें भूमि के नीचे बारूद बिछाकर आग लगवा दी। अधिकांश मीणें जल गये और बचेखुचों को काट डाला गया।'' डॉ. शर्मा ने इस घटना पर आगे टिप्पणी करते हुये लिखा है ''इस प्रकार धोखा देना शायद राजपूतों की युद्ध नीति रही हो, क्योंकि भीलों से कोटा तथा मीणों से सिरोही इसी प्रकार ली गई थी।''

बूँदी राज्य के इतिहास (ले. जगदीश सिंह गहलोत) के पृ. तीन व चार पर बूँदी राज्य का प्रारंभिक इतिहास स्पष्ट करते हुये लिखा है कि रावबूँदा ने बूँदी नगर बसाया था, इसीलिये इसका नाम बूँदी रखा गया। बूँदी जिले के खजूरी गाँव के शिलालेख में इसे ''वृन्दावती'' नाम दिया गया है। विक्रमसंवत 1490 के महाराणा कुम्भा के रणकपुर शिलाललेख में इसे ''बूँदी'' ही लिखा है। बूँदी शहर के निकट एक तंग घाटी ''बोंदू'' की नाल के नाम से प्रसिद्ध है। बूँदी शहर के उत्तर में जैतसागर नामक बड़ा तालाब है, जिसे बूँदी शासक जेता (जयंत सिंह) ने बनवाया था। जेता बूँदी के संस्थापक, बूँदा का पौत्र था। आमेर की भांति बूँदी गणतंत्र राज्य भी राजपूतों द्वारा नष्ट किया गया और इसके स्थान पर एकतंत्रीय शासन की स्थापना हुई जिसके शासन में आदिवासी जनजाति मीणों व भीलों का इस भय से नरसंहार किया गया कि भविष्य में कहीं वे सशक्त व संगठित हो राजपूतों के राज्य को ही नष्ट न कर दें। जनजातियों के नृशंस नरसंहार से राजपूतों का स्वच्छन्द राज्य स्थापित हो सका।

हाड़ौती क्षेत्र का मीणा राज्य

12वीं सदी में समस्त उत्तरी भारत में मीणा व भील जनजातियों को अनेक गणराज्य थे। इनमें से प्राचीन रंग पहन (केशवरायपाटन) अपना विशेष स्थान रखता है। भेंसरोड़गढ़, मनोहरपुर थाना शाहबाद आदि तक का भाग पथरीला था। इस घने वन युक्त प्रदेश में भील मीणा जनजाति के अनेक समाजवादी गणराज्य थे। छोटे-छोटे आदिवासी क्षेत्र पत्थरों के दुर्ग बनाकर शान्ति से अपनी कुल परम्परा के अनुसार शासन किया करते थे। इनके संघीय क्षेत्र बीलवाड़ी, मनोहरपुर थाना आसनसोल आदि थे, जिसे आजकल शाहबाद कहते हैं। ये आदिवासी गणराज्य 40 किमी. से बड़े नहीं होते थे। इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का, जौ एवं तिल्ली थी। वन उपज की आय पर इन छोटे-छोटे गणराज्यों का पूरा अधिकार था।

इनकी शासन व्यवस्था पूर्ण समाजवादी और पंचायत के आधार पर थी। यहां पर सभी समान थे।

वयोवृद्ध और समझदार व्यक्ति को अपना नेता चुनते थे। उसकी सहायता के लिए ग्रामवासियों की एक पंचायत हुआ करती थी। इस तरह प्रत्येक गांव पूर्ण रूप से स्वाधीन गणराज्य था। सब ग्राम मुखिया मिलकर शूर-वीर एवं सत्यपरायण, कार्यकुशल व निडर व्यक्ति को अपना नेता चुनते थे। नेता का चुनाव वंश परम्परा के अनुसार न होकर योग्यता के आधार पर होता था। अयोग्य शासक को हटाने का पूरा अधिकार पंचायत को था। जनतंत्री शासक के पद के आदर में कोई कमी नहीं थी। संघीय आदिवासी नेता के हाथ में विदेश नीति, सेना तथा सामान्य व्यवस्था थी। प्रजा उपज का आधा भाग संघीय शासन को देता था।

इन समाजवादी गणराज्यों में नियमित सेना नहीं होती थी। प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर था। अत: वे अपनी सेना स्वयं करते थे। आदिवासी जनजातियों के इतिहास को सामन्तों ने इसलिए नष्ट करवा दिया कि कहीं जनता सामन्तवाद को उखाड़ न फेंके। इन आदिवासी जनजातियों में सबसे बड़ा गणराज्य भीलवाड़ी था, जिसकी राजधानी 'अकेलगढ़' चम्बल नदी के किनारे स्थित थी। यहां का नेता कोटिया कहलाता था। अकेलगढ़ में पानी की कमी रहती थी। अत: यहां की जन परिषद ने चम्बल नदी के निकट उत्तर की ओर कोटा रखा गया।

इतिहासकारों के अनुसार इस नगर का निर्माण आदिवासी जनजाति का नेता कोटिया भील मीणा ने किया था। इसकी स्थापना विक्रम संवत् 1264 फाल्गुन की चतुर्दशी शिवरात्रि के दिन की गई थी। क्योंकि आदिवासी शिवजी के परम भक्त थे। इन्हीं दिनों विक्रम संवत् 1298 में पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई माणिक्य राज ने बम्बावदे का राज्य स्थापित किया। माणिक्य राज के वंशजों ने पृथ्वीराज चौहान के हाथ की तलवार राव माधोसिंह म्यूजियम कोटा में अभी तक सुरक्षित है।

इन हाड़ा चौहानों ने ही बूंदी के उषरा शासक जेता मीणा को धोखे से वध करके मीणा राज्य को समाप्त किया था। आसपास के आदिवासी गणतंत्रीय क्षेत्रों को भी एक-एक करके समाप्त कर हाड़ा राज्य का विस्तार किया गया। इसके बाद भीलवाड़ी के राजधानी अकेलगढ़ पर भी आक्रमण किया गया। कोटिया भील मीणा बड़ी वीरता से लड़ा परन्तु वीर गति को प्राप्त हुआ। बूंदी मीणा राज्य के शासक जेता मीणा के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन हम पूर्व पृष्ठों में विस्तार से पढ़ चुके हैं। सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र में आदिवासी मीणा जाति का जनतंत्रीय शासन था।

कोटा बूँदी में हाड़ा-चौहानों का राज्य होने से पहले यह भूमि भीलों तथा मीणों के अधिकार में थी। यह उल्लेख पहले किया जा चुका है। ढूंढाड़ में कछावा राजपूतों तथा मेवात में यादव, बड़गुजर आदि जातियों द्वारा खदेड़े जाने पर बहुसंख्यक मीणों का दक्षिण की ओर चंबल के किनारे तथा और भी आगे मालवा के पठारों तक चले जाने का संकेत डॉ. आर. सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक ''स्ट्रगल फॉर एम्पायर'' में दिया है। इन्हीं में से एक दल बूँदी की ओर गया और उसने वहाँ बूँदी घाटी को अपने आवास के रूप में चुना। यह घाटी पहाड़ियों से घिरी होने के कारण आक्रामक राजपूतों से सुरक्षित थी। लगभग एक सौ वर्ष तक ये लोग निर्द्वन्द्व होकर यहाँ राज्य करते रहे।

कोटा का आदिवासी शासक कोटया भील मीणा

एक युग था जब राजस्थान में आदिवासियों के राज्य थे। मीणा भील आदिवासी शासकों ने इस प्रदेश को विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षित रखने का प्रयास किया। जयपुर में खोह नामक स्थान पर

मांडलगढ़, सिरोही, बून्दी, माचाडी, करोली, कोटा आदि ऐसे स्थान थे जहाँ पर मीणा भील निर्बाध रूप से शासन कर जनता के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनकी कला संस्कृति एवं सांस्कृतिक वैभव को जीवि रखा। बून्दी में 13वीं शताब्दी में जेतामीणा राज्य करता था और चम्बल नदि के पूर्वी भू-भाग पर आदिवासी भील शासक कोटया राज्य करता था। जिसकी राजधानी अकेलगढ़ थी जो कि वर्तमान कोटागढ़ से 5 किलोमीटर दखिझा-पश्चिम की ओर रावतभाटा रोड़ पर थी। बून्दी के पास बम्बावड़ा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा के एक राजपूत जिसका नाम देवसिंह हाड़ा था उसने जेता मीणा को 1241 ई. में अमरथूण नामक स्थान पर विवाह समारोह में धोखे से मारकर बून्दी में राज्य स्थापित किया। देवसिंह हाड़ा द्वारा विश्वासघात कर बून्दी में राज्य स्थापित करने के बाद उसका पुत्र समरसी की राज्य प्रातिप्त की अभिलाषा के कारण कोट्या भील के प्रदेश पर लगी हुई थी। समरसी संवत् 1300 सन् 1243 ई. में बून्दी की गद्दी पर बैठा था। चम्बल नदि में दाहिने किनारे पर अकेलगढ़ में भीलों की राजधानी की ओर आस-पास के प्रदेश पर भीलों के राज्य थे। अकेलगढ़ के दक्षिण पूर्व मुकुन्दरा पर्वत की श्रेण्यिों के साथ-साथ भील लोग मनोहर थाने तक फैले हुए थे। कई जगह इन्होंने छोटे-छोटे राज्य जमा रखे थे अकेलगढ़ के खण्डहरों से पता चलता है कि भीलों की उन्नत संस्कृति को 700 वर्षों के अन्तराल में नष्ट प्राय: कर दिया गया। यहाँ तक कि किले के पत्थरों को भी लोगों ने नहीं छोड़े अकेलगढ़ की पानी की टंकी एवं रावतभाटा सड़क मार्ग के निर्माण में आदिवासी शासकों के प्रतीक इस किले के पत्थरों का बेदर्दी से दुरउपयोग किया गया।

कोट्या भील एक महान् प्रतापी एवं वीर शासक था। जनश्रुतियों के आधार पर कहते है कि उसके राज्य में चम्बल तट पर शेर और बकरी साथ-साथ पानी पीते थे। कोट्या भील न्यायप्रिय शासक था। वह एक धार्मिक जनप्रिय शिवभक्त थे। उन्होंने वर्तमान गढ़पैलेस कुंवर जी की ढ्योढी के दक्षिण टीले पर प्राकृतिक सौन्दर्य में मध्य शिव मंदिर स्थापित किया था जिसे आजकल नीलकण्ठ महादेव का मंदिर कहते हैं इस ऊँचे टीले के दखिणी तरपऊ प्राकृतिक खाई थी जिसे नालवा कहा जाता था। पूर्व उत्तर में गहरे खाळ थे जो आज सड़क मार्ग में परिवर्तित हो चुके हैं।

कोट्या भील मीणा शासक से धोखे से राज्य प्राप्त करना

अकेलगढ़ के भील मीणा शासक कोट्या को युद्ध में परास्त कर राज्य प्राप्त करना हाड़ाओं के वश में नहीं था। समरसी ने भीलों के साथ युद्ध किया परन्तु कोट्या को समरसी अधीन नहीं कर पाया। समरसी के तृतीय पुत्र जैतसी का ससुराल कैथून में तंवर सरदार के यहाँ थी जैतसी जब कैथून अपनी ससुराल जाया करता था तो रास्ते में भील शासक कोट्या के साम्राज्य पर उसकी नजर रखी हुई थी। बून्दी का हाड़ा कंवर जैतसी ने अपने ससुर की सहायता से कोट्या भील को परास्त करने की कूटनीतिक योजना बनाई। जिसमें जैतसी ने कोट्या भील मेह राज्य प्राप्त करने का उन्हीं उपायों का प्रयोग किया गया जिनके द्वारा अमरथूण में देवसिंह ने मीणों से बून्दी छीनी थी।

जैतसी ने कोट्या भील को एक मित्रता का सन्देश भिजवाते हुए यह निवेदन किया कि हम आपको एक दावत देना चाहते है । कोट्या भील ने मित्रता का अनुरोध स्वीकारते हुए स्वयं की ओर से दावत देने का संदेश भिजवाया।

जैतसी ने कपटपूर्ण नीति से यह शर्त रखी कि दावत भले ही आपकी ओर से हो परन्तु व्यवस्था हाड़ाओं की रहेगी। कोट्या भील शासक ने मित्रता की दावत की व्यवस्था जैतसी को देना स्वीकार कर

लिया। हाड़ा जैतसी ने कपटपूर्ण योजना से भीलों को नष्ट करने का कार्य किया जिस योजना से देवसिंह हाड़ा ने मीणों से बून्दी छीनी थी एक बाड़ा बनवाकर उसके नीचे सुरंग में बारूद भराया गया। भील सरदारों को मित्रता की दावत के लिए आमंत्रित करके खाने पर बैठाया गया। खूब मद्यपान करवाया गया। जैतसी के व्यवस्थापक धीरे-धीरे वाड़े से बाहर निकल गये और अनुकूल अवसर पाकर सुरंग में आग लगवा दी गई। जिसमें बहुत से भील सरदारों को भस्मीभूत कर दिया गया। लेकिन भील सरदार कोट्या एवं अपने कुछ सरदार आग से बच गये और (उन्होंने) बचे हुए भील सरदारों ने कोट्या भील को पूरा साथ देते हुए हाड़ाओं में सरदार जैतसी से युद्ध किया। वर्तमान कोटा गए लैलेस के पास चार भुजाजी मंदिर के सामने घमासान युद्ध हुआ जिसमें कोट्या भील शासक ने हाड़ाओं के सेनापति सैलारखां पठान को मौत के घाट उतार दिया। जिसकी याद में हाड़ओं ने सैलारखां दरवाजा आज भी स्थापित है। कोट्या भील और समरसी के युद्ध में आखिर अकेला भील शासक कोट्या कब तक लड़ता। अपनी गरदन कटवाने पर भी काफी देर तक (नरमुडबिना) धड़ ही तलवार लिए युद्ध करता रहा और लगभग 100 फीट दूर तक युद्ध करते हुए कोट्या भील का धड़ जमीन पर गिर गया और कोट्या भील वीरगति को प्राप्त हुए। कोट्या भील के धड़ एवं सिर की पूजा अलग-अलग स्थानों पर हाड़ाओं द्वारा आज भी की जाती रही है।

इस प्रकार संवत् 1321 (1274 ई. सन्) में भीलों की राजघराना अकेलगढ़ पर कब्जा कर लिया। और कोट्या भील के नाम पर कोटा नगर बसाया गया। अकेलगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते पर बना परकोटा के एक दरवाजा का नाम भीलपोड़ी के नाम से रखा गया। बाद में कोटा का यह परगना बून्दी की जागीर में रहने लगा। जो कि राव माधोसिंह (17 वी शदीं) में पुनः कोटा राज्य स्थापित किया।

मारवाड़ का चाँदा मीणा राज्य

कर्नल जेम्सटाड के अनुसार मारवाड़ में चाँदा शाखा के मीणों का राज्य था। अजमेर की उत्तरी सीमा पर मीणा राजा चाँदा के पुत्रों का एकाधिकार था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कर्नल जेम्स टाड कवि राजा श्यामलदान एवं अन्य अनेक इतिहासकारों ने मेर, मेद, मेव मीना आदि जातियों की मूलरूप में एक ही माना है। वीर विनोद में श्यामलदान जी ने पृ. 1055 पर लिखा है ''हमारी तहकीकात से इस देश (मेवाड़) के मीने, मेरवाड़ा के मेर, खेराड़ के मीने व मेवात के मेवाती, सब एक ही खानदान के हैं, जिनका सिलसिलेवार वर्णन हमने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल सन् 1886 ई. के पहले हिस्से में छपवाया है।

नाडोल पर चौहान राजा लाखण का अधिकार होने के पूर्व यह क्षेत्र पाली की भाँति ब्राह्मणों के अधिकार में था। परन्तु आस-पास के क्षेत्र पर मीणों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ''लाखण'' को साम्राज्य स्थापना में मीणों की बड़ी सहायता रही। इसी तरह मण्डोर के प्रतिहार राजा नाहरराय (नागभट्ट) पर जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया तो ''पर्वतराय'' नामक मीणा सरदार ने पृथ्वीराज की सेना से लोहा लिया। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि ''चंद्रबरदाई'' ने पर्वतराय की शौर्य की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। वह लिखता है कि अपने मित्र मण्डोर के शासक नाहरराय की रक्षा के लिये प्रतिहारों के राज्य रक्षक, स्वामी के लिये युद्ध में वज्रतुल्य युद्ध में लड़कर कभी भी पराजित नहीं होने वाले वे धनुधारी वीर वृक्षों और पत्थरों को ऊपर तले करके ओट में बैठकर विष भरे सर्पो के समान चौहान की राह देखने लगे। अपने मित्रों की (प्रतिहार) रक्षा के लिये उस चार हजार मीणों-मेरों ने घाटा रोककर पृथ्वीराज से युद्ध किया। हाथों में धनुष और कमर में तरकश लटकाये हुए वे वीर बीहड़वानों में रहने वाले

मीणा योद्धा शकुन के बिना कहीं पाँव भी नहीं रखते थे।

तीन पनच धनहि करणि, बड़े कठि न तंडीर।

सगुन बिना पग ना धरै, विकट वननि हंडीर॥

पाली के आस-पास के क्षेत्रों पर मीणों का वर्चस्व था। इसका उल्लेख रामकरण आसोपा ने ''मारवाड़'' के संक्षिप्त इतिहास में यत्र-तत्र किया है। राठोड़ों के पूर्व पुरुष राव सीहा द्वारका से लौटते समय सर्वप्रथम मारवाड़ में प्रवेश किया तो पाली के पल्लीवाल ब्राह्मणों ने राव सीहा से निवेदन किया कि आस-पास के मेरों-मीणों के आक्रमण से हम बड़े दुखी हैं। पल्लीवालों ने राव सीहा को इसके लिए जमीन देने का भी वादा किया। सीहा ने पाली की रक्षा तो की परन्तु पल्लीवाल ब्राह्मणों को मारकर पाली पर अधिकार कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि नाडोल की भाँति पाली के भू-भाग पर भी मीणों का प्रभुत्व अवश्य रहा होगा। धीरे-धीरे राजपूतों के वंशवर्ती होने से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनमें संगठन शक्ति एवं दूरदर्शिता का अभाव था। धार्मिक अंधविश्वासों के कारण ही उन्हें ढूंढाड़ (जयपुर) में अपना राज्य खोना पड़ा। इतने प्रभावशाली होने पर भी मध्यकाल व अंग्रेजों के समय उनकी एक भी बड़ी रियासत का अस्तित्व न रहना इतिहास का विचारणीय प्रश्न है। यदि मीणों के विवाह संबंध राजपूतों में होने लगते और वे एक दूसरे में समा जाते तो संभवत: राज सत्ता में उनका चिन्ह भी बच जाता।

पाली और जालौर जिलों की सीमा पर स्थित भाद्राजूण कस्बे में भी मीणों का प्राबल्य था। यहाँ के मीणें अनेक गाँवों से चौथ वसूल करते तथा बोलावा लेते थे। नाडोल व पाली से चौथवसूल करते थे। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार भाद्राजूण के हरराज नामक मीणे ने संवत् 1641 ई. में अपने सोलह साथियों के साथ जोधपुर पर आक्रमण किया। गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। जोधपुर राज्य के हस्तलिखित ख्यात में बताया गया है कि हरराज अपने सोलह साथियों सहित मारा गया। यह संभव नहीं है कि कोई केवल सोलह आदमियों को लेकर जोधपुर जैसे दृढ़ किले पर आक्रमण करने जाय। राजपूतों के इतिहासकारों ने भी मुस्लिम तवारिख (इतिहास) लेखकों की भाँति प्रतिपक्ष के शौर्यपूर्ण कार्यों को छिपाये रखा और अपने स्वामी के गुणगान से इतिहास के पृष्ठों को रंग डाला। निष्पक्ष इतिहास में हरराज जैसे मीणा मुखिया के शौर्य का वर्णन इतिहास के शोध का विषय है। ढूंढाड़ की तरह मारवाड़ में भी मीणों का राजपूतों से संघर्ष निरन्तर चलता रहा। जोधपुर राज्य के लिखित इतिहास के तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष बीसवीं सदी तक भी चलता रहा जिसका विस्तृत वर्णन हम अगले पृष्ठों में करेंगे।

मेवाड़ पर मीणों का राज्य

गुहिलोत वंशीय बाप्पारावल के पहले चित्तौड़ पर मीणा राजाओं का शासन था अधिकतर लोगों की धारणा है कि चित्तौड़ का किला किसी चित्रांग मोर द्वारा बनवाया गया इसीलिये इसका नाम चित्तौड़ पड़ा। यद्यपि विद्वान लोगों का मत है कि मोरियों का संबंध चन्द्रगुप्त मौर्य से है, परन्तु यह भी संभव है कि मेवाड़ तथा पहाड़ी भागों में किले बनाकर राज करने वाले ये मोरी राज किसी आदिवासी ''मोरी'' जाति से संबंधित हैं। वास्तव में आदिवासी जनजातियों का इतिहास नहीं होने के कारण ऐसे विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मीणों के गोत्रों में एक ''मोरी'' नामक गोत्र बताया जाता है। दौसा के पास ''मौरा'' नामक स्थान का संबंध भी इसी मोरी जाति से था।

आठवीं सदी में चित्तौड़ पर भी मौराड़ों का राज्य था इन मौराड़ों का मीनाओं (मौर) के नाम से भी जाना जा सकता है। बप्पारावल से पहले यहाँ मौर वंश के राजा मान का शासन था। इस मान राजा ने भील तथा ब्राह्मणों के ढोर चराने वाले बप्पारावल को निराश्रित समझकर अपने राज्य में शरण दी और उसे अपना भानजा बनाया। इतना ही नहीं उसे अपने अधीनस्थ सामन्त बनाया। साथ ही भरण पोषण के लिये जागीर भी दी। परन्तु सत्ता का लोभी क्या नहीं करवा सकता? वह अपने मामा को गद्दी से उतारकर चित्तौड़ की गद्दी पर आरूढ़ हो गया। महाराजा मान के सामन्त लोगों ने राजा मान को सचेष्ट किया था कि बप्पा को इतना महत्व न दो। ताजी लोग भी परमारों की मोरी शाखाओं में से ही है। ताजी गोत्र आज भी अविकल्प रूप से मीन समाज में प्रचलित है, ताज (मुकुट) धारण करने वाले को ही प्राचीन क्षत्रिय जाति को ताजी कहते हैं।

सिंहासन से अलग होने पर भी मीना जाति ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। जब भी उनको अवसर मिला वे अपने प्रतिद्वन्द्वी राजपूतों से सर्वदा संघर्षरत रहे। जहाजपुर क्षेत्र से मीणा-मेरों का राजपूतों से निरन्तर संघर्ष के अनेक उदाहरण आज भी मिलते हैं। महाराणा लाखा से भी इनका संघर्ष होता रहता था। महाराणा कुम्भा के समय भी इन्होंने विद्रोह कर दिया जिसका वर्णन कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा कुंभालिखित गीतावली में भी मिलता है। महाराणा कुम्भा द्वारा पराजित मेरों के मुखिया मुनीर का उल्लेख कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में भी किया गया है। ''अमर काव्य वंशावली'' में ''मनीर हतमन् वीरों'' पद दिया गया है। संगीतराज में भी इसका वर्णन है। महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता संग्राम में भीलों तथा मीणाओं ने भरपूर सहायता दी थी। इसका ''हिन्दी शब्द-सागर-खण्ड 5 पृ. 2758 पर इस प्रकार वर्णन किया है ''मीणा राजपूतानें की एक प्रसिद्ध योद्धा जाति है। इस जाति के लोग बहुत वीर होते हैं और युद्ध में उनकी बहुत प्रवृत्ति है। किसी समय वे बहुत बलशाली थे। महाराणा प्रताप को मुगलों से युद्धों में इनसे बहुत सहायता मिली थी।'' हल्दी घाटी के युद्ध में एक पूरी सैनिक टुकड़ी मीणों की थी, जिसका नेतृत्व राव पूँजा ने किया।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि मीणा जाति के स्वाभिमान स्वत्व को जहाँ भी चोट पहुँचती है, वह अपने हितों की रक्षा के लिये हमेशा संघर्ष करती आई हैं। ऐसा ही एक उदाहरण इतिहास में मिलता है, जब मीणा जाति ने वीर प्रताप की सेना से भी टक्कर ली थी। आदिवासी इतनी भोली जाति रही है कि उनके प्रति स्नेह आदर प्रकट करने पर वह अपना राजपाट भी त्याग करती आई है। ढूंढाड़ के मीणों का राज्य इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रेम के कारण वह पुराना बैर भाव भूलकर राजपूतों के लिये जीवन देने को सदा तत्पर रही, परन्तु उनके अधिकार व स्वाभिमान को चोट पहुँचाने पर वह किसी के सगे नहीं रहे। अत: इस संदर्भ में महाराणा प्रताप की सेना से भिड़ गये हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

राजस्थान में मीणा जाति ही एक आदिम आदिवासी जाती है जिसने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये निरन्तर संघर्ष जारी रखा तथा शताब्दियों तक शासक वर्ग को सुख चैन की नींद नहीं सोने दिया। राजपूत शासक, मुसलमान तथा अंग्रेज शासक कोई भी हो, यह जाति अपने अधिकारों के लिए सर्वदा संघर्षरत रही। इस युग में भी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी दृष्टियों से शोषित एवं पीड़ित होने पर भी मीणा शौर्य एवं साहस अदम्य रहा। इसका वर्णन करते हुये डॉ. देवी लाल पालीवाल लिखते हैं कि ''मेवाड़ में दक्षिण भाग के रहने वाले पर्वतीय लोग भील जाति के लोगों से भिन्न हैं और मीणा कहलाते

हैं। मीणा जाति के लोग आस-पास के क्षेत्र में सर्वदा अशांति उत्पात मचाते रहते थे। महाराणा प्रताप को बाहरी आक्रमण के साथ आंतरिक शांति के लिये मीणों से भी संघर्ष करना पड़ा। इस तथ्य की साक्षी में उन्होंने एक डिंगल गीत अपनी पुस्तक ''प्राचीन डिंगल काव्य में महाराणा प्रताप'' से उद्धृत किया है जिसकी अंतिम दो पंक्तियां इस प्रकार हैं।

भो भागो काँकस भामत, सुणी बात सेणां री।
खूंभानै जागवियूं खांडू, मारांडू मीणां री॥

इतिहास लेखकों के अतिरिक्त मीणों तथा राजपूतों के संघर्ष के अनेक आख्यान सुरक्षित हैं। मेरवाड़ा के मेर रावतों ने मेवाड़ के महाराणाओं को किस प्रकार नाकों चने चबाये, यह बात किसी से छिपी नहीं रही। आथूण के खान, चीता मेर की धाक से मेवाड़ की प्रजा किस प्रकार दुखी थी इसी संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है:-

सेज न सोवे सुन्दरी, धाप न खाये धान।
देवारी दीवाण री (जठै) खटकै दूदोखान॥

भीमटा रावत नामक एक मीणा वीर को भयग्रस्त राणा ने चूक कर मरवा डाला, इस संदर्भ में एक छंद की दो पंक्तियां इस प्रकार हैं:-

चूक कियो चित्तौड़ राणा, हार षडंग पर हठ लागी।
सीयाणा में साँप लो माँच्यो, भीमटो मूवी मेवाड़ रो भो भागो

ऐसी भी मान्यता है कि कामलीघाट के निकट चेता गाँव में भीमटा रावत का राज्य था। यह मुगल सम्राट हुमायूँ का समकालीन था। भीमट रावत के शौर्य के अनेक गीत प्रचलित हैं। भीमटा के समकालीन ही बदनोर के बैराठगढ़ का स्वामी करणसी रावत था। स्वयं की लड़कियों को मारकर रावत लोग मारवाड़ तथा मेवाड़ के राजपूतों की लड़कियों को उठाकर ले आते और उनसे शादियां करते। एक जनश्रुति में मेवाड़ी औरतों के फूहड़पन की बात कहकर उन्हें भविष्य में न लाने की बात इस प्रकार कही गई है।

खाय न जाणें पहन न जाणें, ओड़ न जाणे साड़ी।
करण सी कहें सुण भीमटा रावत, आपे न परणो मेवाड़ी।

देवगढ़ के पास कछावली गाँव के हीरा रावत की वीरता के अनेक दोह प्रचलित हैं:-

दो पारै फलिया जड़े, काठा जड़े किवाड़।
महालां री खिड़की जड़े, आयो हीरो औनाड़॥
हीरा जोध कलियण का, सबला मता किया
मोड्या दल मुगलां तणां, पाड़ार पमंग लिया।

कितने ही ऐसे उदाहरण भी है जब रावत मीणों ने महाराणा तथा अन्य ठाकुरों को आश्रय प्रदान किया। इस संदर्भ में एक जनश्रुति है।

सौले सांवत सूरमां, सुणी मरमावाड़े (टाटगढ़) बात।
राण पहुँचाये रावतां, थांका अधको बलिधयो भाग॥

उपर्युक्त प्रसंग में कहा जाता है कि मेरों ने राणा को तीन माह नौ दिन और 14 घड़ी शरण दी थी। झाक गाँव में परसोली के ठाकुर देवी सिंह को, अनाकार में, राणा भीम सिंह को काछवली में, जोधपुर के

राय सिंह तथा रायपुर (मारवाड़) के ठाकुर अर्जुन सिंह को अपने यहां शरण दी थी।

लगातार निकट रहने के कारण मेरों व राजपूतों के संघर्ष की लंबी कहानी है। कर्नल टाड के शब्दों में, ''मारू-मेवाड़ के ठाकुर ठिकानों में कोई भी ऐसा नहीं था जिनका पूर्वज रावत-मेरों के हाथों से न मारा गया हो। कर्नल टाड अपनी पुस्तक पश्चिमी भारत के यात्रा पृ. 56 पर राजपूत तथा मेवाड़ के मीणों के संघर्ष का रोमांचक वर्णन करते हुये लिखते हैं कि ''उटवण, कोलूर, राड़ूर, रेवाड़ी तथा माचल आदि गाँवों में रोमांचक लेखक के लिये, उनके हमलों, आपसी झगड़ों तथा पड़ौसी राजपूत सरदारों के साथ हुए संघर्ष की कथाओं में पर्याप्त सामग्री मिल सकती है।'' कर्नल टाड ने मीणों तथा राजपूतों के बीच पिराई गाँव के झगड़े का उल्लेख करते हुये लिखा है ''राजपूत ऊटवण पर हमला कर मीणों की मुखिया की माँ को पकड़ कर ले गये, जहाँ बंदी अवस्था से दुखी होकर उस महिला ने आत्महत्या कर ली। उस वृद्धा के पुत्र ने अपने धनुर्धारियों के साथ कोलूर की पहाड़ी पर जाकर भाई-बन्धुओं को एकत्रित किया और पिराई में उत्सवरत राजपूतों पर आधी रात को आक्रमण कर 46 राजपूतों की लाशें बिछाकर वृद्ध माँ की हत्या का बदला लिया।

मेवाड़ की भूमि पर मेरों रावतों के शौर्य के प्रतीक आज भी विद्यमान हैं। सादड़ी में राव भीमटा को भैरूजी के रूप में पूजा जाता है। दवेर से 10 कि.मी. छापली के खंखजी रावत ने कांकरोली बसाई थी, जिसे पूर्व में ''खांखाडोली'' कहते थे। मेरवाड़ के मेरों के पास आज भी कांकरोली के महन्त जी के निमंत्रण पत्र देखे जा सकते हैं। मेवाड़ के मेरों की सफलता का कारण मारवाड़ के राठोड़ों के साथ भाईचारा बताया है। राव रणमल राठौड़ से वचनबद्ध होने के कारण मेरों ने राठौड़ों का साथ दियाथा। कर्नल टाड ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है कि सिसोदिया व राठौड़ों के बैर भाव के कारण ही मेर प्रबल हो गये थे। जब मेवाड़ के राणा उन पर आक्रमण करते तो मारवाड़ के सामन्त उन्हें शरण देते थे। मारवाड़ के राठौड़ मेरों के दलों को अपने क्षेत्र में निकलते समय सम्मान सहित घुघर देते थे। इस प्रकार अपने गाँवों की रक्षा के साथ उनसे भाई चारा भी बनाये रखते थे। एक वीर मेर रावत जाति की वन्दना करते हुए एक विरूदवाचक लिखता है:-

रण छैला, रण बावला, कुलै सुधारण काज।
राणी जाया रावतां, थानै साख साख सुभराज॥

पूर्व पृष्ठों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान के इतिहास में जहाँ-जहाँ आक्रमण जाति ने अपने पैर जमाने के प्रयत्न किये हैं, वहां मीणा मेव मेद और मेर आदिवासी इन भूमि पुत्रों ने इनका डटकर सामना किया। यह तथ्य इस अध्याय में वर्णित अनेक दृष्टान्तों से प्रमाणित किया जा चुका है। प्रत्येक राजपूत राज्य की स्थापना के पीछे इस वीर भोली जाति के अनगिनत शूर-वीरों का रक्त बहाया गया है। जयपुर, उदयपुर, बूँदी, अलवर, मारवाड़ आदि बड़े राज्यों के अतिरिक्त अनेक अपेक्षाकृत छोटे राज्यों का इतिहास भी मीणों की शौर्य गाथाओं को प्रकट करता है। इसका पूरा विवरण यहां संभव नहीं है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वास्तव में मेवाड़ में भी मेरों का दमन ताकत से नहीं हो सका, वरन् समझौते से हुआ। जिस प्रकार ढूंढाड़ में भी मीणों से कछावा राजपूतों ने समझौता करके ही संतोष की सांस ली। इस संदर्भ में कर्नल जेम्स टाड का कथन उल्लेखनीय है ''मेरवाड़ा के पहाड़ी लोगों का दमन करके जिस दिन उदयपुर के राजमहलों के प्रागंण में उन लोगों के अस्त्र-शस्त्र एकत्रित हुए, वह दिन मेवाड़ के इतिहास का युगारंभ कहना चाहिए।'' इस प्रकार परास्त मेरों के मुखियों को स्वर्णक्यूर तथा दुपट्टे भेंट किये जाते थे। इससे स्पष्ट है

कि स्वामी भक्ति की शपथ से प्रेरित न होकर भयजन्य मन:स्थिति से प्रेरित होकर यहाँ आदर सम्मान दिया गया था।

अडसी राणा सुं अड़ गया, अड़या जब मोती घाल्या कान।
रावत राजा राव नै, दीधा पटा दीवान॥

करोली में यादवों का शासन बहुत प्राचीन है। परन्तु इस क्षेत्र के मीणें सदैव प्रबल रहे। मीणों के कई विशिष्ट गोत्र करोली के आस-पास आज भी पाये जाते हैं। झिर गाँव के झिरवाल मीणें उनमें से एक है। इसका उल्लेख कविराजा श्यामलदान जी ने अपने ग्रन्थ वीर विनोद में किया है कि करोली के राजा गोपाल दास ने जो अकबर के समकालीन थे, मीणों का दमन किया और मीणों के भय से करोली शहर की शहर पनाह बनाई। कोटा राज्य के इतिहास में डॉ. मथुरालाल शर्मा ने लिखा है कि सिरोही का राज्य मीणों से छलपूर्वक छीना गया। सिरोही को मीणों का देश बताते हुये उनके धनुष बाणों की तारीफ विद्वानों ने की है। उदयपुर के रावलकरण के पुत्र माहप ने डूंगरिया मेर को मारकर डूंगरपुर नगर बसाया। इस संदर्भ में वीर विनोद में श्यामलदान जी ने स्पष्ट लिखा है कि मेर जाति मीणा जाति का ही एक अंग है, यह सभी विद्वान् मानते हैं।

बांसवाड़ा में महोर जाति के नाम से महीरवाड़ा क्षेत्र है, जहाँ महोर या मेर जाति के मीणा रहा करते थे। श्यामलदान् जी के अनुसार ''डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राय: एक ही माना जाता है, अत: मीणों का इस भूमि पर भी आधिपत्य होना चाहिए।'' भूतपूर्व प्रतापगढ़ राज्य के ''कांठल'' नामक परगने में भी मीणें रहते थे। बीका सिसोदिया ने मीणों के सरदार को मारकर, वहाँ अपना अधिकार किया। मीणा सरदार की पत्नी का नाम ''देअु'' था, जो उसके साथ सती हो गई। देअु की अंतिम इच्छा के अनुसार उसके नाम को स्थायित्व देने के लिये उस स्थान पर राजधानी बनाकर उसका नाम देवलिया रखा। श्यामलदानजी ने वीर विनोद में लिखा है कि यह घटना विक्रम संवत् 1617 की है। देवलिया प्रतापगढ़ के संस्थापक राव बीका ने 700 गांवों पर अधिकार किया जिनमें 400 गांव ''चौड़'' के थे जिनको ''देवलिया वाले देश'' कहते हैं और 300 गांव पहाड़ी के थे, जिनमें मेरों के सौ गांव थे।''

मध्य प्रदेश में मीणा राजाओं का राज्य

राजस्थान की भाँति मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर मीणा जाति का राज्य था। जिला मुरैना की चम्बल घाटी के किनारे सरसेनी नामक नगरी ''दलूक'' नाम के ककैना गौत्र के मीना राज्य करते थे। यह राज्य ग्वालियर रियासत में था। सन् 1660 ई. में उत्तर प्रदेश के सिकवार ठाकुरों ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। अन्त में जाटों ने ठाकुरों की सहायता से महाराजा ''दलूक'' की धोखे से हत्या करवा दी। उनकी डूगरावत गौत्र की धर्म पत्नी महारानी सोलह श्रृंगार करके महाराजा के साथ सती हो गई। सती होते समय अपने उद्बोधन में आपने कहा कि जो समाज व देश की रक्षा के लिए अपने को न्यौछावर करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मैं श्राप देती हूं जो मेरे पति देव के सिंहासन पर बैठा, वह जल्दी ही नष्ट हो जाएगा।

सरसेनी में सती का मन्दिर बना हुआ है और समय के मीणा शासकों के महल भग्नावस्था में होते हुए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इस समस्त घटना का उल्लेख सूबेसिंह रावत थरा तहसील जौरा ने अपनी ''हिस्ट्री ऑफ़ जमीदारान'' पुस्तक में लिखा है। यहाँ के सरसेनी मीणा राज्य बाद में बड़ गूजरों के हाथ में चला गया।

जवाहरगढ़ में मीणा राज्य

सबलगढ़ विजयपुर के बीच जवाहरगढ़ में वमनावत मीणा राज्य करते थे। मदन सिंह रावत ने अपनी खोजपूर्ण जानकारी में बताया है कि जवाहरगढ़ का किला पहाड़ों पर बना हुआ था। इसके चार दरवाजे हैं, विशाल पानी के टैंक को तो देखते ही बनता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर उजड़ने के बाद कैमारा कला में रहने लग गए हैं, जो मीठा मीणा के वंशज कहलाते हैं।

मध्य प्रदेश मीणा इतिहास मीणा ठिकानों का विस्तृत वर्णन है। सन् 1835 में मीठा मीणा ने रावत सरदारों की सेना लेकर उस क्षेत्र के राजपूत ठाकुरों पर चढ़ाई कर दी। वहाँ राजपूत ठाकुरों का बड़ा आतंक था। ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया ने इन उद्दण्ड ठाकुरों को सबक सिखाने के लिए तीन मीणा सरदारों को छूट दे दी। इन्होंने ठाकुरों के बारह गाँव लूट डाले और किलों को नष्ट कर दिया, जो आज भी भग्नावस्था में देखे जा सकते हैं। मीणों का नेता मीठा हलि रावत का वंशज था।

आज भी मध्य प्रदेश में मीणों की संख्या चालीस लाख से कुछ अधिक ही है। इतिहास में इनके पूर्वजों की वीरता तथा सुन्दरता का विस्तृत वर्णन है। इनका चरित्र इतना उज्जवल था कि वे दिए गए वचन से कभी मुकरते नहीं थे। आज भी सेना में भरती होकर अपनी वीरता दिखाते हैं। रण क्षेत्र में कभी पीठ नहीं दिखाते। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्वालियर में शिवपुरी के मीणा अपने को रावत कहते हैं। परन्तु गुना तथा विदिशा के अपने को मेना लिखते हैं। भोपाल के आसपास के मीणा अपने को ''मीरन'' लिखते हैं। देवास, इन्दौर, खरगौन, खण्डवा के मीणा अपने को पटेल लिखवाते हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन के लोग अपने आपको मीना ही लिखते हैं।

मीना लोग गांव के मुखिया को महंत जी, लम्बरदार, पटेल तथा चौधरी कहकर सम्बोधित करते हैं। ग्वालियर मुरैना के मध्य एक मीना बसई नामक नगरी है। वहाँ पहाड़ पर एक छोटा सा किला बना हुआ है। इसके नीचे एक विशाल कुआ बना हुआ है, जो मीणों के द्वारा बनवाया गया था। यह आश्चर्य की बात है कि अभी इस गाँव में एक भी घर मीणों का नहीं है। परन्तु भाटों, नटों का कहना है कि पहले यहाँ डुगरावत गौत्र के जोरावर सिंह राजा राज्य करते थे। जागा-भाट आज भी इनकी विरादवली गाते हैं। डुगरावत गौत्र के रावतों की औरतें धवायो के नाम से बधाई गीत गाती है। धवाये का अपभ्रंश अधवाय अधवारो है। मीणाओं के इस क्षेत्र में अनेक किले थे।

राजस्थान राज्य की करौली रियासत के इतिहास में लिखा है कि राजा गोपाल सिंह जादौन के शासनकाल में मीणों के सात किले थे- (1) करौली, (2) मण्डारयल, (3) ऊंट गिरि, (4) बहादुरपुर, (5) सिरी, (6) सबलगढ़, (7) मेना बसई। अब मेना बसई का किला करौली राज्य में है परन्तु करौली राज्य की ओर से निर्धारित चौकी में मीणाओं की सेना ही रखी जाती थी। यह किला सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। इसके निकट ही श्योपुर कलां ग्वालियर छोटी रेल्वे लाईन है। 1990 में जब माधव सिंधिया रेल राज्यमंत्री बने तो उन्होंने इस क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अम्बकेश्वर के नाम पर स्टेशन का नाम अम्बकेश्वर

रखवा दिया। यहाँ के मेले में मीणा लोग अधिक संख्या में आते हैं। यहाँ रेल रूकती है। यहाँ 35 किलोमीटर दूर ही ग्वालियर है। पश्चिम में आसन अस्व नदी है। यह रावतों के कुल देवता कारोदेव का स्थान है। यहीं पर बाबू जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश प्रकाश चन्द्र सेठी के सामने 560 डाकुओं का आत्म समर्पण करवाया था।

इस नदी के पूर्व की ओर कुन्तलपुर है, जहाँ पाण्डवों के मामा रहते थे। यहीं पर करनरवाल हैं, जिसमें पाण्डवों की माता कुन्ती ने नवजात कर्ण को मंजूषा में बन्द कर इसी करनरवाल में प्रवाहित किया था। यहाँ महल बने हुए हैं जो भगनावस्था में है। अब कुन्तलपुर का नाम बदल कर कुतवार कर दिया गया है। इसके पास ही एक विशाल तालाब है, जिससे 85 गाँवों की कृषि सिंचित होती है।

कोटा के रिसर्च स्कोलर प्रकाश नारायण मिश्र कल्की अवतार की खोज में ईरान गए थे। वहाँ लौटने पर उन्होंने बताया कि माद्री राजा पाण्डु की दूसरी पत्नी मीणा जाति की लड़की थी। माद्री की जन्म भूमि ईरान थी। इसी माद्री ने नकुल व सहदेव दो पाण्डव पुत्रों को जन्म दिया था।

शल्य जो महाभारत युद्ध में करन का सारथी था, वह ईरानी मीणा युवती माद्री का भाई था। इससे सिद्ध होता है कि मीणा जाति देश-देशान्तर में फैली हुई थी। विगत पृष्ठों में हम पढ़ चुके हैं कि पादरी इतिहास का फादर हेरास ने अपनी खोज से सिद्ध किया है कि मीणा-गण चिन्ह स्पेन आदि पश्चिमी यूरोप के देश में बहुतायत में पाये गये। अत: वहाँ मीणा जाति अवश्य रही होगी। नवीन खोज से यह भी पता चलता है कि अमेरिका में भी मीणाओं की बस्तियाँ थी। वाणासुर के साथ अमेरिका (पाताल लोक) से मीणों की सेना के सैनिक आये थे, जो भगवान श्री कृष्ण से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।

शिवपुरी में मीणा जाति की जागीरें

शिवपुरी जिले में मीणाओं की अनेक जागीरें थी। इनमें कुण्डलपुर पर भी मीणाओं का राज्य था। यहाँ के स्थानीय लोग तथा भाटों व जागों का मत है कि रूकमणी जी यहीं की थी और मीणा जाति की थी। लोगों की ऐसी मान्यता है कि कुण्डलपुर के जिस देवी के मन्दिर में रूकमणी जी पूजा करने गई थी, उसके पास श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा किया था और रूकमणी जी का हरण इसी स्थान से हुआ। यह स्थान शिवपुरी से 40 किमी. दूर है। रावतों का ही गाँव है।

यह तो स्पष्ट है कि रूक्मिणी जी का भाई रूकम ने गुना जिले की चन्देरी के राजा शिशुपाल से सम्बन्ध निश्चित कर दिया था परन्तु रूक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर निवेदन किया कि आप मुझे अंगीकार करने की कृपा करें। अन्त में भगवान श्री कृष्ण ने रूक्मिणी जी को अपना लिया। इस क्षेत्र में अभी मीणों का बाहुल्य क्षेत्र है। किंवदंतियों में जागा-भाट गीत गाते हैं कि रूक्मिणी जी मीणा जाति की थी। सुन्दरता में मीणा युवतियां अनादिकाल से ही बेजोड़ रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :-

1. न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी जि. 2 (1939-40) पृ. 345 लेखक- आर. एम., सैलटोर
2. ऋग्वेद - 18-6
3. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स- बूँदी पृ. 20
4. एनसियन्ट इण्डिया- ले. बी. गोखले पृ. 20

5. गोपथ ब्राह्मण- 2-9-30
6. वायुपुराण- अध्याय 99
7. महाभारत आदि पर्व- 63-174 (पृ.)
8. महाभारत विराट पर्व अध्याय एक पृ. 17 (गीता प्रेस)
9. महाभारत विराट पर्व अध्याय 30-29-2-138 (रघुवीर)
10. महाभारत विराट पर्व- अध्याय- 16
11. बौद्ध ग्रन्थ अंगुतर निकाय एक पृ. 213
12. अलबरुनीज भारत पृ. 300
13. पाणिनीकालीन भारत पृ. 71 डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल
14. दी वैदिक एज पृ. 127 ले. आर. सी. मजूमदार
15. एनसियन्ट इण्डियन ज्योग्राफी पृ. 391 कनिंघम
16. न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी जि. 2 पृ. 395 से लेटोर
17. प्राचीन भारत का इतिहास पृ. 398 डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी
18. मीणा जाति का इतिहास अध्याय तीन पृ. 89-107
19. मीन पुराण की भूमिका पृ. 89-107
20. मीना जाति एक परिचय पृ. 38 से 64 ले. लक्ष्मीनारायण मीणा- हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
21. जयपुर राज्य का इतिहास पृ. 63, जगदीश सिंह गहलोत मध्यप्रदेश
22. आमेर का राजा पृ. 32-33 देवी प्रसाद
23. एलाल्स एण्ड एण्टीविटीज ऑफ राजस्थान पृ. 20 पृ. 283 कर्नल जेम्स टाड
24. श्री पद्मभूषण श्री भोगी लाल पाण्डय का स्मृति ग्रन्थ पृ. 104-107 निबंध- राजस्थान का आदिम लोक।
25. अलवर राज्य इतिहास- पिनानी लाल
26. वीर-विनोद- श्यामलदास
27. एपिग्राफिया इण्डिका
28. कोटा राज्य का इतिहास - मथुरा लाल शर्मा
29. पश्चिमी भारत की यात्रा, रोरी प्रकाशन 215
30. वीर विनोद-श्यामलदास
31. एनाल्स एण्ड एन्टीचीर अपक रार्जस्थान 215
32. जन श्रुतियां
33. कोटा राज्य का विस्तार विजय कृष्ण व्यास
34. राजस्थान का इतिहास -चारण रामनाथ
35. अरावली उद्घोष - रत्नू
36. (त्रैमासिक पत्रिका, उदयपुर) वी.पी. वर्मा, पथिक

❑❑❑

अध्याय 3

मुस्लिम शासकों से संघर्ष

भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मुहम्मद बिन कासिम ने 712 ई. में अरब सागर के किनारे स्थित नगरों तथा गाँवों पर किया था। लगभग सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि मुहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण के अनेक कारणों में एक था, खलीफा द्वारा खरीदी गई दासियों तथा वस्तुओं को देवल बन्दरगाह पर समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। उस समय सिन्ध पर एक शूद्र वंश का शासन था। इस वंश के अंतिम राजा का नाम साहसी था। डॉ. आशीर्वादी लाल ने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत में लिखा है कि, ''सिन्ध में भारत की पराजय का मुख्य कारण अराजकता थी। एकता के अभाव का कारण जाट तथा मेढ व कुछ अन्य जातियों को अपमानित करना था।''

पूर्व मध्यकालीन इतिहास में डॉ. अवधबिहारी पाण्डेय ने मेद को मेढ़ तथा श्री नेत्र पाण्डेय ने भी भारत के वृहद् इतिहास में मेद को मेढ़ ही बताया है। यद्यपि यह शोध का विषय है कि देवल बन्दरगाह पर उपर्युक्त लूटपाट करने वाले समुद्री डाकू कौन थे? सिन्ध में किस शूद्रवंश का शासन था? सिन्ध के मेद एवं राजस्थान में मत्स्य संघ की मीणा जाति में परस्पर क्या संबंध थे? इस सन्दर्भ में कर्नल जेम्स टाड का कथन उल्लेखनीय है कि उसने मीणा जनजाति के अनेक नाम बतायें हैं जिनमें एक नाम मेर है। बहुत संभव है कि कर्नल टाड के मेर को ही डॉ. श्रीवास्तव ने मेद, डॉ. अवधबिहारी पाण्डेय ने मेढ़ तथा प्रोफेसर श्री नेत्र पाण्डेय ने मेढ़ स्वीकार किया हो।

श्री स्टीफन के अनुसार प्रारंभ में मीणा काठियावाड़ तथा कच्छ में निवास करते थे और वे लोग समुद्र यात्री तथा शत्रुओं के जहाजों को लूटने का काम करते थे। यदि यह सिद्ध हो जाये कि सिन्धु तट पर रहने वाले मीणा जाति के ही लोग थे तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि भारत की इस आदि जनजाति को कालानुसार केवल आर्यों, अर्जुनायनों, मालवों, शकों, हूणों तथा राजपूतों आदि के आक्रमण का ही सामना नहीं करना पड़ा वरन् मुसलमानों के आक्रमणों का सामना भी प्रारंभ में, तीर धनुषधारी इस जाति को ही करना पड़ा। अत: देवल बन्दरगाह के लूटने के कारण कासिम ने इस आदि मीणा जाति पर क्रूर अत्याचार किये। मुहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने 27 वर्ष (1000 ई. 1027 ई.) की अल्पावधि में भारत पर 17 बार आक्रमण किये। उस समय इन मुस्लिम आक्रमणों का प्रभाव आधुनिक अलवर तथा ग्वालियर की मीणा जनजाति पर भी अवश्य पड़ा होगा।

महमूद गजनवी ने भारतवर्ष पर ग्यारहवीं शताब्दी में तथा उसके उत्तराधिकारियों ने बारहवीं सदी में आक्रमण किया। उस समय राजस्थान में ही नहीं वरन् भारत में भी मीणा शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं का डटकर विरोध किया। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले मीणे ही मेव कहलाये जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अत: स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्रिय मीणा जाति ने विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया था।

भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद गौरी था। 1192 ई. में

उसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर राजपूत राजाओं से संधि की। इसके अनुसार दिल्ली का शासन तोमर वंश के राजा को और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविन्दराज को अजमेर का अपने अधीनस्थ शासक बनाया उसने गौरी को कर देने और उसके विरूद्ध कभी विद्रोह न करने का वचन दिया, परन्तु चौहान तथा तोमर शासकों ने अपने वचन का पालन न कर सदैव मुसलमानों को भारत से खदेड़ने का प्रयत्न करते रहे। इसी कारण मुहम्मद गौरी के सेनापति ने दिल्ली तथा अजमेर पर अधिकार स्थापित किया। इसके बाद 1194 ई. में कन्नौज पर अधिकार कर ग्वालियर को भी अपने अधीन कर लिया।

मीणों के विरूद्ध आक्रमण

दिल्ली तथा अजमेर पर अधिकार कर कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना राजस्थान पर अधिकार कर रही थी। उस समय राजपूतों के अतिरिक्त मीणा जनजाति के हृदय में विदेशी आक्रमणकारी को भारत से बाहर खदेड़ने की योजना बन ने लगी। चौहानों के विरोधी सभी राजपूत राजाओं से मंत्रणा करके मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरूद्ध एक संघ बनाया गया। अन्हिलवाड़ा के चालुक्य राजा भीम को भी सहायता के लिये आमंत्रित किया गया।

मीणा सामन्तों द्वारा युद्ध की तैयार की सूचना मिलते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक विशाल सेना के साथ मीणाओं की सेना पर आक्रमण किया। रणबाँकुरे मीणों ने युद्ध क्षेत्र में अद्‌भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। इसी बीच चालुक्य राजा भीम की सेना भी मीणा सामन्तों की सहायता के लिये आ पहुँची। इस सेना की सहायता से मीणों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया। अपनी पराजय के कारण उसे आत्मरक्षा के लिये किले में छिपना पड़ा। इसी बीच गजनी से मोहम्मद गौरी की सेना ऐबक की सहायता के लिये अजमेर आ पहुँची। उसकी सहायता से ऐबक ने मीणों को पराजित किया। इसके बाद इस सेना ने गुजरात पर भी विजय प्राप्त की।

बूँदी, कोटा तथा सिरोही राज्यों पर आक्रमण
(1197-1203)

दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार होने के बाद चौहान राजपूत राजाओं ने अजमेर के दक्षिण में बूँदी, सिरोही आदि राज्यों में शरण ली। इन राज्यों के शासक मीणा जाति के ही लोग थे। उस समय के इतिहासकार मिनहाजुसिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों को दण्ड देने के लिये इन राज्यों पर आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त अजमेर के मीणा संघ का बदला लेने के लिये, मीणा जनजाति का सर्वनाश करने का प्रयास ऐबक ने अवश्य किया होगा।

भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों से देश की रक्षा का भार केवल राजपूतों का ही नहीं था वरन् मीणा जाति ने भी अपनी जान हथेली पर रखकर विदेशी आक्रान्ताओं का खुलकर विरोध किया। वास्तव में 646 ई. 1206 ई. तक का समय स्वतंत्रता प्रेमी मीणा जाति के लिये बड़ा संकट का था। उनको केवल मुसलमान आक्रमणकारियों का सामना ही नहीं करना पड़ा वरन् राजपूत राजाओं का भी सामना करना पड़ा। यह कितनी वेदना की बात है कि स्वतंत्रता प्रिय मीणा जाति को पराजित करने में राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों से सहायता ली। धन्य है इस वीर मीणा जाति को जिसने दोनों आतताइयों का डटकर

सामना किया। राजपूतों के सम्मानजनक समझौता करने पर ही वे शांत रह सके।

सल्तनत काल (1206-1526)

यह युग भारत के इतिहास में बहुत ही संकट का था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिन्दुओं पर घोर अत्याचार किये। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस एवं बलबन ने राजस्थान पर आक्रमण के समय केवल हिन्दू मीणों का ही दमन नहीं किया वरन् मीणों से मुसलमान बने मेवात लोगों को भी उन्होंने नहीं बक्शा। यह उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीणा जनजाति को पराजित कर उनका निर्ममता से दमन किया। इस दमन को इल्तुतमिश और बलबन ने चरम सीमा पर पहुँचा दिया। ''कुतुबतवारिख'' के अनुसार ग्यारहवीं सदी में मीणा लोगों को भी मुसलमान बनाया गया। यद्यपि अनेक मीणा मुसलमान बन गए फिर भी उन्होंने अपनी मूल जाति और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति से बिल्कुल संबंध विच्छेद नहीं किया। अर्द्ध मुसलमान समझकर इल्तुतमिश तथा बलबन आदि राजस्थान पर आक्रमण के समय हिन्दू मीणों से मुसलमान बने मेवात लोगों पर बलबन के समय घोर अत्याचार किये गये। परन्तु उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त न हो सका। फलस्वरूप इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारी पानी के बुलबुले की भाँति दिल्ली के सिंहासन पर उदित एवं अस्त होने लगे, तब अन्य हिन्दू सरदारों की भाँति ही मीणा राजाओं तथा मेवातियों ने अपनी शक्ति का संगठन करना तथा राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया।

यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि संपूर्ण मुस्लिमकाल में मेवात, मीणा ज्ञनजाति की शक्ति का केन्द्र मेवात क्षेत्र ही रहा। मेवात का तात्पर्य राजपूताने के उस भाग से है, जहाँ अलवर, भरतपुर और जयपुर रियासत के कुछ भाग के साथ ही गुड़गाँव का जिला भी है। मेवात के साथ ही मीणा जनजाति के लोग आधुनिक मध्यप्रदेश के होशंगाबाद, निमाड़, सागर, आदि जिलों में भी निवास करते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद मीणा सरदारों की शक्ति में अति तीव्र गति से विस्तार होने लगा और अब वे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के लिये कठिन समस्या बन गये। इसके बाद सुल्तान नासिरूद्दीन महमूद के समय उसके प्रधानमंत्री बलबन ने मीणों की शक्ति व शौर्य को धूल में मिलाने का संकल्प लिया। उसने मेवाती मीणों के विरूद्ध 1249 ई. में प्रथम बार आक्रमण किया, बहुत ही नृशंसतापूर्वक उनको मौत के घाट उतारा गया, उनके गाँवों को जलाया गया और किलों को धाराशायी किया गया किन्तु आर्यों, यवनों, शकों, हूणों, मालवों, यौद्धेयों, अर्जुनायनों, राजपूत आदि के विरूद्ध युद्ध रूपी अग्नि परीक्षा में खरा सोना वने मीणा बलवन की इन यातनाओं से विचलित नहीं हुए। उन्होनें नये ढंग से अपनी शक्ति संचित करना प्रारम्भ कर दिया। इस बीच बलबन के 1252 ई. में प्रधानमंत्री पद से हट जाने पर मीणा सरदार पुन: प्रबल हो गये और दिल्ली तक सल्तनत शासन पर धावा बोलने लगे। दिन दहाड़े दिल्ली को लूटना एक गंभीर चुनौती थी।

मुस्लिम इतिहासकार जियायुद्दीन बरनी के वर्णन के अनुसार, ''हाँसी, रेवाड़ी और दिल्ली राजधानी पर आक्रमण करना, मुस्लिम पथिकों को लूटना, शासकीय कोष और सामान को छीनना, मीणा सरदारों का मुख्य कार्य था।'' बरनी आगे लिखता है कि मीणा सरदारों के आक्रमण व लूटमार का परिणाम यह निकला कि भय के कारण मध्यान्ह की नमाज के बाद दिल्ली के दरवाजे बन्द कर दिये जाते थे। बलबन के सुल्तान बनने के बाद मीणों की शक्ति को समूल नष्ट करने के लिये 1266 ई. में सर्वप्रथम अनुभवी सेनानायकों की एक सेना संगठित की और मेवातियों के गाँव व मेवासों को लूटने का अभियान छेड़ दिया। मीणा सरदारों के शरणस्थल व घने जंगलों को काटने का आदेश दिया और चारों ओर से उन पर आक्रमण किया गया।

इस आक्रमण के समय जो भी मीणा दिखाई देता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस प्रकार लगभग एक लाख मीणों का संहार किया गया। भविष्य में मीणों के आक्रमण से बचने के लिए गोपाल-गिरि में सुदृढ़ किला बनवाया और उसमें अफगान सैनिकों को नियुक्त किया गया। इतिहासकार फरिस्ता ने बलबन द्वारा सन् 1260 और 1266 ई. मीणें. के साथ किए पाशविक अत्याचार का उल्लेख किया है।

मीणों द्वारा अपनाई गई मुस्लिम राहगीरों को लूटने तथा दिल्ली आदि नगरों पर धावा बोलने पर बलबन द्वारा मीणों के दमन के लिये पाशविक नीति अपनाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था, उससे जानना आवश्यक है। इस संदर्भ में डॉ. आशीर्वादी लाल का कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत के पृष्ठ 119-120 पर लिखा है। उनके मत से ''मुस्लिम सुल्तानों के विरूद्ध युद्ध करने वाले डाकू नहीं थे वरन् स्वाधीनता प्रेमी थे।'' उनका कथन है कि ''उस युग के हमारे देशभक्त नेताओं ने लूट तथा नाश की नीति इसलिये अपनाई कि तुर्कों को भारत में सत्ता को सुदृढ़ करने का अवसर न मिल सके। किन्तु दुर्भाग्य से प्रथम श्रेणी के नेतृत्व के अभाव के कारण वे सयुंक्त होकर, पर्याप्त शक्ति संचित न कर सके जिससे वे तुर्कों को देश से मार भगाने में सफल न हो सके।'' इस तरह एकता के अभाव में मीणा लोगों को बहुत हानि उठानी पड़ी। इतना ही नहीं उनका राजनीतिक प्रभुत्व प्राय: समाप्त होने लगा। उनको मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ राजपूत राजाओं के दमन चक्र का भी सामना करना पड़ा।

बलबन की लहू और लौह की नीति द्वारा स्थापित शांति राख के नीचे धधकने वाली अग्नि के समान थी। वस्तुत: उसकी नीति ने खून के बदले खून की भावना को उभारा। परिणाम यह निकला कि मीणों सरदारोंने मुस्लिम शासकों के सामने कभी सिर न झुकाने की ही भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। यही कारण था कि आगे चलकर दिल्ली सुल्तानों की हिन्दू विरोधी नीति में कुछ परिवर्तन आने लगा। गुलामवंश के पतन के बाद खिलजी, तुगलक एवं लोदीवंश के सुल्तान बलबन से अपेक्षाकृत कम दमनकारी थे। उदाहरण के लिये जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के आस-पास लूटमार करने वाले मीणों को बलबन के समान दमन न कर उन्हें सेना में भरती कर बंगाल आदि स्थानों पर भेजा गया। आगे के सुल्तानों ने हिन्दुओं से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सेना में भरती करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी, देवगिरि के राजा रामचन्द्र की राजकुमारी के वैवाहिक संबंध किये तो अपने पुत्र खिज्रखां का विवाह गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी के साथ किया। गयासुद्दीन तुगलक के भाई रजब का विवाह भट्टी वंश के राजा रणमल की पुत्री बीबी लैला से किया जिससे फिरोज पैदा हुआ जो फिरोजशाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोदी का विवाह एक सोनारिन से हुआ जिसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सिकन्दर लोदी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। इसका परिणाम यह निकला की मीणा सरदार मुस्लिम सुल्तानों से आक्रमण करने के लिये अकेले पड़े गये। अत: कुछ तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उच्च पद पर पहुँचे और अनेक स्वतंत्रता प्रेमी मीणा सरदारों ने पहाड़ों की शरण ली। समय-समय पर सुल्तान के ठिकानों पर धावा बोलने लगे। इन स्वतंत्रता प्रेमी मीणा सरदारों को मुसलमान शासक ठग, डाकू व लूटेरे के नाम से उसी प्रकार संबोधित करने लगे जिस प्रकार मुस्लिम इतिहासकार खफीफ खां व अंग्रेज इतिहासकार विसेन्ट स्मिथ हिन्दू व भारतीय संस्कृति के रक्षक स्वतंत्रता प्रेमी शिवाजी को डाकू व लूटेरा कहने लगे। इसी तरह अंग्रेजों ने इन स्वतंत्रता प्रेमी मीणा लोगों को चोर डाकू बनाकर अनेक दमनात्मक कदम उठाये, जिसका विस्तृत वर्णन हम अगले पृष्ठों में विस्तार से पढ़ेंगे।

यहाँ पर रणथंभोर के किले की रक्षा के लिये राणा हमीर का साथ देने वाले मीणा शूरवीरों का उल्लेख करना आवश्यक है।

रणथम्भौर का युद्ध (1295-1301 ई.)

यह तो हम जाने चुके हैं कि मुसलमानों के आने के पहले भी मीणों के कई स्वतंत्र राज्य थे। शोमनपुर के मीणा राजा (वर्तमान) में यह स्थान अलवर जिले में है के सुपुत्र महिमाशाह और गबरू अपने समय के भारत प्रसिद्ध वीर थे। अलाउद्दीन ने महिमाशाह व गबरू को अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किये। महिमाशाह ने सुल्तान अलाउद्दीन की ओर से दक्षिण गुजरात पर आक्रमण किया था। इन्हीं आक्रमणों में दक्षिण के राजा की एक लड़की चित्ररूपा का अपहरण किया गया था। अलाउद्दीन ने इसे अपनी बेगम बनाया था, उसे यह बहुत प्रिय थी। महिमाशाह पर बेगम के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाकर अलाउद्दीन ने महिमाशाह के सभी पद छीन लिये और उसे दिल्ली से निकाल दिया। महिमाशाह ने रणथंभोर में राव हमीर देव के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन ने राव हमीर देव के पास महिमाशाह को सौंपेन के लिये संदेश भेजा परन्तु हमीर ने स्पष्ट कहला भेजा कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। मुनिमगनसागर जी महाराज के अनुसार महिमाशाह को जागीर देने के साथ राव हमीर ने उसे मोतियों की माला पहनाई और उसको पूरा आश्वासन दिया कि-

तन, गढ़, धन घर ये सब जावे।
पै महिमा पातिशाह न पावै॥

अलाउद्दीन का पुन: संदेश आने पर हमीर ने कहला भेजा कि यद्यपि महिमाशाह व उसका भाई गबरू मुसलमान बन चुके हैं, परन्तु महिमा हमारी शरण में आ चुका है, इसे हम किसी कीमत पर नहीं सौंप सकते क्योंकि ''तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार''

जब अलाउद्दीन खिलजी के सभी प्रयत्न विफल हो गये तो उसने दो लाख सेना के साथ रणथंभोर पर आक्रमण कर दिया। अनेक मीणा सामन्तों पर अत्याचार किये गये और अनेक मीणा सरदारों को मुसलमान बनाया गया। इस पर मारण व मेवासियों ने धर्म की रक्षार्थ राव हमीर की सेना में सम्मिलित होकर अलाउद्दीन को कहला दिया कि यदि बलात् धर्म परिवर्तन को नहीं रोका गया तो मेवासी लोग दिल्ली तक लूट मचा देंगे। इस सूचना से सुल्तान चिन्ता में पड़ गया। इन मेवासियों में शक्तापाकल परम वीर था। रणबाँकुरे मेवासी सेना को एकत्रित करके उसने सुल्तानसे युद्ध करने के लिये सशक्त मोर्चा बना लिया था। इस संदर्भ में एक चारण का कथन उल्लेखनीय है।

सक्ता तू सतवादियों, राख्यो मान मेवात को।
फिर फिर घूमर देय, बल बाढ़यो मेवात को॥

हमीर रासो के अनुसार रणथंभोर का युद्ध बारह वर्ष निरन्तर चलता रहा। मुनिमगनसागर जी ने समस्त रासो को संक्षेप में सरल भाषा में लिखा है। उसमें महिमाशाह और उसके भाई गबरू की वीरता का रोमांचक वर्णन किया है। भारतीय इतिहास का यह बहुत वेदना का प्रसंग है कि हम ही हमारी पराजय के कारण बनें। उस समय किले में रसद की बहुत कमी हो गई थी। यह देखकर हमीरदेव के बहुत से सरदार मुसलमानों से जा मिले। इसी बीच हमीर के कोषाध्यक्ष सूरज सिंह ने सुल्तान के पास समाचार भेजे कि ''यदि तुम छानगढ़ का किला मुझे सौंप दो तो मैं रणथंभोर पर आपका अधिकार करवा सकता हूँ।''

अलाउद्दीन ने सूरजसिंह को छानगढ़ के अतिरिक्त अन्य किले भी देने का वचन दिया। कोषाध्यक्ष ने राव हमीर से कहा कि अब रसद समाप्त हो गई है। राव हमीर चिन्ता के सागर में डूब गये। इस पर महिमाशाह ने कहा वीरवर हमीर, अपको मेरे ही कारण अपार कष्ट उठाना पड़ रहा है। आप कहें तो मैं सुल्तान अलाउद्दीन के पास चला जाऊं ताकि वे किले का घेरा उठाकर दिल्ली चला जायेगा। हमीर ने कहा प्राण देकर भी शरणागत की रक्षा करना हम क्षत्रियों की उज्जवल परम्परा है। इसलिये तुम स्वप्न में भी ऐसे विचार मन में मत लाओ।

अंतिम युद्ध में जब महिमाशाह ने खुरासान के निशान छीन कर राव हमीर के भेंट किये। सुल्तान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ और उसने बची हुई सेना को संगठित कर मारण वीर गबरू के सेनापतित्व में दुर्ग पर धावा बोल दिया। राजपूत वीर भी भूखे व्याघ्र की भांति सुल्तान की सेना पर टूट पड़े। महिमाशाह असंख्य मुसलमानों का विध्वंश करते हुये सुल्तान के सम्मुख उपस्थित हुआ। यह सुल्तान की सेना का सेनापति वीर गबरू भी उसके सामने आ खड़ा हुआ। महिमाशाह को अपने सामने खड़ा देख सुल्तान अलाउद्दीन ने कहा ''महिमाशाह तुम मेरी सेवा में आ जाओ मैं तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दूंगा।'' इस पर महिमाशाह ने मुस्कुराते हुये कहा, ''मैं आपकी जातीय चातुरी से पूरी तरह परिचित हूँ। मैं हमीर का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ।'' यह कहते ही सुल्तान के सेनापति अपने सहोदर गबरू से महिमाशाह भिड़ गया। दोनों अपने स्वामी के लिये धर्म का पालन कर वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसी चारित्रिक विशेषता अन्य जाति में नहीं मिलती। इस तरह से सन् 1301 ई. में रणथंभौर के युद्ध में अनेक मीणा वीर वीरगति को प्राप्त हुए।

पूरे सुल्तानकाल में (1206-1526) तक मीणा जाति पर अनेक अत्याचार हुए। लाखों की संख्या में मौत के घाट उतार दिये गये। इस तरह से इनकी संख्या में निरन्तर कमी होती गई, फिर भी ये अपने शत्रुओं से छापामार युद्ध लड़ते रहे। दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने पर मीणें पुन: संगठित होने लगे। एक बार फिर इन्होंने मुगलों तथा राजपूत राजाअें को नाकों चने चबा दिये जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सल्तनकाल से पहले भी मत्स्य संघ की राजधानी बैराट तथा उसके समीप के नगर नारदीन (नारायण) पर महमूद गजनवी के आक्रमण हो चुके थे। फरिस्ता के अनुसार यह आक्रमण 1022 ई. में हुआ था। मुसलमान शासकों का दूसरा महत्त्वपूर्ण आक्रमण फरिस्ता के अनुसार मत्स्य संघ या मेवात पर 1259 ई. में गुलामवंश के सुल्तान बलवन ने किया था। मुसलमान इतिहासकार फरिस्ता के अनुसार इस आक्रमण में दस हजार मेवाती और दो सौ प्रमुख सरदार बन्दी बनाये गये। इस आक्रमण से मेवाती समूल रूप से नष्ट नहीं हुये और वे दिल्ली तक धावा बोलने लगे। इसके लिये बलबन ने अनेक सुरक्षात्मक चौकियां स्थापित की और जमीने देकर अफगानी सैनिकों को उन पर नियुक्त किया। फरिस्ता लिखता है कि मेवातियों के उत्पात से बलबन के एक लाख सैनिक मारे गये। इतिहासकार इलियट एण्ड डासन के अनुसार बलबन ने मेवातियों के आतंक को समाप्त करने के लिये दिल्ली के आस-पास 120 कि.मी. जंगलों को साफ करवा दिया ताकि मेवाती छिप न सके।

मुस्लिम इतिहासकारों ने दिल्ली के सुल्तानों के साथ संघर्ष में मेवातियों का ही उल्लेख किया है परन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि मेवाती खानजादा शासक वर्ग के रहे हैं। इसलिये इनका ही उल्लेख अधिक हुआ है। सच्चाई यह है कि मुसलमानों से संघर्ष में मेव लोगों का ही ज्यादा योगदान रहा।

ये मेव अपने आपको मीणा ही मानते हैं। मेवात में बलबन द्वारा दमन की नीति अपनाने पर भी मेवों के हौंसले बुलन्द थे। कनिंघम ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया जिल्द तीन पृष्ठ 44 पर इसका उल्लेख किया है कि 1424 ई. में मेवों ने फिरोज के विरूद्ध फिर विद्रोह कर दिया। सुल्तान फिरोज की सेना द्वारा मेवों के अनेक गाँव नष्ट कर दिये गये, परन्तु वे लोग पहाड़ों में जा छिपे। इतिहासकार कनिंघम ने आर्क्यियोलोजिकल रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि फिरोज के बाद मेवाती श..त हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले प्रत्येक शासक के लिये वे सिरदर्द बने रहे। मेवात के इस उज्जवल इतिहास की ओर ''मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था'' पुस्तक के पृ. 36 पर मोरलैण्ड ने लिखा है कि- ''दिल्ली के आस-पास का प्रदेश हवालिया दिल्ली'' कहलाता था। इस प्रदेश के पूर्व में यमुना नदी, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी या उसके निचले जंगल तथा दक्षिण में इसकी सीमा स्वतंत्रता प्रिय मेवातियों की सीमा से मिलती थी। इससे दिल्ली प्रदेश को सर्वदा आशंकाग्रस्त रहना पड़ता था। अत्यधिक युद्धात्मक दबाव पड़ने पर वे राजपूताने की पहाड़ियों में शरण ले लेते थे और अवसर पाकर शेर हो जाते थे। शायद ही कोई ऐसा मौका आता था जब वे संपूर्ण रूप से अधीनता स्वीकार करते थे।''

जहाँ-जहाँ मीणा वंश के शासक थे। वहाँ-वहाँ स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये वे निरंतर संघर्षरत रहे। प्रताप तथा शिवाजी द्वारा अपनाये गये छापामार युद्ध पद्धति के जन्मादाता, प्राचीन मत्स्यों के यशस्वी उत्तराधिकारी मीणा ही थे। यदि भारतीय इतिहासकार स्वतंत्रता प्रेमी इन मीणों के गौरवपूर्ण आख्यानों को संभालकर रखने का प्रयत्न करते तो देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की निश्चित वृद्धि होती, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जिन मुसलमान आक्रमणकारियों व बादशाहों के सामने राजस्थान के तथा अन्य राजा घुटने टेकते गए, उन्हीं विजय के मद पर दुर्दान्त बने मुस्लिम शासकों को मीणों ने एक नहीं सैकड़ों बार और शताब्दियों तक नाकों चने चबाये। ऐसी शूरवीर जाति को जिसकी संघ शक्ति की दुंदुभि कभी समूचे भारत में गूंजती थी, उसे अधिनायक शासन प्रणाली ने महत्वहीन बना दिया। यह समस्त कथा बड़ी दर्द भरी है, जिससे जानने को पाठक इच्छुक है, परन्तु इसका क्रमबद्ध वर्णन अभी तक उपलब्ध नहीं है। रणथंभौर के अतिरिक्त अलाउद्दीन से अपने जातीय गौरव एवं स्वधर्म रक्षा के लिए अनेक मीणा सरदारों ने अपने जीवन की बलि दी। ऐसे वीरों में उदयपुरवाटी के झुंझुनूं जिले के छापोली के मीणें थे। छापोली मीणाओं की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के मीणा राजा राव उमाऊ से लड़की का डौला मांगा था। उमाऊं राव ने खिलजी सुल्तान को अपनी लड़की का डोला देने से मना कर दिया। तदन्तर खिलजी सूल्तान ने छापौली पर आक्रमण किया था। सुल्तान की सेना अधिक संख्या में होने के कारण मीणा राजा लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। छापौली का राज्य छीन जाने के बाद जीवा छापौला ने जीलो नगर बसाया जो नीमकाथाना जिला सीकर में है। जनश्रुति के अनुसार जीवा बहुत ही साहसी तथा बहादुर था। उसकी शत्रुता पाटन के राजा लूणकरण से हो गई थी। एक लड़ाई में जीवा ने लूणकरण का कलेजा निकाल दिया था।

इसी तरह सुल्तानकाल में नैनागढ़ पर फसला गोत्रीय मीणा राज्य करता था। प्रसिद्ध वीर काव्य आल्हा और उदल में बताया गया है कि नैनागढ़ के राजा राधो मच्छ की लड़की मछला का विवाह आल्हा से होना निश्चित हुआ था। इस संबंध में खोजबीन करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार ही नैनागढ़ कहलाता था। एक पुरानी हस्तलिखित प्रतिलिप में मीना जाति के पालों के संबंध में

निर्वाणपाल का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है-

''नवीं पाल निरवारण की नैनागढ़ सुख धाम।
मीणा है वा वंश में, गोत्री फसला जान
बसे बीस अनेकन गाँव।''

मुगलों से संघर्ष

बलबन द्वारा अपनाई गई लहू और रक्त की नीति के कारण मीणों में खून के बदले खून की भावना सल्तनत काल में होने वाले शीघ्रतिशीघ्र वंशों का परिवर्तन, तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण, दूरवर्ती प्रान्तों के शासकों का दिल्ली के सुल्तानों के विरूद्ध विद्रोह करना और स्वतंत्र होना, आदि परिस्थितियों से लाभ उठाकर मीणों को अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करने तथा खोये हुए राज्य को पुन: प्राप्त करने का अवसर मिला। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उस समय मुसलमान शासक राजपूतों से संघर्षरत थे। अत: मीणों पर मुस्लिम आक्रमणों में कुछ कमी आने लगी थी। यही कारण था कि दिल्ली सल्तनत के अंत और बाबर के भारत आक्रमण के समय मीणा शक्ति पुन: संगठित होने लगी।

बाबर ने 1526 ई. में भारत पर आक्रमण कर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली व आगरा पर अधिकार करते हुये भारत में मुगलवंश की स्थापना का श्री गणेश किया था। उस समय मीणों की शक्ति दो भागों में बंटी हुई थी- हिन्दू मीणा और मुस्लिम मीणा। हिन्दू मीणा के मेव तथा मुस्लिम मीणों को मेवाती कहते थे। उस समय मेवात का शासक हसन खाँ मेवाती था, जिसके विषय में बाबर कहा करता था कि ''यही काफिर सब उप्रदवों तथा विद्रोह की जड़ है।'' हसन खाँ मेवाती मेवात प्रदेश (अलवर-भरतपुर) का शासक था। उसने 1527 ई. में खानवा के युद्ध में बाबर के विरूद्ध महाराणा संग्राम सिंह का साथ दिया था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर ने मेवात पर अधिकार करके अपने पुत्र हिन्दाल को वहाँ का गवर्नर बना दिया था।

बाबर के भारत आक्रमण के समय पृथ्वीराज (सन् 1503-28 ई.) आमेर (ढूंढार) का राजा था। खानवा के युद्ध में उसने भी राजपूत राजाओं के साथ महाराणा सांगा का साथ दिया था और वह इतना घायल हो गया था कि 1528 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरनमल आमेर का शासक हुआ जिसने 1536 तक शासन किया। उसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की और मेवात के शासक तातार खाँ और मीणों के विरूद्ध हिन्दाल की सहायता की और युद्ध में मारा गया। पूरनमल के बाद अम्बर (आमेर) का इतिहास अराजकता और अशांति का था। इस अवधि (1536-1547) में पूरनमल के उत्तराधिकारी के रूप में भीम, आसकरण आदि अनेक राजा हुए जिनमें सिंहासन के लिये निरन्तर संघर्ष चलता रहा। 1547 ई. में आसकरण को हटाकर भारमल आमेर का राजा बना। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या मीणा शक्ति के उत्कर्ष की थी।

पूर्व अध्याय में ढूंढाड़ के प्रसिद्ध शासकों के संदर्भ में नहान देव (गोमलाडू गोत्रीय मीणा) का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय नहान एवं नाहन दो अलग-अलग मीणा राज्य थे। दोनों का मुगल सम्राट अकबर से निरंतर संघर्ष चलता रहा। उस समय आमेर पर कछवाहा वंश के राजा भारमल का शासन था। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि कछवाहा राजाओं ने छल प्रपंच से एक-एक करके सभी मीणा नगर राज्यों को नष्ट कर दिया था। आमेर नरेश भारमल ने भी अपने

समय के शक्तिशाली राज्य नहान को दबाने का पूरा प्रयास किया। परन्तु अकेले को इसमें सफलता नहीं मिली। अत: उसे सम्राट अकबर से सहायता लेनी पड़ी। इसका विस्तृत वर्णन अग्रिम पृष्ठों में करेंगे।

दूसरा प्रसिद्ध मीणाराज्य नाहन था, जो थानागाजी तहसील जिला अलवर में स्थित था। उस समय इस नगर को नरहर कहते थे। आजकल इसका नाम नरेठ के नाम से प्रचलित है। उस समय इस नगर पर ब्याड़वाल मीणा राजाओं का राज्य था। राव बादा यहाँ के शासक थे। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मीणा जाति में बाधा (बादा) नाम से तीन राजा हुए हैं। इनमें प्रथम राव बाधा (बादा) दाँतली के राव थे, दूसरे राव बादा नाहन के राजा चन्द्रसेन के पुत्र थे। इनमें नाहन के राव बादा बहुत प्रभावशाली राजा थे। सम्राट अकबर भी इनका लोहा मानता था। इस संदर्भ में एक लोकोक्ति प्रचलित है।

दाँतल से घौंसा लाग्यो, झरि रो पियो निशान।
नरेठ को बाधा राव, जी की बादशाह माने कांण

बादा को राव की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी। आमेर नरेश के अनुरोध से राव बादा ने इस क्षेत्र में शांति का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी उपलक्ष में इनको राव की उपाधि दी गई। बूँदी गजेटियर तथा बानसूर (अलवर) गजेटियर में मुगल सम्राट अकबर द्वारा नरेठ के शासक को राव की उपाधि देने का उल्लेख है।

मुगल सम्राट से मनमुटाव

राव बादा के कीरत सिंह नामक एक पुत्र एवं शशिवदनी नामक एक पुत्री थी। शशिवादनी बहुत ही सुन्दर थी। चारों ओर उसकी सुन्दरता की ख्याति फैल चुकी थी। जब अकबर तक शशिवदनी की सुन्दरता की बात पहुँचती तो उसने राव बादा को अकबर बादशाह ने लिख भेजा कि वह शशिवदनी का विवाह युवराज सलीम से कर दें। परन्तु राव बादा ने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने शशिवदनी का विवाह उस समय के प्रसिद्ध मेव सामन्त टोडरमल के पुत्र के साथ कर किया । टोडरमल शशिवदनी के आदर्श प्रेम के गीत आज भी मीणा जाति में गाये जाते हैं।

जब शशिवदनी का विवाह सलीम (जहाँगीर) के साथ करने का प्रस्तव बादाराव ने ठुकरा दिया और कहला भेजा कि ''हम मीन क्षत्रिय राजपूतों की भाँति अपनी कन्याओं को मुगलों को देकर अपने कुल गौरव को कभी कलंकित नहीं करेंगे। बाधाराव के अधीन उस समय आहड़ा मांदल आदि गौत्र के बारह मेवासी सरदार थे, जिन्होंने कितनी ही बार मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिये थे। इन सभी मीणा सरदारों को एकत्रित कर बाधा रावने मंत्रणा की। सभी ने एक स्वर से कहा कि ''हम कुल की मर्यादा और मातृभूमि की रक्षा के लिये मर मिटेंगे। परन्तु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे।'' उस समय बाधाराव ने अपनी प्रजा को जो प्रेरक संदेश दिया, वह उसके उज्जवल चरित्र का उचित भाष्य है। बाधारावने कहा:-

''हमारे भ्रातागण सज्जनों! आज हम स्वदेश एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिये यहाँ उपस्थित हुये हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि अनेक राजपूत नरेश अपने क्षणिक सुख के लिये अपना स्वाभिमान बेच चुके हैं। हमने आज तक किसी के राज्य को बलपूर्व नहीं छीना है। कछवाहा राजाओं ने हमारे साथ विश्वासघात करके और धोखे से हमारे अनेक राज्य छीने है। यह मीन देश (मत्स्यराज) सनातन काल से हमारा है। इसी कारण हम मीना कहलाये। बेअढ़ (वैताढ्य) गिरि के स्वामी होने के कारण हम बेअढ़वाल कहलाये और बावन पर्वतों पर कोट बनवाये। कोटपुरस्थली (कोटपुतली) हमारे पूर्ववजों की राजधानी होने के कारण

हम कोटड़िए कहलाये। अब भारत की समस्त राजशक्ति मिलकर हमें नष्ट करना चाहती है। संभवतया ईश्वर को यही मंजूर हो तथापि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। यह भारत कर्मभूमि हुआ करती है। यहाँ के निवासियों को कर्म करने का ही अधिकार है फल चाहने का नहीं। घर बैठे युद्ध आना, हमारी मुक्ति का द्वार है। कर्त्तव्यपालन के लिये रण क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करने से हम स्वर्ग निवास के अधिकारी होंगे। मेरे पूज्य पिताजी चन्द्रसेन जी ने बाबर व हुमायूं के साथ अनेक युद्ध किये हैं। मेरा भी अब तक जीवन भारमल व अकबर के साथ युद्ध करने में ही व्यतीत हुआ है।''

हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खेती व्यापार, पशुपालन तथा चरित्रवान व्यक्तियों की नौकरी करके अपना जीवन व्यापन कर लेंगे, परन्तु मुसलमानों से बेटी व्यवहार करके अपनी प्राचीन मीन जाति को कलंकित नहीं करेंगे।''

सबसे अधिक हानि हमें रात्रि के समय सकुटुम्ब जंगल के जलाशयों में निशस्त्र होकर अपनी पूर्वजों को जल तर्पण देने में उठाई है। मैं अपने जाति भाईयों से निवेदन करता हूँ कि पितरों को जल तर्पण के समय एक व्यक्ति ही जलाशय जाया करें शस्त्र अपनी रक्षा के लिये हमारी प्राचीन जाति का धार्मिक चिन्ह है। जल तर्पण के समय कभी शस्त्रों का त्याग नहीं करना चाहिए। मैं अपनी जातीय वीर महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कि वे अब पर्दे को फाड़कर फेंक दें और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए शस्त्र उठायें। संपत्ति सुख-दुख, जीवन मरण में सदा अपने पतियों के साथ रहना ही स्त्रियों का सर्वोत्कृष्ट धर्म है।''

वीरवर बाधाराव के उपर्युक्त प्रेरणास्पद भाषण को सुनकर स्त्री पुरूष, बाल एवं वृद्ध अपने प्राणों को मोह छोड़कर प्रात: काल होते ही ''हर हर महादेव'' का उद्घोष करते हुये युद्ध समुद्र में कूद पड़े। दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। वीर बाधा ने मुगल सेना में चारों ओर कोहराम मचा दिया। संध्या होते-होते वीरवर मीणा सरदार वीर गति को प्राप्त हुये। इनकी पराजय का मुख्य कारण बाधाराव के संबंधी टोडरमल मेव का विश्वासघात है। वह अकबर द्वारा दिये राजपद प्रलोभन में आ गया और अकबर के दरबार में जा पहुँचा। वहाँ उसे माल विभाग सौंपा गया और अकबर की सभा के नवरत्नों में उसे स्थान दिया गया।

टोडरमल व बादा राव

टोडरमल एवं बाधाराव के संबंध में सन् 1968 में महावीर प्रसाद ने ''वरदा'' नामक सांस्कृतिक अंक में एक खोजपूर्ण लेख लिखा है। इसमें बताया गया है कि ''बादा राव एवं टोडरमल की लोक कथाएं मेवात क्षेत्र में अभी तक प्रचलित है। राव बाधा ब्यावड़ जाति का मुखिया था और थानागाजी तहसील (अलवर) के नरेठ गाँव का रहने वाला था। मुगल सम्राट अकबर ने उसे राव की उपाधि से विभूषित किया। नड़ेढ़ या नहड़ा की भूमि को अभी भी रावधरा कहा जाता है।''

कनिंघम ने अपनी पुस्तक आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया में टोडरमल की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया है।

पाँच पहाड़ के राज ही, और पूरी तेरी दल्ल।
आधिक अकबर बादशाह, आधे टोडरमल्ल ॥

यह दोहा जब अकबर तक पहुँचा तो लोगों ने सम्राट को कहा कि टोडरमल आपकी बराबरी करता है। मुगल सम्राट ने टोडरमल को बुलवाया और इसका कारण पूछा तो उसने कहा, ''मैं तो पाँच पहाड़ों का स्वामी हूँ। उसमें से भी आधी उपज आपकी और आधी मेरी है। टोडरमल की चतुराई से अकबर प्रसन्न

हुआ और उसे अपनी सेवा में ले लिया। बाधाराव व टोडरमल का उल्लेख मिरासी गीतों में अभी भी मिलता है। टोडरमल के पुत्र व शशिवदनी के गीत भी मेवात प्रदेश में अभी तक प्रचलित है।

एक और संस्मरण मीणा जाति के शौर्य के संदर्भ में मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। रावभान के पुत्र जोधासिंह की पत्नी लाली ने पुत्र जन्म के अवसर पर छटी पूजन अलख के कुये पर करने का निश्चय किया। वहाँ अहला सिंह चौहान ने मुगल सम्राट के आदेश से सैनिक शिविर लगा रखा था। सिपाहियों द्वारा कुए तक जाने पर रोकने से मेवों तथा बादशाह की सेना में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जोधासिंह एवं अहलाद सिंह अनेक सैनिकों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये। लाली भी अपने पति के साथ ही वहाँ सत्ती हो गई। इस संदर्भ में कुछ दोहे मेवात क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है:-

सुसर बसे पहाड़ में और बाप बसे पाली।
कुओ पूजूँ अलख को तो नाम जादी लाली॥
राव भान के जोध सिंह जागे तेरी तेज।
कुआ पूजा दे अलख का नतर फिर न चढ़ियो सेज।
मुछड़िया फर-फर करे, हँसे बतीस दंत।
अब धो धापियों नहीं, मेरो बड़ो जुझारकन्त।

नरोट के रावबादा ने भी वीरवर महाराणा प्रातप की भाँति कभी भी मुगल सम्राट के सामने नत मस्तक नहीं हुये। भाटों की ख्यात में इसका विशद वर्णन है:-

बोले राजाखान, इस्या मरद मेवासी बाँका।
रण भारत करया कोई नहीं ऐसा साका॥

नहान का शक्तिशाली मीणा राज्य

मीणा जाति के तीसरे प्रमुख शासक राव बाधा थे। दौसा से दक्षिण पश्चिम में 32 किलोमीटर और लवाण से उत्तर में 11 किलोमीटर की दूरी पर ''नई नाथ'' नामक एक पवित्र धार्मिक स्थान है। आमेर नरेश भारमल कछवाहा के समय यहाँ पर ''नहान'' नाम का एक वैभवशाली नगर था। भाटों की बही एवं पोथियों के अनुसार संवत् 212 में नहान देव (गोमलाडू गोत्रीय) मीणा ने इसे बसाया था जो कालान्तर में उन्हीं के नाम एक विशाल नगर एवं साम्राज्य इतिहास में प्रसिद्ध है। इस साम्राज्य के अंतर्गत कई समृद्ध नगर थे जिनमें पाटन व धोल (गोने) प्रमुख थे। यहां के मीणा राजाओं ने बारहवीं सदी से लेकर सोलहवीं सदी तक आमेर के कछवाहा राजाओं को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। इतिहास में अनेक स्थलों पर वर्णन मिलता है कि आमेर के शासक ही नहीं मुगल सम्राट अकबर भी नहान के नरेश राव बादा से सदा भयभीत रहता था। मेवाड़ में प्रताप की भाँति ढूंढाड़ में नहान के शासक राव बादा बहुत स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय नरेश थे।

उस समय आमेर के कछवाहा शासकों में उत्तराधिकार के लिये परस्पर झगड़ा चल रहा था। पृथ्वीराज कछवाहा की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राजगद्दी को लेकर आंतरिक कलह पैदा हो गया था। उस स्थिति का लाभ उठाकर 1527 से 1562 तक नाहन के ब्यावड़वाल मीणा और नहान के गोमलाडू

राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। नाहन और क्यारा के मीणा राजाओं को कछवाहा राजाओं के अतिरिक्त मेवास के मुस्लिम शासकों से भी संघर्षरत रहना पड़ता था। इसलिये वे नहान के शासकों से अधिक असुरक्षित थे। नहान में बादाराव बहुत ही प्रतापी राजा हुये। मुनि मगनसागर जी के अनुसार 1540 से 1567 यहाँ के शासक बादाराव आमेर के कछवाहा राज्य के लिये एक गंभीर चुनौती बन गया था। आये दिन आमेर राज्य पर आक्रमण होते रहते थे। उस समय आमेर नरेश भारमल मीणा राजाओं के दिन प्रतिदिन के आक्रमणों से बड़ा तंग आ गया था। अपनी सुरक्षित स्थिति के कारण कछवाहा शासकों के लिये नहान पर अधिकार करना बड़ा कठिन कार्य विदित हो रहा था। इसकी भौगोलिक स्थिति एवं महत्व के बारे में अनेक इतिहासकारों ने प्रकाश डाला है।

नहान का वैभव

पुरातत्वविद कार्लाइल ने अपनी सर्वेक्षण प्रतिवेदन में ''नहान को मीणों'' का सुदृढ़ राज्य बताया है। उसके अनुसार मीणों का यह सुदृढ़ राज्य ऊँची पहाड़ी श्रृंखला के मध्य में इस प्रकार स्थित है कि यह एकदम छिप सा गया है तथा इसे किसी मार्गदर्शक के बिना ढूंढ निकालना अत्यधिक कठिन है।'' इस स्थान की प्रशंसा करते हुये उन्होंने लिखा कि ''भारत भर में उनके द्वारा देखे गये तीन विलक्षण स्थानों में से यह एक है।'' उनके अनुसार नहान के बावनकोट से आशय मीणा राजा के बावन सुरक्षित स्थानों से है। ''छप्पन दरवाजों'' से आशय उन छप्पन रास्तों से होगा जिसके द्वारा उस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सके। इसी संदर्भ में एक कहावत भी प्रचलित है:-

बावन कोट छप्पन दरवाजा,
मीणा मरद नहान का राजा॥

मीणा जन समुदाय में प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार नहान के राजा बादा के राज्य में 52 गढ़ थे, उनमें नहान का गढ़ प्रमुख था। उसमें 5 मुख्य द्वार थे, जबकि शेष 51 छोटे गढ़ों में एक एक ही दरवाजा था। इस आधार पर ही ''बावन कोट छप्पन दरवाजे'' की कहावत प्रचलित हुई। इसके संबंध में मीणा समाज में निम्नलिखित दोहे बहुत ही लोकप्रिय है:-

बावन कोट नौबत पुरै, छप्पन कोट जुहार।
राव बादा नहान को, म्यारण बड़ सरदार।
पहलां तो ढोल बाज्यो, हड़पा डोबवाल को,
बाजै ढूंढाड़ में ढोल, बलवन्त बादा राव को॥

नहान के मीणा राजाओं का संरक्षण पाकर माँच (जमवारामगढ़) के सीहरा मीणा राज्य के आस-पास के अपने खोये हुये प्रदेशों को पुन: प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। माँच स्वतंत्र हो गया और टोडा मीणा के बैनाड़ा ने भी कछवाहों की अधीनता का जुआ उतार फैंका। इस तरह आज के पूरे जमवारामगढ़ (माँच) के क्षेत्र पर मीणों का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त नायला के निकट डयोढ़ा डूंगर का ग्राम राज बाँसखों और ध्यावणा मीणों के अधिकार में था। बस्सी से दो मील उत्तर में ध्यावण गाँव पर ध्यावणां मीणों का एवं दौसा तहसील के पापड़दा पर बैफलावत मीणाओं का अधिकार था। ये सभी ग्राम-राज नहान के बादाराव को अपना स्वामी मानते थे और उनको निश्चित मात्रा में कर देते थे।

आमेर नरेश भारमल के समय सीहरा मीणाओं के खोवा, जारूड़ा और माँची राज्य इतने शक्तिशाली थे कि उनकी तुलना प्रसिद्ध स्थानों से की जाने लगी।

जारूड़ों ज्यूं जोधपुर, खोवो ज्यूं अजमेर।
माच तख्त को बैठबो, सांऊं सांगानेर।


(राजा भारमल, जयपुर)

नहान के शक्तिशाली राज्य को नष्ट करने के पहले आमेर नरेश भारमल ने इस राज्य के शक्ति स्रोत को एक-एक करके नष्ट करने का संकल्प किया। देवीसिंह मंड़ावा ने अपनी पुस्तक ''राजस्थान के कछवाहा'' नामक पुस्तक में लिखा है ''भारमल ने टोडा, ध्यावण, पापड़दा और जरोदा के बागी मीणाओं को दबाया तथा नाहन (नहान) के शासक को परास्त करके आमेर राज्य में मिलाया।''

मीणों के छोटे-छोटे गणराज्यों एवं नहान के संघ राज्यों से आमेर नरेश राजा भारमल इतना भयभीत था कि उनके दमन के लिये मुगल सम्राट अकबर की शरण लेनी पड़ी। पहले तो अकबर को प्रसन्न करने के लिये राजपूती आनबान को तिलांजलि देकर अपनी एक पुत्री का विवाह उस समय राजस्थान के मुगल प्रभारी हसन खाँ के साथ करना पड़ा।

इसका उल्लेख इतिहासकार मुहम्मद कबीर ने अपनी पुस्तक ''अफसानाइ शगहन'' में किया है। इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अपनी दूसरी पुत्री हरखा (हीराबाई) के विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा। मुगल सम्राट अकबर जब अजमेर ख्वाजा साहब के दर्शन करने जा रहे थे तब कुछ समय सांगानेर रूके। वहीं पर आमेर नरेश राजा भारमल की उनसे भेंट हुई। मीणों की शक्ति से दुखी होकर उसने सहायता की प्रार्थना की। कर्नल जेम्स टाड ने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि ''सांगानेर में अपनी पुत्री मानमती का अकबर के साथ विवाह करके ही भारमल अपने राज्य की रक्षा का आश्वासन प्राप्त कर सका। डॉ. गोपीनाथ शर्मा ने भी ''राजस्थान के इतिहास में उल्लेख किया है कि आमेर नरेश भारमल ने मीणों के दमन के लिये अकबर से सहायता माँगी और इसके लिये अपनी पुत्री मानमती का विवाह अकबर के साथ करने की बात स्वीकार की।'' सम्राट जब अजमेर की यात्रा पूरी कर आगरा लौट रहे थे, तब सांभर में रूके, वहीं पर भारमल ने अपनी पुत्री मानमती (हीराबाई) का विवाह 1562 ई. में अकबर के साथ बहुत ही धूमधाम से किया। इस संदर्भ में मीणा समुदाय में एक दोहा बहुत लंबे समय से प्रचलित है।

कपटी राजा भारमल, घणा देखता दाव,
बेटी राजा भारमल दीनी अकबर हाथ॥

मीणों के उत्कर्ष एवं शक्ति से भारमल ही भयभीत नहीं था, वरन् सम्राट अकबर भी मीणों की शक्ति से भय रखता था। भाटों की पोथियों में इस संदर्भ में अनेक प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं।

नहान नृप बादो, भूपत मानै जीं को काण।

अकबर कर चावै घणों, सूबा भरैन डाण।।

सोरठा:-

अड़भड़िया उमराव, अकबर उझकै आगरै।

पड़तन देवे जांठा सिंह, जिम बादो राववर।

अकबर बूझै भारमल, मीणा नंह दे डाण।

मनमानी बादो करे मानै न मुगलां काण

अतः अकबर ने भारमल को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। राजा भारमल बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। उसने बहुत ही सावधानी से एक के बाद एक कदम उठाया। अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद उसने सर्वप्रथम आमेर राज्य में व्याप्त गृह कलह को समाप्त किया। अपने सौतेले भाई को नरवर की जागीर देकर शांत किया। इसके बाद उसने एक-एक करके छोटे-छोटे मीणा राज्यों को समाप्त किया। कपड़ द्वारे की ख्यात जो महाराज राम सिंह के आदेश से 1853-56 में लिखी गई थी। उसमें इन छोटे-छोटे मीणा राज्यों का सजीव वर्णन है।

भारमल अखिये वचन सुनह सकल उमराव,

छीनहु पुर मीनान के तबह मम चित्त चाव।

बोलि तबै बलिमूद नन्द अचलहि, अंग जिरू,

चत्र भुजहि किलपान सूरमिव, ब्रह्म, फारयन।

स्योपुर लियष छिड़ाय, काटि राधन कुल दिन्निय,

भोजराज पोतान जुध जुरि नई सु छिन्निय।

पत्तढ़ि भारमलहि निजपुर ते मीना सुकढ़ि,

कटवै सुकरि बागवाड़ की ओढ़ि ढ़य आंत कब बढ़ि।

खेरि धुवाणी धायं पिमि पापड़िये मल किय,

जालू दै जुरि जुद्ध युद्ध करि क्रूद्ध भूप द्विय।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारमल ने अनेक प्रमुख मीणा मेवासों पर विजय प्राप्त की। इसमें अपने आश्रयदाता भारमल की ओर से लड़ने वाले शूरवीरों का वर्णन बढ़ा चढ़ा किया है। मीणा मेवासियों के नामों का उल्लेख तक नहीं किया गया है।

इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि आमेर नरेश भारमल का ड्योढ़ा (बाँख खोवा मीणा) ध्यावण (ध्यावणा मीणा) टोडा (बैनाड़ा मीणा) जारूड़ा (सीहरा मीणा) पापड़दा (बैफलावत मीणा) आदि मेवासों को जीतने में बहुत समय लगा। नहान के शक्ति स्त्रोतों को नष्ट करने के बाद भी नहान के वीरवर बादाराव पर विजय प्राप्त करने में भारमल असमर्थ रहा था। यह स्वाभाविक था कि आस-पास के शक्तिशाली मीणा मेवासों के नष्ट होने से नहान अधिपति बादा राव की शक्ति थोड़ी क्षीण होने लगी परन्तु भारमल की यह हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले अपनी सेना से नहान पर विजय प्राप्त कर ले।

नहान पर विजय प्राप्त करने के लिये भारमल को मुगलों की ओर से अधिक सैनिक सहायता की आवश्यकता थी। इस समय तक अकबर भारमल को अधिक सैनिक सहायता न दे पा रहा था। अकबर की

मुगल सेना सम्राट के नेतृत्व में रणथंभौर विजय के लिये कूँच कर चुकी थी। लंबे समय तक रणथंभौर का घेरा डालने के बाद भी अकबर उस समय के अभेद्य दुर्ग पर विजय प्राप्त न कर सका। अत: उसे सुर्जन हाडा से संधि करके ही संतोष करना पड़ा। क्योंकि उसे नहान की शक्तिशाली शासक बादाराव का भी भय बना हुआ था कि वह थाणागाजी (नड़ेठ) के मीण राजा और राजौर के गुर्जर प्रतिहार शासक से सहायता लेकर वह आमेर राज्य नष्ट-भ्रष्ट न कर दे। उस समय उनकी सम्मिलित सेना न केवल भारमल के लिये वरन् मुगलों के लिये भी चुनौती बनकर उभरेगी। अत: रणथंभौर लौटते समय मुगल सेना ने भारमल की सेना की सहायता करने का निश्चय किया।

रणथंभौर से लौटते समय अकबर की सेना राव बादा के नहान राज्य की सीमा पर पहुँची तो वहाँ राव बादा के सरदार मालू मीणा की मुगल सेना से भिड़न्त हुई। उस समय नहान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उस पर आसानी से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी। चारों ओर के घने जंगल व उबड़-खाबड़ पहाड़ उसके सुरक्षा कवच का काम कर रहे थे। नहान के मीणा सेना के सेनापति मालू मीणा ने इस स्थिति से पूरा लाभ उठाया और ''हमला करो व भाग जाओ'' छापामार युद्ध प्रणाली से मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिये थे। अन्त में मुगल सम्राट अकबर को घूम फिरकर आकर वहाँ आना पड़ा और अकबर को कितने ही माह तक रूकना पड़ा। वहीं उसने एक मस्जिद बनवाई जो अकबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है।

नहान के सेनापति मालू ने मुगल सेना को नहान से खदेड़ दिया। अकबर को विवश हो आमेर भागना पड़ा। इस संदर्भ में मीणा समुदाय में यह लोकोक्ति का प्रचलन है।

मालू जंग जोड़ियो जबर,
अकबर मानी हाँक
चामुण्ड प्रगट करी,
बार बचायी सांग॥

आमेर पहुँचकर अकबर और भारमल के बीच परामर्श होता रहा कि किस प्रकार नहान राज्य पर अधिकार किया जाये। युद्ध की योजना तैयार कर मुगल सेना का एक भाग भारमल को सौंपकर सम्राट अकबर आगरा लौट गया। निर्धारित व्यूह रचना के अनुसार नहान के आस-पास के घने जंगलों को कटवाया गया। इसके बाद आमेर और मुगल सेना ने नहान नगर को घेर लिया। रसद मिलने के सारे रास्ते काट दिये गये। लंबे समय तक नहान की सेना तथा आमेर की सेना में संघर्ष चलता रहा।

उसी समय एक देवी प्रकोप से प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। अन्न व चारे की भारी कमी हो गई। अत: सेना के घोड़ों के लिये जनता से चारे से बाँटा लिया जाने लगा। इस संबंध में निम्नलिखित कहावत अभी तक प्रचलित है:-

बावन कोट छप्पन दरवाजा,
मीना मरद नहान का राजा।
बूढ्यो राज नहान को।
जब भुस में बाँटो माँगयो।

राव बादा को विवश होकर भुसा (चारे) पर कर लगाना पड़ा। इस प्रकार प्रजा का खिन्न होना स्वाभाविक था। प्रजा शत्रु के अत्याचारों, भुखमरी एवं महामारी के प्रकोप से भी तंग आ गई थी। प्रजा का

मनोबल टूटने लगा। भारमल और मुगलों की सेना रावबादा की सेना से कई गुना अधिक थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वीरवर बादा राव ने हिम्मत न हारी और विपरीत परिस्थितियों में भी शत्रु सेना का सामना करते रहे। मुगलों एवं कछवाहों की ओर से बादा राव को कितने प्रलोभन दिये जाने लगे कि वह आमेर की अधीनता स्वीकार कर लें। परन्तु वीरवर बादाराव ने शरणागत होकर जीने से तो मातृभूमि की रक्षा के लिये हँसते-हँसते प्राण देना उचित समझा। महाराणा प्रताप की भाँति उन्होंने भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। अंत में अपने विश्वस्त सैनिकों एवं मीणा सरदारों के साथ शत्रु सेना से लड़ते हुये वीरगति को प्राप्त हुये।

इस युद्ध का आँखों देखा वर्णन किसी इतिहास में नहीं मिलता। मिलता भी कैसे? उस समय कवि चारण भाट केवल अपने आश्रयदाता राजपूत राजाओं की ही प्रशस्ति लिखते थे। यदि उस समय का इतिहास निष्पक्ष ढंग से लिखा जाता तो मीणों का आदर्श चरित्र, मातृभूमि के लिये प्यार एवं उनकी वीरता स्पष्ट रूप से हमकों पढ़ने को मिलती। इतिहास लेखन की त्रुटि एवं अभाव में उनका अतीत इतना मुखरित न हो सका जितना होना चाहिए।

भारमल द्वारा नहान के मीणा राज्य के विध्वंश का वर्णन कर्नल टाड के अतिरिक्त मुंशी देवी प्रसाद और हनुमान प्रसाद शर्मा ने भी किया है। हनुमान प्रसाद ने ''जयपुर राज्य के इतिहास'' में लिखा है कि ''नहान के मीणा राजा का उत्पात बहुत ज्यादा था। वह आमेर राज्य को सर्वदा हानि पहुँचाता रहता था।'' मुन्शी देवी प्रसाद ने अपनी पुस्तक ''आमेर के राज्य में भारमल के शासन का उल्लेख करते हुये लिखा है।'' आमेर के राजा भारमल ने बादशाह की हिमायत पाकर नहान मीणा राज्य पर चढ़ाई की। यह नहान शहर टोडा भीम के पहाड़ों में मीणों की बस्ती थी। इस शहर के बावन बुर्ज (कोट) एवं छप्पन दरवाजे थे। यहाँ एक मीणा राज करता था। जब उसने प्रजा से भूसा (चारा) का- कर मांगातो जनता नाराज हो गई। राजा भारमल इस अवसर की तलाश में था। अत: उसने नहान पर आक्रमण कर दिया और मीणों को मारकर सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस विजय से ढूंढाड़ से मीणों का राज्य समाप्त हो गया। अब वे राजपूतों के यहाँ नौकरी करने लगे। नहान राज्य के कारण राज्य में जो लूटमार होती रहती थी, वह भी बन्द हो गई। राजा भारमल ने शहर के पाँच दरवाजे तोड़कर उस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसी के पास लवाणनामक नया नगर बसाया।''

मुन्शी देवी प्रसाद जी के इस कथन में अधिक सच्चाई नहीं है कि भूसा पर कर लगाने से वहाँ की जनता नाराज हो गई। प्रजा का राव बादा को पूरी तरह से सहयोग था। इसी कारण राव बादा वर्षों तक भारमल व मुगलों की संयुक्त प्रबल सेना से लड़ते रहे। यह बात अवश्य है कि आस-पास के मीणा राज्यों पर भारमल का अधिकार हो जाने से राव बादा को कठिनाइयों का अवश्य सामना करना पड़ा। भयंकर अकाल की स्थिति एवं उस समय फैली महामारी से जनता का मनोबल अवश्य टूटने लगा। कुछ जयचन्द भी अवश्य रहे होंगे, जिन्होंने शत्रु की मदद अवश्य की होगी। कर्नल जेम्स टाड, हनुमान प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद के अतिरिक्त जगदीश सिंह गहलोत ने भी कछवाहों के इतिहास पृ. 63 पर लिखा है कि ''आमेर की हालत उस समय अच्छी नहीं थी। मीणा सरदारों ने राज्य में बहुत ही उत्पात मचा रखा था। मीणा लोग भारमल के अधीन नहीं रहना चाहते थे।''

''सन् 1562 की 14 जनवरी को जब मुगल सम्राट अकबर अजमेर की तीर्थयात्रा को निकला तब भारमल बादशाह से 20 जनवरी कं. सांगानेर में मिला। बादशाह ने आश्वासन दिया कि भारमल के सभी

कष्ट दूर कर दिये जायेंगे। इस पर भारमल ने अपने जेष्ठ राजकुमारी का विवाह बादशाह से करने का प्रस्ताव रखा जिसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया और 6 फरवरी 1562 को अजमेर से लौटते समय साँभर में विवाह समारोह सम्पन्न हुआ। साँभर में एक दिन ठहरकर अकबर आगरा चला गया।'' भारमल के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों से मीणा मेवासी संघर्षरत रहे और समय अनुकूल होने पर अपनी स्वतंत्रता का पूरा प्रयास करते रहे। कर्नल जेम्स टाड ने इनका वर्णन इस प्रकार किया है:-

पल्हण-पज्जूण जीते खड़े रोयाहि की,
मान्डू मलैसी जीते, रोड़ रो याँहि की।
राजा भगवानदास जीते में बासी लड़ी,
राजा मानसिंह जीते खोटन फौज दुबही।

यहाँ उल्लेखनीय है कि नहान नगर के नष्ट होने पर ''लवाण'' नगर कछवाहों ने बसाया था। शेरशाह सूरी के समय में लवाण नगर का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ के अधिपति मालदेव ने लवाण व उसके आस-पास के क्षेत्र सांभली, चाटसू, लवाण, मलारणा आदि पर विजय प्राप्त कर वहाँ पर अपने थाने स्थापित किये थे। भूरसिंह राठौड़ ने अपने पुस्तक ''राजस्थान राठौड़ साम्राज्य के उदय व विस्तार में इसका सविस्तार वर्णन किया है। मीणा राजाओं से मालदेव के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कई मीणा सरदार मालदेव के सैनिक अभियान में भाग लेते थे। सैनिक अभियान में विजित प्रदेशों पर मालदेव का अधिकार मान लिया जाता था, परन्तु लूट के माल में मीणा मेवासियों का हिस्सा रहता था।

पचवारा क्षेत्र के प्रसिद्ध मेवासी हड़पा डोबवाल के राव मालदेव से घनिष्ठ संबंध थे। मीणा इतिहास के लेखक स्वर्गीय रावत सारस्वत ने इसका उल्लेख किया है।

हड़पा ने हेपड़ हड़ी, गारथ राख्यो गौड़।
मुखां सरावै मालदे, रंग दै छे राठोड़॥

इससे स्पष्ट है कि मालदेव का मीणा राजाओं से निकट का संपर्क रहा होगा। लवाण आदि पर अधिकार कर कूटनीति से उसने मीणा राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। भारमल ने नहान विजय के बाद ''मलारना'' नामक गाँव बसाया होगा। यों ढूंढाड़ में मलारना नाम के कई गाँव थे। सवाई माधोपुर के निकट भी मलारना नामक दो गाँव हैं- एक डूंगर का मलारना। मलारना डूंगर दूसरा मलारना चौड़ जो बूँदी के निकट स्थित है। तीसरा एक मलारना सिंगवाड़ गाँव के पास दौसा और नई के नाथ के बीच स्थित है। भारमल ने किस मलारना को बसाया था। मुनिमगनसागर जी के अनुसार भारमल ने मलारना डूंगर बसाया था। नहान से दूर होने के कारण इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारमल ने दौसा के निकट वाला मलारना गाँव ही बसाया था।

नहान पर अधिकार करने के बाद भारमल ने अपने छोटे पुत्र भगवानदास को इस क्षेत्र का शासक नियुक्त किया, जिसने लवाण को अपनी राजधानी बनाया और ध्वस्त नहान नगर के परकोटों और महलों के भग्नावशेषों से लवाण नगर को सजाया गया। राव बादा के अतिरिक्त पुरातत्वविद कार्लाइल ने जगराम को भी नहान का राजा बताया है। इस संदर्भ में उसने एक लोकोक्ति का उल्लेख किया है।

ढूंढाड़ के दो धणीं के जयसिंह के जगराम।
वो तो महाबली वो दूजो भगवान॥

कार्लाइल के अनुसार जगराम मीणा राजा था और नहान पर राज करता था। इसके विषय में लेखकों ने विभिन्न मत प्रकट किये हैं। डॉ. प्रहलाद सिंह मीणा के अनुसार जगराम मीणा सवाई जयसिंह का एक विश्वस्त अधिकारी था। सवाई जयसिंह तक जयपुर रियासत में मीणा सरदारों का बहुत अधिक प्रभाव था। रियासत के राजा महाराजा मीणों की शूर-वीरता से अत्यधिक प्रभावित थे।

सभी तरह से पराजित होने पर मीणा सरदारों ने आमेर राज्य की सुरक्षा भार संभाल लिया। कठिन से कठिन कार्य को सरलता से करने में मीणा सरदारअपनी विशेष पहिचान रखते हैं। इस संदर्भ में हीदाजी मीणा का शौर्य पूर्ण कार्य यहाँ उल्लेखनीय है।

हीदाजी मीणा (1688-1743)

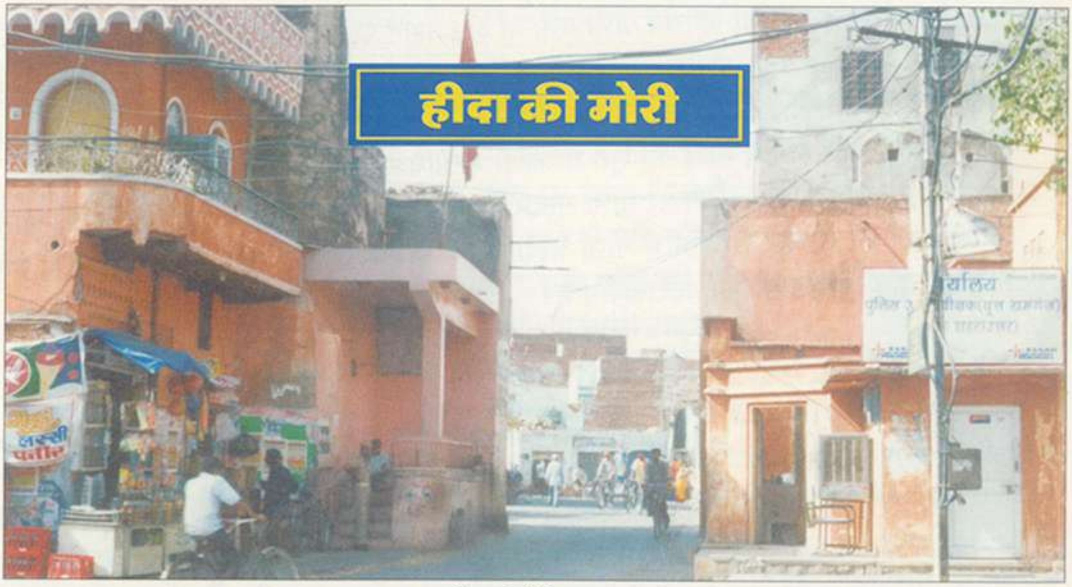
यद्यपि कछवाहा शासकों ने मीणा राजाओं को छलकपट से जीतकर धोखे से उनका भीषण नर संहार किया था परन्तु सहृदय अनेक मीणा सरदारों ने कछवाहों के अपकार का बदला उपकार से चुकाया। कठिन परिस्थितियों में ये ही लोग आमेर राज्य की सुरक्षा को सर्वदा उद्यत रहे। इस प्रकार के सुहृदय उपकारी मीणा सरदारों में हीदा जी मीणा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आप जयपुर राज्य के संस्थापक सवाई जयसिंह के समकालीन थे।

सन् 1727 ई. में सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाने के बाद यज्ञ किया। यज्ञ के प्रारंभ में दक्षिण से काँची स्थित विरदाराज विष्णु की मूर्ति लाने की समस्या खड़ी हो गई। यह यज्ञ आमेर व जयपुर के मध्य कनक-वृन्दावन में होना था। अत: हजारों किलोमीटर की दूरी से विरद राज विष्णु की मूर्ति लाना कोई आसान काम नहीं था। उस समय मीणा जाति बहुत ही प्रभावशाली थी। वीरता व चतुराई में वह सबसे आगे थी। अत: मूर्ति लाने का कार्य सवाई जयसिंह ने हीदा जी को सौंपा। हीदा जी दबंग एवं निडर व्यक्ति थे। अपने चुने हुए साथियों को लेकर वे काँजी कोटी धाम पहुंचे गये। वहां से संघर्ष कर विशाल मूर्ति को अपने कंधे पर रखकर यज्ञ स्थल पर ले गये। यह मूर्ति अष्ट धातु की बनी हुई है, जो आज भी कनक वृन्दावन के निकट पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर में प्रतिष्ठित है।

इस शौर्यपूर्ण कार्य के लिये जयपुर नरेश ने जमवारामगढ़ के निकट साईवाड़ की जागीर दी। जयपुर में हीदाजी की मोरी आज भी इनका स्मरण कराती है। आप झरवाल गौत्र के मीणा थे। इनके बाद भी इनके वंशज राज्य एवं समाज सेवा में अग्रणी रहे। इस वंश के लक्ष्मीनारायण झरवाल, सांगानेरी दरवाजे बाहर, मोती डूंगरी रोड, काली माता के मन्दिर के पास, जयपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल मीणा समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

यह हम विस्तार से जान चुके हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने भारमल की सहायता कर, मीणा जाति के अंतिम शक्तिशाली राज्य नहान को नष्ट कर दिया था। इसके बाद भी जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब ने मीणों को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी हिन्दू विरोधी नीति के कारण मीणों पर भी आपत्ति के पहाड़ टूट पड़े। केवल हिन्दू मेर तथा मेव पर ही इसने अत्याचार नहीं किये वरन् मीणों से मुसलमान बने मेवातियों पर भी औरंगजेब ने अनेक अत्याचार किये थे, क्योंकि वे उदारवादी शिया सम्प्रदाय में विश्वास रखते थे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी था।

हीदा की मोरी



हीदा की मोरी, जयपुर

औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता अस्ताचल की ओर जा रही थी। ऐसी स्थिति में राजपूत जाट तथा सिक्खों ने अपने अर्द्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये थे। उस समय मीणा सरदारों ने पुन: अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया, परन्तु वे अपनी मान मर्यादा के साथ राजपूत राज्यों की रक्षा में ही अपनी शक्ति लगाने लगे। सवाई जयसिंह जी के समय से ही मीणा सरदार जयपुर राज्य के संरक्षक के रूप में कार्य करने लगे। अब वे कछवाह राज्य को अपना ही राज्य मानने लगे। फलस्वरूप आगे चलकर इनको राज्य के अंतरंग सलाहकारों में स्थान दिया जाने लगा। सवाई माधोसिंह जी के समय सांवताजी मीणा राज्य में उच्च पद प्रथम इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस प्राप्त कर चुके थे। इन्होंने सभी कार्य पूरी निष्ठा से किया।



जयपुर शहर की सुरक्षा का भार 27 चौकियों मे मीणा-प्रमुख सरदारों का 1928 में लिया गया चित्र

विपरीत परिस्थितियां में भी मीणा जाति का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम यथावत बना रहा। अभी उनमें चारित्रिक श्रेष्ठता एवं सैनिक गुण विद्यमान थे। राजपूत राजा इस्ट इण्डिया कंपनी के जाल में न फंसकर मीणा जाति की स्वतंत्रता की भावना को एकजुट करते तो अंग्रेजों का शासन बहुत पहले ही समाप्त हो जाता। राजाओं द्वारा विदेशी शासन की अधीनता स्वीकार करने पर भी मीणा जाति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सर्वदा संघर्षरत रही। इस संदर्भ में मेवात मीणों की स्थिति उल्लेखनीय है। भरतपुर की आसपास की जनता ने जब मुगलों के विरूद्ध अपनी तलवार उठाई तो मेव मीणों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर जाटों का साथ दिया। उस समय ''लाठमकी'' गाँव का कुल्हैन गोत्र का मेव मीणा अली आजम खाँ 360 गाँवों का जमींदार था। भारत का प्रसिद्ध जाट राजा भरतपुर नरेश सूरजमल उसे भैया कहकर पुकारता था। इस संदर्भ में एक लोकोक्ति अभी तक प्रचलित है-

''अली आजमी चौधरी बडा तुम्हारा दिल।
भैया कहकर बोलता दाऊ सूरजमल ॥

मीणा सरदारों की छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर मीणा जाति सर्वदा से ही स्वतंत्रता का प्रयास करती रही। यद्यपि जयपुर नरेश भारमल की नीति पर चलकर राजपूत ईस्ट इण्डिया कंपनी के गुलाम बन चुके थे, परन्तु स्वतंत्रता प्रिय मीणा जाति ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का भरसक प्रयास किया जिसका विस्तृत वर्णन हम अगले पृष्ठों में पढ़ेंगे।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की इस आदिम जनजाति ने अपनी स्वतंत्रता के लिये आर्यों, शिवि, अर्जुनायना आदि गणराज्यों, शकों, हूणों राजपूतों तथा मुस्लिम शासकों से अपनी स्वतंत्रता के लिये निरंतर संघर्ष किया। प्रारंभिक मुस्लिम शासन में (सुल्तान काल 1266-1526 ई.) इस जाति की स्वतंत्रता की भावना को दबाने के घोर अत्याचार किये गये। जनरल कनिंघम के शब्दों में, ''मुसलमान राज की प्रारंभिक सदी में मेवों का निर्दयातापूर्वक संहार किया गया। उनका पीछा करके हजारों की संख्या में उनको मौत के घाट उतार दिया।'' नासिरूद्दीन के मंत्री उलगू खाँ ने मेवात की पहाड़ियों पर आक्रमण किया। इनको बदमाश चोर एवं डाकू के नाम से संबोधित किया गया और इनको मौत के घाट उतारने का अभियान चलाया गया। प्रत्येक सिर के लिये एक चांदी का टंका तथा जीवित बन्दी बनाने के लिये दो चाँदी के टंके दिये जाते थे। उन्हें हाथी के पाँवों से कुचलाया गया। कोड़े मारकर कर उनकी चमड़ी उधेड़ी गई। मुसलमान इतिहासकारों ने भी लिखा है कि ''ऐसी क्रूरता न तो देखी गई और न सुनी गई।'' आगे चलकर मुगलशासन में मीणों एवं मेवातियों का क्रूरता से दमन किया गया। राजपूतों ने भी मुगलों का साथ दिया। मुगल सम्राट बाबर मेवों के बारे में कहा करता था ''पहले लात फिर बात।''

इतनी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को तिलांजलि नहीं दी। जब विजेता जाति की शक्ति क्षीण होती तो वे पुनः उठ खड़े होते थे। कर्नल जेम्सटाड के इस कथन में बहुत कुछ सच्चाई है कि 18वीं व 19वीं सदी का मीणा वैसा ही साहसी है, जैसा वह बारहवीं सदी में था। बारहवीं सदी के मीणा वीरों के शौर्य का वर्णन करते

हुए टाड ने लिखा है कि, ''अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज और मन्दौर के परिहार राजा नाहुराव के बीच हुये युद्ध में मीणा सरदार परबत मीणा ने चार हजार धनुर्धारियों के साथ राजा नाहुराव का साथ दिया था। इस युद्ध में मीणों के शौर्य का वर्णन करते हुये पृ. 270 पर लिखते हैं कि ''इस युद्ध में परबत मीणा ने नहुराव के अरावली दर्रे की रक्षा करने का वचन दिया था। मीणा सैनिकों ने अपने नेता परबत मीणा के नेतृत्व में जिस साहस व शौर्य का परिचय दिया है, उसका वर्णन चन्दरबरदाई ने ''पृथ्वीराज रासो'' में भी किया है।''

हल्दीघाटी के युद्ध का शौर्य गाथा

यह एक ऐतिहासिक तथ्य हैं कि मीणा जाति ने विदेशी आक्रांताओं से कभी समझौता नहीं किया। जब भी विदेशी शासकों से लोहा लेने का अवसर आता वे सर्वदा तैयार रहते थे। जब महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की तब आदिवासी भील-मीणा जाति ने प्रताप के स्वतंत्रता संग्राम में पूरी मदद की। हल्दीघाटी के युद्ध में मेरपुर के राणा पूजा के नेतृत्व में एक पूरी सैनिक टुकड़ी मीणों की थी। उस समय भील व मीणों में कोई भेद नहीं था। जयसमंद आदि क्षेत्र के आदिवासी भील मीणा ही कहलाते थे। अरावली पर्वतमाला में प्रताप के सैन्यदल एवं परिवार की सेवा सुश्रुषा में मीणा जाति के लोग ही अधिक थे। छापामार युद्ध प्रणाली में ये लोग सिद्धहस्त थे। मुगल शिविरों का खजाना लूटना एवं रसद काटना इनकी ही काम था।

मुगल सेना की गतिविधि की सभी सूचना प्रताप तक यही जाति पहुँचाती थी। खेराड़ के मीणों ने मुगलों से जमकर लोहा लिया था। इस तरह मेवाड़ की मानमर्यादा की रक्षा में इस आदिम भील मीणा जाति का योगदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। यदि प्रताप की भाँति भारमल एवं उसके वंशज मुगलों की अधीनता स्वीकार न कर अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिये मुगलों से संघर्ष करते तो मीणा जाति इसमें अपने गौरव का अनुभव करती। परन्तु कछवाहा शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के स्थान पर स्वतंत्रता प्रिय मीणा जाति के अंतिम शक्तिशाली नहान राज्य को नष्ट करने जैसा निन्दनीय कार्य किया।

मीणा- मराठा संघर्ष

कर्नल जेम्स टाड के अनुसार मेर (मीणों) मुगलों के शासन के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे। राजपूत राजा इनसे सदा भयभीत रहते थे। 1761 ई. में पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमदशाह अब्दाली द्वारा पराजित होने पर मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। उस समय मेवाती मीणों ने फिर अपनी शक्ति संचय करना शुरू कर दिया था। बड़ोदा स्टेट रेकार्ड्स के अनुसार मेवाती मीणों को मेवासी कहा जाता था। इन मेवासियों के प्रभुत्व से गुजरात के भी कितने ही राज्य संकट में पड़ गये थे। सिकलेकशन फ्रोम बड़ोदा रेकार्ड्स के अनुसार ब्रड़ नगर (गुजरात) तालुकेदार के राव बीसजी ने बड़ोदा राज्य को सूचित किया कि पालनपुर का नवाब और मेवासी फिर उठ खड़े हुये हैं जिससे बीस नगर की शांति भंग होने लगी है। सन् 1778-79 के बीच सियाजी राव प्रथम तथा फतहसिंह के शासन में विशेषकर गुजरात में मराठा शासकों के लिये मेवासी मीणें अशांति के कारण बने रहे।

सिलेक्सन्स फ्रोम बड़ोदा स्टेट रेकार्ड्स देखने से विदित होता है कि इन संकट के समय मेवासी लोग

अपनी परंपरा के अनुसार ही किसी न किसी दल के साथ सांठ-गांठ करना प्रारंभ कर देते थे। केशर खां राठोड़ ने 24.1.1797 ई. को फतहसिंह राव को सूचित किया कि अंग्रेजों ने कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया है और तिलकवाड़ पर भी अधिकार करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सभी को संगठित होकर काम करना चाहिए। बड़ोदा स्टेट रेकार्ड्स से स्पष्ट है कि 30.5.1792 से लेकर 22.10.1797 तक मेवासी क्रांतिकारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और उन्होंने तिलकवाड़ को लूट लिया।

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गुजरात को अधिक समृद्धिशाली और उपजाऊ समझकर राजस्थान के मीणा क्रांतिकारियों ने गुजरात को अपना क्षेत्र बनाया। मराठा शासकों ने इनके साथ भी वही चाल खेली जो उन्होंने भील, गिरासिया आदि जनजातियों के साथ खेली थी। कनिंघम ने न्यू इण्डियन एन्टीकवेरी में लिखा है कि मराठों पर भारी दबाव के बाद भी उनकी स्वच्छन्द प्रकृति में अंतर नहीं आया। राजपूताने में भी बूँदी के पहाड़ों में रहने वाले मीणें मराठा सेना के लिये सरदर्द बने रहे। उन्होंने पशुओं के लिये चारा तथा सेना के लिये रसद एकत्रित करने वालों को भी लूटना शुरू कर दिया। सन् 1809 में मराठा सेना के कैप्टिन ब्राऊटन ने मीणों के आतंक का आँखों देखा हाल अपने पत्रों में लिखा है। वे लिखते हैं कि ''मीणों के डर से मराठा सेना को सदैव सतर्क रहना पड़ता था। पहाड़ी मीणों ने उस समय मराठा सेना के नाक में दम कर दिया था।''

इस स्थिति का परिणाम यह निकला कि पशुओं के लिये थोड़ा सा चारा मिलना भी कठिन हो गया था। चारे के अभाव में मराठा सैनिक अपने घोड़ों को लेकर देवली चले गये और महादाजी सिंधिया को लिख भेजा कि जब तक मीणों को नियंत्रण में न किया जायेगा हम देवली छोड़कर बूँदी नहीं आयेगे। अन्त में महादाजी सिंधिया को सुरक्षा हेतु गाँव के मुखिया मीणा से समझौता करना पड़ा। इसके अनुसार 500 मीणे मराठा सेना में भर्ती किये गये और इसके लिये अलग सैन्य टुकड़ी बनाई गई। इस सेना का मुख्य कार्य यह था कि जंगलों में चारा दाना एकत्रित करने वालों की रक्षा करे। यह उपाय मराठों ने सोच समझकर उठाया ताकि लूटमार करने वालों को ही रक्षा का भार सौंपा जाये। आमेर के कछावा राजाओं ने भी यह समझकर मीणों को गढ़ों महलों तथा कोषागार तक कि चौकीदारी सौंपी थी। शेखावटी क्षेत्र में भी मीणों को इसी प्रकार के कार्य सौंपे गये।

महादाजी ने स्वछंद प्रकृति वाले मीणों को सेना में भर्ती कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया वरन् वे ऐसा करने के लिए विवश थे, क्योंकि महादाजी की सेना ने प्रच्छन्न रूप से बगावत कर दी थी। परन्तु आगे चलकर महादाजी ने समझौते के अनुसार मीणा सैनिकों को वेतन नहीं दिया। फलतः मीणों ने स्पष्ट कर दिया कि उनको रूपये शीघ्र न दिये गये तो वे अपने ढंग से रूपया वसूल कर लेंगे। कनिंघम ने अपनी पुस्तक न्यू इण्डियन एण्टीक्वेरी में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया है। ''महादाजी ने मीणों की चुनौती को सुनी अनसुनी कर दी जिससे मीणा सरदार मराठा सेना छोड़कर चले गये और पहले की भाँति ही उपद्रव करने लगे। ये असहाय सेनाओं पर दिन व रात कभी भी टूट पड़ते थे। एक समय बैप्टिस्टे नामक पुर्तगाली कमाण्डर जो मराठा सेना में था, मीणों से बुरी तरह घेर लिया गया और उसके शस्त्र भी छीन लिये जाते यदि कोटा के जालम सिंह बीच में न पड़ते। जालम सिंह ने बीच बचाव करके मराठा सेना को रास्ता दिखाया।

महादाजी ने इस स्वतंत्रता प्रेमी मीणों के इस व्यवहार से दुखी होकर दो हजार मराठा सेना का एक

दल स्थापित किया और मराठा राज्य के उत्तराधिकारी राजा देशमुख ने इसका नेतृत्व किया। इस आक्रमण से मीणे कुछ समय तक तो शांत अवश्य रहे, परन्तु मराठों का यह प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। 1858 ई. के आस-पास अंग्रेजों ने मराठा राज्य को समाप्त कर दिया था। मेवात में भी मराठों ने मेवों पर अत्याचार किए। कनिंघम ने आर्क्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया में तो यहाँ तक लिखा कि मराठों ने मेवों को जीवित ही दीवालों में चिनवा दिया था। इससे भी उनके स्वभाव में कोई अन्तर नहीं आया और वे निरन्तर इसका विरोध करते रहे। इससे यह स्पष्ट है कि मराठों में ऐसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं रहा, जो मीणों की प्रबल शक्ति का दमन कर सकता।

मराठे जयपुर नरेश सर प्रताप सिंह के समय जब जयपुर पर धावा बोलने वाले थे- तब तुंगा के स्थान पर मोर्चा रोककर मराठों का सामना मीणों ने ही किया था। इस अभियान में मीणा लोग ही सबसे आगे थे। मराठों को पराजित कर जयपुर राज्य की रक्षा की। इस युद्ध का विवरण इस प्रकार है:-

तूंगा के युद्ध में मीणों का शौर्य

मुगल सम्राट शाह आलम की ओर से जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने मराठा से मोर्चा लिया था। जयपुर की सेना में मीणों की संख्या अधिक थी। सेना के प्रतिनिधित्व पेमा झरवाल कर रहे थे। इन्होंने ग्वालनी ग्राम में शिविर स्थापित किया, यहां के मीणें बहुत ही शूरवीर थे। मीणें मराठा शिविर में घुस गये और वहां से तीन हाथी पकड़कर महाराज प्रताप सिंह के पास ले गये। महाराजा मीणों की बहादुरी पर बहुत प्रसन्न हुये और इनको 500 रुपये और सिरोपाव से सम्मानित किया। माधवराव सिंधिया की सेना को पीछे खदेड़ने में मीणों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। मीणों की सहायता से मराठों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही जयपुर नरेश प्रताप सिंह का मुगल सम्राट शाह आलम ने रेवाड़ी नामक स्थान पर प्रताप सिंह जी से भेंट की और इन्हें सिरोपाव प्रदान किया। इस युद्ध में राव चतुर जी एवं पेमाजी झरवाल ने चार हजार मीणा सैनिकों का नेतृत्व किया और मराठों को पराजित किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. दिल्ली सल्तनत डॉ. आर्शीवादी ला श्रीवास्तव पृ. 17-18 पृ. 119-120
2. भारत का वृहद इतिहास द्वितीय भाग खण्ड प्रथम पृ. 120 प्रो. श्री नेत्र पाण्डे।
3. पूर्व मध्यकालीन भारत पृ. 7 डॉ. ए. बी. पाण्डेय।
4. अकबर नामा-जिल्द 2 अबुलफजल
5. एनाल्स एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान जिल्द- 2 पृ. 283 कर्नल जेम्स टाड
6. आर्क्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया जि. 2 पृ. 29-30 (1882-83) कनिंघम
7. बूँदी गजेटियर (1994) पृ. 30-31
8. मीणा जाति का इतिहास पृ. 180-184
9. मीणा जनजाति एक परिचय पृ. 62

❑❑❑

अध्याय 4

अंग्रेजों से संघर्ष

उन्नीसवीं सदी में भी मीणों का अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार, अपनी स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना का दृढ़ संकल्प यथावत् चलता रहा। उनके चारित्रिक एवं सैनिक गुणों का स्रोतों अभी समाप्त नहीं हुआ था। आर्यों, मालव, शिवि और अर्जुनायन गणराज्यों के साथ विदेशी आक्रमणकारी, शक, पार्थियन, यूनानी हूणों के आक्रमण का भी उन्होंने सामना किया। राजपूत व मुस्लिम शासकों द्वारा पराजित होने पर भी मीणा लोग अपनी स्वतंत्रता व स्वायत्ता का निरंतर प्रयास करते रहे। अन्य आदिवासी जातियों की भाँति, अपने विजेताओं की शक्ति क्षीण होने का पूरा-पूरा लाभ उठाने में मीणा समाज कभी पीछे नहीं रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मीणा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिये पुन: सक्रिय हो गये।

ईस्ट इण्डिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने आई थी। परन्तु यहाँ की फूट, भारतीय शक्तियों के परस्पर द्वेष के कारण ईस्ट इण्डिया कंपनी ने एक-एक करके दक्षिण तथा उत्तर की भारतीय शक्तियों को प्राय: शक्तिहीन बना दिया। देशी राजाओं का अंग्रजों की शरण में जाने का कारण यह भी था कि मीणा लोग राजपूतों द्वारा उनके हथियाये गये राज्यों को पुन: प्राप्त करने की चेष्टा करने लग गये थे। जब अनेक देशी नरेश लार्ड वेलेजली की सहायक संधि के फंदे में फँस गये, तब मीणों ने पुन: अपना आक्रामक रूख अपना लिया। वे देखना चाहते थे कि अपने आश्रित राजाओं की कंपनी शासन किस प्रकार रक्षा करता है? कंपनी और मीणों के बीच संघर्ष के दो प्रमुख कारण थे। कंपनी द्वारा अभयदान प्राप्त राजाओं के राज्य में लूटपाट करना तथा देशी नरेशों की राजनीति में कंपनी के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध करना। मीणों की स्वातंत्र्य भावना को अनेक असंतुष्ट स्थानीय जागीरदारों व सामन्तों का भी बराबर सहयोग मिलता रहा।

1764 ई. में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि से मुगल सत्ता प्राय: शक्तिहीन हो गई थी। ऐसी स्थिति से राजपूत राज्यों ने लाभ उठाकर कंपनी की दासता को ही श्रेयस्कर समझा। इससे स्थानीय जनता का देशी राजाओं पर अंकुश धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। स्वतंत्रता प्रेमी मीणा तथा अन्य वर्ग के लोग इसे सहन न कर सके। अत: उन्होंने अंग्रेजों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिये राजस्थान व मध्य भारत के स्वतंत्रता प्रेमी लोगों ने एक दल बनाया जिसे इतिहास में पिण्डारी दल कहते हैं। यह दल उन लोगों से बहुत नाराज था जो अंग्रेज के गुलाम बन चुके थे। इस पिण्डारी दल में मीणों की संख्या भी कम नहीं थी। इनसे भी इस दल में मीणों से मुसलमान बने मेव लोगों की संख्या अधिक थी। सहायक संधि के बाद देशी राज्यों से निकाले गये सैनिक भी पिण्डारी दल में आ गये थे। अंग्रेज लेखकों ने इसे लूटपाट करने वाला दल बताया, परन्तु वास्तव में ये स्वतंत्रता प्रेमी थे, जो मराठों से मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे।

लार्ड हेस्टिंग्ज ने पिण्डारी दल के साथ-साथ स्वतंत्रता प्रेमी मीणा लोगों के दमन के लिये कठोर कदम उठाये। स्लीमेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों को चारों ओर से घेरने के लिये एक लाख सेना तैयार की गई। इसका उद्देश्य अपने आश्रित राजाओं की रक्षा करना था। कर्नल टाड के अनुसार कंपनी की सेना ने मीणों के ठिकानों को घेर लिया और इन्हें आत्मसमर्पण के लिये बाध्य किया। अकेले मीणों को

कंपनी सेना में भी भर्ती किया गया। परन्तु स्वतंत्रता प्रेमी अपनी मातृभूमि के प्यार से कभी विमुख न हो सके। अनेक अवसरों पर उन्होंने विदेशी शासन को हटाने का पुरजोर प्रयास किया, यदि स्थानीय शासक इनका नेतृत्व करते तो देश का इतिहास कुछ और ही होता पूरी ताकत लगाने पर भी कंपनी शासन इन स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के भय से मुक्त न हो सका।

लगभग पूरी अठाहरवीं सदी तक मीणा एवं मेवाती अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिये संघर्षरत करते रहे। पुरातत्ववेता कनिंघम अपनी पुस्तक ''आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया'' में मीणा आतंक का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ''1807 ई. तक अंग्रेजी शासन के जिलों के नागरिक मेवातियों से इतने भयभीत थे कि रेवाड़ी सेना के सैनिक बिना किसी सहायक दल के बाहर निकलने का साहस नहीं करते थे। मेवातियों ने दिल्ली के लाल किले तक धावा बोलना शुरू कर दिया था।'' एडवर्ड थॉर्नटन ने इण्डिया गजेटियर जिल्द एक पृष्ठ 99 पर लिखा है कि ''यद्यपि लाल किले के पास अंग्रेजों की सैनिक छावनी थी, फिर भी मेवाती निडर होकर दिल्ली पर धावा बोलते थे।'' मेवातियों के आतंक से भयभीत होकर दिल्ली के अंग्रेज रेजिडेन्ट मिस्टर सेटोन द्वारा मेवाती मुखियाओं के साथ एक समझौता किया गया, जिससे उनकी लूटमार तथा उपद्रव की प्रवृत्तियों पर कुछ रोक लगी। परन्तु दण्डात्मक प्रवृत्तियों से मीणा कभी नतमस्तक नहीं हुए।

अजमेर मेरवाड़ा के मेरों ने अंग्रेजों के विरूद्ध मोर्चा खोल दिया था। अजमेर सुपरिन्टेन्डेट पुलिस वाल्टर ने झाक, शामगढ़, ललुआ आदि गाँवों के मेर मुखियाओं से समझौता किया, उसमें अंग्रेजों के विरूद्ध आक्रमण न करने की शर्त रखी गई, परन्तु शर्तनामें की धज्जियें उड़ाते हुये मेरों ने उपद्रव जारी रखा। अन्त में मेरों के दमन के लिये 1819 ई. में नसीराबाद छावनी से अंग्रेजी सेना बुलाकर ही मेरों का दमन किया गया और मेर परास्त हुये। अजमेर सेटलमेन्ट रिपोर्ट में इसका विस्तृत वर्णन है। 1821 ई. में मेरों ने पुन: जोर पकड़ा और अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी थानों को लूट लिया गया और पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तीन माह तक अंग्रेजों से मेरों का संघर्ष चलता रहा। जनवरी 1821 ई. में रियासती व अंग्रेजी सेना ने मिलकर बड़ी कठिनाई से मेरों के विद्रोह को दबाया।

इधर मेवाड़ में भीम आदि क्षेत्र के मीणें महाराणा के शासन को निरंतर चुनौती देते रहे। अत: उसने अंग्रेजों से सहायता माँगी। फलस्वरूप कर्नल जेम्सटाड ने महाराणा के नाम मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र का शासन संभाला और टाटगढ़ में किला बनाकर वहाँ 600 बन्दूकधारियों की सेना खड़ी की। उदयपुर के महाराणा ने 76 गाँवों का बन्दोबस्त करने के लिये 15000 रुपये देकर 10 वर्ष के लिये शासन अंग्रेजों को सौंप दिया। इसी प्रकार का समझौता जोधपुर महाराजा ने भी अंग्रेजों से किया वहाँ के गाँवों की व्यवस्था मिस्टर वाइल्डर ने संभाली। इन शर्तनामों की अवधि बढ़ती गई और मेरवाड़ा अंग्रेजों के अधिकार में चलता रहा। ब्रिटिश शासन से भी इसका निरंतर संघर्ष चलता रहा। राजू रावत के नेतृत्व में अंग्रजों के विरूद्ध विद्रोह भड़क उठा। राजू को बड़ी कठिनाई से पकड़ा गया और उसे फाँसी दी गई। मेरवाड़ा के गीतों में राजू की विरदावली अब तक गाई जाती है।

शक्ति से जब मेरों को दबाया न जा सका तो हाब नामक एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा मेरों को विश्वास में लेने के लिये मेरों के दीवानी व फौजदारी झगड़े निपटाने की योजना उनकी पंचायत से ही कराने की बनाई गई। इससे अंग्रेज शासन के प्रति मेरों का विश्वास जाग्रत होने लगा। इसके बाद कर्नल डिकसन ने

1842 ई. में मेरवाड़ा के मेरों को शांतिप्रिय बनाने का जी तोड़ प्रयत्न किया। मेवाड़ शासन की ओर से भी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी लाल जोशी को भीम का सहायक जिलाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने सद्व्यवहार से मेरों को मेवाड़ के शासन के अनुकूल बनाया। इन सभी शांति प्रिय प्रयत्नों का परिणाम यह निकला कि 1857 ई. में मेरों ने अंग्रेज बाल बच्चों की रक्षा की।

इसके बाद मेरवाड़ा के मेर खेती बाड़ी में लग गये और पहाड़ों से निकलकर शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करने लगे। इस कार्य में ब्यावर कमिश्नर डिक्सन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी लोकप्रियता का प्रमाण ब्यावर में डिक्सन की छतरी है। अंग्रेजों ने कई मुसलमान बने चौहान मीणों को उनके गाँवों में इस्तमरार (जागीरदार) नियुक्त किया, जिनमें राजावासी, नानसर केकड़ी व अजयसर के इस्तमरार प्रसिद्ध है। इतने पर भी मेर लोग आसानी से अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। इनके दमन के लिए 1842 ई. में समस्त मेरवाड़ा प्रदेश में पुलिस चौकियां स्थापित की गई। इसका समस्त व्यय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी को देना पड़ा क्योंकि मेरों को दबाने में उनका शासन असफल रहा।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

सन् 1818 ई. से ही सहायता संधि की जाल में फँसकर राजस्थान के बड़े -बड़े महाराजा अंग्रेजों की शरण में जा चुके थे। परंतु यहाँ के आदिवासी विशेषकर मीणा जाति ने कभी विदेशी शासन स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनको साधन सुविधा के स्थान पर अपनी परंपरा व लोक-संस्कृति अधिक प्यारी थी। यह विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं कि शेखावाटी ढूंढाढ़ खेराड़ एवं तोरावाटी के मीणों ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। 10 मई 1857 ई. को मेरठ में मंगलपाण्डे ने स्वतंत्रता का उद्‌घोष कर अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया तो क्रांति की ज्वाला तीव्र गति से धधकने लगी। ऐसे में 10 मई की क्रांति एक आकस्मिक घटना थी जो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध से प्रारंभ हुई। परंतु क्रांति बीज पहले ही बोये जा चुके थे। इसके लिये वर्षों से तैयारी चल रही थी। साधु व फकीर गाँव-गाँव घूमकर अंग्रेजी राज के विरुद्ध लोगों में भावना भर रहे थे। कमल का चिन्ह सैनिकों को स्वतंत्रता संग्राम में उतरने का सीधा निमंत्रण था तो रोटी का चिन्ह आम जनता को क्रांति में भाग लेने को प्रोत्साहित कर रहा था।

क्रांति में आदिवासी जनता ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया क्योंकि अंग्रेजी शासन से उन्हे सबसे अधिक हानि थी। पहले राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व आदिवासी मीणा जाति पर ही आश्रित था। परंतु देशी राजाओं को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होने से इनका प्रभाव कम होने लगा। अंग्रेजी राज में नवीन औद्योगिक नीति से परम्परागत उद्योग धन्धे चौपट होते जा रहे थे। नमक एवं अफीम का व्यवसाय सीधा अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत चला गया था। भूमि किसानों के हाथ से निकल कर पूंजीपूतियों एवं जमीदारों के हाथ में जा रही थी। आदिवासी किसान तिहरी गुलामी में जी रहे थे। राजा महाराजा अपने निजी खर्च का समस्त भार किसान जनता पर डालते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में जनक्रांति के लिये उचित वातावरण तैयार होता जा रहा था।

इधर कुछ स्वाभिमानी सामन्त भी अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुये कि बड़े राजा महाराजाओं को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होने से इनका प्रभाव कम होता जा रहा था। ब्रिटिश शासन की स्थानीय व्यवस्था में रात-दिन के हस्तक्षेप से भी कुछ सामन्त अंग्रेजों से नाराज थे। इनमें आउवा के ठाकुर कुशल सिंह सलूंबर, कोठारिया, आसोव गूलर के सामन्तों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये अकेले सामन्त

अंग्रेजी शासन से लोहा कैसे ले सकते थे? इनकी शक्ति तो आदिवासी जनता ही थी। यह हम देख चुके हैं कि डूंग जी-जवारजी के साथ मीणा जाति के लोग ही अधिक थे। उस समय भारत के प्रत्येक कोने में आदिवासी जनता अंग्रेजी शासन की घोर विरोधी थी। संथलों ने तो विदेशी शासन का डटकर विरोध किया। बिहार की मुण्डा जाति ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध शस्त्र उठा रही थी।

यहाँ यह विचारणीय प्रश्न है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में सामन्तों के शौर्य का तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है परंतु जिस मीणा जाति के बल पर सामन्त अंग्रेजों से लड़ रहे थे उनका इतिहास में बहुत कम उल्लेख मिलता है, क्योंकि उच्च वर्गों के लोगों को ही सफलता में अधिक स्थान मिलता आया है। अत: यह अभी तक शोध का विषय बना हुआ है कि मीणा जाति का इस क्रांति में क्या योगदान रहा? परंतु यह निश्चित है कि क्रांति के पहले भी खैराड़ के मीणों ने अंग्रेजी शासन और उनके आश्रित मेवाड़ के महाराणा की सत्ता को गंभीर चुनौती दी थी। इसी तरह तोरावाटी के मीणों, विशेषकर शाहजहाँपुर के रणबाँकुरों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। जयपुर में मार्टिन ब्लेक का वध मीणों द्वारा किया गया था। यह उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं हुआ परंतु अपने स्थानीय शासन की रक्षा के कारण किया गया था। अत: इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति में मीणा जाति का अवश्य योगदान रहा होगा। जब वे सामान्य दिनों में ही विदेशी शासन के विरोधी थे तो क्रांति के समय में वे कैसे चुप बैठ सकते थे? राजस्थान में भारत के अन्य प्रान्तों की भांति क्रांति का श्रीगणेश सैनिक छावनियों से ही हुआ, परन्तु धीरे धीरे स्थानीय जनता भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती रही। इनमें निश्चित रूप से आयुध जीवी मीणां जाति का अवश्य हाथ था। राजस्थान में जहां सैनिक छावनियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्जवलित की वे क्षेत्र आदिवासियों के ही थे, जिनकी संक्षिप्त झाँकी इस प्रकार है–

जयपुर में मार्टिन ब्लेक की हत्या

हम देख चुके हैं कि धीरे-धीरे राजस्थान के सभी राजा अंग्रेजों की सहायक संधि में फंस चुके थे। कहने को तो इस संधि के अनुसार राजाओं का स्वशासन का अधिकार प्राप्त था, परन्तु वायसराय एवं रियासतों में नियुक्त रेजीडेन्ट राज्य के रात दिन के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहते थे। विशेषकर जब अल्पव्यस्क राजा गद्दी पर बैठता था तब शासन में सहायता के नाम पर ब्रिटिश शासन के पिछलग्गुओं को ही कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया जाता था। राजाओं के परस्पर द्वेष एवं उत्तराधिकार के संघर्ष के समय अंग्रेज अपना कुचक्र सर्वदा चलाते रहते थे। अंग्रेजों के राज-काज में इस तरह के अनुचित हस्तक्षेंप को स्वतंत्रता प्रेमी लोग सहन करने को कभी तैयार नहीं थे।

जयपुर रियासत के समस्त क्षेत्र की सुरक्षा का भार मीणा जाति पर था। ऐसे ढूंढाड़ के पूरे क्षेत्र पर मीणाओं का ही शासन था। राजपूतों ने छल प्रपंच करके एक-एक करके मीणाओं के स्वतंत्र राज्यों को समाप्त किया था। परन्तु शासन में मीणा जाति का वर्चस्व स्वीकार कर लेने के बाद मीणा जाति के लोगों ने अपने आपको रियासत के शासकों के अनुकूल बना लिया और राज्य के हितों की रक्षा के लिये सजग प्रहरी के रूप में विख्यात हुये। खजाने की रक्षा का भार इन्हीं चरित्र के धनी मीणाओं पर था तो शहर के अंदर शांति स्थापना का भार इन्हीं चरित्र के धनी मीणाओं पर था तो शहर के पास शांति स्थापना का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर था। इस कार्य के लिये जयपुर शहर में 27 चौकियाँ बनी हुई थी जिनमें छोटी चौपड़ स्थित ''चीमा'' की चौकी विशेष महत्व रखती थी क्योंकि एक तो यह शहरी की घनी जनसंख्या

के क्षेत्र में थी। दूसरी यह राजमहलों के भी निकट थी।

जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि रियासत के कार्यों में हस्तक्षेप करने की नीति ब्रिटिश शासन का स्वभाव बन गया था। जब 1834 ई. में महाराजा जयसिंह तृतीय के बाद (माघ सुदी 8 संवत् 1891) 1832 ईस्वी में जन्में रामसिंह द्वितीय को जयपुर का महाराज घोषित किया गया तब राजा के शैशव काल में उसकी माता माजी चन्द्रावत जी राज्य की संरक्षिका (रीजेन्ट) रही। उस समय ब्रिटिश शासन के विरोधी गुट का शासन में प्रभाव बढ़ता जा रहा था। संघी झूंथाराम, रूपा एवं चन्दू बड़ारण, दीवान अमरचन्द, हुक्मचन्द बक्षी, मन्ना लाल, डिग्गी ठाकुर मेघसिंह बिसाऊ ठाकुर श्याम सिंह व कुछ शेखावत सरदार मनोहरपुर के राव हनुवन्त सिंह और साईवाड़ ठाकुर चीमन सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। दिवंगत राजमाता भटियाणीं जी की भाँति राजमाता चन्द्रावत जी भी संघी झूंथाराम गुट की पक्षधर थी और उन्हें चाहती थी।

पोलीटीकल एजेन्ट गर्वनर जनरल ने अंग्रेजी शासन के विरोधी गुट को अपमानित करना शुरू कर दिया। संघी झूंथाराम और उसके सहयोगियों को बन्दी बनाकर दौसा के किले में भेजा दिया गया। रूपा एवं चन्दू बड़ारण को माधोराजपुरा के किले में बन्दी बनाया गया। इतना ही नहीं अंग्रेजी समर्थक सामोद के रावल बेरीसाल को राज कार्य का पूरा अधिकार दे दिया गया। इससे राजमाता चन्द्रावत जी का प्रभाव कम होना स्वाभाविक था। अत: झूँथाराम गुट ने राज्य में अव्यवस्था फैलाने और रावल के शासन को अयोग्य सिद्ध करने के लिये अनेक षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। 30 जून 1835 ई. को (जेष्ठ सुदी अष्टमी संवत 1894) एजेन्ट गर्वनर जनरल लॉकेट अलबीस राव बेरीसाल व राजमाता चन्द्रावत जी के मतभेदों को मिटाने के लिये मांजी राणावत जी के बाग (रेजीडेन्सी) से अपने असिसटेन्ट ब्लेक और दो सेक्रेटरियों के साथ राजमहल पहुँचे। कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि रावल बेरीसाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शिव सिंह को रियासत की खुद मुख्तारी देने गये थे परन्तु बेरीसाल मार्टिन ब्लेक की हत्या के बाद भी जीवित थे।

जब एजेन्ट गवर्नर जनरल राजमहल से उतर कर शरद की ड्योढी तक आये तब ही वहाँ पर घात लगाये बैठे श्रीमाधोपुर के डूम फतो ने अलवीस एजेन्ट गवर्नर जनरल पर तलवार से वार किया। वे घायल हो गये। उन्हें पालकी में बिठाकर माजी के बाग-रेजीडेन्स भेजा गया। उनके सहायक मार्टिन ब्लेक ने आक्रमणकारियों को पकड़ लिया और हाथ पैर बांध दिये। उसे हाथ से खून सनी तलवार को लेकर हाथी पर सवार होकर त्रिपोलिया गेट से बाहर निकलकर किशनपोल बाजार होकर रेजीडेन्सी जाने का उसने विचार किया। इसी बीच उसके हाथ में खून से सनी तलवार देखकर यह अफवाह फैल गई कि मार्टिन ने अल्पव्यस्क राजा रामसिंह द्वितीय की हत्या कर दी। अत: त्रिपोलिया गेट से ही उस पर पत्थरों से हमला शुरू हो गया। वह हाथी को तेज दौड़ाता हुआ किशनपोल बाजार की ओर भागा परन्तु दरवाजे के पहरेदार हिदायतुल्ला ने दरवाजा बन्द कर दिया। विवश होकर ब्लेक को अजबघर के सामने (स्कूल ऑफ ऑर्ट्स) के मानसदास जी पुरोहित के मंदिर की दीवार के सहारे हाथी को खड़ा करवाकर मंदिर की छत पर कूद गया और उसने मंदिर का दरवाजा अन्दर से बन्द कर दिया।

मंदिर के बाहर एकत्रित भीड़ नारे लगा रही थी- ''मार दिया रे, मार दिया'' ये शब्द सुनते ही चीमा की चौकी के मीणों ने मंदिर की दीवार पर चढ़कर उसमें प्रवेश किया और मार्टिन ब्लेक का वध कर दिया और उसे मंदिर के बाहर ला पटका। यहाँ से उसे चीमा की चौकी पर ले गये। ब्लेक के साथ तीन चपरासी

एक छड़ीदार व महावत भी मारा गया। दंगा की सूचना पर राव शिव सिंह व अन्य अंग्रेज समर्थक लोगों ने ब्लेक को पालकी में डालकर माजी के बाग (रेजीडेन्सी) पहुँचाया, वहीं उसे दफनाया गया। ब्लेक की हत्या रियासत के शासन में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को एक चुनौती थी। इससे ब्रिटिश शासन के लिये भी एक खतरा समझा गया। अत: पड़यंत्रकारियों व ब्लेक की हत्या करने वाले मीणों पर अभियोग चलाया गया। उस समय राव बैरीसाल प्रधानमंत्री और ठाकुर लक्ष्मणसिंह प्रधान सेनापति थे, जो अंग्रेजी राज के समर्थक थे।

अभियुक्तों को दण्ड देने के लिये कमीशन बैठाया गया। कमीशन में समस्त पड़यंत्र का सूत्राधार संधी झूँथालाल को सिद्ध किया गया। उसने अंग्रेजी राज समर्थक बैरीसाल के शासन को बदनाम करने तथा राजमाता चन्द्रावत जी को पुन: अधिकार संपन्न बनाने के लिये यह षड़यंत्र रचा था। मीणों का इस षड़यंत्र में कोई हाथ नहीं था। उन्होंने तो देश प्रेम व भावावेश में आकर मार्टिन-ब्लेक का वध कर दिया था। अत: पाँच अभियुक्तों को मानजीदास के हर्ष बिहारी जी के मंदिर के बाहर गले में फाँसी डालकर फाँसी की सजादी गई। प्रात: काल से दोपहर तक इनको फाँसी पर ही लटकाया रखा ताकि लोगों में भय घर कर जाये और भविष्य में अंग्रेज-विरोधी गतिविधि में शामिल होने का साहस न जुटा सकें। इस वीभत्स काण्ड का वर्णन ''दस्तूर कौमवार'' में विस्तार से में किया गया है।

ब्लेक की हत्या के संबंध में बन्दी बनाये गये मीणों के नाम इस प्रकार हैं। (1) शिव नारायण मीणा झरवाल, चीमा चौकी के रामचन्द्र मीणा को मंदिर के सामने फाँसी दी गई। यद्यपि षड़यंत्र में इनका कुछ भी योगदान नहीं था। जाँच कमीशन के अनुसार संघी झूथाराम उसका भाई हुक्मचन्द प्रमुख षड़यंत्रकारी थे। बख्शी मन्ना लाल व दीवान अमरचन्द को दंगा रोकने में असफल रहने का दोषी पाया गया। अत: कमीशन के निर्णय के अनुसार झूथाराम हुक्मचन्द, अमरचन्द मानक चन्द शाह शिव लाल व हिदायतुल्ला को फाँसी की सजा दी गई। अन्त में दीवान अमरचन्द व हिदायतुल्ला खां को फांसी दी गई। इस तरह पाँच व्यक्तियों को फाँसी दी गई, जिनमें दो मीणे थे, जो षड़यंत्र में शामिल नहीं थे, झूथाराम और हुकमचन्द को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

भैंरुलाल मीणा की शहादत (शाहजहांपुर, राजस्थान)

शाहजहाँपुर के मीणों ने अंग्रेजी राज के विरूद्ध बढ़ चढ़कर भाग लिया था। शाहजहाँपुर के युवक भैंरूलाल मीणा ने अंग्रेजों के दमनचक्र का लोहा लेते हुये युद्ध में लगभग 1870-72 में शहीद हुये थे। जिन्हें जाट वाले बाबा के नाम से आज भी पूजा जाता है। इनकी पूजा कागोत गोत्रीय मीणें करते हैं। इतना ही नहीं शाहजहाँपुर के अनेक मीणा युवकों ने अंग्रेजों को कितनी ही बार नाकों चने चबाये थे। इनमें शाहजहांपुर के निकट छोटी सराय निवासी ''वली'' मीणा का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसके दल ने एक नहीं अनेक बार अंग्रेजी खजाना व डाक लूटी। वली मीणा के दानाराम मीणा भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुये, जो अनवरत रूप से अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे।

शाहजहाँपुर के मीणों को अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्षरत रहने के कारण कागोत गोत्र के जोधा, कालूराम, चतरूराम, सून्डाराम, हनुमान, जुगल, कन्हैया व चन्द बावरिया को काले पानी की सजा हुई थी। इनमें दो वापिस लौट आये। कालेपानी की सजा के कारण आज भी इनके वंशजों को 'कालापानी वाला' कहते

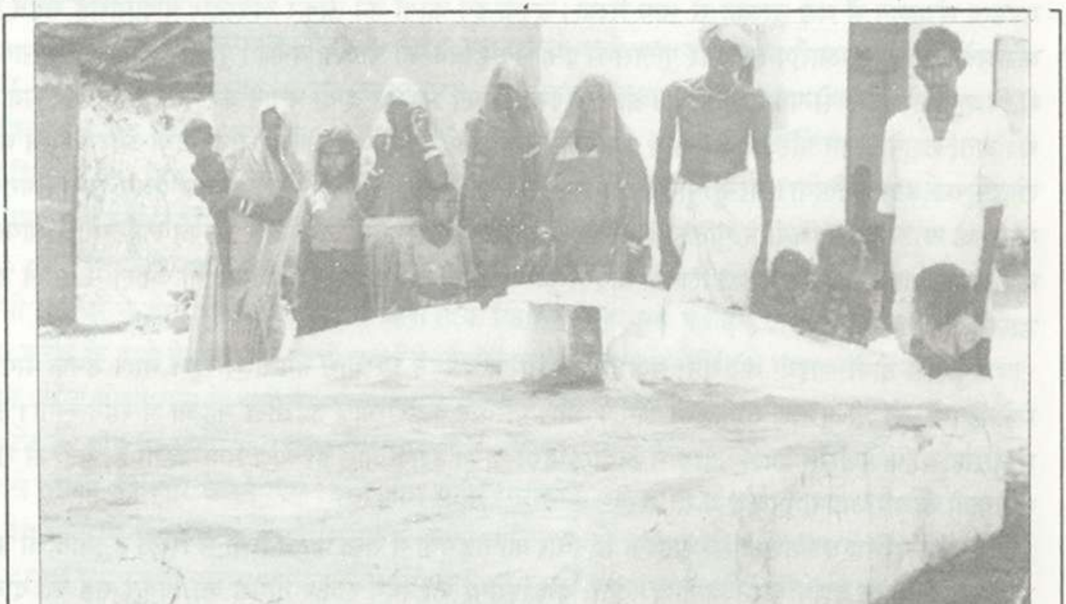
हैं। इतना ही नहीं यहाँ के तीस से ऊपर लोगों को सजा देकर भारत से बाहर भेजा गया। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि शाहजहाँपुर के रणबांकुरों ने विदेशी शासन का डटकर विरोध किया था।

झूथा मीणा का बलिदान (जिला जयपुर त. चाकसू)

मीणा सम्मेलन में यह निश्चय हो गया था कि अब कोई चौकीदारी नहीं करेगा और न ही कोई हक पल्ला लेगा। सामन्त को अनुचित लगान, बाग-भेंट, लाटा-बाटा भी नहीं देगा और बैठ-बेगार का विरोध करेगा। इस प्रकार बुहारिया का ठाकुर उदयसिंह अगस्त 1948 में झूथा मीणा की ढाणी पहुँचा और लाग-बाग लाटा-बाटा तथा लगान मांगा और छीरिया तथा झूंथा मीणा को हक-पल्ला के लिए भी कहा। झूँथा मीणा ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने चौकीदार प्रथा समाप्त कर दी है और लाटा-बाटा की प्रथा को भी बन्द कर दिया है। लगान भी आधा नहीं ले सकते, हम आपको नियमानुसार उपज का चौथा बांटा देने को तैयार हैं।

इस न्यायपूर्ण उत्तर पर अन्यायी फतेह सिंह आग-बबूला हो गया और उसने क्रोध में आकर गोली चला दी, जिसे झूंथा मीणा के गोली लगने से वह वहीं शहीद हो गया। बिरधा मीणा तथा भौमा मीणा भी गोलियां लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये। मीणा सुधार समिति अपराधी उदय सिंह जागीरदार पर अभियोग चलाया जिसमें 3 से 20 वर्ष का आजीवन कारावास हुआ। यह तो एक घटना है जो प्रकाश में आई है, परन्तु ऐसी कितनी घटनाएं हैं, जिनमें मीणों ने न्याय के लिए अपना बलिदान दिया।

भैरू मीणा-बुधा भुवारा गोलीकाण्ड में भी न्यायोचित मांगों के लिए शहीद हुआ, जिसके परिवारजन का चित्र।



बलिदान स्थल का चित्र

श्री मन्नूसिंह व श्री किशनाका शौर्यपूर्ण इतिहास (भरतपुर)

मीणा जाति का यह चारित्रिक विशेषता रही है कि वह अन्याय के सामने कभी नहीं झुकी। संकट की घड़ियों में भी इस जाति ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और कठिन-विपरीत परिस्थिति में वे अपने स्वाभिमान के लिए सदा सजग रहे। ऐसे ही कर्म-वीरों में प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी श्री मन्नू सिंह व किशना सिंह का इतिहास में विशेष स्थान है।

स्वर्गीय मन्नूसिंह का जन्म 1886 में ग्राम खुड्याना जिला अलवर में हुआ था। आपके पिता का नाम भगवान मीणा था। किशनासिंह मन्नू सिंह के छोटे भाई थे। बाद में बल्लभगढ़ जिला भरतपुर में स्थायी रूप से बस गये। श्री मन्नू सिंह का बाल्यावस्था से उग्र स्वभाव तथा स्वाधीनता प्रेमी थे। श्री किशनाका स्वभाव भी इसी प्रकार का था। दोनों भाई अपनी आन-बान पर सदा मर मिटने को तैयार रहते थे।

जब मीणा सरदारों की जागीर व माफिया समाप्त की गई तो अपनी जीविका के लिए वे भटकते रहे। अन्त में रनधीरगढ़ भरतपुर राज्य में आकर सपरिवार रहने लगे। वहाँ भी गोगैरा के ठाकुर ने आपको चैन से न रहने दिया। वहाँ से परेशान होकर ग्राम गड़वा तहसील बैर में रहने लगे। वहाँ भी गौगैरा का ठाकुर इनके पीछे पड़ा रहा और बैर के लंबरदार ठाकुर बादामसिंह को उकसा कर गोगैरा ठाकुर शराब पीकर इनको परेशान करने लगा और गोगैरा के ठाकुर ने बादामसिंह पर दबाव डाला कि श्री मन्नू को गाँव से निकाल दे।

उस समय कांग्रेस सामन्तों को निरंकुश अत्याचारों का विरोध कर रही थी। अत: मन्नूसिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध करने लगा। श्री किशनाभी अपने भाई के साथ कांग्रेस संगठन में सक्रिय रूप से काम करने लगा। राष्ट्रीय भावना से अभिभूत हो तहसील कांग्रेस मण्डल संचालन में बड़े उत्साह से भाग लिया। उनके इन कार्यों को ठाकुर लंबरदार बादामसिंह सहन न कर सके और झूठा आरोप लगाकर पुलिस से इन्हें पकड़वाने की योजना बनाई। पुलिस कोतवाल भुसावर से किशनाको धोखे से पकड़वा दिया। श्री मन्नू सिंह अपने भाई के बन्दी बनाने को कैसे सहन कर सकते थे। अत: उसने अपने परिवार के लोगों तथा कांग्रेस कर्ताओं के साथ थाने पर धरना दिया और किशन को छोड़ने का आग्रह किया। परन्तु पुलिस तो मन्नूसिंह को भी बन्दी बनाने का प्रयास करने लगी। परन्तु मन्नूसिंह व उसके साथियों ने पुलिस के सिपाहियों से जमकर लोहा लिया और उनको लाठियों से घायल कर अपने भाई किशनाको छुड़ा लिया। बाद में अन्य स्थानों की पुलिस से बचकर भी जंगल में अपने डेरे डाल दिये।

पुलिस दोनों भाइयों को पुन: पकड़ने में असफल रहने पर ग्राम तगवा में रहने वाले उनके सगे-सम्बन्धियों को भी पुलिस तंग करने लगी। अत: परिवार केसरी गाँव तहसील महुआ में रहने लगा। श्री मन्नूसिंह व किशनासिंह काले पहाड़ में निवास करने लगे। उसके पास ही बाण गंगा बहती है, वहीं से रात को पानी लाकर अपना निर्वाह करते थे।

श्री मन्नूसिंह व किशनासिंह प्रत्येक शनिवार को तड़गवा में रामा की बगीची में स्थित हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करने जाते थे। अत: कुछ लोगों को साथ लेकर गोगैरा का ठाकुर रात को दोनों भाइयों को पकड़ने बगीची पहुँचा। वहाँ दोनों भाई बचकर निकल गये, परन्तु ठाकुर व उसके लोग उनका पीछा करने लगे। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों भाइयों ने लाठियों व भाटों से इनका सामना किया। इनकी चोटों

से ठाकुर मर गया।

अब तो सरकार ने उनको अपराधी घोषित कर दिया। एक समय लंबरदार बादामसिंह ने पुलिस की सहायता से पूजा करते हुए दोनों भाइयों को पकड़ने का प्रयास किया। इन भाइयों के पास कारतूसी बन्दूक 575 बोर की थी। अत: गोली चलाकर बादाम सिंह का काम तमाम कर पुलिस को खदेड़ कर वहाँ से बच निकले।

जब तीसरी बार वहीं पूजा करने गये तो पहलवसिशान नामक मुस्लिम थानेदार ने उनको आ घेरा। परन्तु उसे भी गोली मारकर गिरा दिया। अब तो दोनों भाई सरकार के लिये सिरदर्द बन गये। दोनों भाई चम्बल की बीहड़ जंगलों में रहने लगे। वहाँ पर डूंगरबटोई के नेतृत्व में डाकुओं की एक गैंग ने सभी क्षेत्र को भयभीत कर रखा था। उस समय एक अंग्रेज पुलिस महानिरीक्षक यंग साहब इन डाकुओं को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच डूंगर बटोई ने यंग साहब को बातचीत के लिए चम्बल घाटी में बुलाया और उनके हेट को ठोकर मार कर तोड़ डाला और यंग साहब को धमकी दी कि यदि तुम हमारा पीछा करते रहोगे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। यंग साहब बड़ी चतुराई से माफी मांगकर वहाँ से बच निकले। परन्तु यंग साहब ने डूंगर बटोई से बदला लेने की ठान ली।

यंग बहुत बहादुर एवं चतुर व्यक्ति था। उसने अनुभव किया कि मीणा जाति के लोग गाँव तथा शहरों की चौकसी व सुरक्षा कार्य करने में बड़े कुशल हैं और अपने वचन के पक्के हैं। अत: डूंगर बटोई से श्री मन्नूसिंह ले सकते हैं। अत: यंग साहब ने काले पहाड़ के नीचे बहने वाली बाण गंगा के जल में खड़े होकर मन्नू सिंह तथा किशनासिंह से मिले। मन्नू सिंह के व्यक्तित्व एवं शारीरिक शक्ति को देखकर यंग साहब बहुत प्रभावित हुए और गंगा में खड़े होकर यंग ने मन्नूसिंह को वचन दिया कि मैं तुम्हारी व तुम्हारे परिवार की रक्षा में सदा तैयार रहूंगा।

आपको मेरा एक काम करना है कि मेरा अपमान करने वाले तथा जान से मारने का प्रयास करने वाले डूंगर बटोई को तुम्हें जीवित या मृत पकड़ कर लाना है। इसके बाद में आप तथा आपके परिवार की जीविका का पूरा प्रबन्ध कर दूंगा। किशन सिंह को यंग साहब ने आसपास रख लिया और उनके भाँजे गंगासिंह व मन्नू सिंह को पिस्तौल कारतूस आदि देकर वहाँ से रवाना किया और धौलपुर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को मन्नूसिंह की मदद करने के आदेश दे दिये। स्वयं यंग साहब ने भी धौलपुर कैम्प किया।

श्री मन्नू सिंह तथा उनका भाँजा गंगासिंह डूंगर बटोई की खोज में निकल पड़े। परन्तु इसी बीच किसी गुप्तचर ने डूंगर बटोई को अवगत करा दिया कि मन्नूसिंह तुम्हें पकड़ने आ रहा है। जब मन्नूसिंह डूंगर बटोई के नाले के पास पहुंचा तो बटोई ने गोली चला दी, परन्तु मन्नूसिंह ने उछलकर अपने को बचा लिया, परन्तु गोली मन्नू के बायें पैर की पिण्डली में होकर निकल गई। उसी क्षण सावधान होकर मन्नूसिंह ने बटोई के सीने पर गोली मारी तो वहीं धराशायी हो गया। मन्नूसिंह के भानजे ने लाश कों धे पर लादकर पुलिस स्टेशन की ओर चलने लगा। इसी बीच बटोई गिरोह के आदमी लाश को छुड़ा ले गये और जलाने की तैयारी करने लगे। परन्तु उसके भानजे ने बटोई की लाश को पुन: अपने अधिकार में कर लिया।

कुछ समय बाद पुलिस अधिकारी व यंग साहब भी वहाँ पहुंच गये। बटोई की लाश को देखकर यंग साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लाश के फोटो लिये और उसका दाह संस्कार कर दिया। यंग साहब ने मन्नूसिंह व उसके परिवार को तगवा के पास बल्लभगढ़ गाँव में, जो भरतपुर की रानी जी के

जागीर में था, वहाँ राजा से बातकर मन्नूसिंह के परिवार के भरण-पोषण के लिये जमीन दिलवा दी। चारदिवारी की बुर्ज पर उनको रहने का स्थान दिलवा दिया। उसके लड़के रामसिंह को भी पुलिस में नौकरी दिलवा दी। उनकी पत्नियों को प्रतिमाह 30 रुपये सहायतार्थ दिलवा दिये। यंग ने मन्नूसिंह को सरकारी आरोपों से मुक्त कराने का भी आश्वासन दिया। परन्तु यंग साहब इसी बीच इंगलैण्ड चले गये। अब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था।

सरकार ने मन्नूसिंह व किशनसिंह को फाँसी की सजा दी। उनके लड़के मरदान सिंह व उनके छोटे भाई मूलाराम को बीस वर्ष की सजा सुनाई। इस घटना की सूचना जब यंग साहब को मिली तो उन्हें दुख हुआ। उस समय बल्लभगढ़ में ही भरतपुर महारानी निवास करती थी। उनसे मन्नूसिंह की तीनों पत्नियों व बच्चा सुल्तान सिंह व रामसिंह मिले, तो महारानी जी ने अनशन पर बैठकर ब्रिटिश सरकार से अपील की और इनसे प्राणमुक्ति के लिए आवेदन पत्र दिलवाया। इस दया (मर्सी) की अपील पर इनकी फाँसी की सजा रद्द कर दी गयी और आजन्म कारावास की सजा दी गई। भरतपुर महाराजा विजेन्द्रपाल राजा मानसिंह और उनके छोटे भाई बच्चूसिंह ने श्री मन्नूसिंह के मृत्युदण्ड को हटाने में बड़ी मदद की।

आजन्म कारावास में इनको अण्डमान द्वीप भेज दिया गया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष बाबू ने अण्डमान पर अधिकार कर लिया और लोगों को आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया तो मन्नूसिंह व किशनसिंह सेना में भर्ती हो गये। मन्नूसिंह व किशनसिंह तेज घुड़सवार थे। अत: इनको सूबेदार बनाया गया। परन्तु 1945 में अमेरिका ने हीरोशिमा पर परमाणु बम डाल दिया। इस तरह मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। बाद में आजाद हिन्द फौज के सभी कैदियों को भारत की जनता की आवाज सुनकर छोड़ दिया। इसमें पंडित नेहरू का योगदान सराहनीय रहा।

इसके बाद मन्नूसिंह को धौलपुर क्षेत्र के डाकू गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस दल में शामिल कर लिया। वहाँ पर डाकू मानसिंह व उसके लड़के तहसीलदार सिंह के भय से समस्त क्षेत्र आतंकित था परन्तु मन्नूसिंह ने तहसीलदार सिंह व कई डकैतों को मार गिराया। तहसीलदार सिंह के डाकू गिरोह ने उनके गांव व परिवार पर हमले किये, परन्तु उनके भाई को एक बहादुर लड़के ने झपट कर डाकू की मशीनगन छीन ली और उसे भुसावर थाने में पेश कर दी।

अन्त में मन्नूसिंह निर्विरोध गाँव के सरपंच बने और समस्त क्षेत्र का विश्वास प्राप्त कर लिया। अन्त में एक साधु के कहने से आपने सन्यास ले लिया और गुरु की आज्ञा से तपस्या करते रहे। अस्सी वर्ष की आयु में सन् 1969 को शुक्ल पक्ष की चौथ को चौथमाता का व्रत कर भोग लगाकर प्रसाद लिया। कुछ देर बाद उनके सीने में दर्द हुआ। आपने पोते को जो उस समय पाठ्य पुस्तक मण्डल में काम करते थे, बुला लिया। अन्त में अपनी अमर कीर्ति छोड़कर इस संसार से प्रयाण किया। आज भी उनकी वीरता व सहृदयता की पूरे क्षेत्र पर अनूठी छाप है। ऐसे मीणा वीरों के कारण ही इस जाति का गौरव बढ़ा है।

क्रान्तिकारी गुलाबा कोटपूतली जिला-जयपुर (राज.)

मीणा जाति का युवक गुलाबा सीहरा बचपन से क्रांतिकारी कार्यों में रुचि लेने लगा जो जीवनपर्यन्त जारी रही। युवावस्था में उसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। गुलाबा कोटपूतली का निवासी था। कोटपुतली का ठिकाना उस समय खेतड़ी राज्य के अंतर्गत था। खेतड़ी राजस्थान में अपना विशेष स्थान रखता है। वहाँ के राजा अजीत सिंह विद्वान् होने के साथ साथ शूरवीरों एवं क्रांतिकारियों का बहुत आदर

करते थे। विश्वविख्यात विद्वान, वेदान्त के मर्मज्ञ स्वामी विवेकानन्द का 1891-93-95 तथा 97 में खेतड़ी में शुभागमन हुआ और खेतड़ी नरेश अजीत सिंह उनके शिष्य बने। उन्हीं दिनों खेतड़ी के अन्तर्गत कोटपुतली के निवासी गुलाबा की कीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी। वे जब तक जीवित रहे अंग्रेजों से जूझते रहे। उनके साथी रामसुख धन्ना, राव चतरू, ठंडूलाल ने सहयोग दिया। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर गुलाबा के साथ अंग्रेजों से लड़े।

क्रांतिकारी गुलाबा के पिता का नाम रतना था। रतना जी के पाँचों पुत्र बड़े-शूरवीर थे। इनमें गुलाबा ने अपनी वीरता का प्रदर्शन विदेशी शासन को उखाड़ फैंकने में किया। 1857 की क्रांति में भी वह अपने शौर्य का प्रदर्शन कर चुका था। इसके बाद वे गुप्त रहकर क्रांतिकारी छापामार युद्ध में संलग्न रहे। गुलाबा सुदृढ़ शरीरवाला 6 फुट लंबा चौड़ा जवान था। उसकी सिंह जैसी निर्भीक चाल से सभी प्रभावित थे।

वे घोड़े पर सवार होकर अपने अस्त्र शस्त्र भाला एवं ढ़ाल तलवार से सदा सुसज्जित रहते थे। उनके अस्त्र शस्त्र 1853 में निर्मित उनकी पुरानी हवेली में आज भी देखे जा सकते है। इन शस्त्रों का प्रयोग बहुधा अंग्रेजी खजानों के लूटने में किया जाता था। गुप्त रहकर समय देखकर बहुत चतुराई से घात लगाकर अंग्रेजी ठिकानों पर वे धावा बोलते थे। उनकी लूटपाट का केन्द्र अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर स्थित अंग्रेजों की कोठियां थी। अवसर पाकर वे सैनिक छावनियों पर भी धावा बोलते थे। उनके छापामार युद्ध से ब्रिटिश सरकार बहुत ही परेशान थी। उनको बन्दी बनाने का सरकार ने हर संभव प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। अन्त में ब्रिटिश सरकार खेतड़ी नरेश अजीत सिंह को गुलाबा को बन्दी बनाने के लिये लिखा परंतु बन्दी बनाने के स्थान पर स्वामी विवेकानन्द जी के परामर्श से गुलाबा को खेतड़ी राज दरबार में सम्मानित किया गया और उसे 100 बीघा जमीन पुरस्कार स्वरूप दी गई जिसका उपयोग आज भी उसके वंशज कर रहे हैं। यह भूमि ''गुलाबा बाबा (मीणा) की इनाम के नाम से आज भी विख्यात है।

गुलाबा क्रांतिकारी के शौर्यपूर्ण कार्यों से प्रभावित होकर धौलपुर के नागरिकों ने उसकी स्मृति में धोलपुर में एक विशाल द्वार निर्मित करवाया जो आज भी ''गुलाबा-गेट कोटपूतली'' के नाम से जाना जाता है। यह भग्नावस्था में है। राजस्थान सरकार को इसकी मरम्मत कराकर क्रांति-वीरों की स्मृति को स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए।

गुलाबा जैसे और भी क्रांतिकारी समय-समय पर अपने देश प्रेम का प्रदर्शन कर विदेशी शासन से सर्वदा लोहा लेते रहे हैं परंतु वे आदिवासी थे, अत: उनके देश प्रेम एवं क्रांतिकारी कार्यों के इतिहास के पृष्ठों पर अंकित नहीं किया गया। सच पूछा जाय तो क्रांतिकारी मीणा युवकों ने क्रांतिकारी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस संदर्भ में हम लुहारी के, जयपुर एवं शेखावाटी के मीणा शूर वीरों का पहले ही परिचय प्राप्त कर चुके हैं। क्रांतिकारी लूटे हुये खजानों को गरीबों में बाँट देते थे।

डॉ. प्रहलाद सिंह मीणा ने अपने शोधपूर्ण खोज में बताया कि 1857 की क्रांति में मीणा जाति ने अनेक क्रांतिकारियों को अपने मेवासों में स्थान दिया। 1857 की क्रांति के समय मुगल खानदान से संबंधित दो शाहजादों ने अपने खजाने सहित जिला दौसा की महुआ तहसील के ओन्ड मीना गांव में एक मीणा सरदार के घर में शरण ली। मुगल शाहजादे अपनी दो टोपियां मीणा सरदार को दे गये थे। ये मीणा सरदार कौन थे? यह शोध का विषय है परंतु इस गाँव में एक जनश्रुति प्रचलित है'' ओन्ड मीना गाँव में श्री घनश्याम प्रधान'' अत: वह परिवार श्री घनश्याम प्रधान से ही संबंध रखता होगा। उस मीणा परिवार की

ओन्ड गाँव में एक छतरी तथा हवेली देखी जा सकती है।

प्रसिद्ध क्रांतिकारी फिरोजशाह की सहायता करने में टोडाभीम तथा नाखेती क्षेत्र की महर जोरवाल गोत्रीय मीणा सरदारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वयो वृद्ध लोग कहते हैं कि सन् 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों का खजाना ओन्ड मीणा गाँव के समीप भरतपुर जिले की बैर तहसील के गाँव निठार में रखा गया था। निठार गाँव में जोरवाल गोत्रीय मीणाओं का बाहुल्य है। ऐसे खजाने की रक्षा में मीणा जाति प्रारंभ से सिद्धहस्त है। मीणा जाति अपने उत्तरदायित्व एवं शरणागत की रक्षा से कभी विमुख नहीं हुई। वे अपने स्वाभिमान व संस्कृति पर चोट करने वालों से संघर्षरत रहते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हम पूर्व पृष्ठों में देख चुके हैं।

शाहजहाँपुर के मीणों का शौर्यपूर्ण इतिहास

अलवर जिले का उत्तरी पश्चिम भाग प्राचीन समय में राठ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस समय ''घाहाट'' नगर इसकी राजधानी थी, जो आजकल घाटूटला के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश पर मीणों का अधिकार था। कालान्तर में यह प्रदेश मीणों के हाथ से निकलकर चौहानों के हाथ में चला गया। चौहान राजपूतों ने इस क्षेत्र में ''नीमराना'' राज्य की स्थापना की। नीमराना क्षेत्र का ''शाहजहाँपुर'' मीणों की प्रमुख कार्य स्थली रही। ''शाहजहाँपुर'' मुगल सम्राट शाहजहाँ के नाम पर बसाया गया था। आजकल यह प्रदेश अलवर जिले में है।

इस क्षेत्र के मीणों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा। नीमराणा के शासकों का मीणा शूरवीरों पर अटूट विश्वास था। यहां के मीणों ने नीमराणा राजा चन्द्रभान के अनुरोध पर 1803 ई. में लसावरी के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की मदद की थी। 1843 ई. में रेवाड़ी के वीर शासक तुलाराम ने नीमराणा के राजा के पास संदेश भेजा कि वह अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दे, नहीं तो वह अपनी शक्ति से डोला ले जायेगा। नीमराणा का राजा एक अहीर को अपनी लड़की नहीं देना चाहता था। राव तुलाराम उस समय बड़ा शक्तिशाली था। ब्रिटिश शासन भी उससे भयभीत रहता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में नीमराणा के राजा को अपने परम्परागत शाहजहाँपुर के मीणों का स्मरण हो आया। वह शाहजहाँपुर गया और समस्त स्थिति मीणा सरदारों के सामने रखी। उसने स्पष्ट किया कि वह राव तुलाराम को अपनी लड़की नहीं देना चाहता। उसके स्थान पर वह किसी मीणा सरदार को अपनी लड़की देना अच्छा समझेगा।

चरित्र के धनी मीणा सरदारों ने बिना किसी स्वार्थ के तुलाराम के विरुद्ध नीमराणा राजा की सहायता करने का आश्वासन दे दिया। उसी दिन से वे राव तुलाराम की गतिविधि पर नजर रखने लगे। एक दिन राव तुलाराम अपनी सेना लेकर नीमराणा पर चढ़ आया तो इधर मीणा लोग पहले से ही तैयार थे। उन्होंने भी नीमराणा की घाटी में मोर्चा संभाल लिया। तुलाराम की सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया और उसकी सेना को परास्त कर वहाँ से खदेड़ दिया। इस युद्ध में अनेक मीणा युवक वीरगति को प्राप्त हुये। इनमें गोकुल नामक युवक भी था, जो उसी दिन गौना करके आया था। युद्ध की सूचना मिलने पर वह जातीय गौरव की रक्षा के लिये युद्ध में शामिल हो गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। हाडी रानी की भाँति उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो गई जिसका स्मारक आज भी वहाँ बना हुआ है।

यह हम पढ़ चुके हैं कि नीमराणा के राजा ने 1803 ई. में अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की मदद की थी। इस युद्ध में मीणा लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अत: ब्रिटिश सरकार नीमराना के राजा के साथ मीणों

को भी अपना शत्रु समझने लगी। अंग्रेजों ने नीमराणा राज्य का विभाजन कर वहाँ की सेना को भंग कर दिया। इस पर शाहजहाँपुर के मीणा अंग्रेजों के प्रबल शत्रु बन गये अंग्रेजों के आश्रित अलवर राज्य में अधिक लूटपाट करने लगे। अत: अंग्रेजों ने यहाँ के शूरवीरों को दबाने के लिये शाहजहाँपुर को अलवर से अलग कर एक जिला बना दिया। उसको अंग्रेजी राज के अंतर्गत लेकर "सुपरिडेन्ट आफ मीणा डिस्ट्रिक्क्ट" नाम से अलग अधिकारी की नियुक्ति की। परंतु इनकी स्वच्छन्दता व स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेजी ठिकानों पर रात दिन हमले होते रहे। मेवाड़, बूँदी, जयपुर तथा सावर दरबार से प्राप्त सैनिक टुकड़ियों से ही मीणों को दबाया जा सका। 1857 की क्रांति में शाहजहाँपुर के मीणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शाहजहाँपुर के मीणों की चतुराई, दिलेरी, एकता का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर हमेशा बना रहा। अन्त में 1871 ई. में जरायमपेशा कानून बनाकर ही इनको दबाया जा सका। वास्तव में यह कानून स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के लिये ही बनाया गया।

श्री श्री 108 बाबा जोधा भगत

डॉ. प्रहलाद सिंह मीणा ने मीणा-भारती में बाबा के जीवन और चमत्कारों पर प्रकाश डाला है। इसके अनुसार अलवर जिले में शाहजहाँपुर प्रसिद्ध कस्बा है। इस कस्बे को मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बसाया था जो दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर राजस्थान की सीमा में स्थित है। शाहजहाँपुर के मीणा अपने शौर्य पूर्ण कार्यों के लिए सर्वदा से ही प्रसिद्ध रहे हैं। बड़े-बड़े सत्ताधारी इनको अपने नियंत्रण में न ला सके। शाहजहाँपुर के मीणों में बाबा जोधा भगत नाम से एक प्रसिद्ध संत हुये हैं। आज भी शाहजहाँपुर में बाबा जोधा भगत की बहुत ही श्रद्धा से पूजा की जाती है और शक्कर का प्रसाद चढ़ाते हैं।

बाबा जोधा भगत कागोत गोत्रीय मीणा थे। वह एकदम ग्रहस्थ थे। उनका कहना था कि ईश्वर प्राप्ति



श्री श्री 108 बाबा जोधा भगत का पवित्र स्थान

के लिये गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। वे केवल साधु ही नहीं थे, वरन् बहुत बहादुर एवं अन्याय के विरुद्ध लोगों को संगठित करने वाले थे। माँ के आग्रह पर उन्होंने विवाह किया था। उनकी पत्नी धार्मिक वृत्ति की थी। उनके निर्मल चरित्र तथा तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार से असंख्य लोग उनके अनुयायी बन गये थे। उनके अनेक चमत्कारी प्रसंग आज तक प्रचलित है। बाबा सर्वदा निर्बलों की सहायता के लिये उद्यत रहते थे। ऐसी एक घटना यहां उद्धृत है। शाहजहाँपुर के आसपास क्षेत्र नारनौल (हरियाणा) के नवाब के अधिकार में था। नवाब के अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दू जनता को बहुत सताते थे। हिन्दू समाज उन दिनों राजनीतिक धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं से वंचित हो गया था। उनमें निराशा की भावना जड़ पकड़ती जा रही थी।

ऐसे कठिन समय में बाबा जोधा भगत ने हिन्दूओं में आत्म-का विश्वास का संचार किया और कहा कि अत्याचारी की हिम्मत जब बढ़ती है कि हम उसके अत्याचारों को सहन करते जाते हैं। बाबा के इस अमोघ शस्त्र को पाकर हिन्दू लोग नवाब के अत्याचारों का विरोध करने लगे। नवाब के अधिकारियों ने नवाब के कान भर दिये कि बाबा जोधा भगत ही जनता को विद्रोह के लिये तैयार कर रहा है। नवाब की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि उसे शाहजहांपुर में जाकर बन्दी बनाये। अन्त में नवाब ने बाबा को नारनोल आने का निमंत्रण दिया। रास्ते में नवाब के लोग घात लगाये बैठे थे। अत: उनका वध कर दिया गया। यह सूचना जब शाहजहाँपुर पहुँचती तो वहाँ के भक्त मीणा नवाब के सेवकों को मरने मारने को तैयार हो गये। अन्त में नवाब ने मीणों से माफी मांगी और बाबा का सिर सम्मान से उनको प्रदान किया। आज भी समाज के लिये शहीद होने वाले बाबा जोधा भगत की समाधि पर आकर प्रार्थना करते हैं और मनौती माँगते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर शक्कर का प्रसाद चढ़ाते हैं।

शेखावाटी के मीणों का स्वातंत्रय प्रेम

खैराड़ की भाँति ही शेखावाटी के मीणा भी साहस व वीरता में किसी से कम नहीं थे। राजपूतों से उनका कोई विरोध नहीं था, परन्तु जब बड़ी-बड़ी रियासतें अपना स्वाभिमान खोकर अंग्रेजों की संरक्षण संधियों में बंध गई तब मीणों के आक्रोश का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे अंग्रेजी राज के प्रबल शत्रु के रूप में उभरने लगे। संयोग से अंग्रेज विरोधी जागीरदारों का भी उनको समर्थन मिल गया। इनमें बठोठ ठिकाने के जागीरदार डूंगरसिंह व उनके भतीजे जवाहर सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र के आदिवासी मीणा जाति के नवयुवक इनके साथ थे। इस दल में लगभग 1000 मीणें थे, जिनका मुख्य कार्य अंग्रेजी छावनियों एवं खजाने को लूटना था। इस लूट के माल को वे जनता में बांट दिया करते थे। स्वतंत्रता प्रेमी यह दल देखना चाहता था कि अंग्रेजी शासन अपने संरक्षित शासकों को कहाँ तक रक्षा कर सकता है?

1857 की क्रांति के पहले ही राजस्थान के मीणों ने आजादी का शंखनाद कर दिया था। 1837 ई. में साँवता मीणा और करणियां मीणा अपने नेता डूंग जी के साथ सिंगरवाट के किले में घेर लिये गये थे। परन्तु सांवता और वीरवर करणिया के तत्परता से ये लोग किले का चक्रव्यूह भेद कर निकालने में सफल हो गये। इस क्षेत्र में पारोदा गाँव के मीणें आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे। उनके जीवन का आदर्श था:-

काची काया को बण्यो मानखा
पेट दु:ख मर जाय रे।
एक बार में लूँटूं छावणीं,
करूं मुल्क में नाम रे॥

जब इन्होंने आगरे की छावनी लूटी तब लोकगीतों में इनकी प्रशंसा इस प्रकार गाई गयी–

नव गोरों का नाक काटिया
बगला दिन्हा डारजी,
साठ ऊँट माया से भरिया
कपड़ा भरी-कपाट जी॥

पटोदा के इन मीणें की गौरव गाथा का वर्णन ''राजस्थानी गौरव ग्रन्थमाला तीन में से विस्तार किया गया है।

डूंग जी जवारजी के नेतृत्व में मीणा युवकों ने अंग्रेजी खजाने को लूटकर गरीब जनता में बाँटना प्रारंभ कर दिया था। मीणों के इस आतंक से मुक्ति पाने के लिये छापामार दल के नेता डूंगजी को पकड़ने के लिये केप्टिन मेसन, केप्टिन हाइक्लास तथा मेजर जैसे शूरवीर सेना नायकों को लगाया गया। इनकी सहायता के लिये जोधपुर तथा बीकानेर की सेना भी थी। जोधपुर सैनिक टुकड्डी के नेता मेहता विजय सिंह, सिंघवी कुशलराज और किलेदार अनाड़सिंह थे। ये तीनों आगे चलकर आउवा की क्रांति को दबाने के लिये आउवा पहुचे परंतु वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। डूँगजी तथा जवार जी को जोधपुर व अंग्रेजों की सेना पकड़ न पाई क्योंकि मीणा शूरवीर इनके अंगरक्षक थे। अन्त में पुष्कर से लौटते समय डूंगजी अपने संबंधी झड़वासा (अजमेर) के ठाकुर के यहां ठहरे हुये थे। अंग्रेजों के लालच में आकर उसने डूँगजी को अंग्रेजी सैनिकों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने इन्हें बन्दी बनाकर आगरे के जेल में भेज दिया।

अपने नेता को इस प्रकार बन्दी बनाने की शेखावाटी एवं तोरावटी के मीणा कैसे सहन कर सकते थे? अत: उन्होंने छुड़ाने के लिये योजना बनाई जाने लगी। डूँगसिंह जी के साथ अनेक मीणा सरदार भी आगरे के किले में बन्द थे। अत: जवारसिंह ने करणियां तथा सांवतां मीणा के माध्यम से शेखावाटी एवं तोरावाटी के जुझारू नेताओं को इसमें सम्मिलित किया। इस दल में सीकर, उदयपुरवाटी, भोडकी, बजावा, सिंघाना, गोरिया, नयाबास, मंढोली, बस्सी, बागावास, करीरी, मूंडरू, दौसा जैसे प्रमुख मीणा गाँवों के शूरवीर डूँगजी को आगरे की जेल से छुड़ाने के काम में जुट गये। चार सौ पचास ऊँटों पर सवार होकर मीणों का दल आगरा पहुँचा। इसका उल्लेख आज भी लोकगीतों में सुरक्षित है।–

लोटिया जाट करणियों मीणां माता जी ने ध्याई
छटवा छटवा कूद पड़िया लाल किले के मांई।
लेरां लेरां बगै करणियो आगे लोटिया जाट
बोले छे तो बोल डूंगजी देवां बेड़ी काट।
बाई बुरज में बोल्यो डूँगजी, जाणै धड़ूंक्यों नार।
म्हारी बेड़्री काटिया लोटिया ना निसरेगा काम।
म्हारी बँध में सत्तर बांधवा बांकी पेली काट

कींकी रोवे बेण भाण जी कींकी रोवे माय।

अन्त में लोटिया जाट, सांवता मीणां, करणिया मीणा व बालिया नाई के प्रयत्न से आगरे के किले की बुर्ज (दीवार) तोड़ी गई। डूंगजी को उनके सत्तर साथियों के साथ कैद से निकाला गया।



लोटिया जाट, सांवता मीणां, करणिया मीणा व बालियानाई का चित्र

डूँग जी के रिहा होते ही क्रांति वीर मीणों ने अपनी गतिविधि तेज कर दी और अंग्रेजों की छावनियों पर धावा बोलना प्रारंभ कर दिया। डूंगजी ने मीणा शूरवीरों की सहायता से नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूट लिया। इसके बाद अंग्रेजी सेना इस क्रांति दल के पीछे पड़ गई। इनके नेता डूँगजी को जोधपुर की सेना की सहायता से तथा जवाहरजी को बीकानेर की सेना की सहायता से बन्दी बना लिया गया। जोधपुर नरेश ने अंग्रेजो के दबाव में आकर डूंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया। इनमें मीणा तथा अन्य क्रांतिकारी जोधपुर नरेश से नाराज हो गये और कहा कि इनको पुन: अंग्रेजों को चंगुल से न छुड़ाया गया तो हम अंग्रेजी तथा रियासत के ठिकानों पर आक्रमण करना पुन: प्रारंभ कर देंगे। अत: विवश होकर जोधपुर नरेश ने अंग्रेजों पर दबाव डालकर डूंगजी को पुन: जोधपुर लाना पड़ा। वहां पर वे स्वछन्द होकर जीवन व्यतीत करने लगे। इन क्रांतिकारियों का जनता में बड़ा सम्मान था। जनता के दबाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार इनको कोई सजा न दे सकी। जवारसिंह बीकानेर के राजा के पास थे। अंग्रेजों ने जवाहर जी को सौंपने के लिये दबाव डाला तो बीकानेर नरेश ने उत्तर दिया कि मैं युवराज सरदार सिंह को दे सकता हूँ, परन्तु जवाहर जी को नहीं दे सकता। ऐसा करने से मीणा कभी नहीं चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि डूंगजी व जवाहरजी को अंग्रेजों की जेल में भेज दिया गया तो हम पहले की भांति इस बार भी उनको जेल से छुड़ा लायेंगे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मीणा लोगों ने डूंग जी जवाहर जी के पहले ही अंग्रेजी ठिकानों पर

आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इन कारणों से डूंगजी जवाहरजी की भांति साँवता मीणा और करणियां मीणा को भी स्वतंत्रता सेनानी घोषित करना चाहिये। क्योंकि अंग्रेजों से इनका विरोध डूंगजी जवाहरजी से कम नहीं था। डूंगजी जवाहरजी के बाद अन्य राजपूत सरदारों के साथ मीणों ने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। खण्डेला के खंगारोत सरदार इनके साथ थे। शेखावाटी के मीणा पुन: कालख की डूंगरी पर बने किले पर एकत्रित हो गये। लगभग 500 मीणों ने अंग्रेजों से जमकर मोर्चा लिया। यह इतिहास में आंग्ल खंगारोत युद्ध (1840) के नामसे प्रसिद्ध है। इस संदर्भ में एक लोकोक्ति उल्लेखनीय है–

कालख हाली डूंगरी, तू भारत की ढाल।
आंग्ल ने पागल करे, किशन पौत्र खंगार॥

वास्तव में अंग्रेजों से असंतुष्ट सामन्त तो क्रांतिकारी लोगों का नेतृत्व करते थे। वास्तविक रूप से संघर्ष का भार मीणा जाति पर ही था। कालख युद्ध में मीणों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। कालख के किले पर हजारों–मीणा सरदारों ने अंग्रेजों.से जमकर मोर्चा लिया बड़ी कठिनाई से ही अंग्रेज इस क्रांति को दबा पाये। कितने ही देशभक्तों को मौत के घाट उतारा गया।

मीणा जाति की ही अन्य शाखाओं ने अंग्रेजी शासन का जमकर विरोध किया। इनमें रावतों तथा मेवों का स्थान प्रमुख है। मेरवाड़ा के लोक गीतों में रावत राजू को आज भी याद किया जाता है। वह बड़ा पराक्रमी था। उसने 12 वर्ष तक निरंतर अंग्रेजों से संघर्ष किया। पकड़े जाने पर इन्हें फाँसी की सजा दी गई। अंग्रेजों ने जब देख लिया कि शक्ति से इनको नहीं दबाया जा सकता तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। बरार के रावत ''भारमल'' और ककरा के रावत ''उमा'' को राव की उपाधि दी। बरार के ठाकुर हीरा को ''ठाकुर का'' तथा हथून के बुद्ध खाँ को और चाँप के फतह खाँ का ''खान'' की उपाधि देकर शांत किया। परंतु 1857 की क्रांति में मेव रावत तथा मीणों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया जिनका वर्णन अग्रिम पृष्ठों में किया जायेगा। डूँगजी–जवार जी की भांति गोडवाड़ क्षेत्र (पाली–सिरोही) के देवजी सिहरा भी क्रांतिकारी हुए। जिनका वर्णन इस प्रकार है–

स्वतंत्रता प्रेमी देवाजी सीहरा (मीणा)

उन्नीसवीं सदी में मीणा जनजाति रियसती शासकों और उनके ब्रिटिश शासन के लिए एक विकट चुनौती बनी हुई थी। इस जाति की चतुराई, दिलेरी बहादुरी अनुशासनप्रियता, असाधारण कार्य करके नाम कमाने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी।

उत्तर में मेव अंग्रेजों के लिये सिर दर्द बने हुये थे। शाहजहांपुर के मीणों को दबाने के लिये उन्हें विशेष अधिकारी ''सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ मीणा डिस्ट्रिक्ट बनाना पडा।'' अजमेर मेरवाड़ा में मेरो को दबाने के लिए नसीराबाद की छावनी को अपनी समस्त शक्ति लगा देनी पड़ी थी। इस क्रम में खैराड़, मेवाड़, बागड़ एवं गोड़वाड़ के मीणों को दबाने के लिये उन्हें क्रमश: देवली (टोंक) खेरवाड़ा कोटवड़ा (उदयपर) तथा शिवगंज में विशेष सैनिक छावनियां स्थापित करनी पड़ी। मीणा जनजाति और उनकी खाँपें राजपूत शासकों के विरुद्ध थी ही, अंग्रेजोंसे ये बड़ी घृणा करते थे। ये जाति अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की पक्षधर थी। दुर्भाग्य यह रहा कि स्थानीय शासकों ने इनकी सहायता करने के स्थान पर इनका दमन किया।

एक समय दो व्यक्ति–पिता और पुत्र शिवगंज छावनी के पास से निकल रहे थे। प्रात: काल का समय था। सामने से एक अंग्रेज अधिकारी टहलता हुआ दिखाई दिया। पुत्र ने उसे अभिवादन करना चाहा तो पिता

ने अभिवादन के लिये उठे पुत्र के हाथ को बीच में रोक दिया। सैनिक अधिकारी के गुजर जाने के बाद पिता ने पुत्र को समझाया ''अंग्रेज लोग अन्यायी है, और अन्यायी के आगे झुकना मीणों का काम नहीं है।'' यह युवक था देवा सीहरा, अपनी जाति व अपने से विरासत में पिले संस्कारों ने आगे चलकर देवा सीहरा को ऐसा सुदृढ़ व्यक्तित्व प्रदान किया जिसके सामने जोधपुर व सिरोही नरेश भी भयभीत रहते थे। जीवन भर जिस काम को उसने हाथ में लिया उसमें सफलता ही प्राप्त करता रहा, अन्त में सफलता के लिये ही बलिदान हो गया। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) के समय इस युवक की आयु लगभग बीस बाईस वर्ष की रही होगी।

वर्तमान पाली और सिरोही जिलों के मध्यवर्ती मीणा बहुल क्षेत्र को गोड़वाड़ के नाम से पुकारा जाता है। कर्नल जेम्सटाड ने इस क्षेत्र के मीणों की वीरता और जीवन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसने इस क्षेत्र को रोमांचक गाथाओं का विपुल भंडार बताया है। देवाजी के पिता खिवान्दी (पाली) के मुखिया थे। पिता की मृत्यु के बाद परम्परा के अनुसार उन्हें मुखिया बनाया गया। देवाजी अपने पिता के समान चतुर एवं साहसी थे। अत: आस-पास के क्षेत्र में वे बहुत ही लोकप्रिय थे। उस समय इस क्षेत्र के मीणा विभिन्न स्थानों से चौथ वसूल किया करते थे। इसके उपलक्ष में उन गांवों के निवासियों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते थे। इस प्रथा के अनुसार देवाजी के पास जोधपुर के चार तथा सिरोही रियासत के तीन गांवों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र ठाकरिया की चार चौकियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी उन पर ही था। इन गाँवों में देवतरागांव भी था, जो जोधपुर के राठौड़ शासकों के अधिकार में था। देवतरा के ठाकुर अनार सिंह ने चार वर्ष के अकाल का बहाना बनाकर चौथ व बोलावा कर-वसूल करने से देवाजी को रोक दिया था जबकि ठाकुर अपने हिस्से का लगान किसानों से लेता रहता था।

देवाजी ऐसा अपमान कैसे सहन कर सकते थे। अत: उन्होंने ठाकुर को गढ़ में जाकर ललकारा। ठाकुर ने उसे दुत्कारा और अपने चार कर्मचारियों के साथ देवाजी का पीछा किया। देवा जी ने वृक्ष की ओट से तीर चलाकर उन चारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद देवाजी ने अपना मजबूत द्रगड़ा बनाया। इस सैनिक दस्ते में 50 प्रशिक्षित सैनिक होते थे। देवाजी इस प्रकार के 8-10 द्रगड़ों के सर्वमान्य नेता होते थे। इनके मेवासे पहाड़ों की घाटी में दुर्गम स्थल पर होते थे। जोधपुर नरेश ने देवाजी को बन्दी बनाने के लिये सेना भेजी। परंतु इसमें उनको तनिक भी सफलता नहीं मिली। देवा जी अपने परिवार से वर्ष में एक बार गोमतेश्वर जी के मेले में मिला करते थे। देवा जी की पुत्री ओबू बाई के विवाह की सूचना जब जोधपुर नरेश को मिली तो उन्होंने पांच सैनिक देवाजी को बन्दी बनाने के लिये भेजे। परंतु देवाजी आसानी से पकड़ में आने वाले नहीं थे। बारात रवाना हुई तो जोधपुर के सैनिक पीछे पीछे चल पड़े। देवाजी बारातियों से राम राम करने रास्ते में आये तो उनके पास 8-10 द्रुगड़े थे (500 सिपाही) इन द्रगड़ों को देखकर जोधपुर के सैनिक घबरा गये और भाग छूटे। उनके मित्र सादल जी बहुत वीर थे। देवा जी बहादुरी और दिलेरी के बहुत सी गाथायें आज भी सुनने को मिलती है। वे विदेशी शासन व सामन्तवाद के कट्टर शत्रु थे। उनकी शौर्य पूर्ण गाथायें लोकगीतों में मिलती है। परंतु क्रमबद्ध वृतान्त उपलब्ध नहीं है। देवाजी मीणा के नाम पर आज भी उनके वंशज सीहरा गौत्र के मीणा अपने आपको गौरवान्वित समझते हैं।

खैराड़ के मीणों की शौर्य गाथा

बनास नदी के दोनों ओर के क्षेत्र जिसमें भीलवाड़ा जिले का अधिकांश उत्तरी भाग एवं अजमेर, टोंक एवं बूँदी के सीमावर्ती क्षेत्र खेराड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म से खैराड़ के मीणों में वीरता के संस्कार डाल दिये जाते हैं। इन स्वतंत्रता प्रेमी मीणाओं पर अंकुश लगाने के लिये ही अंग्रेजों ने देवली की छावनी में ''मीणा बटालियन'' स्थापित की थी। यह मीणा बटालियन तो ब्रिटिश शासनकाल में ही समाप्त हो गई, परन्तु खैराड़ आज भी सैनिक मनोवृत्ति को संजोये हुये हैं।

इस क्षेत्र का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है, जिसका एक न एक सदस्य सेना में भर्ती न हो। किसी परिवार में पाँच भाई है तो चार भाई सेना में होंगे और एक भाई गाँव में रहकर खेती बाड़ी संभालेगा। इस क्षेत्र के मीणा सैनिक जीवन को ही श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि इनको जन्म लेते ही इनको ऐसी जन्मघूटी पिलाई जाती है कि ''तू सौ साल जीवे और तू खूब सेना के मोर्चे घुमावे।'' अर्थात् तेरी आयु 100 वर्ष की हो और युद्ध के मोर्च पर तू मोर्चा संभालकर शत्रु से बढ़-चढ़ कर लोहा ले। सचमुच वीरमातायें ही वीर संतान को जन्म देती हैं।

खैराड़ के मीणों द्वारा अंग्रेजी राज का विरोध

जहाजपुरी खजूरी, लुहारी आदि के मीणाा सदा से स्वाभिमानी व बड़े विनम्र रहे हैं। उनकी विनम्रता जब तक ही रहती है जब उनके स्वाभिमान को कोई चोट न पहुँचाता हो। कर्नल जेम्सटाड ने ''एनाल्स एण्ड-एन्टिक्विीटीज'' नामक ग्रंथ में लिखा है कि ''खैराड़ के मीणों के असीम शौर्य पराक्रम की कहानियाँ आज भी लोग गर्व के साथ याद करते हैं। मीणा प्रकृति पुत्र है, वन के सच्चे स्वामी है। सम्मान देने वालों का सम्मान करना इनका विशेष गुण है। ऐसी पवित्र भावना मैंने संसार की किसी जाति में नहीं देखी। अपने से बड़ों को वे अतुलराज कहकर संबोधित करते हैं। मेरे बीच बचाव के कारण जहाजपुर का क्षेत्र महाराणा को मिला।'' भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर व आस-पास का क्षेत्र खेराड़ कहलाता है। खजूरी की वीर मातायें अपने पुत्र के जन्म के समय ही रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त करने की कामना करती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के मीणा सेना में अधिक संख्या में है। कर्नल टाड ने भी शांति स्थापना के लिये मीणा रेजीमेन्ट की स्थापना की और मीणों का विश्वास प्राप्त किया।

प्रख्यात इतिहासविद कविराजा श्यामलदान ने अपने ग्रन्थ वीर विनोद में मीणों के शौर्य का विस्तृत वर्णन किया। इन आदिवासी वन बिहारी जातियों को महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस उपलक्ष में इनको अनेक जागीरें मिली हुई थी, परन्तु जब स्वातंत्र्य वीरों को महाराणा की अंग्रेजी राज की अधीनता स्वीकार करने की बात रुचिकर नहीं लगी। अंग्रेजों से प्रोत्साहन पाकर मेवाड़ के महाराणा मीणों के दमन के लिये तैयार हो गये। दूसरी ओर मीणों में भी यह विश्वास घर करता जा रहा था कि अंग्रेजी राज में उनकी सुविधायें भी समाप्त हो जायेगी। वे किसी कीमत पर अपने जातिगत अधिकारों से वंचित होना नहीं चाहते थे। कवि राजा श्यामलदास मीणों के शौर्यपूर्ण कार्य का इस प्रकार वर्णन किया है:-

''अजमेर में डाका डालने तथा लूटमार करने को रोकने के लिये और मीणों को दबाने के लिये ब्रिटिश सरकार ने उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह जी को लिखा है। फलस्वरूप मीणों को दबाने के लिये

अपने राज्य के प्रमुख जागीरदारों के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। रघुनाथ सिंह व मेहता अजीत सिंह को यह कार्य सौंपा गया। इनके साथ बनेड़ा, शाहपुरा, बिजोलिया ठिकानों के सैनिक भी थे। उस समय लुहारी के मीणा बहुत शक्तिशाली थे और वे अंग्रेजी खजानों को लूटते और अंग्रेजों के आश्रित राजाओं में सर्वदा उत्पात मचाते रहते थे। अत: सर्वप्रथम लुहारी ग्राम पर ही अंग्रेज समर्थित मेवाड़ी सेना ने आक्रमण किया। लुहारी ग्राम पर मेवाड़ी सेना का अधिकार हो गया। मीणा अपने जीवन रक्षा के लिये पहाड़ों की कन्दराओं में जा छिपे। मेहता अजीत सिंह के सैन्य दल ने उनका पीछा किया और कुछ मीणाओं के सिर काट दिये और उनके घरों को जला दिये, परन्तु वे इस दमन चक्र में पराजित होने वाले नहीं थे। वे मनोहरगढ़ और देवड़ी की पहाड़ियों पर एकत्रित होकर वे शत्रु सेना का सामना करने की तैयारी करने लगे। लुहारी के मीणों की सहायता के लिये जयपुर, बूँदी व टोंक क्षेत्र के लगभग पाँच हजार मीणा अपने जाति भाइयों की मदद के लिए एकत्रित होने लगे। इस पर मेवाड़ी सेना के सेनापति अमर सिंह शक्तावत के नेतृत्व में मेवाड़ रेजिडेन्ट के परामर्श से मीणों पर भयंकर आक्रमण किया गया। मीणों ने बचाव के लिए डूडूडू की किलकारी की। मेवाड़ की सेना तोपों से गोले दागने लगी। मीणों की सेना तीर कमान व बन्दूक की गोलियों से इस आक्रमण का जवाब देने लगी। उधर जयपुर टोंक व बूँदी से आये मीणा वीरों ने मेवाड़ी सेना को चारों ओर से घेर लिया और पीछे से गोली एवं तीरों की बौछार करने लगे। अन्त में धान्धोला के जागीरदार रायसिंह ने मीणों को ललकारा ''तुमको मेवाड़ में रहना है या नहीं, याद रखो तुमने महाराणा की सेना के सैंकड़ों राजपूतों को मार डाला, उसका बदला लिया जायेगा।'' यह सुनकर मीणा पीछे हट गये और मेवाड़ी सेना घायल तथा मृत लोगों को लेकर ग्राम लुहारी लौट गई। इस मीणों और राजपूत संघर्ष में बिजोलिया के गोवर्धन सिंह पंवार शाहपुरा सेना के छोटी कनेछण के जागीरदार के भाई गंभीर सिंह राणावत और मेवाड़ की सेना के अनेक सैनिक मारे गये। इनके अतिरिक्त शाहपुरा सेना में अरण्या के रेवत सिंह कान्हावत जहाजपुर के भूर सिंह हाड़ा के साथ उनके सैनिक घायल हुये। इस पराजय के बाद अजीत सिंह जहाजपुर लौट गये।

मीणों को इस बात का दुख तो नहीं था कि उनके हाथों से मेवाड़ी सेना के अंग्रेज सैनिक मारे गये, परन्तु इस बात का दुख अवश्य था कि राजपूत सरदार भी उनकी गोलियों के निशान बन गये। कुछ समय बाद कविराजा श्यामलदान जहाजपुर पहुँचे तो उन्होंने मीणों से बात-चीत की और यह पूछा कि ''तुमने राजपूतों को क्यों मारा?'' इस पर लुहारी के मीणों के नेता गोकुल और गाडोली के नेता भुवाना पटेल ने महादेवजी की सौगन्ध खाकर कहा कि ''काली अंगरखी होने से लीलियों के धोखे (अंग्रेज समझकर) में आकर राजपूत मारे गये। जानबूझकर राजपूतों पर आक्रमण नहीं किया ''ब्रिटिश सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया। राजपूताना के पोलिटिकल एजेन्ट हेनरी लारेन्स और जार्ज लारेन्स, शाहपुरा बनेड़ा राजनगर तथा नाथद्वारा की यात्रा करते हुए 15 फरवरी 1853 ई. को उदयपुर आये और वहां 15 दिन ठहरे। खेराड़ के मीणों के उपद्रव की जब उन्होंने बात सुनी तो उन्होंने इन पर नियंत्रण के लिये देवली में अंग्रेजी छावनी खोलने का निर्णय लिया।

खेराड़ व शेखावाटी के मीणों की भाँति ही मेवाड़ के भील मीणों ने भी अंग्रेजी राज के नाक में दमकर रखा था। 1871 ई. में महाराणा सज्जन सिंह जी के समय अनुचित बैठ बेगार के विरूद्ध इन आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। इनमें बारहपाल के मीणों की अधिक भूमिका रही। इस विद्रोह में उस क्षेत्र के मीणें

भी इनके साथ थे। इन आदिवासी क्रांतिकारियों ने बारहपाल की चौकी जला दी। वहाँ के थानेदार व सिपाही सभी मारे गये मेवाड़ की सेना ने भीलों पर आक्रमण किया, परन्तु वे घने जंगलों व पहाड़ों में छिप जाते और वहीं से तीर कमान की बौछार करते। अन्त में अंग्रेजी सेना की सहायता से ही इनको दबाया गया। स्वतंत्रता प्रिय भील व मीणों का स्थानीय शासकों से कोई विरोध नहीं था। ये लोग अपनी स्वतंत्रता को खोकर जब अंग्रेजों के गुलाम हो गये और उनके इशारे पर इन आदिवासी भाईयों का दमन करने लगे, तब ही उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई। इससे पहले तो अपने राजपूत राजाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिये निरंतर युद्धरत रहे। मुगलों के संघर्ष में भील मीणें महाराणा प्रताप के साथ थे। हल्दीघाटी के युद्ध में इन्हीं धरती पुत्रों ने भील-मीणा नेता राणा पूँजा के नेतृत्व में मुगल सेना से लोहा लिया था। उनका विरोध विदेशी शासकों से था। स्थानीय शासकों के तो वे सर्वदा से ही समर्थक रहे। अंग्रेजी शासन सर्वदा ही उनकी आँख का कांटा बना रहा। खेरवाड़ा के आदिवासी ब्रिटिश शासन के प्रबल शत्रु थे। यहाँ का सेटलमेन्ट (बन्दोबस्त) का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इससे इनकी जमीन पर सरकारी अधिकार हो रहा था। यहाँ के भीलों को समझाने बुझाने के लिए उदयपुर के पोलिटिकल एजेन्ट मेवाड़ के प्रथम सहायक ब्लेयर और मेवाड़ के सेटलमेंट ऑफिसर विशेंट साहब छावनी खेरवाड़ा के सैनिकों के साथ जब आदिवासियों को समझाने बुझाने के लिये खेरवाड़ा पहुँचे। वहाँ एक पहाड़ पर उस क्षेत्र के भील एवं मीणा एकत्रित हो गये थे। इनकी संख्या चार हजार थी। इन अंग्रेज अधिकारियों को दूर से ही देखकर आदिवासी नेताओं ने अंग्रेजों के दल को ललकारते हुये कहा ''तुम दिल्ली वाले यहाँ क्यों आये। यहाँ से चले जाओ हमारे स्वामी महाराणा साहब दरबार है, उनके भेजे हुये अधिकारी ही आयेंगे तब हम उनसे बात करेंगे।''

अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नम्रता से इन आदिवासियों से बात करना चाही और कहा कि हम तुम्हारे लाभ के लिये यहाँ आये हैं, परन्तु आदिवासियों को इन पर विश्वास नहीं हुआ और इन पर तीर कमान से आक्रमण करते रहे। अंग्रेज अधिकारियों ने खेरवाड़ा जाकर अपनी जान बचाई। भीलों ने अंग्रेज शिविरों का बहुत सा माल लूट लिया। इन आदिवासियों की एकता एवं संगठन शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसको शक्ति से नहीं दबाया जा सका। अन्त में समझौता हुआ। इनकी अनेक माँग मान ली गई। इस कार्य में वीर विनोद के विद्वान् लेखक श्यामलदान जी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। अन्य स्थानों पर भी इन भील-मीणों के उपद्रव चलते रहे। महाराणा सज्जन सिंह जी के समय उदयपुर के पश्चिमी जिले कालबास के भीलों ने विद्रोह कर दिया डूंगरपुर रियासत में अनुचित बैठ बेगार के विरूद्ध आदिवासी निरंतर संघर्ष करते रहे। इनके विद्रोह को दबाने के लिये डूंगरपुर महारावल जसवन्त सिंह ने अंग्रेजों से सहायता माँगी। परन्तु आदिवासी अपनी माँगों के लिये सर्वदा संघर्षरत रहे। एक समय डूंगरपुर महारावल उदयसिंह द्वितीय जब आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर थे तब माण्डव के भीलों ने विद्रोह कर दिया और सेना का बहुत सा सामान लूट लिया। इतना ही नहीं पोलिटकल एजेन्ट के पड़ाव पर भी धावा बोला गया और उनके शिविर का बहुत सा सामान लूट लिया गया।

इन्हीं दिनों देवल की पाल के भीलों ने देवल थाने पर आक्रमण किया। थानेदार को मारकर खैरवाड़ा-उदयपुर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया। इनका विरोध बिलायती पलटन से था, जो बराड़ कर वसूल करने के लिये भीलों की पाल में जाते थे। ये लोक बड़े निर्दयी थे और भीलों के साथ कठोर व्यवहार करते थे। अन्त में ब्रिटिश सरकार के बीच बचाव से बिलायती एवं मकरान लोगों को नौकरी से हटाया गया, तभी

वहां शांति स्थापित हो सकी। इन पठानों के अत्याचारों से दुखी होकर ही आदिवासी विद्रोह पर उतारु होते थे।

आदिवासी हमेशा से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये सर्वदा तैयार रहते थे। उस समय के भारतीय नरेश भी मीणों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते थे। त्यौहार आदि अवसरों पर इनको निमंत्रित करते थे और इनको उपहार देते थे क्योंकि संकट के समय वे उनके राज्य की रक्षा करते थे। परन्तु देशी नरेश अंग्रेजों की सहायक संधि के जाल में जब फंस गये और अंग्रेजों की सहायता पर ही निर्भर रहने लगे और ऐश-आराम का जीवन व्यतीत करने लगे। इसके अतिरिक्त इन देशी नरेशों को अंग्रेजों की सेवा में भी लगा रहना पड़ता था और इसके लिये व्यय भी करना पड़ता था। यह सभी प्रकार के कर जनता से ही लिये जाते थे। इस प्रकार देशी नरेश आम जनता से दूर होते गये, वे अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर विदेशी शासन के प्रति उत्तरदायी थे। इसी तरह छोटे-छोटे जागीरदार भी अपने क्षेत्र की जनता की सुविधा का ध्यान न रखकर राजा महाराजाओं की गुलामी में लगे रहते थे। इन सभी का परिणाम यह निकला कि आदिवासी जनता की आस्था शासकों से प्रतिदिन घटने लगी। उच्च वर्ग के लोग एवं व्यापारी वर्ग भी सामन्तों का आश्रय पाकर आदिवासियों का शोषण करते रहते थे। उस समय की सबसे दुखदायी घटना बैठ-बेगार, लाग-बाग प्रथा थी। सरकारी कर्मचारी भी व्यक्तिगत रूप से बैठ- बेगार लेते थे। इस भय से जनजाति के लोग इधर-उधर छिपते रहते थे। बेगार प्रथा के अनुसार अपने गाँठ की रोटी खाकर सामन्तों के निजी सामान को लेकर मीलों पैदल चलना पड़ता था। बेगार में किसी भी व्यक्ति को जबचाहे पकड़ लिया जाता था। वह यह नहीं जान सकता था कि इस कार्य से उसे कब मुक्ति मिलेगी? यदि वह बेगार करने से मना करता तो उसे अमानुषिक अत्याचार सहन करना पड़ता था। बेगारी को निशुल्क सामन्त के खेत पर हल चलाना पड़ता था। उसके बैल, ऊँट, बैलगाड़ी का उपयोग भी निशुल्क किया जाता था। रियासत के शासक ही नहीं इनसे भी बढ़-चढ़कर स्थानीय सामन्त मीणों व आदिवासियों के श्रम का खुलकर शोषण करते थे। रियासत के कर्मचारी इस कार्य में भी किसी से भी पीछे नहीं थे। वे आदिवासियों से बेगार लेते थे। सामन्तों ने किसानों पर अनेक प्रकार के अनुचित कर लगा रखे थे। इस प्रकार के 84 कर थे। इस अन्याय के विरूद्ध स्वर्गीय विजय सिंह पथिक ने किसानों को संगठित किया। उनके प्रयास से सामान्तवाद के विरूद्ध प्रथम किसान आंदोलन 1920 में बिजोलिया में हुआ। यह एक प्रकार से सामन्तवाद के विरूद्ध स्वतंत्रता संग्राम ही था।

आज जो राजा महाराजाओं के भव्य प्रसाद खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये कमजोर वर्गों के शोषण का प्रतीक है। इस पाप के कारण ही आज अनेक राजमहल सुनसान पड़े हैं। इनमें दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं है। बेगार की भाँति ही जयपुर राज्य में दादरसी काननू लागू था। बैठ-बेगार और इस प्रकार के अनुचित करों के विरोध में आंदोलन भी चलते रहे। अलवर राज्य में नीमूचना काण्ड विशेष उल्लेखनीय है जिसमें आदिवासी मीणा जाति पर गोलियां चलाई गई जिसका विस्तृत वर्णन अगले पृष्ठों में पढ़ेंगे। आदिवासी जनजाति को यह भय सदा बना रहता था कि ब्रिटिश शासन में हमारी कला एवं संस्कृति तथा परम्परा नष्ट हो जायेगी। इसी कारण वे विदेशी शासन को उखाड़ फैंकने का निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। मीणा आदिवासी जनजाति को साधारण नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। शिक्षा प्राप्ति की तो बात दूर रही। हिन्दू समाज का ढाँचा ही इस प्रकार का था कि ये लोग आगे न आ सके। परन्तु देश में कांग्रेस व

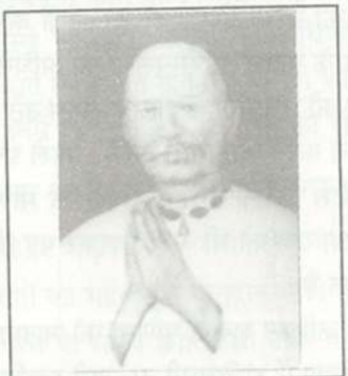
प्रजामण्डल के उद्भव के बाद कुछ प्रबुद्ध लोग इनकी शिक्षा के लिये आगे आये।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हरिजन सेवक संघ की पाठशालाओं से ज्ञान की रोशनी फैलाने का प्रयास किया। इनसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा और अछूतों की शिक्षा पर बहुत कार्य किया। अनेक पाठशालायें खोली गई। राजस्थान में जनजाति क्षेत्र में शिक्षा प्रसार का कार्य स्वर्गीय माणिक्य लाल वर्मा ने उठाया। उनकी प्रेरणा से भोगी लाल पाण्डया ने आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। आदिवासी समाज में से शिक्षक तैयार किये गये आदिवासी क्षेत्र में पाठशालायें खोली गई। इस प्रयास से डूंगरपुर के महारावल घबरा उठे। अन्य सामन्तों ने भी समझ लिया कि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो गया तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी। जनजाग्रति के बाद आदिवासी हमारे अत्याचारों का विरोध करेंगे।

अत: डूंगरपुर के सामन्त ने आदिवासी भाइयों द्वारा चलायी जाने वाली पाठशालाएं बन्द करने का अभियान चलाया और सामन्तों के सिपाहियों ने आदिवासी विद्यालयों को धराशायी करने का अभियान शुरू कर दिया। परन्तु इस क्षेत्र के भील मीणा समाज ने सामन्तवाद की इस मनमानी का डटकर विरोध करना शुरू कर दिया। इनमें डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गाँव की स्कूल को गिराने के लिये सरकारी कर्मचारी रास्तापाल पहुँचे तो वहाँ के प्रधान शिक्षक नानाभाई खाट ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि ''जीते जी मैं पाठशाला बन्द नहीं होने दूंगा।'' अन्त में सामन्तवाद के दुर्दान्त दरिन्दों ने बन्दूक के कून्दों से पीट-पीट का उन्हें अधमरा कर दिया। डूंगरपुर ले जाते समय रास्तें में ही उन्होंने प्राण त्याग दिये। इनके दूसरे



नाना बाई खाट का चित्र



गुरु गोविन्द का चित्र



काली बाई का चित्र

साथी सेंगाभाई को भी बहुत पीटा गया और उसे पुलिस ट्रक के पीछे बाँध कर घसीटते हुये वे डूंगरपुर ले जा रहे थे। रास्ते में गाँव के बाहर एक आदिवासी बाला कालीबाई ने जब अपने गुरू के करूण क्रन्दन को सुना तो उसने खेत में घास काटना छोड़कर पुलिस के ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। दुष्टों ने उस किशोरी की एक न सुनी, परन्तु काली बाई ने ट्रक का पीछा नहीं छोड़ा। अंत में ज्योंही ट्रक की गति धीमी पड़ी उसने अपनी हंसिया (दांतली) के झटके से ट्रक की रस्सी काट दी। गुरू सेंगे जी को मुक्त करा लिया, परन्तु कालीबाई पुलिस की गोलियों से वहीं ढेर हो गई।

नानाभाई पहले ही शहीद हो चुके थे। कालीबाई को भी डूंगरपुर ले जाया गया। वहाँ हजारों की संख्या में भील मीणा एकत्रित हुये और उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। आज डूंगरपुर में गेंभसागर तालाब की पाल पर मानव अधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में नानाभाई खाट व काली बाई की मूर्तियां लगी हैं।

आज साक्षरता के नाम लूट मची हुई है। ऐसी स्थिति में साक्षरता प्रसार के निस्वार्थ भाव से जीवन देने वालों का सम्मान स्मरण करना चाहिए। शिक्षक दिवस पर वेतनभोगी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, परन्तु शिक्षा के लिये जीवन देने वाले आदिवासियों को याद तक नहीं किया जाता। आज भी इनको उचित सम्मान नहीं है। गोविन्द गुरु आदिवासी भील मीणों में जागृति लाने का सर्वाधिक श्रेय गोविन्द गुरू को है। गोविन्द गुरू का जन्म 1858 में डूंगरपुर राज्य के बांसिया ग्राम में एक बणजारे के घर में हुआ था। उन्होंने एक गाँव में पुजारी की सहायता से अक्षर-ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से वे युवावस्था में ही समाज सेवा में लग गये। उन्होंने आदिवासिथों की सेवा के लिये 1883 ई. में सम्प सभा की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात व मालवा के आदिवासियों को संगठित किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने इन जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा उनके चरित्र निर्माण पर जोर दिया। परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजाति बंधुओं को अपने मूलभूत अधिकारों का ज्ञान करान! था। इसलिये जनजातियों में लोकप्रिय हो गये और श्रद्धा से उन्हें ''गुरू गोविन्द'' के नाम से सम्बोधित करने लगे और उन्हें भगवान के रूप में मानने लगे।

सर्वप्रथम गुरू गोविन्द की इस सम्पसभा का अधिवेशन गुजरात में मानागढ़ की पहाड़ पर 1883 ई. में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में गुरू गोविन्द के प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक मीणों व भीलों ने शराब छोड़ने, अपने बच्चों को पढ़ाने एवं आपसी झगड़ों को व्यक्तिगत रूप न देकर पंचायत से सुलझाने की प्रतिज्ञा की। गुरू गोविन्द ने उन्हें अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का बोध कराया और उनसे ली जाने वाली बैठ-बेगार का विरोध करने की प्रेरणा दी। उन्हीं उच्चादर्शों को बार-बार दोहराने के लिये प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मानागढ़ के पहाड़ पर सम्पसभा का अधिवेशन होने लगा। इन आदिवासियों में दिन-प्रतिदिन जागृति से आस-पास की रियासतों के शासक सहम उठे। उनको भय हो गया कि ये जनजाति सुसंगठित हो भील राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। पहले इन रियासतों में अनादिकाल से इनका ही शासन था। उन्होंने विदेशी ब्रिटिश शासन से प्रार्थना की कि मीणा आन्दोलन से न केवल रियासती शासकों को ही खतरा है, वरन् ब्रिटिश राज को भी आगे चलकर यह गंभीर चुनौती होगी। अत: आदिवासी संगठन को दबाना नितान्त आवश्यक है।

प्रतिवर्ष की भाँति 1888 की अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मानागढ़ की पहाड़ी पर विशाल सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में भारी संख्या में आदिवासी नर-नारी एकत्रित हुये थे। देशी रियासतों के शासकों के निवेदन पर ब्रिटिश सेना ने चारों ओर से मानागढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने पहाड़ी पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। 1500 आदिवासी घटना स्थल पर ही शहीद हो गये। हजारों घायल हो गये। गुरू गोविन्द और उनकी पत्नी को बन्दी बनाया गया। गुरू गोविन्द पर अभियोग चलाया गया और अंग्रेजी राज के विरूद्ध विद्रोह करने का आरोप लगाकर अदालत ने उन्हें फाँसी की सजा दी। परन्तु आदिवासियों के विद्रोह के भय से सरकार ने इस सजा को बीस वर्ष की आजीवन कारावास में बदल दी। परन्तु उन्हें 10 वर्ष बाद ही रिहा कर दिया गया। गुरू गोविन्द ने अपना शेष जीवन कंबोई नामक स्थान पर बिताया। शताधिक वर्ष व्यतीत होने पर भी आज भी लाखों मीणा लोग बड़ी संख्या में मानागढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होकर स्वतंत्रता के उद्घोषक अपने प्रिय गुरू को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को वे अपने गुरू की याद में सामाजिक सुधार करने की प्रतिज्ञा लेते हैं।

देवली की छावनी को नष्ट करना

यह पहले पढ़ चुके हैं कि खेराड़ के मीणों के दमन के लिये ही देवली की छावनी की स्थापना की गई थी। अत: क्रांतिकारियों ने छावनी को आग के भेंट कर दिया। इधर आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति निरंतर क्रांतिकारी बनती जा रही थी। मालवा, मउ, एवं सलूंबर के आदिवासी जत्थे क्रांति में शामिल होने लगे।

अजमेर जेल में विद्रोह

नौ अगस्त को अजमेर जेल में विद्रोह हो गया। पचास कैदी भागने में सफल हुये। क्रांतिकारी आगरा होकर दिल्ली जाने का मानस न बनाते और अजमेर शस्त्राधार पर अधिकार कर लेते तो क्रांति का इतिहास कुछ और ही होता।

नसीराबाद में क्रांति

राजस्थान में क्रांति का शंखनाद 28 मई 1857 ई. को सायंकाल 4 बजे नसीराबाद की छावनी से हुआ। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने ग्रन्थ ''स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास'' में इसका वर्णन सविस्तार से किया है,'' 15वीं रेजीमेन्ट ने रणभेरी बजाकर सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तोपखाने पर पुन: अधिकार करने के लिये बंबई से आये भालाधारी सैनिक क्रांतिकारियों पर टूट पड़े, परंतु कुछ समय बाद उनमें स्वदेश की भावना जाग उठी वे पुन: लौट गये। न्यूबेरी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कर्नल पैनी और कप्तान स्पोटिशवुड भी इस संघर्ष में काम आये। अंग्रेज अधिकारियों के निवास स्थान अग्नि देव के भेंट कर दिये गये। नसीराबाद कस्बे पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। लगभग तीन हजार क्रांतिकारियों ने अपने अस्त्र शस्त्र चमकाते रण संगीत गाते हुये दिल्ली की ओर कूच किया।'' यहाँ पर तीन हजार क्रांतिकारियों का उल्लेख है। उनमें निश्चित रूप से मीणों की संख्या अधिक रही होगी।

नीमच में क्रांति का शंखनाद

3 जून 1857 ई. को यहाँ भी क्रांति भड़क उठी। स्थल सेना ने समूची छावनी को घेर लिया। इस कार्य में स्थानीय गुजर-मीणा और रावतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ से क्रांतिकारी आगरा होते हुये दिल्ली जाने को तैयार हुये। दिल्ली कूच के समय क्रांतिकारी टोंक व निंबाहेड़ा में रूके। वहाँ स्थानीय जनता ने उनका भारी स्वागत किया और उनको मुक्तिदाता के रूप में देखा गया। निम्बाहेड़ा के पटेल ने क्रांतिकारियों की सहायता की। कप्तान शावर्स जब निंबाहेड़ा पहुँचा तो वहाँ के मुख्य पटेल को क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण ही फाँसी की सजा दी गई।

शूरवीर तांत्या मामा

याद करो उस भील मीणा वीर को,
तात्या नाम धराया-
खूब छकाया अंग्रेजों को
वन वन मार भगाया।

आदिवासी जनजाति ने आजादी का संघर्ष अनवरत जारी रखा। यदि देशी नरेश इनका नेतृत्व करते

तो देश 1857 ई. में ही स्वतंत्र हो जाता और उसे विभाजन के कड़वे घूट नहीं पीने पड़ते। इन क्रांतिकारी आदिवासी भील मीणा में तांत्या का नाम सर्वदा अमर रहेगा। उसने आजीवन अंग्रेजी शासन एवं उसके पक्षधर हिन्दुस्तानी पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध संघर्ष किया।

विदेशी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम संगठित युद्ध 10 मई 1857 ई. को प्रारंभ हुआ था। भारत के इन रण बांकुरों ने रोटी व कमल चिन्हित फहराते ध्वज के तले स्वतंत्रता की इस हिलोर ने अंग्रेजी शासन की झड़ों को झकझोर कर रख दी थी किन्तु आपस की फूट एवं सहयोग के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम की बलिदानी वीरों को इसमें सफलता नहीं मिली। स्वतंत्रता के इस महासगर में आदिवासी जनजातियों का अभूतपूर्व योगदान रहा। देश की बड़ी रियासतों के शासक अंग्रेजों की सहायक संधि के जाल में फँसकर अपने स्वाभिमान को खो चुके थे। परन्तु स्वतंत्रता प्रेमी मीणा तांत्या का जन्म मध्य प्रदेश के नीमाण क्षेत्र में 1842 ई. में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय उसकी आयु 15 वर्ष की थी। किशोरावस्था में ही उसने विदेशी शासन के दमनचक्र को अपनी आंखों से देखा था। उस समय के भ्रष्टाचार एवं शोषणवृत्ति ने उसे अन्याय के विरुद्ध हथियार उठाने के लिये विवश कर दिया। तांत्या के पिता का देहान्त उस समय हो चुका था। निरंतर अकाल पड़ने के कारण वह अपनी जमीन का लगान भी नहीं चुका सका था। अत: उसकी जमीन सरकार ने हस्तगत कर ली। रोजी-रोटी से वंचित वह अधिक उग्र बन गया और अन्याय के प्रतिकार में विदेशी शासन के कर्मचारी एवं उनके समर्थकों पर धावा बोलने लगा।

उसकी स्वातंत्र्य एवं देश प्रेम की भावना को सामन्ती वर्ग कैसे सहन कर सकता था? अत: तांत्या के विरुद्ध अंग्रेज शासकों के कान भरने लगे। उसे विद्रोही बताकर कितनी ही बार जेल भेजा गया। परंतु इस अनावश्यक दमन से वह निराश नहीं हुआ और निरंतर संघर्षरत रहा। उसके निर्भीक एवं स्वतंत्र विचारों से गुलाम प्रवृत्ति के लोग द्वेष करने लगे और उसे झूठे अभियोग लगाकर निरंतर फंसाया जाने लगा। उसने पुलिस शासन के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की ठान ली। इस कार्य में सहयोग के लिये उसने उन युवकों का एक दल बनाने का निश्चय कर लिया जो उसके भांति ही विदेशी शासन के अत्याचारों से दुखी थे। अत: उसने बिजनियां एवं दिपिया जैसे भील-मीणों को अपने दल में स्थान दिया। एक सशक्त क्रांतिकारी दल बन जाने के बाद शासन के संरक्षण से शोषण करने वाले लोगों को चुन-चुनकर पीटा जाने लगा और उनके काले धन को लूटकर निर्धन जनता में बाँटना प्रारंभ कर दिया।

ब्रिटिश शासन इस आदिवासी क्रांतिकारी दल से इतना भयभीत था कि उसने ''तांत्या भील मीणा'' के अधिकारी की नियुक्ति की।

ब्रिटिश शासन में साम-दाम-दण्ड भेद की नीति से क्रांतिकारी दल का दमन प्रारंभ कर दिया। दल के प्रमुख नेता बिझनिया और दीपिया को छल प्रपंच से अंग्रेजों ने बन्दी बना लिया। इन दोनों को जबलपुर जेल में भेज दिया गया। इसी बीच ''दिपिया'' अंग्रेजों की आँखों में धूल झोंक कर जेल से निकल भागा। यह कम शौर्य की बात नहीं थी। तंग आकर अंग्रेजी शासन ने ताँत्या को बन्दी बनाने के लिये इंग्लैण्ड से एक विशेष अधिकारी को बुलवाया। जब ताँत्या ने यह सुना तो, वह कुली बनकर उसकी सेवा में पहुँच गया और घने जंगलों में अपने फौलादी सीने को अंग्रेज अधिकारी के सामने करके कहा कि ''मैं ही ताँत्या हूँ चाहो तो बन्दी बनाओ।'' अंग्रेज अधिकारी घबरा गया। ताँत्या ने इतना ही कहा ''आज के बाद मेरे सामने कभी नही आना।'' अंग्रेज अधिकारी ताँत्या से इतना सहम गया कि वह वापिस इंग्लैण्ड चला गया।

दिपिया के साथ बन्दी बनाया गया, बिझनियां, अद्भुत शक्तिशाली था। वह शेर की भांति दहाड़ता था और तीव्र गति से दौडता था। विदेशी शासन विझनिया को अपना परम शत्रु मानता था। अत: बन्दी अवस्था में ही उस पर झूठे अभियोग लगाकर 1881 में फाँसी की सजा दे दी। फाँसी पर लटका कर उसकी लाश को पेड़ पर ही छोड़ दिया ताकि लोग भयभीत होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज न उठा सकें।

तॉत्या का समर्थन

22 जून 1858 ई. को उन्होंने राजस्थान में इस आशा से प्रवेश किया कि राजस्थान सर्वदा ही वीरभूमि रही है। अत: यहाँ के नरेश अवश्य उसकी मदद करेंगे। उसने भरतपुर, झालावाड़, जयपुर भीलवाड़ा के घने जंगलों में ही अपने सैनिक शिविर स्थापित किये। टोंक, झालावाड़, बूंदी में उसको समुचित सहयोग मिला। परंतु जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसी बड़ी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। इधर अंग्रेजी सेना के बड़े-बड़े सेनापति उनका पीछा करते रहे। ब्रिगेडियर राबर्टस और होम्स उसका निरंतर पीछा करते रहे। परंतु वह कभी उनके पकड़ में नहीं आया क्योंकि स्थानीय आदिवासी जनता उसके साथ थी। लन्दन टाइम्स के संवददता विलियम रसेल ने ''माई डायरी इन इण्डिया'' में लिखा है कि ''प्रत्येक स्थान पर वह नई सेना एकत्रित कर लेता था। उसकी गति बिजली के समान थी। वह प्रतिदिन 40 मील चल सकता है, जबकि उसका पीछा करने वाले अंग्रेज सेनापतियों की गति उससे आधी थी। वास्तव में स्थानीय जनता का उसे इतना सहयोग था कि उसे उसके मित्र नरवर के राजा मानसिंह द्वारा धोखा देने पर ही अंग्रेज उसे बन्दी बना सके।''

मालसेन ने अपनी पुस्तक ''रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इण्डिया'' में लिखा है कि ''घने जंगलों में भी तांत्या को सदैव सर्वोच्च सूचना रहती थी। हमारे मित्र कहलाने वाले राजाओं के राज्य में भी वह घूमता रहता था। लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी।'' मालसेन इसी पुस्तक में आगे लिखते हैं ''यदि राजस्थान उठ जाता तो आगरे पर हमारा अधिकार जमाये रखना कठिन हो जाता और दिल्ली की ओर हमारी सेनायें न पहुँच सकती।'' ः;प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचन्द ओझा लिखते हैं कि ''यदि राजस्थान के राजा क्रांति र.रयों का नेतृत्व करते तो भारत 1857 में ही स्वतंत्र हो जाता।'' नाथूराम खड़गावत के शब्दों में ''आश्रयहीन शरणार्थी की भांति क्रांति का वह वीर नायक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा, राजस्थान की अधिकांश जातियां गूजर, मेव, मेर, रावत तथा मीणों ने क्रांति के प्रति सहानुभूति अवश्य रखी और यथाशक्ति उन्होंने क्रांति में योगदान किया।''

यह स्पष्ट है कि जब राजा एवं अधिकांश सामन्त वर्ग अंग्रेजों के साथ था तब अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाने में इतना समय क्यों लगा? इसका सीधा उत्तर है कि आदिवासी जनता ने इस क्रांति में खुलकर भाग लिया। अंग्रेज इतिहसकारों ने लिखा है कि ''हमें भारत को दुबारा जीतना पड़ा।''

धोखे से बन्दी बनाया गया

इस समय तक तात्या वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा था फिर भी उसके शौर्य एवं साहस से अंग्रेज भयभीत थे। ऐसे आदिवासी स्वभाव से सरल एवं निश्छल होते हैं। परंतु शासन के अन्याय ने ही उसे विद्रोही बना दिया था। एक एक करके सभी साथी बन्दी बना लिये गये थे। बिझानियां जैसा शूर वीर साथी फाँसी पर चढ़ चुका था। अत: तॉंत्या के धर्म बहनोई राजपूत सरदार गणपति ने ब्रिटिश सरकार से समझौता

वार्ता का प्रस्ताव उसके सामने रखा, तो उसने राजपूत बहनोई पर विश्वास करके समझौता प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विदेशी शासन ने समझौते के नाम पर उसे घेरने के लिये पुलिस दल भेज दिया और उसे बन्दी बना लिया। राखी के पुनीत पर्व पर जिस हाथ पर उसके स्नेह के धागे बंधने थे, उसके स्थान पर क्रूर शासन ने हथकड़ी डाल दी।

आदिवासी भील मीणा समाज ने ताँत्या के अभयदान के लिये प्रार्थना की, परंतु क्रूर शासन ने इसे ठुकरा दिया। तत्कालीन होल्कर नरेश ने भी तात्या को बचाने का प्रयत्न किया परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में 1888 ई. में स्वतंत्रता के इस बलिदानी वीर को क्रूर विदेशी शासन ने फाँसी दे दी। परंतु स्वतंत्रता की भावना नष्ट न हो सकी। आज भी उसके सम्मान में लोग अपना मस्तक झुकाते हैं। महू से कुछ आगे बढ़ने पर तात्यां के समाधि स्थल पर रेल रुक जाती है और सभी स्वतंत्रता के उस अमर सेनानी को प्रणाम करते हैं।

विद्रोह की आग अधिक फैली

विझानिया की फाँसी से संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र सुसंगठित होकर अंग्रेजी ठिकानो पर धावा बोलने लगा। विदेशी शासन के समर्थकों को चुन चुनकर पीटा जाने लगा। उसके दल की सूचना देने वालों लोगों के गांवों को अधिक दण्ड दिया परंतु उसने कभी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं की। वह निर्धन आदिवासियों की सदैव सेवा करता था। अत: स्थानीय आदिवासी जनता उस पर अटूट विश्वास करती थी। डूंगजी जवारजी की भांति वह जनता में बहुत ही लोकप्रिय था। अत: उसको पकड़ना अंग्रेजी शासन के लिये बहुत कठिन कार्य था, उसको वीरवर तांत्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा की भांति ही उसे धोखे से पकड़ने की योजना बनाई। दिपिया तथा तात्या के अनेक साथियों को बन्दी बनाकर काले पानी (अण्डमान-निकोबार) भेज दिया गया था। परंतु ताँत्या को अंग्रेज बन्दी बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे।

ताँत्या का स्मारक

तांत्या के प्रति वनवासी समाज में आज भी अटूट श्रद्धा है। पातल-पानी स्टेशन पर ताँत्या का एक स्मारक है। लकड़ी से निर्मित इस स्मारक पर वनवासी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ तकनीकी कारणों से रेल रुकती है, और अन्य यात्री ताँत्या के स्मारक पर फूल चढ़ाने का लाभ उठाते हैं।

आबू में विद्रोह

आबू क्षेत्र पूरा आदिवासी जनता से भरा हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के पोलीटिकल एजेन्ट एवं अन्य अंग्रेज अधिकारी गर्मी के दिनों में रहा करते थे। उनकी रक्षा के लिये जोधपुर सेना के 60-70 सैनिक रहते थे। आबू से कुछ दूर पर एरनपुरा में जोधपुर सैनिकों की छावनी थी। इसमें घुड़सवार सर्वश्रेष्ठ सैनिक थे। इनमें कुछ सैनिक माउन्ट आबू पहुंच गये और स्थानीय आदिवासी भी इनके साथ हो गये। उस समय यूरोपीयन अपने बिस्तरों पर सोये हुये थे। क्रांतिकारियों ने खिड़कियों से गोली चलाना शुरू कर दिया। इससे पोलिटिकल एजेन्ट का पुत्र एलेकजेन्डर एवं कप्तान हाल ए लारेन्स बुरी तरह से घायल हो गये। खजाना लूटकर विद्रोही एरनपुरा पहुँच गये।

रोहिड़ा हत्याकाण्ड

6 मई 1922 ई. को जलियाँवाला बाग से भी भीषण हत्याकाण्ड सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में हुआ। रियासत की सेनाओं ने चारों ओर से मीणों को घेर लिया और गोलियों की बौछार कर दी। राजस्थान सेवा संघ अजमेर ने इस हत्याकांड की जाँच के लिये अपना जाँच दल भेजा, जिसमें रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त जैसे तपस्वी नेता शामिल थे। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया कि–

''भूल और बालोलिया गाँव पूरी तरह से जला दिये गये। 325 परिवार इससे प्रभावित हुए। 650 मकान जलाये गये। 1800 आदिवासी शहीद हुए। 7085 मन घास व अन्न की क्षति हुई। 108 जानवर मारे गये। 600 बैलगाड़ियाँ नष्ट हो गई। लूटे गये एवं जलाये गये माल की कीमत कम से कम 10,000 हजारु रुपये थी।

पाली क्रान्ति

एरनपुरा के क्रांतिकारी पाली पहुँचे। इनका सामना करने के लिये जोधपुर की सेना आ गई। परंतु 18 सितंबर 1857 ई. को जोधपुर सेना का सेनापति अनाड़ सिंह पराजित हुआ। जोधपुर के सैनिक शिविर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। अंग्रेज सेनापति हेटकोच भी पराजित हुआ। जनरल लारेन्स की सेना ने आकर क्रांतिकारियों को पराजित किया। यहाँ से क्रांतिकारी आउवा पहुँचे।

आउवा क्रांति

आउवा का किला पहाड़ी पर बना हुआ था। यहाँ के सामन्त कुशल सिंह के नेतृत्व में ढूँढ़ाड़, शेखावाटी, तोरावाटी मारवाड़ एवं मेवाड़ के आदिवासी एकत्रित होने लगे। आसोप, गूलर अलणियावास लांबिया सलूम्बर एवं आसीन्द के सामन्तों एवं वहाँ की जनता का भी कुशल सिंह को पूरा समर्थन था। उस समय आउवा में 6 हजार क्रांतिकारी सैनिक थे, जिनमें अधिकांश संख्या आदिवासी एवं मीणों की थी। किले में स्थित ''कामेश्वर महादेव'' एवं सुगली देवी से क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा मिलती थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुये पोलिटिक एजेन्ट लारेन्स ने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह को अपनी सेना भेजने के लिये लिखा। स्वयं भी सेना लेकर आउवा पहुँचा। परंतु आउवा पर अधिकार न हो सका। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी आक्रमण को ही विफल नहीं किया वरन् अनेक अंग्रेज अधिकारियों का वध कर दिया जिनमें जोधपुर स्थित रेजीडेन्ट मेकमेसन भी था। क्रांतिकारी सेना ने मेकमेसन का सिर धड़ से अलग कर विजय के प्रतीक के रूप में किले की दीवार पर टांग दिया। इसका उल्लेख आज भी लोकगीतों में मिलता है।

ढ़ोल बाजे, थाली बाजे भेलो बाजे बांकियों।
अजन्ट ने मार दरवाजे न्हाँकियो
झूझे आउवो हे ओ झूझे आउवो।
आउवो मुलकां में चावो ओ के झूझे आउवो।

यह उसी प्रकार की घटना है जिस प्रकार 1835 ई. में चीमा की चौकी के मीणों ने कैप्टिन मार्टिन ब्लेक का वध करके उसके शव को सड़क पर डाल दिया था।

जोधपुर सेना के सेनापति अनाड़ सिंह और राजमल लोढ़ा भी मारे गये। दूसरी सेना के सेनापति सिंघवी कुशलराज और दीवान विजयराज भी भाग छूटे। ''लीला भाला फेरता भाग गया कुशलेश'' जनरल लारेन्स की पराजय से गवर्नर जनरल लार्ड कैनिकंग को बड़ी चिन्ता हुई। इसका कारण यह था कि क्रांति

का विस्तार बहुत ही व्यापक हो सकता था। डीसा (गुजरात) से गोरे अंग्रेजों की सेना बुलाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा किले को घेर लिया गया। क्रांतिकारी बहुत ही बहादुरी से लड़े परंतु यहाँ भी अंग्रेजो ने छल-कपट से काम लिया और किलेदार और कामदार को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। किले का फाटक इनके द्वारा खोल देने पर फिरंगियों की सेना किले में घुस गई। 6 दिन के घमासान युद्ध के बाद आउवा पर अंग्रेजों का अधिकार हो सका। अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति का लेकगीतों में सजीव चित्रण है।

देश में अंग्रेज आयो, कांई-कांई लायो रे।

फूट नांखी भायां में, बेगार लायो रे॥

आउवा की पराजय के बाद अंग्रेजों ने किले को नष्ट कर दिया। और सुगली देवी की मूर्ति उठाकर ले गये। 24 जनवरी 1858 को आउवा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। आउवा में अनेक क्रांतिकारी बन्दी बनाये गये। 124 क्रांतिकारी शहीद हुए।

खाँदू (बांसवाड़ा) के भील मीणों का विद्रोह

डूंगरपुर के भील मीणों की भाँति बाँसवाड़ा के भील मीणें भी सामन्तशाही के दमन चक्र में पिसते रहे। अतः भील मीणों ने बाँसवाड़ा क्षेत्र में छापामार संघर्ष शुरू कर दिया। जब बाँसवाड़ा का रावल मानसिंह कहीं विवाह करने गये थे तब खाँदू के भील-मीणों ने विद्रोह कर दिया। थोड़े से राजपूतों ने बाँसवाड़ा से निकल कर खाँदू ग्राम पर छापा मारा, परन्तु खाँदू के भील मीणों ने राजपूतों को पराजित कर दिया और उनके घोड़े छीन लिये। रावल मानसिंह जब बाँसवाड़ा लौटे तो उन्होंने खाँदू पर आक्रमण कर दिया। अनेक भील मीणें अपने अधिकारों के लिये लड़ते हुये शहीद हो गये। उनके अनेक नेताओं को बन्दी बनाया गया। जब इन लोगों को रावल मानसिंह के सामने प्रस्तुत किया गया तो एक साहसी भील मीणा ने किसी से तलवार छीनकर रावल को मौत के घाट उतार दिया।

इस तरह उदयपुर, डूंगरपुर एवं बाँसवाड़ा के भील मीणों ने मानवाधिकारों के लिये निरन्तर संघर्ष किया। यह कितनी वेदना एवं अन्याय की बात है कि इतिहास में इन आदिवासियों के बलिदानों को उचित स्थान नहीं मिला। जलियाँवाला बाग से भी कहीं अधिक आजादी के लिये आदिवासियों ने अपनी बलि दी।

मोतीलाल तेजावत और एकी आंदोलन

ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि मोती लाल तेजवाज ने भैंट-बेगार एवं सामन्तों के अमानवीय शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासी भील मीणों को ''एकी'' आंदोलन से जोड़ा जिसका अर्थ है कि रक्त की अंतिम बूँद तक हम एकता के सूत्र में बँधकर सामन्तवाद से संघर्ष करते रहेंगे। 29 दिसम्बर 1921 को आदिवासियों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें मेवाड़ के ही नहीं डूंगरपुर सिरोही और गुजरात के माही काँठा और दांता रियासत के आदिवासियों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी ने एक स्वर से तेजावत जी को अपना नेता स्वीकार किया। अन्य रियासतों से आये आदिवासी ''एकी'' आंदोलन से जुड़ते गये। उस समय सिरोही जिले के मीणों एवं आदिवासियों की हालत बहुत खराब थी। उन पर अनेक प्रतिबंध लगे हुये थे। अन्त में अपने शोषण व दमन के विरूद्ध एक जुट होकर लड़ने का

निश्चय किया। सिरोही महाराव ने आदिवासियों को चेतावनी दी कि वे अपनी ''एकी'' तोड़ दे, नहीं तो उनके विरूद्ध सैनिक कार्यवाही की जायेगी। परन्तु आदिवासी महाराज की धमकी से तनिक भी भयभीत नहीं हुये। महाराव इस पर आग बबूला हो गये।

मोतीलाल तेजावत : सामन्तवाद एवं बैठ बेगार से आदिवासियों को मुक्ति दिलाने में ओसवाल जाति के स्वर्गीय मोतीलाल जी तेजावत की स्मरणीय सेवा को आज तक याद किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि सामन्तवाद व अंग्रेजी राज का विरोध केवल आदिवासियों ने ही नहीं किया. वरन् प्रबुद्ध वर्ग ने इस आंदोलन को गति प्रदान की। श्री तेजावत जी ने अनुचित कर एवं बैठ बेगार के विरोध में भीलों को तैयार किया। उन्होंने इस सेवा के लिये झाड़ोल ठिकाने की कामदारी भी छोड़ दी। क्योंकि स्वयं उन्होंने अपनी आँखों से जागीरदार के अन्याय को देखा था। अत: वे झाड़ोल ठिकाने की नौकरी को छोड़कर आदिवासियों की सेवा में लग गये। उन्होंने 1921 ई. में झाड़ोल कोटड़ा, मादड़ी क्षेत्रों को आदिवासियों को एकत्रित किया और जागीरदारों की भैंट-बेगार के विरूद्ध आवाज उठाई। धीरे-धीरे यह आंदोलन सिरोही, दाँता, पालनपुर, ईडर, विजयनगर आदि राज्यों में फैल गया। तेजावत जी ने इन राज्यों के भीलों व मीणों को संगठित कर विजयनगर राज्य के नीमड़ा गाँव में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया। मेवाड़ तथा पड़ौसी राज्यों की सेनायें इस आंदोलन को दबाने नीमड़ा पहुँच गई और सम्मेलन को घेर कर अन्धा धुन्ध गोलियों की बौछार कर दी। लगभग 1200 आदिवासी शहीद हुये और तेजावत जी के पैर में भी गोली लगी। इसके बाद वे भूमिगत हो गये। प्रयत्न करने पर भी मेवाड़ व पड़ोसी राज्य की पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। अन्त में पूज्य बापू के परामर्श से वे स्वयं 1929 में प्रकट हुये और सात वर्ष तक उदयपुर की सेन्ट्रल जेल में बंद रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में फिर बन्दी बनाये गये और 1945 में रिहा किये गये। 5 सितम्बर सन् 1963 में आदिवासियों के इस महान सेवक का देहान्त हुआ।

तेजावत जी के अतिरिक्त सर्वश्री माणिक्य लाल वर्मा, भोगीलाल जी पांडया, माम बालेश्वर दयाल, बलवन्त सिंह मेहता एवं गौरी शंकर उपाध्याय ने आदिवासियों की स्वतंत्रता एवं उन्नति के लिये अनेक प्रयास किये। अत: इन लोगों को अपराधी मानकर अनेक बार बंदी बनाया गया। इससे स्पष्ट है कि जुरायम पेशा कानून स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिये बनाया गया था। चाहे वह किसी भी जाति का हो परन्तु आदिवासियों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया इसलिये यह कानून इनको दबाने के लिये ही अधिक प्रयोग में लाया गया।

उदयपुर मेवाड़ से कहीं अधिक जयपुर क्षेत्र, दौसा, लालसोट, बाँदीकुई आदि मीणा जाति व बैरवा आदि की स्थिति बहुत दयनीत थी। खेती के समय भी आय का आधा बांटा जागीरदार लेता था। इसके अतिरिक्त अनेक लाग-बाग लाटा-बाटा भी लेते थे। इन सभी के कारण उनको पेट भरने के लिये भी इनके पास कुछ नहीं बचता था। इसके अतिरिक्त जमीदार अपने निजी स्वार्थ के लिए आदिवासियों से अनेक प्रकार की लाग-बाग लेते थे।

अपने पेट की बाग बुझाने के लिए इनको अनेक कार्य जैसे पाले की पोट, लकड़ी आदि बेचना पड़ता था। इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि इनके सुधार व जागीरदारों के घोर अत्याचारों का विरोध स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल ने पुरजोर शब्दों में किया।

प्रजामण्डल के अनेक नेता हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल आदि ने इसका विरोध किया।

साहूकार लोग कर्ज देकर इनकी जमीन हड़प लेते थे। इसके अतिरिक्त वे जीवन भर बन्धुआ मजदूरों की भाँति काम लेते थे। अपने पेट की आग बुझाने के लिए कुछ आदमियों को शराब बनाकर भी बेचना पड़ता था। इनके साथ उदयपुर क्षेत्र के लोगों से भी अधिक अन्याय था। गाँवों में रहने के मकान भी नहीं थे। एक ही कमरे या बाड़े में 10-12 आदमी रहते थे। इनकी दशा बड़ी दयनीय थी। लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में मीणा जाति सुधार समिति ने सराहनीय कार्य किया और इनके कष्टों के निवारण में इनका योगदान रहा। लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ अड़िसाल सिंह, गुलाबचन्द गोठवाल आदि कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. एनाल्स एण्ड एन्टीविवटीज ऑफ राजस्थान जिल्द दो पृ. 281-283
2. एनाल्स एण्ड एन्टीविवटीज ऑफ राजस्थान जिन्द एक पृ. 541
3. वीर विनोद -कविराजा श्यामलदास जी
4. राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम पृ. श्री बाबूलाल पानगड़िया राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर
5. भोगी लाल पाण्डया स्मृति ग्रन्थ पृ. 174-186 श्री पद्मभूषण पृ. 29-34
7. प्रजामण्डल का इतिहास
8. आधुनिक भारत का इतिहास
   ले. डॉ आर.एन.चौधरी एण्ड जी.एल.पुराहित पृ. 243-244
9. राजस्थान का इतिहास-गोरीशंकर हीराचन्द औझा
10. वन विहारी जाति।

❑❑❑

अध्याय 5

नागरिक अधिकारों का दमन

भारत एवं विश्व इतिहास के अध्ययन से विदित होता है कि विजेता जाति ने पराजित जाति के गौरव तथा स्त्राभिमान को नष्ट करने के लिये अनेक दमनचक्र का सहारा लिया था, परन्तु पराजित जाति के सभी नागरिक विदेशी शासन की दासता के लिये तैयार नहीं हुये। राजपूतों, मुसलमानों एवं मराठों के राज्य के पतन के बाद जब भारत में इस्ट इण्डिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ तो आदिवासी जनता ने छापामार युद्ध प्रणाली से विदेशी शासन को हिलाकर रख दिया। इसका परिणाम यह निकला कि इन स्वतंत्रता प्रिय जन जातियों को अंग्रेजी शासन ने चोर-लूटेरों की संज्ञा देना प्रारंभ कर दिया।

स्वतंत्रता प्रिय लोगों को चोर-लूटेरों के नाम से संबोधन पहले भी कई बार किया जा चुका है। इतिहासकार विन्सेट स्मिथ एवं खफीक खाँ ने स्वतत्रंता के सजग प्रहरी छत्रपति-शिवाजी को डाकू एवं लूटेरा बता दिया था। नीदरलैण्ड में स्वतंत्रता सेनानियों को समुद्री भिखारी की संज्ञा दी गई। यही स्थिति भारत में भी थी। 1857 ई. की जनक्रांति व स्वतत्रंता संग्राम और इससे भी पहले कई क्रान्तिकारी देशभक्त मीणा समाज के लोगों ने विदेशी शासन का जमकर विरोध किया था। इसका संक्षिप्त विवरण अध्याय चार में पढ़ चुके हैं। यही कारण हैं कि इनके दमन के लिए अनेक दमनकारी काले कानूनों का सहारा लिया गया, जिसका विवरण इस अध्याय में विस्तार् से पढेंगे। वास्तविकता तो यह है कि 1857 की क्रांति के बाद भी उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की मीणा जाति को जब भी समय मिला अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाती रही इनके वर्णन के लिये तो एक स्वतंत्र पुस्तक भी कम है।

1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इन आदिवासी भाइयों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग के निदेशक को 1857 की क्रांति की विशेष जानकारी के लिये जब इंगलैण्ड भेजा गया तब उन्होंने पता लगाया कि इंगलैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लार्ड पामस्टेन के पत्रों से स्पष्ट है कि ''गोरों की सरकार ने आजादी की लड़ाई को दबाने के लिये मेवों मल्लाहों पासवानों पासियों लोधों मुण्डा तथा मीणा जाति के अनेक लोगों को देश निकाले की सजा देकर भारत से बाहर ब्रिटिश गायना सूरीनाम वेस्ट इण्डीज मारीशस आदि देशों को भेजा गया था। अनेक मीणों को कालेपानी की सजा दी गई जिसका उल्लेख विगत अध्याय में किया जा चुका है।

इन सभी घटनाओं से विदित होता है कि स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिये ब्रिटिश शासन ने मीणा जाति के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिये ''जनजाति अपराधी कानून'' का सहारा लिया। इस जाति की दृढ़ता तथा शक्ति से विदेशी शासन एवं उसके कृतदास राजा महाराजा सदा भयभीत रहते थे। 1856 में महारानी विक्टोरिया को ''माफी नामे'' की घोषणा के बाद भी मेवों एवं मीणों से शासक इतने भयभीत थे कि इनको दबाने के लिये समाज में इनकी प्रतिष्ठा गिराने तथा भारतीयों में फूट डालने के लिये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (अपराधी जनजाति कानून) बनाने की भूमिका तैयार कर ली। इस प्रकार के कानून आजादी

की भावना को दबाने के लिये समय समय पर स्वर्ण जातियो के देशभक्तों पर भी लगाये गये। इसका विश्लेषण अगले पृष्ठों में पढ़ेंगे।

यह हम देख चुके हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कई वर्षो तक स्वतंत्रता प्रिय लोग विदेशी शासन का विरोध करते रहे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के बाद ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता ने स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के लिये अनेक काले कानून का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्रता के अन्यन पुजारी मीणा जाति की स्थिति इस समय बड़ी विकट स्थिति हो गई थी जिन राजाओं के राज्यों की रक्षा का भार उन्होंने संभाल रखा था वे अंग्रेजों की कठपुतली राजा महाराजा बनकर अपनी प्रजा पर अनेक अत्याचार करने लगे। ब्रिटिश शासन के लिये स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के लिये यह सुअवसर था। अत: उन्होंने स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को अपराधी जाति की श्रेणी में डालने का कुत्सित प्रयास करना शुरू कर दिया।

ब्रिटिश शासन ने 1857 की क्रांति के समय यह अनुभव कर लिया था कि संभ्रान्त एवं शासक वर्ग पद एव धन की लिप्सा के कारण अंग्रेजी राज के अनुचर बन गये हैं। परन्तु आयुद्धजीवी आदिवासी अभी विदेशी शासन को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अत: इनको हतोत्साहित करने के लिये ऐसे नियम बनाये जायें कि इनमें हीनता की भावना घर कर जायें और यहां के देशवासी ही अपने आपको अपराधी समझने लग जाये। यही सोचकर कंपनी शासन के समाप्त होते ही भारत में ब्रिटिश शासन ने ऐसे दमनकारी कानून का सहारा लिया जिसके माध्यम से यहाँ के मीणा अपने प्राचीन गौरव को भुलाकर अपने आपको हीन समझने लगे। संयोगवश यहाँ के शासक व संभ्रान्त लोगों ने भी अपने स्वार्थ के कारण अंग्रेजों के दमनकारी कानून पर अपनी मोहर लगाना शुरू कर दिया। लार्ड हेस्टिंग्ज व लार्ड विलियम बैंटिक के समय स्वतंत्रता की इस भावना को दबाने के लिये ''ठगों व डाकुओं के दमन'' का अलग विभाग बनाया। इसके अन्तर्गत हिन्दू तथा मुसलमान दोनों धर्म के लोगों को लिया गया। इसके साथ ही मीणा जाति को भी डाकू एवं अपराधी जाति की श्रेणी में रखा गया।

राजपूताने में मीणा जाति के लाखों निर्दोषों को जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर, उदयपुर और राजपूताना में काले कानून को लेकर फंसाया जाने लगा। सर्वप्रथम अलवर रियासत के राजनीतिक एजेन्ट (ए.जी.जी.) मेजर ''इम्पे'' ने चौकीदार मीणों को पुलिस की देख रेख में रहने का आदेश दिया इसी प्रकार मेजर काडेल ने मीणा जाति की सूची बनाई और उनके रहने, घूमने, आने-जाने आदि से संबंधित कठोर नियम बनाये। उनके लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके लिये निकट के पुलिस थानों में निश्चित तिथि अमावस्या व पूर्णिमा को उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया। महाराजा विजय सिंह ने तो उनके विवाह करने, तमाखू बीड़ी पीने और अच्छे परिवारवालों से मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारतवर्ष की अन्य हिन्दू मुस्लिम जन जातियों के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने मीणा जाति के दमन के लिये जो अंतिम अमोघ शस्त्र उठाया, वह है सन् 1871 ई. का 'जनजाति अपराध कानून' और 1874 ई. का 'जनजाति क्षेत्र कानून' था। इसमें अंतिम संशोधन सन् 1924 ई. में किया गया जिसके अनुसार मीणा जनजाति को अपराधी जनजाति की संज्ञा दी गई तथा उन्हें कठोर निगरानी में रखा जाने लगा और उनके घूमने फिरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून से मीणा जाति की जितनी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक हानि हुई उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इस कानून की सबसे बड़ी

कमी यह थी कि निर्दोष व अपराधी में कोई अन्तर नहीं किया गया। तभी कानून के विरोध में विद्रोह की भावना पैदा हुई, उसको ही विदेशी शासन ने उसे उदण्डता की संज्ञा दी। न्याय व्यवस्था का यह प्रमुख सूत्र है कि 99 अपराधी छूट जाये परंतु एक निर्दोष को सजा देना ठीक नहीं।

भारत में ही नहीं दक्षिण अफ्रीका एवं अंग्रेजों के उपनिवेशों में भी भारतीयों को अपमानित किया गया। ट्रान्सवाल, नेटाल, डरबन आदि दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश में भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें अछूत समझा जाने लगा। 1894 ई. में नेटाल धारा सभा में रंगभेद कानून बनाया गया। इसके अनुसार इनको मतदान का अधिकार तो नहीं दिया वरन् इनको यूरोपीय बस्तियों से दूर बसाया गया। क्रीमिनल ट्राइब्स कानून के एक्ट से हाथ, पांव को भी पेंटकर (फिंगर प्रिंट) पुलिस थाना ले जाने लगी। इस काले कानून से महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। उनको रेल के उन डिब्बो में नहीं बैठने दिया जाता था जिसमें अंग्रेज सफर करते थे। इस प्रकार के अमानवीय कानून बनाने की साम्राज्यवादी अंग्रेजों की आदत सी बन गई थी। दक्षिणी अफ्रीका में इस प्रकार के कानून का विरोध करने का प्रयास राष्ट्रपिता मा. गांधी ने किया जब वे 1893 ई. में दक्षिणी अफ्रीका गये थे। लगातार 20-22 वर्ष के संघर्ष के बाद हिन्दुस्तानियों को थोड़े बहुत अधिकार मिलने लगे।

भारत मे आदिवासी जनता भी अपमानित होकर जीवन व्यतीत कर रही थी। यद्यपि भारतीयों के अधिकागें की रक्षा करने के लिये 1885 ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, परंतु वह उच्च वर्ग तक ही सीमित था। सन् 1915 ई. में गांधी जी के भारत आने पर उन्होंने अंग्रेजों की शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। आदिवासी जनता पर लगे कड़े प्रतिबंधों का विरोध होने लगा। ब्रिटिश प्रान्तों के अतिरिक्त देशी रियासतों में भी इन आदिम जनजातियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। यहां समस्त मीणा जाति को अपराधी मान लिया गया। यह कैसी विडम्बना है कि जिस राजस्थान में इनका राज्य था, वहीं उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा। राजा भारमल के साथ हुए समझौते से इनकी गाँवों की रक्षा का भार सौंपा गया और इसके पारिश्रमिक रूप में इनको चौथ प्राप्त करने का अधिकार मिला था। चौथ प्रथा समाप्त होने पर यह प्रथा चौकीदारी में बदल गई। जयपुर राज्य में स्वर्गीय माधो सिंह जी के समय मीणों का शासन में बहुत बड़ा हाथ था। अनेक लोग उच्चपदों पर नियुक्त किये गये। साँवतराम नाड़ला मीणा को आईजी पुलिस, कप्तान रघुनाथ जी बागड़ी मंत्रिमण्डल के नौ रत्नों में से एक थे। उसने गिराई भोगी थी। वह पुलिस का जनरल सुपरिटेन्डेन्ट रहा था। अनुमान से इस मीणा शासक का कार्यकाल काणोता के ठाकुर नारायणसिंह जी से पहले महाराजा रामसिंह जी, माधोसिंह जी के समय शफी मियां के बाद का हो सकता है।

संक्षेप में महाराजा सवाई माधोसिंह जी तक मीणा लोगों की जयपुर में 27 चौकियां थी। समस्त शहर की रक्षा का उत्तरदायित्व इन्हीं पर था। अपनी चौकी के क्षेत्र में कहीं भी चोरी चकारी होती तो उसका पता लगाने का काम इनका ही था। चोरी का माल न मिलने पर सारी कीमत इनसे दादरसी कानून के अन्तर्गत ली जाती थी। कहीं चोरी चकारी हो जाने पर जयपुर सरकार इनकी चल-अचल सम्पत्ति में से राशि वसूल करती थी। उदाहरण स्वरूप सांगानेरी दरवाजे के बाहर (वर्तमान में बम्बई मिष्ठान भण्डार भवन के सम्पूर्ण परिसर) विशाल हवेली को मोती डूंगरी रोड स्थित मुसाफिरखाना में चोरी हो जाने से राव रूड़ाराम झरवाल, पन्नालाल झरवाल की थी, दादरसी कानून के अन्तर्गत निलाम कर राज्य सरकार को चांदसेन के

दादूपंथियों ने खरीद ली। धीरे-धीरे यह चौकीदारी प्रथा इनके लिये अभिशाप बनती जा रही थी। अत: इसको छोड़ने का संकल्प लिया जाने लगा। जयपुर राज्य में सवाई मानसिंह के समय 1924 ई. में ही यहाँ के मीणों पर अनेक प्रकार के अत्याचार श्री यंग साहब आई.जी.पी. पुलिस के द्वारा होने लगे। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के दमनकारी कानून स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्त नेताओं पर भी लागू थे। उदाहरण के लिये 20 मार्च 1925 को जोधपुर के श्री जयनारायण व्यास (भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान) आनन्दराज सुराणा, कस्तुरीकरण, अब्दुल रहमान अँसारी और बच्छराज इन सभी क्रांतिकारी नेताओं को दस नंबरी घोषित कर इनके लिये भी जरायमपेशा कानून के अंतर्गत पुलिस थाने में दैनिक उपस्थित अनिवार्य कर दी गई थी। सन् 1939 में श्री राजरूप टाँक, ओमदत्त शास्त्री, जौहरी बाजार, जयपुर की पुलिस ने हिस्ट्री खोल रखी थी जो वर्षों तक चलती रही पुलिस थाने पर हाजरी देना उनके लिये आवश्यक था। इनके अतिरिक्त क्रांतिकारियों पर अनेक प्रतिबंध थे। उनको कारावास के समय किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। कांग्रेस व प्रजामण्डल के नेताओं पर भी निषेधाज्ञा लागू थी।

नगर सुरक्षा का उत्तरदायित्व

सवाई जयसिंह और उनके बाद के श।सकों ने समझ लिया था कि मीणा जाति को बल से नहीं दबाया जा सकता। सद्भाव व प्रेम से ही उनको जीता जा सकता है। इस जाति की एक अन्य विशेषता यह है कि अपने वचन को निभाने में जीवन खपा देना एक साधारण काम समझते हैं। सवाई जयसिंह के समय ही नगर सुरक्षा का गुरूत्तर भार मीणा जाति को ही सौंपा गया था। राजमहलों एवं खजानों की रक्षा का भार भी इस जाति पर ही था जिसे इस जाति ने बहुत ही उत्तरदायित्व से निभाया।

यह पढ़ चुके हैं कि खोहगंग, आमेर, माँची (जमवारामगढ़) पर अधिकार करने के बाद भी कछवाहा नरेश मीणों के पराक्रम से सदा भयभीत रहते थे। इसलिये दमन के स्थान पर इनको पारितोषिक देने तथा राजकाज में सहयोगी बनाने का नाटक रचा गया और उन्हें राजसी राजचिन्ह पुन: प्रदान किया गया जिनका विस्तृत वर्णन पूर्व पृष्ठों में कर चुके हैं। प्रारंभ में राजकीय चिन्ह राज्यध्वज, नक्कारे, उनके बायें पैर के अंगूठे के रक्त से राज्याभिषेक करने की गरिमा, अधिकांश दुर्गों व शहर के राजकीय खजानों की रक्षा का भार भी इनको सौंपा गया। आगे चलकर यह कार्य गरिमा का न रहकर सेवा का रह गया। प्रारंभ में मीणा जाति के इस भ्रम में रखा गया कि उन्हें भी विजेताओं के समान ही शासन संचालन में अधिकार प्राप्त है। परंतु धीरे-धीरे इनका कार्य केवल राजकीय सेवामात्र रह गया। नगर सुरक्षा के लिये 27 चौकियां स्थापित की गई। उन सभी पर मीणा जाति के लोग नियुक्त किये गये। जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1. चौकी रामगंज आसामी 23 जमादार एक (15 रू.) आसामी (22 (4 रू. प्रतिमाह)
2. चौकी खेजड़ा-आसामी 2 जमादार एक (12 रू.) आ'पामी 19 (4 रू. प्रतिमाह)
3. चौकी नमक की-आसामी 18, जमादार एक (15 रू.) आसामी 17 (4 रू. प्रतिमाह)
4. चौकी चौड़ा रास्ता आसामी 20 जमादार एक (10 रू.) आसामी 19 (4 रू. प्रतिमाह)
5. चौकी ब्रह्मपुरी-आसामी 23 जमादार एक (12.5 रू.) आसामी 22 (4रू. प्रतिमाह)
6. चौकी बदनपुरा आामी 14 जमादार एक (1 रू.) आसामी 13 (4 रू. प्रतिमाह)
7. चौकी माणक चौक आसामी 14 जमादार एक (13 रू.) आसामी 13 (रू. 4 प्रतिमाह)
8. चौकी गणगौरी दरवाजा आसामी 13 जमादार एक (12 रू.) आसामी (रू. 4 प्र.मा.)

9. चौकी घाटगेट दरवाजा आसामी 11 जमादार एक (रू. 15) आसामी 10 (4रू. प्रतिमाह)

10. चौकी चौड़ा रास्ता आसामी 11 जमादार एक (रू. 15) आसामी 10 (4रू. प्रतिमाह)

11. चौकी हीदा की मोरी आसामी 12 जमादार एक (रू. 10)आसामी 11 (रू. 4 प्र. माह)

12. चौकी सांगानेरी गेट के बाहर छोटूजी-भूरामल जी, रघुनाथ जी आदि (4 रू. प्रतिमाह)

13. चौकी गंगापोल-आसामी 12 जमादार एक (रू. 10)) आसामी 10 (रू. 4 प्रतिमाह)

14. चौकी चौपड़ आमेर-आसामी 11 जमादार एक (रू. 12.50) आसामी 10 रू. प्रमा)

15. चौकी शिष्योलकाहर लालकोठी आसामी (10 जमादार एक (रू. 00 आसामी-9 (4 रू. प्रतिमाह)

16. चौकी दरीबापान-आसामी 10 जमादार एक (रू.7) आसामी 9

17. चौकी दरीबापान-आसामी 9 जमादार एक (रू. 6) आसामी 7 (रू. 4 प्र.मा.)

18. चौकी मोदी किशनकुण्ड आसामी 8 जमादार एक (10))आसामी 7 (रू. 4 प्र.मा.)

19. चौकी किशनकुण्ड-आसामी 9 जमादार एक (05) आसामी 8 (रू. 4 प्र.मा.)

20. चौकी रास्ते मण्डी आसामी 8 जमादार एक (07) आसामी 7 (रू. 4 प्र.मा.)

21. चौकी रास्ते बड़ आसामी 8 जमादार एक (07) आसामी 7 (रू. 4 प्र.मा.)

22. चौकी रूईकी मण्डी आसामी 8 जमादार एक (07) आसामी 10 (रू. 4 प्र.मा.)

23. चौकी परशुराम द्वारा आसामी 11 जमादार एक (12) आसामी 7 (रू. 4 प्र.मा.)

24. चौकी रास्ता ख्वासजी आसामी 08 जमादार एक (07) आसामी 7 (रू. 4 प्र.मा.)

25. चौकी खान्या आसामी 06 जमादार एक (07) आसामी 5 (रू. 4 प्र.मा.)

26. चौकीघाट-आसामी 6 जमादार एक (07) आसामी 5 (रू. 4 प्र.मा.)

27. चौकी शीतल निवास आसामी 6 (रू. 5) आसामी 5 (रू. 4 प्र.मा.)

ये सभी चौकियों कोतवाली के अंतर्गत थी जिनका प्रभारी कोतवाल था। चौकियों पर पहरा देने वाले तथा शहर में गश्त लगाने वाले सभी अधिकारी मीणें थे। कितने ही मीणों को गिराई का पद मिला था। इस तरह से प्रत्येक निजामत (तहसील) तथा कस्बों में भी चौकीदारी प्रथा थी। हर संभव प्रयत्न करने पर भी चोरी हो ही जाती थी। इसकी क्षतिपूर्ति दादरसी कानून के अन्त तक चौकीदारी मीणा को करनी पड़ती थी। यही चौकीदारी प्रथा मीणा जाति के लिये अभिशाप सिद्ध हुई। इसकी मुक्ति के लिये जन आंदोलन हुआ जिसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

महाराजा मानसिंह प्रथम ने मुगलकाल में बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह सभी जयगढ़ दुर्ग में गुप्त स्थान पर रखा गया था। उस स्थान का पता केवल मीणा रक्षक को ही था। राजा को भी आँखो पर पट्टी बांधकर खजाने तक ले जाया जाता ताकि वह खजाने के वास्तविक स्थान को न पहचान सके। खजाने के रक्षक मीणा लोगों का उत्तरदायित्व बोध बड़ा बढ़ा-चढ़ा था। एक बार खजाने के बारे में साधारण जानकारी देने पर नाहरगढ़ किला के एक मीणा पहरेदार ने अपने लड़के का सिर भी तलवार से काट दिया था। कर्त्तव्यपरायणता का ऐसा उदाहरण इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलता।

चौकीदारी प्रथा एक अभिशाप

यों तो प्रशासन में इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह एक प्रकार से नगरों व ग्रामों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य था। नगर व ग्रामवासियों की जान माल की रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व चौकीदार मीणों को सौंपा गया, जिसको इस जाति ने बहुत ही निष्ठा और सजगता से निभाया। ऐसी स्थिति में एक अन्यायपूर्ण प्रतिबंध दादरसी कानून मीणों पर लगा दिया गया कि चोरी गये माल का पता नहीं लगने पर संबंधित चौकीदार से चोरी गये माल की कीमत अदालत द्वारा ली जाती थी। आप स्वयं सोचिये कि यह कहाँ का न्याय है? जिस चोरी से उसका कोई संबंध नहीं, पूरी तरह से सजग रहने पर भी यदि चोरी हो जाये तो उसकी क्षतिपूर्ति वह कैसे करेगा? आज भी सुरक्षा के लिये पुलिस का शक्तिशाली विभाग है, फिर भी अनेक चोरियां हो रही है तो क्या संबंधित पुलिस अधिकारी से चोरी गये माल की क्षतिपूर्ति के रूप में धन लिया जाता है। परंतु शासक वर्ग को तो इस जाति की स्वतंत्रता भावना को दबाना था। क्षतिपूर्ति के रूप में उनकी जमीन जायदाद से धन लिया जाने लगा। इस दकियानूसी थोपी व्यवस्था से कितने ही घर उजड़ गये। बस फिर क्या था समस्त मीणा जाति को ही अपराधी जाति के रूप में घोषित करने की योजना बनने लगी।

1924 ई. में तत्कालीन भारत सरकार ने जनजाति अपराधी कानून बना दिया था। इससे संपूर्ण मीणा जाति को अपराधी मान लिया गया था। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जिस जयपुर रियासत की सुरक्षा के लिये जिस जाति ने अपनी शक्ति लगा दी थी। उन रियासतों के शासकों को क्रिमिनल ट्राइब्स कानून अपने राज्य में लागू करने का भूत कैसे सवार हुआ? इसका सीधा सादा आशय यह है कि ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर यह सब कुछ किया गया। ब्रिटिश सरकार को अब भी यह भय सता रहा था कि स्वतंत्रता प्रिय मीणा जाति कहीं संगठित होकर अंग्रेजी शासन को चुनौती न दे डाले। वह ऐसा समय था कि विदेशी शासन की आज्ञा के बिना यहां का एक पत्ता नहीं हिल सकता था। राज-कार्य में अंग्रेज रेजिडेन्ट इतने हावी हो गये थे कि उत्तराधिकार से लेकर छोटे-छोटे कार्यो में भी उसका अधिकार बढ़ता गया। इससे यहां के मीणा सरदारों का राज्य पर से नियंत्रण कम होना स्वाभाविक था। अत: ब्रिटिश सरकार को सर्वदा यह भय सताता रहता था कि मीणा जाति जयपुर राज्य पर पुन: अधिकार करके कहीं ब्रिटिश शासन के लिये समस्या खड़ी न कर दे। अत: विदेशी शासन को खुश करने के लिये जयपुर राजा मीणा जाति के दमन के लिये जयराम पेशा कानून को लागू किया गया।

जयपुर रियासत में जयराम पेशा कानून 11 सितंबर 1930 में व्यवहार में लाया गया। उस समय रेजिडेन्ट के परामर्श पर जयपुर रियासत के तत्कालीन महाराज सवाई मानसिंह तृतीय ने ब्रिटिश सरकार से मीणा जाति के लिये कुछ करने के लिये प्रार्थना की। ऐसे ब्रिटिश सरकार 1924 ई. में ही अपराधी जनजाति कानून बना चुकी थी। इसके अनुसार समस्त मीणा जाति को अपराधी घोषित कर दिया गया। अत: महाराजा मानसिंह तृतीय ने 1924 के जनजाति अपराधी कानून जैसा ही जयपुर रियासत के लिये भी कानून बनाने के लिये 1924 में ही पंजाब के डी.आई.जी. श्री गोपालदास चकवर्ती पी. मि. काउण्ट्री को पुलिस इन्सपेक्टर जनरल को जयपुर बुलाया गया। उसने आते ही मीणा जाति के अतीत के गौरव और उस समय में उनके शौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मीणों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में संघर्ष किया था उसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि समय रहते इस जाति के मनोबल को नहीं गिराया गया

तो अंग्रेजी राज तथा उसके आश्रित राजाओं के लिये गंभीर संकट पैदा हो सकता है। अत: उसने आदतन अपराधी जनजाति (हेबिच्युल क्रिमिनल-ट्राइब्स एक्ट) की रूप रेखा तैयार की। इस कानून को लागू करने से मीणा जनजाति को आदतन अपराधी जाति को 7 सितम्बर, 1930 को घोषित कर दिया गया। जयपुर में ही नहीं राजस्थान (राजपूताना) की अन्य रियासत झालावाड़, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, टौंक किशनगढ़, जोधपुर आदि रियासतों में भी इसे कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया गया।

ता. 7 सितंबर 1930 को इस अमानवीय कानून को लागू कर लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय का दंभ भरने वाली ब्रिटिश सरकार ने अपने क्रूर शासन का नग्न परिचय लोगों को दिया। इस कानून का एक मात्र उद्देश्य कभी समस्त राजस्थान पर शासन करने वाली आदिवासी मीणा जाति में हीन भावना का संचार करना था। इस जयराम पेशा कानून के माध्यम से समस्त मीणा जाति को अपराधी जाति का मान लिया गया और उनके दमन के लिये अनेक प्रावधान इस कानून में रखे गये। इस कानून की धाराओं को देखकर आज की युवा पीढ़ी विश्वास भी न कर सकेगी कि इस प्रकार के अमानवीय कानून भी संसार में सभ्यता का दंभ भरने वाली अंग्रेज जाति बना सकती है। यह एक ओर स्वतंत्रता प्रेमियों व देशभक्तों को दबाने का कानून था तो दूसरी ओर शासन की विवेकहीनता का भी परिचय था। इस घृणित कानून की धाराओं का उल्लेख करते हुये हृदय कांपने लगता है कि सरकार इस प्रकार घृणित हेय कार्य भी कर सकती है। संक्षेप में इस अमानवीय कानून की धारायें इस प्रकार है-

(1) बारह वर्ष की आयु पूरी होते ही मीणा परिवार में जन्म लेने वाले बालक की एक फाइल खुल जाती थी। इतना ही नहीं निकटवर्ती थानों व पुलिस चौकियों में उसके हाथ-पांव की अंगुलियों के निशान लिये जाते थे। थाने या पुलिस चौकी में 12 वर्षीय किशोर मीणों को अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य कर दिया गया था। इस उद्देश्य के लिये एक अलग उपस्थिति पंजिका रखी जाती थी, जिसमें किशोर, युवा एवं वृद्ध मीणाओं का पूरा विवरण रखा जाता था। यह उसी प्रकार की व्यवस्था थी जिस प्रकार की दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ थी। वहां भी प्रत्येक प्रवासी भारतीयों के हाथों की व पांवों की अंगुलियों के निशान लिये जाते थे, जिसका राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीयों ने डटकर विरोध किया और अंत में उनको काले कानून को खत्म कराने में सफलता मिली।

(2) उपस्थिति देने के नियम का कड़ाई से पालन कराया जाता था। प्रत्येक मीणा नागरिक को गांव के मुखिया के सामने उपस्थित होना पड़ता था। इसके साथ ही निकटवर्ती पुलिस चौकी में सप्ताह में एक बार उपस्थित होना अनिवार्य था। अनुपस्थित-गैरहाजिर रहने पर कठोर दण्ड का प्रावधान था। एक माह से 6 माह तक की कैद का दण्ड दिया जा सकता था। कारावास की यह अवधि एक दो बार चूक करने वालों के साथ ही थी। एक से अधिक बार अनुपस्थित रहने पर और भी अधिक अवधि की सजा दी जाती थी। दण्ड देने का कोई निश्चित नियम नहीं था। अनुपस्थित व्यक्ति को अधिकारी की दया पर रहना पड़ता था। स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रताप्रिय व्यक्तियों को अधिक प्रताड़ित किया जाता था।

(3) प्रत्येक मीणों को एक परिचय पत्र दिया जाता था जिसे लोहे की नाल में डालकर उसे रात-दिन अपने गले में लटकाये रहना पड़ता था।

(4) अपने गाँव की सीमा से बाहर जाने के लिये, चाहे वह अपने संबंधी के विवाह या मौत व अन्य सामाजिक समारोह में ही क्यों न जा रहा हो? उसे गाँव के मुखिया और थानेदार की लिखित स्वीकृति लेनी

पड़ती थी। गाँव का मुखिया बारह घण्टे तक और पुलिस थाना अधिकारी सात दिन की स्वीकृति दे सकता था। इससे अधिक बाहर रहने के लिये पुलिस के उच्चाधिकारियों के द्वार खटखटाने पड़ते थे। पुलिस अधीक्षक एक माह और पुलिस महानिरीक्षक छः माह तक बाहर रहने की स्वीकृति दे सकते थे। जहां पुलिस हाजरी देना जरूरी माना गया था। इस व्यवस्था में चापलूस एवं खुशामदी लोग बाजी मार लेते थे। बड़ी से बड़ी पुलिस को रियायत देने को बाध्य होना पड़ा था और पुलिस अफसरों की पगचम्पी करनी पड़ी थी।

(5) बाहर जाने का अनुमति पत्र भी अपने परिचय पत्र के साथ अपने गले में लटकी लोहे की नाल में रखना पड़ता था। इतना ही नहीं उसे रास्ते में पड़ने वाली पुलिस चौकियों व थानों से प्रमाणित कराना पड़ता था।

(6) अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर वहाँ की पुलिस चौकी या थाने में उपस्थिति अंकित कराना भी अनिवार्य था। अवधि समाप्ति पर लौटते समय उसे अपना अनुमति पत्र भी थानेदार के दिखाना पड़ता था।

(7) बिना लिखित अनुमति के कोई मीणा, साइकिल ऊँट व घोड़ा जैसे सवारी नहीं रख सकता था। (दफा 28 के अनुसार)

(8) लाठी के अतिरिक्त अन्य शस्त्र रखने का मीणा जाति को कोई अधिकार नहीं था। तलवार, भाला, बन्दूक या पिस्तोल की बात तो दूर रही, वह अपने घर में लोहे का चाकू व छूरी भी नहीं रख सकता था।

यदि इनमें से कोई हथियार मीणाओं के घर में मिल जाता था तो उसे पुलिस अपने अधिकार में लेकर अवैध शस्त्र रखने के अपराध में उन पर अभियोग लगाया जाता था और उसे जेल में भेज दिया जाता था।

(9) यदि आस पास के क्षेत्र में कहीं चोरी की घटना घटती तो समस्त मीणों को थानों व चौकी पर एकत्रित करके उनसे पूछताछ की जाती थी। चोरी का जब पता नहीं लगता तो उन्हें पशुओं की भाँति पीटा जाता था। अमानवीय अत्याचारों की परकाष्ठा थी सभी को शारीरिक वेदनायें दी जाती थी। इसके अलावा चोर को उजागर कर देने पर पुलिस अपने दलाल के मार्फत रिश्वत लेकर चोरी का मामला रफा-दफा कर देती थी।

(10) इन अमानवीय प्रतिबंधों के अतिरिक्त-दादरसी कानून'' और प्रचलन में था कि जिसके अनुसार गाँवों व शहर में होने वाली प्रत्येक चोरी के लिये उस गाँव के चौकीदार को उत्तरदायी ठहराया जाता था। उसे या तो चोरी गये माल की कीमत देनी पड़ती या फिर सरकार उसकी जमीन व अन्य संपति को निलाम कर चोरी गये माल का मूल्य प्राप्त करती थी।

जयराम पेशा कानून का सहारा लेकर मीणा जाति पर घोर अत्याचार किये जाते रहे। नीम के थाने के युवक को इस बुरी तरह पीटा कि उसने पुलिस के हाथ से छुटते हीं कहा ''दादा इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मुझे इस तरह पीटा गया जितना हम ढ़ोर को भी नहीं मारते।'' इस कानून के अतिरिक्त सामन्तवादी शासन में मीणा जाति से बेगार-भेंट भी ली जाती थी इसके अनुसार अपने घर की रोटी खाकर सामन्त के पुलिस थाने चौकियाँ जहाँ बिना पारिश्रमिक के काम करना पड़ता था। जैसे मूंज कूटनी जेवड़ी बटवाल खाट बनवानी, कपडे धुलाना, नहाना, मालिश कराना, स्नान कराना, कुओं से पानी निकालना,

खाट बनाना, खाना बनाना आदि। अकारण संदेह के आधार पर इनको पुलिस में सैंकड़ों की संख्या में बुलाया जाता था। तरह तरह की धमकियां दी जाती थी। बिना अनुमति के स्थान छोड़ने पर उनके घर वालों से पूछताछ की जाती थी पता न बताने पर उनको तरह तरह की यातनायें दी जाती थी। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी तंग किया जाता था। जयपुर के अतिरिक्त जोधपुर, अलवर, भरतपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में मीणा जाति की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ''भारत की आदिवासी जाति'', पुस्तक खण्ड दो में मीणा जाति पर किये गये अत्याचारों का विस्तृत विवरण है। इसके अनुसार रात्रि में गाँव की रक्षा करना इस गुरूत्तर भार में थोड़ी सी भी चूक हो जाने पर तो उनसे चोरी गये माल की कीमत बहुत ही कठोरता से ली जाती थी।'' भारतीय जनगणना प्रतिवेदन 1891 में भी जनजाति अपराधी कानून का विस्तृत वर्णन किया गया है जिसके अनुसार मीणा जाति पर अनेक प्रतिबंध लगे हुये थे।

भारतीय जनगणना रिपोर्ट 1901 के राजपूताना संबंधित रिपोर्ट के प्रथम भाग में यह उल्लेख है कि ''मीणा लोग यहां के मूल निवासी हैं और वर्तमान जयपुर रियासत के बहुत बड़े भाग के पहले ये ही शासक थे परन्तु बाद में राजपूतों ने इनके राज्य छल-कपट से छीन लिये और इनको जंगलों में रहने के लिये विवश कर दिया। जनजाति विरोधी कानून के अंतर्गत लाया गया। इसी तरह मारवाड़ जनगणना रिपोर्ट में 1891 में भी इनको आदि मीणा जनजाति के लोग माना है, आदतन अपराधी जाति घोषित किया गया।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि जयराम पेशा कानून के अंतर्गत संपूर्ण मीणा जाति के लाखों लोगों को अपराधी जाति मान लिया गया, इस व्यवस्था से पुलिस की भी चांदी थी। वह भी भेंट पूजा लेकर इनको बाहर जाने की अनुमति दे देती थी। इसके कारण अनेक परिवारों को कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसका विस्तृत वर्णन अनेक राजकीय प्रतिवेदन में भी मिलता है। ऐसे कितने ही अवसर थे, जिन पर मीणा लोग अकारण ही पुलिस की मुठभेड़ में मारे जाते थे। अनेक विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि मीणा लोग आदतन अपराधी नहीं थे। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था इनको देशभक्ति का फल मिला।

जोधपुर-बीकानेर में भी मीणा जाति पर अनेक अत्याचार होते रहे। एक समय चूरू जिले के रतनगढ़ ढेलासर में 1948 को एक ही रात में सात बड़ी-बड़ी चोरियां हुई रात-दिन दौड़ धूप करने पर पुलिस को चोरी का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। ऐसी स्थिति में थानेदार ने पुलिस अधीक्षक के कान भर दिये कि हो न हो यह चोरी मीणों ने ही की होगी। यदि नहीं भी की हो तो उनको डरा धमकाकर चोरी का पता अवश्य लगा लेंगे। यहाँ भी चौकीदारी प्रथा थी जिसके अनुसार चोरों का पता लगाने का उत्तरदायित्व मीणों का ही था।

सन् 1942 ई. तक यहाँ के मीणों ने जयपुर की भाँति चौकीदारी प्रथा को तिलांजली दे दी थी, फिर भी चोरी का सारा दोष मीणों पर ही थोपा जाता था। अत: रतनगढ़ ढ़ेलासर मीणों को पकड़ा गया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। परंतु मीणें टस से मस भी नहीं हुए, होते भी क्यों? उनका चोरी से कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर भी एक नवयुवक ऐसा पीटा गया कि उसकी पीठ व जाँघों, पिण्डलियों पर जगह-जगह डण्डे की मार से नीले निशान पड़ गये। उस युवक ने कहा ''दादा ऐसी बेइज्जती से तो मर जाना अच्छा है। सिपाहियों ने हम पर इस तरह डण्डे बरसाये कि उजाड़ू ढ़ोर को भी कोई इस तरह नहीं मारता।'' युवक के करूण क्रन्दन से ही उसकी निर्दोषता सिद्ध हो रही थी। अत: निकट में बैठे वयोवृद्ध गणपतराम जूणदा ने

यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि इस कलंक को मिटाकर ही दम लूँगा। अत: उसने जयपुर पहुँचकर मीणा सुधार समिति के नेताओं से परामर्श किया। उनमें राजेन्द्र कुमार अजेय, लक्ष्मीनारायण झरबाल औंर अड़िसाल सिंह प्रमुख थे। उन्होंने बीकानेर में मीणा सम्मेलन आयोजित करने की राय दी और उनमें प्रजामण्डल के अन्य जातियों के नेताओं का आमंत्रित करने की योजना बनी। इसका विस्तृत वर्णन ''मुक्ति संग्राम'' के अध्याय में किया जायेगा।

यह स्वाभाविक है कि गेंद को जितना दबाकर नीचे डालो उतना ही ऊपर उठता है। जब सरकारी अन्याय इस कानून के माध्यम से अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। चौकीदार मीणों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। उनकी जमीन जायदाद चोरी गये माल की कीमत में हड़प ली जाती थी। जयपुर शहर में ही मीणों की 27 चौकियां थी जिन पर मीणा ही नियुक्त थे। अत: इतने बड़े शहर में कहीं न कहीं चोरी हो ही जाती थी, उन सभी का दोष इन चौकीदारों पर थोपा जाता था। परिणामस्वरूप इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। इनके पास अन्य कोई व्यवसाय न रहने पर असंतोष बढ़ता गया। इसमें जयपुर के चौकीदारों की विशेष भूमिका रही। सन् 1924 से 1930 तक इस अपराधी कानून का विरोध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।

सरकार की नीति ही सर्वदा फूट डालो और राज करो की रहती आई है। अत: उन्होंने यहाँ भी शासन ने फूट डालने की नई चाल चली। सन् 1930 ई. को कुछ लोगों को इस कानून के अन्तर्गत फार्म -एम. दिया जाने लगा। यह फार्म उन्हीं लोगों को दिया जाता था जिनके लिये पुलिस यह प्रमाण-पत्र देती थी कि ''इस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और चोरी चकारी में इसका कोई हाथ न तो कभी रहा और न कभी रहेगा। एक प्रकार से विशेष परिचय पत्र था, ताकि उस व्यक्ति को अपराधीवृत्ति का न समझा जाये और न ही उस पर अपराधी कानून लागू हो। यह चौकीदार मीणों में फूट डालने का षडयंत्र था। अत: चौकीदार मीणों ने इस प्रकार के फार्म लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में जरायम पेशा कानून का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कांग्रेस तथा प्रजामण्डल के नेताओं ने भी इसका पुरजोर शब्दों में विरोध किया। मीणा समाज में अनेक नेताओं ने गिरफ्तारियाँ दी, जिसका वर्णन अलग अध्याय में पढ़ेंगे।

चोरी होने पर उस क्षेत्र के सभी मीणों के बुलाया जाता था। ऐसी ही एक घटना गोविन्द देवजी के मन्दिर की है। वहाँ चोरी होने पर जयपुर रियासत के सभी मीणों को बुलाया गया। मीणों ने स्पष्ट कहा कि हमने चोरी नहीं की। अंत में पता लगा कि चोरी उत्तर प्रदेश के एक सांसी कंजर ने की। इस घटना का वर्णन श्री लक्ष्मीनारायण झरबाल ने पश्चिमी राजस्थान के सीकर दौरे के समय संत विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन के दौरे के समय दी। जब वह सन्त विनोबा भावे के साथ सीकर- लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर आदि में पदयात्रा में साथ जा रहे थे, उस समय कालूराम मीणा, नीमकाथाना (मण्डोली) विनोबा भावे के साथ राजस्थान प्रवेश के पूरे दौरे में साथ रहे थे।

राजस्थान में जनजाति कानून (जयरामपेशा)

राजस्थान की मीणा जनजाति प्राचीनकाल से ही एक वीर एवं साहसी जाति रही है। दसवीं सदी तक राजस्थान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनका एक छत्र राज्य था। उत्तरी राजस्थान में मीणा जाति के अनेक गणराज्य थे जिनमें खोहगंग, आमेर माँची (जमवारागढ़) गेटोरघाटी, झोटवाड़ा दौसा, नहान, झरी नरेठ-भाण्डारेज आदि प्रमुख गणराज्य थे। आमेर इनका संघ राज्य था। दक्षिण भारत में बूंदी चित्तौड़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा आदि राज्यों में भी आदिवासी भीलमीणा जाति का राज्य था। इनके इन गणराज्यों को राजपूतों ने कहीं भानजा बनाकर तो कहीं दत्तक पुत्र बनकर छल कपट से मीणा राज्यों पर अधिकार कर लिया। परंतु

इस जाति ने स्वतंत्रता के लिये राजपूतों से निरंतर संघर्ष जारी रखा। जब राजपूत शासक किसी भी तरह से इनकी स्वतंत्रता की भावना को न दबा सके तो इन्होंने मुगलों की शरण लेकर मीणा जाति का दमन प्रारंभ कर दिया। परंतु इस जाति ने निरंतर संघर्ष जारी रखा। अंत में आमेर के शासक भारमल ने अपने जातीय गौरव के विपरीत मुगल सम्राट अकबर की सहायता लेकर नहान (नई) के अंतिम शक्तिशाली मीणा राज्य को ध्वस्त कर दिया। इन सभी का विस्तृत वर्णन हम गत अध्याय में पढ़ चुके हैं।

मुगलों की सहायता पाकर भी जब राजपूत शासक मीणा जनजाति की स्वतंत्रता की भावना को दबा न सके तो विवश होकर राजपूतों ने मीणा जाति से एक समझौता किया जिसके अनुसार परम्परागत किंवदन्तियों के अनुसार यह निश्चय हुआ कि राज्य की कुल आय का बजट इस प्रकार रहेगा कि राज्य की आय का एक भाग चिकित्सा, शिक्षा आदि जनोपयोगी कार्यों पर दूसरा भाग शासन प्रबंध एवं सैनिक व्यवस्था पर तीसरा भाग आमेर नरेश को और आय का शेष चौथा भाग मीणों को दिया जायेगा। इसके लिये मीणा जाति को शासकीय सम्मान के लिये राज्य दरबार में सम्मान पूर्वक स्थान पालकी झण्डे के उपयोग का अधिकार दिया गया। किलों और खजानों की रक्षा का गुरूत्तर उत्तरदायित्व मीणा जाति को सौंपा गया। 12 गांवों की जागीर प्रदान कर इनके राजनीतिक प्रभुत्व को राजपूतों ने स्वीकार किया। जागों की पौथी के अनुसार जागीर के 12 गाँव मीणा सरदारों को दिये गये थे जिनका उल्लेख अध्याय एक में कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त मीणा शासकों को ताजिमी सरदार मानकर पैर में सोने के कड़े पहनने का अधिकार दिया।

इन 12 गांवों की जागीर के अतिरिक्त राज्य की लाग-बाग आदि करों में मीणों का चौथा हिस्सा रखा गया जिसे चौथायत कहते हैं। अनेक मीणों को सेना में ऊँचे पद देकर इन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया परन्तु कुटिल राजपूत शासकों ने मीणा जाति को निर्बल एवं प्रभावहीन बनाने का प्रयास भी निरंतर बनाये रखा। धीरे-धीरे चौथायत प्रथा को चौकीदारी प्रथा में बदल दिया गया। इस तरह चौकीदार व जमींदार मीणों के वर्ग बनाकर इनमें फूट डाली गई। फिर भी सत्रहवी सदी के आते आते मीणों की स्थिति महत्वपूर्ण बन गई।

जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जयसिंह के समय मीणों को राज्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना जाने लगा। जयपुर शहर व गांवों की समस्त सुरक्षा का भार मीणा जाति को सौंपा गया। इसके लिये शहर व गांवों की सुरक्षा की कछ़ावा राजपूतों का राजतिलक भी मीणा संरक्षक के बायें पैर के अंगूठे से किया जाने लगा। मीणा युवकों की यह विशेषता थी कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम थे। सवाई जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ में दक्षिण में काँची कोट आश्रम से दूरदराज विष्णु मूर्ति लाने का कार्य हीदाजी झरबाल ने ही किया था। उन्हें जागीरें देकर और उनके नाम पर मोरी निकाली गई जिसका नाम हीदा की मोरी पड़ा। अलवर राज्य दरबार में भी सम्मान किया जाने लगा। सवाई जयसिंह जी के बाद सवाई माधोसिंह के समय तक राजकार्य में मीणों का वर्चस्व बराबर बना रहा। कप्तान रघुनाथजी बागड़ी सवाई माधोसिंह जी के अंतरंग मंत्रिपरिषद के सलाहकारों में से एक थे। ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने आमेर में शेर से कुश्ती लड़ते हुए उसको मार दिया और इंग्लैण्ड के पहलवान ने उनको एक चुनौती दी जिसको इन्होंने कुश्ती में धराशायी कर दिया। इनके बाद चौकीदारप्रथा के माध्यम से इन पर अनेक प्रतिबंध लगाये जाने लगे।

जरायमपेशा कानून के लिए जांच कमीशन (1950)

ब्रिटिश शासन में अनुसूचित जनजातियों की स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के लिए 1857 की क्रान्ति के बाद ही प्रयास प्रारम्भ कर दिया था। अन्त में केन्द्र सरकार ने 1874 में जरायमपेशा कानून ब्रिटिश

सरकार में लागू कर दिया। उनके आदेश से देशी रियासतों ने भीइस प्रकार के कानून बनाकर स्वतंत्रता प्रिय जनजातियों की भावना को दबाने के लिए कानून बनाये। ऐसा ही एक कानून 1930 में जयपुर रियासत में लागू किया, जिसका विस्तृत वर्ण्र हम गत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का ध्यान इस अमानवीय कानून की ओर गया। उसने 1950 में एक जांच कमीशन आयंगर की नियुक्ति की जो 24 जून 1950 को उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, अजमेर होता हुआ 30 जून 1950 को जयपुर पहुंचा। एक जुलाई 1950 को बागावास, चौरासी, नयाबास आदि क्षेत्रों में मीणों के चाल-चलन की जानकारी के लिए कमीशन के सदस्य श्री चालिया वहां पहुंचे। इसकी सूचना जब मीणा सुधार समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को मिली तब वे अपने साथियों के लेकर एक जुलाई 1950 को महकमा खासा (सचिवालय) में पहुंचे। कमीशन के समक्ष निर्दोष मीणों पर केवल मीणा जाति में जन्म लेने मात्र से होने वाले घोर अत्याचारों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि मेहनत मजदूरी करके पेट भरने वाले लाखों निर्दोष मीणों को इस अमानवीय कानून से किस तरह सताया जा रहा है।

पूरा विवरण ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कमीशन के सदस्यों ने मीणा सुधार समिति को पूरा आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही मीणा जाति पर होने वाले अन्याय के कानून को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। अन्त में माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद ने समस्त भारत से इस अमानवीय कानून को निरस्त करने का अध्यादेश जारी कर दिया।

राजस्थान राज्य में भी यह कानून स्वत: समाप्त हो गया। परन्तु यहां के प्रशासन को मीणा जाति की स्वतंत्रता खटकने लगी और उन्होंने उन पर अंकुश रखने के लिए एक नया कानून बनाया जो मानव समानता के नितान्त विरुद्ध है।

अभ्यस्त अपराधी कानून (1952)

इस कानून के अनुसार मीणा जाति द्वारा एक ही बार अपराध करने पर अभ्यस्त अपराधी मान लिया जायेगा। परन्तु अन्य जातियों द्वारा तीन बार अपराध करने पर उसे अभ्यस्त अपराधी जाति में माना जायेगा। इस प्रकार मीणा जाति के नागरिक अधिकारों को कुचलने का पुन: प्रयास किया गया। इस अभ्यस्त अपराधी कानून के विरोध में श्री झरवाल और भगवान सिंह तिरंगी के प्रयास से अनेक सम्मेलन आयोजित हुए।

सन्दर्भ

1. मीना भारती- बोराज
2. अरावली उद्घोष-उदयपुर।
3. स्वतंत्रता सेनानी- श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की डायरी।

❑❑❑

अध्याय 6

नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष

पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिये अनेक दमनकारी कानूनों का सहारा लिया था। इस प्रकार के कानूनों का उद्‌देश्य स्वतंत्रता की भावना का दमन करना था जिसका एक लंबा इतिहास है। उस समय राजस्थान एवं भारत के समस्त राजा-महाराजा अंग्रेजों की सहायक संधि के (1803-1818) जाल में फँस चुके थे। अब केवल आदिवासी मीणा जाति ही ऐसी बची थी जो अंग्रेजों के कानून, उनकी सभ्यता व संस्कृति को स्वीकार करने के लिये कभी तैयार नहीं हुई। 1857 की क्रांति के पहले और बाद में इन्हीं धरती पुत्रों ने विदेशी शासन का जमकर विरोध किया था। अत: इनके दमन के लिये 1871 ई. में अपराधी जनजाति कानून (क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट) बनाया। इसको उत्तरोत्तर कठोर व व्यापक बनाने में विदेशी शासन कभी पीछे नहीं रहा। इसका संक्षिप्त विवरण विगत अध्याय में दिया जा चुका है।

1924 ई. में इस कानून का भारत की समस्त जनजातियों पर प्रभाव हो गया था। राजस्थान की जयपुर रियासत में टोंक, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़ व जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर आदि पर निर्दोष लाखों मीणों पर इसे 7 सितंबर 1930 में राज्य पत्र में प्रकाशित करके बहुत कठोरता से लागू किया गया। क्योंकि राजस्थान की मीणा जनजाति सर्वदा से स्वतंत्रताप्रिय रही है। राजपूत शासक भी इस जाति के प्रभुत्व को मुगलों की सहायता से ही दमन कर सके। इस जाति का फिर भी जयपुर रियासत के शासन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। राजकीय कोष एवं महलों, शहर, स्थाई चौकियों से प्रजा व राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी मीणा जाति पर था। फिर क्या कारण था कि जयपुर रियासत के शासकों ने ऐसा घृणित कानून अपने राज्य की शासक एवं वफादार रही मीणा जाति पर लागू करने का दुस्साहस किया?

स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिये बहाना ढूँढ़ना प्रशासन के लिये साधारण बात है। प्रशासन ने सोचा कि समय रहते इनको न दबाया गया तो रियासतों में उत्तरदायी शासन प्राप्त करने में यह जाति जुड़ जायेगी। राज्य में नगर व राज्य के ग्रामो की सुरक्षा का भार मीणा चौकीदारों पर था। चाहे कितना ही चुस्त प्रशासन हो, चौरी व डकैती हो ही जाती है। अत: चोरी गई वस्तु की रकम संबंधित चौकीदार से ली जाती थी। इससे मीणा जाति में असंतोष फैलने लगा। इधर ब्रिटिश शासन भी आदिवासी मीणा जाति की स्वतंत्रता की भावना को भुला नहीं था। 1857 की क्रांति में यद्यपि राजा महाराजा एवं पूंजीपति अंग्रेजी राज्य के समर्थक थे और क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की पूरी पूरी सहायता की। परंतु इस आदिवासी मीणा जनजाति ने क्रांति के प्रबल सूत्रधार तांत्या टोपे की पूरी मदद की। अत: क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन ने प्रतिशोध में स्वतंत्रता प्रेमियों पर कहर ढ़ा दिया। रोलेक्ट एक्ट (1913) जैसे अनेक दमनकारी कानून बनाये गये। इस जाति पर भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिये लागू किया गया।

राजस्थान की जनता तो तिहरी गुलाम थी। सामन्त (जागीरदार) इससे ऊपर रियासत का राजा और इसके भी ऊपर विदेशी शासन था। मजदूर व किसान पर भारी भरकम करों को लादकर राजा व सामन्त

सुख चैन से रहने के आदि हो गये थे। ऐसी स्थिति में अनुचित करों का विरोध करने का बीड़ा श्री विजय सिंह पथिक ने उठाया और आदिवासी जनजाति पर होने वाले अत्याचारों का विरोध श्री मोतीलाल तेजावत, श्री भोगीलाल पाण्ड्या एवं श्री माणिक्य लाल वर्मा ने उठाया। श्री विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में उभरा किसान आंदोलन (1918-20) भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। इसमें सामन्तों की बैठ-बैगार का खुलकर विरोध किया गया। अंत में किसानों की संगठन शक्ति के सामने सामन्त (बिजोलिया) एवं मेवाड़ के महाराणा को झुकना पड़ा और इनकी मांगें मान ली गई। इस सफलता को देखकर शेखावाटी ढूंढ़ाड़ (जयपुर) प्राचीन मत्स्य राज (अलवर-भरतपुर) में सामन्तों के विरुद्ध किसान आंदोलन भड़क उठे।

ब्रिटिश सरकार की यह मान्यता सदा से ही रही है कि सामन्त व रियासतों के राजा हमारी वास्तविक शक्ति है। यदि ये नष्ट हो गये तो अंग्रेजी शासन को भारत से हटाने में कुछ ही दिन लगेंगे। इसी उद्देश्य से राज्य के किसान आँदोलन को दबाना प्रारंभ कर दिया गया। जयपुर तथा अलवर राज्य में मीणों की संख्या ही अधिक है। अत: इनको नतमस्तक करने के लिए जनजाति अपराधी कानून कठोरता से लागू किया गया।

1885 ई. में भारत में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। यद्यपि उस समय उसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति नहीं था। इसका कार्य केवल मानवीय अधिकारों के लिये विदेशी शासन से याचना करना था। परंतु कांग्रेस में ही एक उग्रवादी दल उभरता गया, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल एवं लाला लाजपतराय ने किया था। उन्होंने डंके की चोट कहा कि ''स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।'' इससे देश के युवक, किसान एवं मजदूरों में आत्मविश्वास का संचार होने लगा। इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस का ध्यान अपराधी जनजाति कानून की ओर गया। सन् 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में अपराधी जनजाति कानून के विरुद्ध आवाज उठने लगी, क्योंकि इसका संबंध मानवीय अधिकारों से था। जब महात्मा गांधी के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया तो इस अमानवीय कानून को हटाने के लिये कांग्रेस ने भी प्रयास करने प्रारंभ कर दिये।

कांग्रेस के प्रोत्साहन से कुछ ऐसे समाजसेवी जागरुक व्यक्ति तैयार हुये, जिन्होंने समस्त जीवन आदिवासियों के अधिकार प्राप्त करने के लिये लगा दिया। सन् 1936 में अखिल भारतीय आदिवासी सेवक संघ के तत्वाधान में आंध्र प्रदेश के नैलोर नामक स्थान पर एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ। पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर कहा कि ''इस अधिनियम को कानून की पुस्तक से फाड़कर फैंक देना चाहिए। समूची जाति को अपराधी घोषित करने को उन्होंने अमानवीय बताया और मान्य सभ्य, न्याय व्यवस्था के विरुद्ध बताया।'' सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्थान-स्थान पर इस काले क्रीमिनल कानून की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार का ध्यान भी इस अमानवीय कानून की ओर दिलाया गया। सन् 1939 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस मंत्रिमण्डल का भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया और भारतीय आदिवासी सेवक संघ के अध्यक्ष अमृतलाल ठक्कर बापा ने सरकार को लिखा कि ''अपराधी जनजाति कानून के अन्तर्गत पुलिसवाले आदिवासियों को राक्षस समझते है। उन्हें साधारण से साधारण अपराध पर कठोर दण्ड दिया जाता है।'' इसके विरोध में ठक्कर बापा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मंत्रिमण्डल को काले कानून को रद्द करने के लिए अनेक ज्ञापन दिये।

राजस्थान में जब प्रजामण्डल एवं अखिल भारतीय देशी प्रजा लोकपरिषद की स्थापना हुई और सामन्तवाद के विरुद्ध सशक्त आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया तब इस अपराधी जनजाति कानून को

हटाने के लिये भी पुरजोर शब्दों में मांग की गई। मीणा जाति के सुधार के लिये सरकार को कुछ करने के लिये अनुरोध किया गया परंतु इसका निरंकुश शासन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका परिणाम यह निकला कि असंतोष बढ़ता गया और निर्दोष मीणों पर जुल्म बढ़ते गये और अपराधों में निरंतर वृद्धि होती रही। कांग्रेस के अनुरोध पर आदिवासी जनता की शिक्षा एवं आवास व्यवस्था के लिये कुछ आर्थिक सहायता देने का भी सरकार ने आश्वासन दिया। परंतु यह दिखावा मात्र था। उल्टा राजनीतिक नेताओं को यह समझाया गया कि ''अपराधी जनजाति कानून इस जाति के सुधार के लिये बनाया गया है।'' इस प्रकार सुधार कार्य का हास्यास्पद उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है कि ''पुलिस के एक सिपाही को दस रूपये प्रतिमाह मीणा जाति को कठोरता से नियंत्रण में रखने के साथ उनको शिक्षित करने के प्रयास के लिये दिये जाते थे। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय शासन को पुलिस के अतिरिक्त किसी पर विश्वास नहीं था।

उपर्युक्त तथ्य का सभी वर्णन स्वतंत्रता (1947) के बाद नियुक्त ''अपराधशील जनजाति अधिनियम जाँच समिति के प्रतिवेदन से प्रकट होता है। ''यदि वे राज्य जहाँ अपराधी जाति बसती थी, उनकी भलाई के लिये अच्छे उपाय काम में लेते तो अब तक इस समस्या का समाधान हो गया होता। बिना सुधार कार्य के इस अधिनियम को चालू रखने का परिणाम यही निकला कि लोग अपने प्रति किये गये अन्याय को अधिकाधिक अनुभव करने लगे और इस अन्याय का विरोध करने के लिये एक सामाजिक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया।

मीणा जाति में जागृति की लहर

देश की स्वतंत्रता के लिये किये जा रहे सत्याग्रह आंदोलन का महत्व पढ़े लिखे मीणा लोग समझने लगे और उन्होंने भी मीणा जाति के अधिकारों को प्राप्त करने के लिये एक सामाजिक संगठन बनाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सन् 1928 में जयपुर शहर में मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। इसी समिति के तत्वाधान में मीणा समाज की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दौसा, बसवा, बाँदीकुई, कौलाना, करणावर, भरतपुर, मालपुरा, दूदू, फुलेरा, सांभर, रींगस, नीमका थाना, चौमूं चँदवाजी, बैराट, आमेर जमारामगढ़ आदि स्थानों के अतिरिक्त झुन्झुनू क्षेत्र के मीणा सरदार भी इसमें शामिल हुये।

इस विशाल सम्मेलन में मीणा सुधार समिति के मीणा नेताओं ने सभा में उपस्थित लोगों को बताया कि सरकार ने किस प्रकार हम निर्दोष लोगों पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लादकर अनेक अमानवीय अत्याचार कर रही है। अत: हमें संगठित होकर सामूहिक रूप से इसका विरोध करने जा रहे हैं। अत: आप इसमें पूरा सहयोग देने का कष्ट करें क्योंकि यह कानून हमारी जाति पर ही नहीं समस्त मनुष्य जाति पर कलंक है। इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस का आंदोलन भी बड़ा प्रभावशील है और वह भी नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष करता है। ऐसी स्थिति में हमें भी कांग्रेस द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन में दृढ़ता से भाग लेना चाहिए।

कांग्रेस के आँदोलन से प्रेरणा पाकर मीणा समाज के प्रमुख नेता, रामचन्द्र बागड़ी, चौकी माणक चौक गोपीराम बागड़ी, दरीबा पान, श्री छोटूराम झरवाल, भूरामल झरवाल, (सांगानेरी दरवाजे बाहर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर), नारायण जी पबड़ी, स्टेशन, धन्ना पबड़ी, जयपुर ने जलेबी चौक में पुलिस मुख्यालय जाकर पुलिस के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी काउन्ट्री साहब को कानून को हटाने के लिए आवेदन पत्र दिये। इन्हीं

महाशय ने देवली छावणी से जयपुर आकर 1924 में ही मीणा जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को दबाने के लिये अपराधी जनजाति कानून (क्रिमिनल टाइब्स एक्ट) तैयार किया था, उसे 7.9.1930 में जयपुर राज्य के मीणाओं पर श्री यंग आई.जी. पुलिस द्वारा लागू किया गया, जिसका विस्तार से वर्णन हम विगत अध्याय में पढ़ चुके हैं।

मीणों ने साफ-साफ कह दिया कि हम इस कानून के अन्तर्गत पुलिस में हाजरी नहीं देंगे और न ही हमारे हाथ काले कराकर उसके चिन्ह पुलिस को देंगे। इस पर एक प्रस्ताव भी सरकार को दिया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

''हम मीणा समाज जरायम पेशा कानून को नहीं मानेंगे।'' अपने नागरिक अधिकारों के लिये निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। हममें कोई भी चोर नहीं है, जो नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय पर हाजरी नहीं देते रहेंगे। अत: सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस काले कानून को तुरन्त निरस्त करने का कष्ट करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लाखों मीणा लोग जयपुर राज्य सरकार के विरुद्ध इस काले कानून का संगठित होकर विरोध करेंगे। सत्याग्रह कर जेल भर देंगे। हम सभी मीणा समाज के प्रतिनिधि घोषणा करते हैं कि इस जरायम पेशा कानून को कभी भी नहीं मानेंगे और न ही पुलिस में नियमित हाजरी देंगे।''

मांग स्वीकार करने के स्थान पर उपस्थित पुलिस दल ने मीणा समाज के प्रतिनिधियों को घेर लिया। इस पर भी स्वाभिमानी मीणा प्रतिनिधि सैनिक तनिक भी नहीं घबराये और जोर-जोर से नारे लगाने लगे। जरायम पेशा कानून का नाश हो! गंगाधर तिलक, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, भारत माता व मीणा समाज की जय व महात्मा गांधी की जय! के नारे लगाये, आसमान को गुंजायमान कर दिया, नागरिक अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पुलिस का अन्याय सहन नहीं करेंगे। महात्मा गांधी व बन्देमातरम की जय जयकार के नारों से आकाश गूँज उठा। पुलिस ने प्रमुख मीणा सरदारों को बन्दी बना लिया। उनके साथ आये सैकड़ों मीणों को बसों में भरकर दूर-दराज के इलाके में दौसा तथा फागी के घने जंगलों में छोड़ दिया गया।'' श्री गोपीराम बागड़ी, पानों का दरीबा को पुलिस मुख्यालय ले जाकर जेल में बन्द कर दिया गया। आई.जी.पी. पुलिस ने भूराराम झरवाल, छोटूराम झरवाल, सुल्तानाराम बागड़ी, धन्नाराम पबड़ी आदि मीणों को समझाया कि आप अपनी जाति में सुधार के कार्य करो।6, सितम्बर सन् 1930 में जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून को दृढ़ता से लागू कर दिया गया। मीणों पर दादरसी कानून लागू कर दिया। इसके अनुसार चोरी में किसी प्रकार का हाथ नहीं होने पर भी चोरी गये माल की कीमत चौकीदार से वसूल की जाति थी। इस दमनकारी कानून की धारा 28 का पुरजोर शब्दों में विरोध किया गया।

इस कानून का विरोध करने के लिये निम्नलिखित मीणा सरदारों ने स्थान स्थान पर विरोध सभायें आयोजित की। (1) छोटूराम झरवाल (2) श्री भूरामल झरवाल-चौकी सांगानेरी गेट। (3) सुल्तानाराम बागड़ी चौकी डोलों का बास (4) धन्नाजी पबड़ी-चौकी स्टेशन (5) महादेव नारायण पबड़ी (6) रघुनाथ व गोपी राम बागड़ी चौकी पानों का दरिबा (7) श्री रामकरण रघुनाथ गोपाल झरवाल चौकी हीदा की मोरी (8) श्री स्योनारायण-मानतवाल-रामगंज चौकी जयपुर (9) श्री बीजाराम झरवाल चौकी-फुटाखुर्रा (10) श्री गंगाबक्ष चिमनाराम नाइला, चौकी जौहरी बाजार (11) रघुनाथ, प्रताप मानतवाल चौकी किशनपोल (12) श्री श्योनारायण मानतवाल चन्द्रमा की चौकी गणगौरी बाजार, जयपुर (13)

कप्तान रघुनाथ बागड़ी ब्रह्मपुरी चौकी आदि गांव-गांव जाकर जनचेतना जागृत की।

जमवारामगढ़ सम्मेलन (1931)

मीणा सुधार समिति के प्रयास से ही सर्वप्रथम (1931) जमवारामगढ़ में यह सम्मेलन राव मेदा के ऐतिहासिक चबूतरे पर किया गया। श्रीरामबक्ष सीहरा इसके अध्यक्ष थे और उद्घाटन अजमेर निवासी लाल सिंह जी पोखरिया, अजमेर ने किया । सम्मेलन में जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि रियासतों के मीणा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों ने अपने भाषण में जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत मीणों पर होने वाले दमनचक्र का वर्णन किया। कुछ वक्ताओं ने इस जाति के गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डाला। जिसमें प्रमुख मीणा नेता महाशय छाजूसिंह कांवत, शाहजहांपुर, गणपतराम बगराण्या नरेठ, झुंझुनूं, उमराव और रामचन्द्र नोगाड़ा बांदीकुई, गोमाराम झरवाल रामपुरा, तहसील बैराठ, चतरू बागडी- आंतेला आदि ने अपने जोश भरे भाषण दिए। बिना किसी अपराध के इस सभ्य जाति पर अपराध कानून लगाना नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने विवेक खो दिया है। हमारी सेवाओं को भी राजपूतों ने भुला दिया है। अत: भाईयों हमें अपने अधिकारों के लिये एकजुट होकर लड़ना है। कुछ लोगों ने चौकीदार जमींदार मीणों के नाम से फूट डालने की भी कोशिश की है, परंतु हम सभी मत्स्य भगवान के वंशज है। सब एक है। असामाजिक को मीणा जाति से निकाल दो, बच्चे व बच्चियों को उत्तम उच्च शिक्षा दिया जाना जरूरी है। ऐसे प्रस्ताव पारित किये गये। राज्य सरकार से जरायमपेशा कानून रद्द करने की मांग की गई और प्रस्ताव भेजे गये।

शाहजहाँपुरा में विराट सम्मेलन मार्च, 1933

13, 14 मार्च 1933 को श्री नारायण सिंह जी नौरावत नाजिम डग झालावाड़ की अध्यक्षता में यह सम्मेलन संपादित हुआ। मुख्य अतिथि मुनि मगनसागर जी महाराज थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मुनि जी ने सर्वप्रथम मीणा जाति की गौरव गाथा-'मीन पुराण की भूमिका' नामक पुस्तक लिखी, जिसे छपवाने का समस्त व्यय श्री नारायण सिंह जी नौरावत डग (झालावाड़) ने किया

अधिवेशन में सर्वप्रथम बन्देमातरम गीत का गायन हुआ और तिरंगा झण्डा लहराया गया। सभी वक्ताओं ने देश की आजादी के लिये कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। इसके बाद मुख्य प्रस्ताव रखा गया कि राजपूताने की जयपुर, अलवर, भरतपुर व पंजाब की सरकारों ने मीणा जाति पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लादकर बहुत ही अन्याय कर रखा है। अत: इसके विरोध के लिये सशक्त आंदोलन की योजना बनाई गई। महाशय छाजूसिंह, लालजी मल, दानसिंह आदि के प्रभावशाली भाषण हुए। मुख्य अतिथि मुनिमगनसागर जी महाराज ने मीणा जाति के गौरव की याद दिलाते हुए कहा कि मीणा जाति का समस्त राजपूताने पर एक छत्र राज्य था। छल कपट से राजपूतों ने मीणाओं के राज्य को नष्ट कर दिया। अत: हमें अपने अधिकारों के लिये सरकार से संघर्ष करने के साथ शिक्षित होने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा से हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे।

अध्यक्षीय भाषण में श्री नौरावत जी ने मुनिजी के विचारों को दोहराते हुये कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिये संगठित होकर लड़ना चाहिए। संयोग से देश में कांग्रेस भी आजादी के लिये संघर्ष कर रही है। उसका उद्देश्य नागरिकों को मूल अधिकार दिलाना है। अत: कांग्रेस के आंदोलन से हमें पूरा लाभ मिलेगा। सम्मेलन में देश की स्वतंत्रता के लिये शहीद हुये, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू को श्रद्धांजलि

दी गई।

श्री सुन्ददरलाल जेफ निवासी कुण्डा आमेर, श्री सुल्तानाराम सिहरा श्री अड़िसाल सिंह छापोला कोटपूतली मुन्शी श्री हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश आदि मीणा नेताओं के ओजस्वी भाषण हुये। बन्देमातरम् तथा म. गांधी की जय के नारों के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।

मीणा जाति ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को समाप्त करने के लिये सशक्त विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कानून का विरोध करने के लिये पुलिस अधिकारियों को अनेक ज्ञापन दिये गये। परंतु राज्य प्रशासन ने सहानुभूति युक्त विचार करने के स्थान पर दमनकारी नीति अपनाई। टोडा, दौसा कोटपुतली, लालसोट जमवारामगढ़, चौमू बांदीकुई आदि क्षेत्र से आये अनेक मीणों को बसों में भरकर घने जंगलों मे छोड़ दिये गये। समाज के प्रमुख नेता छोटूराम जी,भूरामल जी झरवाल निवासी सांगानेरी गेट जयपुर, सुल्तानाराम जी बागड़ी माणक चौक गोपीराम जी बागड़ी पानों का दरिबा ने पुरजोर शब्दों में कहा कि हम अपराधी नहीं है। अपराधी जनजाति कानून को नहीं मानेंगे और न ही पुलिस में हाजरी देंगे। इस बात पर डटे रहे कि हम कभी काले हाथ करवाकर चिन्ह नहीं देगे। इस पर सभी को पुलिस कार्यालय चांदपोल ले जाया गया। श्री गोपीराम बागड़ी अनेक मीणों को केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया। प्रमुख क्रांतिकारी नेता गणपतराम जी बगराणिया निवासी झुन्झुनू को जयपुर राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वे उदयपुर चले गये और महाराणा की सेवा में रहने लगे। बाद में इन्हें पुन: जयपुर बुला लिया गया।

आर्य समाज सम्मेलन (1938)

जयपुर में किशनपोल बाजार स्थित आर्य समाज कार्यालय में यह सम्मेलन अक्टूबर, 1938 में आयोजित हुआ इस सम्मेलन के अध्यक्ष कँवर लालजी बापना थे। वैसे भी आर्य समाज राष्ट्रीय एकता के लिये सर्वदा अग्रणी रहा है। पिछड़ी जातियों के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति थी। आदिवासी जन नेता श्री गोविन्द गुरू ने आर्य समाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती से समाज सुधार की प्रेरणा ली थी। सर्वप्रथम स्वराज्य की कल्पना इसी संस्था ने की थी। मानवीय मूल्यों एवं नागरिक अधिकारों के लिये आर्य समाज सदा संघर्षरत रहा यही समझकर श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल भी इस सम्मेलन में पहुँचे और उन्होंने मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों से वहां उपस्थिति नेताओं को अवगत कराया।

राष्ट्रीय विचारधारा के कवि तेजसिंह, पंडित जीयालाल तथा प्रोफेसर सूर्यनारायण अजमेर भाग लेने आये। जयपुर राज्य प्रजामण्डल के भी अनेक नेतायहाँ उपस्थित थे। पंडित हीरालाल जी शास्त्री ने बताया कि प्रजामण्डल उत्तरदायी शासन के साथ नागरिकों के मूल अधिकारों की मांग कर रही है। मुझे विदित है कि राज्य की मीणा जाति को साधारण नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है, अत: वे प्रजामण्डल के आंदोलन से जुड़कर नागरिक अधिकारों की मांग करें। प्रजामण्डल सामन्तों के अत्याचारों से भी पूरी तरह अवगत है। अत: अनेक प्रकार का बैठ-बेगार का भी विरोध करते हैं।

इस अवसर पर राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी के सचिव भुलाभाई देशाई भी आये थे। जयपुर में नथमल जी कटले में लगी खादी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रजामण्डल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने अपने भाषण में मीणा जाति को नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इन सभी घटनाओं से प्रभावित होकर श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने प्रजामण्डल द्वारा घोषित नागरिक अधिकारों के प्रचार के लिये किशनपोल बाजार, कल्याण जी का रास्ता आदि अनेक चौकड़ियों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन

किया। महिलाओं के सम्मेलन आयोजित किये गये।

मीणा जाति सुधार जन जागरण (1940 ई.)

जरायम पेशा कानून के विरूद्ध सशक्त आन्दोलन जाति में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को त्यागने के लिए भी स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इस कार्यकर्त्ता सम्मेलन में मीणा जाति को मूलभूत नागरिक अधिकार प्रदान करने तथा राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। झरवाल के नेतृत्व में 1940-43 तक नियमित रूप से कार्यकर्त्ता सम्मेलन आयोजित किये गए। सम्मेलन विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्त्ताओं के मकान तथा आम रास्तों पर आयोजित होते रहे। मीणा जागृति को देखकर तथा इनके सत्याग्रह आन्दोलन से खीजकर जयपुर सरकार के पुलिस विभाग के आई. जी ने अनेक अमानवीय प्रतिबंध मीणा समाज पर लाद दिए जिसका विस्तृत वर्णन हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

यह जन जागरण एक प्रकार से मानवीय जन जागरण का, जिसमें जयपुर शहर के संभ्रात लोगों का भी पूरा सहयोग रहा। इन गणमान्य नागरिकों राजस्व रूप टांक जौहरी, जयपुर कँवरलाल बापना टोंक रोड़ जयपुर बापना भवन, वैद्य विजयशंकर शास्त्री, हरिशंकर बैरवा जयपुर, रणजीतसिंह आर्य, रूपचन्द लुहाडिया, लाडली नारायण, गोपाल मनोरंजन प्रेस, कपिलदेव क्रांतिकारी, पुरानी बस्ती, जयपुर, पदमाकर कमल साहित्य सदावर्त जयपुर फूलचन्द अग्रवाल आदि के नाम उल्लेखनीय है। सभा स्थल में सदाचार कन्यापाठशाला भी प्रमुख है।

जाति जागरण के साथ प्रजामण्डल द्वारा चलाये जाने वाले उत्तरदायी शासन आन्दोलन में भी अनेक मीणा कार्य कर्त्ताओं ने भाग लिया और जेल गये। इनमें लक्ष्मीनारायण झरवाल, अड़िसाल सिंह सुल्तानराम झरवाल, स्वामी बल्भानन्द मंडलेश्वर दादूपंथी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जयपुर के इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी अधिक हैं कि यहाँ पर अनेक समाज सेवी नि:स्वार्थ भावना से कार्य करने में लगे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इस क्षेत्र में जागरूकता सर्वाधिक थी। सुधार कार्य को व्यापक बनाने के लिए नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार की सभाओं में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सभाओं में सबसे अधिक विचार विमर्श शिक्षा प्रसार पर होने लगा। घर-घर में शिक्षा प्राप्त करने की भावना जाग्रत हुई।

इस प्रकार के सुधार कार्यों में स्वर्गीय गुलाब चन्द गोठवाल तथा अड़िसाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा। स्वतंत्रता सैनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल का भी मार्ग दर्शन इनको समय पर मिलता रहा।



प्रथम पंक्ति नीची बैठें हुए :- दायें से बायें (1) रामधन बागड़ी (2) लक्ष्मीनारायण झरवाल । हाथ में देशी राज्यों का इतिहास । मोतीडूँगरी रोड़ जयपुर, रामनाथ पबड़ी हसनपुरा स्टेशनरोड़ जयपुर (4) अड़िसीलसिंह छापोला-कोटपुतली

द्वितीय पंक्ति (1) गोबिन्द राम बागड़ी नीदड़ जयपुर (2) सुल्तानराम सीहरा, कोटपुतली जयपुर (3) गुमानमल मोरझवाल जयपुर (4) राम देव जयपुर (5) भगवान अटूता नन्द गिरि मीणा आमेर (6) हरनाथसिंह चुरू (7) भॅवरसिंह छान्डवाल बंजवाड़ी मारवाड़ जंक्शन

तृतीय पंक्ति (1) भैरूलाल मीणा परशराम द्वारा, जयपुर (2) श्योनाथ छापोला कूदा महंगी रायसर के पास, जिला जयपुर (2) बिरधा मीणा हसनपुरा, जयपुर (3) झूँथा मीणा, जयपुर (4) बिरधी चन्द मीणा, परशराम द्वारा, जयपुर

चतुर्थ पंक्ति (1) मास्टर भौरीलाल बड़दावत बादरी का नाकश जयपुर (2) श्री भीखासिंह छान्डवाल, आबू रोड़ (3) भैरू मीणा चाँदी की टकसाल, जयपुर (4) गुल्लाराम मीणा, हसनपुरा, स्टेशनरोड़, जयपुर

उपर्युक्त कार्यकर्त्ताओं ने समाज में जन जागरण के लिए राष्ट्रीय गीतों की धुन के साथ प्रभात फेरिया निकालते और घर-घर जाकर एकता का संदेश देते । समाज में एकता एवं शिक्षा प्रसार इस जन जागरण दल का मुख्यकार्य था ।

मीणा जाति व प्रजामण्डल आंदोलन

सन् 1939 में जयपुर रियासत में प्रजामण्डल आंदोलन काफी तेज होने लगा। श्री जमनालाल जी बजाज के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग के साथ सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया था। श्री जमनालाल बजाज को जयपुर रियासत की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया था और उनको 11 फरवरी 1939 को बैराट में बन्दी बनाकर मोरा सागर में नजरबन्द कर दिया गया। हीरा लाल शास्त्री व उनके साथियों को मोहनपुरा के एक मकान में बन्दी कर दिया। इस अवसर पर जयपुर शहर में पूरी तरह से हड़ताल हुई। इस आंदोलन में मीणा जाति के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया, क्योंकि उनको आशा थी कि उत्तरदायी शासन प्राप्त होने पर जरायमपेशा कानून को हटाकर मीणों को समस्त नागरिक अधिकार मिल जायेंगे। इस आंदोलन में 600 से भी ऊपर लोगों को बन्दी बनाया गया। इनमें अनेक मीणा भी शमिल थे। इनमें श्री लक्ष्मीनारयण झरवाल एवं दादूपंथी स्वामी वल्लाभानन्द मीणा मण्डलेश्वर दादूपंथी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। दामोदर लोहाकार, सुल्तान सिंह झरवाल, भंवर लाल सामोदिया के जत्था में गिरफ्तार किया गया और उनको जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। लोगों को छः माह तक की सजा हुई। बाद में म. गांधी के परामर्श से सत्याग्रह स्थगित हो गया। प्रजामण्डल के नेताओं को छोड़ दिया गया और हीरालाल शास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष बनाये गये। प्रजामण्डल के नेताओं को छोड़ने की खुशी में जयपुर शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों मीणों ने भाग लिया।



प्रजामण्डल सत्याग्रही- श्री सुल्तान सिंह झरवाल (जयपुर), दामोदर पांचाल (जयपुर) का चित्र

प्रजामण्डल में आंदोलन से प्रेरणा लेकर जनवरी 1940 से अक्टूबर 1940 तक मीणा सुधार समिति के तत्वाधान में जरायमपेशा कानून हटाने के लिये अनेक बैठकें एवं आंदोलन हुये। इस संबंध में चौड़ा

रास्ता, कल्याण जी का रास्ता किशनपोल बाजार परसराम द्वारा, सूरजपोल बांदरी के नासिक आदि स्थानों पर समिति की ओर से अनेक बैठके आयोजित की गई।

इन सभी बैठकों में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट व चौकीदारी प्रथा का विरोध किया जाता था। इस प्रकार की बैठकों में प्रजामण्डल के नेताओं ने भाग लिया जिनमें श्री कँवर लाल बापना श्री राजरूप टाँक, वैद्य श्री विजय शंकर शास्त्री का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मीणा समाज में श्री आड़िसाल सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री सुन्दरलाल जेफ, श्रीराम नारायण, श्री रामप्रताप (किशनपोल), श्री रामधन जागीरदार डालों का बास (जयपुर में जवाहरात का काम करते थे) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री बैरवा, जयपुर आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री बैरवा इन सम्मेलनों में कविता पाठ कर शराब बन्दी के लिए लोगों में उत्साह का संचार करते थे।

इस प्रकार की बैठकों का मुख्य उद्देश्य मीणा समाज में जागृति लाना था ताकि वे अपने मूल अधिकारों के लिये निरंतर संघर्ष करते रहे। बैठक में सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झण्डा-गीत गाया जाता था

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊँचा रहे हमारा॥
झण्डा न झुकाना, प्राण भले ही गंवाना।

सम्मेलन में प्रजामण्डल की रीति नीति पर भी प्रकाश डाला जाता था। उत्तरदायी शासन की मांग व सामन्तों के अत्याचारों पर विशेष चर्चा होती थी। जरायमपेशा कानून हटाने के साथ विद्यार्थियों के हाथ पैरों को काले करके उनके कागज पर चिन्ह लिये जाने का विरोध किया जाता था। गैर हाजिर रहने पर पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जाने की निन्दा की जाती थी। इस संदर्भ में मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की ओर से श्री कुशल सिंह जी ठाकुर गीजगढ चेयरमेन कौंसिल तथा आई.जी.पी. को कितनी ही बार प्रार्थना पत्र दिये गये। इनमें पुलिस की बर्बरता का उल्लेख होने के साथ यह भी लिखा जाता था कि जन्म लेते ही किसी शिशु को अपराधी मान लेना कहाँ का न्याय है? आई.जी.पी. को भी सरकार की ओर से लिखा गया कि मीणा जाति को तंग न करो, परंतु इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। यहां तक कि दफा 28 के अन्तर्गत जयपुर शहर के मीणों पर साईकल रखने पर भी पाबन्दी लगा दी गई।

सन् 1941 में अग्रगणी नेता श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को बन्दी बनाया गया और उन्हें सी.आई.डी. प्रथम पांचू लाल बनर्जी छोटी चौपड़ी स्थित कोतवाली ले गये। कोतवाली में पुलिस के अधिकारियों ने बुरी तरह से पीटा और रात हथकड़ी लगा खड़ा कर पानी के छींटें देकर सोने नहीं दिया और उन्हें जमीन से तीन फीट ऊँचा लटका दिया। उनके हाथों में हथकड़ियें डाल दी उनको डंडों व जूतों से पीटा गया और उनके निरंतर शरीर में सुई चुभाई जाती रही। और कहते रहते थे कि मीणा जाति चोर है। तुम भी चोर हो, उत्तर में झरवाल ने कहा कि सात पीढ़ी में भी कोई चोरी नहीं की। उन्हें बार बार यह कहा जाता रहा कि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि प्रजा मण्डल के आंदोलन में कभी नहीं भाग लोगे। परंतु झरवाल ने स्पष्ट उत्तर दिया कि मैं प्रजामण्डल का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने पर और अधिक डण्डों से पीटा गया।

झरवाल दृढ़ रहे और कहा कि ''जब तक शरीर में प्राण है मैं अन्याय का विरोध करता रहूँगा। मैं मरने से नहीं डरता।'' पुलिस इस पर अधिक पिटाई करने लगी। झरवाल इतने पीटे गये कि वे बेहोश हो गये। बेहोशी की हालत में उन्हें नीचे उतारा गया और पानी के छीटें देकर उन्हें होश में लाया गया। इसके बाद

भी उनको फिर पीटा गया और विरोध करने पर अमानवीय कृत्य किया गया। इसके बाद उनको माणक चौक थाणे में भेज दिया गया। वहाँ श्री झरवाल के हाथ काले करके चिन्ह लिये गये और कहा कि तुम अब जा सकते हो। परन्तु तुम्हें थाने में हाजरी देनी पड़ेगी श्री झरवाल ने कहा, हमारी जाति चोर नहीं है, हम क्यों थाणें में हाजरी देंगे?

छूटने के बाद प्रजामण्डल कार्यकारिणी के सदस्य श्री पं. बंशीधर जी शर्मा श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर उनके पास आये और ये दोनों प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री से मिलने उनके घर खेजड़े के रास्ते चांदपोल बाजार गये। श्री शास्त्री जी नेश्री झरवाल की करूण कहानी सुनी और पुलिस अधिकारियों को लिखा कि प्रजामण्डल में भाग लेने के कारण इस व्यक्ति को क्यों पीटा गया। शास्त्रीजी से भेंट कर पं. बंशीधर शर्मा और श्री झरवाल जैन मुनि मगनसागर जी से मिलने गये। वहाँ मुनिजी ने कहा कि सत्य और न्याय के लिये लड़ना मनुष्य का कर्त्तव्य है। आप डटे रहो। अन्त में आपकी विजय होगी।

उत्तर प्रदेश में सम्मेलन (जून 1942)

अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन जून 1942 को उत्तर प्रदेश के जिले बुलन्दशहर के अजीजाबाद गांव में आयोजित किया गया। इसका उद्‌घाटन प्रसिद्ध समाज सुधारक अजमेर निवासी श्री चाँदकरण शारदा के कर कमलों से हुआ। इसकी अध्यक्षता राजस्थान के जूझारू नेता स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने की थी। श्री झरवाल ने समस्त राजस्थान में मीणा राज्य इतिहास पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार कछावा राजाओं ने एक एक करके छलकपट से अपने आश्रयदाताओं के राज्य को छीन लिया। इस पर भी जब नहान का शक्तिशाली राज्य आमेर नरेश भारमल के अधिकार में न आ सका तो मुगल सम्राट अकबर की सहायता ली गई। अंत में जब मुगलों की सहायता से मीणा लोग नतमस्तक नहीं हुये और छापामार युद्ध से कई वर्षों तक आमेर के कछावा राजाओं ने नाक में दम करते रहे। अंत में मुगल सम्राट अकबर के परामर्श से भारमल को समझौता करना पड़ा जिसके अनुसार समस्त राज्य की आय का एक भाग शासन प्रशासनिक न्यायालय चलाने के लिये, दूसरा भाग सार्वजनिक कार्य शिक्षा-यातायात एवं चिकित्सा कार्य पर व्यय किया जाये। तीसरा कछावा राजाओं के लिये रखा गया। चौथा भाग मीणा जाति की नगर व ग्रामों की रक्षा के लिये दिया गया। इसी के आधार पर मीणा, राज्य के चौथायत बन गये आगे चलकर चौथायत से चौकीदार बन गए। मीणों में भेद डाला गया। चौकीदार व जमींदार को अलग-अलग संज्ञा देकर फूट डाली।

अब सम्मेलन के माननीय सदस्य तनिक विचार कीजिये कि ऐसी उत्तरदायित्व पूर्ण जाति को ब्रिटिश शासन ने चोर डाकू कहकर उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिये। इसके पीछे यही कारण था कि स्वतंत्रता प्रेमी मीणा जाति का दमन करना। हमारे राज्य में अपराधी जनजाति कानून (क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट) के द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं उनको सुनकर आपका हृदय भयभीत हो दहल उठेगा!

सम्मेलन की छटा बहुत ही निराली थी। एक विशाल जुलूस का आयोजन हुआ जिसमें सबसे आगे बैण्ड बाजे के साथ हाथी पर तिरंगा झण्डा लहरा रहा था। घोड़ों पर सवार युवक ओम अंकित केसरिया झण्डा लेकर युवक चल रहे थे। चाँदकरण जी शारदा ने अजमेर में अंग्रेजी राज के विरोध पर प्रकाश डाला। देश के शहीद चन्द्रशेखर सुखदेव, राजगुरू एवं भगतसिंह को भाव भीनी श्रद्धांजली अर्पित की। हैदराबाद में अंग्रेजों व नवाब के विरुद्ध चल रहे सत्याग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुये कहा कि चारों ओर विदेशी

शासन ने आंतक राज फैला रखा है। अत: हमें अपने नागरिक अधिकारों के लिए डटकर संघर्ष करना है। हम सभी मीणा जाति के साथ है।

इनके अतिरिक्त मीणा वीर के संपादक श्री दुर्गाप्रसाद जी देंगल, उत्तर प्रदेश बरकातपुर के महाशय छाजू सिंह शाहजहांपुर (पंजाब), श्री घासीराम बेधड़क दिल्ली के मुन्शी श्री हरिनारायण सिंह, श्री कमल सिंह उत्तर प्रदेश एवं रामसिंह नौरावत मीणा झालावाड़ के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

श्री तारासिंह मीणा उत्तर प्रदेश एक उच्चकोटि के कवि थे और उन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में आप कितनी ही बार जेल गए। श्री दुर्गाप्रसाद जी बेंगल मीणा निवासी बरकातपुर छतारी ने ''मीनावीर'' नामक मासिक पत्रिका से मीणा जाति में उत्साह का संचार किया। यह पत्रिका राजस्थान, पंजाब, गुजरात एवं महाराष्ट तक जाती थी। श्री कमल सिंह भी कवि के साथ क्रांतिकारी थे और बम बनाते थे, कितनी ही बार जेल गए। श्री घासीराम बेधड़क, अपनी बेधड़क उपाधि के समान ही बहुत ही निड़र व साहसी थे। आप दिल्ली से गांव-गांव में प्रचार करते हुए पैदल अजीजाबाद सम्मेलन में पहुँचे। जरायमपेशा कानून को अपने प्रभावशाली ओजस्वी भाषण में बताया। इस काले कानून जरायम पेशा को रद्द किया जावे। वरना लाखों मीणा जेलों को सत्याग्रह करके भर देंगे। उन्होंने जरायमपेशा कानून की इस अधिवेशन में कटु आलोचना की। श्री महाशय छाजूसिंह जी शाहजहांपुर (पंजाब), आर्य समाज के मंत्री रामसिंह नौरावत ने अपने प्रभावशाली ओजस्वी भाषण में मीणा जाति पर जरायमपेशा कानून को रद्द करने की मांग के लिए विचार प्रकट किये।

सन 1943 में श्री बंशीधर जी की अध्यक्षता में सांगानेर में विराट मीणा सम्मेलन हुआ जिसके मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल थे। उत्तर प्रदेश के तारासिंह मीणा (राष्ट्रीय कवि) आए थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जरायमपेशा कानून को रद्द करना था। महादेव जी बागड़ी ने इस सम्मेलन के आयोजन की व्यवस्था की।

नीम का थाना विराट मीणा सम्मेलन (1944)

मीणा जाति पर दिन प्रतिदिन अन्याय बढ़ता जा रहा था। प्रजामण्डल का इस ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था। क्योंकि उनकी मांगों में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति पर सर्वाधिक जोर दिया जताा रहा है। उन्हीं दिनो चर्खा संघ गोविन्दगढ़ के संचालक देशपाण्डे जी अजमेर जेल से छूटकर आये थे। वे चांदपोल बाजार स्थित गोविन्दरायजी के रास्ते में प्रजामण्डल आश्रम में ठहरे हुये थे। उस समय मीणा सुधार समिति के महामंत्री स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल व श्री माधोपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष पं. बंशीधर जी शर्मा उनसे मिलने प्रजामण्डल आश्रम गये और वहीं पर मीणा जाति पर हो रहे अत्याचारों पर विस्तृत चर्चा हुई। अत: इन अत्याचारों का विरोध करने के लिये नीमका थाना में एक विराट मीणा सम्मेलन आयोजित करने पर विचार हुआ।

देशपाण्डे जी ने श्री झरवाल की अध्यक्षता में यह सम्मेलन करने का सुझाव दिया। परंतु श्री झरवाल ने प्रस्ताव रखा कि मेरे स्थान पर श्री मुनिमगनसागर जी महाराज उपयुक्त रहेंगे। क्योंकि उन्होंने मीणा जाति में जाग्रति लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं 1938 से उनके संपर्क में रहा हूँ। सम्मेलन दिनांक 16, 17 एवं 18 अप्रेल 1946 को मुनिमगनसागर जी अध्यक्षता में नीमकाथाना में हुआ। उद्घाटन हिन्दुस्तान दैनिक के संपादक श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार दिल्ली के कर कमलों से संपादित हुआ। इस अवसर पर

गोविन्दगढ़ चर्खा संघ की ओर से खादी की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सम्मेलन में प्रजामण्डल के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया जिनमें पं. बंशीधर जी श्री माधोपुर, दौसा से श्री रामकरण जी जोशी, जयपुर से बाबा हरिशचन्द्र जी एडवोकेट श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, ताड़केश्वर जी शर्मा (जयपुर) श्री रामेश्वर जी अग्रवाल रींगस, श्री बलवन्त देश पाण्डे गोविन्दगढ़ तथा मीणा जाति के अनेक गणराज्य नेताओं ने भी भाग लिया जिनमें श्री हरनारायणसिंह जी बुलन्दशहर, श्री तारा सिंह जी मीणा बरकातपुर जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) श्री अड़िसाल जी कोटपुतली, श्री रामसिंह जी नौरावत डग (झालावाड़) श्री हरसहाय जी नयाबास श्री मास्टर भँवरलाल जी बड़दावत, महाशय श्री छाजूसिंह जी शाहजहांपुर (पंजाब) श्री भगवताराम जी सीकर, श्री गणपतराम जी बगराणिया नरड़ जिला झन्झुनू के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सम्मेलन में दस हजार से भी ऊपर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की सफलता के लिए श्री हीरालाल शास्त्री, श्रीमती जानकी देवी बजाज, श्री भागीरथ कानोड़िया श्री घनश्यामदास जी बिड़ला आदि के शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुये। मीणा समाज के प्रतिनिधियों में श्री सुरजनराम नयाबास, हरसहाय जेफ, अर्जुनदेव, चिमनाराम जेफ, श्री जगन्नाथ बागडी थोई, श्री गणेश जी बागावास, श्री रामनारायण बधाल, श्री गणेश जेफ बागावास, श्री रणजीतमल जेफ, गोमाराम झरवाल, रामपुरा, श्री चौथमल उदयपुरवाटी, श्री चतुरराम बागड़ी आंतेला ने भाग लिया और तन-मन-धन से सहयोग किया।

सम्मेलन में राजनीतिक प्रस्तावों के अतिरिक्त सामाजिक उत्थान के रचनात्मक प्रस्ताव भी पारित किये गये। श्री लक्ष्मीनारायण जी झरवाल ने जरायमपेशा कानून को तुरन्त समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। श्रीरामसिंह नौरावत ने मीणा इतिहास पर प्रकाश डाला। मुनिमगनसागर जी महाराज ने समस्त राजस्थांन में मीणों के राज्य पर संक्षिप्त प्रकाश डाला और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिये सरकार के काले कानून का विरोध करने के लिये श्रोताओं को उद्बोधन किया। उद्घाटनकर्ता श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार ने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के हाथ पैरों को काले करके निशान लेना कहाँ का न्याय है। अत: यह प्रथा तुरन्त बन्द होना चाहिए, क्योंकि यह तो मीणा जाति की उठती पौध को ही नष्ट करना है। इनको राज्य सरकार, केन्द्र सरकार पढ़ा-लिखा कर पुलिस में सी.आई.डी. के विभाग में नौकरियां दी जाए, जैसे कि इंग्लैण्ड की सी.आई.डी. पुलिस अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार इस जाति के लोग भी सी.आई.डी. विभाग में भारत को श्रेष्ठतम स्थान दिला पाएंगे।

सम्मेलन की छटा बड़ी निराली थी। चारों तरफ सफेद टोपी खादी व तिरंगे झण्डे ही दिखाई दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर 1920 के कांग्रेस सम्मेलन की याद ताजा हो रही थी। सम्मेलन का प्रभाव इस बात से स्पष्ट झलकता है कि श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार ने सम्मेलन की गतिविधि का अवलोकन कर दिल्ली से ''मीना पुकार नामक'' पुस्तक प्रकाशित की और श्री पं. बंशीधरजी शर्मा ने ''मीणों की मांग'' पुस्तक प्रकाशित की। यह सम्मेलन मीणों तक ही सीमित न रहकर राष्ट्रीय सम्मेलन सिद्ध हुआ। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इस सम्मेलन के बाद मीणा सरदार प्रजामण्डल की सभा व बैठकों में अधिक उत्साह से भाग लेने लगे।

गुढ़ापुंख में सम्मेलन की योजना (1945)

नीम का थाना के विशाल सम्मेलन एवं प्रजामण्डल के नेताओं का इसमें भाग लेने का कारण मीणा कार्यकर्ताओं पर जयपुर राज्य सरकार कड़ी निगरानी रखने लगी। परन्तु कार्यकर्ता यों हार मानने वाले नहीं

थे। वे भूमिगत रहकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध करने लगे। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बैराट, नयाबास, मोडकी, सिंघाना, खेजरोली, रानोली, दौराला, करीरा, पावटा, अजीतगढ़, कांवट एवं डाबला जैसे आंतरिक गांवों का तूफानी दौरा किया। भगवानपुरा में मीणा सरदारों की एकता और प्रजामण्डल द्वारा भी इनकी माँगों का समर्थन करने के कारण सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। दो चार मीणाओं को अपनी ओर मिलाकर मीणा समाज के नाम मीणा राजपूत सभा के नाम से एक विज्ञप्ति निकलवाई कि ''आप लोग प्रजामण्डल के बहकावे में नहीं आवें और अपने महाराजा मानसिंह के प्रति राजभक्ति दिखावें और अपनी मीणा जाति के लोग जो प्रजा मण्डल में शामिल हैं वे लोग मीणा समाज और राजाओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, उन्हें अपने गांवों में मत आने दो। उनकी समाज, देशभक्ति की बातों पर ध्यान मत दो। महाराजा मानसिंह अन्नदाता गरीब परवार महापुरुष हैं।'' परंतु स्वतंत्रता के मतवाले मीणा सरदारों पर इस कुप्रचार का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की गिरफ्तारी (1945)

भूमिगत रहकर गुढ़ापोंख में एक सम्मेलन की योजना बनाई गई। गाँव-गाँव में इसका प्रचार करने के लिये जयपुर से पर्चे छपवाकर नीम का थाना में सन् 1945 में स्टेशन के बाहर पर्चे बाँट रहे थे तब श्री झरवाल को आत्माराम नामक हेड कांस्टेबल ने बन्दी बना लिया उन्हें लंबे समय तक नीम का थाना छावनी



नीमकाथाना में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को काठ की सजा की यातना का चित्र

में काठ में ही रखा इससे उनको बहुत ही पीड़ा होने लगी। वे हिलडुल भी नहीं सकते थे। शरीर में जुवा चीचड़े खून पीते थे और आंधी आने पर धूल से शरीर ढक जाता था। इसके बाद अप्रेल, 1945 में श्री झरवाल को केन्द्रीय-कारागार में भेज दिया गया। उन्हें राजनीतिक बन्दी की सुविधा नहीं दी गई वरन्

साधारण कैदी की तरह रखा गया। बिस्तर के नाम पर मूँज से बटी हुई दरी दी जाती थी और मोटी ऊन के चुभनेवाले कंबल दिये जाते थे। खाना बहुत ही निम्नस्तर का लोहे की परात में दिया जाता था। समाचार पत्र देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। गाँधीजी की आत्मकथा और स्वामी दयानन्द सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश चुपके से मंगवाकर पढ़ते रहते थे। इससे बड़ी शक्ति मिली। उन्हें भारत सुरक्षा कानून दफा 129 के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था। दो माह के कठोर कारावास में रखने के बाद श्री झरवाल को 29 मई 1945 को छोड़ा गया। जेल जाने व छूटने का उनके साथियों पर भी प्रभाव पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद भी गांव गांव घूमकर सामन्तवाद एवं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट दादरसी कानून में एवं थोपी गई चौकीदारी प्रथा का विरोध करते रहे। जब जेल जाने व छूटने की सूचना उनके साथी श्री अड़िसाल सिंह जी कोटपुतली वाले को मिली तो उनके मन में जाति सेवा की भावना जाग्रत हो गई और जुलाई 45 को पुलिस लाइन जयपुर से त्यागपत्र दे दिया और झरवाल जी के साथ मिलकर स्थान स्थान पर जरायमपेशा कानून का विरोध करने लगे। वे अच्छे वादक एवं संगीतज्ञ भी थे। इस कारण सभाओं में बड़ी भीड़ हो जाती थी। आजादी के संग्राम में भी उनका योगदान कम नहीं रहा।

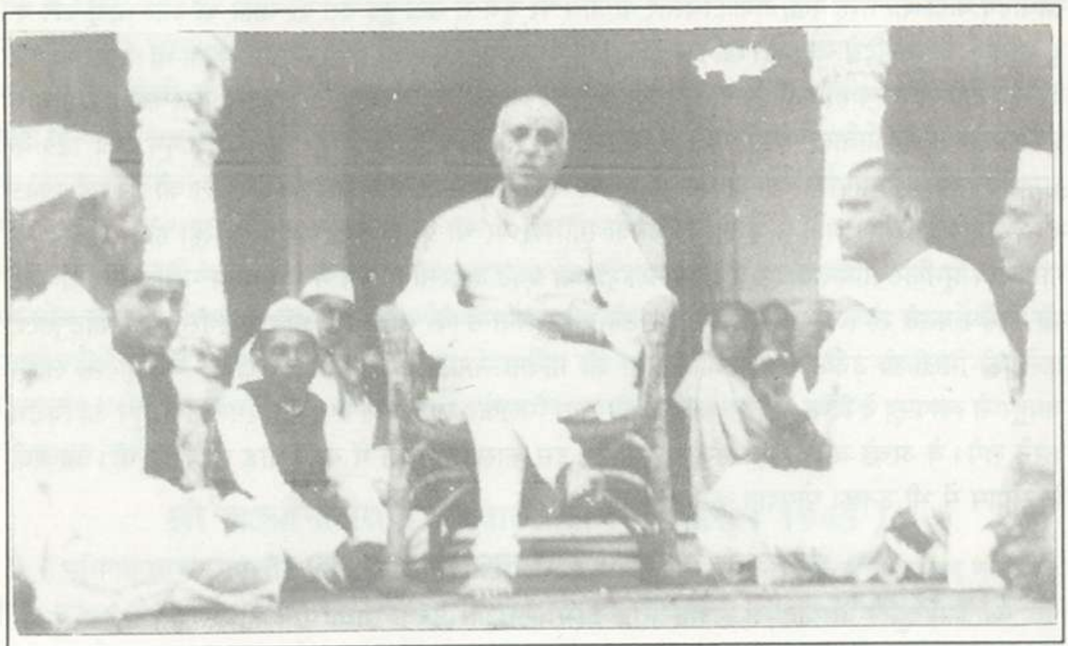
डाबला किसान सम्मेलन सितंबर 1945

जेल से छूटने के बाद श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल और उनके साथी पं. बंशीधर शर्मा राजेन्द्र कुमार आदि साथियों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अतिरिक्त सामन्तवाद के अत्याचारों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जागीरदार उपज का आधा बाँटा लेने के बाद भी अनेक अनुचित कर लगा रखे थे। इस प्रकार के करों का सर्वप्रथम विजयसिंह पथिक ने भारत के प्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन में विरोध किया था।

डाबला में भी जागीरदारों के अत्याचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। जागीरदारों ने इस सम्मेलन को भंग करने के लिये सशस्त्र लोगों को जागीरदारों ने इकट्ठा करके सम्मेलन के विरोध और खून खराबे की धमकियां देने शुरू कर दिया। परंतु मीणा सरदार व अन्य किसान इन आतताइयों से भयभीत नहीं हुए और अपनी बैठक चलाते रहे। अन्त में जागीरदारों के लोगों को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने भी अपने शस्त्र संभाल लिये थे। जमनालाल गोमलनाडू और हरसाहाय नयावास सम्मेलन के संयोजक थे।

पं. जवाहर लाल नेहरू का जयपुर आवागमन 1945

20 अक्टूबर 1945 पंडित नेहरू नेनी जेल से छूटकर जयपुर में देशी राज्य लोक परिषद के नेताओं से विचार विमर्श करने के लिये आये और सांगानेरी गेट के बाहर मोती डूंगरी सड़क पर स्थित वैद्य लछमी राम जी के बाग में ठहरे। उनके साथ शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला एवं सुश्री इंदिरा भी थी। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के प्रजामण्डल एवं लोक परिषद के नेताओं ने भी इस बैठक में भाग लिया। उदयपुर प्रजामण्डल से श्री माणिकलाल वर्मा, श्री बलवन्त सिंह, मेहता, जयपुर से श्री हीरालालशास्त्री श्री बाबा हरिशचन्द्र एडवोकेट जयपुर एवं श्री लादू राम जोशी- सीकर, सिरोही से गोकुलभाई भट्ट कोटा से अभिन्न हरि डूंगरपुर से भोगीलाल पाण्डया भरतपुर से श्री राजबहादुर श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी दौसा से श्री रामकरण जोशी, झुन्झुनू से नरोत्तम लाल जोशी, श्री माधोपुर से श्री पं. बंशीधर शर्मा ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त श्री ताडकेश्वर शर्मा आदि अनेक नेताओ ने पंडित नेहरू से भेंट की।



मोती डूंगरी रोड स्थित लच्छीराम जी की बगीची में पं.जवाहरलाल नेहरू के आगमन का चित्र

इस अवसर पर श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने पंड़ित नेहरू से भेंट कर राजस्थान में स्वतंत्रता प्रेमी लाखों मीणाओं पर ''क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट'' के अन्तर्गत होने वाले अत्याचारों से उन्हें परिचित कराया। श्री झरवाल ने कहा कि राजस्थान के राजाओं ने सामान्य नागरिक अधिकारों से भी मीणा जाति को वंचित कर दिया है। श्री झरवाल की बात पर गंभीरता से विचार करते हुये श्री हीरालाल शास्त्री की ओर मुँह करके पंडित नेहरू ने आवेश पूर्ण शब्दों में कहा कि ''प्रजामण्डल को इस प्रकार के अमानुषिक अत्याचारों का विरोध करना चाहिए और मीणाओं का साथ देना चाहिए।'' श्री झरवाल को संबोधित करते हुये पंडित नेहरू ने कहा कि ''आप लोगों को किसी भी हालत में इस प्रकार के अमानवीय कानून को बरदाश्त नहीं करना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए।'' बस श्री झरवाल को पण्डित नेहरू का समर्थन मिल गया और सर पर कफन बांध कर जान को हथेली में लेकर गांव-गांव, कस्बा-कस्बा और शहरों में सभा, प्रदर्शन, प्रभातफेरी निकाल कर जनचेतना का अलख जगाने निकल गये।

नींदड़ बैनाड़ सम्मेलन 1 दिसंबर 1945

इस सम्मेलन में उदयपुर में होने वाले देशी राज्य परिषद के सम्मेलन में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षयता श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने की और उद्घाटन श्री राजेन्द्र कुमार अजेय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में प्रमुख वक्ता श्री बद्रीनारायण जी खौरा, सुआलाल जी शर्मा स्वतत्रंता सेनानी नींदड़ थे। इस सम्मेलन के संयोजक जमादार गोविन्द रामजी बागड़ी थे।

देशी राज्य लोक परिषद के समय प्रस्ताव रखा जाये कि ''राजस्थान की रियासतों में आदिवासी जनजाति पर घोर अत्याचार हो रहे हैं किसी समय इस जाति का समग्र राजस्थान में शासन था परंतु विदेशी

शासन को उखाड़ फैंकने के प्रयास पें इस जाति ने छापामार युद्ध प्रणाली से ब्रिटिश शासन को नाकों चने चबा दिये थे। इसी कारण इस जाति का मनोबल गिराने के लिये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्टस 6 सितम्बर, 1930 में लागू किया गया। इसके अनुसार इस जातिं में जन्म लेने मात्र से ही उसे अपराधी मान लिया जाता है। इस जाति को सामान्य नागरिक अधिकार भी नहीं है। पुलिस इस जाति पर घोर अत्याचार करती है। अत: सम्मेलन के नेताओं से निवेदन है कि वे राजस्थान के राजाओं से कहे की इस अमानवीय कानून को तुरन्त समाप्त करें। इस प्रकार के कानून समस्त मानव जाति पर कलंक है।''

एक अन्य प्रस्ताव में मीणा बन्धुओं से अच्छे आचार विचार रखकर शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया। श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि मीणा जाति को किसी भी हालत में जरायमपेशा कानून को बर्दाश्त नहीं करना है। और श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन भाषण देते हुए बताया कि लाखों निर्दोष देशभक्त मीणों को केवल मीणा जाति में जन्म लेने से ही अमानवीय काले कानून क्रीमिनल ट्राइब एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानना है।

सम्मेलन में श्री भैरूलाल कोटा श्री अड़िसाल सिंह छापोला एवं श्री सुन्दरलाल जैफ ने भी अपने ओजस्वी भाषण में मीणा बन्धुओं को अपने नागरिक अधिकारों के लिये लड़ने को निरंतर संघर्षरत रहने को कहा गया।

देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1945

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का यह छठा अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से एक व दो जनवरी 1946 तक देश के हृदय सम्राट पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर नगर के सलोटिया मैदान में आयोजित हुआ। इसमें 562 रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कश्मीर से शेख अब्दुल्ला आये हुये थे। जोधपुर से लोक परिषद के अध्यक्ष श्री जयनारायण व्यास के साथ श्री सूर्य प्रकाश पापा एवं मथुरादास माथुर आदि नेता भी आये हुये थे। जयपुर से श्री हीरालाल शास्त्री, श्री लादूराम जोशी, श्री बाबा हरिशचन्द्र, श्री बंशीधर जी शर्मा श्री राजेन्द्र कुमार जी अजेय, श्री भैरवलाल काला बादल एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल श्री शिव बिहारी तिवाड़ी, गुलाबचन्द्र कासलीवाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री राजरूप टोंक, श्री देशपाण्डे, श्री बद्रीनारायण खौरा श्री मुक्तिलाल मोदी सहित 29 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। सम्मेलन में एक लाख से ऊपर लोग थे। सम्मेलन का प्रवेश टिकिट 2 रुपये से 1000 रुपये तक का था। सम्मेलन में 562 रियासतों को प्रतिनिधियों के अलावा राजा-महाराजा आम जनता, किसान, मजदूर ने भाग लिया।

सर्वप्रथम प्रस्ताव में देशी राज्यों के नरेशों से यह अपील की गई कि वह बदलती हुई परिस्थितियों में अपनी रियासतों में अविलम्ब उत्तरदायी शासन की स्थापना करें।

दूसरे प्रस्ताव में आदिम जनजाति मीणा एवं भीलों तथा अनुसूचित जनजाति सांसी, बावरियो आदि जातियों पर जो क्रिमिनल ट्राइब्स के अन्तर्गत जो अत्याचार हो रहे हैं, वह बहुत ही निन्दनीय एवं मानवता के विरुद्ध है। अत: संबंधित रियासतों के प्रजामण्डल को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये व जनजातियों का पूरा साथ देना चाहिए। इस अमानवीय कानून को हटाना स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक अंग है। स्वतंत्रता सेनानी झरवाल ने अपने प्रस्ताव में मीणा जाति के अतीत के गौरव पर प्रकाश डालते हुये

बताया कि किसी समय में समस्त राजस्थान में शासन करने वाली सभ्य एवं चरित्रवान जाति पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करके ब्रिटिश सरकार एवं उनके पिछलग्गू देशी राजाओं ने स्वतंत्रताप्रिय इस जाति पर घोर अन्याय कर रखा है। इस जाति में जन्म लेने मात्र में ही शिशु को अपराधी मान लिया जाता है। देश स्वतंत्रता के द्वार पर खड़ा है। अत: इस अमानवीय कानून को तुरन्त हटाने के लिये हमें कांग्रेस प्रजामण्डल के निर्देशन में निरंतर संघर्ष करना है। हमें स्वामी-विवेकानन्द के इस कथन को याद रखना है कि ''उठो जागो, जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर लो रूको नहीं।'' निरंतर सघर्षरत रहना है। भाईयों बापू के श्ब्दों को याद रखो ''करो या मरो।''

श्री झरवाल के प्रस्ताव का पं. बंशीधर जी शर्मा श्री माधोपुर सीकर, श्री साकर अली भोपाल एवं श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने समर्थन किया। प्रजामण्डल के नेता श्री माणिक्य लाल वर्मा श्री भोगी लाल पाण्डया, श्री हीरालाल शास्त्री एवं जोधपुर लोकपरिषद के अध्यक्ष ने भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को एक अमानुषिक कार्य बताया। इसके साथ जागीरदारों द्वारा निर्धन जनता पर किये जाने वाले अत्याचारों के प्रति गहरा रोष प्रकट किया गया और सामन्तवाद को समाप्त करने के लिये जनता को तैयार रहने के लिये कहा।

आदिवासी जनजाति के नेता श्री मोतीलाल जी तेजावत ने अपने ओजस्वी भाषण में भील एवं मीणों पर होने वाले अत्याचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। ''इन आदिवासी धरती पुत्रों ने हजारों की संख्या में सामन्तवाद के अन्याय को हटाने के लिये अपनी बलि दी है। अत: इनके खून को व्यर्थ न जाने देंगे और इनको पूरे नागरिक अधिकार दिलाने के लिये जी जान लगा देंगे।'' और जरायमपेशा कानून को समाप्त कराने पर जोर दिया गया।

कोटपुतली प्रान्तीय मीणा सम्मेलन (10 फरवरी 1946)

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देशी राज्य लोक परिषद में हुए प्रस्ताव से मीणा जाति के लोगों को परिचित कराना था। इसमें प्रजामण्डल से जुड़कर नागरिक अधिकारों की मांग को आंदोलन से शक्तिशाली बनाना था। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रजामण्डल दौसा के कर्मठ नेता श्री रामकरण जी जोशी ने की। इस सम्लेन में देशी लोक परिषद के निर्णय के अनुसार निम्न प्रस्ताव श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने रखे-

(1) चौकीदारी प्रथा व जरायमपेशा कानून को तुरन्त समाप्त किया जाये।

(2) मीणा जाति बन्धुओं से निवेदन है कि वे उच्च विचार एवं सादा जीवन अपनाये।

(3) समाज की उन्नति के लिये शिक्षा प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाये।

प्रस्ताव का समर्थन श्री हनुमानशरण जी वकील प्रजामण्डल श्रीमाधोपुर के नेता पं. बंशीधर जी शर्मा, जयपुर के क्रान्तिकारी देशभक्त व समाजसेवी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री सुरजन सिंह शाहजहांपुर तथा श्री छाजूसिंह महाशय मंत्री आर्य समाज ने किया।

सीकर में मीणा सम्मेलन 1946

31 मार्च एवं 1 अप्रैल 1946 को कर्मठ एवं नि:स्वार्थ समाज सेवी भगवताराम जी के प्रयास से सीकर में सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री लादूराम जी जोशी, मण्ड़वा (सीकर) ने की और उद्घाटन देश के महान क्रांतिकारी पं. ज्वाला प्रसाद जी शर्मा अजमेर के कर कमलों द्वारा किया

गया। आगुन्तक नेताओं का स्वागत करने के लिये सम्मेलन में आये प्रतिनिधि बहुत आतुर थे।

31 मार्च रेलगाड़ी दोपहर के एक बजकर पैंतीस मिनट पर ज्योंही सीकर रेल्वे स्टेशन पर पहुँची आगुन्तक नेता श्री लादूराम जी जोशी क्रांतिकारी नेता श्री ज्वाला प्रसाद जी, श्री राजेन्द्र कुमार जी अजेय पं. बंशीधर शर्मा एवं श्री लक्ष्मनारायण झरवाल को फूलों की माला से लाद दिया गया। स्टेशन के बाहर चार घोड़ो की चांदी की बग्गी तैयार खड़ी थी। सभी को इस बग्गी में बैठाकर जुलूस के रूप में समस्त कार्यकर्ता चलने लगे म. गांधी पं. जवाहर लाल नेहरू, लादूराम जी जोशी एवं ज्वाला प्रसाद जी जिन्दाबाद के नारों से जूलूस आगे बढ़ा।

कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा झण्डा लिये हुये थे और अनेक कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्तियां थी जिन पर लिखा था-जागीरदारी प्रथा समाप्त हो, जरायम पेशा कानून एवं चैकीदारी प्रथा तुरन्त समाप्त हो जाये के नारे लिखे हुये थे। बग्गी में श्री लादूरामजी जोशी एवं श्री ज्वाला प्रसाद जी के साथ मीणा समाज के प्रमुख नेता श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं राजेन्द्र कुमार अजेय भी बैठे हुये थे। आगे आगे बैण्ड राष्ट्रीय धुन बजाता हुआ चल रहा था। छात्र व छात्रायें हाथों में तिरंगा झण्डा लिये हुये थे। साथ ही श्री पथिक जी द्वारा रचित झण्डा गीत-''मित्रों प्राण भले ही गंवाना, पर यह झण्डा न नीचे न झुकाना'' गाया जा रहा था। सबसे आगे अड़िसाल जी मत्स्य घोड़ों पर सवार होकर हाथ में तिरंगा झण्डा लिये चल रहे थे। रास्ते में स्थान स्थान पर स्थानीय जनता आने वाले नेताओं पर फूलों की वर्षा करके पुष्पमालाएं अर्पण करके स्वागत कर रही थी।

जुलूस राव राजा साहब के महलों के निकट होता हुआ चांदपोल दरवाजा बाहर सभा में परिवर्तित हो गया। बग्गी से उतरते ही श्री लादूराम जी एवं श्री ज्वाला प्रसाद जी, लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर को महिलाओं ने तिलक लगाकर आरती उतारी। सभा स्थल पर फूलों की बौछार हो रही थी। श्री ज्वाला प्रसाद जी ने अपने उद्‌घाटन भाषण में कहा कि ''देश आजादी के द्वार पर खड़ा है चारों ओर आजादी के मतवालों में बड़ा जोश है। 8 अगस्त 1942 को राष्ट्र पिता म. गांधी के दिये नारे ''करो या मरो'' से लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है। अनेक लोग देश की स्वतंत्रता के लिये अपना जीवन दे चुके हैं। कितने ही देशभक्त आजादी के लिये हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ चुके हैं। लाखों लोगों को जेल में ठूंस रखा है तथा मीणा जाति पर लगाए गए जरायमपेशा कानून के लिए देश के राजा-महाराजाओं और अंग्रेजी शासन से अपना संबंध तोड़कर जनता को अपने शासन की बागड़ोर सौंप देना चाहिए।''

मीणा जाति पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अन्तर्गत जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। इस सभ्य एवं उत्तरदायी पूर्ण समाज में पुलिस मनमाने ढंग से कहर ढ़ा रही है। वे तुरन्त बन्द होना चाहिए। इस अवसर पर दानवीर सेठ श्री सोहनलाल जी दुग्गड़ ने रू. 15000 की थैली अध्यक्ष श्री लादूराम जी को भेंट की। अध्यक्ष महोदय ने यह थैली पास में बैठे श्री माधोपुर प्रजामण्डल के नेता श्री बंशीधर को मीणा समाज की शिक्षा व छात्रावास के लिये सौंप दी। अध्यक्षीय भाषण में श्री लादूराम जोशी जी ने मीणा समाज पर होने वाले अत्याचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला और मीणा समाज पर हो रहे अत्याचारों को हटाना हमारी आजादी की लड़ाई का ही हिस्सा है। देशी राज्य लोक परिषद के निर्णय के अनुसार प्रजामण्डल मीणों को न्याय दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। सम्मेलन बहुत ही उत्साहपूर्ण

वातावरण में समाप्त हुआ। लक्ष्मी नारायण जी झरवाल जयपुर, राजेन्द्र कुमार अजेय, पं.बंशीधर शर्मा श्रीमाधोपुर, भैरूलाल कालाबादल, श्री बद्रीनारायण सोढ़ाणी सीकर एवं श्री मन्मथकुमार जी मिश्र अध्यक्ष नगरपालिका सीकर के ओजस्वी भाषण हुये। इनके अतिरिक्त अनेक लोगो ने अपने विचार प्रकट किये। श्री छोटेलाल जी मिस्त्री सिंघाना वाले कुँओं में पानी बताने के लिये विशेषज्ञ थे। इनकी 8 बीघा जमीन रेल्वे स्टेशन पर थी। इस भूमि को जगनसिंह जाट नेता ने छल-कपट से हथिया ली। मीणा जाति की अनेक जमीनें जाटों ने छीन ली थी। इसका भी सम्मेलन में विरोध किया गया।

अखिल भारतीय जाट सम्मेलन 1946

12 मई 1946 को यह सम्मेलन जयपुर के बनीपार्क में तत्कालीन रक्षामंत्री सरदार बलदेव सिंह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मीणा जाति के भी अनेक लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 25 हजार किसान उपस्थित थे। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग के साथ जागीरदारों द्वारा ली जाने वाली बैठ-बैगार को बन्द करने का प्रस्ताव पारित हुआ। मीणा जाति पर जरायमपेशा कानून के अंतर्गत होने वाले अत्याचारों का विरोध करने के साथ ही इस काले कानून को तुरन्त निरस्त करने के लिये प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन को भरतपुर के जाट नेता श्री देशराज एवं शेखावाटी के जाट नेता श्री हरलाल सिंह ने भी संबोधित किया। मीणा जाति के सर्वमान्य नेता स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने भी जरायम पेशा कानून शीघ्र रद्द करने पर अपने विचार प्रकट किये। मीणों को पूर्ण नागरिक का दर्जा भी दिया गया।

खूड़ किसान सम्मेलन 1946

25 मई 1946, जिला सीकर के खूड ठिकाने के नयाबास ठेट गाँव में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने की और उद्‌घाटन श्री अड़िसाल जी छापोला कोटपूतली द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में झुन्झुनू, जयपुर, सीकर, किशनगढ़ जिलों के किसान व मीणा लोग एकत्रित हुये। सम्मेलन में खूड ठिकाने के जागीरदार के अत्याचारों का खलकर विरोध किया गया और लूंम-पातड़ी एवं अन्य फसल का यहाँ आधा बाँटा लिया जाता था और बैठ-बेगार लेकर लूट मचा रखी थी।

सम्मेलन में जब श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल अपना भाषण दे रहे थे तभी खूड़ के ठाकुर मंगल सिंह जी ने, आइदान तथा पाबूदान ठिकानों के चरण मुखिया की सभा भंग करने के लिये भेजा। वह और उनके साथी तलवारों व बन्दुकों से सुसज्जित बावरिया लोग भी थे। जो घोड़ों व ऊँटों पर सवार थे। इन लोगों ने आते ही सम्मेलन में बाधा डालना प्रारंभ कर दिया और सभा के लोगों को मारना पिटना शुरू कर दिया। सभा के लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। श्रीलक्ष्मीनारायण झरवाल व अडिसाल सिंह को घेरे में ले लिया गया। दांतारामगढ़ तक इनका पीछा करते रहे। दांतारामगढ़ पहुँचने पर इन्होंने प्रजामण्डल के नेताओं जनता की सभा को खूड़ के जागीरदार श्री मंगलसिंह के अत्याचारों से अवगत कराया और दांतारामगढ़ में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें खूड़ के सामन्त के अत्याचारों की

निन्दा की गई।

अत्याचारों की यही समाप्ति नहीं हुई। नयाबास के मीणों को सम्मेलन में भाग लेने के लिये खूब सताया गया और उनके घरों के जलाकर भी नष्ट कर दिया गया। स्वाभिमानी मीणा लोगों ने यह गाँव छोड़ दिया और नावा में आकर बस गये।

बैराठ प्रान्तीय मीणा सम्मेलन (29 तथा 30 जून 1946)

विराटनगर या बैराठ मीणाओं के प्राचीनतम विशाल राज्य मत्स्य राज की राजधानी रही है। यह वही नगरी है जहाँ पाण्डवों ने अपने अज्ञातवर्ष का समय व्यतीत किया था। यहां के महाराज विराट बहुत ही शूरवीर क्षमाशील आश्रयदाता थे। यही समझ कर पाण्डवों ने यहाँ आश्रय लिया था। यहीं पर महाभारत युद्ध के पहले एक शांति सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें भावी युद्ध को रोकने पर गंभीरता से विचार किया गया। श्री कृष्ण इस शांति सम्मेलन के प्रमुख वक्ता थे। सर्वप्रथम महाराजा विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने गायों की रक्षा के लिये कौरवों को अर्जुन की सहायता से पराजित किया था।

बैराट नगर के संस्थापक मत्स्य देश के मीणा राजा विराट ही थे। इनकी गणना भारत के उन महापुरुषों में की जाती है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म व न्याय के लिये सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनकी पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। महाभारत युद्ध में महाराजा विराट का समस्तं परिवार युद्ध की भेंट चढ़ गया था। महाभारत महाकाव्य में महर्षि वेदव्यास जी ने मत्स्य नरेश के शौर्य वं धर्मपरायणता की भूरि भूरि प्रशंसा की है। मौर्यकाल में भी सम्राट अशोक के समय मत्स्य राज्य की ख्याति कम नहीं थी। यद्यपि उस समय यह महाभारत के समय का स्वतंत्र राज्य नहीं था, परंतु मौर्यकालीन 16 जनपदों में इस मत्स्यगण राज्य का स्थान का सर्वोपरि था। सम्राट अशोक के समय के अनेक शिलालेख मिले हैं। स्थानाभाव के कारण उन सभी का वर्णन यहाँ संभव नहीं है। इनमें भाब्रू शिलालेख अधिक उल्लेखनीय हैं जो बीजक पहाड़ी पर स्थित है। इसमें जनता की भलाई के कार्यों का महत्व बताते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह इसी शिलालेख से सिद्ध होता है कि विराट मत्स्य राज्य की राजधानी थी, मत्स्य राज में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, मुरैना का क्षेत्र भी है, जिसमें मीणों का राज्य था।

हमारे यहां पर मौर्यकालीन 16 जनपदों का उल्लेखमात्र है। यदि इनका इतिहास लिखा जाता तो स्पष्ट हो जाता कि इस मत्स्य जनपद पर लोकतांत्रिक ढंग से मीणा जाति का शासन था। हर्ष के साम्राज्य के बाद उत्तरी भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बँट गया था। स्थान-स्थान पर शक्तिशाली आदिम जनजातियों ने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिये थे।

मध्यकाल में भी मत्स्य संघ पर मीणा जनजाति का ही प्रभाव रहा। विराटनगर से लगभग 20 कि.मी. दूरी पर नरेठ व झिरी राज्य ब्याडवाल झरवाल का था। इनमें झिरिया का राज्य शक्तिशाली था। बाधाराव बहुत ही शक्तिशाली मीणा शासक हुये हैं, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर से भी लोहा लिया था। नरेठ में बाधाराव के महलों के खण्डहर आज भी देखे जाते हैं। अत: स्पष्ट है कि यह विराट नगर या बैराट भी नरेठ व झिरी के अन्तर्गत रहा होगा। इतिहासकारों के लिये यह खोज का विषय है।

आज मीणा समाज को हमारे मत्स्यराज की गौरवमय राजधानी में सम्मेलन आयोजित करने पर बड़ा गर्व है। सम्मेलन में राजस्थान से ही नहीं वरन् मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के भी मीणा बन्धु इस सम्मेलन में आये हैं। प्रतिनिधियों की संख्या पांच हजार से ऊपर थी। सम्मेलन के अध्यक्ष पद को प्रजामण्डल के वरिष्ठ नेता पंडित शिवविहार तिवारी ने सुशोभित किया और उद्घाटन प्रजामण्डल के वरिष्ठ नेता पं. श्री बंशीधर जी श्रीमाधोपुर वालों के कर कमलों से किया गया। मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण झरवाल जयपुर थे।

इस सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। एक प्रस्ताव श्री लक्ष्मीनारायण जी झरवाल ने रखा कि जयपुर रियासत के समान ही अलवर एवं टोंक आदि राज्यों में मीणों जाति पर होने वाले अत्याचारों को तुरन्त बन्द करना चाहिये। जरायमपेशा कानून एवं चौकीदारी प्रथा तुरन्त समाप्त होना चाहिए। इस प्रस्ताव का समर्थन श्री अड़िसाल सिंहजी ने किया।

अत: सरकार इस कानून को बन्द करके उनको खेती करने और उद्योग धंधों में सहायता करें ताकि वे स्वाभिमान से जी सकें। इस जाति का चरित्र सर्वदा से ही उज्ज्वल रहा है। अत: इन पर काले कानून का आरोप लगाना अन्यायपूर्ण कदम हैं। इस प्रस्ताव का समर्थन श्री मुक्तिलाल जी मोदी (अमरसर) ने किया।

श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने बताया कि देशी राजाओं को सुरक्षित रखने तथा ब्रिटिश राज्य की रक्षा के करने के लिये यह कानून बनाया गया है। अत: हमें इसे समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लेकर नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहना चाहिए। कांग्रेस तथा प्रजामण्डल भी देश की आजादी के लिये लड़ रहे हैं। उनकी भी मुख्य मांग नागरिक अधिकारों को प्राप्त करना है। अत: हमें भी आजादी की लड़ाई में उत्साह से भाग लेना चाहिए।

मास्टर भौंरीलाल जेफ बागावास ने विराट सम्मेलन का बैराठ तहसील के गांव-गांव में प्रचार किया। वापसी ने बैराठ घाटी में शेर ने उनका पीछा किया। तब मास्टर भौंरीलाल ने साइकिल तेज दौड़ाई तब भी शेर ने पीछा किया। पेड़ पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा की। अनेक चोटें आई फिर भी सम्मेलन में पहुंचकर जरायमपेशा कानून को रद्द किये जाने पर ओजस्वी भाषण दिया। शाहपुरा में एक छात्रावास वर्षों तक चलाया जिसके वे व्यवस्थापक रहे। इस समय यह छात्रावास बन्द हो चुका है। मीणा समाज का उत्थान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सम्मेलन को सफल बनाने में तन-मन-धन से सहयोग किया।

खेतड़ी प्रान्तीय मीणा सम्मेलन 1946

11 जुलाई 1946 को यह मीणा सम्मेलन प्रसिद्ध क्रांतिकारी मातादीन जी भगेरिया की अध्क्षता में आयोजित किया गया। उद्घाटन प्रजामण्डल के नेता पं. बंशीधर जी शर्मा ने किया। इसमें देशी राज लोक परिषद में पारित प्रस्ताव पर श्री लक्ष्मीनारायण जी झरवाल ने विस्तार से प्रकाश डाला और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को तुरन्त समाप्त करने की मांग की गई। चौकीदारी प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव भी श्री अड़िसाल जी ने रखा और प्रस्ताव का समर्थन श्री ताड़केश्वर जी शर्मा ने किया।

इस सम्मेलन में हाजरी न देने के अपराध में बन्दी बनाये गये हजारों मीणा स्वयं सेवकों को जेलों से

तुरन्त रिहा करने की मांग की गई है। जागीरदार के अत्याचारों की खुलकर निन्दा की गई। प्रजामण्डल के अनेक नेताओं ने इस सम्मेलन पर अपने विचार प्रकट किये और उत्तरदायी शासन की मांग की गई।

भरतपुर राज्य मीणा सम्मेलन 1946

19-20 सितंबर 1946 को यह मीणा सम्मेलन मा. गंगादास जी की अध्यक्षता में जरायमपेशा कानून को समाप्त किए जाने के लिए आयोजित किया गया। उद्घाटन श्री लक्ष्मीनारायण जी झरवाल ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अन्तर्गत मीणा जाति पर होने वाले अन्याय पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि पं. बंशीधर जी ने चौकीदार प्रथा और दादरसी कानून को तुरन्त समाप्त करने का प्रस्ताव रखा और श्री भीमसिंह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रजामण्डल के प्रमुख नेता राजबहादुर जी ने चौकीदारी प्रथा को समास करने का विधिवत प्रस्ताव रखा और समर्थन श्री पूर्ण सिंह जी और अर्जुन सिंह ने किया। सम्मेलन के आयोजक भीम सिंह जी थे। प्रजामण्डल के नेता जुगल किशोर जी व मास्टर श्री आदित्येन्द्र ने बताया कि मीणा जाति एक बहादुर व स्वाभिमानी जाति है। स्वतंत्रता संग्राम में यह जाति अग्रणी रही है। अत: इस जाति पर जरायमपेशा कानून स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिये लगाया गया है। अत: राज्य सरकार से हम अपील करते हैं कि इस काले कानून को तुरन्त समाप्त करें। वैद्य परभाती लाल जी बानसूर, रघुनाथ जी के भजन उपदेश व प्रभावशाली भाषण व भजन हुए। और आग्रह किया कि समाज में फैली असामाजिक कुरीतियां समाप्त करके समाज को विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। मुख्य रूप से बालक और बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा देने की बहुत जरूरत है, जिससे मीणा समाज आगे बढ़कर विकास करने में सफलता मिल पाएगी।

झुन्झुनू विराट मीणा सम्मेलन 1946

15 तथा 16 नवंबर 1946 को यह मीणा सम्मेलन प्रजामण्डल नेता श्री लादूराजी जोशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन महान् क्रांतिकारी नेता श्रीमान् राजा महेन्द्र प्रताप सिंह मथुरा, उत्तर प्रदेश के कर कमलों से हुआ। माननीय राजा साहब ने अफगानिस्तान में भारत की स्वतंत्र अस्थाई सरकार की (1915) में स्थापना की और जीवन भर विदेशों से सहायता लेकर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते रहे। उस समय प्रथम युद्ध हो रहा था। अत: इंगलैण्ड के शत्रुओं से मिलकर भारत को आजाद कराने की योजना बनाई गई। सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार है। श्री हर सिंह लाल, श्री घासीराम चौधरी श्री विद्याधर जी कुलहरि, पं.नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनूं, किसान नेता ताड़केश्वर शर्मा पचेरी, श्री पं. बंशीधर शर्मा, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री भगवताराम सीकर, श्री हरसहाय नयाबास, दुल्हाराम खतेपुरा। सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।-

(1) मीणा जाति पर जरायम पेशा कानून तुरन्त समास किया जाये।

(2) जागीरदारी प्रथा समात की जाये।

(3) अनेक प्रकार की बैठ-बेगार और लाग बाग को बन्द किया जाये और सेटलमेंट के पर्चे

किसानों को दिये जायें। उद्योग धंधों का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा कर उनका पुनर्वास किया जाये।

(4) जमीन पर किसानों को खातेदारी का अधिकार दिया जाये।

(5) चौकीदार प्रथा को त्यागकर मीणा जाति स्वतंत्र धन्धा करना चाहती है।

अत: इसमें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करें।

सम्मेलन में 5 हजार से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। श्री गणपतराम नरड़ और झुन्झुनू के कवि लाछूराम मीणा ने भी अपने विचार प्रकट किये और कविता पाठ किया।

निवाई मीणा सम्मेलन 1946

यह सम्मेलन 19 एवं 20 नवम्बर को निवाई कस्बे में आयोजित किया गया। अध्यक्षता प्रजामण्डल के नेता पूर्णचन्द्र जी जैन ने की और उद्घाटन श्री बद्रीनारायण जी खोरा के हाथों हुआ। इस सम्मेलन में सवाई माधोपुर, टोंक, मालपुरा एवं जयपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें श्री पं. बंशीधर जी, श्री लक्ष्मीनारायणजी झरवाल, श्री राजेन्द्र कुमार जी अजेय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस सम्मेलन में जरायम पेशा कानून, चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये प्रभावशाली भाषण हुये। इन कुप्रथाओं को तत्काल बन्द करने की मांग की गई। पुलिस तहसील के कर्मचारी आप लोगों से रिश्वत खिलाने की बात कहते हैं तो उन्हें साफ-साफ कह दो टट्टी खाओ- जिससे पेट भर जावेगा। यह शब्द बद्रीनारायण खोरा ने अध्यक्ष पद से कहा। इस सम्मेलन को सफल बनाने में स्थानीय मीणें व बिरधी चन्द मीणा ने तन-मन-धन से सहयोग दिया।

खेजरोली मीणा सम्मेलन 24 नवम्बर 1946

यह सम्मेलन श्रीमती कमला देवी चौधरी का नांगल हरियाणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और उद्घाटन श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल द्वारा किया गया। सम्मेलन में पं. बंशीधरशर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री भैरूलाल काला बादल ने भाषण में जरायम पेशा कानून एवं चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के नारे लगाये। बैठ-बेगार एवं सामन्तों की लाग-बाग का कड़े शब्दों में विरोध किया गया और पुलिस अत्याचारों की निन्दा की गई।

पावटा मीणा सम्मेलन 19 जनवरी 1947

इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल ने की, उद्घाटन श्री रामकरण जोशी दौसा द्वारा किया गया। श्री भैरूलाल काला बादल ने राष्ट्रीय गीत अपने सुरीले कण्ठ से गाये। इस सम्मेलन में जुरायम पेशा कानून को समाप्त करने, चौकीदारी प्रथा को बन्द करके मीणों को अपनी जीविका उपार्जन के लिए समुचित मात्रा में खेती करने के लिये जमीन दी जाने की बात कही गई। प्रस्ताव सुबेदार सावंत ने रखा और समर्थन श्री भैरूलाल काला बादल ने किया। रामगंज थाने में श्री सुल्तान मीणा की 29 सितम्बर 1946 को रहस्यमय ढंग से हुई मृत्यु की जाँच सरकार निष्पक्ष होकर करे। इस अवसर पर समस्त मीणा समाज से कहा गया कि वे चौकीदारी प्रथा को तिलांजलि दे दें। जागीरदारों की बैठ बेगार एवं अनुचित दरों के विरूद्ध स्थान-स्थान पर सत्याग्रह आयोजित करें। दादरसी कानन्नू को कभी

स्वीकार नहीं करें, क्योंकि इससे निर्दोष मीणा जाति पर चोरी का झूंठा आरोप लगा कर उनकी जमीन जायदाद छीनी जा रही है।

इन राजनीतिक मांगों के साथ मीणा समाज से समाज सुधारों की ओर ध्यान देने को कहा गया। शराब एवं माँस को त्याग कर सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अध्यक्षीय भाषण में मीणा जाति के अतीत के गौरव पर प्रकाश डालते हुये कहा कि हमें समाज सुधार को हृदय से अपनाना चाहिए और दृढ़ता से अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सर्वदा तैयार रहना चाहिए।

टोंक क्षेत्र का मीणा सम्मेलन 1947

टोंक में घण्टाघर के पास श्री राजेन्द्र कुमार जी अजेय की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्घाटन प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल द्वारा किया गया। जयपुर रियासत में तो मीणों पर अत्याचार, मीणा सुधार समिति के प्रयत्नों से समाप्त हो गये थे। परन्तु टोंक क्षेत्र के मीणों पर क्रीमिनल ट्राइब्स एक्ट अभी तक लागू था। इसके अतिरिक्त टोंक के नवाब की ओर से अनेक अनुचित कर भी लिये जाते थे। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय से अलग लाग बाग, लाटा-बांटा (कर) ली जाती थी। जैसे बाई जी कलेवा, कतवाईयों से कूकड़ी तथा 92 प्रकार के कर टोंक के नवाब लेते थे।

जयपुर से गये कार्यकर्त्ताओं ने इस क्षेत्र के मीणों को कहा कि ''देश स्वतंत्र हो गया है अतः हमें चौकीदारी प्रथा छोड़कर जरायम पेशा कानून का तीव्रता से विरोध करना चाहिए। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने कहा कि जयपुर में 5 जून 1947 को इस कानून का पुतला बनाकर हम सभी ने मिलकर आग लगा दी है। अतः आप इस कानून के पुतले को आग लगा दो और दृढ़ता से बैठ-बेगार का विरोध करो। हम आपके साथ हैं। अध्यक्षीय भाषण में श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने बताया कि नवाब प्रशासन ने अनेक मीणों को बन्दी रखा है, जो असंवैधानिक है। हजारों लोग जेल में बन्द है। इन्हें तुरन्त छोड़ा जाये आज से कोई मीणा हाजरी नहीं देगा। सभा के लोगों में बड़ा उत्साह था।

उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। सड़कों पर पानी बह रहा था। परन्तु लोगों में इतना उत्साह था कि वे हिले तक नहीं। सभा समाप्ति के बाद मीणा नेता नवाब से मिले और बन्दी मीणाओं की जेल से रिहा करवाया सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। नवाब साहब ने मीणा नेता श्री झरवाल व अजेय को आश्वासन दिया कि टोंक राज्य सरकार मीणों पर जरायमपेशा कानून शीघ्र से शीघ्र खत्म कर देगी।

टोंक क्षेत्र का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जयपुर में जुरायम पेशा कानून निरस्त होने पर भी इस क्षेत्र में यह कानून यथावत जारी था। अतः यहां लोगों को संगठित करना नितान्त आवश्यक था। मीणा सुधार समिति ने यह भी अनुभव किया कि जब-तक स्थानीय कार्यकर्त्ता इस काले कानून का विरोध करने के लिए तैयार नहीं होगे, तब-तक बाहर के कार्यकर्त्ता सार्थक नहीं रहेगें।

मीणा सुधार समिति ने स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सुधार समिति के प्रयत्न से अनेक लोग समाज की उन्नति के लिए आगे आये।

दूदू का विशाल मीणा सम्मेलन (1947)

मीणा सुधार समिति जयपुर के तत्वाधान में 9-10 मई को दूदू में एक विशाल मीणा-सम्मेलन आयोजित किया गया । सर्वोदय नेता एवं मीणा समाज की उन्नति के कर्णाधार स्वार्गीय श्री बंशीधर जी शर्मा ने इस कार्यकर्त्ता सम्मेलन की अध्यक्षता की । उद्घाटन मीणा सुधार समिति जयपुर के महामंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के कर कमलों से आयोजित हुआ । सम्मेलन के मुख्य अतिथि एवं मीणा समाज के शुभ चिंतक स्वर्गीय बद्रीनारायण जी खोरा थे ।

श्री खोरा जी ने अपना समस्त जीवन किशानों को शोषण मुक्त कराने में लगा दिया । दूदू के जागीरदार ने सम्मेलन के आयोजक को धमकी दी कि खोराजी जागीरदार के कर लाग बाग व बेगार के अधिकार के बारे में कुछ न बोले । परंतु खोराजी जैसे निडर नेता इन धमकियों से डरने वाले नहीं थे । अत: उन्होंने जागीरदारों के अन्याय की खुल कर निन्दा की

सम्मेलन में अनेक प्रभावशाली नेता उपस्थित हुए । जिनमें मीणा समाज के शुभचिंतक राजेन्द्र कुमार "अजेय" एवं श्री भैरू लाल "काला बादल" का नाम विशेष उल्लेखनीय है । सम्मेलन में राज्य सरकार की इस बात कर आलोचना की गई कि जरायम पेशा कानून के निरस्त होने पर भी मीणा जाति पर पुलिस अत्याचारों मे कमी नहीं आई दूदू थाने के थानेदार श्री उदयसिंह ने इस क्षेत्र के भद्र एवं अच्छे आचारण वाले मीणा बन्धुओं पर भी अनेक झूंठे आरोप लगा कर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया । सम्मेलन में सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जागीरदारी प्रथा और पुलिस के जुल्मों को शीघ्र ही शीघ्र समाप्त की जाये ।

सम्मेलन का दूदू के ठाकुर श्री भानुप्रतापसिंह जी पर अच्छा प्रभाव पड़ा । फलस्वरूप 10-5-1947 को सभा मीणा कार्यकर्त्ताओं को आपने आमंत्रित किया और अच्छा सम्मान किया और कृतज्ञता स्वरूप यहां तक कहा कि मीणा जाति तो जयपुर राज्य और ठिकाना दूदू की सर्वदा से ही शुभचिंतक रही है। श्री झरवाल ने ठाकुर सा द्वारा किए गए स्वागत सत्कार की तो सराहना की, परंतु किशानों की दयनीय दशा पर दु:ख प्रकट किया । किशानों की दयनीय दशा का मुख्य कारण जागीरदारों द्वारा लगाये गये अनेक अनुचित कर है । अत: इन्हें तुरन्त बंद करना चाहिए । श्री झरवाल ने बताया कि आम जनता का हित ही शासक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । इस पर ठाकुर श्री भानुप्रताप सिंह ने बताया किशानों के लिए बांध बंधवाया है । और शिक्षा के लिए स्कूल बना रखी है ।

सन्दर्भ सूची

1. स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की डायरी।
2. राजस्थान पत्रिका की नगर परिक्रमा।
3. अरावली उद्घोष।
4. राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम:
   लेखक: श्री बी.एल.पानगाड़िया
5. प्रजामण्डल का इतिहास।
6. श्री भौगी लाल जी पाण्डया स्मृति ग्रन्थ।
7. राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन।
   सुजस पत्रिका-जुलाई 1995
   संपादक डॉ. अमरसिंह राठौड़

अध्याय 7

मुक्ति दिवस एवं आरक्षण के लिए संघर्ष

मीणा सुधार समिति जयपुर के निरंतर आयोजित सम्मेलन एवं आन्दोलन से जयपुर राज्य सरकार की आंखें खुलने लगी। इधर प्रजामण्डल द्वारा भी नागरिक अधिकारों एवं उत्तरदायी शासन की मांग भी जोर पकड़ती जा रही थी। प्रजामण्डल के आन्दोलन में मीणा जाति के लोग बहुत ही उत्साह से भाग ले रहे थे। देशी राज लोक परिषद 1946 के सम्मेलन में पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया जा चुका था कि जयपुर रियासत में प्रचलित जुरायम पेशा कानून तुरन्त समाप्त होना चाहिए और राज्य प्रजामण्डल को इस काले एवं दमनकारी कानून को समाप्त कराने में मीणा जाति की पूरी मदद करने का भी निर्देश दिया गया। मीणा जाति के प्रमुख नेता स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय तथा पं. बंशीधर शर्मा ने भी मीणा जाति को इस कानून के विरूद्ध आन्दोलन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये तैयार करने के लिए कह दिया गया था।

इन सभी परिस्थितियों से राज्य प्रशासन भी अपराधी जनजाति कानून को समाप्त करने के लिये गंभीरता से विचार करने लगा। राज्य सरकार को यह भय भी निरंतर सता रहा था कि पुलिस द्वारा मीणा जाति पर किये जा रहे अत्याचारों के कारण आन्दोलन कहीं संघर्ष में न बदल जाय। अत: राज्य सरकार ने मीणा सुधार समिति को अपने विश्वास में लेना आवश्यक समझा। जयपुर मीणा सुधार समिति का इस समय विस्तार हुआ था। अत: राजस्थान मीणा सुधार समिति के नाम से आन्दोलन का विस्तार होने लगा। राज्य सरकार ने 10 जुलाई 1946 को समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं श्री राजेन्द्र कुमार अजेय के नाम पत्र भेजा कि मीणा सुधार समिति, अपनी समस्या राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें। इस संबंध में 20 जुलाई 1946 को राजस्थान मीणा सुधार समिति की बैठक हुई। जिसमें राज्य सरकार के सामने रखने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।

(1) जन्म लेते ही मीणा शिशुओं के नाम जरायम पेशा कानून के अंतर्गत जरायम पेशा के लिये बनाये गये रजिस्टर में लिखना तुरन्त बन्द हो। यह मानव जाति पर स्पष्ट कलंक है। अत: शिशुओं के नाम रजिस्टर में लिखने की प्रथा तुरन्त बन्द की जाये। 12304 शिशुओं के नाम अभी तक रजिस्टर में अंकित किये जा चुके हैं। उनको तुरन्त हटा दिये जायें।

(2) मीणा जाति के 3331 व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें व्यर्थ में अपराधी मानकर उनके नाम अपराधी जनजाति रजिस्टर में अंकित कर दिये गये हैं। इन नामों को तुरन्त ही रजिस्टर से हटा दिया जाये। इस संदर्भ में राज्य विधानसभा (धारा सभा) में भी सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जा चुका है कि जाँच पड़ताल करके ऐसे व्यक्तियों के नाम रजिस्टर से हटा दिये जायें जिन्होंने विगत 10 वर्षों की अवधि में कोई अपराध नहीं किया हो।

(3) उपर्युक्त 3331 व्यक्तियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने विगत 5 वर्ष में कोई अपराध नहीं किया हो, उनको अच्छे आचरण वाले मानकर जमानत पर एक पास देकर, उनके भी नाम अपराध

रजिस्टर से काट दिये जायें।

(4) कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो आदतन अपराध करते हों, उन्हें किसी सुधार योजना के अंतर्गत उद्योग धन्धों में लगा कर सुधारा जाये। उनके बच्चों को शिक्षित कर राज्य सेवा में लेने का निर्णय लिया जावे।

(5) जो मीणा लोग पुलिस के भय से अपने घरों से फरार हैं, उन्हें भी क्षमा करने का उचित आश्वासन देकर उपस्थित होने के लिये प्रेरित किया जाये।

इन प्रस्तावों को विचारार्थ जयपुर रियासत प्रशासन के पास भेजे गये। फलस्वरूप गृह विभाग के गृहमंत्री मेजर जनरल श्री अमरसिंह ने मीणा सुधार समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल व अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार अजेय के नाम वार्ता के लिये निमंत्रण पत्र भेजा गया। इसके अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर, सर्वोदयी नेता श्री बंशीधर शर्मा, श्री मोधापुर प्रजामण्डल, श्री शिव बिहारी तिवारी जयपुर (प्रजामण्डल प्रतिनिधि) श्री अड़िसाल सिंह छापोला कोटपूतली, श्री भगवताराम सीकर श्री सूरजन राम नयाबास 24 जुलाई 1946 को दिन के 11 बजे वार्ता के लिये महकमा खास पहुँचे। वहाँ गृहमंत्री मेजर जनरल अमरसिंह जी, के साथ वार्ता में कानून सचिव, प्रभूदयाल, आई जी श्री विनयानन्द पाठक, डी. आई. जी. श्री काशी प्रसाद तिवारी, डी. आई. जी. श्री हकीकतराय आदि पुलिस अधिकारी भी शामिल हुये।

वार्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। मीणा सुधार समिति के सभी प्रस्तावों को ज्यों का त्यों मान लिया गया। राज्य सरकार ने समिति के सदस्यों को यह भी बता दिया कि दादरसी कानून तो 18 जून 1946 जयपुर सरकार के राजपत्र संख्या 5547 पृष्ठ कालम 4725 एम के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। महिलाओं व बच्चों की पुलिस थाने हाजरी देना भी बन्द कर दी गई है और इनके नाम भी जरायम पेशा रजिस्टर से हटा दिये गये हैं। समिति को यह भी बताया गया कि अन्य भावी समस्याओं पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है। जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गृहमंत्री मेजर श्री अमरसिंह (संयोजक) जनरल सैक्रेट्री तथा डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस सदस्य होंगे। मीणा सुधार समिति के प्रतिनिधि के रूप में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, जयपुर, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय (जयपुर) तथा सुरजनराम (नयाबास) सदस्य होंगे। जन प्रतिनिधि एवं प्रजामण्डल की ओर से श्री स्वरूप नारायण पुरोहित बी. ए. एल. एल. बी. धारा सभा सदस्य निवासी सीकर, श्री शिव बिहारी तिवारी प्रतिनिधि प्रजामण्डल जयपुर, श्री बंशीधर शर्मा प्रजामण्डल सीकर श्री चन्द्रभान एडवोकेट सदस्य धारा सभा निवासी झुंझुनुं समिति के सदस्य होंगे।

इस बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि 'दादरसी' कानून राजकीय आदेश संख्या 61 (एस. सी.) दिनांक 4 मई, 1946 से समाप्त कर दी गई है। इसके अनुसार अब किसी भी मीणा से चोरी की क्षति पूर्ति के रूप में धनराशि नहीं ली जायेगी। इस आदेश को एक जून 1946 के गजट में विधिवत प्रकाशित कर दिया जायेगा। खालसा (जयपुर रियासत) जहाँ चौकीदारी प्रथा है, उसे तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जाता है। इससे किसी भी चौकीदार को नकद या भूमि के रूप में किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। दादरसी प्रथा को समाप्त करने के लिये 1946 के गजट संख्या 5547 पृष्ठ 51 पर कॉलम संख्या 4728 एम. बी. के अनुसार आज्ञा प्रसारित कर दी गई है।

राज्य सरकारने यह भी घोषणा कर दी कि 18 वर्ष के कम आयु के मीणा बालकों के हाथ काले कर पुलिस थानों में चिन्ह लेने की प्रथा समाप्त की जाती है। उन्हें जनजाति अपराधी कानून से मुक्त कर दिया गया है और जन्म लेते ही मीणा शिशु को जाति के आधार पर अपराधी नहीं माना जायेगा। उनके नाम हाजरी रजिस्टर में नहीं लिखे जायेंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी महिलाओं को थाने में उपस्थित होकर हाजरी देने के लिए विवश नहीं कर सकेगा।

सरकार ने यह मान लिया कि चौकीदारी प्रथा एक स्वैच्छिक सेवा थी। उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था। अत: चौकीदारी के काम से त्याग-पत्र देने का उनको पूरा अधिकार है। राज्य सरकार चौकीदारी कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती। जहाँ यह प्रथा समाप्त हो गई है, वहां उनको इस कार्य के लिये दी हुई जमीन सरकार ले लेगी। परन्तु किसी व्यक्ति ने भूमि सुधार के लिए जमीन पर अपने निजी रुपयों से कुएं आदि खुदवा लिये हैं तथा अन्य कोई सुधार कार्य किया हो तो व्यय की हुई रकम सरकार दे देगी। जमीन की खातेदारी मीणा से ही होगी।

मीणा सुधार समिति के सदस्यों ने भी समस्त चौकीदारों को यह निर्देश दिये कि वे अपनी चौकीदारी सेवा का त्याग पत्र आई. जी. पुलिस को तुरन्त दे दें और इस वर्ष का हक पल्ली भी नहीं लें। समिति के निर्णय का सभी ने स्वागत किया और सभी ने सहर्ष अपने त्याग पत्र आई. जी. पुलिस को सौंप दिये। इस तरह से हजारों रुपयों की आय को ठोकर मार कर मीणा सरदारों ने इस गुलामी के जुए को उतार फैंक दिया।

सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया कि किसी भी व्यक्ति से बैठ-बेगार लेना अपराध है। बिना पारिश्रमिक दिये जबरदस्ती कार्य लेने की बेगार प्रथा से भी मुक्ति मिल गई। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई अधिकारी बेगार लेता है, तो उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए। बेगार के साथ-साथ सरकार ने रिश्वत लेने को भी एक दण्डनीय अपराध मान लिया। अत: कोई अधिकारी किसी न्यायसंगत कार्य के लिए धन की मांग करता है तो उसे शिकायत मिलने पर सरकार दण्ड देगी। सरकार ने उपर्युक्त सभी आदेश मिलटरी डिपार्टमेन्ट जयपुर की ओर से पत्र संख्या 6233 एम. बी. के अनुसार मीणा जाति को सुनाया और यह घोषणा की कि मीणा सरदार अब पूरी तरह से अपराधी जनजाति कानून से मुक्त किये जाते हैं। अब वे पूरी तरह से अन्य भारतीय नागरिकों की भाँति अपना जीवन व्यापन कर सकेंगे। अब वे पूरी तरह से स्वतंत्र नागरिक हैं। यदि कोई अधिकारी इस आदेश का पालन न कर मीणा बालक, स्त्री या पुरूष को तंग करता है तो शिकायत मिलने पर ऐसे अधिकारी को सरकार दण्ड देगी। कोई भी पुलिस अधिकारी मीणा बालकों के हाथ काले कर हाथों के चिन्ह नहीं लेगा और न महिलाओं को थाने में उपस्थित होने के लिये बाध्य किया जायेगा।

उपर्युक्त घोषणा से मीणा समाज राजस्थान में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर स्वतंत्रता व खुशी का वातावरण फैल गया। प्रजामण्डल के नेताओं को भी इस अमानवीय दमनकारी कानून को समाप्त करने पर बड़ा हर्ष हुआ। मीणा सुधार समिति का यह दायित्व हो गया कि वे मीणा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करें। मीणा समाज में सुधार लाने व शराब खोरी के लिये श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री भैरूलाल काला बादल एवं सीकर निवासी भगवताराम ने अधिक प्रयास किये और घर-घर जाकर इन बुराईयों को त्यागने के लिये सत्याग्रह किया। पर्व, त्यौहार व मेलों में अश्लील गानों पर प्रतिबन्ध

लगा दिया गया। इतना ही नहीं मीणा बालकों को शिक्षित करने का भरपूर प्रयास किया गया। स्थान-स्थान पर छात्रावास स्थापित किये गये और छात्रों की उचित शिक्षा के लिये प्रबन्ध किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि मीणा युवकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया और आरक्षण सुविधा के अनुसार उत्तरोत्तर उन्नति करते गये। जिसके अन्तर्गत विमुक्त जाति छात्रवास, समाज कल्याण विभाग द्वारा नवाब साहब की हवेली त्रिपोलिया में खोला गया। इसके अलावा राजस्थान विद्या मंदिर नाम की संस्था रजिस्टर्ड करवा करके नीमकाथाना, सीकर, शाहपुरा, बैराठ तहसील जिला जयपुर में मीणा छात्रावास खोले गये। जिसमें पाठ्य पुस्तकें, कपड़ा, भोजन आदि की व्यवस्था श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने करवाई। जमवारामगढ़, दौसा, लालसोट, गंगापुर आदि में मीणा छात्रावास खुलवाने के लिए राजस्थान मीणा सेवा संघ जयपुर से लिखा-पढ़ी करके स्वीकृत कराये। इन छात्रावासों को श्रीमान माणकलाल वर्मा उदयपुर और बनवारीलाल गौड़ को साथ लेकर लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर ने खुलवाये। संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान आदम जाति सेवक संघ को सौंपी गई। जमवारामगढ़, दौसा छात्रावास बन्द हो चुके हैं एवं लालसोट- गंगापुर के छात्रावास अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं।

अपराध जनजाति कानून से पूरी तरह मुक्त होने पर मीणा समाज ने अनेक स्थानों पर अपने सम्मेलन किये। अपराधी जनजाति कानून से मुक्त होने पर मुक्ति दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम मुक्ति दिवस बागावासा चौरासी में मनाया गया।

बागावास चौरासी-विशाल मीणा सम्मेलन (1946)

बागावास चौरासी तहसील बैराठ जिला जयपुर में यह सम्मेलन दिनांक 27 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उद्घाटन प्रसिद्ध पत्रकार एवं मीणा जाति के शुभचिन्तक श्री राजेन्द्र कुमार अजेय के हाथों हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जयपुर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष स्वर्गीय हीरा लाल शास्त्री थे। इस सम्मेलन में जयपुर जिले के ही नहीं वरन् टोंक, भरतपुर, अलवर, झुंझुनुं आदि क्षेत्रों से भी अनेक प्रतिनिधि उपस्थित हुये। इस तरह से आस-पास के हजारों मीणों ने इस सम्मेलन में भाग लिया सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी और आत्म-सम्मान से गौरवान्वित हो अपने सिर ऊँचा करके बैठे हुये थे।

इस सम्मेलन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। क्योंकि राज्य सरकार ने गजट संख्या 5547 पृ. 51 कॉलम पृ. 128 एम. बी. दिनांक एक जून 1946 को यह अमानवीय कानून जयपुर राज्य की ओर से समाप्त कर दिया गया था। इसकी घोषणा जयपुर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री ने बागावास मीणा सम्मेलन में की और कहा कि मीणों पर से जयपुर रियासत ने इस काला कानून को समाप्त कर दिया है। आज से मीणा जाति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा और उसे सभी प्रकार के नागरिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

इस दिन बागावास कस्बे को दीपावली की भाँति सजाया गयाा था। समस्त घरों में घी व तेल के दीपक जलाये गये। चारों ओर की पहाड़ियां भी दीपक की भाँति जगमगा उठीं ताकि दूर-दूर के लोग यह समझ सके कि मीणा जाति से सभी अमानवीय प्रतिबंध हटा लिये गये हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। खुशी से झूम रहे थे। सम्मेलन के प्रमुख आयोजक श्री चन्द्रा जेफ एवं मास्टर श्री भौंरीलाल जेफ बागावास, मास्टर श्री गोमाराम झरवाल रामपुरा ने आगन्तुकों का भव्य स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं

से लाद दिया गया। सम्मेलनों में अनेक मीणा सरदारों ने अपने विचार व्यक्त किये। मास्टर श्री भैंरूबख्स खोर लाडखानी, श्री गोमाराम झरवाल रामपुरा, श्री सुल्तानरामजी, श्री अड़िसाल सिंह व श्री भैरूंलाल काला बादल ने अपने ओजस्वी भाषण दिये। उद्घाटनकर्त्ता श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने आन्दोलन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार जयपुर राज्य सरकार ने हम लोगों की मांगें स्वीकार की।

अध्यक्षीय भाषण में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने कहा कि हमने नागरिक अधिकारों को प्राप्त कर जरायमपेशा कानून को समाप्त करवा लिया,जिसकी घोषणा पण्डित हीरालाल शास्त्री ने आज यहां मीणों के विशाल सम्मेलन में कर दी है। परन्तु हमें अभी सामाजिक एवं आर्थिक लड़ाई लड़नी है। सदियों से मीणा जाति अपने सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित रही है। अब शिक्षा की ओर अग्रसर होकर राज्य सरकार में अधिकाधिक पद प्राप्त करना है। भारत स्वतंत्रता के द्वार पर खड़ा है। स्वतंत्रत भारत में हमें अपना स्थान बनाने के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही असामाजिकता, मदिरापान, बाल विवाह, मेलों में नाच-कूद आदि बुराइयों को हमें छोड़ना है। इसे हमारे घर के घर बर्बाद हो गये हैं। राज्य सरकार ने तो हमें सभ्य नागरिक मान लिया है। परन्तु हमें वास्तव में अब सभ्य नागरिक जीवन व्यतीत करना है। सभी असामाजिक बुराइयों से मुक्त होकर हमें उन्नति की ओर अग्रसर होना है, तभी हमारे आन्दोलन की सार्थकता सिद्ध होगी।

सम्मेलन बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में समाप्त हुआ। प्रजामण्डल के प्रमुख नेता एवं सचिव पूर्ण चन्द टुकलिया, सिद्धराज ढड्ढा, टीकाराम पालीवाल तथा श्री शिव बिहारी तिवाड़ी ने भी अपने विचार प्रकट किये। अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने पुन: जोरदार शब्दों में मीणा सरदारों को संबोधित करते हुये कहा कि इस सफलता से हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। राज्य सरकार ने अपराधी जनजाति कानून को समाप्त कर दिया है। परन्तु अभी तक पुलिस काले कानून की अवहेलना करके अपने पर अनेक अत्याचार कर सकती हैं। अत: हमें निडर होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है और पुलिस के अत्याचारों का डटकर विरोध करना है। सभी ने हर्ष ध्वनि से श्री झरवाल के वक्तव्य का स्वागत किया और जीवन के लिये नई आशायें संजोकर वहाँ से विदा हुए। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। अन्य कार्य-कर्त्ताओं के साथ श्री गोरूराम, श्री सोनाराम बागावास श्री सुखदेव और सुल्ताना का बैराठ, गणेश मीणा नेता मैड, श्यामपुरा महादेव जेफ, घीसाराम बागड़ी सताना, गोमाराम झरवाल, रामपुर आदि का सम्मेलन को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान तन-मन-धन से रहा।

जयपुर श्याम सुन्दर जी के मंदिर में उत्सव

बागावास विराट सम्मेलन के बाद 15 अगस्त, 1946 को किशनपोल बाजार स्थित मीणा समाज के श्याम सुन्दर जी के मंदिर में मुक्ति दिवस बहुत उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। अध्यक्षता सीकर प्रजामण्डल के अध्यक्ष एवं मीणा जन आन्दोलन के सूत्रधार श्री बंशीधर जी शर्मा ने की। बैठक में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय तथा श्री शिव बिहारी तिवाड़ी के ओजस्वी भाषण हुये और उन समस्त परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जिनसे राज्य सरकार से मीणा जाति पर से प्रतिबंध हटाने के लिए संघर्ष किया गया। बागावास सम्मेलन की भाँति इस सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा जनजाति अपराधी कानून को हटाने पर प्रसन्नता प्रकट की गई।



जयपुर में छोटी चौपड़ स्थित श्याम सुन्दर जी के मन्दिर का चित्र

इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रजामण्डल के नेता श्री शिव बिहारी तिवाड़ी ने प्रजामण्डल की नीतियों पर प्रकाश डाला और मीणा सरदारों से प्रजामण्डल द्वारा उत्तरदायी शासन के लिए संचालित आन्दोलन में सहयोग करने की अपील की। मीणा जाति के प्रमुख नेता श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री अड़िसाल सिंह तथा भैरूलाल काला बादल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए सचेष्ट रहना है और आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना करना है। श्याम सुन्दर मन्दिर में रोशनी दीवाली की तरह की गई। मन्दिर को फूलों से सजाया गया। तिरंगी झंडियां लगाई गई।

सम्मेलन के अंत में भगवान श्याम सुन्दर की आरती उतारी गई। उनकी धारण की गई माला की नीलामी बोली लगाई गई। मंदिर में भी दीपावली की भाँति रोशनी की गई। सारा वातावरण जगमगा उठा। माला की बोली श्री सुल्तानसिंह झरवाल के नाम 101 रुपये में छूटी। यह राशि मीणा सुधार समिति के कोष में जमा करा दी गई। समिति की ओर से भगवान को पाँच रुपये भेंट चढ़ाये गये। रेवती प्रसाद पुजारी ने कहा कि यह श्याम सुन्दर भगवान का मन्दिर मीणा जाति का ही है। हम तो श्याम सुन्दर जी की सेवा पूजा करते आये हैं। समय के अनुसार मीणा जाति को विकास करना है, कुरीतियों को हमेशा के लिए छोड़कर मीणा समाज को विकास की ओर बढ़ाना है, शिक्षा का बालक-बालिकाओं में समान रूप से बल देना है, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए सत्संग करके भगवान श्याम सुन्दर की शरण में आना है और सभी को प्रसाद एवं चरणामृत वितरित किया। सभा की समाप्ति बहुत उल्लासपूर्ण वातावरण में समाप्त हुई। भगवान श्याम सुन्दर जी, मत्स्य अवतार, म. गाँधी,पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं सुभाष की जय से वातावरण गूँज उठा। मीणा एकता जिन्दाबाद के नारे भी लगाये गये। सभी प्रसन्न मुद्रा में अपने अपने घर गए, रोशनी की गई, घी के दीपक जलाए और स्वतंत्रता उपभोग करने की तैयारी में लग गए।

अधिकार प्राप्ति के बाद मीणा जाति में गौरव स्वाभिमान एवं प्रगति की ओर बढ़ने की भावना भरने के लिए मीणा समाज के लोग भी आगे आये, जिनमें सीकर निवासी श्री भगवताराम सीकर, एवं श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, जयपुर का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने घर-घर जाकर लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणादी। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक गांव, कस्बा, शहर में सम्मेलन आयोजित किये गये। दीपावली की तरह तहसील, जिला, कस्बो में रोशनी कर सभाएं की गई।

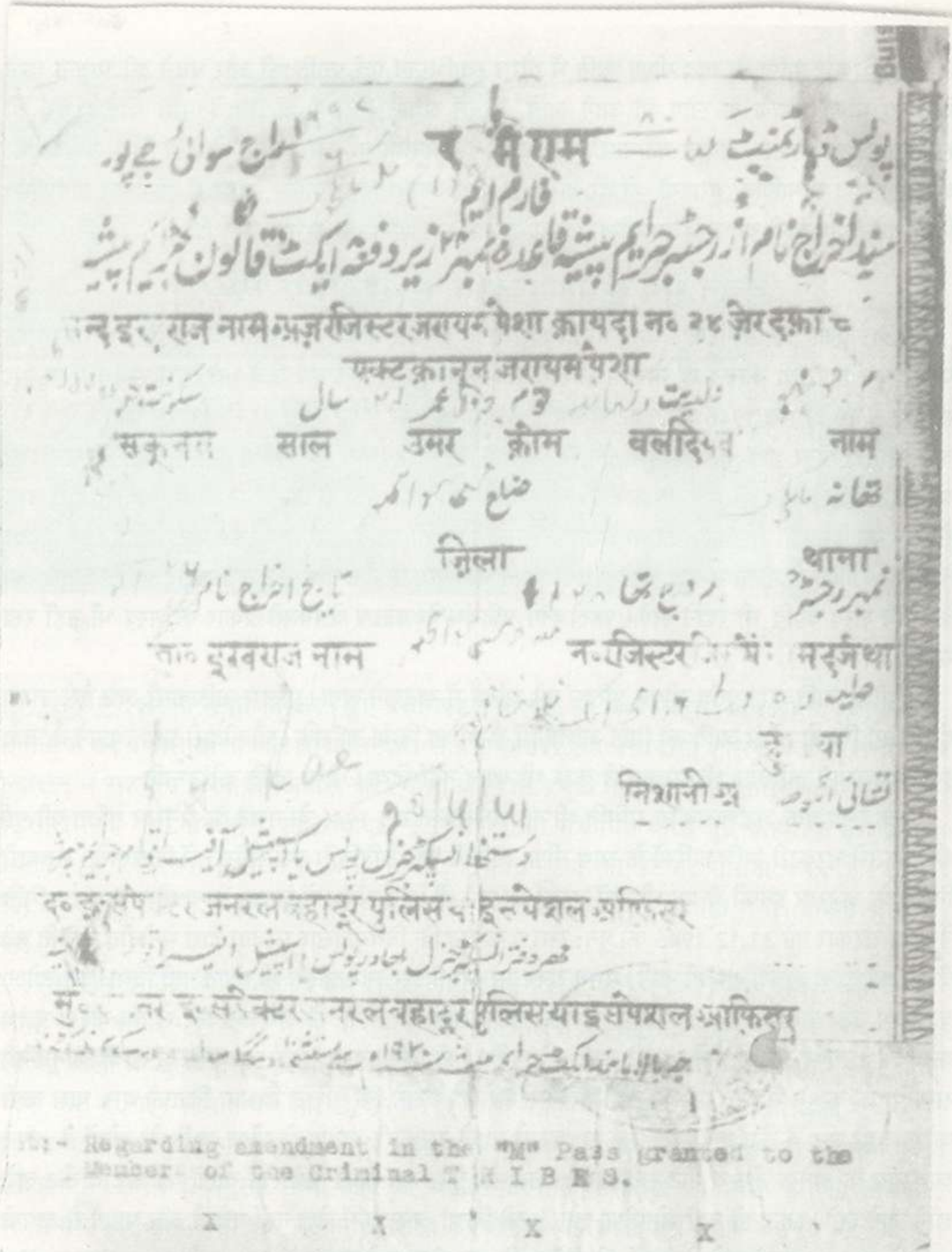
वचन भंग व मीणा जाति पर अत्याचार 1946

24 जुलाई 1946 मीणा सुधार समिति तथा राज्य सरकार के बीच समझौते के अनुसार मीणा समाज पर से जन अपराधी कानून के माध्यम से लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिये गये। इस संबंध में जयपुर सरकार ने 10 अगस्त 1946 को गजट संख्या 5568 के अनुसार मीणा जाति पर से जुरायम पेशा कानून पूरी तरह से हटा दिया था। अब वे पूर्ण नागरिक अधिकारों का उपभोग कर सकेंगे। अन्य जाति के नागरिकों की भाँति अपना जीवन यापन कर सकेंगे। चौकीदारी प्रथा तथा दादरसी कानून से भी मीणा जाति पूरी तरह से मुक्त कर दी गई। सुविधानुसार व्यवसाय कर सकेंगे। खेती आदि के लिए साधन जुटा सकेंगे। इस प्रकार के स्पष्ट आदेश से मीणा समाज ने खेतों तथा अपने व्यवसाय के ऊँट तथा ऊँट लढ़े खरीद लिये। आत्म रक्षा के लिये शस्त्र आदि भी रखने लगे। पहले लगे प्रतिबंध के कारण वे किसी प्रकार के शस्त्र भी नहीं रख सकते थे।

मीणा जाति का स्वतंत्र जीवन पुलिस की आंखों में खटकने लगा। पुलिस अधिकारी अब ऐसे उपाय ढूंढने लगे जिनसे मीणा जाति को मिले अधिकारों से वंचित किया जा सके। चौकीदारी प्रथा त्यागने के बाद इनके व्यवसाय की ओर भी सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मीणा जाति की उन्नति

के लिए एक अर्द्धशासकीय समिति भी ता. 10 अगस्त सन् 1946 के गजट के अनुसार गठित की गई थी। जिसमें सरकारी अधिकारियों के साथ मीणा जाति के जन प्रतिनिधि उस समिति में लिये गये। सरकारी निर्णय के अनुसार इनकी बैठक भी नहीं बुलाई जा रही थी। इस संबंध में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति ने राज्य सरकार को 31.12.1946 को पुनः स्मरण कराया कि नियमानुसार सरकार द्वारा मनोनीत समिति की बैठक को तुरन्त आयोजित की जाये। परन्तु राज्य सरकार ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इस उपेक्षा का लाभ उठा कर पुलिस अधिकारियों ने पुनः मीणा जाति के लोगों को अनेक प्रकार से तंग करना प्रारंभ कर दिया। स्पष्ट आदेश होने पर भी आई. जी. पुलिस श्री विनयानन्द पाठक जनजाति अपराधी कानून की समाप्ति के कानून में धारा 28 का सहारा लेकर यह कहने लगे कि पुलिस विभाग जिनको एम. पास जारी करेगा वही ऊंट व ऊँट लढ़ा रख सकेगा। इससे पहले सरकारी आदेश से मीणा जाति के लोगों ने अपने व्यवसाय के अनेक ऊँट व ऊँट लढ़े खरीद लिये थे। पुनः एम. पास नहीं लेने वालों को ऊँट व ऊँट लढ़े छीने जाने लगे। इतना ही नहीं जो मीणा लोग कभी किसी अपराध में जेल नहीं गये थे और पहले से अपनी स्वतंत्र व्यवसाय करने लगे थे, उन्हें भी पुलिस विभाग तंग करने लगा।

राज्य में अनेक स्थान में पुलिस ऊंटों और मीणों को गिरफ्तार कर अदालत दफा 28 में सजायें दिलाई गई। चारों तरफ हा-हा कार मच गया। श्री नरोत्तम लाल जोशी अध्यक्ष प्रजामण्डल झुंझुनूं ने भी ऊंटों की गिरफ्तारी के विरोध में पत्र श्री लक्ष्मीनारायण झलवार को लिखा और सुझाव दिया कि होम मिनिस्टर अमर सिंह से मिल कर ऊंटों की गिरफ्तारी पर रोक लगवाये। मेजर जनरल अमर सिंह जी से श्री लक्ष्मीनारायण



फ़ार्म एम

सनद इख़राज नाम अज़ रजिस्टर जरायम पेशा क़ायदा नं० २४ ज़ेर दफ़ा ८ एक्ट क़ानून जरायम पेशा

नाम	वलदियत	क़ौम	उमर	साल	सकूनत

थाना ज़िला

नं० रजिस्टर ... तारीख़ इख़राज नाम

नं० रजिस्टर ... मुंदर्जा था

हुलिया

निशानी

दं० इंस्पेक्टर जनरल बहादुर पुलिस या इस्पेशल आफ़िसर

मु० नं० इंस्पेक्टर जनरल बहादुर पुलिस या इस्पेशल आफ़िसर

Sub:- Regarding amendment in the "M" Pass granted to the Member of the Criminal T R I B E S.

X X X X

"The receiver of this pass shall cease to be a registered member of a criminal tribe, but shall be liable to be registered under section 5 of the Act, if the Inspector General considers it necessary."

काले कानून के अन्तर्गत जारी किए गए एम पास का चित्र

झरवाल ने मिलकर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की। श्री पं.बंशीधर शर्मा, लक्ष्मीनारायण झरवाल होम मिनिस्टर व सर मिर्जा इस्माइल जयपुर से मिले और पुलिस के जुल्मों की जानकारी दी। बताया कि दफा 28 की आड़ में पुलिस निर्दोष लोगों को सता रही है उस पर रोक लगाई जाए, यह गैर कानूनी है।

बाद में पुलिस के इन अत्याचारों की ओर जयपुर मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल तथा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार अजेय समय-समय पर ध्यान आकर्षित करते रहे। परन्तु राज्य सरकार ने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अत: पुलिस ने मीणा जाति के लिए एम. पास लेना अनिवार्य कर दिया। इसके बिना वे आत्मरक्षा के लिए शस्त्र व व्यवसाय के लिये किसी भी प्रकार की सवारी नहीं रह सकते थे। इस प्रकार की दोहरी नीति से मीणा लोग धर्म संकट में पड़ गये और कुछ लोगों ने विवश होकर एम. पास भी ले लिए। अनेक लोग असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें? एम. पास लेना ठीक है या नहीं है। अपनी समस्याओं को लेकर मीणा समिति के कार्यालय धाबाईजी के खुर्रे पर लोग पहुँचने लगे। समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने मीणा बन्धुओं को स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी परिस्थिति में एम. पास नहीं लेना है। कड़े संघर्ष के बाद जुरायम पेशाकानून से मुक्त हुये हैं। अत: पुन: हमें पुलिस की गुलामी के फन्दे में नहीं फँसना है। इस समस्या पर विचार करने के लिए मीणा सुधार समिति की एक बैठक नरेना में तालाब पर स्थित मीणा जाति के दादूपंथी संत वल्लभा नन्द जी के आश्रम की बारादरी में आयोजित की गई।

इस बैठक में अजमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्वाला प्रसाद शर्मा नेता भी उपस्थित हुये। मोणासमाज की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय, श्री किशन मत्स्य जयपुर, श्री भैरूलाल काला बादल कोटा, श्री भगवताराम सीकर, श्री बद्रीप्रसाद दुखिया एवं अड़िसाल सिंह, हरसहाय, नयाबास उपस्थित थे। इस अवसर पर क्रांतिकारी नेता श्री ज्वाला प्रसाद का बहुत जोशीला भाषण हुआ और यह कहा गया कि हमें पुलिस अत्याचारों का डटकर विरोध करना है। समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं राजेन्द्र कुमार अजेय ने समझौते का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों का डटकर विरोध करने की घोषणा की, और कहा कि हमें किसी भी हालत में काले कानून जरायमपेशा को नहीं मानना है, हमें इस खूनी कानून को सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के द्वारा बताये गये सत्याग्रह मार्ग के उपर चलकर आन्दोलन छेड़ देंगे और पूरी जेलों को भर देना है, और अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है।

उपस्थित मीणा बन्धुओं ने अपने रक्त से हस्ताक्षर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हम जीते जी इस अन्याय का विरोध करते रहेंगे और कभी भी पुलिस द्वारा दिये जाने वाले एम.पास को स्वीकार नहीं करेंगे। हमने जीवन भर सदियों से राजपूत, मुस्लिम व अंग्रेज शासकों को अत्याचारों का सामना किया है। अब हम स्वतंत्र हैं। हमें हर प्रकार के पुलिस अत्याचारों का डट कर सामना करना है। श्री राजेन्द्र कुमार अजेय, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने जोर देकर कहा कि हमें संपूर्ण नागरिक अधिकार हैं। किसी भी प्रकार के पुलिस अत्याचारों का डट कर विरोध करना है। सरकार ने वचन भंग किया है। अत: हमें पुन: संघर्ष के लिये तैयार रहना चाहिए। स्वभाव से स्वतंत्र जाति साहसी व बहादुर होते हुए भी पिछले एक हजार वर्ष तक हम राजनीतिक धोखे खाते रहे। अब हमें सावधान होकर पुलिस अत्याचारों का सामना करना है।

यह तो आपको विदित ही है कि जयपुर राज्य सरकार ने अमानवीय जुरायम पेशा कानून हटा दिया

है। 27 जुलाई 1946 को बागावास विराट मीणा सम्मेलन में हम बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से राज्य प्रजामण्डल के नेता श्री हीरालालजी शास्त्री के नेतृत्व में मुक्ति दिवस मना चुके हैं। श्री झरवाल ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की हीन भावना अपने मन में नहीं लाना चाहिए। हमारे पर जो ब्रिटिश सरकार के कहने पर राज्य सरकारने जो प्रतिबंध लगाये हैं, वे हमारी स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिये लगाये गये हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध अन्य लोगों पर भी उनकी स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिये लगाये हैं। जैसा कि प्रसिद्ध समाज सेवक प्रजामण्डल के नेता व व्यवसाय से जौहरी राजरूप टांक तथा जयपुर राज्य प्रजामण्डल कोषाध्यक्ष के लिए भी 1939 में पुलिस ने हिस्ट्रीं सीट खोल रखी थी। मारवाड़ लोक परिषद नेता श्री जयनारायण व्यास, उनके साथी को भी सरकार का अपराधी मानकर जोधपुर राज्य से निष्कासित कर दिया था। इतना ही नहीं राष्ट्रपिता म. गाँधी, सरदार पटेल व पंडित जवाहर लाल नेहरू पर स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण अनेक प्रतिबंध लगाये थे। उन्होंने भी बहुत धैर्य एवं साहस के साथ सरकार के दमनकारी कानून का विरोध किया था। ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा कि हमें क्रीमिनल ट्राइब कानून को उखाड़ फैंक देना चाहिए। अत: अब स्वतंत्र नागरिक हैं। नागरिक अधिकारों का दमन करने वाली राज्य पुलिस के अत्याचारों का डट कर विरोध करना है। एम. पास एक धोखा है। इसे कभी स्वीकार न करें।

इधर पुलिस ने एम. पास के अतिरिक्त अन्य तरीकों से भी मीणा जाति पर अनेक झूठे अपराध लगाना प्रारंभ कर दिया है। यह तो आपको विदित ही है कि मीणा सुधार समिति के सुझाव पर 16 हजार मीणा चौकीदारों ने चौकीदारी प्रथा को तिलांजलि दे दी थी। अत: गाँव के गाँव बिना सुरक्षा व्यवस्था के रह गये। पहले पुलिस जुरायम पेशा कानून का सहारा लेकर मीणा समाज से उचित व अनुचित लाभ उठाती रहती थी। राज्य सरकार द्वारा इस कानून को समाप्त करने पर पुलिस अपनी हानि समझ कर मीणा जाति पर अनेक झूठे दोषारोपण करने लगी। अन्य वर्ग सांसी, कंजर आदि द्वारा चोरी करने पर पुलिस राज्य सरकार को यह कहती रही कि मीणा जाति को स्वतंत्र करने से इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं। इतना ही नहीं पुलिस ने जनता के मस्तिष्क में यह बात बिठाना प्रारंभ कर दिया कि मीणा जाति पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते।

अत: सरकार ने जुरायम पेशा कानून को पूरी तरह से हटा लेने के आठ माह बाद 14 अप्रैल 1947 से कानून की धारा 28 का सहारा लेकर सरकार ने यह आदेश प्रसारित कर दिया कि आई. जी. पुलिस की स्वीकृति के बिना कोई मीणा हथियार या सवारी नहीं रख सकता। पुलिस ने पुन: एम. पास देना शुरू कर दिया और कह दिया जिसके पास एम. पास नहीं है वह शस्त्र नहीं रख सकता व ऊँट आदि की सवारी नहीं रख सकता। इस तरह से सरकार ने मीणा सुधार समिति के साथ किये गये समझौते के बिना किसी कारण भंग कर अपनी उच्च मर्यादाओं पर कलंक लगाया है। अत: हमें सरकार के अत्याचारों का पूज्य म. गाँधी के बताये हुये सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर डटकर सामना करना है। अब हमें आंशिक स्वतंत्रता पर संतोष नहीं करना है, वरन् पूर्ण नागरिक सुविधा में प्राप्त करके ही शांत रहना है। संघर्ष की भावी योजना पर विचार के लिए जनरल कौंसिल (साधारण सभा) की बैठक करने का निश्चय किया गया।

रींगस में जनरल कौंसिल की बैठक 1947

रींगस में 27 अप्रैल 1947 को धारा 28 व एम. पास का विरोध करने की रणनीति पर विचार करने के लिये मीणा सुधार समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित मीणा

प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(1) मालाराम पबड़ी, ग्राम छाजणा, खण्डेला, जयपुर।

(2) दालूराम पिता देवाराम निवासी नाण अमरसर।

(3) सुखदेव पिता कानाराम राजनोता परागपुरा पावटा।

(4) रणजीत राम पिता प्रताप निवासी खेजरोली तहसील चौमूँ।

(5) महादेव पिता गणेश खेजरोली।

(6) उम्दा पिता जीवणराम निवासी खेजरोली तहसील चौमूँ।

(7) भूराराम पिता स्यादानराम निवासी बड़ा गाँव तहसील चौमूँ।

(8) भगवताराम सीकर।

(9) भूरा राम पिता भीवाराम निवासी भगवतावरासिंह की ढाणी क्षेत्र खाटू।

(10) बालूराम पिता डूँगाराम निवासी गांवोली क्षेत्र डाबला।

(11) काना पिता झूंथा निवासी तोल्डा क्षेत्र थोई पोस्ट कॉवट।

(12) भगताराम पिता भूराराम निवासी अमरसर पो. अजीतगढ़।

(13) नाथूसिंह पिता विसन सिंह निवासी कोट तहसील कोटपूतली।

(14) छोटूराम पिता चन्दा निवासी खेजरोली तहसील चौमूँ।

(15) गणपत राम पिता भगुताराम निवासी होद (धोंद) क्षेत्र खण्डेला।

(16) साधुराम पिता स्योदान निवासी काचरड़ो क्षेत्र खण्डेला पोस्ट श्री माधोपुर।

(17) रामनारायण, बधाल।

(18) हरसहाय पिता फता निवासी नयाबास क्षेत्र नीम का थाना।

19) महदाराम पिता जवाहर निवासी डाबला।

(20) भुगाराम पिता निवासी बिहारी क्षेत्र डाबला।

(21) सुरजानी पिता साँदुसिंह निवासी परेन।

बैठक लक्ष्मीनारायण झरवाल की अध्यक्षता में हुई और बैठक का संचालन श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने किया। इस बैठक में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये।

प्रस्ताव नं. 1. मीणा सुधार समिति की यह जनरल कौंसिल जयपुर सरकार जरायम पेशा कानून को रद्द करने के बाद भी दफा 28 (जरायम पेशा एक्ट) के माध्यम से मीणा जाति पर अनेक अनुचित प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं। यह समस्त मीणा जाति के नागरिक अधिकार पर करारी चोट है। यह जनरल कौंसिल दृढ़ता के साथ यह निश्चय करती है कि हर संभव प्रयास से हम इस अमानवीय प्रयास का विरोध करेंगे। लंबे संघर्ष के बाद हमें नागरिक अधिकार मिले हैं, उन्हें हम हाथ से नहीं जाने देंगे, चाहे हमको इसके लिए अपने प्राण ही न्यौछावर करने पड़े।

इस महान संघर्ष के लिए हमें प्रबल जन समर्थन जुटाना है तथा इसके लिये धन भी एकत्रित करना है। अतः प्रत्येक क्षेत्र के मुखिया को कम से कम दो हजार स्वयं सेवक तथा कम से कम पच्चीस हजार रुपये एकत्रित करने हैं। इस संदर्भ में हम पुनः प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर इस कार्य को पूरा करेंगे। हम पूज्य राष्ट्रपिता म. गाँधी के निर्देशन के अनुसार सत्याग्रह करके इस अन्याय का डट कर

विरोध करेंगे। मीणा सत्याग्रह कर जेल भर देंगे।

प्रस्ताव नं. 2. जनरल कौंसिल की यह बैठक निश्चय करती है कि बार-बार जल्दी जनरल कौंसिल की बैठक होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के मंत्री को यह अधिकार दिया जाता है कि वे भावी रणनीति निश्चित करने के लिए मंत्री को समय-समय पर परामर्श दिया करें और दफा 28 के विरोध के लिये एक पूर्ण योजना तैयार करें। आज से यह जनरल कौंसिल अपने आपको युद्ध समिति घोषित करती है और पुलिस एवं राज्य सरकार के अन्याय का डटकर विरोध करने की घोषणा करती है। अपने अपने क्षेत्र के संयोजकों का यह कर्त्तव्य है कि वे सत्याग्रह के लिये अधिकाधिक स्वयं सेवक तैयार करें।

प्रस्तान नं. 3. श्री राजेन्द्र कुमार अजेय अध्यक्ष, राज्य मीणा समिति के लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री, सदस्य भगूताराम, हरसहाय जेफ उपाध्यक्ष निर्वाचित किये जाते हैं।

इधर सरकार ने पुलिस के माध्यम से निर्दोष मीणा जाति पर चोरी आदि के झूँठे अभियोग लगा कर पुन: हाजरी देने व बिना पुलिस की आज्ञा के ऊँट आदि सवारी न रखने के लिये विवश करने लगी। सरकार ने भी पुलिस के कहने पर जनमत जानने की जगह लगह लोगों को एकत्रित कर यह जानने का प्रयास किया कि क्या मीणाओं पर से उपस्थिति उठा लेने से चोरियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस के उकसाने पर अनेक लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मीणा जाति को स्वतंत्र करने के कारण हमारे घरों में चोरियाँ होने लगीं। मीणा सुधार समिति ने इसका जोरदार शब्दों में विरोध किया कि यह सब पुलिस का षड़यंत्र है। मीणा लोग पहले की भाँति कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिये यह षड़यंत्र रचा जा रहा है।

प्रजामण्डल के सदस्य एवं कुछ संभ्रान्त नागरिकों ने इस तथ्य की जाँच पड़ताल की तो पता लगा कि यह सब मीणा जाति को बदनाम करने का षड़यंत्र है। अन्य जाति के लोगों द्वारा चोरी करने का दोष भी मीणों पर व्यर्थ में लगाया जा रहा है। निष्कर्ष यह निकला कि यह सब पुलिस का षड़यंत्र मात्र है। जाँच करने पर एक भी मीणा चोरी के लिये दोषी नहीं पाया गया।

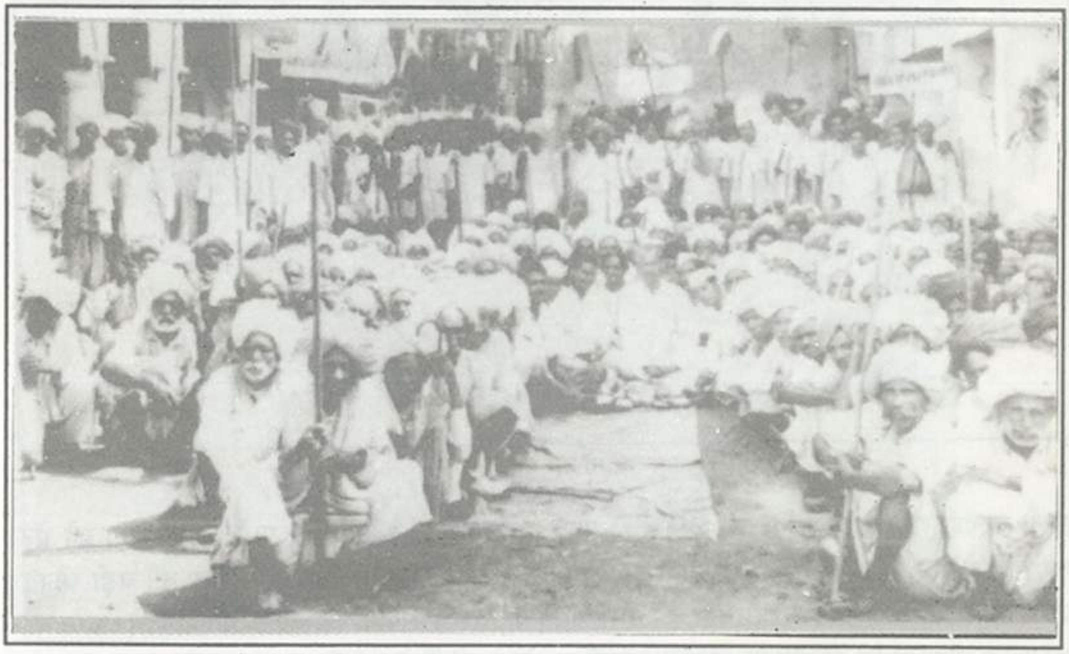
इधर मीणा जाति की संघर्ष संचालन समिति ने भी सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया कि धारा दफा 28 के अनुसार एम. पास लेने की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया गया तो हम लाखों की संख्या में सत्याग्रह पर उतर आयेंगे और सरकारी जेलें भर देंगे। मा. गाँधी के उद्घोष के अनुसार ''करेंगे या मरेंगे'' यह हमारा अंतिम निर्णय है। अत: मीणा संघर्ष समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह पूर्व निर्णय के अनुसार हमारे नागरिक अधिकारों से किसी प्रकार का खिलवाड़ न करे और हमें संघर्ष के लिए विवश न करें। हम अपनी आन-बान मर्यादा की रक्षा के लिए अपना जीवन तक देने को तत्पर हैं। यदि कोई अप्रिय व हिंसक घटना घट गई तो इसका पूरा उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।

दिनांक 30 अप्रेल, 1947 को मीणा युद्ध संचालन समिति की कार्यालय में बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि 5 जून वृहस्पतिवार आषाढ़ की प्रथम दूज को जयपुर में एक विराट मीणा समाज की सभा होगी। इसमें सरकार के निर्णय, दफा 28 के विरूद्ध सत्याग्रह संग्राम छेड़ा जायेगा। अत: सभी मीणा बन्धु इस सत्याग्रह संग्राम में अधिक से अधिक भाग लेकर सरकार के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें ताकि वे अपना दमन चक्र समाप्त करें। बैठक के कार्यालय धाभाई जी के खुर्रे के बाहर मीणा कार्यकर्त्ता भी उपस्थित थे, जिन्होंने बड़े ही जोश व खरोश के साथ नारे लगाये ''जरायम पेशा कानून का नाश हो।''

दफा 28 का नाश हो, हम जीवन देकर भी नागरिक अधिकार लेकर रहेंगे। वचन भंग करने वाली उत्तरदायित्वहीन सरकार का नाश हो। मुक्त मानव जिन्दाबाद, इनक्लाब जिन्दाबाद। भारत माता की जय से समस्त वातावरण गूँज उठा। जुलूस त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार, जौहरी बाजार, देवल जी का मंदिर पहुंचकर सभा में परिणित हो गया।

मीणा संघर्ष समिति का ऐतिहासिक सम्मेलन, जयपुर 5 जून, 1947

मीणा युद्ध संचालन समिति की ओर से 5 जून 1947 को जयपुर में विशाल प्रदर्शन का आयोजन हुआ। जिसमें जरायम पेशा कानून को मुर्दा मानव मानकर ताबूत के आकार में उसकी आकृति बनाई गई। दूसरी ओर मुक्त मानव का एक विशाल चित्र बनाया गया। जिसमें दासता, गुलामी, बेगार प्रथा तथा नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में नारे अंकित थे। यह जुलूस हजारों नागरिकों के जयघोष के साथ बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल, अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट से होता हुआ जौहरी बाजार की ओर बढ़ने लगा। जुलूस के आगे मीणा संगठन के क्रांतिकारी नेता श्री आड़िसाल सिंह साथ में तिरंगा झण्डा लिये घोड़े पर बैठकर चल रहे थे। इनके पीछे बैण्ड बाजे राष्ट्रीय गीत एवं क्रांति गीत- ''कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा' की धुन बजाते चल रहे थे। पीछे छात्र लोग सफेद टोपी धारण कर हाथ में तिरंगे झण्डे लिये चल रहे थे। पथिक जी का झण्डा गीत भैरूं लाल कालाबादल द्वारा गाया जा रहा था–



प्रजा मण्डल आश्रम गोविन्द राय का रास्ता, चांदपोल जयपुर में काले कानून को खत्म कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी

प्राण मित्रों भले गँवाना, पर झण्डा न कभी नीचे झुकाना, जुलूस धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। क्रांतिकारी मीणा सरदार व अन्य लोग अपने हाथों में तख्तियाँ लेकर चल रहे जिन पर लिखा था 'एम. पास की होली जलाओ।' दफा 28 को दफना दो सरकारी आदेश की धज्जियाँ उड़ा दो। इस तरह बहुत जोश व

उत्साह के साथ जुलूस जौहरी बाजार में देवड़ी जी के मन्दिर के बाहर कांग्रेस कार्यालय पहुँचा तो मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने पुतले में आग लगा कर दाह संस्कार की परंपरा पूरी की। इसके साथ उपस्थित जनसमूह जरायम पेशा कानून मुर्दाबाद के नारे साथ सभा के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ कह रहे थे कि आज वर्षों से लगे इस काले कानून की अंत्येष्टि हो गई। इतना कहते श्री झरवाल ने लोगों का आह्वान किया कि जिनके पास दासता का चिन्ह एम. पास हो इस होली में फैंक दो। इतना सुनते हजारों लोगों ने अपने एम. पास को आग में फेंक दिये। यह दृश्य बहुत रोमांचक था। स्वत: ही दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता बापू के आह्वान पर ट्रान्सवाल एशियाटिक कानून की होली जलाने जैसा दृश्य उपस्थित हो रहा था। इस कानून के अनुसार ट्रासवाल में रहने वाले भारतीयों को स्थानीय पुलिस में अपने नाम का पंजीकरण करना पड़ता और स्टाम्प पर अंगूठे की निशानी लगानी पड़ती थी। यह एक प्रकार से जरायम पेशा कानून ही था। अत: बापू के कहने से 1907 में काले तथा मानवता पर कलंकित कानून की



जरायमपेशा काले कानून का पुतले का कार्टून चित्र

होली जलाई गई। वही दृश्य 5 जून 1947 को मीणा क्रांतिकारियों ने अपनी गुलामी के पट्टे आग को भेंट कर दिये थे। इस तरह से जरायम पेशा कानून की दफा 28 दफन किया गया। मीणा सभा की बड़ी चौपड़ पर सभा आयोजित हुई। इसमें सरकार की दमन नीति के विरूद्ध अनेक वक्ताओं ने भाषण दिये। सभा की अध्यक्षता मीणा सुधार समिति के श्री राजेन्द्र कुमार अजेय कर रहे थे। श्री सिद्धराज ढड्ढा ने उद्घाटन किया और कहा कि जरायमपेशा कानून किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा कि अन्याय करने वाला तो अन्यायी है ही, उसे सहन करने वाला उससे भी बड़ा अन्यायी है। सभा में जयपुर रियासत के ही नहीं वरन् अलवर, टोंक, भरतपुर आदि रियासतों से भी अनेक मीणा सरदार उपस्थित हुए। सभा में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल का ओजस्वी भाषण हुआ और विस्तार से बताया गया कि

किस प्रकार राज्य सरकारने 10 अगस्त 1946 को मीणा जाति पर से सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश दे दिये थे। परन्तु अब वह अपने ही आदेश की अवहेलना कर हमें एम. पास लेने को विवश कर रही है। हम इस प्रकार के प्रतिबंध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और सरकार के अत्याचारों का डटकर विरोध करेंगे। हम सत्याग्रह करके लाखों मीणा लोग सरकारी जेलें भर देंगे।

सभा बड़ी शांति व उत्साहपूर्ण वातावरण से चल रही थी। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने वहाँ आकर अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार अजेय को बन्दी बनाकर कोतवाली ले गये। परन्तु श्री अजेय ने यह घोषणा कर दी थी कि मेरे लौटने तक सभा में किसी प्रकार व्यवधान नहीं होना चाहिए और सभा यथावत चलती रही। बीच-बीच में सभा का अध्यक्ष पद सम्भालते हुए स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल सभा को संबोधित करते रहे। इस बीच राजेन्द्र कुमार पूछताछ के बाद कोतवाली से छोड़ दिए गए और सभा स्थल पर आ गये।

सभा रात को 12 बजे तक चली। लगभग सभा में दस हजार मीणा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा समाप्त होने से पहले महात्मा गांधी-जय जरायमपेशा कानून का नाश हो, नागरिक अधिकार- जिन्दाबाद, सभा समाप्त हो गई। मीणा लोग रात को धर्मशाला में और प्रजा मण्डल आश्रम गोविन्द रायजी का रास्ता चान्दपोल में आराम किया।



काले कानून के विरुद्ध सत्याग्रहियों का चित्र (जयपुर)

ता. 6 जून, 1947 को सुबह प्रजामण्डल आश्रम के बाहर मीटिंग हुई। श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने अध्यक्षता की और उद्घाटन श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री ने किया और अपने भाषण में कहा कि अब हमें जयपुर राज्य सरकार के अन्यायों के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन कर लाखों मीणों को जेलों में भर देना है और पूर्ण नागरिक अधिकार मिलने पर ही जेल से बाहर आना है। सरकार शान्ति से

सोच-विचार कर ले। हम किसी हालत में भी काले कानून जरायमपेशा कानून को नहीं मानेंगे। इस धर्मयुद्ध के लिए कम से कम 10 हजार स्वयंसेवकों- सत्याग्रहियों की जरूरत है और युद्ध घोष में लड़ाई संचालन के लिए धन चाहिए। इसके लिए सब मीणा सरदार अपनी इच्छानुसार चन्दा दें।

सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा बताया सत्य अहिंसा के अनुरूप होगा। सब मीणा प्रतिनिधियों ने अपने हाथ उठाकर समर्थन किया कि दस हजार स्वयंसेवकों से भी ज्यादा स्वयंसेवक लोग जेल जाने को तैयार हैं और लाखों रुपया युद्ध-कोष में देंगे। उसी वक्त चार-पांच हजार युद्ध कोष में जमा करा दिये। कोष गांवों में इकट्ठा करके देंगे। अडिसाल, भैरूं लाल काला बादल, बद्री प्रसाद आदि के ओजस्वी प्रभावशाली भाषण हुए। कार्यवाही महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू की जयघोषण के साथ समाप्त हो गई।

मानव स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास में यह घटना बहुत ही उल्लेखनीय सिद्ध हुई। मीणा जाति के इस साहस पूर्ण कार्य से पुलिस अधिकारी विचलित हुए बिना न रहे जुरायम पेशा कानून के अन्त के बाद भी निर्दोष भोले-भाले अनपढ़ मीणा जाति पर अनेक प्रकार के अन्याय करने लगे। उनको भारत की स्वतंत्रता के बाद भी समूह में एकत्रित किया जाने लगा। इस प्रकार दमन चक्र 1955 तक चलता रहा। अज्ञान के कारण सीधे सादे ग्रामीण मीणा लोग पुलिस अत्याचार के शिकार होते रहे। इसका मूल कारण शिक्षा का अभाव एवं समाज में जाकरूकता की कमी थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए मीणा सुधार समिति ने अनेक कदम उठाये। इनमें शिक्षा के लिए विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण का क्रम चल पड़ा। इसमें लक्ष्मीनारायण झरवाल का मुख्य योगदान रहा।



देवड़ी जी का मन्दिर, जौहरी बाजार, जयपुर (राज.) जिसके सामने लेखक स्वयं ने काले कानून की प्रतियों को 5 जून, 1947 को जलाया था।

आरक्षण की पृष्ठभूमि

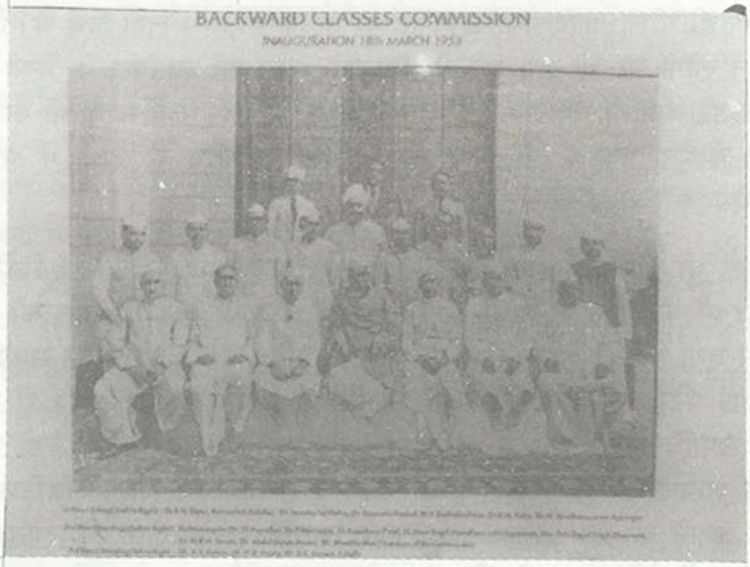
जैसा कि पूर्व पृष्ठों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के कारण ही मीणा आदिवासी जनजाति पर अनेक प्रतिबंध लगा दिये थे। ऐसे प्रतिबंध स्वर्ण जाति के उन लोगों पर भी लगे हुये थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये कमर कस रखी थी। इन पिछड़ी जातियों को उन्नत स्थिति में लाने के लिए कांग्रेस ने भी अनेक प्रस्ताव पारित किये। बाद में पूना पेक्ट (1932) के अनुसार ब्रिटिश भारत के राज्यों में आरक्षण लाभ देने के लिए कांग्रेस को बाध्य होना पड़ा।

इससे पहले भी कांग्रेस महासमिति ने 1920 में अपनी 17 सूत्री मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखीं, उनमें जनजाति अपराधी कानून 1924 को हटाने की भी मांग की थी। इनकी स्थिति को सुधारने तथा विदेशी शासन द्वारा इन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का सर्वाधिक प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वे स्वयं भी पिछड़ी जाति के थे। 1912 में इंगलैण्ड से बार-एट-ला की उपाधि लेकर जब वे भारत लौटे तो उन्होंने आदिवासी पिछड़ी जातियों को विदेशी शासन के शोषण से मुक्ति दिलाने का काम अपने हाथ में लिया। ब्रिटिश सरकार ने इनको न्यायाधीश बनाने का भी प्रस्ताव रखा, परन्तु इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया बाद में इनको लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बनाने की इच्छा भी सरकार ने प्रकट की, लेकिन इसे भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे उनकी उन्नति के लिए काम करने लगे। उनकी दृष्टि से आरक्षण के लिए न्यायोचित मांग बहुत ही सार्थक है। शासन व उच्च वर्ग ने अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियें ऐसी बना दी थी कि आदिवासी कमी शक्तिशाली न बन सकें। इनको शिक्षा से वंचित किया गया। इनके सामान्य नागरिक अधिकार भी छीन लिए गए।

हजारों वर्षों तक वर्ग विशेष को आरक्षण प्राप्त कर शिक्षा व ज्ञान उनकी बपौती समझी जाती थी। इनके बाद सामन्ती वर्ग को मनमाने ढंग से शासन करने का आरक्षण प्राप्त था। ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज को ऊपर उठने नहीं दिया। जबकि समाज सेवा व देश रक्षा में वे किसी से पीछे नहीं थे। ऐसी स्थिति में सदियों तक इनको आरक्षण सुविधा मिलती रहे तो भी अनुचित नहीं है।

उन दिनों राजस्थान के समान ही वृहत्तर बंबई राज्य में (आज के महाराष्ट्र व गुजरात राज्य में) 1924 के क्रीमिनल ट्राईब्स एक्ट के अंतर्गत अनेक निर्दोष स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को जेल में ठूंस रखा था। इनका अपराध केवल यह था वे अंग्रेजों की दासता को स्वीकार नहीं करते थे। अतः सरकार ने इनको दबाये रखने के लिये इन पर चोरी

डकैती के झूंठे अभियोग लगा कर जेल के सिकचों में बन्द कर रखा था। सरदार पटेल ने गोधरा में वकालत प्रारंभ की और अनेक स्वतंत्रता प्रेमी आदिवासियों को जेलों से मुक्त करवाया। सरकार ने इस कार्य में बाधा डालने के लिए गोधरा से अदालत के कार्यालय को आनन्द स्थानान्तरित कर दिया। परन्तु स्वतंत्रता के सजग प्रहरी सरदार पटेल यों हार मानने वाले नहीं थे, वे भी आनन्द पहुँच गये और वहाँ जनजाति के लोगों को जेल से छुड़ाने में लग गये। सरदार बल्लभ भाई पटेल को वकालत की डिग्री छीनने की धमकियां दी परन्तु सरदार पटेल हार मानने वाले नहीं थे।



आयंगर कमीशन 1952 के सदस्य दल का चित्र

ब्रिटिश सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी झूंठे आरोप लगाने लगी और कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल अंग्रेज न्यायाधीशें को आये दिन अपमानित करते हैं। न्यायाधीशों ने इनकी बार-एट-ला की उपाधि छीनने के लिए वायसराय तक को लिख दिया। परन्तु सरदार तनिक भी भयभीत नहीं हुये और निर्भय होकर अपना काम करते रहे और उन्होंने अनेक निर्दोष देश भक्तों को विदेशी सरकार के हाथों से बर्बाद होने से बचा लिया। उनके प्रयत्न से 1924 के जुरायम पेशा कानून को आदतन अपराधी कानून में बदल दिया गया। इधर ब्रिटिश सरकार भारत को जातियों के आधार पर बाँटने पर तुली हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अंग्रेजों की इस कुटिल नीति का विरोध किया। बाबा सा. अंबेडकर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए अड़े हुये थे। अत: कांग्रेस ने भी सिद्धानत: पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात मान ली। इधर ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में विधानसभा के चुनाव 1935 के एक्ट के अनुसार होने वाले थे। इन चुनावों में आरक्षण स्वीकार कर लिया गया। बाबा साहब अंबेडकर के कार्यों पर अग्रिम पृष्ठों में विस्तार से लिखा जायेगा। उनके प्रयत्नों से ही आरक्षण योग्य जातियों की सूची बनाई गई।

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कुछ अन्य जातियों को भी आरक्षण सूची में जोड़ा और आरक्षण भी 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया गया। इस बार अनुसूचित जनजातियों को अलग आरक्षण देने का प्रावधान

रखा गया। सरदार पटेल समस्त विमुक्त जातियों को एक साथ आरक्षण देना चाहते थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी इसका समर्थन किया। परन्तु प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी बीच दलितों के मसीहा सरदार पटेल का स्वर्गवास होने से मामला अधर झूल में ही आकर रह गया।

आरक्षण एवं सुधार के लिए विभिन्न आयोग

भारत के स्वतंत्र होने के दो वर्ष बाद 1949 में इन स्वतंत्रता प्रेमी जातियों की उन्नति के लिए तीन आयोग बिठाये गये।

(1) आयंगर (1949) :– इस आयोग की स्थापना तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से गोपाला स्वामी अयंगर की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग को यह मुख्य कार्य सौंपा गया कि 1924 के क्रीमिनल ट्राइब्स एक्ट के हटने पर आदिम जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार जोड़ा जाये। आयोग ने इन जातियों के गौरवमय इतिहास का उल्लेख कर अपना प्रतिवेदन सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया। 1950 में सरदार पटेल के आकस्मिक निधन के कारण प्रतिवेदन का प्रभावी उपयोग नहीं हो सका। परन्तु इतना अवश्य हुआ कि इस आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने 1952 में क्रीमिनल ट्राइब्स एक्ट को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आयंगर रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा के लिए समय-समय पर अन्य आयोग बिठाये गये जिनमें काका कालेलकर आयोग का प्रमुख स्थान है।-इधर गैर सरकारी तौर पर ठक्कर बापा पिछड़ी जातियों के विकास एवं उन्नति के लिए कार्य करते रहे। इनका संक्षिप्त परिचय अग्रिम पृष्ठों में दिया जायेगा।

काका कालेलकर आयोग (1953-54):– संविधान की धारा 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने आयंगर प्रतिवेदन की भांति ही जनजातियों को राजकीय सेवा में आरक्षण देने के साथ जीविका के लिए भूमि, निवास के लिए मकान एवं अध्ययन के लिए अनेक सुविधायें देने की अनुशंसा की। इस आयोग ने केवल उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के मीणों को ही आदिवासी जनजाति की मान्यता दी। किन्तु जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूँदी, झालावाड़ तथा टोंक के मीणों को पिछड़ी जातियों में नहीं गिना गया था जिससे इस क्षेत्र के मीणें आदिवासी जनजाति के उत्थान के कार्यक्रम से वंचित रह गये।

जब राजस्थान मीणा समिति को इस भेदभाव का पता लगा तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग प्रस्तुत करने के लिए 11 जून 1952 को बगरू में एक विराट मीणा सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने की और इसमें मीणों की उन्नति में लगे सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य कर्त्ताओं ने भी उत्साह से भाग लिया जिनमें श्री राजेन्द्र कुमार अजेय गुलाबचन्द गोठवाल, झूंथालाल, नाढ़ला, श्री नारायण चतुर्वेदी श्री किशन मत्स्य के नाम उल्लेखनीय हैं।

श्री झूँथालाल नाढ़ला ने सम्मेलन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि मत्स्य क्षेत्र मीणों को भी मेवाड़ क्षेत्रों के मीणों की भाँति आदिवासी जनजाति मानकर सभी सुविधायें प्रदान की जाये। प्रस्ताव का समर्थन श्री वैद्य गोपाल दत्त जयपुर ने जोर शोर से किया। प्रस्ताव में यह कहा गया कि मीणा जाति को भी आदिवासी जनजाति मानकर वे सभी सुविधायें एवं लाभ दिये जायें जो अन्य आदिवासी जनजातियों को उदयपुर जिले में मिल रहे हैं। प्रस्ताव में लोकसभा विधानसभा, जिला परिषदों व सरकारी सेवा में आरक्षण

देने के साथ विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाये। प्रस्ताव की प्रतियां राजस्थान व भारत सरकार को भेजी गईं। भारत सरकार के मंत्री श्री राजबहुदर जी ने इस विषय को आगे बढ़ाया और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को मीणा जाति के प्रस्ताव भेज दिए। इसकी सूचना राजस्थान मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को भी दी गई ताकि वे मुख्यमंत्री से संपर्क कर समस्या

के समाधान में सहयोग कर सकें। श्री राजबहादुर जी ने मुख्यमंत्री श्री व्यासजी को यह स्पष्ट लिख दिया कि मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखना आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान में 12 लाख से भी ऊपर मीणा जाति के लोग रहते हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर संभागों में इनका बाहुल्य है।

इसी बीच जुलाई 1954 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के निदेशक स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह मेहता ने मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल को सूचित किया कि 22 जुलाई 1954 को पिछड़ी जाति आयोग के संसद सदस्य भी खाभाई एवं राजू संसद सदस्य आंध्र काका कालेलकर के नेतृत्व में जयपुर आ रहा है। मीणा सुधार समिति के सदस्य उनसे भेंट कर अपनी मांगें आयोग के सामने रखें। सूचना मिलते ही मीणा सुधार समिति के सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार अजेय, मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में 22 जुलाई 1954 को सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर से भेंट कर अपनी मांगें उनके सामने रखीं। काका कालेलकर व आयोग के सदस्यों ने मीणा प्रतिनिधियों के नौ पृष्ठों के मांग पत्र को पढ़ा और समाधान के लिए प्रश्न भी मीणा प्रतिनिधियों से किये गये। प्रश्नों का उत्तर सुनकर आयोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि मीणा जाति की मांगें उचित हैं। इस अवसर पर आदिवासी जनजाति के शुभचिंतक श्री भोगीलाल पाण्ड्या ने भी मीणा जाति की मांगों को उचित ठहराते हुये आयोग से कहा कि इस जाति को शीघ्रतिशीघ्र अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाकर वे सभी अधिकार दिये जायें जो उदयपुर क्षेत्र के लोगों को मिल रहे हैं।

आयोग ने नौ पृष्ठों के ज्ञापन का बारीकी से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ज्ञापन में दर्शाई गई मांगें उचित हैं। 22 जुलाई को ही सायंकाल जयपुर के सदस्यों एवं श्री भोगी लाल पाण्ड्या व लक्ष्मी नारायण झरवाल व राजेन्द्र कुमार अजेय ने काका कालेलकर को पुष्पहारों से लाद दिया। इसी अवसर पर आयोग ने पाण्ड्या जी को यह बता दिया कि श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने मीणों की स्थिति के बारे में मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है और विश्वास दिलाते हैं कि मीणों को शीघ्र ही अनुसूचित जनजाति में मान लिया जायेगा।

नवंबर 1954 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के निदेशक माननीय पी.सी. दवे ने अचरौल का दौरा किया। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल भी उनके साथ थे। अचरोल के निकट ही बागड़ी मीणों की ढाणी पहुँचे। वहाँ देखा कि इनके पास उपजाऊ भूमि नहीं होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट भरते हैं। इसी तरह निदेशक जी जमवा रामगढ़, कूदा व महंगी भी गये। वहाँ के निवासियों की टूटी-फूटी झोपड़ी देखकर निदेशक पी.सी. दवे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तव में इस जाति की उन्नति के लिए इनको सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। इन सभी का परिणाम यह निकला कि 1955-56 में भारत सरकार ने गजट द्वारा मीणों को

आदिवासी जनजाति सूची में लेने का आदेश प्रसारित कर दिया, जिसके आधार पर जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूँदी, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा झालावाड़ की मीणा जाति को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं जिला परिषदों, पंचायतों आदि में इस जाति को आरक्षण की सुविधा मिलने लगी। जिसके फलस्वरूप आज अनेक मीणा सरदारों ने आई.जी., कलेक्टर, कमिश्नर आदि के पद प्राप्त किये।

इस सुविधा के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आदि विद्यालयों में मीणा जाति को शिक्षण शुल्क में भी कमी की गई। सरकारी नौकरियों में भी इनको आरक्षण दिया जाने लगा। मीणों को भूमि संरक्षण की भी सुविधा दी गई, जिससे इस जाति की जमीन को अन्य संपन्न जातियाँ नहीं खरीद सकती। मीणा सुधार समिति का 1952 का बंग़रू सम्मेलन इस दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा है। उसके प्रस्ताव के आधार पर मीणा जाति को अनेक सुविधायें मिली। इसका श्रेय श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं राजेन्द्र कुमार अजेय, भगवताराम बेगस, सीकर, हरसहाय जेफ, नयाबास एवं गुलाबचन्द गोठवाल को है।

काका कालेलकर की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने मीणा जाति को आदिवासी जाति में मान लिया और उनको वे सभी अधिकार प्रदान कर दिए गए जो उदयपुर क्षेत्र के भील व मीणों को प्राप्त थे। इतना होने पर भी आर्थिक दृष्टि से आदिवासी जनजाति एक अनुसूचित जनजाति में बहुत ही पिछड़ी हुई थी। जरायम पेशा कानून के कारण इनकी सृजनात्मक शक्ति क्षीण हो गई थी वे पूरी तरह से स्वावलंबी नहीं हो सके। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इनकी स्थिति सुधारने के लिए नाम मात्र के प्रयास किये। मीणा सुधार समिति के दिनांक 11.6.52 के प्रस्तावों पर विचार कर काका कालेलकर कमीशन को जयपुर भेजा गया। यह पहले बताया जा चुका है कि मीणा सुधार समिति के मंत्री लक्ष्मीनारायण के प्रस्तावों से काका कालेलकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गये थे। इस कमीशन की अनुशंसा पर श्री महामहिम राष्ट्रपति ने 1956 में आदेश प्रसारित कर मत्स्य क्षेत्र की आदिवासी मीणा जनजाति को भी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर वै सभी सुविधायें प्रदान कर दी थीं जो उदयपुर संभाग के आदिवासियां को मिल रही थीं।

जयपुर सरकार ने भी 1930 में लागू जरायम पेशा कानून को 10 अगस्त, 1946 को समाप्त कर दिया गया जिसकी घोषणा जयपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष एवं देशी राज्य लोक परिषद के महासचिव स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री ने बागावास विराट मीणा सम्मेलन में कर दी थी। परन्तु मीणों पर पुलिस के अत्याचार में कोई कमी नहीं आई। इनके पुनर्वास के लिए भी सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। सरकार के आश्वासन केवल कागजों पर ही रह गये। उल्टा एम. पास लेना अनिवार्य करके मीणा जाति को पुनः गुलामी के शिकंजे में कसा जाने लगा, जिसका विस्तृत वर्णन हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

चौकीदारी प्रथा समाप्त हो जाने पर इसके लिए जो जमीनें तथा अन्य सुविधायें मीणा सरदारों को दी गई थी। उसे सरकार ने ले लिया और लगान देने का प्रस्ताव करने पर भी सरकार ने मीणा जाति की कुछ न सुनी और उनके अधिकार की जमीन अन्य वर्ग के लोगों को दे दी। जुरायम पेशा कानून हटाने के बाद अर्द्धशासकीय सुधार कमेटी बनाई गई थी, उसने भी मीणा जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। मीणा सुधार समिति पर यह गुरुत्तर भार आ पड़ा। इसके लिए समिति ने लाखों

रुपये शिक्षा के लिए विद्यालय आदि खोलने पर खर्च किए परन्तु इस क्षेत्र की लाखों से ऊपर जनजाति के लिए यह ऊँट के मुँह में जीरा सिद्ध हुआ। अतः मीणा सुधार समिति ने पुनः सरकार के सामने अनेक प्रस्ताव रखे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जयपुर राज्य के गृहमंत्री मेजर अमरसिंहजी ने एक योजना अवश्य बनाई थी, जिसके अनुसार तीन लाख रुपये मीणा जाति की उन्नति के लिए व्यय करने थे, परन्तु भारत की स्वतंत्रता (15 अगस्त 1947) के बाद देशी रियासतों के विलीनीकरण की समस्या खड़ी हो जाने के कारण जयपुर सरकार की सभी योजनायें काम न आ सकी। स्वर्गीय मेजर जनरल अमर सिंह न्याय सचिव अजराजपुरा वालों ने जयपुर राज्य सरकार को मीणा जाति के विकास व उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिसे मीणा समाज कभी भी नहीं भुला सकेगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में अनेक योजनाएं बनाई थीं। जैसे-उद्योग धंधे, फसल के लिए भूमि का आवंटन, अभ्यस्त अपराधी मीणों के सुधार के लिए उन्हें अलग बसाकर स्कूल व खेती फार्म आदि थी। जमवा रामगढ़ के पास काश्त करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की। लेकिन वे इन योजनाओं को अमलीजामा नहीं पहना सके। अतः मीणा सुधार समिति ने सरकार के सामने निम्नलिखित प्रस्ताव 27.4.54 ई. को रखे।

1. जनजाति अपराधी कानून के कारण जो लोग बेघर हो गये हैं। उनके रहने बसने एवं रोटी रोजी के उचित साधन जुटाये जायें।

2. जो लोग घुमक्कड़ जाति के खाना बदोश हैं, उन्हें कॉलोनी बनाकर बसाया जाये। उन्हें शिक्षित उद्योग-धंधों व सरकारी नौकरियों में योग्यता के अनुसार लगाया जावे।

3. खेती के लिए जमीन, बीज, बैल, कुओं आदि का प्रबंध किया जाए।

4. खेती के साधनों के अतिरिक्त गृह उद्योग लगाकर इनकी रोजी रोटी का प्रबंध किया जाये।

5. आदिवासी जनजाति के मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर को समाज के अन्य वर्गों के समान लाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से प्रचार किया जाये।

6. शिक्षा प्रसार के लिए विद्यालय खोलने तथा आवास व्यवस्था के लिए छात्रावास खोले जायें।

7. मीणा बालकों को विद्यालय में प्रवेश के लिए वातावरण तैयार करने के साथ उनको पाठ्य सामग्री, पुस्तकें आदि दी जाएं।

8. जो इस समय सेवारत हैं उनको पदोन्नति के विशेष अवसर प्रदान किये जायें।

9. जो लोग राज्य सेवा में आने की योग्यता रखते हैं, उन पर अन्य उन्नत वर्गों की अपेक्षा राजकीय सेवा में प्राथमिकता दी जाये।

10. आदिवासी जनजाति तथा परिगणित जातियों की भाँति ही साँसी, कंजर, बावरिया आदि आदतन अपराधी जातियों को भी सरकारी सेवा में आरक्षण प्रदान किया जाये। उन्हें शिक्षित कर सभ्य नागरिक बनाया जाये।

11. ये सभी कार्य सरकार की देखरेख में हो, परन्तु मीणा सुधार समिति के सहयोग से किए जायें ताकि राजकीय धन का दुरुपयोग न हो।

इसी बीच श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, मंत्री मीणा सुधार समिति, जयपुर में सचिव अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से मिले और उनसे मीणा लोगों को छात्रावास के लिए जमीन देने का आग्रह किया। सचिव महोदय ने अपने पत्र संख्या 2546 दिनांक 8.6.1955 के द्वारा श्री झरवाल को सूचित किया कि जब भी इस प्रकार

की योजना बनेगी आपके प्रस्ताव को ध्यान में रखा जायेगा। इसके बाद मीणा सुधार समिति को यह सूचना मिली कि राजस्थान नहर क्षेत्र में लगभग 40 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन लोगों को दी जायेगी। इस सूचना के आधार पर सीकर, झुंझुनूं चूरू, बीकानेर व जयपुर आदि जिलों के आदिवासी जनजाति के प्रतिनिधि भारत सेवक समाज के नेतृत्व में आदिवासी सेवक संघ के अध्यक्ष संसद सदस्य श्री माणिक्य लाल जी वर्मा से मिला और उनको अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया। प्रतिनिधि मण्डल में सीकर से श्री भगवताराम बुनस, चुरु से प्रभुराम छापोला, श्री हणमानराम राजलदेसर चूरू, श्री हरसहाय जेफ श्री अड़िसाल सिंह मत्स्य कोटपूतली, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, जयपुर, अध्यक्ष सीकर एवं झुंझुनू जिला आदि प्रमुख नेता शामिल थे।

इस अवसर पर श्री गुलजारी लाल नंदा श्रम मंत्री भारत सरकार, पंजाब के राज्यपाल नरहरि विष्णु गाडगिल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू भी आ रहे हैं। अत:सभी क्षेत्र के मीणा प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित हो अपनी बात राजस्थान आदिवासी सेवक संघ के सामने रखें। संघ के अध्यक्ष स्वर्गीय माणिक्य लाल जी वर्मा ने मीणा प्रतिनिधि मण्डल को पूरा आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से मिलकर समस्या का हल अवश्य निकाल लेंगे।

यू एन. ढेबर आयोग:– भारत सरकार के सामने भी पिछड़ी जाति एवं आदिम जनजाति की उन्नति की समस्य उपस्थित थी। इस संबंध में यू. एन. ढेबर की अध्यक्षता में महामहिम राष्ट्रपति जी ने 'अनुसूचित आदिम जनजाति आयोग' की स्थापना की। यह जानकर अधिक प्रसन्नता है कि आप इन जातियों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए 7.10.1960 को जयपुर आ रहे हैं। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने यू.एन. ढेबर कमीशन को ज्ञापन सर्किट हाऊस जयपुर में दिया। उन्हें अचरोल मीणों की ढाणी को दिखाया जहां खेती की पैदावार से एक महीने का खर्च चलता था इसके अलावा ग्यारह महीने चोरी, पहुँच आदि लेकर अपना पेट पालना पड़ता।

ता. 10.7.1960 को यू.एन. ढेबर कमीशन भारत सरकार के आदेश से जांच के लिए जयपुर आया। मीणा सुधार समिति की तरफ से एक ज्ञापन सर्किट हाऊस स्टेशन जयपुर पर दिया गया। बताया कि मीणा जाति को भारत सरकार में काका कालेलकर कमीशन की तरफ से मीणा जाति को अनुसूचिंत जनजाति जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर में मान्यता तो 1956 में ही मिल गई थी। परन्तु उन्हें जो सुविधा उदयपुर संभाग में मीणा भीलों को मिल रही है वह नहीं मिल रही है। जैसे भूमिहीनों को भूमि दी जाये, भूमि में कुओं व बैल प्रबन्ध, पुनर्वास के लिए मकान बनाने के लिए सहायता आदि मीणों को दी जाए।

श्री यू.एन. ढेबर जांच आयोग ने मीणों के गांवों का निरीक्षण करने के लिए तय किया। श्री यू.एन. ढेबर कमीशन में श्रीमान रिखबचंद धारीवाल मंत्री समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर, समाज कल्याण निदेशक श्री राम सिंह कौशिक, कलेक्टर जयपुर, लक्ष्मी नारायण झरवाल, राजेन्द्र कुमार अजेय आदि अचरोल मीणों की ढाणी में गये। यहां के मीणों के घरों को ढेबर कमीशन ने देखा तो सोने, खाने-पीने की व्यवस्था बहुत खराब थी। खेती की जमीन नहीं के बराबर थी। बाकी खेती, रोली से फसल खराब होने से एक महीने का ही खर्च हो सकता है बाकी ग्यारह महीने का गुजर-बसर नहीं। गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि पशुओं को चोर कर पहुँच की फिरौती व मजदूरी से जीवन व्यतीत करना पड़ता था। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे-बच्चियों के लिए स्कूल का अभाव था।

यह तो श्रीमान को विदित ही होगा कि समस्त राजस्थान पर आदिवासी जनजाति का एक छत्र राज्य था। बाहर से आये कछावा राजपूतों ने धोखे से इस भोली-भाली जनजाति का राज्य छीन लिया। कुछ को जमीन देकर जमींदार मीणा बता दिया और अनेक लोगों की नगर सुरक्षा का भार देकर चौकीदार मीणों के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चौकीदार मीणों पर 'दादरसी' नामक कानून लागू किया गया जिसके अनुसार चोरी गए माल की कीमत चौकीदार मीणों से प्राप्त की जानी थी, चाहे उसका उसमें तनिक भी हाथ नहीं होता था। इसके साथ ही राज्य का पुलिस विभाग नगर सुरक्षा का कार्य कर रहा था, परन्तु उसकी असावधानी से चोरी होने पर उससे कोई क्षतिपूर्ति नहीं ली जाती थी।

यह भी श्रीमान को विदित होगा कि राज्य की रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परन्तु इस जाति ने अंग्रेजों से अनवरत छापामार युद्ध किया। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार एवं राज्य सरकार ने अपराधी जनजाति कानून बनाकर इनके सभी नागरिक अधिकार छीन लिये और उनके ऊपर अनेक अमानवीय प्रतिबंध लगा दिये, जिसका एक लंबा इतिहास है। कांग्रेस व प्रजामंडल की सहायता से मीणा सुधार समिति ने इस काले कानून के विरूद्ध अनेक सत्याग्रह किए। अंत में विवश होकर जयपुर राज्य सरकार ने इस दमनकारी कानून को समाप्त किया। श्रीमान को यह भी विदित होना चाहिए कि राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए सत्याग्रह में भी इस जाति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कारण भी यह जाति अपने स्वातंत्र्य प्रेम के कारण दबाई जाती रही है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद लगभग नो वर्ष बाद 1956 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने गोपाला स्वामी आयंगर कमीशन एवं काका कालेलकर कमीशन की अनुशंसा पर इस जाति को आदिम जनजाति की सूची में रखने का आदेश दिया और इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ भी दिया जाने लगा। परन्तु शिक्षा के अभाव में इस जाति के नवयुवकों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अत: राजस्थान राज्य सरकार तथा भारत सरकार को आपके माध्यम से सूचित किया जाये कि इस जाति की शिक्षा का उचित प्रबंध हो और इनको उद्योग धन्धों व खेती की सुविधा भी प्रदान की जाये।

इतना सब कुछ होने पर भी मीणा,पिछड़ी जातियों पर अनेक पुलिस अधिकारी अनेक प्रकार के अन्याय ढातें आये हैं। चोरी-चकारी के झूँठे आरोप लगाकर उन पर अभियोग लगाये जा रहे हैं। सॉसी, कंजर वाबरिया जैसी जाति को एक स्थान पर बसाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने की कृपा करें। श्रीमान से यह भी निवेदन है कि मीणा सुधार समिति भी अपने स्तर इन पिछड़ी जातियों में सुधार के लिए अनेक प्रयत्न कर रही है। ढेबर आयोग ने राज्य सरकार को इनकी स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास करने की अनुशंसा की। जिसमें यह बताया गया कि इस जाति में भूमिहीनों की संख्या अधिक है। अत: इनको खेती के लिए जमीन देने में प्राथमिकता दी जाये और विकास के सभी साधन जुटाये जायें।

वेलफेयर निदेशालय राज्य सरकार में कार्यरत बेकवर्ड क्लासेज़ के साथ भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय आदिवासी सेवक संघ लिंक रोड़ नई दिल्ली को भी लिखा जाये ताकि वह इस ओर विशेष ध्यान देने का कष्ट करे। भारत सरकार के शिड्यूल एरिया तथा शिड्यूल ट्राइब्स कमीशन के सचिव को भी लिखा जावे कि वह इस समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान निरंतर आकर्षित करता रहे।

मीणा सुधार समिति के प्रयत्न इन आयोगों के सामने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा

पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही। विशेषकर यू. एन. ढेबर कमीशन के सामने यह स्पष्ट किया गया कि (1) चौकीदार मीणों को अभी तक नागरिक अधिकारों के उपभोग का अवसर नहीं मिला। (2) मीणा महिलायें अकारण पुलिस द्वारा पीटी जाती हैं। (3) राज्य सरकार से जीविका के लिए अभी तक कोई खेती योग्य जमीन नहीं दी गई। (4) मीणा छात्रों को छात्रवृत्ति विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से ही मिलनी चाहिए। सरकार के यहाँ प्रार्थना पत्र देने से कई माह तक निर्णय नहीं हो पाता। इस तरह पूरा वर्ष बिना छात्रवृत्ति के निकल जाता है। (5) चौकीदारी प्रथा यद्यपि समाप्त हो चुकी है, परन्तु पुलिस अधिकारी एवं स्वर्ण जाति के अमीर लोग मीणा जाति को चौकीदारी करने को विवश करते रहते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन पर झूँठे अभियोग लगा कर गांव से निकाल देते हैं और चोरी के झूंठे मामले बनाकर अदालत में चालान पेश किया जाता है। इससे भोले-भाले स्वच्छ निर्मल एरिया के लोगों को घर का काम काज छोड़ कर अदालतों के चक्कर व्यर्थ में ही लगाना पड़ता है। (6) इतना ही नहीं धनी लोगों द्वारा उनको बुरी तरह से मारा-पीटा जाता है। क्योंकि उन्होंने चौकीदारी प्रथा को तिलांजलि देकर खेती करना प्रारंभ कर दिया है। (7) दादरसी क़ानून सन् 1946 में जयपुर राज्य सरकार द्वारा समाप्त किया जा चुका है। फिर भी पुलिस चोरी गए माल की प्राप्ति मीणों से करती है। (8) विगत सात-आठ वर्ष से हम राजस्थान सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं कि 'मीणा छात्रावास' के लिए नि:शुल्क भूमि दी जाये। हम लोगों ने शिक्षा प्रसार के लिए 'राजस्थान विद्या मंदिर नामक संस्थान' राज्य सरकार से पंजीकृत भी करा ली है। राज्य मंत्रिमण्डल ने भी सिद्धान्त: छात्रावास के लिए भूमि देने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, फिर भी राजकीय अधिकारी अभी तक पिछड़ी जातियों के छात्रावास के लिए जमीन नहीं दे रहे है। सेठ सोहन लाल जी दूगड़ द्वारा प्रदत्त 15000 रुपये बिना जमीन उपयोग के पड़े हुए हैं। समाज के अन्य लोग भी छात्रावास के लिए धन जुटाने में लगे हैं। परन्तु भूमि के अभाव में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में यह भी निवेदन करना अनुचित नहीं होगा कि छात्रावास के अभाव में सैकड़ों छात्रों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा से हजारों छात्र वंचित रह जाते हैं।

अंत में संक्षेप में तीन मुख्य समस्या आपके सामने रखना चाहते हैं कि (1) जाति के नाम पर पुलिस द्वारा मीनों को अपमानित करना तुरन्त बन्द हो। (2) मीणा जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर को सुधारने के लिए तुरन्त व्यवहारिक कदम उठाना बहुत जरूरी है। (3) छात्रावास के लिए भूमि तुरन्त देने की व्यवस्था की जाये।

पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष माननीय यू.एन. ढेबर ने मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार अजेय एवं महामंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को आश्वासन दिया। निदेशक पिछड़ी जाति विभाग राजस्थान के पास सहानुभूति पूर्ण विचार करने के लिए लिखने का आश्वासन देते हुए कहा कि भारत सरकार को भी इन सभी कठिनाइयों से शीघ्र ही सूचित कर देंगे और उचित व्यवस्था कर देंगे।

वी. पी. मण्डल आयोग (1970-80):- जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियुक्त इस आयोग को पिछड़ी जातियों को सुविधा देने के लिए अपने सुझाव देने का काम सौंपा गया। सांसी, कंजर, बावरिया आदि जैसी खेतीहर जातियों को भी आरक्षण लाभ देने की अनुशंसा की। परन्तु कांग्रेस सरकार के आ जाने पर इसके सुझाव प्रभाव में न आ सके। इसके अतिरिक्त जनता पार्टी के उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं थे। आयंगर आयोग के सुझावों को भी वह लागू न कर सकी। बार-बार आयोग बैठाने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य

था कि अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण लाभ से वंचित रखा जाये। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जातियों की सूची सुधारने के लिए भारत सरकार ने बी. एल. लॉकर कमेटी की नियुक्ति की। अन्त में उसने अन्य विमुक्त जातियों को आरक्षण देने की भी एक लंबी सूची प्रस्तुत की।

भारत सरकार की भाँति ही राज्यों ने भी पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना की। इसने राजनीतिक दबाव में आकर जाटों को भी आरक्षण योग्य मान लिया। फिर तो आरक्षण की मांग द्रोपदी के चीर की भाँति बढ़ती ही गई। क्योंकि भारत एक विशाल देश है। जनजातियों की संख्या इसमें सबसे अधिक है। अत: इनकी सूची बनाने का ताँता चलता ही रहेगा। प्रश्न इनको राजकीय सेवा देने का नहीं है, परन्तु इनको जीवन यापन की सुविधा जुटाना अत्यन्त आवश्यक है। इनके परंपरागत व्यवसाय को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता दी जाये तो बेरोजगारी की समस्या आसानी से हल हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो स्वर्ण जातियों का अहं भाव है। संविधान में यद्यपि सभी को प्रगति के समान अवसर दिये गये हैं। परन्तु अभी तक उच्च वर्ग पिछड़ी जातियों की विवशता से लाभ उठाकर इनको बंधवा मजदूर बनाना प्रारंभ कर दिया। बंधक मजदूरों की मुक्ति के लिए स्वामी श्री अग्निवेश बराबर प्रयास कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने पर भी जातियों के परस्पर भेदभाव को मिटाना सरकार के बूते की बात नहीं है।

इसके लिए परस्पर सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है, जो अच्छी शिक्षा से ही संभव है। मानव प्रेम की भावना उजागर करके ही हम दलितों को आगे ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़ी जाति के भाइयों को भी सामाजिक बुराइयों को छोड़कर अपने श्रम व बुद्धि के बल पर आगे बढ़ने का भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसा पहले भी हो चुका है, कबीर, दादू दयाल, संत रैदास आदि पिछड़ी जाति के ही थे। परन्तु उन्होंने अपने जीवन को इतना निर्मल व उन्नत बना लिया कि स्वर्ण जाति के बड़े से बड़े विद्वान् भी उनके सामने नत मस्तक हो गये।

सदंर्भ सूची

1. जयपुर राज्य सरकार गजट न्यूज लेटर- 1946
2. मीणा जाति का इतिहास- श्री रावत सारस्वत
3. स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण जी की डायरी
4. मीणा भारती के अंक
5. अरावली उद्घोष के अंक
6. प्रजामण्डल का इतिहास
7. आदिवासी सेवक संघ की रिपोर्ट
8. अयंगर काका कालेलकर तथा यू. एन. ढेबर के प्रतिवेदन
9. भोगीलाल जी पण्ड्या का स्मृति ग्रन्थ।

❑❑❑

अध्याय 8

मीणा सुधार समिति के रचनात्मक कार्य

मीणा जनजाति पर लगाए गए अपराधी कानून को हटाने के बाद मीणा सुधार समिति ने समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों को अपने हाथ में लिया। इसके लिए नागरिकों के मूल अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए निरंतर सम्मेलन आयोजित करती रही जिनमें सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के साथ पुलिस द्वारा मीणों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में राज्य सरकार एवं भारत सरकार के समक्ष अनेक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गए जिनका संक्षिप्त विवरण हम विगत अध्याय में पढ़ चुके हैं।

जयपुर मीणा सुधार समिति जो आगे चलकर राजस्थान मीणा सुधार समिति के नाम से काम करती रही। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इसका कार्य मीणा जाति को मानवोचित अधिकारों तक ही सीमित नहीं रहा। इस समाज में व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास तथा समाज में व्याप्त मद्यपान एवं मांसाहार से भी इस वीर जाति को छुटकारा दिलावाना था। इसके लिये मीणा जाति के शुभेच्छु एवं प्रमुख पथदर्शक सर्वश्री लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर, श्री भगवताराम बूनस सीकर, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय, पं.बंशीधर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। नागरिक अधिकारों को प्राप्त करते ही प्रथम तीन माह की एक कार्य योजना तैयार की गई। जिसके अनुसार चोरी, चौकीदारी, शराबखोरी, नाच-गाने आदि की कुरीतियां समाप्त करने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य प्रारम्भ किया गया।

समय-समय पर मीणा सुधार समिति के कार्यों के विषय में राज प्रमुख तथा कुछ निहित स्वार्थियों ने भ्रामक प्रचार किया है, उसका उत्तर मीणा सुधार समिति ने मूक सेवा से दिया। इस समिति ने कभी भी सार्वजनिक विवाद में पड़ना उचित नहीं समझा और सदैव अपने अंगीकृत रचनात्मक कार्यों को शांति-पूर्ण ढंग से चलाती रही। समाज में व्याप्त इस मिथ्या धारणा को मिटाने का इस जाति ने भरपूर प्रयास किया कि ''मीणा लोग जन्म से ही चोर हैं।'' यद्यपि सरकार ने इस धारणा को निरस्त कर दिया, परन्तु जनसाधारण से इस भावना को दूर करने के लिए यह कहा गया कि चोरी किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति अपना मन बिगड़ने तथा लालच में आकर चोरी कर सकता है। जयपुर रियासत एवं ब्रिटिश शासन काल में इस जाति पर कठोर नियंत्रण था, फिर भी चोरियों का ताँता लगा रहा। इसमें सभी जाति के लोग लिप्त पाये गये, तब कैसे कह सकते है कि एकमात्र मीणा जाति ही चोर है?

मीणा सुधार समिति पर भी यह आरोप लगाते रहे कि यह संस्था मीणों को चोरी करने की स्वतंत्रता दिलाने वाली संस्था है। इस प्रकार के भ्रम फैलाने में पुलिस की भी अहं भूमिका रही। क्योंकि मीणों द्वारा चौकीदारी छोड़ने के कारण पुलिस को घूँस मिलना बन्द हो गया था। इसके अतिरिक्त भेंट-बेगार के लिए आदमी मिलना भी कठिन हो गया था। 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' कहावत को चरितार्थ करने के लिए चोरी के संबंध में झूँठा प्रचार करने लगी। इतना ही नहीं मीणा जाति की स्वतंत्रता एवं विकास के लिए समर्पित मीणा सुधार समिति के प्रभाव को कम करने के लिए 'एक समानान्तर मीणा राजपूत सभा पंचायत'

स्थापित करने का भी सरकार तथा पुलिस ने प्रयास किया, परन्तु उसे मुँह की खानी पड़ी। क्योंकि राजस्थान मीणा सुधार समिति 'भारतीय आदिम जाति सेवक संघ' दिल्ली से मान्यता प्राप्त थी और मीणा समाज के विकास के लिए जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, झुंझुनुं, सीकर, जोधपुर, नागौर तथा बीकानेर जिले में वर्षों से यह संस्था काम करती आई है। जिसका विस्तृत विवरण हम अग्रिम पृष्ठ में पढ़ेंगे।

10 अगस्त, 1946 को मीणा जाति को स्वीकृत सुविधायें तुरन्त मिलनी चाहिए थी परन्तु वे लंबे समय तक नहीं मिलीं। चौकीदारी प्रथा के लिए जो भूमि उनको मिली हुई थी, उसे तो इस प्रथा के समाप्त होने पर राज्य सरकार ने ले ली। मीणा सुधार समिति एवं जयपुर सरकार के बीच में यह समझौता हुआ था कि चौकीदारी में मिली जमीनें वापिस नहीं ली जायेगी, वरन् उचित लगान लगा कर उनको ही सौंप दी जायेगी। परन्तु उस समय की जयपुर राज्य सरकार ने इन जमीनों को हड़प कर अन्य लोगों को दे दी। जब इसके लिए संघर्ष छोड़ा गया तो मीणा सुधार समिति व प्रजामण्डल को विद्रोह भड़काने का दोषी बताया गया। अनेक बार अधिकारियों से मिलकर तथा प्रेस के माध्यम से मीणा सुधार समिति ने मीणों को जमीन तथा आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास किया। परन्तु भैंस के आगे बीन बजाना ही सिद्ध हुआ, यहाँ तक जयपुर राज्य सरकार ने दर्जनों मीणा बन्धुओं को बन्दी बना लिया। मीणा सुधार समिति ने इसके प्रतिकार के लिए अन्य जाति के वास्तविक चोरों का पता लगा कर सरकार के सामने उनकी सूची प्रस्तुत की परन्तु किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। उल्टा कहीं भी चोरी होने पर मीणों को दोषी ठहराया जाता रहा। इसका परिणाम यह निकला कि वास्तविक चोर खुले आम घूमते रहे और सरकार सोती रही। मीणा सुधार समिति ने दर्जनों नामजद चोरों की सूची पुलिस को दी, परन्तु किसी भी पुलिस अधिकारी के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। उल्टा कैम्प लगाकार मीणों से पूछताछ की जाने लगी। इसका इस संस्था ने, सरकार का डटकर विरोध किया तथा सुधारात्मक कदम भी उठाये गये।

ठीक इसी समय 30 जनवरी 1948 को निर्धनों व आदिवासियों के मसीहा राष्ट्रपिता गाँधी की हत्या का समाचार मिला। मीणा सुधार समिति ने जयपुर स्थित कार्यालय में अखण्ड रामधुनि, कीर्तन एवं चर्खा यज्ञ का आयोजन किया गया। गीता, रामायण, कुरान शरीफ आदि के पाठ के कार्यक्रम रखे गये। इसी समय मीणा जाति की मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। उनके सामने रचनात्मक कार्य पर विचार विमर्श हुआ। पूज्य बापू के रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। श्री गणपत राम बगराणा (नरड़) झुंझुनूं के नेतृत्व में तथा श्रीलक्ष्मीनारायण झरवाल एवं श्री अड़िसाल सिंह के मार्गदर्शन में चोरों के विरुद्ध एक रचनात्मक आन्दोलन चलाने के लिए एक सत्याग्रह योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य पुलिस से मिलीभगत वाले भ्रमित कतिपय मीणों के माध्यम से समस्त मीणाजाति को कलंकित करने के प्रयास का अंत करना था। इसके लिए समस्त जाति को सभ्य नागरिक सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बिन्दु लेकर गाँव-गाँव में जाने का निर्णय लिया गया।

सुधार के बिन्दु इस प्रकार थे।

(1) चोरी न करना, चोरों की सहायता न करना तथा चोरी का माल न लेने के प्रतिज्ञा-पत्र भरवाना

(2) चौकीदारी को कभी स्वीकार न करना और उसका दस्तूर काँसा तथा हक पल्ला न लेना।

(3) 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना।

(4) शराब न पीना न पिलाना, न निकालना तथा न उसका व्यापार करना।

(5) मृत्यु के तीसरे दिन (जहाँ यह प्रथा है) 12 ब्राह्मण व बहन-वेटियों व घर के लोगों को ही जिमाया जाय।

(6) मृत्यु के तेरहवें दिन शोक में शराब और माँस का बहिष्कार किया जाये।

(7) शादी- सगाई में शराब, मॉस का बहिष्कार किया जाये।

(8) शादी में लड़के वालों के घर में आशीर्वाद समारोह में शराब व माँस का बहिष्कार किया जाये।

(9) नाच-कूद, भद्दे गाने, भद्दा पहनावा, चुट्टे आदि रखने की प्रथा को समाप्त किया जाये।

(10) राजस्थान राज्य मीणा सुधार समिति में पूर्ण आस्था रखना और सर्वदा समिति के अनुशासन में रहना।

मीणा सुधार समिति के प्रति श्रद्धा स्वरूप लड़के के जन्मोत्सव पर पाँच रुपये, विवाह के समय कम से कम ग्यारह रुपये लड़की के विवाह के समय लड़की वालों की ओर से कम से कम पाँच रुपये, भात के समय एक रुपया, मीणा सुधार समिति को सुधार कार्य के लिए दिये जाएँगे।

जो जाति बन्धु उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करेगा, उसे इकावन रुपये दण्ड स्वरूप देकर फिर से प्रतिज्ञा-पत्र भरना होगा। पुनः नियम भंग करने पर समाज से बहिष्कार किया जायेगा।

सुधार सत्याग्रह योजना को चलाने के लिए सीकर को केन्द्र बनाकर शेखावाटी क्षेत्र में काम करने का निश्चय किया गया। प्रारंभ में एक बार में दो तथा अंत में सात सत्याग्रह जत्थे तैयार किये गये, जिनके संचालक इस प्रकार थे।

(1) श्री भगवताराम बूनस (सीकर), (2) श्री गोपाललाल बगराणा (संगासी), (3) श्री दूलहराम छापोला (खातीपुरा), (4) श्री अर्जुन राम छापोला (टीबा बसई), (5) श्री रामनाथ बगराणा (पाछा ढाला), (6) श्री रूपाराम सिंगल (कुली), (7) श्री झूँथालाल झरवाल (खोरोड़)।

इन जत्थों के सहयोगी संचालक इस प्रकार थे-

पहला जत्था- (1) श्री रणजीता राम जेफ (मल्केड़ा) (2) श्री हमीराराम बागड़ी (सेवक), (3) श्री रणजीता राम जेफ (बीदसे), (4) श्री बालूराम बूनस (सीकर)

दूसरा जत्था- (1) श्री सुरजा राम बगराणा (कूमासा), (2) श्री पन्नालाल पबड़ी (डाबड़ी), (3) श्री राम कुमार जेफ (बिसाऊ), (4) श्री दौलाराम झरवाल (खालासी का बास), (5) श्री कालूराम कॉकस (काजिरसर), (6) श्री रावताराम (तोलिया सर)

तीसरा जत्था- श्री दूलहराय छापोला (खतेपुरा) (2) जमनाराम छापोला (मालासर)

चौथा जत्था- (1) श्री जमनाराम छापोला (तौदा), (2) श्री नाराराम गोमलाडू, (3) श्री हरसहाय जेफ (नयाबास), (4) श्री मूंगा राम छापोला (बिहारीपुर), (5) श्री महावीर सीरा (बवाई)

पाँचवा जत्था- श्री सुखदेव मोथू (चेनपुरा), (2) श्री गोपालराम (टाक), (3) श्री भगताराम मोथू (दौलपुरा), (4) श्री जवाहरराम (दूदुआ)

छठा जत्था- (1) श्री झूँथालाल झरवाल (खीरोड़), (2) श्री पर्वताराम जूणस्या।

सातवाँ जत्था- (1) श्री भागीरथ छापोला (बजावा), (2) श्री बद्रीप्रसाद कागोत (शाहजहाँपुर)

उपर्युक्त वीर सत्याग्रही जत्थे विभिन्न गाँवों में जाकर ऐसे मीणों के घर जाते, जिनके विरुद्ध आम

जनता को शिकायत होती। जनता के संदेह वाले व्यक्तियों को स्थान पर बैठा दिया जाता और गाँधीजी की तस्वीर वहाँ रखकर, उसके सामने अखण्ड कीर्तन रामधुन, गीता-पाठ आदि प्रारंभ हो जाता। वीर सत्याग्रही स्वयंसेवक न तो स्वयं अन्न जल ग्रहण करते और न ही तथाकथित संदिग्ध चोर समझे जाने वाले घर के सदस्यों को अन्न ग्रहण करने देते। इस तरह से सामूहिक अनशन व्रत भी आश्रम -भजनावली 48 घण्टे तक चलता रहता। इस सुधार कार्यक्रम को गाँव के तथा आसपास के कस्बों के लोग भी देखने आते और मीणा सुधार समिति के इस रचनात्मक सुधार कार्य को देखकर जनता मंत्र मुग्ध हो जाती और इस योजना की बड़ी सराहना करते। यह सुधार सत्याग्रह जब तक चलता रहता तब तक संदिग्ध दोषी का हृदय परिवर्तन न हो जाये। हृदय परिवर्तन के बाद गाँव वालों को पूरा विश्वास हो जाता कि अब इस घर का व्यक्ति चोरी नहीं करेगा। सत्याग्रही जत्थे गाँव-गाँव में प्रजामण्डल के झण्डे के साथ कीर्तन करते हुए म. गाँधी तथा जवाहरलाल नेहरु की जय-जयकार के साथ समस्त वातावरण गूँजा देते। सत्याग्रही स्वयं सेवक गाँव-गाँव में जाकर सुधार के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरवाते और आदर्श स्वाभिमानी नागरिक बनने के लिए प्रेरणा देते। इसके साथ ही उनके प्राचीन गौरव का इतिहास भी स्मरण कराते।

प्रारंभिक तीन माह में सत्याग्रही स्वयं सेवकों ने निम्नलिखित गाँवों में सत्याग्रह के माध्यम से आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दी। चैनपुरा, दादली, मालाखेड़ा, देवगढ़, आँतरी छोटी, आँतरी ढाणी मण्डोता, भीखणवासी, सीकर, पिपराली, कुशलपुरा, तारपुरा, बेरी, नवलगढ़, डूँडलौद, साखून ढाणी, अजीतगढ़, मण्डवा, बाजीसार, तोलियासार, बिरमी, बिसाऊ, रामपुरा, चूड़ेला, रिम्भाणी, नॉद, जोत की ढाणी, क्कहेड़, ढँडारिया, झेरली, थिरपोली, साखू, साखण, तूमली, बूढ़ावासा, नाहद, बूडाणां, लामा घोडीवार। बड़ा, भोजासार, तोगड़ा, नागड़ियावास, कूलरियाँ, तोगड़ा, पातूसरी, बीजूसर, अजाडी बड़ी, मालसर, उतरासर घुगाला, जाखल, न्याराणा, राजपुर, बलभूपुरा, करजो खरकड़ा, मीयाला खरकड़ा, डायला, बस्सी, डाडा, मोडी, सिकराय, वाडलवास, ढाडोता, तौदा, बिहारीपुर, नालापुरा, मेवाड़ा, गाँबली, पपरुणा, ढैरौवाला, चॉचला, बवाई, न्यालपुरा, पदेवा, मैलपुरा, नेवरी, किशोरपुरा, गुढ़ा, पोख, टोडी, दुदया, गुढ़ा गोडजी, लक्ष्मणगढ़, अलपसर, बराना, खुड़ी, मगलूणा, फागाबाड़ा, थालसौ, ढेट, शाहपुरा, नेछवा, कुलि, खाचरियावास, चैनपुरा, चक, भूड़ा का बास, डॉसरौली, दौलतपुरा, दूधवा, कोछोर, मोहनपुरा, रलावता, सुजास, तिलोकपुरा, रैवासा, रामौली, रीगूँ, गिया की ढाणी, गुढ़ा, उदयपुर, परसरामपुरा, धोला खेड़ा, खीरोड़, बारबा, खीरोड़, बारबा, खोजास, टोडपुरा, नांकाल, रघुनाथपुरा, गूगरा, बजावा, सींथल, केड, खटकड़, श्यौलाणा, मेहपुर, नटासा, चनाणा, भूकाणा, चाँवडोडा (दौसा), तहसील जमवारामगढ़, सिकराय, बांदीकुई, बस्सी, टोंक, आमेर, चौमूं, सांगानेर, चाकसू, फागी आदि।

भोड़की-सुधार का संगठित प्रयास (जिला झुन्झुनू)

भोड़की (शेखावाटी) में असामाजिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया गया। विभिन्न स्थानों से प्रस्थान करके सातों जत्थे 10 अप्रैल 1948 को 550 स्वयं सेवकों के साथ पं.बंशीधर, लक्ष्मीनारायण झरवाल, हरसहाय जेफ, भगूताराम बूनस भोड़की पहुँचे। 25 घंटे तक अनशन तथा सत्याग्रह व्रत चलता रहा। असमाजिक कार्य करने वालों को कीर बनाकर उसकी शव यात्रा निकाली गई और उसी घर के सामने दफनाया गया जहाँ के लोग असामाजिक कार्य करने के अभ्यास में थे। अत: सभी में विवेक की जागृति हुई और सभी ने निष्ठा तथा सच्चाई के साथ मीणा सुधार समिति के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर

किये। फिर भी इतना शीघ्र विश्वास करना मीणा सुधार समिति ने उचित नहीं समझा। अत: उपस्थित मीणा पंचों के परामर्श पर इन लोगों को एक वर्ष के लिए जाति से बहिष्कार किया गया। परन्तु इनको यह सुविधा दी गई कि यदि तीन माह में अपने आपको सुधार लेंगे तो गाँव के प्रतिष्ठित लोगों के परामर्श से सुधार समिति के सहायतार्थ एक सौ एक रुपये लेकर जाति समाज में ले लिया जायेगा।

बिसाऊ (जिला चूरू) का गौरवशाली कार्यक्रम 1948

बिसाऊ में जब सत्याग्रह जत्था (जिला चुरू) पहुँचा तो वहाँ की जनता में अत्यधिक उत्साह का संचार हुआ। एक दिन के कार्यक्रम के स्थान पर जनता के आग्रह पर स्वयंसेवकों को दो दिन रूकना पड़ा। जयपुर राज्य प्रजामण्डल की शाखा बिसाऊ प्रजामण्डल के लोगों ने मीणा सुधार समिति का साथ दिया। बिसाऊ में एक आम सभा की गई। जिसमें प्रजामण्डल तथा मीणा सुधार समिति के पदाधिकारियों ने प्रभावशाली भाषण दिए। समिति ने अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत 19 मीणें बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए तैयार किया। अन्य ने भी प्रेरणा ली। इस हेतु इन बालकों के हाथ में झण्डा हाथ में देकर कस्बे में जुलूस निकाला गया। विद्यालय के अध्यापकों ने इन छात्रों का बड़ा स्वागत किया। स्थानीय आर्य समाज की ओर से इन छात्रों के लिए स्लेट-पेंसिल का प्रबंध किया गया। सुधार कार्य निरन्तर चलता रहा। स्वयं सेवक एक गाँव से दूसरे गाँव जाते रहे।

नया बास का सफल सत्याग्रह 1948

भोड़की सत्याग्रह के बाद ही नयावास में सत्याग्रह करने का विचार कर लिया गया था। परन्तु समयाभाव के कारण उस समय यह संभव नहीं हो सका। 28 मई, 1948 को सैकड़ों सत्याग्रही जत्थे बना-बनाकर पाटन, बस्सी, टीबा, खण्डेलवाल, सीकरवाटी, नरड़, झुंझुनु, मंढोली, स्थानों से नयाबास पहुँचे। इन जत्थों के मार्गदर्शक सर्व श्री अड़िसाल सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री गणपतराम बगराणा थे। जत्थों के संचालक सर्व श्री भगवताराम सीकर, झूँथाराम, अर्जुनाराम बस्सी एवं गंगूराम न्योराणा वाले आदि थे। सत्याग्रही गाँधी जी के चित्र के सान्निध्य में राम ध्वनि व अनशन व्रत 28 घंटे चलता रहा। प्रचण्ड कड़ाके के तपती हुई धूप में सत्याग्रह करने वाले सत्याग्रहियों के कष्ट सहन से प्रभावित होकर, उन मीणा बंधुओं का हृदय भी पसीजे बिना न रहा जिनके विषय में तथाकथित आरोप थे। उन्होंने मीणा सुधार समिति की सुधार योजना को अंगीकृत किया और प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। कुछ समाज कंटकों ने सत्याग्रह को विफल बनाने का प्रयास किया, परन्तु सत्य के सामने अपना सा मुँह लेकर लौटना पड़ा।

न्याय पंचायत के कार्य- मीणा सुधार समिति की सुधार योजना को प्रभावशाली एवं तर्कसंगत बनाने के लिए एक न्याय पंचायत गठित की गई जो दोषी व्यक्तियों को प्रतीक रूप में दण्ड देकर सुधार का कार्य करती रही। इस न्याय पंचायत में सभी क्षेत्रों के निष्पक्ष एवं समाज के प्रति स्नेह रखने वालों को मनोनीत किया गया। इनमें मुख्य रूप से श्री हरसहाय नयावास, श्री अर्जुनराम टीबा बस्सी, श्री महादेवा भोड़की, प्रभु नयावास, भागीरथ बजावा, अर्जुन बल्लुपुरा, लादूराम राजलदेसर (बीकानेर), घूड़ा उदयपुर (शेखावाटी) और बिरदा गुहाला के नाम उल्लेखनीय है।

पुरानाबास में सत्यागृह:- नयेबास में सुधार कार्यों को गति देकर लगभग पचास जत्थे पुराना बास

पहुँचे। राष्ट्रपिता म. गाँधीजी के चित्र के सामने झण्डावन्दन, प्रार्थना, रामधुनि करते हुए अनशन व्रत करके जत्था बैठ गया। फलस्वरूप गाँव के सभी मीणा बन्धुओं ने रात्रि के दो बजे प्रतिज्ञा-पत्र भर के दे दिये और मीणा सुधार समिति के नियमों का पालन करने का पूरा विश्वास दिलाया।

पुरानाबास वास के मीणों की दयनीय स्थिति:- पुरानाबास की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सुधार समिति के अध्यक्ष श्री गणपतराम बगराणा, कोषाध्यक्ष श्री अड़िसाल सिंह एवं मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने मीणाओं के घरों को जाकर देखा तो शोक-सागर में डूब गये। खेती व अन्य रोजगार के साधन तो दूर की बात, परन्तु उनके पास रहने के मकान भी नहीं है। इसी गाँव में अन्य जाति के लोग डेढ़-डेढ़ बीघे के लंबे चौड़े मकानों में रह रहे हैं। एक कमरे के तीन-तीन हिस्से करके लोगों को मर्यादा में रहना पड़ रहा है। स्थानीय भोमियों ने मीणों के बाड़े तलवारें दिखा-दिखाकर उनसे छीन लिए गये। इस संबंध में राजकीय क..र्यालय में आपत्ति-पत्र भी दिए गए, परन्तु सब व्यर्थ गये।

इस संबंध में मीणा सुधार समिति का एक शिष्ट-मण्डल अध्यक्ष श्री गणपतराम बगराणा को नेतृत्व में राज्य के न्याय सचिव मेजर जनरल अमरसिंह से भेंट की। शिष्टमण्डल में प्रमुख प्रतिनिधि सर्व श्री अड़िसाल सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, भौरीलाल मास्टर, भगवत राम तथा राजेन्द्र कुमार जी अजेय थे। इस अवसर पर दोनों डी. आई. जी. पं. काशी प्रसाद एवं हुकूमत राय जी उपस्थित थे। न्याय सचिव को यह बताया गया कि यद्यपि जयपुर राज्य सरकार से जरायम पेशा कानून हटा दिया गया है, परन्तु अभी भी मीणों के नागरिक अधिकार पूरी तरह से नहीं मिले हैं। न्याय सचिव ने जनमत एवं पुलिस अधिकारियों की राय जानने के लिये एक संयुक्त कार्यक्रम बनाया। इसके अनुसार एक जुलाई को दौसा, पाँच जुलाई को फूलेरा तथा 6 जुलाई को नीम के थाने में सभा आयोजित की। तीनों स्थानों पर न्याय सचिव का भव्य स्वागत हुआ। इन सभी सभाओं में संबंधित क्षेत्र के सभी पुलिस निरीक्षक आदि पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हुये।

सभाओं में सैकड़ों की संख्या में जनता तथा मीणा समुदाय के लोग भी थे। मीणा सुधार समिति के मंत्री लक्ष्मीनारायण व सभी कार्यकर्त्ता इन सभाओं में सर्वदा उपस्थित रहते थे। उपस्थित जन समुदाय ने न्याय सचिव के समक्ष चोरी के संदर्भ में अपना दुख दर्द प्रकट किया। इस पर मीणा सुधार समिति के प्रतिनिधियों ने जनता के कष्टों के कारण स्पष्ट करते हुये बताया कि चौकीदारी प्रथा समाप्त हो जाने से सरकार ने इसका कोई विकल्प तैयार नहीं किया। अत: गाँव के लोग स्वत: ही असुरक्षित हो गये। अत: सरकार से निवेदन है कि चौकीदारी एक्ट के अनुसार राज्य की ओर से चौकीदार नियुक्त नहीं होने से यह अव्यवस्था हुई है। समिति की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि कोई मीणा अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे राजकीय नियमानुसार दण्ड दिया जाये। हम उसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। वैसे मीणा सुधार समिति ने चरित्र-निर्माण के लिए अनेक कदम उठाये हैं। समिति का विरोध तो केवल यहाँ तक सीमित है कि अनुचित रूप से मीणों के साथ मार-पीट नहीं की जाये। उनको सभी नागरिक अधिकार मिले। स्वतंत्र भारत में अपराधी जनजाति कानून के अनुसार किसी को अपमानित करने को समिति कभी सहन नहीं करेगी।

न्याय सचिव का मार्मिक भाषण:- न्याय सचिव ने अपने सार गर्मित भाषण में बताया कि जयपुर राज्य सरकार जरायम पेशा कानून को समाप्त कर चुकी है। इसके अतिरिक्त मीणा सुधार समिति स्वयं आगे

बढ़कर समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास् कर रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग को समिति के कार्य में सहयोग देना चाहिए और पुलिस को पूर्वाग्रह त्यागकर, जनसेवा में लग जाना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मीणा सुधार समिति पुलिस विभाग के कार्य की ही सहायता कर रही है।

जनता की आपत्तियों के विषय में न्याय सचिव ने कहा कि आपके कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जयेगा क्योंकि सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब राज्य सरकार पर है। मेरी तथा जयपुर राज्य सरकार की निश्चित धारणा है कि केवल जाति के नाम पर किसी जाति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपने पुर जोर शब्दों में कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में जरायम-पेशा कानून स्वत: ही समाप्त हो जाता है। न्याय सचिव ने अपने भाषण में मीणों को कहा कि मीणा समाज के जीविकोपार्जन के लिए राज्य की ओर से भूमि व लघु उद्योग चलाने के लिए धनराशि दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। सरकारी सेवा में इनको लिया जायेगा तथा शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेंगे।

न्याय सचिव ने पुराने वास के मीणाओं के घर भी देखे और बहुत ही दु:ख के साथ कहा कि ''जिस प्रकार के मकानों में मीणा लोग रहे हैं। उनमें तो मेरे कुत्ते भी रखना पसन्द नहीं करूँगा'' आपने विश्वास दिलाया कि पुरानेवास व नयेवास के मीणों की स्थिति सुधारने के लिए मकान के लिए भूमि व कृषि के लिए भूमि दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। 19 जुलाई को इसी संदर्भ में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री गणपतराम बगराणा ने न्याय सचिव से भेंट की और दौसा फुलेरा और नीम के थाने में हुई संयुक्त बैठकों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद मीणाओं की समस्याओं पर निर्णायक वार्ता हुई। न्याय सचिव व शिष्टमण्डल इसी निर्णय पर पहुंचे कि जाति के आधार पर किसी को चोर सिद्ध नहीं किया जा सकता। बिना किसी भेदभाव के दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये।

प्रजामण्डल सम्मेलन 1948

इससे पहले 29, 30 जून 1948 को जयपुर में आयोजित प्रजामण्डल कार्यकर्त्ता अधिवेशन में भी मीणा सुधार समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अपने भाषण में मीणा सुधार समिति द्वारा किये जा रहे रचनात्मक कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया और बताया कि चोरी, मद्यपान, भद्दे-गाने आदि छुड़ाने के लिए समिति भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए बालकों की अनिवार्य शिक्षा का भी अपने स्तर पर समिति काम कर रही है। इसके अतिरिक्त सुधार समिति के स्वयं सेवक जत्थे गाँव-गाँव जाकर लोकतंत्र व मानवीय अधिकारों का धुआँधार प्रचार कर रहे है। जयपुर राज्य की जनसंख्या के दसवें भाग से भी अधिक मीणों की जनसंख्या है। मीणा समाज इस तरह से कम से कम 600 गाँवों में कांग्रेस का संदेश पहुंचा रहे हैं।

प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री से भेंट:- 19 जुलाई को न्याय सचिव से मीणा सुधार समिति की सार्थक वार्ता के बाद शिष्टमण्डल ने 21 जुलाई प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री श्री पूर्णचन्द जैन से भेंट की। मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने राज्य सरकार से हो रही बातचीत का पूर्ण विवरण श्री पूर्णचन्द को दिया। मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री से यह भी निवेदन किया कि यद्यपि राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 1947 में ही जरायम पेशा कानून को हटाने की घोषणा कर दी है, परन्तु राज्य की धारा सभा में इसका अनुमोदन हो जाये तो अच्छा रहेगा। श्री पूर्णचन्द जी ने उदारता पूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तदनन्तर धारा सभा के प्रजामण्डल दल के सदस्य श्री गोविन्द नारायण झालानी को इस संदर्भ में सूचना भेज दी गई।

गोविन्द नारायण झालानी ने जरायम पेशा कानून को समाप्त करने का प्रस्ताव रखना सहर्ष स्वीकार कर लिया।

मत्स्य प्रदेश के मंत्री से भेंट:- मीणा सुधार समिति अपने रचनात्मक कार्यों के साथ-साथ शासन की ओर से मीणा जाति को सुविधा जुटाने में अनवरत रूप से लगी रहा। मत्स्य प्रदेश जहाँ पर मीणों का अतीत में गौरवपूर्ण शासन था, वहाँ उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। यहीं पर सर्वप्रथम जरायम पेशा कानून लागू हुआ था, जो स्वतंत्र भारत में भी निर्बाध रूप से चलता रहा। मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने मत्स्य संघ के शिक्षामंत्री श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी से भेंट की और उन्होंने मीणा जाति के बालकों को छात्रवृत्ति देकर शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिये निवेदन किया जिस श्री चतुर्वेदी जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मीणों को नागरिक अधिकारों के विषय में भी विस्तार से चंर्चा की गई। जयपुर रियासत में जरायम पेशा कानून हटाने की भी जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री जी ने कहा मत्स्य संघ में भी इस कानून को हटाने के लिए शीघ्र ही गजट में प्रकाशित करा दिया जायेगा। श्री चतुर्वेदी ने मीणा जाति को नागरिक तथा सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की सभी अवसर प्रदान कराने में पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। ता. 15 अगस्त, 1948 को मीणा जाति पर लगाए गए जरायम पेशा कानून राजपत्र में प्रकाशित मत्स्य प्रदेश सरकार समाप्त कर दिया।

सर मिर्जा इस्माइल से भेंट 1948

तीन नवम्बर 1948 को नाटाणियों के बाग में सायंकाल 6 बजे पं.बंशीधर शर्मा और लक्ष्मीनारायण झरवाल ने जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल से भेंट की। सर मिर्जा से निवेदन किया कि 10 अगस्त 1946 को ही जरायमपेशा कानून राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है फिर भी राज्य पुलिस निर्दोष मीणों का दमन कर रही है। दादरसी कानून एवं दफा 28 के अन्तर्गत उनकी जीविका के सभी साधन छीन लिए गए हैं। दफा 28 के अन्तर्गत मीणा जाति ऊंट का प्रयोग किसी रूप में नहीं कर सकती। इस तरह उन्हें खेती करने व माल को ढोने में कठिनाई हो रही है।

अत: आपसे निवेदन है कि पुलिस के अत्याचारों को रोकने का आदेश प्रदान करें। इसके बिना उनका स्वाभिमान एवं स्वतंत्र नागरिक की भाँति जीवन व्यतीत करना दूभर हो रहा है। सर मिर्जा ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इन अत्याचारों को रोका जायेगा ताकि मीणा जाति भी अन्य जातियों की भाँति अपने समान नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। सर मिर्जा ने मीणों की बातें ध्यान से सुनी और शीघ्र ही मीणा जाति पर होने वाले अत्याचार बन्द करने के लिए पुलिस विभाग को आदेश प्रसारित कर दिए जाएंगे।

न्याय सचिव से संदेह निवारण के लिए भेंट ।1948

यद्यपि जरायमपेशा कानून 10अगस्त 1946 को समाप्त हो चुका था परन्तु जनता व सरकार का यह संदेह बरबार बना रहा कि अधिकांश चोरियों में मीणा जाति का हाथ है। इसी कारण निर्दोष मीणों को पुलिस कैम्पों में एकत्रित किया जाता है और अकारण उनके साथ मारपीट की जाती है। इसके लिये मीणा सुधार समिति के एक शिष्टमण्डल ने न्याय सचिव मेजर जनरल रावल श्री अमर सिंह से 26 जून 1948 को सचिवालय में भेंट की। शिष्टमण्डल में मीणा सुधार समिति के मुख्य कार्यकर्ता श्री अडिसाल सिंह, सुल्तान सिंह कोटपूतली एवं राजेन्द्र कुमार अजेय, लक्ष्मी नारायण झरवाल, सुरजा राम आदि थे। इस

अवसर पर पुलिस के उच्चाधिकारी डी.आई.जी., थानेदार श्री काशीप्रसाद एवं हुकमत राय भी उपस्थित थे।

शिष्टमण्डल के सुझाव पर न्याय सचिव ने सरकारी तथा मीणा समिति के सदस्यों का एक संयुक्त जांच दल बनाया। यह दल जुलाई 1948 को दौसा, 5 जुलाई को फुलेरा और 6 जुलाई को नीम का थाना पहुंचा और सभायें की। सभा में पुलिस अधिकारी एस.पी. एवं इन्स्पेक्टर आदि भी उपस्थित रहते थे। जनता भी सभा में भारी संख्या में उपस्थित रहती थी। जनसभा ने अपने यहां होने वाली विभिन्न चोरियों की न्याय सचिव से शिकायत की। इस सम्बन्ध में मीणा सुधार समिति ने स्पष्ट कर दिया कि हम चोरों का पक्ष कभी नहीं लेंगे। हमारा उद्देश्य लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकना है। अत: हम चोरी का पता लगाने में पुलिस की पूरी मदद करेंगे। इस सम्बन्ध में जहां की शिकायतें थी, उस गांव में मीणा सुधार समिति के सदस्य स्थानीय थानेदार के साथ गए और चोरियों का पता लगाया। इस प्रसंग में यह सत्य भी उजागर हुआ कि चोरियों कराने में पुलिस का भी हाथ है। वह चोरों को भेंट-पूजा लेकर प्रोत्साहन देती है। वह ही कुछ असामाजिक मीणा युवकों को फुसला कर अपने स्वार्थ के लिए चोरियां करवाती है।

मीणा सुधार समिति ने अपने स्तर पर चोरी का पता लगाया और उन्हें दण्ड देने के लिए न्याय सचिव से प्रार्थना की। इसके साथ ही सुधार समिति ने न्याय सचिव से यह भी निवेदन किया कि इसमें तो संदेह नहीं है कि चौकीदारी प्रथा समाप्त होने पर चोरियां बढ़ी हैं। अत: यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि जनता की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करें। मीणा सुधार समिति भी उसे हर सम्भव सहायता देगी। यह बात सुनकर न्याय सचिव ने अपने भाषण में पुलिस को सम्बोधित करते हुए कहा कि मीणा सुधार समिति तो आपका ही काम कर रही है। अत: सुधार समिति से निरन्तर सम्पर्क रखकर चोरियों को रोकने का पूरा प्रबन्ध किया जाये।

जनता को सम्बोधित करते हुए न्याय सचिव ने कहा कि आपकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जायेगा। परन्तु किसी भी स्थिति में मीणा जाति पर जरायमपेशा कानून लागू नहीं किया जा सकता। वे अब भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। चोर किसी भी जाति का हो सकता है। इसी अवसर पर फुलेरा रेल्वे स्टेशन पर लोकनायक जयनारायण व्यास से भेंट हुई। खादी के धवल वस्त्रों में सुशोभित व्यासजी कंधे पर थैला लटकाये अपनी सादगी व सौम्यता का परिचय दे रहे थे। प्लेटफार्म पर श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय और अड़िसाल सिंह आदि मीणा सुधार समिति के नेताओं से जरायमपेशा कानून के सन्दर्भ में उनकी लम्बी बातचीत हुई। श्री व्यासजी ने बताया कि जोधपुर राज्य में जरायमपेशा कानून 1925 से ही लागू है। मारवाड़ हितकारी सभा के अनेक सदस्यों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। हमें संगठित होकर इस अमानवीय कानून का विरोध करना चाहिए। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला भी कम दोषी नहीं है। आनन्द राज सुराणा, बछराज आदि को भी पुलिस में हाजरी देने को बाध्य कर रखा है। श्री झरवाल ने बताया कि जयपुर राज्य में 10 अगस्त, 1946 से कानून समाप्त हो चुका है। परन्तु एम.पास तथा दफा 28 के अन्तर्गत मीणा जाति को सताया जा रहा है। निर्दोष मीणों को दुबारा काले कानून के फंदे में फंसाने का पुलिस का असफल प्रयास चल रहा है जिसके विरोध में दौसा, फुलेरा, नीमकाथाना एवं कई जगह पर मीटिंगों का आयोजन मीणा सुधार समिति के द्वारा किया जा रहा है।

पुष्कर में मीणा सम्मेलन 1948

22, 23 मई, 1948 को अजमेर के निकट भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल पुष्कर में रावत मीणा समाज का सम्मेलन अजमेर कांग्रेस के अध्यक्ष पं. ज्वाला प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संयोजक अजमेर निवासी श्री लालसिंह पोकरिया थे। सम्मेलन में जयपुर मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं कोषाध्यक्ष श्री अड़िसाल सिंह भी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। सम्मेलन में श्री स्वामी श्री कर्णपुरी जी के प्रेरणादायक, भजन एवं भाषण का भी आयोजन हुआ।

सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि मीणा जाति स्वयं भारत की एक आदिवासी जनजाति है। अत: मीणों को राजपूत बनाने का प्रयत्न अवांछित है। अत: इसके इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समस्त राजस्थान में मीणाओं का एक छत्र राज्य था। विश्वासघात करके राजपूतों ने मीणों से राज्य छीना है। अत: अब पुन: राजपूतों के धोखे में नहीं आना चाहिए। मीणा जाति में रहने से सदियों से मीणा सरदार अपने गौरव का अनुभव करते आये हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ''स्वजाति निधनम् श्रीयम्''। पुष्कर में मीन भगवान की स्थापना की गई। पुष्कर में मीणा धर्मशाला का भवन बनाया गया और मत्स्य मीन भगवान का मन्दिर बनाया गया और मूर्ति स्थापित की गई इस योजना में फूलेरा, सांभर, दूदू पुष्कर के रावत मीणों सरदारों से धन इकट्ठा किया। हर वर्ष मीणा व रावत मीणा पुष्कर मेला में इकट्ठा होकर सत्संग सम्मेलन करते हैं।

अजमेर-मेरवाड़ा व मालवा प्रान्त में प्रचार- अजमेर मेरवाड़ा के लगभग पच्चीस हजार मीणा सरदारों को राजपूत जाति में मिलाने का प्रयास किया गया। रावत लोग भी शुद्ध रूप से मीणा जाति के ही हैं। परंतु मीणा व रावतों में भेद करने का भी षड़यंत्र रचा जा रहा था। इसकी सूचना जब वहाँ प्रतिष्ठित मीणा सरदार अजमेर निवासी श्री लालसिंह पोरवारिया ने मीणा सुधार समति जयपुर के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरबाल को दी। तब श्री लक्ष्मीनारायण व समिति के कोषाध्यक्ष श्री अड़िसाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ उस क्षेत्र में पहुंचे। श्री झरबाल एवं अडिसाल सिंह ने संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिये चित्तौड़गढ़, नीम का थाना, सरवाड़ (ग्वालियर) मलरागढ़, कनकघाटी आदि मालवा संघ के प्रमुख स्थानों तक पहुँचे और मीणा सरदारों से संपर्क किया। संगठन का विस्तार और उसमें नवजीवन का संचार करने के लिए श्री अड़िसाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें आस-पास के मीणा सरदारों की एक पंचायत की स्थापना की गई। उसी समय चुनाव भी किया गया। श्री लालसिंह पोखारिया सभापति, श्री शंकरलाल उसारा उपसभापति, श्री कालूराम बोस प्रधानमंत्री एवं श्री चुन्नीलाल किरीट संयुक्त मंत्री मनोनीत किए गए। कार्यकारिणी के सदस्यों ने मद्यपान न करने की प्रतीज्ञा की और अपने-अपने क्षेत्र में शराब बन्दी आन्दोलन चलाने का भी निर्णय किया गया। यहाँ पर यह भी घोषणा की गई कि सभी मीणा जाति एक है और इसमें भेदभाव उत्पन्न कर समाज में फूट डालना कलंक की बात है।

एकता में बाधक लोगों ने रावतों को एक विशेष श्रेणी के मीणा वर्ग ने मानना प्रारम्भ कर दिया, जब वस्तुस्थिति यह है कि इन सभी का उद्‌गम स्थल एक ही था और सभी ''मीन'' भगवान के वंशज है। अत: रावत व मीणों में अन्तर मानना वास्तविक नहीं है।

जयपुर के इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी अधिक है कि यहां पर अनेक समाज सेवी नि:स्वार्थ भावना से कार्य करने में लगे हुए थे इसका परिणाम था।

नीवाणा सम्मेलन मे पंचायत का निर्णय

1948

जैसाकि आप पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके हैं कि मीणा सुधार समिति का कार्य केवल नागरिक अधिकार ही प्राप्त करना नहीं था वरन् मूल रूप में नागरिकों के चरित्र में सुधार लाकर मीणों को आदर्श चरित्रवान नागरिक बनाना था। राज्य स्तर पर यह काम संभव नहीं समझकर मीणा सुधार समिति के अंतर्गत न्याय पंचायत की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा कितने ही दोषी मीणा बन्धुओं को जाति से बहिष्कृत करके आर्थिक दण्ड भी दिया गया। ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण फैसला नीवाणा पंचायत सम्मेलन में किया गया।

दिनांक 9 तथा 10 जनवरी 1948 को मूलचन्द अग्रवाल चरखा संघ की अध्यक्षता में मीणा सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्घाटन प्रसिद्ध क्रांतिकारी- किसान आन्दोलन के प्रणेता श्री विजय सिंह के पथिक के कर कमलों से हुआ। सम्मेलन में जातीय सुधार के संदर्भ में अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। दूसरे दिन सुधार पंचायत की महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। असामाजिकता को दूर करने के लिए प्रस्ताव पारित किये गये और उसमें देशपाण्डे और श्री लक्ष्मीनाराण झरवाल आदि के प्रभावशाली लोगों के भाषण हुए।

जयपुर में मीणा की विराट सभा 1948

7 एवं 8 अगस्त 1948 को तीज माता के मेले पर यह सभा आयोजित हुई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य जयपुर में तीज के मेले के अवसर पर अश्लील नाच-गान को रोकना था। इस संदर्भ में जयपुर सुधार समिति के अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित सज्जनों ने मीणा समाज के नाम एक अपील जारी की, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार ह।

मीणा सरदारों:- संसार की लगभग सभी जातियाँ उन्नति की ओर अग्रसर हैं। स्वतंत्र भारत में ये जातियाँ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। परन्तु खेद है कि मीणासमाज अब तक सोया हुआ है। अशिक्षा व कुरीतियों के अंधकार में डूबा हुआ है।

अपनी माताओं व बहिनों को अपमानित करने वाले, नाच-गाने तथा पुराने ढंग का पहनावा हमारी वीर जाति को शोभा नहीं देता। आपको यह जानकार प्रसन्नता होगी कि कदम कुण्डी, महावीर जी, कल्याण जी के मेलों में, लाखों की संख्या में उपस्थित मीणा सरदारों ने भद्दे गाने व नाच-कूद बन्द कर जाति का गौरव बढ़ाया है। मीणा सुधार समिति उन सभी सभ्य लोगों कालू पटेल बामनवास, राम कुमार सूरवाल, लक्ष्मी पटेल उकड़ू को हार्दिक धन्यवाद देती है। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को मानकर समाज के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया है।

जयपुर में तीज के मेले में आने वाले मीणा बन्धुओं से प्रार्थना है कि वे स्वयं इस प्रकार के अश्लील कार्यक्रम में भाग न लें और न किसी अन्य को लेने दें। आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भाँति तीज माता के मेले के अवसर पर हवामहल की चौपड़, माणक चौक के खन्दे में रात्रि 8 बजे प्रतिवर्ष सभा होगी। अत: आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की कृपा करें। यह भी निवेदन है कि प्रतिवर्ष की भाँति 29 सितंबर को सुल्ताना शहीद दिवस अवश्य मनावें।

बड़वा सम्मेलन 1948

19, 20 तथा 21 मार्च 1948 को अजमेर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रसिद्ध क्रांतिकारी पं. ज्वाला प्रसाद शर्मा के सभापतित्व में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्‌घाटन जयपुर मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार अजेय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में सात हजार 342 जनता उपस्थित थी। अजमेर, अलवर, शाहजहाँपुर, भरतपुर, कोटा आदि स्थानों के मीणा प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में आये हुये थे। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतृत्व में सत्याग्रह शेखावाटी के रणबाँकुरे वीर सिपाहियों का एक दल भी वहाँ आया हुआ था। वहाँ उनको फूलमालाओं से लाद दिया गया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व भगवताराम और हरसहाय कर रहे थे।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मीणा समाज में चौकीदार, जमींदार, भेदभाव मिटाकर एकता की स्थापना करना था। इस संबंध में श्री अड़िसाल सिंह श्री भैरवलाल काला बादल, श्री बद्रीप्रसाद दुखिया के भजन एवं संगीत का कार्यक्रम हुआ और ठनके प्रभावशाली भाषण हुए। शाहजहाँपुर के श्री छाजूसिंह, जयपुर के श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री सुल्तानसिंह सीरा, सीकर के श्री भगवताराम, अजमेर से श्री लालसिंह रावत पोकरया, श्री भंवरलाल जेफ बागावास, भरतपुर से श्री अर्जुनसिंह, बस्सी से श्री झूँथालाल ठेकेदार के ओजस्वी भाषण हुये। रामसहाय पटेल नागल बस्सी, श्री नारायण राणी जी के खुवा आदि ने भी समाज की एकता और असामाजिक कुरीतियों को खत्म करके आदर्श नागरिक बनाकर आजादी की लड़ाई में सक्रिय होना और देश को आजाद कराने का प्रण करने पर अपने विचार रखे।

सभी मीणा भाईयों ने अपने आपसी भेदभाव भूलाकर एक जुट रहने की प्रतिज्ञा की। चौकीदार एवं जमींदार मीणों में कोई भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त पशुबलि पर प्रतिबंध लगाने का गंभीरता से विचार हुआ। दौसा क्षेत्र में दशहरे के दिन भैंसे के बलिदान करने की पुरानी प्रथा थी। इसके विरूद्ध मीणा सुधार समिति के स्वयं सेवकों ने सत्याग्रह किया। फलस्वरूप भैंसे की बलि बन्द करने की बात इस क्षेत्र के मीणों ने स्वीकार कर ली। गाँव के सभी जातियों पर भी इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा।

20 मार्च 1948 के इस सम्मेलन में निकट भविष्य जयपुर राज्य में होने वाले उत्तरदायी शासन की स्थापना पर प्रसन्नता प्रकट की गई। इसे जयपुर राज्य की जनजागृति का प्रतीक माना गया। यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता प्रिय मीणा जाति सर्वदा की भाँति सामाजिक शोषण व अन्याय के विरूद्ध प्रजामण्डल का साथ देती रहेगी।

हल्देना में विराट मीणा सम्मेलन 1948

25 अप्रैल 1948 श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उद्घाटन भरतपुर प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री राजबहादुर के कर कमलों से हुआ। इसमें मीणा समाज में व्याप्त ऊँचा चुट्टा, गोजा, रहन-सहन तथा पहनावे संबंधी कुरीतियों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया गया। छुट्टी रखना, पैरों में पीतल के नेवरियाँ तथा शरीर को स्थान-स्थान पर गोदवाना बन्द करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। मीणा पर क्रीमिनल ट्राइब्स एक्ट समाप्त हो जाने से अब हमें प्रगति की ओर बढ़ना है। श्री राज बहादुर ने मीणा समाज से आग्रह किया कि बालकों को अधिकाधिक विद्यालयों में भरती करावें।

सम्मेलन में छोटू सिंह आकोला, श्री भीमासिंह कुम्हेर (भरतपुर) निवासी, कूकड़ के लक्ष्मण पटेल,

महुआ के गिरवरदास महुआ करनीदास, भौंरीलाल कानूनी, रामसिंह नौरावत, मण्डावर से बड़ा मर्दाना, सालोलनी का नाहरथा जाखीवाल कौलाना के उमराव नोगाड़ा वल्लभगढ़ से किशन मन्नू भी उपस्थित हुये। अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष करने से इनको काले पानी की सजा हुई थी। स्वतंत्रता के बाद वे वहां से छूटकर सीधे सम्मेलन में आये और जेल के अनुभव सुनाये। अध्यक्षीय भाषण में श्री झरवाल ने सामाजिक कुरीतियाँ छोड़कर शिक्षित होने पर बल दिया। ऊँचा चोटा, गोजा, नाच-कूद, अश्लील गाने आदि असामाजिक कृत्यों पर रोक लगाने की अपील की। जरायम पेशा कानून के विरूद्ध हाजरी न देने व इस काले कानून को न मानने के लिए प्रेरित किया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में योगदान 1948

इस सम्मेलन में राजस्थान मीणा सुधार समिति के तत्त्वावधान में स्वयंसेवकों ने सुरक्षा का समस्त भार संभाला। सभी बड़े नेताओं के शिविरों के सामान की सुरक्षा के लिये कार्यकर्त्ताओं ने बहुत उत्तरदायित्व से कार्य संपादित किया। ऐसे सुरक्षा का कार्य यह जाति सदियों से करती आई है। देशी राज लोक परिषद 1945 में भी मीणा स्वयंसेवकों ने सुरक्षा का कार्य किया था। श्री भैरवलाल काला बादल तो पं. जवाहर लाल नेहरू के कक्ष के प्रहरी थे। इस सम्मेलन में राजस्थान मीणा सुधार समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतृत्व में लगभग 100 स्वयंसेवकों ने कई दिन प्रहरी का कार्य किया और राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों से आए हुए चोर, बदमाशों व नकबजनों को जो इस अधिवेशन में आसामाजिक कार्य करने आए हुए थे उन्हें पकड़ कर सजा दिलाई गई और अनेक चोरियाँ भी पकड़ी गई। कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार मीणा सेवा संघ अपना कार्यक्रम चलाता रहा।

इस अवसर पर सर्वोदय नेता महान् तपस्वी श्रद्धेय बिनोबा भावे को मीणा छात्रों के छात्रावास के लिए श्री सोहनलाल दुगड़ ने पन्द्रह हजार रुपये भेंट किये। इस राशि से चार कमरे बनाये गये। इसका नाम विनोबा ज्ञान मंदिर रखा गया। निर्माण कार्य में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। आजकल इस भवन में सर्वोदय कार्यकर्त्ता कार्य कर रहे हैं।

स्वयंसेवकों में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, जयपुर, श्री अड़िसाल सिंह कोटपूतली तथा श्री भगवताराम बूनस सीकर, राजेन्द्र कुमार ने नेताओं के शिविरों की रात दिन चौकसी की, जिसकी सरदार पटेल आदि नेताओं ने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

चाकसू मीणा समाज का वृहद सम्मेलन 1949

शीलमाता के मेले के अवसर पर श्री झूथालाल नाढ़ला की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें बैरवा, चमारों तथा मीणों के बीच फैली कटुता को मिटाकर परस्पर सौहार्द उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया गया। सम्मेलन में पचास हजार लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर यहाँ 'मीणा पंचायत धर्मशाला' का निर्माण करवाया गया जिसका उद्‌घाटन लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर ने किया।

सम्मेलन की वृहद श्रृंखला:- राजस्थान मीणा समिति के संगठन व जागृति के कारण लगभग प्रतिवर्ष विभिन्न स्थानों पर मीणा सम्मेलन आयोजित होने लगे। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य समाज में अंधविश्वास तथा कुरीतियों को छुड़वा कर उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना था।

स्वतंत्रता के बाद तो इस प्रकार के सम्मेलनों की झड़ी लग गई। पापड़ा (त. दौसा) सूरवाल (त.

सवाई माधोपुर), बामनवास (त. सवाई माधोपुर), पीलोदा (त. नारोती), झारेड़ा (त. हिण्डोन) टोडाभीम सिकराय, मानपुर (त. सिकराय) तथा उकडूंदू (त. महुवा) में श्री शिव बक्स करौल, श्री अड़िसालसिंह, राणोली (जि. टोंक) में स्वामी वल्लभानन्द की अध्यक्षता में भी एक विशद सम्मेलन हुआ। इसमें जाति सुधार के साथ शिक्षा प्रसार पर अधिक बल दिया गया और चरित्र निर्माण को प्रधानता दी गई।

30.11.52 को न्याय पंचायत की बैठक

इस दिन स्वामी वल्लभानन्द महामण्डलेश्वर की अध्यक्षता में न्याय पंचायत की बैठक हुई। इसमें अनेक प्रकार की आपत्तियाँ जनता द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें कुछ आपत्तियाँ पुलिस के विषय में थी, जिसने घूँस लेकर चोरी की घटनाओं को दबाने का काम किया।

अत: इन सभी आपत्ति प्रतियों को आवश्यक कार्यवाही के लिये श्री डी. आई. जी. साहब के पास भेज दिये और उनसे निवेदन कर दिया जाय कि दोषी व्यक्ति चाहे कोई भी हो उसे कठोर दण्ड दिया जावे। मीणा सुधार समिति का उद्देश्य मीणों में सुधार लाना है। डी. आई. जी. को अपराधियों की लंबी सूची दी गई, परन्तु इनको दण्ड देने में बिलम्ब को देखकर न्याय पंचायत ने अपने स्तर पर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की व्यवस्था की। पंचायत ने प्रत्यक्ष रूप में चोरी के आरोप चोरी में सहायता करने तथा पुलिस की दलाली करने वालों की एक सूची बनाई और इनके साथ खान-पान हुक्का-पानी तथा आरा मोसर में बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।

न्याय पंचायत के समय चंदलाई तथा आस-पास के क्षेत्र के पंच, पटेल, मुखिया सरदार, सेठ साहूकारों ने सम्मेलन में अपने तन-मन-धन से सहयोग दिया। इसके लिए समिति ने इन महानुभावों के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट किया। उपस्थित महानुभावों ने आगे भी सुधार कार्य में पूरा सहयोग देने का पूर्ण आश्वासन दिया। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री महादेव चन्दलाई, व स्वागतमंत्री श्री सांवतराम मीणा के कार्यों की भी प्रशंसा की गई और उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया गया।

चंदलाई सम्मेलन 1952

राजस्थान मीणा सुधार समिति मीणा समाज की उन्नति के लिए निरंतर अग्रसर रही और समय-समय पर इस जाति पर होने वाले अन्याय को सर्वदा चुनौती देती रही। इस संदर्भ में 29 नवंबर 1952 को चंदलाई (जिला जयपुर) में जयपुर के समाज सुधारक एवं जनसेवक वैद्य पं. विजय शंकर शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पाँच प्रस्ताव पारित किये। सर्वप्रथम राजस्थान सरकार द्वारा मीणा जाति की उन्नति के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा की गई। इस संदर्भ में वैद्य गोपालदत्त ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया ''राजस्थान मीणा सुधार समिति के तत्त्वावधान में होने वाला यह मीणा सम्मेलन राजस्थान सरकार के प्रति अपनी पूर्ण आस्था प्रकट करता है और पिछड़ी जातियों के प्रति सरकार ने जो कुछ भी अब तक किया है, उसके लिए उसे धन्यवाद देता है। साथ ही आगे मांग करता है कि मीणा जाति की गिरी हुई हालत को देखते हुए इसकी बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सरकार अधिक उदारता से काम लें'' प्रस्ताव का समर्थन मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने किया और बताया कि अभी मीणा जाति के लिए बहुत कुछ करना है।

प्रस्ताव नं. 2 ''राजस्थान मीणा सुधार समिति के तत्त्वावधान में होने वाला यह सम्मेलन धारा सभा

के गत अधिवेशन में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये 'अभ्यस्त अपराधी बिल' का विरोध करता है। सम्मेलन की दृष्टि से यह बिल मीणा जाति को समाज के साधारण स्तर से भी नीचे ले जाकर खड़ा कर देगा, वहाँ पुलिस को सभ्य मीणा लोगों को व्यर्थ में तंग करने एवं अपमानित करने का अवसर मिल जायेगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अर्थात् जरायम पेशा कानून को हटाकर सरकार ने जो अब तक प्रयास किये हैं उन सभी पर इस बिल से पानी फिर जायेगा। मीणा जाति के वर्षों के आन्दोलन से नागरिक अधिकार प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार ने अब तक इस जाति की उन्नति के लिए जो धनराशि व्यय की वह भी व्यर्थ चली जायेगी। इस बिल की इस धारा के प्रति सम्मेलन का विरोध है कि'' मीणा जाति को एक बार और अन्य जाति को तीन बार सजा प्राप्त करने वाले को अभ्यस्त अपराधी मान लिया जायेगा। इस तरह से यह बिल हटाकर पुनः जरायम पेशा कानून को जीवित करना है। इस प्रकार के बिल से स्पष्ट रूप से मीणा जाति के नागरिक अधिकारों पर क्रूर कुठाराघात होता है। अतः राजस्थान सरकार से मांग करता है कि -

(क) यह क्रूर कानून है, इसे स्वीकार न किया जाये।

(ख) अगर स्वीकार किया जाता है तो निम्न बिन्दुओं को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाये -

1. अभ्यस्त अपराधी मान फिर से सभ्य नागरिक किन शर्तों को पूरा करने पर बन सकता है, इनका कानून में स्पष्ट उल्लेख हो।

2. एक बार तथा तीन बार सजा की भेदनीति कभी व्यवहार में न लाई जाये।

3. अभ्यस्त अपराधी होने पर उसको आरोपित अपराध को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार दिया जाये।

4. अवधि में एक माह का जो समय रखा गया उसे हटा दिया जाये।

5. ऐसी भी व्यवस्था हो कि अपराधी का चालान अवश्य किया जाये। इसके अभाव में पुलिस घूँस लेकर अपराधी को छोड़ देती है। इससे अपराध बढ़ते हैं।

6. सरकार ऐसे लोगों के लिये भी बिल में कोई व्यवस्था करें कि जो दिन रात चोरी में लगे रहते हैं, परन्तु पुलिस की मिलीभगत के कारण उनकी चोरी प्रकाश में नहीं आती। वे चोरी के धन्धे में लगे रहते हैं। इससे सभी मीणा जाति बदनाम होती है। उन्हें सुधार के लिये सैटलमेन्ट किया।

7. उपर्युक्त स्पष्टीकरण से यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि मीणा सुधार समिति चोरों को बचाना चाहती हैं। इस संबंध में मीणा सुधार समिति यह प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। ''राजस्थान मीणा सुधार समिति'' इस संबंध में सरकार व पुलिस की पूरी सहायता करेगी। परन्तु सरकार की सुधार समिति के स्वयं सेवकों के जीवन रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व लेना होगा। क्योंकि पहले भी हमारे दो कार्यकर्त्ता एवं एक मुखिया को नंगी तलवारों से मारने का प्रयास हो चुका। सरकार से प्रार्थना करने पर सरकार द्वारा इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया।'' प्रस्ताव श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने रखा और समर्थन श्री वल्लभानंद जी महा मण्डलेश्वर ने किया। श्री लक्ष्मीनाराया झरवाल एवं श्री गोपालदत्त वैद्य आदि ने प्रस्ताव से पूरी सहमति प्रकट की।

प्रस्ताव (3) आर्थिक संकट के कारण अपनी जीविका के लिए विवश होकर यदा-कदा चोरी करने वाले मीणाओं को सुधार के मार्ग पर लाया जाये और उनके लिए कृषि भूमि तथा उद्योगों की व्यवस्था की जाये। प्रस्ताव श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने रखा और समर्थन श्री बद्रीप्रसाद शाजहापुर (राजस्थान) वालों

ने किया।

प्रस्ताव (4) श्री भोमाराम थोलाई ने शराब, माँस, चोरी, चौकीदारी तथा अन्य कुरीतियों को त्यागने के लिये रखा। समर्थन मास्टर भैरूं लाल नरेणा वालों ने किया। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल मीणा सुधार समिति के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रस्ताव (5) अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें मीणा जाति के महान् सेवक स्वतंत्रता सेनानी श्री रामधन ग्राम हलदेना के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

ग्राम चाँदसेन (त. मालपुरा) में किसान सम्मेलन 1957

यह सम्मेलन 26.5.1957 तदनुसार मिति। जे बुदी द्वादस विक्रम संवत 2014 को चाँदसेन के पटेल श्री भँवरलाल के अध्यक्षता में संपादित हुआ। उद्‌घाटन श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, मंत्री राजस्थान, मीणा सुधार समिति के कर कमलों से किया गया। इसमें राजस्थान प्रदेश के दूर-दूर के क्षेत्रों से अनेक मीणा सरदार उपस्थित हुये। इसमें समाज सुधार के प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सर्व सम्मति से मद्यपान व अन्य सामाजिक कुरीतियों को त्यागने पर बल दिया गया। सम्मेलन के प्रमुख पदाधिकारियों का विवरण इस प्रकार है। श्री श्रवण लाल, उलूपुरा, स्वागताध्यक्ष, श्री चन्दालाल चाँदसेन स्वागत-उपाध्यक्ष, श्री लक्ष्मीनारायण स्वागत मंत्री, श्री नाथूलाल स्वागत उपमंत्री, श्री जगन्नाथ प्रसाद थावा, सदस्य स्वागत समिति, श्री घीसा राम, श्री कल्लाराम चाँदसेन, श्री मांगीलाल श्री राम बक्ष पटेल, रामदास स्वामी, अध्यक्ष रक्षादल, श्री कालू गाँव जेलमा, श्री पं. जगन्नाथ प्रसाद नागल जटबाड़ा स्वागत समिति के सदस्य थे। इसके अलावा हदमल चीता जो बहुत ही शक्तिशाली बहादुर हुए जिन्होंने राजपूतों को युद्ध में हराया था को भुलाया नहीं जा सकता।

पाटोली विराट मीणा सम्मेलन 1958

7 जनवरी 1958 को ग्राम पाटोली तहसील अलीगढ़ जिला टोंक में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मीणा जाति में फैली हुई कुरीतियों का निवारण करना, जाति में शिक्षा का प्रसार करना, कांग्रेस तथा जातीय संगठन को सुदृढ़ करना, आदिवासियों को प्राप्त सुविधाओं पर विचार कर उनको सुविधायें लेने के लिए प्रेरित करना, पिछड़ी हुई मीणा जाति के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस योजना बनाते हुए आगे का कार्यक्रम निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त जनहितकारी स्थानीय महत्त्वपूर्ण समस्याओं को हल करना। टोंक जिले की मीणा सुधार समिति का चुनाव कराना। इस सम्मेलन का समस्त आयोजन क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं द्वारा संपादित हुआ। इनमें श्री मोहनलाल पटेल, ऊंकार पटेल, बजरंग पटेल, नारायण पटेल, गंगा पटेल, हजारी पटेल, राम कंवर पटेल तथा रामकरण पटेल सरपंच ग्राम पाटोली का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

इस सम्मेलन में टोंक जिले के प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूरवाल से राम कँवर तथा मोड़ू पटेल, जगन्नाथ पटेल देवली, रामनारायण मांगूता पटेल काछीपुरा, धून्नीलाल पटेल अल्लीनगर, मोडू तथा नाथू पटेल चोरु, चिरंजी पटेल उनियारा हनुमान पटेल मुई, सूरजमल पटेल झोंदा ने जाति सुधार में तन-मन-धन से कार्य करने की प्रतिज्ञा की।

राजपूताना कार्यकर्त्ता सम्मेलन 1958

मीणा सुधार समिति का कार्य क्षेत्र का विस्तार निरंतर होता जा रहा था। जयपुर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लोग भी बहुत ही उत्साह से सुधार समिति के कार्यों से जुड़ने लगे। इस संदर्भ में समिति ने कोटा में अखिल राजपूताना कार्यकर्त्ता सम्मेलन आयोजित करना उचित समझा। फलस्वरूप 16 तथा 17 जुलाई, 1958 बयाना में कोटा समाज के प्रमुख नेता श्री मांगीलाल पराग की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि मीणा जाति के संगठन की दृष्टि से एक विस्तृत तंत्र की नितान्त आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। (1) राजपूताना में मीणा जाति के उत्थान के लिए केन्द्रीय संगठन की स्थापना की जाये। (2) राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा ही इस संगठन का झण्डा रहेगा। (3) इसका एक सार्वभौमिक विधान हो, इसके लिए शीघ्र विधान तैयार करने के लिए (लेखक) लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री मांगीलाल पराग और श्री राजेन्द्र कुमार अजेय की तीन सदस्यों की विधान निर्मात्री समिति बनाई जाती है। (4) संगठन का केन्द्रीय कार्यालय जयपुर ही होगा (5) जाति की गतिविधि को प्रकाश में लाने के लिए तथा राष्ट्रीय घटनाओं का जाति बंधुओं से परिचय कराने के लिए एक समाचार पत्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था की जाये। (6) जिन रियासतों में जरायम पेशाकानून समाप्त नहीं किया गया हो, वहाँ इसे तुरन्त समाप्त करवाने के कारगर कदम उठाये जाये।

सम्मेलन का वातावरण बहुत ही उत्साहवर्धक था। अध्यक्ष श्री मांगीलाल पराग का बयाना में भव्य विराट जुलूस निकाला गया। सायंकाल खुला अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें उपर्युक्त प्रस्तावों पर सर्व श्री भैरवलाल काला बादल, श्री भीमसैन विद्यार्थी, स्वामीजी श्री गंगदास, अड़िसाल सिंह तथा श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के सारगर्भित भाषण हुये।

टोंक क्षेत्र का दौरा:- टोंक रियासत में अभी जरायम पेशा कानून के अंतर्गत मीणा जाति पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। थाने में उपस्थिति न देने के कारण 104 मीणा बंधुओं के विरूद्ध वारन्ट निकाल रखे थे। टोंक क्षेत्र में जागृति लाने के लिए जयपुर सुधार समिति के कार्यकर्त्ता श्री धन्नाराम ने टोंक के ही समाजसेवी श्री रणजीत राम, गंगाराम आदि के साथ मिलकर क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और मीणा जाति को जरायम पेशा कानून का अन्त करने के लिए व्यापक संगठित आन्दोलन की प्रेरणा दी। इस कार्य में मीणा सुधार समिति जयपुर ने हर संभव सहायता देने का पूरा आश्वासन दिया। कालान्तर में टोंक शहर में घण्टाघर के चौक में मीणा जाति की एक विशाल सभा श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की अध्यक्षता में हुई जिसका विस्तृत विवरण विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

टोंक क्षेत्र का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जयपुर में जरायम पेशा कानून निरस्त होने पर भी इस क्षेत्र में यह कानून यथावत जारी था। अत: यहां लोगों को संगठित करना नितान्त आवश्यक था। मीणा सुधार समिति ने यह भी अनुभव किया कि जब-तक स्थानीय कार्यकर्त्ता इस काले कानून का विरोध करने के लिए तैयार नहीं होगे, तब-तक बाहर के कार्यकर्त्ता सार्थक नहीं रहेगें।

जयपुर नगर में विराट आदिवासी मीणा सम्मेलन 1959

8 तथा 9 अगस्त 1959 को तीज के मेले के अवसर पर लक्ष्मीनारायण झरवाल अध्यक्ष जयपुर आदिवासी मीणा सेवा संघ के तत्त्वावधान में एक विराट आदिवासी मीणा सम्मेलन लक्ष्मीनारायण झरवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तीज के मेले के अवसर पर गाये जाने वाले अश्लील गाने तथा नाच-कूद को रोकना था 18 अगस्त को कप्तान श्री छुट्टनलाल, श्री हरिकिशन सदस्य धारा सभा, श्री डूँगासिंह दरबान सदस्य धारा सभा, श्री नाथू लाल करोल सदस्य धारा सभा, श्री गोपी सहाय सदस्य धारा सभा, श्री कालू पटेल, श्री पृथ्वीराज बामनवास, श्री भंवर हांडा, श्री गजाघर मेठ सदस्य सभा, श्री भैरवलाल काला बादल कोटा, श्री भीमसिंह भरतपुर, श्री भरत लाल अलवर, श्री अड़िसाल सिंह कोटपूतली, श्री कृष्ण फुलेरा ने आदि महानुभावों ने सम्मेलन को संबोधित किया।

अध्यक्ष पद से श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि हमें राष्ट्रपिता म. गाँधी के सिद्धान्तों पर चलकर समाज को उन्नति की ओर ले जाना है। अध्यक्ष श्री झूँथालाल वर्मा ने मीणा सुधार समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। इसमें ग्रामीण अंचल के अनेक मीणा सरदार सम्मिलित हुए। जिनमें निम्नलिखित के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री झूँथालाल बर्मा बस्सी, श्री रामसहाय नांगल, श्री सॉवलराम खुर्रा, श्री महादेव चंदलाई, श्री हरसहाय लालगढ़, श्री छीतर जमारामगढ़, श्री महादेव झर, श्री रामनिवास गुढ़ा, श्री कल्याण बड़वा, श्री देवनारायण चतरपुरा, श्री रामदेव घी वाला, श्री गुलाब बर्फवाला, श्री नानगराम, श्री चन्दालाल जयपुर।

महलां आदिवासी किसान सम्मेलन 1960

27 मार्च 1960 को ग्राम महलां तहसील दूदू में यह सम्मेलन श्री किशन लाल वर्मा एम. ए. एल. एल. बी. की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उद्घाटन माननीय श्री भीखाभाई सिंचाई उपमंत्री के कर कमलों से हुआ। अन्य सम्मेलनों की भाँति इस सम्मेलन का उद्देश्य भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। शिक्षा प्रसार के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं पर विचार करना था। क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के निर्दोष मीणों पर पुलिस के बढ़ते अत्याचार रोकने के उपायों पर विचार किया गया। मीणा जाति के समग्र विकास की योजना पर भी सम्मेलन में विचार किया।

सम्मेलन में मीणा समाज को उन्नति की राह पर लाने वाले अनेक महानुभावों ने सम्मेलन को संबोधित किया। इनमें श्रीमाधोपुर प्रजामण्डल के सर्वोदय नेता श्री पं. बंशीधर शर्मा मीणा सुधारसमिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री अड़िसाल सिंह मत्स्य कोटपूतली, श्री झूँथालाल वर्मा बस्सी, श्री हरसहाय मीणा नयाबास, श्री कृष्ण मत्स्य हिरणोदा, श्री बद्रीप्रसाद दु:खिया, प्रचारक श्री धर्मपाल तथा श्री सांवल राम खुर्रा ने संबोधित किया। श्री पं. बंशीधर व श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने मीणा जाति की एकता पर विशेष बल दिया।

सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री खुमाणाराम बोराज, स्वगातमंत्री, श्री नारायण निवासी महलां तथा व्यवस्थापक श्री नाथूराम नेता गाँव रेवटा का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय रहा।

मीणा प्रतिनिधि सम्मेलन रींगस 1966

राजस्थान मीणा सेवासंघ के तत्त्वावधान में दिनांक 10.12.1966 को श्री पं. बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्घाटन विधानसभा सदस्य एवं सर्वोदय कार्यकर्त्ता श्री मुक्तिलाल मोदी के कर कमलों से किया गया। श्री बंशीधर के अस्वस्थ होने पर श्री भैंरू लाल कालाबादल विधानसभा सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया।

उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने बताया कि 14वीं सदी तक राजस्थान में मीणा जाति का राज्य था। कछावा राजपूतों ने विश्वासघात करके धोखे से मीणाओं के राज्य को नष्ट कर दिया। फिर कभी यह जाति उठ न सके इसके लिए अंग्रेजी शासन काल में इन पर जरायम पेशा कानून लादा गया। इस कानून के अंतर्गत मीणा जाति पर अनेक अत्याचार हुए। राजस्थान मीणा सुधार समिति ने मीणाओं का संगठन बना कर कड़े संघर्ष के बाद इस काले कानून को समाप्त करवाया। यह मीणा सुधार समिति की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके द्वारा इस जाति की प्रगति के द्वार खुल गये।

श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल, मंत्री राजस्थान मीणा सेवा संघ ने अपने भाषण में बताया कि मीणों पर पुलिस का दमन चक्र कम नहीं हुआ है। अंग्रेजी राज से भी कहीं अधिक पुलिस दमन बढ़ रहा है। निर्दोष लोगों पर चोरी के झूँठे आरोप लगा कर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। अत: इन नृशंस अत्याचारों का डटकर सामना करना चाहिए। राष्ट्रपिता बापू का संदेश है अन्याय करने वालों से भी अन्याय सहने वाला महापापी है। श्री रामस्वरूप हिन्दका उपमंत्री राजस्थान खादी ग्रामोद्योग सीकर ने देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए लघु उद्योगों का विस्तार अत्यन्त आवश्यक बताया है।

श्री प्रभुलाल हाटवाल ने अपने भाषण में कहा कि इस भीषण महंगाई के काल में मीणा लोग मृत भोज में सैंकड़ों मन चीनी गलाकर ऋण के बोझ से सदा के लिये दबते जा रहे हैं। इससे परिवार के विकास कार्य प्रभावित हो रहे। उन्होंने मृत भोज को गिद्ध भोजन की संज्ञा दी। अत: इसे तुरन्त बन्द करना चाहिए। श्री राम प्रसाद बागड़ी गठवाड़ी ने शिक्षा, संगठन तथा नशाबन्दी पर प्रभावशाली भाषण दिया।

श्री हनुमान कागोत बागोरा ने पुलिस के अत्याचारों की निन्दा करते हुये बताया कि जो पुलिस कर्मचारी निर्दोष मीणों को सताते हैं उनके विरूद्ध न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करने का प्रयास करना चाहिए। भूमिहीन लोगों को राज्य की ओर से भूमि दिलाने में संगठन को आगे आना चाहिए। श्री मालीराम मास्टर मंत्री राजस्थान मीणा सुधार समिति सीकर एवं झुंझुनुं की बीस स्वयं सेवकों की टोली का नेतृत्व करते हुए गाँवों में कुरीतियों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए सम्मेलन में उपस्थित हुए। उनहोंने ग्राम स्तर, तहसील स्तर तथा जिला स्तर पर संगठन को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया।

श्री झूँथालाल नाढ़ला बस्सी ने मीणा जाति के अतीत के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला और उसे प्रकाशित करने पर बल दिया। सर्वश्री रामचन्द्र मीणा ठिकरिया व श्री बद्रीप्रसाद दुखिया शहाजहाँपुर, श्री धर्मपाल नीम का थाना, श्री हरसहाय नयाबास, श्री भगवता राम सीकर, श्री रामस्वरूप ठण्ड, श्री स्वामी कालीदास जैतसर, मास्टर हरिनारायण गुप्ता रींगस, श्री प्रहलाद पबड़ी बधाल आदि के प्रभावशाली भाषण हुए।

अखिल भारतीय आदिम जाति सेवक संघ सम्मेलन (1968)

दिनांक 20 तथा 21 दिसबर 1968 को महाराष्ट्र के बोराडी, ग्राम में मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया । इसमे राजस्थान मीणा सुधार समिति के भी अनेक प्रतिनिधि सम्मलित हुए । प्रजामण्डल के नेता माणिक्य लाल वर्मा तथा भोगीलाल पण्डया डूँगरपुर से तथा बनवारी लाल ग्राम, कपासन (चित्तौड़गढ़) से उपस्थित हुए । जयपुर से मीणा सुधार समिति के महामंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल तथा सुन्दरलाल वाजपेयी 19 दिसंबर 1968 को प्रात: पांच बजे जयपुर से रेल द्वारा प्रस्थान कर सभी रात्रि दस बजे अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ के प्रवासी मीणा समाज के कार्यकर्त्ता झुंझनू तथा सीकर के निवासी स्टेशन पर पहुँचे और प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया और श्री लक्ष्मीनारायण व अन्य नेताओं को फूल मालाओं से लाद दिया ।

इन मीणा कार्यकर्त्ताओं को लक्ष्मीनारायण झरवाल ने बताया कि जयपुर मीणा सुधार समिति के प्रयास से क्रिमिनल ट्राइब्स के अन्तर्गत निर्दोष मीणों पर होने वाले अत्याचारों का अंत हो गया है और 5 जून 1946 को हजारों मीणा सरदारों के सम्मुख इस काले कानून को जला दिया गया है । अब सभी मीणा सरदार स्वतंत्र नागरिक होकर शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद प्राप्त कर रहे हैं । राज्य सरकार ने भी 10 अगस्त 1946 को अपने बजट द्वारा इस काले कानून को समाप्त करने की सूचना गजट (राज. पत्र) में प्रकाशित कर दी है ।

अहमदाबाद में प्रवासी मीणों की प्रार्थना पर 23 दिसंबर 1968 को अहमदाबाद में भी मीणा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्री माण्क्यिलाल वर्मा और भोगीलाल पण्डया व लक्ष्मीनारायण झरवाल, रामसुन्दर वाजपेयी के भी भाषण हुए । बनवारीलाल गौड ने राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के कार्यों पर प्रकाश डाला ।

बोराडी सम्मेलन ने भारत के कोने-कोने से मीणा प्रतिनिधि उपस्थित हुए । दिल्ली से घासीराम बेधड़क का भव्य स्वागत किया गया आन्धप्रदेश, हिमाचल उत्तरप्रदेश, आसाम, राजस्थान, बिहार उड़ीसा के आदिवासी जन प्रतिनिधि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थिति हुए । श्री मुरार जी देसाई का भव्य स्वागत किया गया । सम्मेलन में जयपुर मीणा सुधार समिति के महामंत्री क्रिमिनलट्राइन्स एक्ट को हटाने के प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला ।

इस प्रकार का एक सम्मेलन अहमदाबाद के असरावा में भी आयोजित हुआ । इसमें लक्ष्मीनारायण झरवाल ने राजस्थान की स्थिति पर प्रकाश डाला और बताया कि मीणा सुधार समिति के आन्दोलन के कारण क्रिमिनलट्राइव्स एक्ट समाप्त हो गया है । अब राजस्थान के मीणा बन्धु शिक्षा प्राप्त कर प्रगति की ओर संलग्न है ।

अहमदाबाद असावश में 1968 को आयोजित मीणा सम्मेलन का चित्र इसमें जयपुर मीणा सुधार समिति के नेताओं का फूल माला पहना कर स्वागत किया गया ।

गुलाबी नगर में सम्मेलन (जुलाई 1968)

राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तत्वावधान में दिनांक 14.7.1968 को मीणा प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन किशनलाल वर्मा एम.ए., एल.एल.बी. की अध्यक्षता में चौड़ा रास्ता स्थित जयपुर होटल में रखा गया, जिसका उद्घाटन समाज के मंत्री एवं स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल ने किया। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री झरवाल ने बताया कि भारत स्वतंत्र हो गया है। लौह पुरुष उप प्रधानमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल सामन्ती शासन- राजा-महाराजाओं के राज्य को ठिकाने लगा दिया। आप इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हैं कि अंग्रेजी शासन और राजा-महाराजाओं के राज्य में मीणा जाति को किस बुरी तरह से कुचला गया। जरायमपेशा कानून के माध्यम से सामान्य नागरिक अधिकार भी छीन लिए। दादरसी कानून ने इस समाज को कहीं का भी नहीं रखा। वह सब काले कानून सरकार ने समाप्त कर दिये हैं।

राजस्थान आदिवासी सेवक संघ में आपके समर्थन से एक सशक्त आन्दोलन खड़ा किया गया, जिसके कारण यह काला कानून समाप्त हुआ। आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं परन्तु अब हमारा उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है। हमें सामाजिक कुरीतियों को त्यागकर एक सभ्य व्यक्ति का जीवन अपनाना है। शिक्षित होकर देश को यह बता देना है कि साहस, धैर्य, प्रतिभा में कभी पीछे नहीं है। यदि हमें कुचला नहीं जाता तो राष्ट्र की सेवा में हमारा योगदान किसी से भी कम नहीं रहता। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप शिक्षित होकर राष्ट्र सेवा में जुट जायें।

अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष महोदय ने मीणा जाति के विगत इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह से छल-कपट से राजपूतों ने धोखे से इस शरणागत वत्सल जाति का राज्य छीना। समय किसी को छोड़ता नहीं है। आज इनका राज्य भी समाप्त हो गया। मेरा आपसे यह निवेदन है कि संगठित होकर समाज की उन्नति में जुट जायें। उन्नति का मुख्य आधार शिक्षा है। अत: हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मद्यपान हमारे विनाश का कारण रहा है। अत: इसे त्याग दें। सामाजिक कुरीतियों को छोड़कर सभ्य नागरिक बनने का प्रयास करें।

सम्मेलन को भीमसिंह, अड़िसाल सिंह, बद्री प्रसाद दुखिया, राजेन्द्र कुमार अजेय, गुलाबचन्द गोठवाल, भैंरूलाल काला बादल, छुट्टन लाल कप्तान, झूंथालाल नाढला ने समाज के उत्थान के लिए प्रेरणादायक भाषण दिए। महादेव चाँदा, साँवताराम चाँदा चन्दलाई, कल्याण झरवाल बुज, भगवताराम सीकर, गणपतराम बगराण्या नरहड़, किशन मन्नू, क्रान्तिकारी मीणा नेता बल्लभगढ़ आदि अनेक मीणा नेताओं ने उत्साह से सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ।

कोटा अखिल भारतीय मीणा सेवा संघ सम्मेलन 1969

22, 23 अक्टूबर 1969 कोटा में अखिल भारतीय मीणा सेवा संघ का विराट सम्मेलन संसद सदस्य श्री मीठा लाल सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उद्घाटन अखिल राजस्थान मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष विधायक सिकराय श्री किशनलाल वर्मा के कर कमलों से हुआ। मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, मंत्री राजस्थान मीणा सेवासंघ व राजस्थान सरकार के यातायात एवं आयुर्वेद मंत्री

श्री समर्थलाल मीणा थे। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान के सभी प्रमुख नेता एवं विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्त्ताओं ने इसमें उत्साह से भाग लिया।

स्वागताध्यक्ष श्री लाल प्रसाद जिला प्रमुख झालावाड़ ने बाहर से आये हुए मीणा बन्धुओं का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में सर्वप्रथम नीम के थाने के मुखिया लोगों की 30.6.69 को सुरक्षा दल द्वारा की गई हत्या की कठोर शब्दों में निन्दा की गई तथा समाज के लिए शहीद लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस नृशंस हत्याकाण्ड की जानकारी पर पूर्व पृष्ठों में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है।

श्री किशन लाल वर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित मीणा समाज के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने मीणा आदिवासी जनजाति के हित में दो महत्त्वपूर्ण घोषणा की। प्रथम घोषणा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की जनसंख्या देखकर राजकीय सेवा में 12 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 28 प्रतिशत आरक्षण की वृद्धि की है। दूसरी घोषणा के अनुसार गाँधी शताब्दी के अवसर पर पूरे एक साल केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को ही कृषि भूमि आवंटित की जायेगी। सम्मेलन राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट करता है, श्री किशन लाल वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय कृत बैंकों से अपने उद्योग स्थापित करने के लिए मध्यम श्रेणी के लोगों की ऋण व्यवस्था की है, जिससे समाजवाद को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान मीणा सेवा संघ के मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल ने नीम के थाने हत्याकाण्ड की कठोर शब्दों में भर्त्सना की और सरकार की उदासीनता एवं मीणा समाज पर होने वाले अत्याचारों पर गहरा दु:ख प्रकट किया। उन्होंने मीणा जाति के गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मीणा जाति में जो कुरीतियाँ हैं उनको त्यागने की प्रार्थना की और शिक्षा प्रसार पर अधिक बल देने की बात कही। सुरक्षा दल द्वारा नयाबास के पाँच मीणों की हत्या की गई है तथा आज भी सुरक्षा दल ने नया बास के पाँच मीणों की हत्या की गई है तथा आज भी सुरक्षा दल द्वारा सीकर व झुंझुनुं जिले के मीणा समाज में आतंक फैला रखा है। अत: यह सम्मेलन राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता है कि सुरक्षादल के आतंक को तुरन्त रोका जाये तथा संपूर्ण हत्याकाण्ड मामले की निष्पक्ष जाँच की जाये।

श्री भीमसिंह, भरतपुर ने जोर देकर कहा कि हत्याकाण्ड के अन्यायी को समय पर सजा नहीं दी गई तो वो दिन दूर नहीं है जब अन्यायी स्वत: ही समाप्त हो जायेंगे गाँधी शताब्दी वर्ष का प्रसंग चलाते हुए आपने कहा कि इस पुनीत अवसर पर हमें मदिरा पान त्यागने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इस अवसर पर अनेक लोगों ने मदिरा पान त्यागने की सहर्ष प्रतिज्ञा की। इनके बाद श्री बहादुर सिंह एडवोकेट जहाजपुर ने राजस्थान सरकार में समुचित प्रतिनिधित्व न देने के बारे में दु:ख प्रकट किया तथा समाज की आर्थिक उन्नति हेतु भी आपने अनेक सुझाव दिए।

मुख्य अतिथि श्री समरथ लाल मीणा ने समाज को आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होने की बात कही और बताया कि अपनी कमाई को ठीक ढंग से खर्च करना सीखें तभी हमारी आर्थिक प्रगति हो सकेगी। राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साह से भाग लेना है। ऐसे इस क्षेत्र में हमारा योगदान रहा है जिसके कारण पंच, सरपंच विधायक व संसद सदस्य देखने को मिलते हैं।

परन्तु अन्य लोगों के सामने हम बहुत पीछे हैं। इस सम्मेलन को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी आवाज भारत के कोने-कोने में पहुंचे और अखिल भारतीय स्तर पर एक कार्यकारिणी का निर्माण कर समाज के कार्य को पंचायत राज की भाँति जिले स्तर व तहसील स्तर पर चलावें।

सम्मेलन में श्री रामनारायण भूतपूर्व विधायक एवं प्रधान सुल्तानपुर, श्री गंगासिंह भूतपूर्व विधायक एवं श्री भैरवलाल काला बादल भूतपूर्व विधायक ने अपने ओजस्वी भाषण दिए और कोटा में छात्रावास निर्माण के लिए दान देने की अपील की। इनके अलावा 'मेरी धरती' नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री गंगाराम मानव, मारवाड़ जंक्शन के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रकट किए।

दूसरे दिन 23 अक्टूबर को प्रात: 8 बजे से 2 बजे तक सम्मेलन की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई। जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये।

(1) राजस्थान की भाँति अन्य प्रान्तों में रहने वाले मीणाओं को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

(2) दूसरे प्रस्ताव में नीम के थाने में मारे गये मीणा मुखियाओं के बारे में रखा गया। प्रस्ताव श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के और समर्थन छाजूसिंह शांजापुर, रामसिंह नौरावत डग झालावाड़, और अनुमोदन श्री भैरवलाल काला बादल ने किया।

तीसरा प्रस्ताव भूमिहीन जनजाति के लोगों को कृषि भूमि के लिए उपजाऊ तथा सींचित भूमि देने के लिए निवेदन किया गया।

इसके पश्चात अखिल भारतीय मीणा सेवा संघ की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें भीमसिंह एडवोकेट व भैरवलाल काला बादल को उपाध्यक्ष चुना गया श्री सुखलाल कोटा को महामंत्री व श्री किशनलाल वर्मा, श्री प्रभुलाल बागड़ी उज्जैन व श्री राम गोपाल टोंक तीनों को मंत्री चुना गया। श्री मीठा लाल सांसद को कोषाध्यक्ष व श्री लाला रामप्रसाद को संगठन मंत्री व श्री धुलेश्वर मीणा संसद सदस्य उदयपुर, श्री रामगोपाल एडवोकेट कोटा तथा श्री गुलाबचन्द गोठवाल जयपुर को आडिटर चुना गया।

श्री रामजीलाल ग्वालियर, श्री रामसिंह सवेरा हरियाणा, श्री दुर्गाप्रसाद उत्तर प्रदेश, हरिसिंह दिल्ली, श्री छोटे सिंह आकोला मध्यप्रदेश, श्री नारायण सिंह अमरावती, गोपीराम बागड़ी व वीरबल गुजरात, श्री गंगाराम मानव मारवाड़ जंक्शन, श्री शंभू लाल विधायक लालसोट, श्री जीवण राम डूडलोट झुंझुनुं को कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया। इस तरह से कार्यकारिणी में 25 सदस्य रखे और छ: सदस्य और जोड़ने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया। अखिल भारतीय मीणा सेवा संघ का कार्यालय फिलहाल कोटा में ही रखा गया और दिल्ली, जयपुर तथा उज्जैन तीनों स्थानों पर इसकी शाखायें रखने का निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी की आगमी बैठक 24.11.69 को जयपुर में रखने का निर्णय लिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद दुखिया ने नई कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई अर्पित की और तन-मन-धन से दुखी प्राणियों की सेवा में लगने का संदेश दिया। सम्मेलन बहुत सफल रहा और उत्साह पूर्ण वातावरण में समाप्त हुआ।

राजस्थान मीणा सेवा संघ, जयपुर सम्मेलन 1969

यह आदिवासी मीणा सम्मेलन 16 मार्च 1969 को अग्रवाल कॉलेज में राजस्थान मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष श्री किशनलाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उद्‌घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल



सुखाड़िया के कर कमलों से संपादित हुआ। भारत सरकार के उपमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया मुख्य अतिथि का आसन ग्रहण किया। सम्मेलन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार हुआ-

(1) सर्वप्रथम मीणा जाति के शुभेच्छु मार्गदर्शक श्री रामसिंह नौरावत के दिवंगत होने पर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके लिए स्मारक बनाने पर विचार किया गया। मीणा जाति आदिवासी हैं इसके इतिहास में अनेक प्रमाण हैं मीणा अपने आपको पुरानाबासी बताते हैं और मुख्यमंत्री राजस्थान की तरफ से स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हुए कि मीणा जाति आदिवासी है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि ''मैं राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश भेजूँगा और केन्द्रीय सरकार से मीणा जाति को आदिवासी की मान्यता दी जावे इसकी सिफारिश करूँगा।''

(2) अनुसूचित जनजाति को केन्द्र तथा राज्य सरकार से अधिक सुविधा देने की मांग की गई।

(3) राज्य सरकार से आदिवासी मीणा छात्रों के लिए छात्रावास के लिए भूमि प्रदान करने की पुर जोर शब्दों में मांग की गई।

(4) गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले मीणा बन्धुओं के रहने के लिए आवास व्यवस्था की मांग की गई।

(5) राज्य सरकार के मंत्रीमण्डल में मीणा विधायकों को लेने के लिए राज्यसरकार को प्रस्ताव भेजे जाने पर विचार हुआ।

(6) किसान तथा निर्धन जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की मांग की गई।

(7) चौकीदारी प्रथा समाप्त होने पर भी भूमिहीन मीणा किसान बन्धुओं को पर्याप्त भूमि देने की मांग की गई।

(8) निर्दोष मीणा सरदारों पर होने वाले पुलिस अत्याचारों को तुरंत बन्द करने की मांग की गई।

(9) 20 मार्च को सभी स्थालों पर मत्स्य जयंती बहुत ही उत्साह से मनाने का निश्चय किया गया।

(10) मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों को तत्काल बन्द करने के लिए मीणा बन्धुओं से निवेदन किया गया।

सभी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। छात्रावास के लिए भूमि तुरन्त ही दे दी जायेगी। मुख्य अतिथि उपमंत्री भारत सरकार ने केन्द्र स्तर पर सभी कठिनाइयों को हल करने की बात कही। सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा प्रसार पर बल देते हुए पुलिस अत्याचारों की कड़े शब्दों में निन्दा की। समाज में व्याप्त बुराइयों को छोड़ कर संगठित होकर

आत्मनिर्भर होने का सुझाव दिया। हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा।

सम्मेलन में मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य मीणा सरदारों ने भी अपने विचार रखे। श्री पृथ्वीराज एम. एल. ए. बामनवास, श्री राम कुमार मीणा विधायक सपोटरा, कप्तान श्री छुट्टन लाल एम. एल. ए. टोडा भीम, श्री हरलाल मीणा विधायक प्रतापगढ़ देवेन्द्र कुमार मीणा विधायक गोगून्दा, श्री देवी लाल विधायक सराड़ा, श्री भीमसिंह वकील, प्रधान कुम्हेर एवं जिला प्रमुख झालावाड़, रामप्रसाद चौमहला जिला प्रमुख झालावाड़, श्री नाथूसिंह जिला प्रमुख सवाई माधोपुर, श्री भगवान सिंह तरंगी झालावाड़, श्री अड़िसाल सिंह कोटपूतली, श्री झूँथा लाल बस्सी, श्री भगवताराम सीकर, श्री बद्रीप्रसाद दुखिया, शाहजहाँपुर, सुल्तान सिंह झरवाल जयपुर, प्रभुलाल बागड़ी उज्जैन श्री घासीराम बेधड़क संयोजक अखिल भारतीय मीणा सेवा संघ ने भी सम्मेलन में विचार रखे।

अंत में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री राजस्थान सेवा संघ ने अब तक की प्रगति पर विचार रखते हुए पुलिस दमन की कठोर निन्दा की। इसके साथ ही कुरीतियाँ छोड़कर शिक्षा की ओर ध्यान देने से ही हम अन्य जातियों से आगे बढ़ सकते हैं। जयपुर शाखा के मंत्री गुलाबचन्द गोठवाल ने भी अपने विचार रखते हुए बताया कि हमें संगठन को शक्तिशाली बनाने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।

ग्राम कोडायाई मीणा सम्मेलन 1969

राजस्थान मीणा सेवा संघ के तत्त्वावधान में 19 जनवरी 1969 को ग्राम कोडायाई तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर मीणा सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री किशनलाल वर्मा विधायक सिकराय एवं अध्यक्ष राजस्थान मीणा सेवा संघ ने की। उद्घाटन माननीय श्री रामप्रसाद लढ़ा सिंचाई मंत्री राजस्थान के कर कमलों से किया गया।

सम्मेलन में कांग्रेस संगठन को शक्तिशाली बनाने के साथ, मीणा किसान बन्धुओं को सिंचित भूमि आवंटित करने की पुर जोर शब्दों में मांग की गई। सम्मेलन को श्री समरथलाल मीणा यातायात उपमंत्री, श्री पृथ्वीराज विधायक बामनवास, श्री रामकुमार विधायक सपोटरा, श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल मंत्री राजस्थान मीणा सेवा संघ ने संबोधित किया। श्री झरवाल ने शिक्षा प्रसार पर सर्वाधिक बल दिया। बद्री प्रसाद दुखिया, श्री राम कुमार प्रधान पंचायत समिति सवाई माधोपुर ने भी आपने विचार रखे।

अंत में स्वागत समिति कोडायाई के अध्यक्ष मांगीलाल पटेल गौत्र थानावाल ने सभी के प्रति आभार प्रदर्शित किया। स्वागत मंत्री श्री जगराम मीणा गौत्र थानावाल ने इस क्षेत्र की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए।

इसके बाद भी राजस्थान मीणा सेवा संघ के अधिवेशन चलते रहे। सभी का वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। इसके लिए तो एक स्वतंत्र पुस्तक भी कम रहेगी। आगे राजकीय सेवारत मीणा सरदारों ने भी अपने संगठन के माध्यम से आगे कार्यक्रम चलाते रहे।

दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन 26-27 अप्रैल, 1969

यह सम्मेलन विश्व अहिंसा संघ तथा अहिंसा शोध पीठ के प्रेरक मुनि सुशील कुमार जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उद्घाटन स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल जयपुर द्वारा किया गया। सम्मेलन में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश से अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। इनमें अचल

सिंह संसद सदस्य, मान पटेल मध्य प्रदेश, धूलेश्वर मीणा संसद सदस्य, उदयपुर, राजस्थान। समाज सुधारक भगवताराम, मंगल चन्द सीकर, संसद सदस्य मीठालाल सवाई माधोपुर, झूंथालाल नाढणां बस्सी, हीरालाल मीणा धौलाकुआ नई दिल्ली के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

सम्मेलन के संयोजक जी.आर. मीणा नई दिल्ली तथा आदर्श आदिवासी मीणा समाज नई दिल्ली के मंत्री सोहन सिंह तथा उनके साथियों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रात-दिन एक कर दिया। सम्मेलन में अधिकतर समाज की एकता, सामाजिक कुरीतियों, मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि को बन्द करने पर चर्चा हुई।

अध्यक्षीय भाषण में मुनि श्री सुशील कुमार ने मीणा समाज की धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। जब उनको बताया गया कि राजस्थान के महावीर जी सवाईमाधोपुर के मेले में व ऋषभदेव उदयपुर के मेले में अधिकतर लोग मीणा जाति के ही होते हैं, वे कनक दण्डवत करते हुए भी कभी-कभी दर्शनार्थ आते हैं। भगवान महावीर की सवारी के रथ को सर्वप्रथम वे खींचते हैं। मुनि सुशील कुमार बहुत प्रसन्न हुए। यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि उखलाना (उणियारा) निवासी एक मीणा बालक मंगला बाद में मुनि मगन सागर नाम से स्वेच्छा से जैन धर्म स्वीकार कर जैन धर्म पर अनेक ग्रन्थ लिखे।

लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अपने उद्घाटन भाषण में मीणा जाति के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला। राजस्थान में मत्स्य राष्ट्र की विशेष जानकारी दी गई। ढूँढ़ाड़ ही नहीं हाड़ौती कोटा, बून्दी में इस जनजाति का वर्षों तक राज्य रहा। मध्य प्रदेश के अनेक भागों पर मीणा जाति का राज्य था। भीमसिंह एडवोकेट ने राजपूत- मीणा संघर्ष एवं नागरिक अधिकारों के लिए किए गए आन्दोलन पर प्रकाश डाला और बताया कि देशी रियासतों में लाखों मीणा जाति के देशभक्त समाजसेवी पर राजा-महाराजा और अंग्रेजों के क्रीमिनल ट्राइब एक्ट की सहायता से मीणा जाति के लोगों को खूनी पंजों में जकड़कर अमानवीय जुल्म हत्या किये जा रहे हैं जबकि देश आजाद हो गया है और क्रीमिनल ट्राइब एक्ट भी भारत सरकार व राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया।

इटोली में विशाल मीणा सम्मेलन 1970

गाँव इटोली तहसील राजगढ़, जिला अलवर में मीणा किसान सम्मेलन दिनांक 6 फरवरी 1970 को वकील भीमसिंह मीणा नेता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उद्घाटन किशनलाल वर्मा विधायक सिकराय एवं अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी सेवा संघ के कर-कमलों से हुआ। मुख्य अतिथि के पद को स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल ने सुशोभित किया। सम्मेलन में अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। श्री समरथलाल मीणा पूर्व यातायात एवं आयुर्वेद मंत्री राजस्थान, लाला रामप्रसाद मीणा जिला प्रमुख झालावाड़, श्री अड़िसाल सिंह, श्री पृथ्वीराज मीणा जिला प्रमुख सवाई माधोपुर, श्री गुलाबचन्द गोठवाल घाटगेट, जयपुर, श्री शम्भू मीणा विधायक लालसोट, श्री देवेन्द्र मीणा विधायक गोगून्दा, जिला उदयपुर, श्री प्रभुलाल बागड़ी मीणा समाज का नेता उज्जैन (मध्य प्रदेश), श्री गंगाराम मानव सम्पादक मेरी धरती साप्ताहिक मारवाड़ के प्रतिनिधि, श्री बद्री प्रसाद दुखिया शाहजहांपुर अलवर, श्री छुट्टनलाल सीरा, अलवर, सूबेदार नहनाराम अलवर, एडवोकेट भूमसिंह ने बताया कि देश स्वतंत्र हो गया है और राजस्थान में भी लोकप्रिय सरकार ने शासन सम्भाल लिया है। परन्तु राज्य की पुलिस मीणा जाति के दमन पर तुली हुई है। विदेशी शासन तो समाप्त हो गया परन्तु उनकी फूट डालो और राज करो की नीति अभी यहाँ

विद्यमान है। राज्य सरकार इसी सिद्धान्त पर चलकर मीणा समाज में फूट डाल रही है। इससे हमें बड़ी हानि है। अत: मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हम चाहे किसी गौत्र के हों, रावत, मेर, कुछ भी हो, परन्तु हम सभी मत्स्य भगवान की सन्तान हैं। श्री भीमसिंह के अध्यक्षीय भाषण से लोगों में उत्साह पैदा हुआ।

विधायक श्री किशनलाल ने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष महोदय की बात का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि यदि हमें देश में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करना है तो हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से ही कुरीतियां समाप्त होगी और हमारी उन्नति होगी। विधायकजी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सदियों से पीड़ित रहने के कारण मीणा समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अत: विधायक जी के माध्यम से हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि निर्धन लोगों को कृषि के लिए भूमि दी जाए तथा उद्योग धन्धों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। समाज बुहत पिछड़ा हुआ है। अत: उन्नति के भगीरथ प्रयास करना होगा। सर्वप्रथम हमें मद्यपान एवं अन्य नशीले पदार्थों का त्याग करना होगा। इस मद्यपान से हमारा बूंदी का राज गया और आमेर तथा मांच में भी हमारी विजय होने पर भी मद्यपान ने हमें मदहोश बना दिया।

श्री समरथलाल मीणा ने कहा कि हम किसी की सहायता से ही जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें पुरुषार्थ करना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। यदि हम परिश्रम करेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद करेगा। समाज में व्याप्त बुराइयों तथा व्यर्थ के खर्चे को हमें छोड़ना होगा। मृत्युभोज हमारे आर्थिक संकट का प्रमुख कारण है। अत: इसे त्यागने में ही हमारा भला है।

अलवर क्षेत्र के रामफूल मीणा ने कहा कि मैं सारा जीवन समाज के लिए समर्पित करता हूँ और पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयास करूंगा। अन्य लोगों को भी समाज सेवा में लग जाना चाहिए। हमें बद्रीप्रसाद जी दुखिया के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन पददलित के उत्थान के लिए दे दिया। इस तरह मनफूल पटेल ग्राम ढिगावाड़ा ने आजीवन खादी पहनकर अपना समस्त जीवन मानव सेवा में लगा दिया।

मीणा सुधार समिति के अन्य रचनात्मक कार्य

यद्यपि सरकार से जन अपराधी कानून को समाप्त कराकर तथा इनको आरक्षण का लाभ दिलाकर मीणा सुधार समिति ने उल्लेखनीय कार्य किया। लंबे संघर्ष के बाद सरकार को विवश होकर उपर्युक्त सुविधा देनी पड़ी। परन्तु मीणा सुधार समिति का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। इसके सामने मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करवाना मुख्य कार्य था। मद्यपान, छुआछूत, परस्पर वैमनस्य, सामाजिक अंध विश्वास एवं बौद्धिक जड़ता ऐसी भीषण समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को आगे आना पड़ा। इनमें मुनि मगन सागर जी महाराज की भूमिका बहुत सराहनीय रही, जिसका विस्तृत वर्णन अगले पृष्ठों में किया जायेगा।

मद्यपान की बुराई शासक वर्ग में रहते आने के कारण बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। इस मद्यपान में मतवाले होकर इस मारण वीर जाति ने बूँदी का राज खोया और मांच (जमवा रामगढ़) में जीती बाजी हार गए, जिनका विस्तृत वर्णन आप पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके। अत: मद्यपान की बुराई को छुड़ाना

समिति ने बहुत आवश्यक समझा। इस कार्य में सबसे उल्लेखनीय भूमिका मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की रही। उन्होंने घर-घर जाकर सत्याग्रह के रूप में धरना दिया और उन लोगों से शराब न पीने के शपथ पत्र भरवाये। सीकर क्षेत्र में भी भगवताराम व उनके साथियों ने इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किये। कोटा क्षेत्र में श्री भैरवलाल काला बादल ने समाज में व्याप्त बुराईयों, मद्यपान छुड़ाने का बीड़ा उठाया।

शिक्षा के क्षेत्र में 'राजस्थान विद्या मंदिर' संस्था का पंजीकरण श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अपने निजी प्रयासों से करवाया। बाद में छात्रावास के लिए भूमि मिलने पर श्री झूंथालाल नाढ़ला, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल श्री गुलाबचन्द गोठवाल एवं श्री अड़िसाल सिंह ने छात्रावास का निर्माण करवाया। शिक्षा के प्रसार के लिए श्री झरवाल ने गाँव-गाँव घूमकर इस धारणा को निर्मूल बताया कि जयपुर शहर के संस्थापक महाराज सवाई जयङ्कसह ने अश्वरमेघ यज्ञ के समय मीणों की बुद्धि होम दी है। अत: विद्यालय में जाना निरर्थक है, क्योंकि बुद्धि तो हमारे पास रही नहीं। इस अंधविश्वास को बड़ी कठिनाई से मीणा समाज से समाप्त किया गया। इसके बाद सरकार से छात्रवृत्ति व समाज के सहयोग से शिक्षा में लोगों की रुचि बढ़ने लगी।

शिक्षा तथा समाज सुधार के बढ़ते चरण

सदियों से राजशाही तथा सामन्तााही के दमन के कारण मीणा समाज में अनेक बुराइयाँ घर कर गई थीं। इनमें मद्यपान प्रमुख बीमारी थी। अत: अलग-अलग क्षेत्र में मीणा सुधार समिति के सदस्यों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कर मद्यपान करने वाले मीणा लोगों के घर पर धरना देना प्रारंभ कर दिया। अब मीणा सुधार समिति रचनात्मक कार्य में लग गई। मीणा जाति के दुर्व्यसनों को छुड़ाने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका सीकर क्षेत्र के प्रभावशाली मीणा सरदार श्री भगवतारामजी एवं जयपुर के स्वतंत्रतासेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की रही। इन समाज सुधारकों ने ढांणी-ढांणी जाकर मद्यपान एवं अन्य बुराइयाँ छुड़ाने का काम किया।

राजस्थान विद्या मंदिर की स्थापना 1956

1956 में श्री रणजीतमल ने नीम के थाने में 25 छात्रों से यह छात्रावास तथा विद्यालय की स्थापना की। अगले वर्ष इसमें 32 छात्र हो गये। राज्य की ओर से 50ञ्ज अनुदान दिया जाता था। शेष 50 प्रतिशत जन सहयोग से प्राप्त होता था। फिर अनुदान 60 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता था। 1975 में सरकारी अनुदान बंद होने से यह शिक्षा प्रतिष्ठान भी बंद हो गया।

इसी संदर्भ में रणजीतमल का स्मरण भी हो ही जाता है। इनका जन्म 2-6-1920 ई. को हुआ। प्रारंभ में मीडिल तक शिक्षा प्राप्त की।पुलिस महानिरीक्षक श्री यंग साहब की ओर इन्हें दो रुपये छात्रवृत्ति दी जाती थी। इसके बाद आप अध्यापक बन गये और उत्तरोत्तर परीक्षा देते रहे। स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अंत में अध्यापक पद से आप सेवा निवृत्त हुए। कोटा नीम के थाने आदि अनेक जाति सुधार सम्मेलन में आप भाग लेते रहे।

जयपुर, कोटा की भाँति ही चूरु जिले के राजगढ़ कस्बे में भी आदिवासी छात्रों के लिए जन सहयोग से छात्रावास की स्थापना की जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

राजस्थान आदिवासी शिक्षण संस्थान नीम का थाना

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 38.55 प्रतिशत मात्र है। अनुसूचित जाति की साक्षरता प्रतिशत 26.29 तथा अनुसूचित जनजाति की 19.44 है, जो राष्ट्रीय मापदण्ड से बहुत नीचे है। महिलाओं की साक्षरता तो और भी बहुत नीचे है। आज के प्रगतिशील जनतांत्रिक युग में शिक्षा का महत्त्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वतंत्र भारत में यद्यपि सभी के समान अधिकार हैं, परन्तु साधनों के अभाव में प्रत्येक के लिए अग्रसर होना संभव नहीं है, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान अवश्य है, परन्तु इसकी सार्थकता जब ही संभव है कि इस जाति के लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप को सक्षम बना सकें। इसी कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान के होनहार मीणा जाति के शुभेच्छु श्री के. एल. मीणा आई. ए. एस. अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी शिक्षण संस्थान के सद् प्रयत्नों से इस संस्थान की स्थापना 1998 में की गई।

वर्तमान में संस्थान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। अगले वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को भी इस योजना में लाने का विचार है। इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों के निर्धनतम परिवार के प्रतिभावान छात्रों को लाभान्वित करने की भी योजना है। संस्थान के विशाल काय भवन के निर्माण में 70 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। मीणा समाज के दानदाताओं के शिक्षा प्रेम का यह ज्वलंत उदाहरण है। संस्थान के परिसर में पुस्तकालय, कोचिंग सेन्टर, सभाकक्ष, संस्थान कार्यालय, पुस्तकालय, अध्यक्ष कार्यालय, प्रशासक कार्यालय, विश्रामगृह, छात्रावास, व्यवस्थापक कार्यालय एवं निवास, भोजन कक्ष सहित 50 कमरों का निर्माण किया गया है।

राज्य सरकार ने पुस्तकालय को सुसज्जित करने के लिए 5 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं। इनके अतिरिक्त पी. ई. टी. एवं पी. एम. टी. की कक्षायें संचालित करने के लिए 4.50 लाख दिये हैं, जिससे संस्थान के शैक्षणिक विकास को बहुत बड़ा संबल मिला है। संस्थान के कुशल संचालन के लिए एक विस्तृत कार्यकारिणी है जिसमें अंचल के प्रतिभावान लोगों को लिया गया है। संस्थान का यह सौभाग्य है कि मान्यवर श्री यादवेन्दु मीणा न्यायाधीश उच्च न्यायालय राजस्थान इसके संरक्षक हैं और अध्यक्ष श्री के. एल. मीणा, आई ए एस सचिव जन अभियांत्रिक स्वास्थ्य विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में संस्थान द्रुतगति से प्रगति पथ पर है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का संस्थान राजस्थान में ही नहीं वरन् भारत में अनूठा है।

हाड़ौती आदिवासी छात्रावास भवन 1968

आदिवासी मीणा जाति पर से जरायम पेशा कानून हटते ही इस समाज के विभिन्न अंचलों में शिक्षा प्रसार का महत्त्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में ले लिया गया। जयपुर क्षेत्र में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं श्री झूँथालाल नाढ़ला ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। हाड़ौती क्षेत्र में श्री भैरवलाल काला बादल ने यह गुरुत्तर भार अपने ऊपर लिया। उन्होंने सन् 1968 में इस क्षेत्र के मीणा सरदारों के नाम एक मार्मिक अपील निकाली जिसका आशातीत प्रभाव पड़ा।

आदिवासी मीणा सरदारों!

सोचो, समझो, विचार करो, आप प्रत्येक वर्ष अपने कड़े परिश्रम की कमाई को, लड़ाई, झगड़ो, मुकदमेबाजी, शराबखोरी, हाथी-घोड़ों का दान दातारी, कलश, मंदिर, चढ़ावा आदि कामों में लाखों रुपये खर्च करते रहते हो, जिनका इस विकास की युग में कोई महत्त्व नहीं रह गया है। अत: आपसे प्रार्थना है कि उपर्युक्त रीति-रिवाजों से धन को बचाकर छात्रावास निर्माण में मुक्त हाथ से धन देंगे तो आपका, आपकी संतानों तथा अपनी समाज का नाम उज्जवल होगा। इससे आपकी कीर्ति युग-युग तक चिरस्थायी रहेगी।

(1) जो लोग 101 रुपये से अधिक दान देंगे उनका नाम संगमरमर के शिलालेख पर लिखा जायेगा। (2) जो सज्जन छात्रावास भवन में एक कमरा बनवायेंगे, उनका नाम विशेष दानदाता सूची में लिखा जायेगा। (3) सेवारत बन्धु अपने एक माह का वेतन सुविधानुसार किश्तों में दे सकते हैं। (4) शादी-विवाह के अवसर पर कम से कम पाँच रुपये और इससे अधिक देकर विद्यादान का लाभ ले सकते हैं। (5) दानदाता बिना रसीद प्राप्त किए किसी को धन न दें। (6) सौ से अधिक आदिवासी छात्र इस समय कोटा कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि गर्मी की छुट्टियों में अपने गाँव तथा पास-पड़ोस के गाँवों से धन संग्रह करेंगे। (7) सभी कार्यकर्त्ता इस पवित्र कार्य में अवश्य सहयोग करेंगे। इस कार्य में हाड़ौती आदिवासी मीणा सामाजिक सुधार के कार्यकर्त्ताओं का धन संग्रह में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

मीणा छात्रावास राजगढ़ (चुरू) का परिचय एक नजर में

करीब 50 वर्ष पूर्व तहसील राजगढ़ जिला चूरू के मीणा समाज के भौतिक विज्ञानी स्व. श्री बलवन्त राम नि. राजगढ़ स्व. श्री प्रभूराम नि. राधा व स्व. गाड़ाराम नि. सांखजताल के तत्वावधान में एक समिति का गठन कर यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में मीणों के बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए सामाजिक प्रयास कर तहसील स्तर पर उनको आवास सुविधा दिलवाने को यह नजर रखते हुये छात्रावास निर्माण करवाया जाये इसी क्रम में 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि तहसील मुख्यालय पर खरीदी गई तथा चूरू के जिलाधीश श्री जी. रामचन्द्र के प्रयासों से तत्कालीन समय में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की ओर से भूमि स्थानान्तरण मीणा छात्रावास राजगढ़ के नाम से हुआ। उक्त भूमि का आवंटन श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर ने मीणा छात्रावास के लिये श्री जी. रामचन्द्र जिलाधीश चूरू से कराया।

मीणा समाज के चन्दे व सद्प्रयासों से तीन कमरों का निर्माण हुआ।

के. आर. मीणा प्रोजेक्ट डाईरेक्टर चूरू के सहयोग से वर्ष 1986 से 1988 में भी तीन कमरों का निर्माण हुआ तथा जिला कलेक्टर चूरू श्रीराम खिलाड़ी मीणा ने वर्ष 1991 में भी विशेष प्रयास कर सरकारी योजनाओं के तहत अपने कार्यालय काल के दौरान तीन कमरे व चार स्नानघर व शौचालयों का निर्माण करवाया। वर्तमान में आदिवासी मीणा सेवा संघ की तहसील कार्यकारिणी इसका संचालन कर रही है तथा जिला कार्यकारिणी तहसील कार्यकारिणी पर नियन्त्रण रखकर आवश्यक सुविथाओं के साथ दिशा निर्देश प्रदान कर संचालन कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही है।

इस छात्रावास की स्थापना व संचालन में स्व. श्री बलवंतराय जी मीणा निवासी सादुलपुर (राजगढ़) के सुपुत्र श्री तखलराम सेवा निवृत्त रेल्वे अधिकारी व भालचन्द्र तथा राजगढ़ निवासी श्री पितराम स. नि. अध्यापक तथा डॉ. श्री मोहनलाल मीणा का पूरा सहयोग रहा है। इन्हीं के सद्प्रयत्नों से यह छात्रावास आज

इस स्थिति में आया है। अत: यह लोग मीणा समाज में धन्यवाद के पात्र हैं।

चूरू जिले में अनुसूचित जनजाति में परिभाषित मीणा जाति की संख्या बहुत ही कम है। फिर भी समाज के हितों की रक्षार्थ पुराने समय से आदिवासी मीणा सेवासंघ, जो प्रदेश स्तर पर गठित संस्था से संबंधित है, इस जिले में जिला स्तरीय संस्था से संचालित है, जिसके वर्तमान में जिला अध्यक्ष श्री अमरचन्द मीणा निवासी सरदारशहर तथा जिला मंत्री श्री किरोड़ीमल मीणा रतन नगर कोषाध्यक्ष श्री भावीराम मीणा निवासी भुआड़ी, श्री महावीर प्रसाद मीणा निवासी सरदार शहर 'संगठन मंत्री' व श्री मनोज मीणा 'संयुक्त मंत्री' है तथा छ: कार्यकारिणी के सदस्य हैं इनके अलावा जिले की सात तहसीलों में भी तहसील स्तर की समाज सुधार समितियों का गठन किया हुआ है, जिसमें तहसील, सरदार शहर रजिस्टर्ड संस्था है जिसके अध्यक्ष श्री बंशीधर मीणा व महामंत्री अमरचन्द्र मीणा है जो क्रमश: सरदारशहर नगर पालिका में भाजपा व कांग्रेस के पार्षद भी हैं।

श्री अमरचन्द्र मीणा सामान्य सीट से लगातार दो बार कांग्रेस टिकिट से पार्षद रहे हैं। चूरू जिले में मीणा अल्प संख्यक होते हुये भी अपनी पहिचान बनाये हुये हैं। वर्ष 1992 से मानव कार्यक्रमों को बढ़ावा देने व शोषित पीड़ित मानव के हितों की रक्षार्थ मानव कल्याण समिति जिला चूरू जिले स्तर की रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके अध्यक्ष श्री सुखदेव मीणा निवासी रतननगर सेवा निवृत्त शिक्षा प्रसार अधिकारी तथा महामंत्री श्री किरोड़ीमल मीणा है।

राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ जयपुर

मीणा जाति के उत्थान में इस संस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ दिल्ली से संबंधित यह संस्था राजस्थान में 1958 से कार्यरत है। संघ ने अनेक छात्रावास का संचालन अपने हाथ में ले रखा है। अनेक आदिवासी छात्र इस योजना से लाभ उठाते रहे हैं। राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ राष्ट्रपिता म. गाँधी की प्रेरणा से ठक्कर बाप्पा के नेतृत्व में इस संस्था की स्थापना हुई। प्रारंभ में इस संघ के अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद थे। 1960 तक इस संघ की बैठकें राष्ट्रपति भवन में ही होती रही। इससे संघ का महत्व अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु, तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय गोविन्द वल्लभपंत का इस संस्था पर सर्वदा ही वरद हस्त रहा। इनके मार्गदर्शन को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

राजस्थान में आदिम जाति सेवक संघ तथा मीणा जाति सेवक संघ ने मीणा जाति के कर्मठ सेवा भावी लोगों के माध्यम से अनेक अवसरों पर मीणा जाति को पुलिस अत्याचार से बचाया। ऐसे तपस्वी समाज सेवकों का विस्तृत परिचय हम अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। वर्तमान में संघ का प्रधान कार्यालय सोडाला अजमेर रोड़ पर स्थित है। वर्तमान इस संघ के मंत्री श्री बनवारी लाल गौड़ हैं। कार्यालय का दूरभाष 220986 है।

पश्चिम राजस्थान मीणा सेवा संघ

पश्चिम क्षेत्र में भी मीणा समाज की उन्नति के लिए दो संस्थाएं कार्यरत हैं। पश्चिमी राजस्थान मीणा संघ जालौर, पाली, सिरोही तथा बाड़मेर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कार्यालय संजय नगर सुमेरपुर जिला पाली में स्थित है। इसके नेतृत्व में ही इस क्षेत्र की मीणा जाति को जरायम पेशा कानून

समाप्त होने पर नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में इस संघ का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ के लोग बहुत ही सदाचारी हैं। इस जाति को व्यर्थ में बदनाम करने के लिए माँसाहारी बताया दिया जो सरासर झूँठ है।

गौतम ऋषि महादेव सेवा समिति

वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष केसपुरा निवासी (जि. सिरोही) श्री मगाराम मीणा है। इस संस्था की ओर से भी शिक्षा प्रसार के साथ छात्रावास भी चलाये जा रहे हैं। राजस्थान के विख्यात मेलों में से इस क्षेत्र का गोमतेश्वर महादेव का मेला अपना विशेष स्थान रखता है। मंदिर तथा मेले की समस्त व्यवस्था इसी संस्था के हाथ में है।

आदिवासी मीणा सेवक संघ

सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र के उत्थान में 'राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ' का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इसकी स्थापना राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत करके 18.12.1958 को 'मीणा सेवा संघ' के नाम से पंजीकृत कर लिया गया था। आगे इस संस्था के नाम में साधारण परिवर्तन कर राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के नाम से राजस्थान सोसाटटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 की धारा 12 के अनुसार पुन: पंजीकृत कराई गई। ऐसे यह संस्था पिछले 40 वर्ष से आदिवासी जातियों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयासरत है। इस कार्य में अन्य मीणा विद्वत् जनों के अतिरिक्त स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इस संस्था ने प्राचीन काल से ही चली आ रही बाल-विवाह, मृत्यु भोज आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। परन्तु अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना है। शिक्षा के प्रसार को साथ-साथ इन बुराईयों से भी दिन-प्रतिदिन छुटकारा मिलता जा रहा है। इसीलिए इस संस्था ने शिक्षा-प्रसार पर सर्वाधिक बल दिया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक चेतना व शिक्षा प्रसार है। इस कार्य के लिए अनेक समर्पित कार्यकर्त्ताओं के साथ धनी भामाशाह भी समाज की उन्नति के लिए आगे आयें। चाकसू में मीणा पंचायती धर्मशाला का निर्माण किया गया।

मीणा सुधार कार्यों में सर्वाधिक योगदान राजस्थान मीणा सुधार समिति का रहा। जुरायम पेशा कानून जैसे अमानवीय मानवता पर कलंक पूर्ण कानून को समाप्त कराने का श्रेय इस समिति को है, जिसका विशद वर्णन विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। समाज सुधर में चोरी की आदत छुड़वाना, बच्चों की शिक्षा का प्रसार करना तथा मत्स्य भरतपुर आदि में जरायम पेशा कानून को समाप्त करना मुख्य कार्य है। इस कार्य में भी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अपना संपूर्ण जीवन ही समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। विशेष करके घर-घर जाकर शराब छुड़वाने के लिए इन्होंने शपथ पत्र भरवाये। मेर, मेव, रावत, राव मीणा आदि को एकता के सूत्र में बाँधने के भी प्रयास भी बराबर किए जाते रहे। श्री झरवाल की अध्यक्षता में रावत मीणों का सम्मेलन इसी संदर्भ में किया गया।

कई पत्र-पत्रिकाओं ने भी मीणा जाति में नवजीवन का संचार करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। सर्वप्रथम 'मीणा-वीर' नामक मासिक पत्र सर्व भारतीय मारण क्षत्रिय समाज छत्तारी बुलन्द शहर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ। जिसके संपादक दुर्गाप्रसाद बैंगल थे। मत्स्य समाचार पत्रिका, गंगापुर सवाई माधोपुर से प्रकाशित होने लग गई। स्वतंत्र मीणा अखिल भारतीय जातीय महा सभा दिल्ली की ओर से

प्रकाशित - मेरवाड़ा के रावत मीणों का एक पत्र भी अजमेर से प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल ने स्वयं ने अपनी धनराशि लगाकर 'नेता' नामक पत्र निकाला। वर्तमान में बोराज से प्रकाशित - 'मीना भारती' व उदयपुर से प्रकाशित 'अरावली उद्घोष' मीणा जागृति में सराहनीय कार्य रहे हैं। मीणा सुधार समिति के समय-समय पर 'मुक्त-मानव' नामक बुलेटिन प्रकाशित होते रहे। मुक्त-मानव बुलेटिन के पोस्टर भी निकाले गए।

मद्य निधेष तथा वीरदल 1942 (जयपुर)

मीणा जाति शासक जाति रहने से शराब व मांस के प्रयोग की आदि बन गई थी। खासकर इसका जन्म से मरण तक सोलह संस्कारों में खुल कर प्रयोग किया जाता था। यद्यपि इस मदिरापान से मीणा राजाओं ने अपना राज्य तक खो दिया था, फिर भी इस ओर इनका अनुराग कम नहीं हुआ। समाज के लिए इसे अत्यन्त हानिप्रद समझकर स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने इस प्रथा को रोकने के लिए एक 'वीरदल' का गठन किया, जिसमें शिक्षित युवा वर्ग ने बड़े उत्साह से भाग लिया।



मीणा वीर दल जयपुर चित्र बैठे हुए व्यक्तियों में बायें से- रूप नारायण झरवाल, ओम प्रकाश झरवाल, रोडमल छापोला, मोहन मोरझवाल, स्वरूपनारायण झरवाल। बीच की पंक्ति में बैठे हुए- बायीं ओर से- नानगराम झरवाल, लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री पबड़ी, सूर्यभान मीणा, गुमानमल मोरझवाल, रामनाथ पबड़ी : खड़े हुए- बायें से- रामनारायण झरवाल, सुल्तान सिंह झरवाल, रामनारायण माणुताल, रामगोपाल पबड़ी और शंकर लाल झरवाल दिखाई दे रहे हैं।

इस वीरदल की एक बैठक रामनिवास बाग में 1942 की गई। इसमें यह सूचना मिली कि जयपुर के निकट विवाह के बाद जीमण (पसारा) में शराब के खुलकर प्रयोग करने की व्यवस्था की गई। इस सूचना

के प्राप्त होते ही वीरदल के सदस्य वहां पहुंचे और यह स्पष्ट बता दिया कि यदि जीमण (पैसारा) शराब का प्रयोग किया तो वीरदल सत्याग्रह करेगा और धरना भी देगा। माँस का प्रयोग करोगे तो पैसारा (विवाह के पश्चात दुल्हे पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामाजिक प्रतिभोज) नहीं होने देंगे और इसके विरूद्ध सत्याग्रह करेंगे। अन्त में उस पैसारे में शराब-माँस का प्रयोग न करने का वचन दिया। यह वीरदल की बड़ी सफलता थी और अन्य मीणा बन्धुओं पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और शराब धीरे-धीरे बन्द होने लगी। लक्ष्मीनारायण जी झरवाल व अन्य कार्यकर्ताओं ने शराब व मांस की कुरीतियों का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प लिया।

शराबबन्दी- एक सत्याग्रही स्वयं सेवक ने शराब न पीने का प्रतिज्ञा-पत्र भरने पर भी एक समय गुप्त रूप से गुडाला गाँव में शराब पीली। सुधार जत्थों के मार्ग दर्शक श्री अड़िसाल सिंह थे, उन्होंने स्वयंसेवकों को ही परस्पर विचार करके निर्णय करने का सुझाव दिया। स्वयंसेवकों ने शराबी का काला मुँह करके बैण्ड बाजे के साथ गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला। उसे सुधार कार्य के स्वयंसेवक पद से पदच्युत कर दिया। इसी तरह बस्सी क्षेत्र के कल्याण मेले में शराब पीकर गंदे गाने वाले को सुधारने के लिए बस्सी क्षेत्र समिति के मंत्री झूंथालाल ठेकेदार के नेतृत्व में साठ स्वयं सेवकों का एक जत्था इन कुरीतियों को रोकने के लिए कल्याण जी के मेले में गया। स्वयं सेवकों को वहाँ पहुंचने से अश्लील नाच-गान बन्द रहे। शराब बन्दी तो इतनी प्रभावशील रही कि, जहाँ शराब ठेकेदार (कलाल) के डेढ़-दो हजार की शराब बिकती थी, वहाँ इस वर्ष केवल दस रुपये की शराब बिकी, जो भी अन्य वर्ग के लोगों ने क्रय की थी। भाण्डा रेज के मेले में श्री भौंरीलाल पटेल जसोता वाले ने अन्य मीणा समाज के प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से मेले में अश्लील गाने व नाचकूद के विरूद्ध बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया, जिसका मीणा समाज पर आशातीत प्रभाव पड़ा।

संदर्भ सूची:

1. श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की डायरी।
2. श्री किशनलाल वर्मा की नया बास जाँच हत्याकाण्ड का प्रतिवेदन।
3. मानव बुलेटिन 2, 3, 4
5. गौतम ऋषि महादेव सेवा समिति की रिपोर्ट।

❑❑❑

अध्याय 9

मुक्ति संग्राम के जुझारू योद्धा एवं शुभचिंतक

पूर्व पृष्ठों में हम पढ चुके हैं कि मीणा जाति एक शासक जाति थी। 11वीं सदी तक इनका लगभग समस्त राजस्थान पर एक छत्र राज्य था। अपनी सहृदयता, सज्जनता एवं परोपकारी भावना के कारण इनको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। परंतु चरित्र की धनी परिश्रमशील इस जाति ने हिम्मत नहीं हारी और शोषण व अन्याय के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करती रही। इस जाति की शासन प्रणाली पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक थी और इनके अनेक गणराज्य थे। ऐसी जाति को सामन्तवाद का शोषण बहुत अप्रिय लगा और सामाजिक न्याय के लिए यह सर्वदा संघर्षशील रही। इनके स्वतंत्रता प्रेम भाव से चिढ़कर ब्रिटिश सरकार ने इस जाति का दमन करने के लिए जरायमपेशा कानून (क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट) का सहारा लिया, जिसका विस्तृत वर्णन हम विगत-पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

उपर्युक्त भूमिका देने के पीछे हमारा यह तात्पर्य हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी इस जाति ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्षरत रही। ज्यों ही यह दमनकारी कानून समाप्त हुआ, इस जाति के लोगों ने वह प्रगति की, जो सदियों से स्वतंत्रता का सुख भोगने वाली जातियाँ भी नहीं कर सकीं। इससे स्पष्ट है कि यह जाति गुणवान एवं उच्च संस्कारों वाली थी। यदि ऐसा नहीं होता तो इतने अल्पकाल में यह जाति इतनी उन्नति कैसे कर सकती थी? यहां पर इस जाति के समाज से वह स्वतंत्रता सेनानियों का जीवनवृत पढ़कर पाठक स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे कि यह जाति सृजनशील एवं कर्त्तव्य निष्ठ थी। यदि जरायमपेशा कानून इन पर नहीं लादा जाता तो यह जाति राष्ट्र-निर्माण में किसी जाति से पीछे नहीं रहती। ज्योंही यह काला कानून हटा, यह जाति राष्ट्र निर्माण में जुट गई।

यहाँ मीणा समाज के कतिपय स्वतंत्रता सेनानियों तथा समाजसेवी महानुभावों का जीवनवृत लिखते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आशा है सभी वर्ग के पाठकगण इन त्यागी सदाचारी पुरुषों के जीवन चरित्र से अवश्य प्रेरणा लेंगे। इसी भावना से यह अध्याय लिखा जा रहा है। ऐसे तो समाज सेवकों की एक लंबी सूची है। शिक्षित-अशिक्षित सभी मीणा सरदारों ने समाज की उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन निम्नलिखित त्यागी पुरुषों की समाज एवं राष्ट्र-सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

(1) श्री गणपतराम बगराणा, नरेड (2) श्री पं. बंशीधर शर्मा, श्रीमाधोपुर (3) श्री पं. राजेन्द्र कुमार अजेय, जयपुर (4) श्री लक्ष्मीनारायण झरबाल, जयपुर (5) श्री भैरवलाल काला बादल, कोटा (6) एडवोकेट भीमसिंह, भरतपुर (7) एवोकेट श्री किशनलाल वर्मा, जयपुर (8) श्रीअड़ीसाल सिंह मत्स्य, कोटपूतली (9) श्री बद्रीप्रसाद दुखिया, शाहजहाँ पुर (10) श्री हरिकिशन राजगढ़, (अलवर) (11) श्री गुलाबचन्द गोठवाल, घाटगेट (जयपुर) (12) श्री भगवताराम ,सीकर (13) श्री झूथालाल नाढ़ला, बस्सी (जयपुर) (14) श्री चन्दालाल बैट्रीवाला, जयपुर (15) श्री रामसहाय पटेल नागल, (16) श्री कालू पटेल बामनवास, (17) श्री धर्मपाल, लुना की नांगल, (हरियाणा) (18) श्री कृष्ण 'मत्स्य' हिरनौदा, (19) श्री छाजूराम महाश्य, शाहजहाँ पुर (20) श्री भगवान सिंह तरंगी, डग (झालावाड़) (21) श्री बाबू

हरिसिंह जी, (22) श्री रामसिंह नौरावत, डग (झालावाड़) (23) श्री लालाराम प्रसाद, चौमहला (झालावाड़) (24) श्री सुन्दरलाल जेफ, आमेर कुंडा (जयपुर) (25) श्री हरसहाय जेफ, नयाबास (26) श्री सुरजाराम लाम्या, माण्डोता (सीकर) (27) मास्टर श्री चौथमल, उदयपुरवाटी (28) मास्टर श्री रणजीत मल, नीमकाथाना (29) श्री हनुमान कांवत, (30) श्री प्रभुदयाल हाटबाल, रींगस (31) श्री हरसहाय, शाहबाद (कोटा), (32) श्री गोविन्दराम, जयपुर, (33) श्री बाबा अर्जुनपुरी, चिथवाड़ी (34) श्री बल्लभानन्द स्वामी मण्डलेश्वर दादूपंथी नरेना आश्रम, जिला-जयपुर

पद दलितों के मसीहा अमृतलाल ठक्कर बाप्पा (गुजरात)

हमारे देश में कई महापुरुष ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन आदिवासियों के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुषों में एक नाम है 'ठक्कर बापा'। आपका जन्म 29 नवम्बर 1869 के सौराष्ट्र के भाव नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर था, परन्तु वे ठक्कर बाप्पा के नाम से ही प्रसिद्ध थे। आपका विवाह बाल्यकाल में ही हो गया था, परन्तु उनकी शिक्षा निरंतर जारी रही। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनको नौकरी करनी पड़ी और अध्ययन भी जारी रखा, फलस्वरूप आपने इंजीनियर की उपाधि धारण कर ली। कुछ दिनों बाद वे रेल्वे में सहायक इंजीनियर बन गए। काठियावाड़ से आप बडोदा रियासत के मुख्य अभियन्ता बन गए। कुछ समय बाद युगान्डा रेलवे लाइन का निर्माण कराने अफ्रीका चले गए। तीस वर्ष की आयु में 1903 में भारत लौटे और बंबई नगरपालिका में कुछ समय कार्यरत रहे। सन् 1914 में इस सेवा को भी आपने त्याग दिया।



वास्तव में बाप्पा को आर्थिक स्थिति के कारण नौकरी करनी पड़ी थी, उनको तो सेवा करनी थी, दीन दुखियों की। अंत में उन्होंने पिताजी को लिखा "आप मुझे आज्ञा दे तो नौकरी के जंजाल से छूटकर अपना जीवन दलितों की सेवा में अर्पित करूं। पिताजी की स्वीकृति मिलने पर गोपालकृष्ण गोखले द्वारा स्थापित 'भारत सेवक समाज' में काम करने लगे। इसी बीच आप भाव नगर प्रजा परिषद के सभापित चुन लिए गए और रियासती जनता पर होने वाले अत्याचारों का जमकर विरोध किया। इससे उनको राजनीति में भी भाग लेना पड़ा, परन्तु उनका मुख्य कार्य जनसेवा था।

बाप्पा की सेवा भावना देखकर राष्ट्रपिता म. गाँधी ने आपको हरिजन सेवक संघ के मंत्री का भार सौंपा। हरिजनों के उद्धार के लिए बाप्पा ने गाँव-गाँव भ्रमण किया और हरिजनों को अन्य लोगों की पंक्ति में ला बैठाया। इस अवसर पर गाँधीजी ने कहा था कि "बाप्पा आदिवासियों के पिता के साथ ही हरिजनों के भी पिता बन गये।" आपकी निस्वार्थ सेवा भावना से प्रभावित होकर कई राज्य सरकारों ने अपने प्रान्त में आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए बाप्पा से सुझाव मांगे। बाप्पा ने इस कार्य को बहुत ही रुचि से किया।

राजस्थान में भी उदयपुर स्थित देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में 31 दिसंबर 45 तथा जनवरी 1 से 3 तक, सन् 1946 को राजस्थान जनजाति समाज की बैठक आयोजित की। इसमें राजस्थान मीणा

जाति पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए अपराधी जनजाति कानून को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिसका विस्तृत विवरण विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। कुछ समय बाद जब स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का सुअवसर आया तो श्री बाप्पा को आदिवासियों के लिए बनाई गई समिति का सभापति चुना गया। इस संदर्भ मं बाप्पा ने एक बार पुन: आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत की।

इनके सुझावों के आधार पर ही भारतीय आदिम जाति सेवा संघ की स्थापना की गई और राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इस संघ के अध्यक्ष बनाये गये। इस तरह आदिवासियों की भलाई का कार्य अखिल भारतीय स्तर पर होने लगा। इसका सारा श्रेय श्री ठक्कर बाप्पा को है। राजस्थान में भी 1957-58 में आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष श्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया श्री भोगीलाल पाण्ड्या को उपसभापति बनाया गया। इस कार्य के लिए संघ के उपाध्यक्ष यू. एन. ढेबर ने राजस्थान का दौरा किया जिसका संक्षिप्त विवरण हम विगत पृष्ठों में दे चुके हैं।

बाप्पा की देश सेवा के विषय में जितना कहा जाए, उतना कम है। पं. जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि ''अपने देश में आदिवासी जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए बहुत कुछ करना है। ठक्कर बाप्पा ने वर्षों तक इनकी सेवा की। इनकी सेवा करते-करते वास्तव में वे स्वयं एक संस्था बन गए। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बाप्पा को मानवता का रक्षक बताया। वास्तव में आदिवासियों की सेवा में वे अद्वितीय थे। ऐसे महापुरुष का देहान्त 19 जनरी 1951 को हो गया।

ओमदत्त शास्त्री (गंगवाल पार्क, जयपुर)

आपका जन्म जनवरी, 1901 बिजनोर के अफजलगढ़ ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपने गुरुकुल कांगड़ी एवं पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में परीक्षायें उत्तीर्ण की।



लाहौर प्रवास के समय आप लाला लाजपतराय के सम्पर्क में आये। लालाजी की सर्वेन्ट ऑफ इण्डिया सोसायटी में काम करने लगे। वहां से आपका खादी ग्रामोद्योग की शिक्षा के लिए पूज्य बापू के साबरमती आश्रम भेजा गया। वहां आप नौ माह तक रहे और वहां हरिजन पत्र के सम्पादक हरिभाई के सम्पर्क में आए।

साबरमती आश्रम से आप आदिवासियों की सेवा के लिए अजमेर आये परन्तु हरिभाऊ उपाध्याय तथा बलवन्त राय देशपाण्डे ने आपको राजस्थान में खादी एवं हरिजन सेवक संघ से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जयपुर तथा अमरसर केन्द्रों का काम सम्भाला। आपके समय ठक्कर बापा और रामेश्वरी नेहरू भी आपके कार्य को देखने आये।

सन् 1942 में ओमदत्त शास्त्री ने कुछ मित्रों के साथ प्रजा मण्डल से अलग होकर आजाद मोर्चे में शामिल हो गए। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण आप जयपुर में बन्दी बना लिए गए। जेल से निकलने के बाद आपने खादी एवं औषधि वितरण का काम सम्भाला। खादी के विकास के लिए आपने गोविन्दगढ़ में चर्खा संघ की स्थापना की। इसके अध्यक्ष रहते हुए जयपुर में भारत

सेवक संघ का भी कार्य देखते रहे। दौसा में ग्राम सेवा संघ की स्थापना आपकी ही देन है। जयपुर में आपने एक आयुर्वेदिक फार्मेसी का भी निर्माण किया, जिसकी औषधि अभावग्रस्त लोगों में वितरण की जाती थी। इस तरह श्री ओमदत्त शास्त्री ने राजस्थान में 50 वर्ष तक रचनात्मक कार्य किए।

सन् 1945 में श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल का जेल में ही आपसे सम्पर्क हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल की सेवा भावना से प्रभावित होकर जेल से छूटने पर भारत सेवक समाज और जल बोर्ड का कार्य सौंपा। श्री लक्ष्मा नारायण झरवाल भी खादी ग्रामोद्योग से जुड़ गए। आदिवासी विशेषकर मीणा जाति की सेवा में आप जुटे रहे और अजीतगढ़ में मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों की जांच के लिए प्रजामण्डल की ओर से वहां गए।

राजस्थान में रचनात्मक कार्यों के लिए आप सराहनीय रहेंगे।

गोकुल भाई भट्ट (सिरोही)

आपका जन्म 25 फरवरी 1899 को सिरोही राज्य के हाथल गाँव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुम्बई में हुई। वे कृषि विज्ञान की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने वाले थे। परन्तु गाँधीजी की सत्याग्रह आंधी ने उनके जीवन को ही बदल दिया और विदेश जाने के स्थान पर देश सेवा में जुट गये। 1939 तक वे मुम्बई रहे और वहाँ विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और इससे पहले आपने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया।

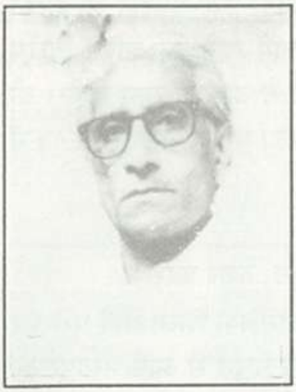


मुम्बई के विले पार्ले छोड़कर वे सिरोही आये और उन्होंने यहाँ प्रजामण्ड़ल की स्थापना की। गाँव-गाँव घूमकर उत्तरदायी शासन की मांग के लिए जन जागृति में लग गए। 1946 में राजपूताना प्रान्तीय देशी राज लोक परिषद का जब प्रथम बार गठन हुआ तो श्री गोकुल भाई उसके प्रथम अध्यक्ष मनोनीत हुए। 1948 के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन जयपुर के स्वागताध्यक्ष थे। सिरोही आदिवासी क्षेत्र होने के कारण आप आदिवासी समाज के विकास में लगे रहे। उनका सार्वजनिक जीवन बहुत ही उज्जवल था। सिरोही को राजस्थान में मिलाने का श्रेय आपको ही है। इससे पहले सरदार पटेल सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते थे। स्वतंत्रता के बाद वे सर्वोदय के कार्य में लग गए। उनके विचार से ग्राम स्वराज्य बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी है। ऐसे महान् तपस्वी सेवा भावी गोकुल भाई भट्ट ने अपने व्यक्तित्व की अनूठी छाप छोड़कर 6 अक्टूबर 1986 को जयपुर में अपना शरीर छोड़ा।

जनवादी जागरूक नेता गणेशलाल व्यास (उस्ताद) (जोधपुर)

आपका जन्म 1906 को जोधपुर नगर में हुआ और निधन 21 अक्टूबर, 1965 को 59 वर्ष की अवस्था में ही हो गया। आप अनेक विद्या विशेषकर संगीत विद्या में निपुण थे। अत: आपको उनकी चतुराई को देखकर सभी उस्ताद कहने लग गये। वास्तव में वे राजनीति के अच्छे खिलाड़ी थे। राजस्थान की रियासती जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में आपका विशेष योगदान रहा। प्रारम्भ में राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त कर जोधपुर के एक ठिकाने में कामदार हो गये। वहाँ पर आपको

जागीरदारी अन्याय को अपनी आँखों से देखने का अवसर मिला और मेवाड़ के मोतीलाल तेजावत की भाँति ठिकाने की नौकरी छोड़कर जन आन्दोलन में कूद पड़े। विजयसिंह पथिक एवं माणिक्य लाल वर्मा की भाँति आपने राष्ट्रीय गीतों से जन जागरण शुरू किया और लोगों को अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की प्रेरणा दी।



इस पुस्तक में आपका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि आपने जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर में आदिवासी जनजाति पर जरायमपेशा कानून से होने वाले अत्याचारों का डटकर विरोध किया। सामन्ती अन्याय पर अनेक कविता लिखकर अच्छी तरह से गा-गाकर लोगों को प्रेरणा दी। विजयसिंह पथिक की अध्यक्षता में सम्पन्न मीणा सम्मेलन आभानेरी व बांदीकुई में आपने भाग लिया और बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। 7 तथा 8 सितम्बर, 1947 के इस सम्मेलन में स्वतंत्रता सेनानी क्रान्तिकारी नेता लक्ष्मीनारायण झरवाल से आपका परिचय हो गया।

स्वतंत्रता के बाद भी मीणा जाति पर पुलिस अत्याचार में कोई कमी नहीं आई। उस्ताद ने यह प्रश्न सरकार के सामने पुरजोर शब्दों में उठाया। निर्दोष मीणों को एकत्रित कर उनकी सामूहिक रूप से पिटाई की जाती थी। सरकार इस अमानवीय कार्य के बारे में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया से बातचीत की और इस अन्याय को बन्द कराने का पूरा प्रयास किया। इस तरह से श्री व्यास मीणा जाति के परम हितैषी रहे।

क्रान्तिकारी नेता वैद्य गोपालदत्त (जयपुर)

स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले अनेक क्रान्तिकारी नेताओं के विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। श्री गोपालदत्त वैद्य भी उनमें से एक हैं। आपका जन्म 23 मार्च, 1923 को जयपुर में हुआ था। देशभक्ति के संस्कार आपको स्वर्गीय मुंशी रूपनारायण से मिले थे। महाराजा संस्कृत कालेज से आयुर्वेद उपाध्याय की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय के लिए आप कलकत्ता चले गये, जो उस समय क्रान्तिकारियों का गढ़ था। वहीं से आपने बम बनाने की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ आकर आप प्रजा मण्डल के कार्यों में भाग लेते रहे, परन्तु क्रान्तिकारी नेता ज्वाला प्रसाद अजमेर की भाँति बम बनाने व शस्त्र एकत्रित करने में भी लगे रहे।



नाहरगढ़ किले के नीचे की सुरंग में बम बनाने का सामान एकत्रित करते रहे। पुलिस के सन्देह होने पर छापा मारकर सभी सामग्री अपने अधिकार में ले ली। प्रजा मण्डल के आजाद मोर्चे के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बाबा नरसिंह दास के साथ आपने जयपुर महाराज को उत्तरदारी शासन के लिए चुनौती दी। दूसरी तरफ वे क्रान्तिकारी कार्यों में भी सक्रिय रहे। इसके लिए शस्त्र जुटाने आप ग्वालियर गये परन्तु आगरे में बन्दी बना लिये गए। आप पर अभियोग चलाया गया और एक वर्ष की सजा हुई।

यहाँ पर आपका उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि आप जरायमपेशा कानून को निरस्त कराने में बड़े सक्रिय रहे और मीणा समाज पर होने वाले पुलिस अत्याचारों का सदा विरोध करते रहे। जागीरदार एवं छोटे सामन्तों की लाग-बाग एवं बेगार प्रथा के विरुद्ध आपने आवाज उठाई। प्रजा मण्डल आन्दोलन (1945) में बहुत सक्रिय रहे और श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को बन्दी बनाये जाने का आपने विरोध किया। मीणा समाज की मांगें इतनी न्यायोचित थी कि प्रत्येक वर्ग के लोगों ने आपका साथ दिया। श्री गोपालदत्त की महत्वपूर्ण उपलब्धि हरिजनों की शिक्षा के लिए काम करना था। बगरू मीणा सम्मेलन में आपका भाषण बहुत ही ओजस्वी था।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी (ग्राम- सौख, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश)

आपका जन्म 8 जून, 1904 को मथुरा जिले के सौख गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा वहां पूरी कर जयपुर के महाराजा कालेज से इंटरमिडियेट परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात मथुरा से आप भरतपुर आ गये और राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य में रत हो गये। परन्तु सन् 1939 में प्रजा परिषद के आन्दोलन में भाग लेने के कारण अध्यापक पद को छोड़ना पड़ा। इनके नेतृत्व में आन्दोलन तेज होने वाला ही था कि राज्य सरकार से समझौता हो गया। इस समझौते से प्रजा परिषद को मान्यता मिल गई।



10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन की आग भरतपुर में भड़क उठी। श्री चतुर्वेदी बन्दी बनाये गये और उनको एक वर्ष की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा हो गयी। इस तरह भरतपुर के जन आन्दोलन में चतुर्वेदी जी महत्वपूर्ण हाथ रहा। 16 मार्च, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आदि राज्यों को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना हुई। मत्स्य संघ में जनता की सरकार बनाई गई। उसमें चतुर्वेदी जी उप प्रधानमंत्री बनाये गये। उस समय जयपुर रियासत से तो जरायम पेशा कानून 10 अगस्त, 1946 को निरस्त कर दिया गया परन्तु मत्स्य संघ की रियासतों में यह कानून समाप्त नहीं किया गया और वहां मीणों पर घोर अत्याचार होते रहे। मत्स्य संघ में भी जरायमपेशा कानून को हटाने के सम्बन्ध में राजस्थान मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण जी झरवाल श्री चतुर्वेदी से मिले और उन्होंने निवेदन किया कि क्या केवल जाति में जन्म लेने मात्र से किसी मीणा को चोर मानकर उस पर अमानवीय अत्याचार करने का न्याय दे? श्री झरवाल की बात चतुर्वेदी ने बहुत ही ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि 15 अगस्त, 1948 को इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे और जरायमपेशा कानून को निरस्त कर दिया जायेगा।

मत्स्य संघ जब राजस्थान राज्य में विलय हो गया मुख्यमंत्री जयनारायण जी व्यास के मंत्रिमण्डल में चतुर्वेदी जी सार्वजनिक मंत्री बनाये गये। चतुर्वेदी जी इस प्रकार स्मरण कराना आवश्यक हो गया कि उन्होंने भरतपुर विराट मीणा सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और मत्स्य संघ से जरायमपेशा कानून समाप्त कराने की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनेकों स्थलों पर आपने मीणा समाज की उन्नति के लिए कार्य किया।

श्री जयनारायण व्यास (1899-1963) (जोधपुर)

राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। वे राजस्थान में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामन्तशाही के विरूद्ध अपनी आवाज बुलन्द की और राजस्थान में उत्तरदायी शासन का नारा लगाया। 1927 में आप तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक बने और



1936 में मुम्बई से 'अखण्ड भारत' दैनिक पत्र निकाला। आपने राजस्थानी भाषा में 'आगीवान' पत्रिका भी निकाली। देशी राज लोक परिषद के आप श्री हीरालाल शास्त्री के साथ प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। लगभग 14 वर्ष तक आपने इस पद पर काम किया। श्री व्यास जी मारवाड़ क्षेत्र के आदिवासी एवं किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहै। 1948 में लोक प्रिय मंत्री मण्डल का गठन हुआ तो आप राज्य के प्रधानमंत्री बनाये गये। 1951 से 54 तक आप इस पद पर आसीन रहे। इससे पहले आप राजपूताना लोक परिषद के अध्यक्ष रहे और 1956 से 1957 तक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप अंतिम क्षणों तक राजनीति से जुड़े रहे और आदिवासी समाज व किसानों के अधिकारों के लिए सदा संघर्षरत रहे। अपनी लोक सेना के कारण आप लोक नायक के नाम से संबंधित किए जाने लगे। अपने उज्जवल चरित्र की छाप छोड़कर 14 मार्च 1963 को आप स्वर्ग सिधार गए।

जयपुर क्षेत्र को आदिवासी जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये वे सदा कार्य करते रहे। प्रारंभ में भरतपुर राज्य के सचिवालय में लिपिक बने, परन्तु राजनीतिक आन्दोलन में सक्रिय रहने के कारण आपको यह पद छोड़ना पड़ा। जन जीवन की समस्याओं पर विचार करना और उनका हल खोजना आपकी मुख्य विशेषता थी। वे बहुत ही निर्भीक थे और वे भारत की जनजागृति के अगुवा रहे।

पं. जवाहरलाल नेहरू

आदिवासी व आदिवासी जनजाति के उत्थान के लिए आपने जो



संवैधानिक व्यवस्थाएं करवाने में आपका योगदान अविस्मरणीय है। पं. जवाहर लाल नेहरू जब देशी लोक परिषद का उदयपुर में होने वाले अधिवेशन पर विचार विमर्श करने के लिए जयपुर आए। 20 अक्टूबर 1945 में वैद्य लच्छीराम जी के बाग मोती डूंगरी रोड जयपुर में राजस्थान प्रजा मण्डल के गणमान्य नेताओं की बैठक, जिसमें शेख अब्दुला कश्मीर, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, सूर्य प्रकाश पापा, खोरा जी, बंशीधर जी शर्मा व अन्य नेताओं ने भाग लिया। उस समय श्री लक्ष्मी नारायण जी झरवाल ने पं. नेहरू को राजस्थान के रियासत- जयपुर, अलवर, टोंक, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा में मीणों पर जन्म लेने के साथ ही जरायमपेशा कानून को लगाकर लाखों निर्दोष मीणा लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं देकर नागरिक अधिकारों से वंचित कर रखा है। इस बात

को सुनकर पं. जवाहर लाल नेहरू ने सभा में बैठे प्रजा मण्डल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री की ओर इशारा करके कहा कि ''प्रजा मण्डल को जरायमपेशा कानून को खत्म करने व मीणा जाति के विकास के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए।'' तथा ऐसे अमानवीय काले कानून को फाड़ कर जला देना चाहिए। आपकी इस प्रेरणादायक विचारों से मीणा जाति के लोगों को मार्गदर्शन मिला, जो आगे चलकर काले कानून खत्म कराने के लिए एक प्रेरणा बनी, जिसके लिए आदिवासी व आदिवासी जनजाति आपका आभार मानती है।

क्रांतिकारी श्री ज्वालाप्रसाद (अजमेर)



जब आप अजमेर में विद्यालय में पढ़ रहे थे, तभी से आप क्रांतिकारी आन्दोलन से जुड़ गए। इसी कारण उनमें राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। 1931 में उनकी टोली ने रेल्वे खजाने को लूटने की योजना बनाई। वे क्रांतिकारी लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदा सजग रहे। यही कारण था कि क्रांतिकारियों के कार्यों का भेद लेने आये पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोंगरा और मध्य भारत के एक पुलिस अधिकारी पर गोली दागने का साहसपूर्ण कार्य किया। 1942 के आन्दोलन में वे जेल गये। वे आदिवासी समाज के भी सर्वदा ही शुभचिंतक रहे। मीणा सुधार समिति के इतिहास प्रसिद्ध विराट सीकर मीणा सम्मेलन का उद्‌घाटन आपके ही कर कमलों से हुआ। सुधार समिति के लक्ष्मीनारायण झरवाल आदि कार्यकर्त्ताओं से आपका निकट का संपर्क बना रहा।

पं. नरोत्तम लाल जोशी (झुंझुनूं)



आपका जन्म 16 दिसम्बर 1916 को झुंझुनूं में हुआ। आपने 1939 में शेखावाटी आन्दोलन का नेतृत्व किया। आपका कार्य क्षेत्र अधिकतर रियासत में रहा। 1938 को जयपुर प्रजामण्डल के तत्वावधान में जन आन्दोलन के प्रर्वतक रहे। वे जीवन भर सामंतों से कृषकों तथा आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ते रहे। जयपुर में मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों का आपने डटकर विरोध किया। इस संदर्भ में मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल से आपका संपर्क बना रहा। 1945 में आप संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। उत्तरदायी शासन के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन में आप 1947 में जयपुर राज्य द्वारा बन्दी बनाये गये। सन् 1951 में शास्त्री जी के मंत्रिमण्डल में विधि एवं निर्वाचन विभाग के मंत्री रहे। वे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे।

पं. ताड़केश्वर शर्मा (झुंझुनूं)

झुंझुनूं जिले के पचेरी बड़ी ग्राम के निवासी पं. ताड़केश्वर शर्मा उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन व जमींदारों के विरूद्ध जमकर लोहा लिया। कभी किसानों की मांगों के लिए बन्दी बनाए गए तो कभी कानून तोड़ने के संदर्भ में काल कोठरियों में ठूंसे गए। 2 अक्टूबर 1911 को जन्मे शर्मा ने विद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, परन्तु समय और परिस्थितियों ने उन्हें सब कुछ पढ़ा दिया। 1928 से वे कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने कलकत्ता में मोतीलाल जी नेहरु की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वहाँ से लौटकर वे गोविन्दगढ़ चर्खा संघ मलिकपुर में काम करने लगे। चर्खा संघ के कार्य के साथ वे हरिजन बालकों को भी पढ़ाने लगे। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए जयपुर से एक जत्था तैयार किया। 1933 में बोलपुर पहुँचकर शांति निकेतन में विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर से भेंट की। किसान आन्दोलन से बराबर जुड़े रहे।



जयपुर रियासत के जरायम पेशा कानून का विरोध करने में भी वे सक्रिय रहे और मीणा सुधार समिति जयपुर से निकट संपर्क रखा। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय वे भूमिगत हो गये। अपनी निर्भीक स्वतंत्रता के कारण वे जयपुर रियासत से भी निष्कासित कर दिए गए। आपने पचेरबड़ी में किसानों पर हुए गोली काण्ड का विरोध किया। आप स्वतंत्रता सेनानी के साथ स्वर्गीय माणिक्य लाल वर्मा के समान अच्छे गायक भी थे, जिसका उपयोग जन जागृति में किया गया।

भीखाभाई भील (डूंगरपुर)



आपका जन्म 28 अप्रैल 1916 को डूँगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में हुआ। आपने एम. ए. एल. एल. बी. की उपाधि प्राप्त की। प्रथम आम चुनाव 1952 वे संसद सदस्य के रूप में चुने गये। इसके बाद तो लगातार कभी लोकसभा एवं विधानसभा के लिए चुने जाते रहे। समाज कल्याण मंत्री के रूप में आदिवासी जनजातियों की उन्नति के लिए अच्छे कार्य किये। आप स्वयं आदिवासी जनजाति के हैं। लगभग 60 वर्ष तक निष्काम भाव से जन सेवा में लगे रहे। निष्काम कर्मयोगी, समन्वित, सरल, समर्पित और त्यागमय जीवन से आप बहुत ही लोकप्रिय हैं। हाल ही में आपका वयोवृद्ध आदिवासी नेता के रूप में राज्यपाल राजस्थान द्वारा अभिनन्दन किया गया है।

महान तपस्वी नेता श्री भोगीलाल जी पंड्या (डूंगरपुर)

बागड़ प्रदेश, डूँगरपूर बाँसवाड़ा के गाँधी श्री भोगीलाल पंड्या का जन्म 15 मार्च 1904 को हुआ था। उनका जीवन ऐसे राजतंत्र के विरूद्ध संघर्ष की कहानी है, जिसने शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को कानून बना कर बंद कर रखा है। शिक्षा का कार्य करने वालों को राजद्रोही मानकर

उन्हें बन्दी बनाकर कड़ी सजा दी जाती थी। परन्तु पण्ड्या जी के अनुयायी हार मानने वाले नहीं थे। इसके लिए शिक्षक नाना भाई खांट तथा उनकी शिष्या काली बाई ने अपने प्राणों की अहम बलि दे दी थी। जिसका विस्तृत विवरण हम पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।



पण्ड्या जी यह भली-भाँति समझते थे कि शिक्षा प्रसार से ही आदिवासियों के ज्ञान चक्षु खोले जा सकते हैं जिससे उनको अधिकारों का ज्ञान होगा और वे सामन्ती व्यवस्था का जम कर विरोध कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने पन्द्रह वर्ष की अवस्था में ही 1919 में अपने गाँव में विद्यालय खोल दिया। विद्यालय के साथ उन्होंने आदिवासियों में राजनीतिक जागृति के लिए प्रौढ़ शालाओं का भी आयोजन किया। इसी क्रम में उन्होंने 'बागड़-सेवा मंदिर' की स्थापना की। इस संस्था से आतंकित होकर डूँगरपुर रियासत ने इसे बलात् बंद कर दिया। परन्तु बागड़ प्रदेश में जागृति के अग्रदूत यों हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सेवा संघ संस्था का गठन किया है। आप राजस्थान आदिम सेवक संघ के उपाध्यक्ष थे।

सन् 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आन्दोलन की सफलता के लिए वे जी-जान से जुट गये। इसी क्रम में उन्होंने 1944 में डूँगरपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की। सन् 1948 के बाद डूँगरपुर रियासत राजस्थान संघ में मिल गई और आप कई बार मंत्री बनाये गये। राजनीतिक उपलब्धि से अधिक महत्त्वपूर्ण उनके द्वारा की गई आदिवासी समाज की सेवा है।

स्वतंत्रता के बाद आपने आदिवासी समाज को नागरिक अधिकार दिलवाये और उनकी शिक्षा के लिए समाज कल्याण बोर्ड से अनेक विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण करवाया। आदिवासियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने का भरसक प्रयास किया और काका कालेलकर कमीशन के समक्ष आरक्षण का प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से रखा। उदयपुर क्षेत्र के भील एवं मीणा जाति के आरक्षण की सूचना जब जयपुर पहुँची तो स्वतंत्रता सेनानी श्रीलक्ष्मीनारायण झरवाल ने पण्ड्या से संपर्क किया और इस क्षेत्र की समस्या सामने रखी। पण्ड्याजी ने फिर विमुक्त आदिवासी जनजाति के लिए छात्रावासों की स्वीकृति दिलवाई। ऐसा प्रथम छात्रावास नवाब साहब की हवेली त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर की मांग पर ' 'विमुक्त छात्रावास'' खोला। इनका मीणों को आदिवासियों की मान्यता दिलाने में योगदान रहा।

पाण्ड्या जी की समाज सेवा से प्रभावित होकर भारत सरकार ने आपको पद्म विभूषण से विभूषित किया। सरल मृदुभाषी निस्वार्थ सेवाभावी पण्ड्याजी की आदिवासी जनजातियां सदा ऋणी रहेंगी जो अपनी सामान्य सुख-सुविधाओं को ताक में रखकर आदिवासी जनजाति के कल्याण में जुट गए। पण्ड्या जी के जीवनवृत्त लिखते समय उनकी पत्नी स्वर्गीय मणि बहिन को भुलाया नहीं जासकता। वे उनकी प्रेरणा स्त्रोत थी

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1863-1956) (महाराष्ट्र)

पिछड़ी जातियों के उत्थान की चर्चा करते समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं भूल सकते। इन्होंने दलित संघ गठित कर इनके हितों के लिए लंबा संघर्ष किया। इन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में स्वर्ण लोगों के हाथों जीवन में कितने ही कड़वे घूँट पीये थे। परन्तु इस धीर-वीर में अद्‌भुत साहस था और उन्होंने निर्बलों के हित में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। आरक्षण का प्रारंभ इनकी ही देन है।



आप सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं समझते थे। विधि विशेषज्ञ डॉ. अंबेडकर ने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसी के आधार पर हमारे संविधान की रचना हुई। उसमें समानता का अधिकार आपकी ही देन है। भारतीय समाज में जातिवाद से वे बड़े दु:खी भी थे। वे चाहते थे कि जाति के स्थान पर हमें मनुष्य की योग्यता पर अधिक ध्यान देना है। सच पूछा जाये तो वे आधुनिक मनु हैं- जिन्होंने समाजवादी विचार को प्रधानता दी।

मोतीलाल तेजावत (उदयपुर)

वागड़ प्रदेश में जिस प्रकार पण्ड्याजी ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष छोड़ा, वैसा ही आदिवासी जनता के लिए श्री मोतीलाल तेजावत ने एक जन आन्दोलन खड़ा किया। उनके हृदय में शोषित पीड़ित और बुभुक्षित आदिवासी जनता के लिए भारी संताप था। इनका जन्म विक्रम संवत् 1944 की ज्येष्ठ शुक्ला प्रथमा को हुआ। प्रारंभ में वे झाड़ोल ठिकाने के जागीरदार के यहां कामदार का काम करने लगे। वहाँ उन्होंने सामन्ती अत्याचारों को निकट से देखा। और ठिकाने की नौकरी छोड़कर आदिवासियों को संगठित करने में लग गए। संवत् 1977 (1920) में चित्तौड़ जिले के मातृ कुण्डिया के पवित्र स्थल मेले में मेवाड़ रियासत के अत्याचारों के विरूद्ध 'एकी आन्दोलन' का श्री गणेश किया। धीरे-धीरे यह आन्दोलन अन्य राज्यों में फैल गया। सामन्तों ने इनकी जीवन लीला समाप्त करने के अनेक प्रयत्न किये।



इसी क्रम में वे गुजरात की रियासत के नीमड़ा गाँव में बेगार प्रथा का विरोध कर रहे थे तभी उन पर गोलियों की बौछार की गई। जिससे उनके पैर में गोली लगी। उस समय आदिवासी अपने प्रिय नेता को ले जाकर भूमिगत हो गये। भूमिगत होकर वे आदिवासियों को संगठित करने में लगे रहे। 1929 ई. में बन्दी बनाये गये और उन्हें सात वर्ष की सजा हुई। वे प्रजामण्डल के कार्य से भी कई बार जेल गये। अंत में 15 दिसंबर 1963 ई. को आदिवासी जनता के इस मसीहा का स्वर्गवास हो गया।

मणि बहिन पाण्ड्या (डूंगरपुर)

स्वतंत्रता सेनानियों को शक्ति प्रदान करने में उनकी धर्म पत्नियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इसी संदर्भ में पण्ड्याजीकीपत्नीमणि बहिन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपका जन्म नानावड़ा (गुजरात) में एक साधारण परिवार में हुआ था। माताजी का नाम शिवकोर बाई व पिता का नाम कालीदास था। पण्ड्या जी ने जब अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया था, तब मणि बहिन ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। सन् 1933 में उन्होंने खादी पहनना आरंभ कर दिया। जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। उनका संत जैसा सरल स्वभाव, मृदुभाषिता एवं आतिथ्य सत्कार उच्च कोटि का था। इसलिए जनता उनको 'बागड़ बा' के नाम से पुकारती थी।



'बागड़ बा' के अंतरतम में स्थित ममत्वभाव उस समय प्रकट हुआ, जब एक गरीब आदिवासी अपनी पत्नी की चिकित्सा के लिए डूँगरपुर आया था। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। वह पण्ड्याजी के घर पहुँचा, परन्तु वे घर पर नहीं थे। 'बागड़-बा' से आदिवासी ने अपनी व्यथा बताई तो वे द्रवित हो उठी। परन्तु उस समय 'बा' के पास भी पैसे नहीं थे। परन्तु करुणामयी 'बा' ने अपने पैरों के पायजेब एक महाजन के यहाँ गिरबी रखकर उस आदिवासी को सहायता की।

मणि बहन में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। 1946 ई. में वह तिरंगा हाथ में लेकर अनेक महिलाओं का नेतृत्व कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। सेवा संघ तथा प्रजामण्डल का प्रत्येक सदस्य उनको आदर की दृष्टि से देखता था। महिलाओं के सत्याग्रह में वह सबसे आगे रहती थीं और पुलिस को ललकारती हुई कहती "पहले मुझे बन्दी बनाओ।" पण्ड्या जी को जेल जाने से बा ने कभी नहीं रोका। जब पण्ड्या जी जेल में अनशन करते तो बा भी उपवास रखती। ऐसी ममतामयी 'बा' ने स्वदेश प्रेम की अमिट छाप छोड़कर 12 फरवरी 1969 को अपनी अंतिम सांस ली।

श्री माणिक्य लाल वर्मा (उदयपुर)



आपका जन्म विक्रम संवत् 1954 को माघ शुक्ला एकादशी (1893 ई.) बिजोलिया ठिकाने के एक सामान्य कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रारंभ में वे अध्यापक थे, परन्तु पथिक जी के संपर्क में आने के बाद वे किसान आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। मेवाड़ प्रजामण्डल को संगठित करने में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। मेवाड़ आदि स्थानों की आदिवासी जनता में जागृति लाने के लिए- श्री भोगीलाल जी पण्ड्या के नेतृत्व में सराहनीय कार्य किया। वनवासी भीलों के हितों की रक्षा के लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। इसके लिए सामन्तों ने आपको कठोर यातनाएं दी। परन्तु आप अपने ध्येय से कभी विचलित नहीं हुए।

आप एक अच्छे कवि भी थे। बिजोलिया किसान आन्दोलन में जब अपनी ओजस्वी वाणी में गीत

गाते थे तो भील हृदय में भी वीरता का संचार होता था। आगे चलकर वर्मा की उत्साह पूर्ण वाणी से किसान इतने बलशाली हो गये थे कि वे मेवाड़ तथा उसके अधीन सामन्तों के विरूद्ध ताल ठोक कर खड़े हो गये। रियासतों के एकीकरण में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। वे वृहत्तर राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, परन्तु पीड़ित जनों की पीड़ा उन्हें अपने बीच खींच लाई। उसके बाद तो जीवन पर्यन्त शोषित एवं पीड़ितों की सेवा करते रहे। वे श्री मोहन लाल सुखाड़िया के मार्गदर्शक थे, जिन्होंने सत्रह वर्ष तक राजस्थान की बागडोर संभाली। वर्मा जी, निर्भीक व स्पष्टवादी थे। अपने विचारों से वे कभी पीछे नही हटे। ऐसे महान् तपस्वी लोक सेवक वर्माजी ने राजस्थान से सामन्ती श।सन का अन्त कर चौदह जनवरी 1969 को अपना शरीर छोड़ दिया। राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के आप अध्यक्ष थे।



श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर)

जब आदिवासियों की उन्नति की बात चलती है, तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया को स्मरण किए बिना नहीं रहा जा सकता। आप का जन्म 31 जुलाई 1916 नाथ द्वारा के एक वैश्य परिवार में हुआ। इन्दु बाला से विवाह करके आपने रुढ़िवादी समाज को चुनौती दी। प्रजामण्डल के कार्य में निरंतर सक्रिय रहे। 13 नवम्बर 1954 में आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री रहते हुए सामन्ती अवशेषों को नष्ट करने के लिए जूझते रहे। मीणा सुधार समिति के जयपुर अधिवेशन नथमल का कटला आगरा रोड, जयपुर का आपने उद्घाटन किया।

महात्मा गाँधी का योगदान (पोरबन्दर, गुजरात)

म. गाँधी केवल भारत की स्वतंत्रता के प्रणेता ही नहीं थे, परन्तु आदिवासी जनजाति के अधिकारों के लिए उनका जीवन समर्पित था। नागरिक अधिकारों के लिए उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में काम करने वाले मजदूरों को मतदान का अधिकार नहीं था। 1907 में वहाँ भी



भारत में प्रचलित जरायम पेशा कानून था। इस ट्रान्सवाल एशियाटिक कानून के अनुसार भारतीयों को पुलिस में अपना नाम पंजीकृत कराना पड़ता था। इतना ही नहीं स्टाम्प पर अंगूठे का निशान भी लगाना पड़ता था। इन सभी काले कानूनों का विरोध करने के लिए तीन हजार भारतीयों ने सभा की और प्रतिज्ञा की कि ''हम अंगूठे की छाप नहीं लगायेंगे।'' सरकार ने दमन चक्र प्रारंभ किया और गाँधी जी और उनके साथी मि. पोलक बन्दी बनाये गये। अन्त में दक्षिण अफ्रीका के गवर्नर स्टमस को सत्याग्रहियों से समझौता करना पड़ा। इसके अनुसार सरकारी पंजीकरण कानून रद्द कर दिया गया और कहा गया कि भारतीय स्वेच्छा से अपना नाम पंजीकृत करायेंगे परन्तु सरकार ने कानून रद्द नहीं किया। विरोध स्वरूप गाँधी जी के नेतृत्व में 16 अगस्त 1908 को स्वेच्छा से कराये गये पंजीकरण की दो हजार प्रतियाँ जला दी गई। यह उसी प्रकार का दृश्य था जिस प्रकार मीणा

सुधार समिति के नेतृत्व में एम. पास तथा जरायम पेशा कानून की होली जलाई थी, जिसका विस्तृत विवरण हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

भारत आगमन (1915):- भारत में भी आदिवासी किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इसके लिए सर्वप्रथम बिहार में चंपारन सत्याग्रह का आयोजन किया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने गाँधीजी को गोरे भू-स्वामियों द्वारा पिछड़ी जाति के किसानों पर होने वाले अत्याचारों से अवगत कराया। गाँधी जी स्वयं वहाँ गये और आदिवासियों को गोरे लोगों के अन्याय से मुक्त कराया।

म. गाँधी के स्वराज्य दर्शन के पीछे पद दलित आदिवासी एवं अनुसूचित जनजातियों को मानवाधिकार दिलाना था। इसके लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह आयोजित हुआ। इसके बाद तो किसान आन्दोलन का ताँता लग गया। जिनमें पं. नेहरू, सरदार पटेल एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। अछूत समझी जाने वाली जातियों की उन्नति के लिये उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस सर्वदा ही पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए बराबर संघर्ष करती रही।

गाँधीजी के बाद स्वतंत्र भारत में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल ने आदिवासियों की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। नेहरुजी की अध्यक्षता में होने वाले जनवरी 1946 में देशी राज लोकपरिषद के अधिवेशन में जरायम पेशा कानून की निन्दा की गई जिसका संक्षिप्त विवरण हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

भारत में आदिवासी जनजाति की उन्नति के लिए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना विधिवत की गई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने स्वीकार कर ली। इस संघ के संस्थापक ठक्कर बाप्पा थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि 'यह नहीं हो सकता कि आप तो आधुनिक नवीनतम साधनों और उपकरणों का उपयोग करें और ये बेचारे आदिवासी उन सुख साधनों से वंचित रहें।' आदिम जनजातियों की उन्नति में आदिम जाति सेवक संघ के संस्थापक ठक्कर बाप्पा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

महात्मा ज्योतिराव फूले (1827-1890) (महाराष्ट्र)



महात्मा ज्योतिराव फूले आधुनिक महाराष्ट्र की सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत, पारम्परिक समाज व्यवस्था की रूढ़ियों को ध्वस्त कर प्रगतिशील समाज के सृजक थे। आपने नारी शिक्षा और नारियों के अधिकारिं के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने 1848 ई. में भारत में प्रथम कन्याशाला खोली और 1859 ई. में अछूतों के लिए प्रथम पाठशाला की व्यवस्था की। सामाजिक समानता के लिए आपने छुआछूत को हिन्दू समाज के लिए कलंक बताया और अपना कुआ अछूतों को समर्पित कर दिया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की भांति आपने 1864 ई. में विधवा विवाह को लोकप्रिय बनाने के लिए अनूठा कदम उठाया। बाल विवाह का आपने विरोध किया।

धर्म मूलक विषमता को मिटाने के लिए आपने 1873 ई. में सत्य शोधक समाज की नींव डाली। ज्योतिराव व्यक्ति नहीं शक्ति थे। वे मानव समानता के लिए समर्पित थे। उनका कहना था कि "सभी जाति का निर्माण कर्ता एक ही है, वह सर्वत्र व्याप्त निराकार और सत्यस्वरूप ईश्वर है। विश्व के सभी स्त्री-पुरुष उसी की सन्तान हैं। जिस प्रकार माँ को प्रसन्न करने के लिए तथा पिता की प्रार्थना करने के लिए बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए पंडे, पुरोहित आदि बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्येक मनुष्य अपने धार्मिक अनुष्ठान स्वयं कर सकता है। मनुष्य अपनी जाति से नहीं कर्मों से श्रेष्ठ होता है। यह कैसी विडम्बना है कि मंदिर निर्माण में तो अछूत मजदूर काम कर सकता है परन्तु मंदिर में जाकर वह दर्शन नहीं कर सकता। महिला मातृशक्ति का अपमान महान पाप है।

अछूत पददलितों एवं नारी उत्थान के लिए किए गए उनके कार्य चिरस्मरणीय हैं। आज भी हमें महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर चलने की अत्यन्त आवश्यकता है। वे वास्तव में भारत माता के महान सपूत थे। जिन्होंने सर्वप्रथम न्याय के लिए संघर्ष किया।

श्री बद्रीनारायण 'खोरा जी' (1900-1986) (ग्राम खोरा, जिला जयपुर)

स्वतंत्रता सेनानी और निस्पृह लोकसेवी श्री बद्रीनारायण 'खोराजी' का ग्रामीण जनता की सेवा के लिए समर्पित भावना युवा पीढ़ी के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। पद प्रतिष्ठा और प्रचार से कोसों दूर



रहते हुये, अपनी मान्यताओं के अनुसार जैसा जीवन उन्होंने अपनाया, वैसा उदाहरण विरले ही लोगों का है। सर्वोदय नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा का कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है "खोरा जी उन लोगों में से थे, जो प्रत्येक श्वास के साथ परमार्थ की बात सोचते थे। व्यक्ति आता है और चला जाता है, समाज सरिता निरंतर बहती रहती है। खोराजी ऐसे ही त्यागी पुरुष थे, जो अपने व्यक्तित्व की अनूठी छाप लोगों पर छोड़ गए।"

ऐसे तपस्वी सेवा भावी खोरा जी का जन्म तत्कालीन खोरा गांव में 26 सितम्बर 1900 को हुआ। उनके पिता श्री गिरधारी लाल रेल्वे विभाग की सेवा में थे। नवीं कक्षा तक वे महाराजा स्कूल में पढ़े। पारिवारिक, परिस्थितियों के कारण चाहते हुए भी वे आगे न पढ़ सके। पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ कुछ समय तक नौकरी करते रहे। इसके बाद वे गोविन्दगढ़ में अध्यापन तथा रींगस में खादी के कार्य में लग गये। 1923 में उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री अर्जुनलाल सेठी से हुई। इससे उनका चिन्तन ही बदल गया और देश सेवा की प्रतिज्ञा कर जन सेवा में लग गये। 1935 में खोराजी प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के संपर्क में आये और वे शास्त्री जी की फक्कड़ मण्डली में सम्मिलित हो गए। जीवन कुटीर एवं प्रजामण्डल के कार्य में वे निरंतर व्यस्त रहे।

विदेशी शासन तथा देशी राजाओं के विरूद्ध लोकमत जागृत करने में निडर होकर काम करते रहे। इसके लिए सामन्तवादी शासन से लोहा लेना पड़ा। जयपुर रियासत द्वारा जरायम पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासी मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध मीणा समाज को संबल प्रदान किया और उनके

सम्मेलनों में भाग लेने लगे और सरकारी दमन चक्र की खुलकर निन्दा की। सामन्ती शासन के विरोध एवं पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ने के कारण आपका जीवन कितनी बार खतरे में पड़ गया। परन्तु आप अपने ध्येय से कभी विचलित नहीं हुए और निरंतर संघर्ष करते रहे।

अपने अपमान व सामाजिक बहिष्कार की चिन्ता न करते हुए वे निडर होकर समस्त ढूंढाड़, तोरावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता की अलख जगाते रहे। खोराजी के जीवन की विशेषता थी कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। जिस काम को वे हाथ में लेते उसे वे पूरा करके छोड़ते थे। विपदाओं तथा विरोध उनके कार्य में कभी बाधक नहीं होते थे। वे अपनी धुन के पक्के थे। उनकी मान्यता थी कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति का कोई मूल्य नहीं है। अत: समाज सुधार के कार्य को अपने हाथ में लिया।

सन् 1929 में गाँधीजी की प्रेरणा से अपने गाँव खोरा-बीसल में हरिजनों में शिक्षा प्रसार को अपने हाथ में लिया। हरिजनों की सेवा के कारण उनको जाति से भी बहिष्कृत होना पड़ा। गाँधीजी को जब घटना का पता चला तो उन्होंने खोराजी के साहस की प्रशंसा की और उनको प्रेरणादायक पत्र लिखा। 1937 में प्रजामण्डल आन्दोलनमेंभागलेते हुए उन्होंने रियासती शासकों के शिकार कानून का विरोध किया और कृषि की रक्षा के लिए, सूअर, भालू मारने की छूट दिलवाई। ठिकानेदारों को तो वे गुलामों के गुलाम कहा करते थे। सत्याग्रह आन्दोलन में वे भूमिगत रहकर सामन्तवाद का विरोध करते रहे। मार्च 1945 में जागीरदारों का गढ़ घोड़ा पूंख में जहां खादी की टोपी या तिरंगा ले जाने पर आदमी जिन्दा नहीं आ सकता था, उस जगह सम्मेलन रखा गया और उस सम्मेलन का आयोजन लक्ष्मी नारायण झरवाल ने किया और उसके प्रचार के सिलसिले में उनको नीमकाथाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया और काठ की यातनाएं दी और जेल भेज दिया। इसी प्रकार दूदू में जागीरदार द्वारा खोरा जी जब जाते थे तो गांव के किसानों से उनको नहीं मिलने दिया जाता था। वहां विशाल सम्मेलन का आयोजन खोरा जी के सभापतित्व में किया गया और किसानों को लाग-बाग न देने की घोषणा की गई।

1947 में देश स्वतंत्र हुआ, खोराजी की अभिलाषा पूरी हुई। इसके बाद अपनी जन्मभूमि के विकास के कार्य में लग गये। अपनी सेवा भावना के कारण वे खोरा बीसलपुर के वर्षों तक सरपंच रहे। भारत सेवक समाज के मुख्य प्रचारक बन गये। 'बद्री नारायण' और खोरा इतने एकाकार हो गये कि वे खोराजी के नाम से ही पुकारे जाने लगे। 86 वर्ष की अवस्था में 28 जनवरी 1986 को इस कर्मयोगी ने अंतिम सांस ली और वे लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बनवारी लाल गौड़ (चित्तौड़)



श्री बनवारी लाल गौड़ विद्यार्थी जीवन से ही पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहे। आपको रचनात्मक कार्य की प्रेरणा मेवाड़ प्रजामण्डल के प्रमुख नेता एवं जन चेतना के प्रवर्तक स्वर्गीय श्री माणिक्यलाल वर्मा से मिली। उनके निर्देश से सर्वप्रथम आपने स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय गाड़ी लोहार सम्मेलन (1955) में बहुत ही निष्ठा से स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। चित्तौड़ में इस सम्मेलन से प्रेरणा लेकर आपने वहाँ गाड़िया-लोहार

छात्रावास की स्थापना की। 1956 से 1959 तक राजस्थान गौ सेवा संघ में कार्य किया। श्री गौड़ के चरित्र की यह विशेषता रही कि जहां भी सेवा का अवसर आता वे नि:संकोच बिना किसी स्वार्थ भावना के कार्य करने को उद्यत हो जाते थे।

स्वर्गीय माणिक्यलाल वर्मा ने जब 14 नवम्बर, 1957 को आदिम जाति सेवा संघ की स्थापना की तो इस संस्था को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय आपको ही है। इस संस्था द्वारा 1958 में आबू रोड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में आपने बहुत ही लगन से कार्य किया। इस सम्मेलन का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के कर-कमलों से हुआ।

मनुष्य के चरित्र की यह विशेषता है कि एक बार जब किसी पवित्र रचनात्मक कार्य में लग जाता है तो वह निरन्तर उसी ओर अपने कदम बढ़ाता रहता है। श्री गौड़ ने राजस्थान के मूर्धन्य कार्यकर्ता के निर्देशन में गौ सेवा संघ जल बोर्ड आदि में रुचि लेने के साथ आपने सदियों से उपेक्षित विमुक्त जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने का सराहनीय कार्य किया। इनके लिए स्थान-स्थान पर विद्यालय तथा छात्रावास निर्माण में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद तो विमुक्त जातियों व घूमन्त कबीलों के कल्याण के लिए समर्पित हो गए। इन सभी के वर्णन के लिए तो एक पुस्तक भी कम है।

सदियों से शासक रही मीणा जाति की स्वतंत्रता की भावना को जब अंग्रेजों और राजपूत शासकों ने अमानवीय ढंग से जरायमपेशा कानून लाद कर उन्हें कुचलना प्रारम्भ कर दिया तो श्री गौड़ ने राजस्थान मीणा सुधार समिति के महामंत्री स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ मिलकर मीणों को नागरिक अधिकार दिलाने का भरसक प्रयास किया। इस सम्बन्ध में 1961 में ही सीकर झुंझुनूं एवं जयपुर जिले के उत्तरीय पूर्वी क्षेत्रों के चौकीदार मीणों का नीम का थाना (सीकर) में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस तरह से आप मीणा जाति के उत्थान में भी सदा तत्पर रहे। जरायमपेशा कानून हटने के बाद भी पुलिस कैम्प लगाकर निर्दोष मीणों को सताती रहती थी। अत: आपने ओमदत्त शास्त्री और श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ मिलकर पुलिस कैम्पों को बन्द करवाया। इतना ही आपने मीणा जाति के प्रमुख नेता पंडित बंशीधर शर्मा, कल्याण सहाय मत्स्य के साथ मिलकर डी.आई.जी. श्री हनुमान शर्मा से भेंट कर उन्हें सभी तथ्यों से अवगत कराया।

श्री बनवारी लाल गौड़ एवं मीणा सुधार समिति के महामंत्री स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने यह अनुभव किया कि शिक्षा के बिना किसी की उन्नति नहीं हो सकती। इसके लिए जमुवारामगढ़, दौसा, लालसोट, हिण्डौन, टोडाभीम, गंगापुरसिटी में मीणा छात्रावास प्रारम्भ करवाये। जयपुर क्षेत्र के साथ उदयपुर अंचल के आदिवासियों के उत्थान के लिए भी आप बराबर लगे रहे। इस संदर्भ में 1966 को ऋषभदेव में आयोजित अष्टम भारतीय आदिवासी कल्याण सम्मेलन उल्लेखनीय है। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय आदिम जाति सेवा संघ के अध्यक्ष स्वर्गीय मोरारजी देसाई ने की और उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कर कमलों से सम्पादित हुआ।

1963 में राजस्थान आदिवासी सेवक संघ और मीणा सुधार समिति के तत्वावधान में पलसाना (सीकर) में एक विशाल मीणा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें समिति के महामंत्री झरवाल ने पुलिस द्वारा मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आदिम जाति सेवक संघ के

मंत्री बनवारी लाल गौड़ ने राज्य सरकार को देने के लिए एक स्मरण पत्र तैयार किया। इसी तरह 1964 के नीम का थाना मीणा जाति आदिवासी सम्मेलन में आपने भाग लिया। इसमें सामाजिक बुराइयों को दूर करने के साथ-साथ बालकों को अधिकाधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया।

1964 के नवम्बर में गुन्टूर- आंध्र प्रदेश में भारतीय आदिम जाति सेवा संघ द्वारा आयोजित आल इण्डिया ट्राइबल वेलफेयर कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए श्री गौड़ आपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज नाडार ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की। उद्बोधन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने किया। इस सम्मेलन में राजस्थान मीणा सुधार समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने राजस्थान सरकार द्वारा निर्दोष मीणों पर किये जा रहे अत्याचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सन् 1968 को बोराड़ी- महाराष्ट्र में अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया और अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की। इस सम्मेलन में राजस्थान के भी अनेक मूर्धन्य समाज सेवक पहुंचे। जिनमें श्री माणिक्य लाल वर्मा, श्री भोगीलाल पाण्ड्या, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं श्री बनवारी लाल गौड़ के नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री गौड़ और श्री झरवाल ने आदिवासियों की समस्या पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने यहां भी मीणा आदिवासी जनजाति पर होने वाले अत्याचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन के आयोजन में श्री गौड़ की अहं भूमिका रही।

वास्तविकता यह है कि श्री बनवारी लाल गौड़ ने राजस्थान में आदिवासी जनजाति के लोगों की सेवा में जिस तन्मयता से कार्य किया वैसा किसी ने नहीं किया। 1955 से ही आप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी जनजाति के उत्थान में लगे रहे। इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर हा स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी सेवाओं को देखकर आदिवासी क्षेत्र में काम करने के कारण केरल एवं आसाम की राज्य सरकारों ने भी आपको सम्मानित किया।

आसाम प्रदेश में आपकी सेवाएं बहुत ही प्रशंसनीय रही। बोडो जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास, आश्रम शालायें तथा बालक-बालिकाओं के लिए पालनाघर, बालवाड़ी आदि प्रवृत्तियों की स्थापना की। आपकी इन सेवाओं से प्रभावित होकर ही भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई ने आपको इस संगठन का मंत्री नियुक्त किया। तब से आप राजस्थान की जनजाति के विकास के अनेक कार्यों में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आप राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति के मंत्रणा परिषद के सदस्य के रूप में वर्षों तक प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के संचालक मण्डल के सदस्य 1958 से बराबर आज तक चले आ रहे हैं तथा समय-समय पर होने वाली सभाओं में अपने सुझाव देकर प्रेरित करते हैं।

श्री गौड़ ने राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय अनेक सम्मेलनों एवं शिविरों का सफलता पूर्वक आयोजन किया। समाज कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जातियों की कई कमेटियों एवं कार्यक्रमों के नीति निर्धारण में आपकी अहं भूमिका रही। राजस्थान आदिवासी सेवक संघ की तो आप आत्मा है। यहां आपने 17

आदिवासी छात्रावासों नौ यूनिट निराश्रित बालगृहों के माध्यम से 850 छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिए साधन जुटाये। 23 पालनाघर एक बालवाड़ी द्वारा 650 शिशुओं की सेवा की जा रही है। इसी क्रम में आपने महाराणा प्रताप की राजधानी चावण्ड जिला उदयपुर में 1971 में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्‌घाटन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने किया। इस तरह आप निरन्तर आदिवासियों के कल्याण में लगे रहे।

आदिवासी जनजाति की सेवा के अतिरिक्त आपका खादी ग्रामोद्योग में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन् 1974 से 1977 तक आप राजस्थान खादी बोर्ड के सदस्य रहे। पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊनी खादी को प्रोत्साहन देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्री बलवंत सॉवतराम देशपाण्डे ग्राम-वाल्हे, जिला-पूना(महाराष्ट्र)

अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से सारा देश त्रस्त था । यहां किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी । मीणा समाज की स्थिति सबसे बदतर थी । अत: अधिकारों की लड़ाई अन्य जातियों को भी लड़नी पड़ी। ऐसी स्थिति में देश के संभ्रात शिक्षित व्यक्तियों का ध्यान मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों पर भी गया। इनमें कॉग्रेस के सर्वमान्य नेता थे ही, अनेक रचनात्मक लोग भी मीणा आन्दोलन से जुड़ते गए । इनमें राजस्थान चर्खा संघ के अध्यक्ष स्वर्गीय बलन्त, सॉवतराम का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

आपका जन्म 1897 ई. में महाराष्ट्र के पूना जिले के वाले ग्राम वाल्हे में हुआ । अहमदाबाद में विज्ञान की उच्चशिक्षा प्राप्त करके, आप प्रोफेसर बन गये । बाद में राष्ट्र-पिता मा. गाँधी के प्रभाव से 1922 में असहयोग आन्दोलन में भाग लेने लगे और राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया । बापू रचनात्मक कार्य को भी स्वतंत्रता संग्राम का अंग मानते थे । अत: उन्होंने चर्खा संघ की स्थापना की । उनके आदेश से ही चर्खा मिशन को लेकर देशपाण्डेजी 1926 में राजस्थान आ गये । राजस्थान में सामन्तशाही के विरोध में भी सत्याग्रह आन्दोलन 1939 से प्रबल वेग से प्रारंभ हो गये। अत: देशपाण्डेजी और उनकी पत्नी रमाबाई देश पाण्डे ने 1942 की अगस्त क्राँति में भाग लिया और अजमेर जेल में बन्दी बनाये गए । जेल से घूटने के बाद आप चर्खा संघ गोविन्दगढ़ जिला जयपुर (राज.) के अध्यक्ष के रूप में काम करने लगे ।

उन दिनों क्रिमिनलट्राइब्स का एक्ट के अंतर्गत मीणा जाति पर घोर अत्याचार हो रहे थे । इस संबंध में मीणासुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा व मंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने देश-पाण्डे जी से 1944 मे भेंट की और जयपुर राज्य द्वारा मीणों पर किये जाने वाले अत्याचारों पर विस्तार से बात की । देश पाण्डे जी ने 16, 17, 18 अप्रेल 1944 को मुनिमगनसागर जी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन स्थल, नीम के थाने में देशपाण्डेजी की देख-रेख में विशाल-खादी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ इसमें लक्ष्मी नारायण जी झरवाल का सहयोग भी सराहनीय रहा और वे भी खादी संघ से जुड़ गये ।

ऐसे महान तपस्वी नेता देशपाण्डेजी का स्वर्गवास बीकानेर में हो गया । परन्तु राजस्थान में रचात्मक कार्य के अधिकता के रूप में वे सदा स्मरणीय रहेंगे ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता (उदयपुर)

प्रगतिशील एवं आदिवासी समाज के परम हितेषी श्री बलवन्त सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर नगर में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मेवाड़ प्रजामण्डल के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष



थे। इससे पहले 1915 में स्थापित प्रताप सभा जनजागृति का कार्य करती थी। वे राजस्थान संघ, एवं राजस्थान में मंत्री, सांसद तथा भारत सेवक समाज के अध्यक्ष भी रहे। किसान आन्दोलनों में भी उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। आदिवासी क्षेत्र से उनका स्नेह जीवन भर बना रहा। उन्होंने 'वन-भारती' पुस्तक में आदिवासी समाज के चरित्र का गुणगान किया है। 1941 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया।

निरंकुश सत्ता का निरंतर विरोध करने के कारण वे मेवाड़ सामन्ती शासन की आँखों के काँटे बन गए। पुलिस गुप्तचर विभाग के कर्मचारी उनके पीछे लगे ही रहते थे, फिर भी अजमेर की राजनीतिक गतिविधियाँ, 1929 के लाहौर कांग्रेस एवं 1930 के कराची कांग्रेस में उनकी उपस्थित बनी रही। वे क्रांतिकारी विचारों के हैं। क्रांतिकारियों को बम बनाने के प्रशिक्षण के लिए हल्दीघाटी में शिविर लगाना उनकी ही योजना थी। 1938 में प्रजामण्डल आन्दोलन के अग्रगामी नेता होने के कारण आपको बन्दी बनाकर सराडा भिजवा दिया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में आपको बन्दी बनाया गया। प्रख्यात इतिहासविद होने के नाते आप संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे।

सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर भी आप बहुत सजग एवं प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। शताब्दी वर्ष पर आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की हार्दिक शुभकामना दी गई। विचारों में समाजवादी हैं। आदिवासी समाज की उन्नति के लिए वे सर्वदा अग्रगामी रहे। उनकी राष्ट्र सेवा के सम्मान स्वरूप भारत सरकार उनके प्रति आदर स्वरूप इसी वर्ष उनके नाम से एक डाक टिकिट जारी किया। राजस्थान ही नहीं समस्त भारत को, इस प्रकार के जन सेवक पर गर्व है। राजस्थान के निर्माण एवं सामन्ती शासन के अन्त में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पर भी वे कभी पद लोलुप नहीं रहे, जो आज के जन सेवकों के लिए आदर्श है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1945, 1.2.3. जनवरी 1946 पं. नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। तब से ही लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर को संपर्क में लिया जो आज भी बराबर चल रहा है। मीणों पर से जरायमपेशा कानून को सामाप्त करने और आरक्षण दिलाने में योग दिया।



स्वतंत्रता सैनानी पं. बंशीधर शर्मा (श्रीमाधोपुर)

म. गाँधी के नेतृत्व में सत्य तथा अहिंसा के अमोघ शस्त्र के माध्यम से अनेक लोग आजादी के संग्राम में कूद पड़े। अपना तथा परिवार का मोह छोड़कर रात दिन स्वतंत्रता का सुनहरा स्वप्न देखा करते थे। इस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने अनेक यातनायें उठाई, परंतु स्वतंत्रता प्राप्त करके ही इन्होंने संतोष की सांस ली। ऐसे धीर-वीर त्यागी पुरुषों में श्री माधोपुर निवासी पं. बंशीधर शर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी तथा सामाजिक न्याय के प्रतीक पंडित जी का जन्म आषाढ़ कृष्णपक्ष एकादशी विक्रम संवत् 1961 (1904ई.) को पं. श्री बद्रीनारायण के घर हुआ था। उनकी माता का नाम गोरादेवी था जो एक धार्मिक संस्कारों की महिला थी। माता-पिता के धार्मिक संस्कारों व उच्च आदर्शों का प्रभाव बालक बंशीधर पर पड़े बिना न रहा। संस्कारवान तथा प्रतिभाशाली होने से घर पर ही उन्होंने संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। कालान्तर में अजमेर मेरवाड़ा बोर्ड से 'इन्टर' पंजाब विश्वविद्यालय से 'प्रभाकर' वाराणसी (बनारस) विश्वविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा उच्च अंकों से प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया।

शिक्षार्जन के बाद नवयुवक बंशीधर रामगढ़ एवं पिलानी में चलने वाले विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया, वहां वे एक आदर्श अध्यापक सिद्ध हुए। 1928 में आप श्री हीरलाल शास्त्री का आमंत्रण पर वे वनस्थली गये। वहां पर आपने नारीशक्ति को जाग्रत कर उन्हें स्वाधीनता संग्राम में कूदने का आग्रह किया। वहाँ से आप पुन: जन्म स्थान श्रीमाधोपुर आ गए। यहाँ पर महात्मा गाँधी द्वारा बताये गये स्वदेशी स्वावलंबन को उन्नति का मूल मंत्र मानते हुए, वैभवशाली जीवन को त्यागकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रीमाधोपुर में ही सन् 1931 'श्रम जीवी संघ' की स्थापना की। इस श्रम जीवी संघ ने आगे चलकर स्थानीय जनता में रचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का महती कार्य किया। श्रमजीवी संघ द्वारा संचालित आश्रम में लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा, चरखा कातने एवं अन्य श्रमजीवी कार्य प्रारंभ करके आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबन पर आधारित समाज का मूर्तरूप प्रदान किया।

सरल, सौम्य, कर्मठ तथा निस्वार्थी व्यक्तित्व वाले पंडितजी की कथनी और करनी में कोई अन्तरनहीं था। सामाजिक कुरीतियों के रहते उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं था। उन्होंने स्वयं अपने घर से पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा एवं छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर किया। उनका समस्त घर एक आदर्श था, जिसमें श्रम की प्रधानता सदा दृष्टिगोचर होती थी। उनकी मान्यता थी कि श्रम के माध्यम से ही राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ सकता है। वे सर्वदा श्रम प्रधान समाज की रचना की ओर अग्रसर रहे। उनका विश्वास था कि विदेशी शासन में हम स्वाभिमान से नहीं जी सकते। इसी भावना से सत्याग्रह आन्दोलन में कूद पड़े। सन् 1939 के जयपुर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित सत्याग्रह में पं. शर्मा सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं का नेतृत्व करते हुए जेल गये। आपकी पत्नी भी सत्याग्रह संग्राम में पीछे नहीं रही। वह भी अपनी तपस्वी आदर्श पति के पदचिन्हों पर चलकर स्वयं जेल गई। शर्मा जी राजनीतिक आन्दोलन के साथ पददलित आदिम जनजाति की पीड़ा से भी वे सदा दु:खी रहते थे। स्वतंत्रता उनका मुख्य नारा था। जयपुर रियासत में मीणा जाति पर जरायम पेशा कानून के माध्यम से अनेक अमानवीय अत्याचार हो रहे थे। पंडितजी से यह न देखा गया। इसके लिए मीणा समाज के मुक्ति संग्राम के पथ प्रदर्शक बन गये।

सन् 1945 में जयपुर के नींदड़ बैनाड़ में जयपुर मीणा सुधर समिति की स्थापना की और वे इसके प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किये गये। उनके सफल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नींदड़ में मीणों का एक विशाल जन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हजारों शेखावाटी के मीणाओं ने तिरंगे झण्डे तले आकर स्वयं उन्नति के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। पंडित जी सर्वदा मीणाओं के मुक्ति संग्राम से जुड़े रहे। नीम के थाने के विराट मीणा सम्मेलन का आयोजन उनकी ही देन थी। उन्होंने मीणा समाज में ही अनेक स्वतंत्रता सेनानी तैयार किये।

पंडित जी के प्रयत्न से अंत में जरायम पेशा अमानवीय कानून हटकर ही रहा। मीणा जाति उनके प्रेरक जीवन को सदा श्रद्धा से देखती रहेगी। वे शुद्ध रूप से मानवतादी थे। मानव चाहे किसी जाति का हो, उसका दमन उन्हें कतई पसन्द नहीं था। यही कारण था कि वे मीणा समाज के मुक्ति संग्राम से जुड़े और अपने जीवन काल में मीणाओं को दमनकारी कानून से मुक्त करा सके।

पंडित जी की प्रत्येक रचनात्मक कार्य में अहं भूमिका रही। श्रीमाधोपुर में जब सर्वप्रथम नगरपालिका बोर्ड की स्थापना हुई तो आप उसके प्रथम सदस्य बनाये गये। आपकी धर्म पत्नी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। सन् 1946 में अंतरिम सरकार के लिए वे क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुने गये। इस तरह राजनीति में भी आपका पूरा वर्चस्व रहा। स्वतंत्रता मिलने के बाद आप पूज्य बापू के आदर्श के अनुसार राजनीति से अलग होकर संपूर्ण रूप से लोक सेवा एवं रचनात्मक कार्यों में लग गये।

आपके श्रमजीवी संघ के कार्यों से विदेशी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने इस संदर्भ में आपसे मार्गदर्शन प्राप्त किया और श्रमदान करके विश्व भावना का निर्माण किया। स्वदेशी, स्वावलंबन, संस्कृत भाषा का उत्थान एवं गौ सेवा उनके जीवन के आदर्श थे। वे श्रम की महत्ता का निरंतर प्रचार करते रहे। उनका कहना था कि ''सत्ता परिवर्तन से समाज एवं व्यक्ति का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए रचनात्मक कार्य और समाज की भावना जाग्रत करना आवश्यक है।'' वे व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रबलतम पक्षधर थे। सन् 1975 में कांग्रेस शासन काल में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी द्वारा देश में लगाये गये आपातकाल का कड़ा विरोध किया। निरंकुशता के विरोध के कारण उनको स्वदेशी सरकार द्वारा तीन माह का कारावास दिया गया। जीवन के अंतिम दिनों में सहलेदीपुरा चले गए। वहां उन्होंने बंजर भूमि सहलेदीपुरा खण्डेला में वृक्ष लगाने का कार्य अपने हाथ में लिया। इस तरह से उन्होंने पर्यावरण का जीवन उदाहरण उन्होंने लोगों के सामने रखा। भारतीय राजनीति में आप जैसे विरले ही महानुभाव हुए जिन्होंने श्रम प्रधान लोक-जीवन को अपना आदर्श बनाया। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, परन्तु वे सर्वदा जीवित रहते हैं जो अपने रचनात्मक चरित्र की छाप लोगों पर छोड़ जाते हैं। ऐसे महामानव चरित्र के धनी श्री पं. बंशीधर शर्मा आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी संवत 2034 (1977) के दिन इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा-सदा के लिए ब्रह्मलीन हो गए। आज भी तोरावाटी एवं शेखावाटी की जनता उनको श्रद्धा से स्मरण करती है। गुरु तुल्य पं. बंशीधर शर्मा के अवैतनिक सेवा को आदिवासी मीणा समाज कभी भूल नहीं सकता। वह सर्वदा उनका कृतज्ञ रहेगा। आज के राजनेता भी शर्माजी के दिशा निर्देश पर चलने का प्रयास करें तो भारत संसार का शिर मोर बन सकता है। आज की आपाधापी व स्वार्थपरता की राजनीति में पंडित जी का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है।



मीणा समाज के पथ प्रदर्शक, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय (जयपुर)

जब जयपुर रियासत द्वारा जरायम पेशा कानून के माध्यम से मीणा जाति पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे, तब सरकारी दमनचक्र को देखकर अनेक प्रबुद्ध पत्रकार एवं समाजसेवी भी विचलित हुए बिना नहीं रहे। उनकी अन्तरात्मा ने मानवीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रबुद्ध चिंतक एवं पत्रकार श्री राजेन्द्र कुमार 'अजेय' का अपना प्रमुख स्थान है।

सन् 1945 में अनायास ही चलती ट्रेन में मीणा जाति के जन आन्दोलन से जुड़े नेता श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल तथा श्री अडिसाल सिंह से श्री राजेन्द्र कुमार की भेंट हो गई। बातचीत में मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों की व्यथा सुनकर श्री अजेय का हृदय दहल उठा और मन ही मन अन्याय के प्रतिकार के लिए रणक्षेत्र में उतरने का संकल्प ले लिया। दोनों सहगामी भी श्री राजेन्द्र कुमार की सहानुभूतिपूर्ण बातों सेप्रभावित हुए बिना नहीं रहे और वे विशेष चर्चा के लिए श्री अजेय के साथ गोविन्दगढ़ (मालिकपुर) उतर गये। वहाँ श्री राजेन्द्र कुमार ने इन दोनों मीणा समाज सेवकों की गतिविधि का पता लगा लिया और जरायम पेशा कानून को हटाने के लिए एक संगठित योजना बनाने का परामर्श दिया।

भावी कार्यक्रम की योजना के लिए दोनों व्यक्तियों के साथ श्री माधोपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष एवं समाज सेवी तपस्वी नेता पं. बंशीधर शर्मा के पास पहुँचे। वे उस समय वे मीणा समाज के मुख्य संरक्षक थे। उनके परामर्श से मीणा जन आन्दोलन को संगठित रूप देने के लिए नींदड़ बैनाड़ (जयपुर) में दो दिवसीय सम्मेलन हुआ। पं. बंशीधर जी अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय व श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री चुने गये। कार्यकारिणी में लगभग ग्यारह सदस्य थे, श्री भगूताराम, दूल्हाराम खेतपुरा (झुंझुनुं) और हरसहाय जेफ (नीम का थाना) प्रमुख थे। नींदड़ बैनाड़ सम्मेलन में ही जरायम पेशा कानून, चौकीदारी प्रथा काले हाथ करना तथा अन्य अनेक प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी सम्मेलन में श्री राजेन्द्र कुमार अजेय द्वारा निकट भविष्य में दिसंबर के अन्त में उदयपुर में होने वाले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सम्मेलन में जरायम पेशा कानून हटाने संबंधी प्रस्ताव रखने का प्रारूप तैयार किया गया। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता वाले इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया। इतना ही नहीं आन्दोलन को चलाने में सहायता करने के लिए राज्य के प्रजामण्डल के नेताओं को भी पंडित जी ने निर्देश दिये। स्वर्गीय श्री ठक्कर बापा के प्रस्ताव को देशी राज लोक परिषद अधिवेशन में पारित कराने में बड़ी सहायता मिली।

2 जनवरी 1946 को श्री राजेन्द्र कुमार अपने साथियों के साथ जयपुर लौटे और यह निश्चय हुआ कि देशी राज्य लोकपरिषद में पारित प्रस्ताव के अनुसार जयपुर राज्य में स्थान स्थान पर सम्मेलन आयोजित कर जरायम पेशा कानून को हटाने की पुरजोर शब्दों में मांग की जाये। ऐसे मांग पत्र बनाने एवं जन जागृति में श्री राजेन्द्र कुमार की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। सभी लोगों के आग्रह तथा आन्दोलन को गति देने के लिए अजेय ने गोविन्दगढ़ के स्थान पर जयपुर को ही अपना मुख्य निवास स्थान बना लिया। इसी बीच श्री राजेन्द्र कुमार अजेय स्वर्गीय श्री हीरालाल शास्त्री के अनुरोध पर लोकवाणी पत्र के संपादक मण्डल में काम करने लगे। चरखा संघ गोविन्दगढ़ के कार्य के स्थान पर अब लोक वाणी पत्र के लिए सर्वाधिक समय दिया जाने लगा। श्री अजेय के कारण ही जरायम पेशा कानून के विरोध में उठने वाली आवाज को पत्र में मुख्य स्थान मिला। मीणा जनजागृति के समाचार भी लोकवाणी में धड़ल्ले से छपने लगे।

आपके परामर्श से अनेक सम्मेलन आयोजित होने लगे। जिनमें श्री भगूताराम के सान्निध्य में होने वाले सीकर सम्मेलन का मुख्य स्थान है, जिसका विस्तृत विवरण विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। नीम का थाना क्षेत्र के माँवड़ा सम्मेलन में श्री राजेन्द्र कुमार अजेय 102 डिग्री ज्वर में भी वहाँ पहुंचे। इस सम्मेलन की सफता इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि प्रजामण्डल के प्रभावशाली नेता भी यहां तिरंगे झण्डे के नीचे सम्मेलन कर पाये थे। राजपूत तलवारों से लेश होकर मरने मारने को तैयार थे। इधर समाज के निर्भीक नेता श्री

भगूताराम व श्रीलक्ष्मीनारायण झरवाल तथा श्री हरसहाय जेफ भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में श्री राजेन्द्र कुमार ने बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिया। वे माँबड़ा ठाकुर साहब के पास पहुँचे और निवेदन किया कि ''श्रीमान आप की और हमारी तो एक ही स्थिति है। दोनों गरीब व पराधीनता का जीवन जी रहे हैं। देखिए न आप जिस फर्श पर बैठे हैं, वह कितने स्थान पर फटा हुआ है, जबकि जयपुर नरेश अपने जूतों से मखमल के कालीन पर घूमते हैं।''

श्री अजेय की यह युक्ति सफल हुई और ठाकुर साहब ने तिरंगे झण्डे के नीचे सम्मेलन करने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। इसका विस्तृत वर्णन हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं। इससे भी महत्त्वपूर्ण सम्मेलन रींगस में आयोजित हुआ। इसमें अधिकतर सदस्य आन्दोलन तेज करके 'करो या मरो' नीति को अपनाने के पक्ष में था। परन्तु पं. बंशीधर जी का सुझाव था कि हमें संघर्ष का रास्ता अभी न अपना कर प्रस्ताव आदि से अनुनय विनय की नीति से ही काम लेना चाहिए था। वे कांग्रेस की नरम नीति का अनुसरण करने के पक्ष में थे जबकि श्री राजेन्द्र कुमार, श्री भगूताराम तथा श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल लोकमान्य बाल गंगाधर के गरम दल की नीति के पक्ष में थे। उनका कहना था कि हमारे अधिकार हम संघर्ष करके ही लेंगे। इस पर सिद्धान्तवादी पंडित श्री बंशीधर सम्मेलन से उठकर चले गए। क्रांतिकारी नेताओं ने उनके स्थान पर राजेन्द्र कुमार अजेय को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया और आन्दोलन को गति देने का निर्णय ले लिया गया। इसमें श्री अजेय और लक्ष्मीनारायण झरवाल की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

आन्दोलन के सफल संचालन के लिए धन संग्रह का प्रश्न उपस्थित हुआ तो श्री भगूतराम आदि सज्जनों की राय थी कि पूँजीपतियों से आसानी से धन संग्रह कर लिया जायेगा। परन्तु श्री अजेय तथा श्री झरवाल इससे सहमत नहीं थे। उनकी राय थी कि पूँजीपतियों से दो लाख का चन्दा लेने के स्थान पर हमें मीणा परिवारों के प्रत्येक परिवार से दो-दो रुपये प्रति चूल्हा एकत्रित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संग्रह के साथ एक लाख परिवार भी हमारे आन्दोलन से जुड़ेंगे। इसके बाद श्री अजेय के परामर्श से मीणा समाज के विशाल जुलूस निकालने की योजना बनी जिसमें जरायम पेशा कानून को सर्वदा के लिए दफनाने का कार्यक्रम तैयार हुआ। इस जुलूस में हजारों मीणा सरदार दूर-दूर के गाँवों से आये थे। जुलूस का एक छोर चाँदपोल द्वार पर था तो दूसरा छोर छोटी चौपड़ पर था।

5 जून 1946 को जरायम पेशा कानून की शवयात्रा की योजना बनी। उस समय जयपुर में अर्थी नहीं निकालने दी गई। एक लंबा बाँस लगा कर एक काले रंग का भूत बनाया गया जिसमें स्थान स्थान पर आतीशबाजी भर दी गई थी। यह जुलूस प्रज्ञामण्डल के कार्यालय देवड़ी जी के मंदिर के नीचे जाकर एक विशाल सभा में परिवर्तित हो गया। सभा को अन्य लोगों के अतिरिक्त लोकवाणी के संपादक श्री सिद्धराज ढड्ढा ने भी संबोधित किया। हजारों लोगों के समक्ष श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने जरायम पेशा कानून के पुतले के आग लगा दी। देखते देखते ही कानून का पुतला जलकर राख का ढेर हो गया। इस पर लोगों की हर्ष ध्वनि से समस्त वातावरण गूँज उठा और गाँव-गाँव में प्रचार हो गया कि जरायम पेशा कानून आज समाप्त हो गया।

सभा स्थल पर धारा 144 लगा दी गई। परन्तु सभा के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार अजेय के कहने से सभा में सभी लोग जमे रहे। इसी बीच पुलिस उपअधीक्षक श्री अजेय को जीप में बैठाकर डी. आई. जी. हकीकत राय के निवास पर स्टेशन रोड पर ले गये। श्री अजेय यह कह गये कि घबराने की आवश्यकता

नहीं। मेरे आने तक सभा चलती रहना चाहिए। यदि मुझे बन्दी बनाया जाता है तो आप भी जेल भरो आन्दोलन छेड़ दें। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को भाँप कर श्री अजेय को पुनः सभा स्थल पर पहुँचा दिया। सभा की सफलता से मीणा समाज में अद्‌भुत प्रसन्नता छा गई। उपर्युक्त विवरण देने का तात्पर्य यही है कि स्वतंत्रता सेनानी राजेन्द्र कुमार अजेय ने कितनी निडरता और साहस के साथ मीणा समाज को नई चेतना प्रदान की। इसके बाद तो सरकार ने इस काले कानून को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका विस्तृत विवरण हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके।

महावीर जी के मेले के समय 1956 में श्री अजेय ने मीणा सुधार समिति से अपने आपको अलग कर लिया। परन्तु स्वतंत्रता के इस अनन्य पुजारी को मीणा समाज सर्वदा स्मरण करता रहेगा जिसने बिना किसी स्वार्थ के मानव अधिकारों के इस युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री अजेय के बाद श्री भगूताराम एवं श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने समाज सुधार का कार्य हाथ में लिया।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री राजेन्द्र कुमार ''अजेय'' के सम्मान

(1) 15 अगस्त 1972 में स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा प्रदत्त ताम्र पत्र।

(2) 26 अगस्त 1972 को चैम्बर ऑफ कामर्स के मैदान जयपुर में, केन्द्रीय संसदीय मामले के मंत्री श्री राज बहादुर व राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री बर्कतउल्लाह खां ने सम्मानित किया और एक ताम्रपत्र व प्रशस्ति पत्र दिया।

(3) जैन समाज के तीर्थ रणकपुर में आयोजित राजस्थान लघु समाचार पत्र संघ के वार्षिक अधिवेशन 1981 में केन्द्रीय मंत्री श्री चंदूलाल चंद्राकर व राजस्थान सरकार के मंत्री श्री बुलाकीदास कल्ला ने अभिनन्दन किया व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।

(4) राजभवन जयपुर में राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद, केन्द्रीय मंत्री राजेश पायलट व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने 2 अक्टूबर, 1987 को दिया जाने वाला ताम्र पत्र 13 अप्रैल 1988 को समारोह में सम्मान कर भेंट किया।

(5) 08.12.86 को रवीन्द्र मंच जयपुर के हॉल में राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया।

(6) 30 मार्च, 1989 राजस्थान दिवस पर रामलीला मैदान में केन्द्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास, मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर और जन सम्पर्क मंत्री श्री बुलाकी दास कल्ला ने शाल ओढ़ा कर व नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया।

(7) राज्यपाल श्री बलिराम जी भगत जब राजस्थान में आये तब रामलीला मैदान में, सब सैनानियों के साथ, स्वागत सम्मान किया।

(8) वयोवृद्ध वरिष्ठ पत्रकार के रूप में 08 नवम्बर 96 को मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह ने पिंकसिटी प्रेस क्लब में शॉल ओढ़ा कर सम्मान किया तथा प्रेस क्लब की मानद सदस्यता प्रदान की गई।

(9) सन्त रामसिंह जी के उद्यान जगतपुरा जयपुर में न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जी (वर्तमान राज्यपाल राजस्थान) ने, स्वतन्त्रता सैनानी के रूप में शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया (गुजरात का राज्यपाल बनने से पूर्व)

(10) 11 सितम्बर 1998 को गोविन्दगढ़ मालिकपुर में, स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में इन्हें तथा इनकी धर्मपत्नी को भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकान्त शर्मा ने शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया।

(11) वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 26 फरवरी 99 को श्रम कल्याण केन्द्र, जयपुर में आयोजित स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान के अवसर पर इन्हें शॉल ओढ़ा कर व प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया।

(12) 9 मार्च, 2000 को सूचना केन्द्र जयपुर में स्व. विजय सिंह पथिक की जयन्ति के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया।

दैनिक लोकवाणी जयपुर, नवयुग दैनिक जयपुर, राष्ट्रदूत दैनिक जयपुर में सम्पादक के रूप में की गई सेवा भी उल्लेखनीय है। साप्ताहिक दीन बन्धु, कोटा, नेता साप्ताहिक जयपुर, ज्योति मासिक, यातायात सन्देश साप्ताहिक की स्थापना, संचालन सम्पादन किया। छत्तीस वर्षों से जयपुर से खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी समाचार पत्र हमारा वतन साप्ताहिक प्रकाशित कर रहे हैं।



प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेन्द्र प्रतापसिंह

(1895-1979) (उ.प्र.)

आपने भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों के विरूद्ध सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। इतना ही नहीं आपने काबुल में स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की। आदिवासी जनता से उनका निकट का संपर्क था। मीणा सुधार समिति के अधिवेशन का आपने अनेकों बार उद्घाटन किया और उचित मार्गदर्शन देते रहे। सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने आपसे कई बार भेंट की।

स्वर्गीय श्री राजबहादुर जी (भरतपुर)

आपका जन्म 1912 को भरतपुर में हुआ। विद्यार्थी जीवन में ही आपके मन में देशभक्ति की भावना



उभर चुकी थी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध छात्रों को संगठित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 26 जनवरी, 1929 को रावी के तट पर स्वर्गीय पं.जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा हो चुकी थी। इनसे युवा वर्ग में नई चेतना का संचार हुआ और युवकों में क्रान्तिकारी भावना जोर पकड़ने लगी। श्री लाल बहादुर इस प्रकार के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। जयपुरआकर वे हिन्दुस्तान रिवोल्युशनरी आर्मी के सदस्य बन गए।

शिक्षा क्षेत्र में जन नेताओं में सबसे आगे थे। एम.ए., पी.एचडी. की योग्यता प्राप्त कर वे प्रजा मण्डल के सदस्य बन गये। सार्वजनिक जीवन आपका भरतपुर नगरपालिका के सदस्य के रूप में प्रारम्भ हुआ। इसके बाद तो आप सक्रिय राजनीति में

आ गये। सन् 1942 के अगस्त आन्दोलन को भरतपुर में प्रभावी बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रजा मण्डल के आन्दोलन में भाग लेने के कारण आप पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 के अन्तर्गत आपको बन्दी बनाया गया। समझौता होने से वे अन्य प्रजा मण्डल के सदस्यों के साथ रिहा कर दिए गए।

5 जून, 1947 को भरतपुर में एक शक्तिशाली मेव किसान आन्दोलन का आपने नेतृत्व किया। किसानों को बुरी तरह पीटा गया। इस सन्दर्भ में राज बहादुर जी के भी अनेक चोटें आई और आपको बन्दी बना लिया गया। बाद में सरदार पटेल के हस्तक्षेप से आपको 5 अगस्त 1947 को रिहा कर दिया गया।

राज बहादुर जी सर्वदा पीड़ित किसान जाति के कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर रहते थे। मेव (मीणा) किसान आन्दोलन का आपने नेतृत्व किया। इतना ही नहीं हल्दैना किसान आन्दोलन का आपने उद्‌घाटन किया। इसमें आपने जरायमपेशा कानून को समाप्त करने पर आपने सर्वाधिक बल दिया।

बाद में आप स्वर्गीय पं. नेहरू के मंत्रिमण्डल में मंत्री बनाये गये। इसके बाद आप नेपाल में भारत के राजदूत भी रहे। मीणा जाति को आरक्षण दिलाने और इनके आर्थिक विकास में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में थे तब आपने मीणों की उन्नति के साधन जुटाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखे। स्वर्गीय राज बहादुर जी राजस्थान के जन नेताओं के लिए आदर्श थे। आपका सार्वजनिक जीवन सदा निष्कलंक रहा।

श्री रामकरण जोशी (दौसा)

आपका जन्म 2 अक्टूबर 1912 ई. को दौसा के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। वे श्री जयनारायण व्यास एवं सुखाड़िया मंत्रीमण्डल में मंत्री रहे। प्रारंभ में अध्यापक थे, परन्तु 1939 में प्रजामण्डल आन्दोलन



से जुड़ गए। दौसा के छात्रों पर लाठी चार्ज का आपने विरोध किया और बन्दी बना लिए गये। जेल से छूटने के बाद आपने राजस्थान चरखा संघ में काम करना शुरु किया। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में आपने जयपुर प्रजामण्डल की समझौता परस्त नीति का विरोध किया और आजाद मोर्चे का गठन किया और अंग्रेजी शासन के विरूद्ध अलख जगाने के लिए निकल पड़े। 1942 में झुंझुनूं स्टेशन पर सभा करते समय आप पकड़े गए। सात माह नौ दिन जेल में रहे। उन्होंने 'स्वराज' नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। जन चेतना के कार्यों में वे सदा सक्रिय रहे। जरायम पेशा कानून को हटाने में आप बराबर जुड़े रहे। मीणा सुधार समिति द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भी भाग लेते रहे। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीणों के उत्थान में साथ रहे और मीणों पर लादे गए जरायमपेशा कानून को रद्द करने में सहयोग दिया।

श्री लादूराम जोशी (सीकर)

राजस्थान की गाँधीवादी पीढ़ी के तपोनिष्ठ नेता और स्वतंत्रता सेनानी श्री लादूराम जोशी मानव सेवी एवं राष्ट्रसेवी थे। आपका जन्म 1895 ई. में सीकर जिले के मूंडवाड़ा ग्राम में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ शेखावाटी में हुई। उनका बचपन जागीर के गाँव में ही व्यतीत हुआ, अत: बचपन में ही उनके मन

ने सामन्त शासन का विरोध करने की ठान ली। मानव अधिकारों का हनन करने वाले शासन से उनको अत्यन्त घृणा थी। लोकमान्य तिलक के प्रसिद्ध नारे ''स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है'' कि अनुगामी बन गए। गाँधी जी के पाँच सूत्री कार्यक्रम के अनुसार आपने जीवन को ढाल लिया।



1920-21 में शेखावाटी भौमियों के गढ़ चिराना उदयपुरवाटी की एक पाठशाला में पढ़ाने लगे। वहाँ उन्होंने सेवा समिति गठित की जिन्होंने वहाँ के जागीरदार चौंक उठे और इस सेवा कार्य को राजनीतिक कुचक्र की संज्ञा दी। बिसाऊ ठिकाने के जागीरदार ने सेवा समिति के सदस्यों को बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिया। निष्कासन के विरोध में जोशी के नतृत्व में ठिकानेदार के विरूद्ध सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ गया। जोशी जी को कठोर यातनायें दी गई। उन्हें ऊँट के बाँधकर घसीटा गया। सीकर जिला मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जरायम पेशा कानून के विरोध में मीणा समाज को संगठित किया। सीकर में आयोजित विराट मीणा सम्मेलन की भी उन्होंने अध्यक्षता की। आज जो किसान वर्ग एवं आदिवासी समाज स्वाभिमान से जी रहा है, वह उनके त्याग व तपस्या का ही फल है। जयपुर मीणा सुधार समिति से उनका निकट का संपर्क रहा। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं श्री भगवताराम जैसे कर्मठ कार्यकर्त्ताओं का सहयोग जरायमपेशा कानून रद्द करने में भरपूर रहा।

जोशी जी राजस्थान सेवा संघ के आजीवन सदस्य रहे। उन्होंने शेखावाटी के अतिरिक्त बेगूँ, बूँदी और सिरोही को आदिवासी क्षेत्रों में जन-जाग्रति का काम किया। सेवा संघ भंग हो जाने पर वे अजमेर कांग्रेस में सम्मिलित हो गये। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह तथा 1942 की अगस्त क्रांति में सक्रिय भाग लिया। आप अनेक बार जेल गए। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा।

वैद्य श्री विजय शंकर शास्त्री (जयपुर)

आपका जन्म 31 अक्टूबर 1910 को द्विवेदी पं. रामनाथ जोशी भारद्वाज के यहाँ ग्राम शिवाड़ (सवाईमाधोपुर) जयपुर रियासत के ठिकाने में हुआ था। श्री रामनाथ जी ठाकुर शिवाड़ के गुरु थे। अत: इनको जयपुर निवास करना पड़ा। उस समय श्री विजय शंकर केवल 10 वर्ष के थे। आगे चलकर आपने आर्युवेद शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहाँ कायाकल्प फार्मेसी स्थापित की। आपने 'राष्ट्रभाषा' मासिक पत्रिका उस समय प्रकाशित की जब जयपुर रियासत में एक छत्र उर्दू का साम्राज्य था। स्वाभिमान व देश भक्ति, वैद्य जी की विशेषता थी। 1928 में लाला लाजपत राय के निधन पर आपने मौन जुलूस निकाला।



1929 में जयपुर रियासत शिक्षा निदेशक ऑविस ने सफेद टोपी धारण करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। वैध जी ने इसके विरोध में कॉलेज प्रांगण में बम फेंका और अपने गुरुजनों की सहायता से पुलिस की आँखों में धूल झोंककर बनारस पूज्य मालवीयजी के पास चले गए। वहाँ सात माह रहकर पुन: जयपुर लौटे। यहाँ आपने छात्र आन्दोलन का नेतृत्व किया। जयपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही आप इसमें सक्रिय रूप

से भाग लेने लगे। 1939 में जमनालाल जी के नेतृत्व में प्रजामण्डल आन्दोलन चला तो वैद्यजी उसमें भाग लेने लगे। कायाकल्प फार्मेसी में औषध निर्माण के बहाने वे भस्म की सन्दूक में बम रखकर दिल्ली क्रांतिकारियों के पहुँचाते थे। 1942 के आजाद मोर्चा आन्दोलन में भाग लिया।

आर्य समाज किशनपोल बाजार के वर्षों मंत्री, प्रधान व उपमंत्री रहे। 'जन संदेश' नामक साप्ताहिक पत्र का 22 वर्ष तक प्रकाशन किया। नारी उद्धार में आपका बराबर सहयोग रहा। जरायम पेशा कानून को हटाने के आन्दोलन से आप बराबर जुड़े रहे। सामन्ती - त्पीड़न के मुक्ति संघर्ष में सक्रिय योगदान, त्याग और बलिदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1987 को आपको ताम्रपत्र प्रदान किया गया। मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल से आपका निकट का संपर्क रहा।

श्री विजय सिंह पथिक (उ.प्र.)

जिस समय तेजावत जी मेवाड़ में आदिवासी आन्दोलन का संचालन कर रहे थे, उसी समय 1920 में सामन्तों की बैठ-बेगार लाग-बाग के विरूद्ध भारत के प्रथम किसान आन्दोलन का श्री गणेश किया गया। पथिक जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गुढ़वाली गाँव के एक गूजर परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम भूपसिंह था, किन्तु जब 1915 में सशस्त्र क्रांति के संदर्भ में टाटगढ़ जेल में थे, तब वे वहाँ निकलने में सफल हो गये और नाम बदल लिया।



पथिक जी राजस्थान में किसान आन्दोलन के जनक कहे जाते हैं। देश का प्रसिद्ध बिजौलिया किसान आन्दोलन उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। बिजौलिया के बाद उन्होंने बेगू आन्दोलन का भी नेतृत्व किया। उन्होंने तत्कालीन सामन्तों के शोषण से किसानों को मुक्त करवाया, इसीलिए जन-जन के प्रिय थे। जयपुर रियासत के जरायम पेशा कानून को भी उन्होंने आदिवासियों का घोरतम शोषण बताया। इस संदर्भ में इस क्षेत्र के मीणा जन आन्दोलन से भी जुड़े रहे और एक दो विराट मीणा सम्मेलन का उद्घाटन भी उनके कर कमलों से हुआ। मेवाड़ के महाराणा ने उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया और उन्हें पाँच वर्ष की सजा दी।

पथिक जी पत्रकारिता को जन चेतना का आधार मानते थे। उन्होंने वर्षों तक 'राजस्थान केसरी पत्र' निकाला। अजमेर में उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर 'तरुण राजस्थान' एवं 'नवीन राजस्थान' नामक दो पत्रों का संचालन किया। 1930 के नमक सत्याग्रह में भी जेल गए। परन्तु उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आदिवासी जनजाति एवं किसान वर्ग को सामन्ती शोषण से मुक्त कराना था। महान क्रांतिकारी एवं जनसेवक पथिक जी ने अपने शौर्य की अमिट छाप छोड़कर इस संसार से अठाईस मई 1954 को विदा ली।

क्रांतिकारी, वासुदेव बलवन्त फड़के ग्राम-शिरढ़ाणी (महाराष्ट्र)

अंग्रेजी शासन ने किसानों तथा आदिवासियों की स्वतंत्र भावना को दबाने के लिये अनेक अत्याचार किये । यद्यपि बड़े-बड़े राजा महाराजा ब्रिटिश शासन के गुलाम बन चुके थे परंतु जन

जातियों ने कभी भी अंग्रेजों को स्वामी नहीं माना ऐसे वीरों में प्रसिद्ध क्रौंतिकारी वासुदेव बलवन्त पड़के का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिन्होंने जीवन भर किसानों तथा आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया ।

इस नर केसरी का जन्म महाराष्ट्र के शिर ढ़ांणी गांव में चार नवम्बर 1840 ई. को हुआ था । उनके पिता ने 1857 की क्रौंति में अंग्रेजी शासन का विरोध किया था । अतः उनके पिता अनन्तराव से क्रौंति की भावना उनको विरासत में मिली थी । प्रारंभ में वासुदेव ने रेल विभाग में अपनी सेवा दी । परंतु माता के अस्वस्थ होने पर भी जब उनका आवकाश स्वीकृत नही हुआ तो उन्होंने त्याग-पत्र देकर 1870 ई. में अंग्रेजों के विरूद्ध क्रौंति करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । इसके लिये वे गाँव-गाँव क्रौंति भी अलख जगाते रहे । धनी वर्ग ने उन की सहायता नहीं की, परंतु पूना के आदिवासी "रामोशी कबीलों ने उनका साथ दिया । बलवन्त फड़के का नारा था, आओ तरूण वारों, देश का दारूण दुःख दूर करो इस नारे से प्रेरणा लेकर सांगली, मिराज, इन्दौर, उज्जैन, बड़ौदा तथा कोल्हापुर के आदिवासी क्रांति सेना में भरती होने लगे।



बलवन्त फड़के से किसानों की दयनीय स्थिति देखी नहीं गई । उन्होंने पूना जिले के किसानों को संगठित किया और उन्होंने लगान देना बन्द कर दिया । इस तरह पूना जिले के 45 गाँव तथा अहमद नगर के 67 गाँव पूरी तरह से बागी हो गए । यह किसान आन्दोलन विकराल रूप धारण करता गया । अंग्रेजों ने पूना की सारी सोना क्रांति को कुचलने में लगादी । परंतु क्रांति पूरी तरह से शांत न हुई फड़के के नाम से अंग्रेज कॉपने लगे । उनकी बहादुरी का डंका लन्दन तक गूँजने लगा ।

परंतु उनके साथियों ने ही धोखे से बन्दी बनवा दिया और वे भारत से बहुत दूर "अदना" के किले में बन्दी बनाकर भेज दिया गया। वहां उनको अनेक यातना यें दी गई । अंत में वहीं 17 फरवरी 1883 को वीर गति को प्राप्त हुए । स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है।

आदिवासी क्रौंतिवीर बिरसा मुण्डा ग्राम-गरविया आलंहातू(रॉची)

स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी जनजातियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा । परंतु इतिहास में इनके त्याग व राष्ट्र-प्रेम को बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया । राजा महाराजाओं के समय लिखवाये गये इतिहास में आजादी के इन दिवानों को चोर डाकू व विद्रोही बताया गया जो इस जाति के साथ घोर अन्याय है ।

1857 की क्रांति का विद्रोह बिहार में ज्वालामुखी के रूप में फूटा था, जिसका तप्त लावा स्वतंत्रता प्राप्ति तक भी शांत नहीं हुआ । छोटा नागपुर में ''जतरा मगता'' विरसा मुण्डा ने अंग्रेजी मिशनरी, जमीदारों के शोषण तथा ब्रिटिश शासन के दमन चक्र के विरूद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया । यह जंगल का शेर जब दहाड़ता था तब सारा पठार थर्रा उठता था । आज भी छोटा नागपुर में देवता के समान पूजे जाते हैं ।

इस आदिवास नर केसरी का जन्म 15 नवम्बर 1875 में छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में एक छोटे से गाँव गरविया आलंहातू में हुआ, जो रॉची से 40 कि.मी. दूर खूटी आनुमण्डल में पड़ता है । पिता का नाम सुगना मुण्डा था और बहुत निर्धन थे । 1886 ई. में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने मुण्डा जाति में व्याप्त, अंधविश्वासों को दूर करने के साथ एक ही ईश्वर ''सिंग बोना'' (मुण्डी भाषा में सूर्य) की उपासना पर जोर दिया । वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर आदिवासी धर्म चलाया, उसमें प्रभु भक्ति की प्रधानता थी । विरसा की वाणीं, भजन एवं कीर्तन में इतना आकर्षण था कि ईसाई बने मुण्डा जाति के लोग भी वैष्णव धर्म में आने लगे ।



मुण्डा जाति की प्रगति में उन्होंने तीन मुख्य बातों को बाधक बताया (1) जमीदारों का जुल्म (2) ईसाई मिशनरी का कुप्रचार (3) गोरीब्रिटिश सरकार का दमन चक्र । अकाल, भुखमरी होने पर भी जमीदार मुण्डा जाति को यातनायें देते रहते थे । अंग्रेजी शासन का भी जमींदारों को संरक्षण प्राप्त था । अत: क्रांतिकारी विरसा मुण्डा ने अनुभव किया कि ''विदेशी शासन को समाप्त करने से ही मुण्डा जाति की प्रगति होगी । उसने मुण्डा आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजी शासन के विरूद्ध छापामार युद्ध प्रारंभ कर दिया । उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों के अनेक क्रांतिदल तैयार किये और ब्रिटिश सैनिक ठिकानों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया । क्रॉंति का प्रमुख केन्द्र था । इसके नेतृत्व में ''खूटी'' थाने पर धावा बोला गया । पाँच पुलिसकर्मी मारे गए । ब्रिटिश सरकार ने शान्ति की अपील की, परन्तु विरसा ने इसे ठुकरा दिया। फिर क्या था ? सेना के आक्रोश का ठिकाना न रहा, वह मुण्डा क्रॉंतिकारियों व महिलाओं पर गोली चलाने लगी ।

कुछ समय तो तीर कमान से ये आदिवासी वीर सेना का सामना करते रहे, परंतु तोपों की गोलाबारी से मुण्डा सेना तीतर-बितर होने लगी । विरसा भावी संघर्ष के लिए भूमिगत हो गये । परंतु भारतीय इतिहास का यह कितना दुखद प्रसंग है कि क्रॉंति वीरों को पकवाने में उनके साथियों का ही हाथ रहा । विरसा बन्दी बनाये गये और रॉची जेल भेज दिए गए । वहाँ नो जून 1900 ई. में है जो कि बीमारी से इस क्रॉंति वीर की मृत्यु हो गई । परंतु इतिहासकारों का मत है कि उनको जहर दिया गया ।

श्री वेद व्यास जी जयपुर

आप का जन्म एक जुलाई 1942 को हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त कर जन संचार में कुशलता के लिए भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। आकाशवाणी जयपुर में 1964 से 2002 तक सेवारत रहे। सेवाकाल में ही आप साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में अनवरत अपनी कलम चलाते रहे।



राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर आकाशवाणी कलाकार व कर्मचारी महासंघ से आप बराबर जुड़े रहे। राजस्थान साहित्य अकादमी के आप अध्यक्ष रहे। राजस्थानी भाषा के समाचार वाचक के रूप में अब तक कार्य कर रहे हैं। हिन्दी व राजस्थानी में आपकी भरपूर रचना यें प्रकाशित हो चुकी हैं।

साम्यवादी जन चेतना जाग्रत करने में आपके कार्य सराहनीय हैं। अब भी आप राजस्थान प्रगतिशील लेखक 'संघ' के महामंत्री, अध्यक्ष भाई चारा फाउन्डेशन राजस्थान, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवायें दे रहे हैं।

श्री हीरालाल शास्त्री (जयपुर)

आपका जन्म 24 नवम्बर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में श्री नारायण जोशी व ममता जोशी के यहाँ पुरोहित परिवार में हुआ था। जोबनेर हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद जयपुर आकर आपने शास्त्री तथा स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आप असहयोग आन्दोलन में भाग लेने लगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप 6 वर्ष तक राज्य सेवा में भी रहे। परन्तु प्रसिद्ध क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने से आपने 7 दिसम्बर 1927 को राज्य सेवा छोड़ दी और जनसेवा का काम करने लगे।



शास्त्री जी सबसे बड़ी देन निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में 'जीवन कुटीर' नामक संस्था की स्थापना है, जिसके माध्यम से स्वावलंबन का महत्त्वपूर्ण कार्य कियागया। इसके बाद तो वनस्थली भारत ही नहीं विश्व विख्यात नारी शिक्षा का केन्द्र बन गया। शास्त्रीजी मीणा समाज के भी शुभचिंतक थे। जरायम पेशा कानून के विरूद्ध जन आन्दोलन को भी आप सदा प्रेरणा देते रहे। देशी राज्य लोक परिषद (1946) के आप प्रधान सचिव बने। वहाँ आपने श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल तथा श्री राजेन्द्र कुमार अजेय द्वारा जरायम पेशा कानून के रखे जाने पर आपने उसे पारित करवाने में पूरी मदद की। जयपुर राज्य ने जब इस कानून को निरस्त कर दिया तो आपने ही इसकी सर्वप्रथम घोषणा बागावास विराट मीणा सम्मेलन 26 जुलाई 1946 में की और कहा कि आज से मीणा समाज को पूरे नागरिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इस तरह वे मीणा समाज की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। ऐसे तपस्वी जन सेवक एवं मीणा समाज के शुभचिन्तक श्री हीरालाल शास्त्री का स्वर्गवास 28 दिसम्बर 1974 को हो गया।

श्री हरिदेव जोशी ग्राम-घाटोल(बांसवाड़ा)

आपका जन्म बागड़ क्षेत्र के घाटोल में एक साधारण परिवार में हुआ। इस प्रदेश में 60 प्रतिशत जनता भील-मीणों की है। यहाँ पर इस समाज में जागृति के लिए सुप्रसिद्ध जन-सेवक ठक्कर बाया की प्रेरणा से स्वर्गीय भोगीलालजी पंड्या ने 1935 में ''हरिजन सेवा समिति'' की स्थापना थी। उसी वर्ष श्री शोभालाल गुप्ता ने मीणों और अन्य आदिवासियों में काम करने के लिए राजस्थान सेवक मण्डल की स्थापना की। इसमें श्री हरिदेव जोशी स्वयं सेवक के रूप में काम करने लगे। इसी बीच स्वर्गीय माणिक्यलाल वर्मा डूँगरपुर आ गए और सागवाड़ा से 16 कि. मी. दूर खड़लाई ग्राम में एक आश्रम बनाया। श्री जोशी भी आदिवासियों की सेवा में लग गए।



वर्मा जी द्वारा बागड़ सेवा मंदिर का निंरतर प्रचार किया जाने लगा। श्री जोशी भी सेवा मंदिर में उत्साह से भाग लेने लगे। इससे भील-मीणों में उत्साह का संचार हुआ। डूँगरपुर राज्य सरकार ''बागड़ सेवा मंदिर'' से नाराज थी। अत: श्री पण्डयाजी ने सेवा संघ की स्थापना की। इसमें भी श्री जोशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डूँगरपुर सरकार ने सेवा मंदिर द्वारा संचालित विद्यालयों व छात्रावासों को बंद करवा दिया।

देश में सन् 1942 की अगस्त क्रांति में राष्ट्र-पिता मा. गाँधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ा का नारा दिया और जनता को करो व मरो का संदेश दिया था। अत: इस क्रांति में भी बागड़ प्रदेश ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। एक अगस्त 1944 को सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्त्ता, श्री भोगीलाल पण्डया, श्री हरिदेव जोशी व गौरीशंकर आचार्य के प्रयत्नों से यहाँ प्रजामण्डल की स्थापना हुई। 1946 को श्री पण्डयाजी की अध्यक्षता में प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसको सफल बनाने में श्री हरिदेवजी जोशी का प्रमुख हाथ रहा। प्रजामण्डल ने आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों व बैठ बेगार का विरोध किया। फलस्वरूप श्री पण्डया व जोशी को बन्दी बनाया गया। सरकार ने श्री जोशी को राज्य से निष्कासित कर दिया और पण्डयाजी का जेल में क्रुरता-पूर्वक पिटाई की।

प्रजामण्डल पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने, श्रीगोकुल भाई भट्ट, श्री माणिक्यालाल वर्मा व श्री हीरालाल शास्त्री डूँगरपुर पहुँच गए और महारावल से मिले। सभी कार्यकर्त्ता रिहा कर दिए गए और उनकी मांगे मान ली गई। श्री हरिदेव जोशी का राज्य निष्कासन भी रद्द कर दिया गया। यह प्रजामण्डल की इस राज्य में पहली विजय था।

यद्यपि 15 अग्रस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। परंतु जागारिदारों का दमन चक्र चलता रहा। सितंबर 1947 में प्रजामण्डल के प्रमुख नेता स्वर्गीय हरदेव जोशी कतिसोर गाँव में सभा कर रहे थे, तब उन पर प्राण घातक हमला किया गया। श्री जोशी बाल-बाल बचा गए, परंतु इस अन्याय के विरोध में दो सौ कार्यकर्त्ता उनकी रक्षा के लिए कतिसोर पहुँच गए।

इस तरह श्री हरिदेव जोशी ने आदिवासी जन जातियों में जागृति लाने का सराहनीय कार्य किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वे 1952 से लगातार मृत्यपर्यात तक राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्षो तक सुखाडिया मंत्रीमण्डल के सदस्य रहे। सन् 1973-77 तक प्रथम बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1985 में राज्य के पुन: मुख्यमंत्री बने जो जीवन पर्यन्त बने रहे। आदिवासी समाज तथा राज्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

आदिवासियों के हृदय सम्राट हरि वल्लभ पारीख (गुजरात)

आदिवासियों को अपना परिजन मानने वाले श्री हरिवल्लभ पारीख का जन्म 15 सितम्बर 1925 को गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले के ध्रांगधा नामक गाँव में हुआ था। उनके दादा महादेव भाई घांगध्रा राज्य के दीवान थे। इसके पिता दामोदर भाई प्रतापगढ़ (राजस्थान) के राजा के सचिव बनकर आये थे। हरिभाई की प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे राजकोट अपने मामा के यहाँ चले गये। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए गुजरात विद्या पीठ आ गये, जिसकी स्थापना म. गाँधी ने 1920 में की थी।

कुछ समय बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन छिड़ गया। पुलिस ने विद्यापीठ पर अधिकार कर लिया व हरिभाई बन्दी बना लिए गए और छः माह के लिए जेल के सिखचों में बन्द कर दिए गए। इस घटना से हरिवल्लभ भाई की दिशा ही बदल गई और देश समाज के लिए अपने आपको समर्पित करने के लिए लालायित रहने लगे और सेवाग्राम पहुँच गए। वहाँ खादी ग्रामोद्योग कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं म. गाँधी से आप का संपर्क हुआ। उनके प्रभाव से भी पारीख को ग्राम सेवा की धुन सवार हो गई।

ग्राम सेवा हेतु उन्होंने कई संस्थाओं में कार्य किया। परन्तु उनके मन को संतोष नहीं हुआ। इसी बीच गुजरात के आदिवासियों की स्थिति उनके सामने आई और वे बड़ौदा आदिवासी क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ वन विभाग के कर्मचारियों तथा साहूकारों द्वारा भोले-भाले आदिवासियों का निरंतर शोषण हो रहा था। वहाँ पर श्री पारीख ने अनुभव किया कि आदिवासियों के जीवन को उन्नत बनाना है तो सर्वप्रथम उसे सूदखोरों से मुक्त कराना होगा। हरिभाई ने ऐसा ही किया उन्होंने पूँजीपतियों को समझाया और उनमें मानवता की भावना उजागर की। साथ ही आदिवासियों को भी शिक्षा व श्रम के लिए प्रेरित किया। फिर तो उन्होंने वहीं एक कुटिया बना ली, जिसे नाम दिया 'आनंद निकेतन'।

आज हरिभाई का आनंद निकेतन आदिवासियों का रक्षा कवच बन गया है। देश-विदेश से सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचते हैं और आनन्द निकेतन की सेवाओं को देखकर दंग रह जाते हैं।

साधु सीताराम (उदयपुर)

आपका जन्म 1884 ई. में बिजौलिया में हुआ था। उनको शिक्षा काल में ही शोषण एवं किसानों की दयनीय दशा को निकटता से देखने का अवसर मिला। उन्होंने गाँव-गाँव में शिक्षा का प्रचार किया। पथिक जी से पहले आपने ही किसानों पर थोपी गई बैठ बेगार का विरोध किया। उन दिनों रियासत के राजाअपने अधीन सामन्तों से भारी रकम नजराने के रूप में लेते थे। जब मेवाड़ के महाराणा ने बिजौलिया के सामन्त से एक लाख रुपये की मांग की तो जागीरदार ने किसानों पर अनेक बैठ-बेगार एवं लागबाग थोप दी।

1913 में मेवाड़ में ही नहीं राजस्थान में पहली बार श्री सीताराम साधु, फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में एक सशक्त किसान आन्दोलन संगठित किया गया। लगभग एक हजार किसान साधु सीताराम के नेतृत्व में करों के विरोध में बिजौलिया रावजी के महलों पर धरना दिया। इनके बाद श्री पथिक जी ने किसान आन्दोलन का संचालन किया, जिसका विस्तृत विवरण हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

श्री सुमनेश जोशी (जोधपुर)

राजपूताना में सामन्तवाद और राजा शाही के विरूद्ध लड़े गये स्वतंत्रता के प्रयासों में श्री सुमनेश जोशी की भूमिका एक तेजस्वी एवं क्रांतिकारी कवि के रूप में रही थी। सुमनेश जोशी का जन्म 3 सिम्बर, 1916 में जोधपुर मु हुआ था आपने मनो विज्ञान समाजशास्त्र और इतिहास का गहन अध्ययन प्राप्त किया।



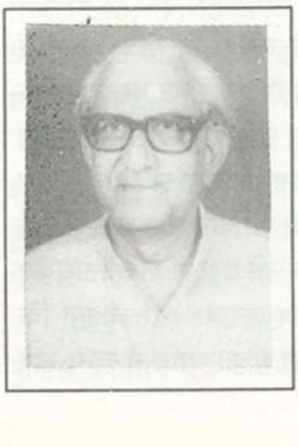
देश सेवा की प्रेरणा उन्हें लोकनायक श्री जयनारायण व्यास से मिली सरकारी सेवा के साथ-साथ जोधपुर की राजनैतिक संस्थाओं से जुटकर आदिवासी, हरिजन, किसान व मजदूरों के अधिकारों के लिए राजाशाही और जागीरदारों के विरूद्ध समाचार-पत्रों व सभाओं के माध्यम से जागरूकता के प्रसार का कार्य शुरू किया।

1936 में सुमनेश जोशी क्रांतिकारी व राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गये राजकीय सेवा को त्याग पत्र देकर आपने प्रजा परिषद के कार्य कलापों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया । लगातार घूम-घूम के राज्य सरकार व जागीरदारों के विरूद्ध जनजागरण को प्रचार किया।

14 जुलाई, 1942 में आपको गिरफ्तार कर 4 वर्ष 7 महिने की जेल की सजा सुना दी गई, 1946 में जेल से रिहा होने के पश्चात् आपने जोधपुर सरकार के विरूद्ध दैनिक समाचार पत्र निकालना शुरु कर दिया।

देशी राज्य लोक परिषद के प्रतिनिधि चयन होने के पश्चात् आप जयपुर आ गये यहां आकर आपने दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत के प्रधान सम्पादन का कार्य भार संभाल कर करीबन 38 से ज्यादा पुस्तक के लिखी। देश आजाद होने के पश्चात् राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक का प्रकाशन सन् 1973 में किया जो कि भविष्य की आने वाली पीढ़ी के किये प्रेरणा का स्त्रोत बनी। इस पुस्तक में सन् 1857 की क्रांती से राष्ट्र आजाद होने तक की आजादी की लड़ाई में मीणा सुधार समिति व श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को 1945 में नीम का थाना में पुलिस ने भारत सुरक्षा कानून की धारा 129 में गिरफ्तार करने व मानगढ़ की पहाड़ियों में सैंकडों मीणो को राजा-महाराजा व अंग्रेज पलटन की सहायता से जलियावाला कांड से भी भयंकर घटना, का उल्लेख रोचक पूर्वक लेखन कार्य किया। आपका निधन 1978 में हो गया।

श्री सूरज प्रकाश पापा (जोधपुर)



श्रीसूरजप्रकाश पापा का जन्म जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में दिनांक : 20 अक्टूबर, 1921 में हुआ। आपका विज्ञान विषय से इँटर तक की शिक्षा प्राप्त की । 1940 में लोकपरिषद के आन्दोलन में सक्रियरूप से भाग लेना शुरु किया जिसके फलस्वरुप आपको सन् 1942 में राजकीय सेवा से निष्काषित कर दिया गया। इसी समय भारत छोड़ो आन्दोलन के बाग काण्ड में आपको गिरफ्तार करके 8 वर्ष 6 माह की सजा दी गई; लेकिन 2 वर्ष 6 माह जेल में व्यतीत करने के पश्चात् आपको जैल में रिहाकर दिया गया।

जेल से मुक्त होने के बाद आपने लोकनायक श्री जयनारायण व्यास के साथ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कार्यालय मंत्री बनाये गये जिसका कार्यभार 1946 तक किया। सन् 1948 में आपने-रोशनी नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र निकाला। राष्ट्र के आजादी के पश्चात् भी आपने स्वतंत्रता की लड़ाई में हुये शहीद व जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को एक मंच पर लाने हेतु राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम समिति का गठन किया । वर्तमान समय में आप शुरू से ही इस संगठन के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। समय-समय पर प्रकाशित स्मारिकाओं में जन जातियों के बारे में सामग्री प्रकाशित करके उनमें सन् 1944 अप्रेल में विशाल मीणा सम्मेलन जरायमपेशा कानून और जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध बैठ-बेगार को खत्म करने के बारे में अच्छा प्रकाश डाला। स्वतंत्रता आन्दोलन में जनजातियों की भागीदारी के बारे में आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दर्शन प्रदान कर रहे है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मृति भवन के निर्माण कार्य हेतु राजस्थान सरकार के साथ उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं।

श्री सिद्धराज ढड्ढा (जयपुर)

श्री सिद्धराज ढड्ढा का जन्म ता. 12 फरवरी, 1909 को जयपुर में हुआ। शिक्षा एम.ए. तथा एल.एल.बी. इलाहाबाद से की। इलाहाबाद यूथ लीग और यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने सन् 1931 से 1933 तक मैसूर, बंगलौर और जयपुर में वकालत भी की। सन् 1934 से 1942



तक वे कलकत्ता में इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स के सेक्रेटरी रहे थे। कलकत्ता के प्रवास में हरिजन उत्थान समिति के मंत्री और बंगाल हरिजन बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने उन दिनों समाज सेवक ओसवाल और तरुण जैन पत्रों का सम्पादन किया। वे उन दिनों हिन्दुस्तान टाईम्स, अमृत बाजार पत्रिका, हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड विशाल भारत हंस आदि पत्रों में लेख लिखा करते थे।

भारत छोड़ो आन्दोलन के समय उन्होंने चैम्बर आफ कामर्स के कार्य से त्याग पत्र देकर सत्याग्रह में भाग लिया और दो वर्ष की जेल तक वाराणसी जेल में रहे तथा उन्होंने अपना शेष जीवन सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया।

श्री सिद्धराज जी ढड्ढा राजस्थान निर्माण के बाद श्री हीरालाल शास्त्री, जयपुर के मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे। आदरणीय जयप्रकाश नारायण सर्वोदय नेता से निकट सम्पर्क स्थापित कर जयपुर जिला के ग्राम आसलपुर के निकट ढाणी में एक विशाल सर्वोदय कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मेलन का आयोजन किया। उक्त सम्मेलन में राजस्थान और देश के अन्य प्रान्तों से हजारों लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने भी सक्रिय भाग लिया। जयप्रकाश जी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यकारिणी की मीटिंग में श्री सिद्धराज जी ढड्ढा ने लक्ष्मीनारायण झरवाल को भी विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण सर्वोदय नेता से परिचय कराया और बताया कि राजस्थान की रियासतों में लाखों मीणा जनजाति के निर्दोष लोगों को केवल मीणा जाति में जन्म लेने

मात्र से 1930 से काले कानून क्रीमिनल ट्राइब एक्ट में अमानवीय जुल्मों से रोंदा जा रहा है। उक्त मीणा जनजाति के आन्दोलन में प्रजा मण्डल अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कांग्रेस का सहयोग बराबर इस काले कानून को रद्द करने में दिया जा रहा है। इन्होंने मीणा सुधार समिति की स्थापना करके अमानवीय कृत्य करने वाले हत्यारों को खत्म करने व काले कानून को समाप्त करने का आन्दोलन चला रखा है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को बताया कि जयपुर राज्य सरकार ने श्री लक्ष्मी नारायण जी झरवाल को भारत सुरक्षा कानून धारा 129 में इन्हें 1945 में नीमकाथाना में गिरफ्तार करके काठ की व जेल की यातनाएं भी दी है।

आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय नेता ने बताया कि इस प्रकार के अमानवीय क्रीमिनल ट्राइब एक्ट को किसी भी हालत में बर्दाश्त न किया जाए। यह इस प्रकार का कानून मानवता पर कलंक है।

मीणा मुक्ति संग्राम के जुझारू समाजसेवी

श्री अर्जुनदेव मीणा (नयाबास, सीकर)

स्वर्गीय श्री अर्जुन देव जी मीणा पुत्र श्री खुमाणी राम माउण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना, जिला जयपुर (हाल में जिला सीकर) का जन्म सन् 1895 में एक साधारण परिवार में हुआ।

माउण्डा खुर्द से सन् 1904 में आकर सभी मीणा परिवारों ने नयाबास गांव बसाया। श्री अर्जुन देव जी की शिक्षा-दीक्षा आठवीं कक्षा तक शाहजहांपुर में अपनी बड़ी बहन के पास हुई।

सन् 1915 में 20 वर्ष की आयु में पुलिस में नियुक्त हुए किन्तु रजवाड़ों की हाकमशाही व पुलिस के जुल्मों से नफरत होने के कारण वे पुलिस की नौकरी छोड़कर वाणिज्य कर मालगुजारी विभाग में जयपुर- अजमेर रियासत की सीमा चौकी (राहदारी) आसलपुर- जोबनेर चैक पोस्ट पर दरोगा की हैसियत से राहदारी इन्चार्ज के पद पर कार्य करने लगे, किन्तु स्वतंत्रता आन्दोलनों की सरगर्मियों के चलते हुए इनमें भाग लेने लगे एवं सन् 1944 में नीमकाथाना में मीणा समाज का सम्मेलन आमंत्रित किया। इस समय वे नीमकाथाना में ही राहदारी इन्चार्ज के पद पर कार्यरत थे। यह अखिल भारतीय मीणा समाज सम्मेलन 16, 17, 18 अप्रैल 1944 तीन दिन चला, जिसमें जैन मुनि मगन सागर जी ने अध्यक्षता की एवं उद्घाटन श्री सत्यदेव 'विद्या अलंकार' ने किया जो कि नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के सम्पादक भी थे। इस सम्मेलन के स्वागत मंत्री स्वयं श्री अर्जुन देव जी थे एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों में राजेन्द्र कुमार 'अजेय', श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, पंडित बंशीधर जी, भैरवलाल काला बादल, तारासिंह जी इत्यादि थे। इसके पश्चात श्री अर्जुन देव जी ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने पुत्रों को भी आन्दोलन में शामिल करते हुए प्रशिक्षित किया। इस आन्दोलन के बाद अंग्रेजों ने उनको जयपुर जेल भेज दिया। करीब 11 महीने जेल में बन्द रखने के बाद उनको छोड़ दिया गया।

जेल से आने के बाद भी वे लगातार आन्दोलनों में भाग लेते रहे और प्रचार करते रहे। जागीरदारी, पुलिस प्रशासन एवं अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ एवं मीणा जाति के साथ बैठ-बैगार,

हाजरी (जरायमपेशा) कानून के खिलाफ जीवनभर आन्दोलन एवं प्रचार करते रहे। सन् 1970 में उनकी मृत्यु हो गई।

समर्पित समाज सेवक श्री अड़िसाल सिंह (कोटपूतली)

कोटपूतली निवासी श्री अड़ीसाल सिंह विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवी थे। आपका जन्म 1912 ई. में मीणा समाज के छापेला कृषक परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आप जयपुर राज्य की पुलिस सेवा में चले गये। पुलिस सेवा में आपने बहुत निष्ठा से कार्य किया।



पुलिस कार्यकाल समय के बाद आप समाज सेवा में भाग लेते रहे। मीणा सुधार समिति कोई राजनितिक संस्था नहीं थी। अतः आप निसंकोच इसमें भाग लेने लगे। सुधार समिति की कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष बनाये गये। जिसका आपने बहुत ही शालीनता से निर्वाह किया। जरायमपेशा कानून को हटाने के आन्दोलन में आप बराबर भाग लेते रहे। भगवान ने आपको सुन्दर शरीर के साथ सुरीला कण्ठ भी दिया था। अत: प्रत्येक सम्मेलन में आपकी कवितायें सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। कोटा निवासी श्री भैरवलाल काला बादल की भाँति जाति सुधार एवं जन चेतना के गीत, करताल ध्वनि के साथ गाया करते थे। ये अपना सारा जीवन समर्पित कर गाँव-गाँव जाकर अलग-अलग जगाया और काले कानून का विरोध किया। श्री अड़ीसाल सिंह छापोल व श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल परम साथी थे। श्री झरवाल को बचन दिया था कि आपको जयपुर सरकार गिरफ्तार कर लेती है तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीणा समाज की सेवा में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करूंगा।

श्री उमराव सिंह मीना (कौलाना, तहसील बसवा)

भाद्रपद शुक्ला नवमी सं. 1972 को श्री चन्द्रा मीना के घर ग्राम कौलाना तहसील-बसवा में जन्में श्री उमराव को बचपन से ही संघर्ष का सामना करना पड़ा। राज के बड़े माफीदार उनके दादा श्री बलदेव



राम ने प्रपौत्र के जन्म के समय मनाये जाने वाले समारोह में अंग्रेजी हुकूमत और रियासती उत्पीड़न की चर्चा पर प्रण लेकर जयपुर दरबार की दी हुई सारी छूट और माफियों को त्याग दिया। इसी वातावरण में सम्वत् 1984 में अर्थात् सन् 1928 के लगभग इनके पिता श्री चन्द्राराम ने बसवा के पालीवाल स्वतंत्रता सेनानियों का साथ पकड़ा और सन् 1945 तक लम्बे समय तक इस काम में जुटे रहे। जिनकी देश सेवाओं की मान्यता पर उनकी ढ़ाणी का नाम राज सरकार द्वारा उनके नाम पर "चन्द्रवास" सरकारी व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया है।

श्री उमराव ने पिता की प्रेरणा से गाँव के ही पण्डित से प्राथमिक शिक्षा पाई। खेती के काम में व्यस्तता और घर के काम काज की अधिकता से शिक्षा का कार्य सीमित

रहा। किन्तु पिता के अंग्रेजी हुकूमत के विरोध के उत्साह की प्रेरणा में श्री उमराव को गृहस्थ बांध नहीं पाया और सन् 1939 में चुपके-चुपके स्वतंत्रता प्राप्ति के अलख में शामिल हो गये। उस समय बांदीकुई क्षेत्र में समाज सुधार और स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रम में आने वाले नेताओं के साथ इनने सतत् सम्पर्क रखा। ऐसे नेताओं में प्रमुख बसवा के पालीवाल, राजपुर के जयरामजी, दौसा के श्री रामकरण जी जोशी, शाहजहाँपुर के छाजूराम कांवत और अलवर के श्री शोभा राम थे जिनके प्रभव से इन्होंने कुरीतियों के विरूद्ध भी काम करना शुरू किया कालान्तर में इन्होंने प्रजा मण्डलों, जाति सुधार सभाओं तथा रैलियों में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इनका सन् 1946 में छोटू गोठवाल गोला का बास जिला अलवर श्और टीकाराम जी पालीवाल से सम्पर्क हुआ। जयपुर राज के आई.जी. पुलिस यंग के नये आदेशों के विरोध में सन् 1945 से 1946 तक जगह-जगह हुई गोष्ठियों में भाग लिया। जयपुर के निर्भीक नेता श्री लक्ष्मी नारायण जी झारवाल के विशेष प्रयत्नों से 5 जून, 1946 में जरायम पेशा काला कानून की समाप्ति हेतु आयोजित रैली और सभा में कई रचनात्मक कार्य आरम्भ किये। सन् 1947 के गदर के समय तक गौकसी के विरोध में भी पूरे जोश के साथ आन्दोलन में भाग लिया। इस समय उत्तर प्रदेश की ओर गौकसी को ले जाते पशुओं की सेवा में भण्डारों की व्यवस्था में भरपूर चारा सामग्री देकर गौरक्षा में अपना योगदान दिया और इस कार्य जीवन पर्यन्त रूचि बनाये रखी। अपने योगदान के ही निमित्त जीवन के उत्तरार्द्ध में आपने चमड़ा विहीन जूते भी गौ-रक्षक कम्पनी के ही पहने और इसके लिये अपने साथियों को भी प्रेरणा दी तथा अपने निजी योगदान में गोपालन का संकल्प बनाये रखा।

स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक में अनेक कार्यों के साथ-साथ जाति सुधार और मीणा जाति के उत्पीड़न मुक्ति के कार्यक्रमों में उस समय महान् त्यागी श्री लक्ष्मीनारायण झारवाल के सम्पर्क में आये। उनकी प्रेरणा से सन् 1948 में जनमान्य श्री विजय सिंह पथिक की बांदीकुई में आयोजित विशाल सभा और प्रवास के समय पूर्ण उत्साह के साथ सभा के आयोजन में अपने सहयोगी श्री रामचन्द्र जी मीणा बांदीकुई के साथ भारी सेवायें दी। उसी दिन दूसरा सम्मेलन आभानेरी में आयोजित हुआ उसके आयोजन में भी इनकी सेवा और रूचि अनेकों को प्रेरणा का विषय रही। उस समय ली गई प्रेरणा तथा तय किये लक्ष्यों पर छोटू जी गोठवाल गोला का बास, हरदेव जी बागड़ी तथा बाद में लक्ष्मीनारायण जी बैनाड़ के साथ काम में जुट कर किसानों के नागरिक अधिकारों पर संघर्ष चलाया क्षेत्र के लगभग 500 गांवों में गोष्ठियों की और जाति जागरण का सशक्त कार्य किया।

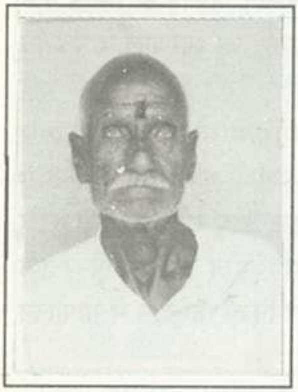
जाति पांति और साम्प्रदायिकता के कट्टर विरोधी श्री उमराव जी का सम्पर्क आदिवासी नेता भैंरूलाल काला बादल से भी कोटा में हुआ जो जाति सुधार में प्रेरणादायी सम्पर्क था।

गरीब बन्धुओं और जाति कल्याण तथा परार्थ के क्रम में अपनी सामर्थ्य से अपने गांव और आस-पास अनेक प्राथमिक विद्यालय खुलवाने, गांव के विद्यालय का माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन, जल, विद्युत्त,सड़क,स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा के संस्थान खुलवाने का श्रेय पाया। रेल विभाग में भेदभाव के विरोध में सन् 1979 में सेवा निवृत लेने के पश्चात् गांवों में जाति सुधार, कुरीतियों के त्याग के लिये अथक कार्य किया। इस काम में गुढ़ा के सुरजन जी, बांदीकुई के रामचन्द्र मीणा, लक्ष्मी नारायण जी बैनाड़ के कदम से कदम मिलाकर कार्य कर अभियान को सशक्त किया। अपने निस्पृह भाव और जाति विहीन सोच कारण क्षेत्रीय सांसद श्री राजेश पायलट के जीवन पर्यन्त चहते रहे। शिक्षा प्रेम पर इनकी प्रेरणा से इनके बड़े

पुत्र श्री रामजीवन इस समय पुलिस में आई.जी. के पद पर काम कर रहे हैं और सारे परिवार में शिक्षा का वातावरण बना हुआ है। इन भावना और इनके लोक सम्पर्क के कारण राष्ट्रीय जन नेता श्री राजेश पायलट ने अपने संसदीय चुनाव का दोबार श्री उमराव सिंह के घर से ही शुभारंभ किया था।

श्रीकृष्ण मत्स्य (ग्राम-हिरनोहा, तहसील फुलेरा, जिला-जयपुर)

श्रीकृष्ण मत्स्य गोत्र बगराणिया ग्राम-हिरनोदा-तहसील फुलेरा, जिला-जयुर, राजस्थान में आपका जन्म हुआ, आपने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की आप पर्यावरण के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं। आपने



युवावस्था से ही प्रजामण्डल में सक्रिय रूप से भाग लेकर जागीरदारी प्रथा व उनके जुल्मों का विरोध पूरी ताकत से किया। श्री बद्री नारायण 'खेरा' के साथ सम्पर्क स्थापित करके व उनकी प्रेरणा से आपने हिरणोदा ग्राम के आस-पास के किसानों की जनसभा करके जागीरदारों को दी जाने वाली भेंट बेगार लाटा-बांटा का जाकर विरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप जागीरदार लोग कुंठित होकर आपको जान से मार देने की धमकी देकर अपने गांव से आपको निष्काषित भी कर दिया।

आपने श्री बंशीधर लुहाड़िया स्वतंत्रता सेनानी के साथ मिलकर आजादी की जंग में सक्रिय रूप से भाग लिया और लोकनायक जयनारायण व्यास, जोधपुर, से व मीणा नेता, लक्ष्मी नारायण मारवाल से मिलकर मीणा जाति पर जन्म लेने मात्र से जरायम पेशा कानून लगा हुआ था। उसका पूरे जोश के साथ विरोद्ध किया और अपने गाँव के हिरनोदा में मीणा समाज का सम्मेलन का आयोजन कर हजारों मीणा प्रतिनिधियों को तेजाबी भाषण के द्वारा जरायम पेशा कानून को मीणा जाति पर से रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया।

नीम का थाना में विशाल मीणा, सम्मेलन में 1944 में सक्रिय कार्यकर्त्ता के रूप में भाग लिया तथा दिनांक: 21.22 मार्च, 1947 में नरेणा में मीणा नेताओ ने काले कानून को खत्म करने की कसम ली थी।

आपको राजस्थान सरकार के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेशन प्राप्त होती है तथा राजस्थान सरकार ने आपको ताम्र-पत्र प्रदान किया है।

जयपुर,सीकर, झुनझुनू, अलवर, कोटा में मीणा सभाओं में बराबर भाग लेते रहते है तथा गाँव-गाँव की पदयात्रा कर जन जागरण का कार्यक्रम अशिक्षा, नशाबन्दी बालविवाह, सामाजजिक कुरूतियों को खत्म करने में वहुत ज्यादा योगदान देते रहते हैं। तथा ग्रामीण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।



श्री कल्याणमल मीणा (जिला जयपुर त. बस्सी)

8 फरवरी 1942 में जन्मे कल्याणमल मीणा तहसील बस्सी के ग्राम बिहारीपुरा के एक कृषक परिवार से हैं। हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर 1963 में टेलीफोन विभाग में सेवारत रहकर अपनी योग्यता बढ़ाते रहे और लोक प्रशासन में एम. ए. की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन काल में सामाजिक कार्यों में रुचि लेते रहे।

मीणा समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल की

प्रेरणा से मीणा समाज की एकता व उन्नति में सर्वदा प्रयासरत रहे। समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने में निरंतर प्रयास करते रहे और मीणा सम्मेलनों में भाग लेते रहे। समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए 1965 में जब छात्रावास की योजना बनी तो इसमें इनका सक्रिय सहयोग रहा। 1990 में नागरिक सुरक्षा से जुड़कर समाज सेवा में भी आपकी सेवा उल्लेखनीय रही।

कल्याणसहाय मत्स्य (ब्रह्मपुरी, जयपुर)

आपका जन्म 1931 ई. में नांगल वैरसी दौसा में हुआ। आपको जमवारामगढ़ के प्रतीक एवं सदाचारी मीणा राजा राव मैदा का वंशज होने का गौरव प्राप्त है। मत्स्य भगवान की सन्तान होने के कारण



अनेक मीणा सरदार अपने आप मत्स्य कहने पर अपने आपको धन्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य नाम महाभारत कालीन शक्तिशाली मत्स्य राष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है। इस राष्ट्र के महाराजा विराट की धाक पाण्डव तथा श्री कृष्ण भी मानते थे। पाण्डवों ने 13 माह का अज्ञातवास मीणों की राजधानी बैराठ में बिताया था। इतना ही नहीं युद्ध को रोकने के लिए श्रीकृष्ण द्वारा शान्ति सम्मेलन भी यहां आयोजित किया गया। इस सभी का वर्णन हम विगत अध्याय में विस्तार से पढ़ चुके हैं।

कल्याण मत्स्य समाज में उत्साही कार्यकर्ता रहे हैं। अनेक सम्मेलनों में भाग लेकर आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 19-20 मार्च, 1947 में मीणा कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधियों ने एक विराट सम्मेलन प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता अजमेर क्षेत्र की कांग्रेस के अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में बड़वा मीणा में हुआ था। उसके आयोजन का समस्त भार कल्याण सहाय मत्स्य व रामनारायण मानुताल ग्राम बड़वा पर था, जिसको उन्होंने बहुत ही मनोयोग से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाया।

अजमेर डिवीजन की पुलिस द्वारा अजीतगढ़, चन्दवाजी आदि स्थानों पर मीणों पर चोरी के झूंठे आरोप लगाकर अनेक अत्याचार किये गये। निर्दोष मीणों को निर्दयता से पीटा गया, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, इन सभी का वर्णन हम विगत पृष्ठों में विस्तार से कर चुके हैं।

इस विभत्स काण्ड की जांच के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक्य लाल वर्मा, मंत्री भोगीलाल पाण्ड्या के नेतृत्व में मीणा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमण्डल जांच करने अजीतगढ़ पहुंचा। इस प्रतिनिधि मण्डल में लक्ष्मीनारायण झरवाल, ओमदत्त शास्त्री अध्यक्ष जयपुर खादी उद्योग मन्दिर, बनवारी लाल गौड़ मंत्री राजस्थान आदिवासी सेवा संघ, जयपुर के साथ कल्याण सहाय मत्स्य भी थे। आपने जांच प्रतिवेदन तैयार करने में बहुत उत्साह से भाग लिया। इस जांच प्रतिवेदन के तथ्यों को देखकर स्वर्गीय भोगीलाल पाण्ड्य के आंखों में आंसू आ गये। अजीतगढ़ कैम्प में निर्दोष मीणों पर किए गए निर्मम अत्याचारों का हम विगत पृष्ठों में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं।

कल्याण सहाय मत्स्य अभी बहुत ही सजग समाज सुधारक हैं। मीणा जाति के संगठन के लिए होने वाले प्रत्येक सम्मेलन में उपस्थित होकर अपने अमूल्य सुझाव देते रहते हैं। आपके अनूठे व्यक्तित्व पर मीणा जाति को बड़ा गर्व है।

श्री कल्याणसिंह जी झरवाल ग्राम-बूज, त.-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर(राज.)

आपका जन्म ग्राम बूज तहसील जमावारामगढ़ जिला जयपुर (राज.) में एक प्रतिष्ठित मीणा परिवार में हुआ । आपको, महान् पराक्रमी व प्रतिभाशाली हीदा जी के वंशज होने का गौरव प्राप्त है । पढ़ लिखकर आप 'बूज' के तालुकदार पद पर नियुक्त हुए । किन्तु कुछ ही समय इस पद पर रहे और समाज की उन्नति मे लग गए । सन् 1928 मीणा समाज के अंधकार व क्रू रता का वर्ष था । क्योंकि इस वर्ष सार्वजनिक रूप से क्रिमिनल ट्राइन्स एक्ट लागू हुआ, जिसके विषय में हम गत पृष्ठों में विस्तार से पढ़ चुके हैं । यह एक प्रकार, ऐसा अमानवीय कानून था जिस के अनुसार जन्म के समय से मीणा बालक को अपराधी मान लिया जाता था । **वास्तव में ऐसा कानून शासक वर्ग की सोची-समझी योजना थी कि मीणा जाति के बच्चों के मन में ऐसी हीनभावना भर दी जाये कि वे अपने जातीय गौरव को सदा के लिए भूल जाएँ । इस अमानवीय कानून कठोरता से लागू करने का कार्य आई.जी.पुलिस जयपुर और डी. आई. जी. गोपालदास ने किया जो पंजाब से जयपुर राज्य की सेवा में आये थे । इन दोनों ने इस एक्ट के अंतर्गत ऐसी निकृष्ट व आमनीय कानूनी धारा जोड़ा जिसके कारण मीणा जाति को आत्म रक्षा के लिए दर-दर भटकना पड़ा और वर्षों तक मानवीय अधिकारों से वंचित रहे । इन सभी का वर्णन विगत पृष्ठों में विस्तार से पढ़ चुके हैं ।**



इस काले कानून के विरूद्ध मीणा सुधार समिति के तत्त्वाधान मीणा समाज के सम्मेलन हुए। श्री कल्याणसिंह जी झरवाल ने मीणा सुधार समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल से कंधे से कंधे मिलाकर इस काले कानून का विरोध किया और इसके लिए जनमत तैयार हुआ । जब कोई समाज संगठित होकर अपने पर होने वाले अत्याचारों का विरोध के लिये तैयार हो जाता है, तो उसे निश्चित सफलता मिलती है । अंत में विशाल मीणा सम्मेलन में विजय के उद्घोष के साथ 5 जून 1947 को जौहरी बाजार, देवड़ी जी मंदिर के सामने श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने इस कानून को आग के भेट कर दिया । इसके बाद मीणा समाज में शिक्षा के अभाव को दूर करने व जाति समाज में अंधविश्वास को हटाने में भी श्री कल्याणजी का अभूत पूर्व योगदान रहा । ऐसे कर्मठ लोगों के निरंतर प्रयास से ही मीणा जाति आज उन्नति की ओर अग्रसर है । मध निषेध व जाति सुधार में भी इनका पूरा सहयोग रहा ।

कालूराम जी मीना (नीमकाथाना, जिला सीकर)

शिक्षा प्राप्त कर राजकीय व केन्द्रीय सेवा में उच्च पद प्राप्त करने के अतिरिक्त लेखन एवं रचनात्मक कार्यों में भी मीणा युवक किसी से पीछे नहीं थे। रचनात्मक कार्यों में कालूराम मीणा का नाम विशेष



उल्लेखनीय है। समग्र क्रान्ति एवं ग्राम स्वराज्य के अग्रदूत महान तपस्वी सन्त विनोबा भावे जब मार्च 1959 में गुजरात से राजस्थान में प्रवेश किया। डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं आदि क्षेत्रों में उनकी यात्रा अधिक प्रभावशाली रहा। राजस्थान के दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया और उनके संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व स्वर्गीय गोकुलभाई भट्ट ने संभाला।

विनोबा जी के पद यात्रा में श्री कालूराम मीणा सदैव उनके साथ रहे। 19 मार्च 1959 से 20 मार्च तक की पदयात्रा में श्री कालूराम मीणा रात-दिन विनोबा जी के साथ रहे और उन्हें राजस्थान की ग्राम समस्या के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इस पदयात्रा में स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल भी विनोबा जी के साथ थे। श्री झरवाल ने मीणा जाति द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की लम्बी कथा से अवगत कराया और किसानों की दयनीय दशा पर भी प्रकाश डाला। अनेक मीणा बन्धु खादी ग्रामोद्योग के कार्य में बराबर रुचि लेते रहे। श्री झरवाल का चर्खा संघ निरन्तर सम्पर्क बना रहा। श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल अभी खादी वस्त्रों का ही उपयोग करते हैं और अनेक लोगों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ा।

प्रबुद्ध समाज सेवक श्री किशन लाल वर्मा (घाटगेट, जयपुर)

उच्च शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति प्राय: अपने समाज को भूल जाता है, परन्तु किशनलाल वर्मा इसके अपवाद हैं। वे उच्च शिक्ष प्राप्त कर लेने पर भी मीणा समाज में राजनीतिक जाग्रति एवं सामाजिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। ऐसे मेधावी समाज सेवक श्री किशनलाल वर्मा का जन्म 12 नवंबर 1927 को जयपुर में हुआ। 1954-55 तक जयपुर में ही शिक्षा प्राप्त की। एम. ए. एल. एल. बी. की उपाधि के बाद ही वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया।



उच्च शिक्षा प्राप्त होने से पहले विद्यार्थी जीवन में 1944-45 सामाजिक कुरीतियों के आन्दोलन से जुड़ गए। जयपुर राज द्वारा मीणा जाति पर जरायम पेशा कानून थोपा गया तो इस कानून को हटाने के सत्याग्रह आन्दोलन में बहुत उत्साह से भाग लेने लगे। उस समय प्रजामण्डल भी सामन्तवाद के विरोध में सशक्त आन्दोलन कर रहा था। अत: श्री वर्मा भी बैठ-बेगार, लाल-बग के विरूद्ध प्रजामण्डल के कार्यों से जुड़ गए। मीणा समाज की ओर से दादरसी कानून एवं दफा 28 के विरूद्ध आवाज उठी तो श्री वर्मा समर्पित भावना से मीणा जाति में इन दमनकारी कानून के विरोध आन्दोलन में भाग लेने लगे। बड़वा, बस्सी, नीम का थाना में किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध आपने आवाज उठाई। जरायम पेशा कानून को जलाने के लिए जब एक जुलूस का

आयोजन हुआ तो श्री वर्मा उसमें सम्मिलित हुए। सुरक्षा दल ने जब नीम के थाने में पाँच मीणा सरदारों की हत्या कर दी तो आपने पुलिस तथा सुरक्षा दल के दमन चक्र के विरूद्ध महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्य मंत्री व राज्यपाल को पत्र भेजे। मांग पत्र का प्रारूप आपने ही तैयार किया था। जयपुर मीणा सुधार समिति के कई वर्षों तक कार्यालय मंत्री रहे। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के मार्ग दर्शन में आपने यह कार्य बहुत ही सुचारु रूप से किया। जयपुर मीणा सुधार समिति का जब विस्तार हुआ राजस्थान मीणा सुधार समिति के नाम से इसका नामकरण हुआ तो आप इसके महामंत्री चुने गए। सन् 1968 में आप राजस्थान मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष कोटा अधिवेशन में मनोनीत किए गए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर होने वाले विराट मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता करने का भी आपको अवसर मिला।

रिजर्वेशन दिलाने में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के मार्गदर्शन में आपने महत्त्वपूर्ण काम किया। संसद में मीणा जाति को पिछड़ी जाति से निकाल कर आदिम जनजाति में स्थान दिलाने में आपने काफी दौड़ धूप थी। रिजर्वेशन की सुविधा से आपने मीणा समाज को भली-भाँति अवगत कराया। सामाजिक बुराइयों अश्लील-नाच गान तथा भारी भरकम गहनों को त्यागने के लिए भी आपने जनमत तैयार किया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपने एडवोकेट के कार्य की इतनी प्रधानता नहीं दी, जितनी समाज के कार्य को दी। समाज का कोई ऐसा सम्मेलन नहीं था जिसमें आपका योगदान न रहा हो।

लोकतंत्र में राजनीति में भाग लेकर आपने अपनी साथियों को भी प्रेरणा दी। सन् 1962 में कांग्रेस की ओर से अनुसूचित जन जातिक्षेत्र सिकराय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। परन्तु उस राज्य में स्वतंत्र पार्टी का बोलबाला होने के कारण आपको सफलता नहीं मिली। उस समय पूरे जयपुर जिले में केवल श्रीमती कमला बेनीवाल ही कांग्रेस की ओर से जीती थी शेष सभी पराजित हुए। इसके बाद 1967 में श्री वर्मा कांग्रेस के अभ्यार्थी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें सफलता मिली। परन्तु तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने मंत्रीमंडल में स्थान न देकर संसदीय सचिव का पद दिया, जिसे स्वाभिमानी श्री वर्मा ने अस्वीकार कर दिया। श्री वर्मा कांग्रेस में सर्वदा से ही सक्रिय रहे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी (पी. सी. सी.) के दस वर्ष तक सदस्य रहे। देहात कांग्रेस की प्रबंध समिति के भी आप सदस्य रहे। बार कौंसिल के भी आप 1974 में सदस्य रहे। ट्रक यूनियन के महामंत्री का भार तो आप कई वर्षों तक उठाते रहे। लायन्स क्लब के उपाध्यक्ष के साथ आप अपने क्रियाशील समाजसेवी संस्थाओं के उपाध्यक्ष रहे। मीणा समाज की जो आपने सेवा की उससे भावी पीढ़ी अवश्य प्रेरणालेगी।



ख्यालीराम मीणा (कोटा)

सरस्वती के वरद् पुत्र श्री ख्यालीराम मीणा का जन्म 4 जुलाई 1959 को पटेल श्री देवीलाल मीणा के घर वर्तमान करौली जिला के अन्तर्गत गाँव डूँड्यापुरा तहसील सपोटरा में हुआ। अध्ययनकाल से मेधावी घोषित विद्यार्थी श्री मीणा ने 1980 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात् आप राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान शाखा, कोटा में गवेषक/शोध अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। आप राजस्थान की कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण

एवं सामाजिक व जनजाति साहित्य के पुनरूत्थान के विषय में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं।

भारतीय दलित साहित्य सामाजिक पुर्नरूत्थान के उद्देश्य से बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के पद चिन्हों पर समाज का उत्थान, कला, साहित्य एवं संस्कृति के विकास, आकाशवाणी एवं समाज सम्मेलनों में अपने विचार व्यक्त करना आपका रूचिकर कार्य रहा है। आपने कोटा में सामाजिक एकता हेतु सर्वप्रथम रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए समाज में बुद्धिजीवियों की संगोष्ठियों का आयोजन करना प्रारम्भ किया ताकि सामाजिक एवं साहित्यिक समस्याओं का समाधान करते हुए भ्रातृत्व की भावना का विकास कर सकें। जिसके पश्चात् हाड़ौती संभाग के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों, लेखकों इत्यादि प्रबुद्ध कार्यकर्त्ताओं का `त्रशाल सम्मेलनों का कोटा में आयोजन किया।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के दिल्ली, उज्जैन एवं राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। आपको भारतीय दलित साहित्य अकादमी जिला बूंदी द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर की 106 वीं जयन्ती 14 अप्रैल, 1997 को दलितोत्थान कार्यों के लिए प्रशंसा करते हुए अकादमी की ओर से ''बूंदा मीणा सम्मान'' से सम्मानित किया। आप 1994-98 तक अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला कोटा के जिलाध्यक्ष पद पर रहे। इस पद पर रहते हुए आपने समाज के अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें लाभ पहुँचाया। इस पद पर रह कर आपने दलितों के उत्थान हेतु ज्योतिपुंज बनकर कार्य किये हैं। आपने 1981 से सरकारी सेवा में रहते हुए कोटा में तृतीय अखिल भारतीय जन जाति विचार गोष्ठी एवं सम्मेलन 1994 भैंरूलाल जी 'कालाबादल' के साथ रहकर ''सचिव'' पद की चुनौतीपूर्ण बागडोर को सम्भलते हुए कोटा में सफल सेमीनार का आयोजन करवाया। जिसके लिए चतुर्थ अखिल भारतीय जनजाति विचार गोष्ठी एवं सम्मेलन भीलवाड़ा में स्वतंत्रता सैनानी एवं समाज सुधारक लक्ष्मीनारायण जी झारवाल, पश्चिमी रेल मंडल के प्रबंधक (सेवानिवृत्त) एम.सी.मीणा, भरतराम मीणा आई.ए.एस. और बी.पी.वर्मा पथिक सम्पादक अरावली उद्घोष के कर कमलों द्वारा 15,16 जून 1996 को समाज सेवा में विशिष्ठ सेवा कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। आपने साहित्यिक समाज की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के प्रसार, प्रचार एवं शोधपूर्ण सामाजिक आलेख प्रदान करते हुए सहयोग किया। जिसमें अरावली उद्घोष्ज्ञ, मीना भारती, मीणा सभा, हाड़ौतीका, आकृति इत्यादि है। आपने हस्तलिखित ग्रन्थों के सर्वेक्षण, संग्रहण, सूचीकरण, सम्पादन एवं शोधवि,ानों को वांछित शोध सुविधा प्रदान करने के क्षेत्र में विभागीय उत्कृष्ट कार्य करने पर 1998 में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान विभाग द्वारा आयोजित हस्तलिखित ग्रन्थ प्रदर्शनी एवं सम्मान समारोह, कोटा में कोटा खुला विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी.एस.देवा एवं मुख्य अतिथि महाराव बृजराज सिंह के कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र, साल एवं श्रीफल से सरकारी स्तर पर सम्मानित किया। आपने स्वतंत्रता सैनानी एवं समाज सुधारक स्व. भैंरूलालजी 'कालाबादल' के साथ उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा इत्यादि स्थानों पर साथ-साथ जाकर समाज के कार्यों में हाथ बंटाया। स्वतंत्रता सैनानी एवं प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मी नारायण जी झारवाल, जयपुर के सान्निध्य में आपने उल्लेखनीय कार्य किये। आपने समाज में भाईचारे की भावना का विकास करते हुए संगठनात्मक एकता कायम की। आपके द्वारा प्रदान की जा रही भारतीय मनीषा एवं प्राच्यविद्या शोध सम्बन्धी उल्लेखनीय सेवाओं के विषय में, देश-विदेश के शोधार्थी सराहना करते नहीं थकते हैं। आपकी सराहना अमेरिका के विद्वान शोधार्थी वुडमेन टेलर ने अपनी प्रख्यात पुस्तक

'Goods, Kings & Tigers, The Arts of Kota' में आपका विशेष उल्लेख है। आप कला संस्कृति एवं साहित्य व जनजाति साहित्य के पोषक एवं लेखक रहे हैं तथा आप आकाशवाणी के वार्ताकार है। आप समाज की अतुलनीय बोधमणि हैं आपके बहुमुखी व्यक्तित्व एवं समग्र कृतित्व, समाज के लिए प्रेरणादायी एवं गौरव का विषय है। गणतन्त्र दिवस 2002 पर राज्य सरकार द्वारा पदक एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

स्वर्गीय गंगाराम मानव (मारवाड़ जिला-पाली)

स्व. गंगा राम मानव पुत्र श्री पांचूराम मीणा गौत्र छांडवाल 'मेरी धरती' (साप्ताहिक समाचार पत्रिका) के प्रधान सम्पादक थे। आपने उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा विभाग में राजकीय सेवा करने लग गये। आपको कविता, पत्रकारिता में ज्यादा लग्न होने के कारण राजकीय सेवा से त्याग पत्र देकर मेरी धरती साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन कार्य में जुट गये। प्रवासी राजस्थानियों का समाचार-पत्र मेरी धरती दक्षिणी भारत में आंध्रप्रदेश व चैन्नई तथा कर्नाटक व महाराष्ट्र मुं मुम्बई तथा राजस्थान में पाली,



अजमेर में बहुत प्रिय था। आप मीणा समाज के सामाजिक चेतना व जरायम-पेशा कानून निर्दोष मीणो पर जन्म से लागू करके पुलिस के अत्याचारों व जुल्मों के इतिहास को मेरी धरती समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कार्य किया तथा मीणा नेताओं से मिलकर जुल्म के विरूद्ध अपने ओजस्वी भाषण देकर सामाजिक चेतना का अलख-जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। जिसको मीणा समाज कभी नहीं भूला सकता कुछ वर्षे पूर्व ही आपका अजमेर में निधन हो गया। जो मीणा समाज की बहुत भारी क्षति है जिसकी पूर्ति करना असम्भव हैं।

स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी श्री गणपतराम बगराण्या (ग्राम नरहड़, जिला झुंझुनूं)

स्वतंत्रता, साहस तथा धैर्य किसी जाति की बपौती नहीं है, जिस क्षेत्र में जो आगे बढ़ता है, वही नाम कमाता है। स्वर्गीय श्री गणपतराम बगराण्या ऐसे निर्भीक साहसी पुरुष थे जिन्होंने ताल ठोककर सामन्तवाद का पुरजोर विरोध किया। नरड़ निवासी मीणा जाति के इस महापुरुष ने अपने व्यक्तित्व की अनूठी छाप समाज पर छोड़ी। समाजसेवी सामाजिक कुरीतियों एवं मीणा समाज की स्वतंत्रता की भावना को दबाने के लिए जरायम पेशा कानून का निरंतर विरोध करते रहे।

श्रीगणपतराम बगराण्या निर्भीक एवं निडर व्यक्ति थे सामन्वाद ही नहीं वरन् उनके शीर्षस्थ जयपुर नरेश द्वारा जरायम पेशा कानून के अंतर्गत होने वाले अन्याय का विरोध किया। वे शिक्षित एवं सूझबझ वाले व्यक्ति थे, उन्होंने जयपुर राज्य के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जिससे खीज कर जयपुर नरेश ने उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। परन्तु विद्वान् पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। जयपुर से निष्कासित होकर वे उदयपुर के महाराणा के दरबार में पहुंच गये। वहाँ अपने व्यक्तित्व सूझ-बूझ की ऐसी छाप छोड़ी कि उदयपुर के महाराणा अल्पकाल में ही प्रभावित हो गये। उनकी प्रतिभा को देखकर एक समय महाराणाने उनको पूछ ही लिया कि आप कौन हो? और किन-किन परिस्थितियों

के कारण आपको जयपुर छोड़ना पड़ा।

श्रीगणपतराम की करुण कहानी सुनकर महाराणा का हृदय पसीजे बिना नहीं रहा और उन्होंने तत्काल जयपुर स्टेट के नाम एक पत्र भेजा कि आप ऐसे रत्न को क्यों खो रहे हैं। महाराणा के पत्र का जयपुर नरेश पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया और पुनः वे अपने घर आ गये। अपने परिवार के साथ रहते हुए उन्होंने मीणा समाज के सुधार तथा उन्नति का भार अपने ऊपर लिया। मीणा सुधार समिति पर उनका सदा ही वरदहस्त रहा। शिक्षित एवं प्रबुद्ध व्यक्ति होने के कारण उन्होंने अनेक समाज सेवक तैयार कर लिये। मीणा समाज की उन्नति के लिए उसमें व्याप्त कुरीतियों को छुड़ाना उन्होंने आवश्यक समझा और उन्होंने समाज सुधार के स्वयं सेवकों के अनेक जत्थे तैयार किये, जिनका विस्तृत विवरण हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। इन जत्थों ने चोरी चकारी, चौकीदारी, मद्यपान करना उसे निकालना जैसी बुराइयों को जड़ मूल से समाप्त करने का बीड़ा उठाया। नयाबास, भोड़की तथा बजावा का तो उन्होंने काया कल्प ही कर दिया।

संक्षेप में उनका जीवन दर्शन इस प्रकार है। उन्नति के लिए जाति की एकता आवश्यक है अन्याय का विरोध करना मनुष्य मात्र का धर्म है। यह मीणा जाति सदा ही अन्याय का विरोध करती आई है। मुस्लिम शासन काल में जजिया कर का विरोध करने का बीड़ा इसी जाति ने उठाया था। जरायम पेशा कानून का विरोध हमें प्राण देकर भी करना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपिता म. गाँधी, पं. जवाहरलाल नेहरु एवं सरदार पटेल की प्रेरणा से इस काले अमानवीय कानून को समाप्त करने में हमें सफलता मिली। परन्तु अभी हम बहुत ही कुरीतियों एवं अंध विश्वासों में जकड़े हुए हैं। विशेषकर जातीय एकता की हममें बहुत कमी है। इसके लिए बहिष्कृत उद्धार कार्यलय घरढाना कार्यालय खोला है। अतः जातीय एकता के लिए आप इस कार्यालय से सम्पर्क करें।

उत्साही कार्यकर्त्ता एवं समाजसेवी, गोपीराम मीणा (ग्राम मानपुर, जिला जयपुर)

5 दिसम्बर, 1927 को ग्राम मानपुर माचेड़ी जिला जयपुर श्री जीवणराम मीणा के घर आपका जन्म हुआ। उस समय चौकीदारी प्रथा से इस परिवार को अच्छी आय थी। किसानों से प्रत्येक जोड़ी से एक मन



अनाज पैदा होता था। परिवार की अच्छी स्थिति में उस समय मीणा बालकों को घर के काम धन्धे में ही लगाया जाता था। परन्तु बालक गोपाल मीणा के पढ़ने में रुचि होने के कारण वे पिता जी की अनुमति के बिना ही गाँव स्थित प्राथमिक शाला में पढ़ने चले गए। फिर वहाँ से परिवार का विरोध करके अमरसर पढ़ाई के लिए चले गए। परिवार से रुपया न मिलने पर भी स्वयं धंधा करके अपना काम चलाने लगे। इस तरह मीडिल की परीक्षा उत्तीण करके 1942 में अध्यापक बन गए।

1944-45 में पावटा में पी. टी. सी. का शिक्षण प्राप्त किया। 1953 से 1978 सेवानिवृत्ति तक आपने गाँव के निकट ही कानपुरा में कार्य करने का अवसर मिला। वहाँ भी जन सहयोग से भवन निर्माण कराने में सफलता प्राप्त की। ऐसे इनकी रुचि समाजसेवा में रही। जयपुर से श्री लक्ष्मीनारायण प्रायः गाँव आकर समाज का अलख जगाते रहते थे। उनके

मार्गदर्शन से भी श्री गोपीलाल भी समाज सेवा में अधिक रुचि लेने लगे। शराब खोरी, चौकीदारी के साथ अनेक कुरीतियों को भी त्याग दिया गया। चौकीदारी प्रथा को बन्द करवाने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने पर तो वे पूरी तरह से समाज सेवा में लग गये गाँव के विद्यालय भवन बनवाने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 75 वर्ष की आयु में भी निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। कार्य ही पूजा में विश्वास रखते हैं।

श्री गोमाराम झरवाल (त. बैराठ, जिला जयपुर)

जिला जयपुर की तहसील बैराठ ने मीणा समाज के अनेक कार्यकर्ताओं को जन्म दिया। इनमें श्री गोमाराम झरवाल का भी विशेष स्थान है। आपका जन्म 1884 ई. में बैराठ तहसील के ग्राम रामपुरा में हुआ। आपने अपनी शिक्षा विद्वानों एवं साधु-सन्तों की सेवा करके प्राप्त की। बाद में कक्षा आठ तक की शिक्षा प्राप्त कर समाज सेवा में लग गए। आपने रामायण-महाभारत एवं देश भक्ति पूर्ण समाज सुधार के लिए अनेक दोहे और चौपाइयां लिखी।

उस समय मीणा समाज पर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। 1930 के जरायमपेशा कानून के कारण वे स्वतंत्र रूप से इधर-उधर घूम फिर भी नहीं सकते थे। मीणा जाति में जमीदार-चौकीदार आदि अनेक सामाजिक भेदों का विरोध किया और समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया। इनमें ग्राम निठारा तहसील बैराठ का मीणा सम्मेलन विशेष महत्त्व रखता है। सुरेतवालों का मीणा जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास करने में योगदान रहा जिसके फलस्वरूप सीकर, झुंझुनू जिलों के सुरेतवालों का भेदभाव समाप्त हो गया। सुरेतवालों के साथ मीणा सरदार शादियां करने लग गए।

जयपुर मीणा सुधार समिति के महामंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के सम्पर्क में आये। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरायमपेशा कानून का विरोध करने के लिए डट गये। अन्त में आप लोगों को सफलता मिली और 5 जून 1947 को इस काले कानून की होली जलाकर इसे सर्वदा के लिए भस्मि-भूत कर दिया गया। विराट तहसील में भी इसकी इसी प्रकार होली जलाई गई, जिसमें श्री गोमाराम झरवाल का कार्य सराहनीय रहा। आपका पूरा परिवार ही समाज की उन्नति में लगा रहा। 1920 में जन्मे आपके पुत्र परमानन्द उच्च शिक्षा प्राप्त कर कृषि विभाग में निरीक्षक बने। आप भी पिताजी के कार्यों का अनुसरण कर समाज सेवा में लीन रहे। श्री परमानन्द के पुत्र कालूराम भी बड़े मेधावी हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रिजर्व बैंक में लेखाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन सभी तथ्यों का उल्लेख करने का उद्देश्य यह है कि सम्पन्न एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी इस परिवार ने समाज सेवा में बहुत अधिक रुचि थी और समाज के सम्मेलनों व कार्यक्रमों में सर्वदा भाग लेते रहे। गोमाराम एवं उनके परिवार का जीवन बहुत ही सात्विक एवं समाजसेवी रहा है। इस क्षेत्र में आपके परिवार जैसा समाजसेवी परिवार दूसरा नहीं है। श्री गोमाराम समाजसेवा के लिए अपना सम्पन्न शिक्षित परिवार छोड़कर 1959 में इस संसार से विदा हो गए।

श्री गुलाबचन्द गोठवाल (घाटगेट, जयपुर)

श्री गुलाबचन्द का जन्म एक अगस्त 1916 को जयपुर में ही मीणा जाति के गोठवाल गौत्र में हुआ। घाटगेट जयपुर में आपका परिवार वर्षों से रहता आ रहा है। मध्यमवर्गीय परिवार के होने पर भी आपकी अध्ययन में सदा से ही रुचि रही। फलस्वरूप आपने 1939 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि



प्राप्त की। मीणा समाज में आप प्रथम व्यक्ति जिसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद जयपुर राज्य के रेवेन्यू विभाग में खजांची के पद पर 1939-42 तक आसीन रहे। इसके बाद आप त्यागपत्र देकर 'राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स एशोसियेशन' दुर्लभ भवन एम. आई. रोड़ में कार्यालय अधीक्षक का कार्य करने लगे। इस पद पर रहते हुए आप समाज से बराबर जुड़े रहे। मुनि मगन सागर जी महाराज के संपर्क में आने के बाद आप समाज सुधार के कार्य में लग गये।

उस समय मीणा समाज पर जरायम पेशा कानून की तलवार लटकी हुई थी। राज्य सेवा में रहते आप इस अमानवीय नृशंस कानून का विरोध नहीं कर सकते थे। जयपुर रियासत के माल विभाग के खजांची के पद से त्याग पत्र देकर इस काले कानून के विरूद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ ताल ठोक कर खड़े हो गये। श्री झरवाल के प्रभाव से आप नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रजामण्डल के कार्यों से बराबर जुड़े रहे। सामन्तवाद व जागीर प्रथा के आप कट्टर विरोधी रहे और श्री झरवाल के साथ प्रजामण्डल के अधिवेशनों में भाग लेते रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त होने से आप सामन्तशाही का प्रभावशाली ढंग से विरोध कर सके। जयपुर मीणा सुधार समिति के कर्णधारों में आपका विशेष स्थान है। आपने बहुत ही निष्ठा व सच्चाई से सुधार समिति के आय व्यय विवरण का निरीक्षण करते रहे।

शिक्षित होने से स्वयं अंधविश्वासों से दूर रह कर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में लगे रहे। जाति-सुधार में आपका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। समय समय पर मेले में गाये जाने वाले अश्लील गाने व नाच कूद का विरोध करते रहे। मीणा सुधार समिति को अनेक अधिवेशनों में आप सदा उपस्थित रहे और अपने महत्त्वपूर्ण सुझावों से मीणा सुधार समिति को लाभान्वित करते रहे। मीणा जाति के मुक्ति संग्राम में आपके योगदान को सदा याद किया जाता रहेगा। वृद्धावस्था में रोग ग्रस्त रहने पर भी आप समाज की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं।

समाज सुधारक : श्रीमती गुलाबदेवी (चांदपोल गेट, सीकर)



श्रीभगवताराम की पत्नी एक आदर्श महिला थी। यद्यपि वह पढ़ी-लिखी नहीं थी, परन्तु पारिवारिक उत्तरदायित्व का उन्होंने जिस ढंग से संचालन किया, वह अपने आप में अनूठा है। एक विराट परिवार को एकता के सूत्र में बाँधे रखना एक महान उपलब्धि थी। कभी-कभी समय निकालकर गुलाबदेवी नारी उत्थान में भी हाथ बँटाती थी, जिसमें पर्दा प्रथा हटाना, भारी भरकम गहनों के स्थान पर साधारण आरामदायक गहनों तथा परिधान को अपनाना। उन्होंने मीणा समाज में

सर्वप्रथम अपनी बहुओं क घूंघट विवाह के समय ही हटा दिया था। सर्वप्रथम पायजेब एवं साड़ियां अपनाने के लिए अपनी पुत्रियों एवं पुत्र वधुओं को प्रोत्साहित किया। उनका यह कार्य उस समय के लिए एक सामाजिक क्रांति थी।

वैसे गुलाबदेवी घर की चार दीवारी के भीतर रहकर अपने पतिदेव की सहायक बनी रहीं, परन्तु बाह्य वातावरण में भी वह निसंकोच कार्य करती थी। वह समाज कल्याण विभाग परामर्शदात्री समिति की सदस्य रही और उसकी बैठकों में भाग लेकर अपनी सूझ-बूझ का परिचय देती रहती थी। पति रात-दिन समाज सेवा में लगे रहते थे। अत: उनसे मिलने वाले स्वयं सेवकों का निरंतर तांता लगा रहता था। उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने पर देर रात तक इनकी भोजन की व्यवस्था करती। उनकी सेवा सुश्रुषा में कभी-कमी नहीं आने देती। कठोर श्रम से उनका हृदय रोग निरंतर बढ़ता गया और अन्तत: 16 मई, 1980 को एक आदर्श नारी की छाप छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। इस अवसर पर पुन: श्री भगवताराम की चारित्रिक विशेषता थी कि पत्नी के स्वर्गवास के असहाय दु:ख को गीता के स्थित प्रज्ञ की भाँति सहन कर लिया।

श्री भगवताराम जी ने कभी भी अपनी सेवा का पारिश्रमिक लेने की इच्छा नहीं की। यहाँ तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम पेन्शन लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जो कुछ मैंने किया वह मेरे आत्मसंतोष के लिए किया है। ऐसे कर्मठ त्यागी दंपती हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं।

श्री घनश्याम मीणा, जागरूक कार्यकर्ता (नयाबास, जिला- सीकर)

आप नयाबास जिला सीकर के रहने वाले हैं और श्री अर्जुन देव मीणा के सुपुत्र हैं। इस क्षेत्र में मीणों की संख्या बहुत अधिक है। रियासतों के समय यहाँ के मीणा समाज पर घोर अत्याचार हुए। विशेषकर



गूजरों के रक्षा दल से इनको लोहा लेना पड़ा। सरकार ने निर्दोष मीणों को दण्डित करने के लिए गाँव के गाँव ही उजाड़ दिये थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आपने सरकार के अन्याय का डटकर सामना किया।

सन् 1944 से लेकर ये समाज सुधार में गहरी रूचि लेते रहे हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन में निरन्तर भाग लेते रहे। विशेषकर प्रजा मण्डल द्वारा संचालित सत्याग्रह में भी आपने भाग लिया। आपने खादी के वस्त्र पहनने का प्रण लिया, जिसे अभी तक निभा रहे हैं।

जरायमपेशा कानून के विरोध में आप सदा सक्रिय रहे, इसके लिए यातना सहने पर भी आप पीछे नहीं हटे। आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं और श्रम की आजीविका में विश्वास रखते हैं। पुलिस अत्याचार और इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी आपने विरोध किया। समाज सेवा को आप सर्वाधिक महत्व देते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। सदाचार के कारण समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है।

स्वर्गीय घासीराम मीणा (बेधड़क) (दिल्ली)

आप आजीवन मीणा समाज की सेवा में लगे रहे। आपने अपने साथियों के साथ समाज सुधार के लिए गांवों में पदयात्रा की। पदयात्रा करते-करते ही आप दिल्ली से आजिमाबाद जिला बुलन्द शहर, उत्तर

प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन में उपस्थित हुए। 31 मई तथा एक जून 1942 को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को सफल बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रभात फेरियों के माध्यम से गाँव-गाँव में उत्साह का संचार किया और मीणा जाति को उन्नति पर लाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। आप बहुत ही स्पष्ट वक्ता एवं निडर थे। अत: आप बेधड़कजी के नाम से पुकारे जाने लगे। सन् 1960 से आपने दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र के मीणा जाति में आपने प्राचीन गौरव की स्मृति को जीवित करने के लिए कार्यक्रम बनाते रहे। भारत सरकार से पंजीकृत 'आदर्श मीणा समाज' संस्था का निर्माण आपके प्रयत्नों से हुआ। इस संस्था के माध्यम से दिल्ली के बिड़ला मंदिर में मत्स्य



भगवान स्मृति दिवस आयोजित की प्रेरणा आपने ही दी। आज भी प्रति वर्ष मत्स्य जयन्ती मनाई जाती है, जिसमें अनेक मीणा लोग एकत्रित होकर मत्स्य भगवान की श्रद्धा से पूजा करते हैं।

आपको मीणा समाज में जागृति लाने में इतनी रुचि रहती थी कि आप भारतीय आदिवासी जाति सेवक संघ के अधिवेशन में निरन्तर उपस्थित रहते थे। 21 सितम्बर, 1969 को बोराड़ी महाराष्ट्र में मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन में आप साथियों सहित दिल्ली से हवाई जहाज से बोराड़ी पहुंचे। आपके सहयोगियों में दुर्गा प्रसाद सम्पादक 'मीणा' समाचार पत्र, हरनारायण सिंह, तारासिंह, गोकुल प्रसाद मीणा अजीजाबाद के नाम प्रमुख हैं। बोराड़ी सम्मेलन में बेधड़क जी का भाषण बहुत ही प्रेरणादायक था।

शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में आपका सहयोग सराहनीय है। अजिजाबाद सम्मेलन के समय सोरी दलेल गली में मीणा कालेज की स्थापना हुई जो आज भी कार्यरत है। इसके सचिव किशनलाल पुत्र हरनारायण के प्रयास से अनेक मीणा युवक इसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बोराड़ी सम्मेलन का वर्णन प्रथक से पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। आदर्श आदिवासी मीणा समाज का सबसे सराहनीय कार्य प्रतिवर्ष भगवान मत्स्य की जयन्ती का आयोजन करना है। बेधड़कजी द्वारा प्रारम्भ किए गए इस पुनीत कार्य का संचालन अभी तक यथावत चल रहा है। घासीराम (जी.आर.) के सुपुत्र धीरसिंह भी मीणा समाज की उन्नति एवं मत्स्य भगवान की जयन्ती मनाने में सर्वदा योगदान करते रहे।

जयपाल सिंह मीना (उत्तर प्रदेश)



आपका जन्म 1938 ई. को उत्तर प्रदेश जिला बदायूं में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में आप प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। मीना समाज समिति उत्तर प्रदेश का समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। आप विद्यार्थी जीवन में ही बहुत प्रतिभावान थे। कक्षा 12 तक पढ़कर आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया। पिताश्री साहूराम ने आपको बहुत समझाया, परन्तु आपका मन विवाहोपरान्त भी संसार की वासना में नहीं लगा। वे ऋषिकेश गीता आश्रम चले गए। वहाँ महान सन्त जयदयाल गोयन्दका के सम्पर्क में आए और गीता प्रेस गोरखपुर से साहित्य मंगवाकर पढ़ने लगे। सेठजी के परामर्श से वे

गीता के प्रकाण्ड विद्वान श्री रामसुखदास जी महाराज के पास दिल्ली चले गए। एक माह वहाँ रहने के बाद स्वामीजी के साथ ही राजस्थान के शहर लाडनूँ आ गए। वहीं पर एक सेठ ने उनके सामने अपने जहाज का स्वामी बनाने का प्रस्ताव रखा, परन्तु जिन पर वैराग्य व भक्ति का रंग चढ़ गया, उसके सामने इस प्रकार के प्रलोभन तुच्छ हैं।

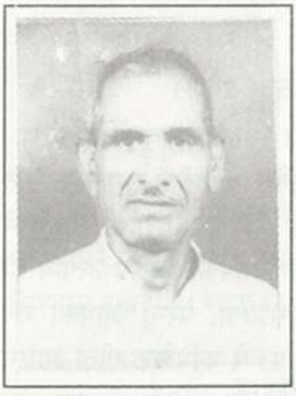
लाडनूँ कुछ माह रहने के बाद आप गोरखपुर चले गए। गोरखपुर में सेठ साहब जयदयाल गोयन्दका के प्रवचनों में भाग लेने लगे और सेठ साहब द्वारा रचित साहित्य पढ़ने लगे। वहीं गीता मन्दिर में लिखित श्लोकों का मनन करने लगे। यहाँ रहकर जयपाल सिंह ने भक्ति साधना के अनेक प्रयोग किए। अन्त में सेठ साहब गोयन्दका जी के साथ तीर्थयात्रा का भी इनको अवसर मिला। इसके बाद वे उनकी माताजी के आदेश से प्रयाग (इलाहाबाद) चले गए। वहाँ से जयपाल सिंह मीना संस्कारवान बनकर प्रभु भक्ति में लीन होकर अपनी माताजी के साथ अपने गाँव आ गए। वहाँ उन्होंने लोगों को समझाने-बुझाने से जीवकोपार्जन के लिए कुछ काम किए परन्तु इनको लाभ के स्थान पर उसमें हानि ही मिली।

आपके पिताजी साहूराम बहुत उच्च विचारों के व्यक्ति थे और मीणा समाज में सादा जीवन तथा उच्च विचार रखने का प्रचार करते रहते थे। अत: आप भी समाज सेवा में लग गए। अनेक सम्मेलनों में आपने भाग लिया और समाज के मूर्धन्य विद्वानों के सम्पर्क में आए, जिनमें स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल तथा भैरवलाल कालाबादल का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

वर्तमान में राष्ट्रीय मीणा सभा उत्तर प्रदेश का सेवक बनकर उत्साह से कार्य कर रहे हैं। गाँव-गाँव घूमकर आपने मीणा जाति की एकता के लिए कार्य किया। आपकी यह हार्दिक इच्छा है कि मीणा जाति का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाए। इसके लिए आप प्रयत्नरत हैं। ऐसे सदाचारी एवं ईश्वरभक्त जयपालसिंह पर मीणा जाति को बहुत ही गर्व है।

धर्मपाल सेवरिया (ग्राम- चौधरी का नांगल, हरियाणा)

आप समाजसेवा के लिए नागल हरियाना की पुलिस चौकी से त्यागपत्र देकर मीणा समाज के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। सन् 1945 से ही आप नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत



रहे। शेखावाटी तथा तोरावाटी के गाँव-गाँव घूमकर आपने समाज में एकता का संचार किया। उस समय जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत मीणा जाति के निर्दोष लोगों को सताया जा रहा था। इसके लिए आपने जनमत तैयार किया और अनेक सम्मेलनों में भाग लिया। आपने स्वयं ने नागल में एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब आदि प्रदेशों से भी मीणा सरदारों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता पं.बंशीधर शर्मा ने की और उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल ने किया। मीणा सुधार समिति के नेता अड़िसाल सिंह, भगवताराम, गणपतराम बगराण्या तथा लक्ष्मीनारायण झरवाल से कंधे से कंधा मिलाकर जाति की उन्नति के कार्य किये। जागीरदारी प्रथा में बैठ-बेगार और मीणा जाति पर होने वाले अन्याय का आपने डटकर विरोध किया। समाज सेवा के लिए आप सदा स्मरणीय होंगे।

जागरूक समाजसेवी, युवा श्री जगदीश चन्द्र चाँदा जयपुर(राज.)

आप में समाज सेवा व जातीय गौरव की भावना इतनी भरी हुई है कि बचपन से ही इस ओर अग्रसर होने लगे । अपने पूर्वजों के खोहगंग स्थिति राज महलो के पुनरूद्धार काम अपने हाथ में लिया । इसी क्रम में ऊँची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन राज महलों व शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया । अभी भी वे इन की सुरक्षा में लगे हुए हैं ।



चाँदावंशी राज्य की कीर्ति को चिर स्थायी करने के लिए आपने राष्ट्रीय मीणा महासभा के तत्वाधान में खोहगंग में हीं ''प्राचीन स्मारक संरक्षण'' सम्मेलन का आयोजन (1998) किया । जिसमें समाज के हजारों उत्साही लोगों ने भाग लिया । अनेक इतिहासकार भी सम्मेलन में आये, जिन्होने प्राचीन चांदावंशीय राज्य पर विस्तार से प्रकाश डाला तत्पश्चात 22-8-1999 को चाँदा गढ़ के आंतरिक महलों, में जो आज भी सुरक्षित है, वहाँ राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष, भंवरलाल जी मीणा की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन आप के ही प्रयास से किया गया । उस समय ऐसा विदित हो रहा था कि मानों चाँदा गढ़ में दीवाने खास लग रहा हो ।

श्री जगदीश चाँदा का महत्वपूर्ण कार्यभर है कि 1998 से स्वाधीनता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष चाँदागढ़ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है । अनेक गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित होते हैं। इतना ही नहीं वहाँ स्थित बावड़ी पर भी मीणा राष्ट्रीय महासभा के तत्वाधान में दीपावली के अवसर पर मीणा राज वंश को निरंतर श्रृंदाजलि अर्पित कराने का कार्यक्रम श्री जगदीश चन्द्र चाँदा के प्रयास ही होता है । इन सभी गौरवमय कार्यों के कारण वे समाज में बहुत लोकप्रिय हैं ।

श्री नरसिंह नारायण झरवाल आमेर जिला-जयपुर(राज.)

आपका जन्म आमेर में सन् 1901 में हुआ। शिक्षा प्राप्त कर के आप जयपुर राज्य की वन सेवा में कार्य करने लगे। आप ने स्वयं ने किसानों पर होने वाले अत्याचारों को आँखों से देखा और इसका विरोध करने वाले अग्रगणी नेता खोराजी के सम्पर्क में आये। खोराजी के व्यक्तित्त्व से प्रभावित होकर आपने खादी पहनने का व्रत लिया। जिसे जीवन भर निभाया। उस समय किसानों पर अनेक अत्याचार हो रहे थे। घने जंगलों के कारण शेर आदि घूमते थे। किसानों के पशुओं को मार डालते थे। ऐसी स्थिति में आत्म रक्षा के लिए किसान जब संगठित होकर शेर को मार डालते थे तो सरकार किसानों पर अभियोग लगाकर सजा देती थी। इसका भी आपने पुरजोर शब्दों में विरोध किया।



जब मीणा सुधार समिति द्वारा जरायम पेशा कानून को निरस्त करने के लिए आन्दोलन छेड़ा गया तो श्रीनरसिंह नारायण जी मीणा ने भी आन्दोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ कंधे से कंधा मिला कर जन जागरण में लग गए। किसानों के हितों की रक्षा के लिए आप सदा तत्पर रहते थे।

श्री दुर्गा प्रसाद देंगल व तारासिंह मीणा

ग्राम-वरकातपुर, जिला-बुलन्द शहर(उ.प्र.)

मीणा जाति के मानवोसित अधिकारों व जन-जागृति में देश के अनेक लोगों ने सराहनीय कार्य किया। इनमें ग्राम बरकातपुर जिला बुलन्द शहर उत्तरप्रदेश के निवासी श्री दुर्गाप्रसाद देंगल का नाम सर्वदा स्मरणीय रहेगा। आप का जन्म साधारण मीणा परिवार में 1899 ई. में हुआ। प्रारंभ से स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही रूचि से भाग लेने लगे। राष्ट्रपिता मा. गाधी ने जब 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया तो श्री देंगल भी इस सत्याग्रह संग्राम में भाग लेने लगे।

1930 से ही आप काँग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। तिरंगा झण्डा हाथ में लेकर वे गाँव-गाँव में अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगे। इस समय तिरंगा झण्डा लेकर आजादी की अलख जगाना एक अपराध माना जाता था। अतः पुलिस ने आपको बन्दी बना लिया और बुलन्दशर की कारागार में डाल दिया वहाँ आपको 14 दिन तक अकारण बन्दी रखा और अनेक अमानवीय यातनाये दी गई। बापू के आदेश से उन्होंने खादी पहनने का व्रत लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया उनके साथी तारासिंह मीणा ने भी काँग्रेस में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। श्री दुर्गाप्रसाद व तारासिंह दोनों गाँव-गाँव घूमकर जन जागरण मे जुट गए। श्री दुर्गाप्रसाद देंगल ने ''मीना वीर'' नामक पत्र का प्रकाशन किया। यह मासिक पत्र उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजपूताना तथा महाराष्ट्र में भी बड़ा लोकप्रिय हो गया मासिक पत्र में मीणा जाति की गौरव-गाथा के साथ अंग्रेजी शासन की कटु शब्दों में आलोचना की जाती था।

श्री देंगल ने अजीजाबाद में 1942 में एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी श्री चाँदकरण शारदा ने किया और अध्यक्षता जयपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने की। सम्मेलन को सफल बनाने में श्री गोकलसिंह मीणा तथा मुंशी हरनारायण शिकारपुर वाले का भी अच्छा सहयोग रहा।

मीणा वीर समाचार-पत्र 1965 तक बराबर निकलता रहा। उस समय पत्र का प्रकाशन साधारण कार्य नहीं था। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के विरूद्ध आग भड़काई जाती थी। श्री दुर्गाप्रसाद व तारासिंह बहुत अच्छे कवि थे। वे कविता के माध्यम से जन-समुदाय में चेतना जागृत करते थे। श्री तारासिंह तथा श्री दुर्गाप्रसाद देंगल 1944 में नीम के थानों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया और अपनी कविताओं से लोगों में उत्साह का संचार किया। इस सम्मेलन के बार भी अलवर जयपुर, बस्सी तथा सांगानेर आदि मीणा सम्मेलनों में भाग लिया।

श्री दुर्गाप्रसाद देंगल का स्वर्गवास 1980 में हो गया, परंतु स्वतंत्रता के इस पुजारी को आज भी मीणा समाज बहुत ही आदर से स्मरण करता है। मीणा जाति की जागृति में इन दोनों महानुभावों का अतुलनीय योगदान रहा।

वैद्य धूड़मल मीणा (ग्राम- पिपलदा, जिला सवाईमाधोपुर)



आपने मीणा बाहुल क्षेत्र सवाई माधोपुर में मीणा जाति के अधिकारों के लिए अनेक आन्दोलनों का आयोजन किया। अपने ग्राम पीपलदा व आसपास के गाँवों में आपने मीणा समाज में अद्‌भुत जागृति पैदा की। मीणा समाज में व्याप्त अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए। इस सन्दर्भ में अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए। इनके अतिरिक्त जयपुर रियासत में होने वाले अनेक मीणा सम्मेलनों में आप भाग लेते रहे। इस तरह वैद्य धूड़मल ने अपना सम्पूर्ण जीवन मीणा समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राजस्थान मीणा समाज के महामंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल से आप निरन्तर मार्गदर्शन लेते रहे।

समाज सुधारक, श्री नेमाराम ब्यावड़वाल (तख्तगढ़, जिला पाली)

पश्चिमी राजस्थान के मीणा समाज के सेवक श्री नेमाराम ब्यावड़वाल इस क्षेत्र के समाज सुधारकों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस तपस्वी जनसेवक का जन्म पाली जिले के तख्तगढ़ में 15 अप्रैल 1890 को हुआ था। यह मीणा समाज के सौभाग्य की बात है कि आप 110 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सम्मी बाई बड़ी विदुषी नारी थीं। श्री नेमाराम को स्नेह से समाज के लोग नेमजी के नाम से पुकारते थे। श्री नेमजी समाज सुधारक के साथ स्वतंत्रता संग्राममें भी अग्रणी रहे।



श्री नेमराम के नेतृत्व में 30 जनवरी 1948 को पांच हजार मीणों ने जरायम पेशा छोड़कर सदा उच्च जीवन व्यतीत करने की शपथ ली थी। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा श्री हनुमन्त सिंह जी ने मीणा सरदारों को दो रुपये नेग देकर कहा था कि आज से वे थानों में उपस्थिति देने से मुक्त हैं। जयपुर रियासत की भाँति यहाँ भी दिन में तीन समय थानों में उपस्थिति देनी पड़ती थी। परन्तु श्री नेमाराम के प्रयत्न से मीणा समाज को यहाँ भी नागरिक अधिकार मिलने में विलंब नहीं हुआ। श्री नेमजी बहुत ही सुदृढ़ थे। इन पर पोलो के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं जोधपुर राज्य के प्रशासक राव राजा श्री नरपत सिंह जी का बड़ा स्नेह था। उनकी प्रेरणा से ही नेमाराम के नेतृत्व में मीणा समाज ने कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। समाज सुधार में नेमजी का साथ देने वाले मीणा सरदारों के नाम इस प्रकार हैं।

श्री करणा, आला चाँदेसा, चाँदा, निवासी वैदाना झालोर, श्री भैरालाल भीखा दहिया गौत्र निवासी डोडियाली जालौर, श्री धरमा ब्यावड़वाल सिरोही, श्री मीणा लाल सीरा, जिला पाली, श्री फतहसिंह, मेफावत, दोसूरी, श्री कैलाश राम सादडी, डोबवाल जिला पाली, आदि अनेक मीणा सरदार नेम जी के साथ थे। इनकी एकता के कारण ही अपराध जनजाति से मीणा समाज को मुक्ति मिली।

राजनीति में नेमजी के नेतृत्व में मीणा सरदारों ने अच्छी पकड़ बना ली। 1957 के आम चुनाव में श्री नेम जी बाली विधानसभा सीट से जनसंघ के टिकिट पर चुनाव लड़े, परन्तु कम मतों से पराजित हुए।

1977 में आबू पिण्डवाडा जनजाति सुरक्षित स्थान से श्री अलदाराम मीणा विधायक चुने गये। वर्तमान स्थिति में इस क्षेत्र में मीणा जाति के तीन लाख बत्तीस हजार मतदाता हैं। परन्तु इस क्षेत्र का कोई मीणा बन्धु विधायक एवं प्रधान नहीं है। सरपंच एवं जिला परिषद तक ही इनकी पहुंच है। अभी नेमजी का तीसरा पुत्र श्री लादूराम नगर पालिका तख्तगढ़ में कांग्रेस दल के नेता रहे हैं और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं।

श्री लादूराम की हार्दिक इच्छा है कि उनके पैतृक निवास तख्तगढ़ में अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन आयोजन किया जाये ताकि इस क्षेत्र के मीणा समाज में जाग्रति आ सके। जिससे पश्चिमी राजस्थान का मीणा समाज लोकतांत्रिक राजनीति में अपना स्थान बना सके। श्री लादूराम की हार्दिक इच्छा है कि इस प्रकार के सम्मेलन में मीणा समाज के मसीहा श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल को राजस्थान के गाँधी की उपाधि से सम्मानित किया जा सके।

श्री नेम जी का भरापूरा परिवार मीणा समाज की उन्नति में सदा सहायक रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि 110 वर्ष की आयु में भी समाज के उत्थान के लिए श्री नेम जी प्रयासरत हैं। ईश्वर से उनके स्वस्थ दीघार्यु की कामना है।

श्री पन्नालाल मीना (ग्राम कडियाहाट, तह. ब्यावरा, जिला- राजगढ़- म.प्र)

मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ तहसील ब्यावरा के ग्राम कडियाहाट में एक सामान्य कृषक परिवार में श्री बालकिशन मीना के द्वितीय पुत्र के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पन्नालाल मीना का जन्म वर्ष 1927 में हुआ। आपकी शिक्षा ग्रामीण स्तर पर ही हुई। कडियाहाट के श्री बंशीलाल जी संक्सेना के सानिध्य में शिक्षा अध्ययन किया। आपका परिवार धार्मिकता से भी जुड़ा था, अतः सुठालिया के पास स्थित श्री राजनाथ योगाश्रम में भी शिक्षा, संस्कृति, राजनीति की शिक्षा मिली। उस समय ग्राम गडियाहाट नरसिंहगढ़ स्टेट के अन्तर्गत आता था, जहां पर श्री विक्रमसिंह जी का राज्य था।



अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार ज्यादतियों का दौर था। चारों ओर आतंक, मारपीट, गुलामी का माहौल था। राजगढ़ जिले में सर्वप्रथम श्री रामजीदास आर्य के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हेतु संगठन बनाने के लिए राज्य प्रजामण्डल का गठन किया गया, जिसका कि फैलाव पूरे जिले में हुआ। उस समय की तरूणाई, युवाओं ने स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। राज्य प्रजामण्डल के नेतृत्व में अनाज व कपड़े के अभाव में आम गरीबों को गल्ला व कपड़ा उपलब्ध कराने हेतु सुठालिया बाजार बन्द रखा व जमाखोरी के गोदामों के ताले तोड़ कर गरीबों को अनाज व कपड़ा मुहैया कराया। उक्त आन्दोलन में सैकड़ों आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई। राज्य प्रजामण्डल, अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन के तहत युवाओं को संगठित कर गांधी जी के अवज्ञा आन्दोलन, विदेशी कपड़ों की होली जलाने व स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वतंत्रता आन्दोलन में सुठालिया ने जिले में सक्रिय भागीदारी निभाई, गिरफ्तारी दी व आन्दोलन को सफल बनाया। वर्तमान में पिछड़े, अनुसूचित जाति- जनजाति,

गरीब व किसानों के हितार्थ शिक्षा, कृषि, सामाजिक उन्नति, उक्त वर्गों में शिक्षा, पंचायती राज, गरीबी उन्मूलन, लड़कियों की शिक्षा, क्षेत्रों के ग्रामीणों का विकास, पेयजल योजना आदि क्षेत्रों में कार्य कररहे हैं। सामाजिक रूप से प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन का ब्यावरा में आयोजन व दहेज विहीन विवाह को प्रोत्साहन, बाल विवाह पर रोक, नाते प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास व प्रदेश में मीना समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के कार्य में प्रयासरत रह कर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं।

आप मध्य प्रदेश मीणा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके हैं। मीणा समाज राष्ट्रीय स्तर के संगठन मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश मीना समाज के संरक्षक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन जिला राजगढ़ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मीना समाज समिति ब्यावरा (राजगढ़) के संगठन मंत्री मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी जिला अध्यक्ष (राजगढ़- मध्य प्रदेश) पंचायत परिषद के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग जिला राजगढ़ के अध्यक्ष पद सुशोभित कर रहे हैं।

देश की स्वतंत्रता के लिए युवाकाल से ही संघर्षरत रहने के कारण आपको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गौरवमय पद से सम्मानित किया गया है।

मीणा समाज की उन्नति एवं अन्य पददलित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आप सर्वथा संघर्षरत रहे। आज भी आये दिन अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए निर्भीकता से कार्य कर रहे हैं। जीवन के आठवें दशक में प्रवेश करने के बाद भी आप बहुत ही उत्साही समाज सुधारक एवं सेवक हैं।

अभी आपका कार्य क्षेत्र अपनी जन्म भूमि ब्यावरा (जिला- राजगढ़) है। वास्तव में ऐसे समाजसेवी से मीणा समाज का गौरव बढ़ा है।

आपका पता मीना धर्मशाला, ब्यावरा, जिला राजगढ़ है। दूरभाष : 33008

स्व.श्री प्रभुदयाल 'भजनी' की जीवनी (नयाबास, जिला सीकर)

श्री प्रभुदयाल जी 'भजनी' पुत्र स्व.श्री अर्जुन देव जी मीणा, मु. नयाबास, त. नीमकाथाना, जिला



जयपुर (वर्तमान में सीकर) का जन्म 21 फरवरी, 1914 में हुआ था तथा कक्षा 8 तक अध्ययन करने के पश्चात जयपुर स्टेट इन्फेन्ट्री सेकण्ड पैदल सेना में सिग्नल मास्टर के पद पर सन् 1934 में नियुक्त हुए तथा सन् 1943 तक नौकरी की। किन्तु पिता श्री अर्जुनदेव जी की प्रेरणा स्वरूप 16, 17, 18 अप्रेल, 1944 में अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समिति में शामिल हुए तथा पिता के साथ-साथ श्रीमाधोपुर, कोटपूतली, डाबला, बिहारीपुर तथा अनेक सम्मेलनों के अलावा प्रत्येक स्वतंत्रता समारोह व जाति सुधार के लिए संत विनोबा भावे के साथ-साथ भूदान व ग्राम दान आन्दोलनों में भी कार्य किया।

श्री प्रभुदयाल जी भजनी ने जीवनपर्यन्त नि:स्वार्थ समाज सेवा की तथा किसी प्रकार का प्रलोभन अथवा मेहनताना अथवा पेन्शन लाभ नहीं लिया। इनके परिवार में इनके आठ पुत्र हैं, जिनमें से प्रथम पुत्र

श्री बृजमोहन लाल ने पाकिस्तान विरुद्ध शान्ति युद्ध में कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में दिनांक 4 अप्रैल, 1991 को 9 उग्रवादियों को छलनी करते हुए स्वयं ने भी वीरगति को प्राप्त किया।

श्री प्रभुदयाल जी भजनी के शहीद पुत्र हवलदार बृजमोहन लाल (सी.सु. बल) के बलिदान से देश व मीणा समाज को इज्जत तथा सम्मान दिया है, उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा।

श्री प्रभूलाल बागड़ी (उज्जैन, म.प्र.)

मध्य प्रदेश मीणा समाज के उत्थान में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वर्गीय बागड़ी मूल रूप से लालसोट के निवासी थे, परन्तु राज्य में भयंकर अकाल के कारण मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में निवास करने लगे। आपने वहाँ मीणा समाज की उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये और जीवन पर्यन्त समाज सेवा में लगे रहे।



उज्जैन में आपने अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन का आयोजन 1969 में किया, जिसकी अध्यक्षता जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल ने की। उदघाटन राजस्थान राज्य के राज्यमंत्री समरथलाल मीणा के कर-कमलों से किया गया। विशिष्ट अतिथि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाजसेवी वकील विट्ठल भाई थे। अध्यक्षीय भाषण में मीणा जाति के विगत गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डाला गया और बताया कि सम्पूर्ण राजस्थान व मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर मीणा जाति के गणराज्य थे, जिनमें पंचायत लोकतंत्र प्रणाली द्वारा शासन चलाया जाता था। कछावा राजपूतों ने जिस प्रकार धोखे से मीणा राज्यों को समाप्त किया, वह इतिहास में सदा निन्दनीय रहेगा। राजस्थान में क्रीमिनल ट्राइब्स एक्ट को समाप्त कराने में राजस्थान मीणा सुधार समिति ने सराहनीय कार्य किया। इतना ही नहीं समाज सुधार के कार्यों में भी समिति ने प्रशंसनीय कार्य किया। उनका मीणा समाज से यही निवेदन है कि अंधविश्वास को छोड़कर शिक्षा की ओर ध्यान दें, जिससे अपने वंश व जाति का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

श्री प्रभुदयाल हाटवाल (जिला जयपुर त. चौमू)

स्वतंत्रता के बाद देश में भारत की स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ। राजस्थान में रियासती शासन का अन्त हो गया और हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनाये गये। जरायमपेशा कानून मीणा जाति के सशक्त आन्दोलन के कारण अगस्त 1946 में विधिवत समाप्त कर दिया गया।



भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में आदिवासी जनता के विकास के लिए एक आयोग की स्थापना हुई। इसके तत्वावधान में आदिवासी जनजाति एवं पिछड़ी जातियों की सूची प्रसारित की गई। इसमें उदयपुर तथा डूंगरपुर के आदिवासी मीणा तथा भीलों को शामिल कर लिया गया परन्तु जयपुर क्षेत्र के मीणों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया।

इस सन्दर्भ में स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल ने राजस्थान सरकार के समाज कल्याण मंत्री भोगीलाल पाण्ड्या से भेंट की और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराने की मांग की परन्तु पाण्ड्या ने स्पष्ट कह दिया कि इस क्षेत्र के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। तब झरवाल ने निवेदन किया कि यह तो गजब हो गया कि इस क्षेत्र के लाखों मीणा लोग उन्नति से वंचित रह जाएंगे। उन्हें राजा-महाराजाओं ने जरायमपेशा कानून की जंजीरों से जकड़ कर नागरिक अधिकारों से वंचित रखा। तब पाण्ड्या जी ने आश्वासन दिया कि विमुक्त जाति के लिए पैसा है और उनके लिए यहाँ पर कुछ उद्योग केन्द्र खोले जा सकते हैं। जयपुर में विमुक्त जाति छात्रावास खोलने की स्वीकृति भी मिल गई। नवाब साहब की हवेली त्रिपोलिया बाजार में छात्रावास खोला गया।

रींगस में मीणा जाति के लिए एक उद्योग केन्द्र की स्थापना हुई, जिसमें सिलाई शिक्षा प्रारम्भ की गई। इस सिलाई केन्द्र के संचालक प्रभूलाल हाटवाल थे। आपने बहुत मनोयोग से इस केन्द्र का संचालन किया। इस केन्द्र के अतिरिक्त मीणा जाति जागरण कार्यक्रम व सुधार कार्य में भी निरन्तर भाग लेते रहे। जयपुर मीणा सुधार समिति के सम्पर्क में आने के बाद आप समाज के अंध विश्वास एवं कुरीतियों के निवारण के लिए स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं अन्य प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ गए। समाज सुधार के साथ जागीरदार के दमन चक्र के विरुद्ध आपने आवाज उठाई।

आदिवासी मीना सेवा संघ तहसील शाखा आमेर द्वारा समाज सुधार हेतु आयोजित पदयात्रा इसमें भी आपका सक्रिय योगदान रहा। आदिवासी मीणा समाज में मृत्युभोज आदि में शराबबन्दी को रोकने तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को निवारण करने के लिए आमेर तहसील के अनेक ग्रामों के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया गया जो 29 अप्रैल 1976 से 8 मई तक सफलतापूर्वक चलता रहा। प्रत्येक क्षेत्र के लगभग 55 से 60 मीणा समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया।

कर्मठ एवं निःस्वार्थ सेवाभावी श्री भगवताराम (चांदपोल गेट, सीकर)

जो व्यक्ति समाज व देश के लिए जीया, उसी का जीना धन्य हैं। ऐसे ही समाज सेवी एवं स्वतंत्रता के अनन्य पूजारी श्री भगवताराम का सादा जीवन एवं उच्च विचार हम लोगों के लिये आज भी आदर्श है।



श्री भगवताराम का जन्म एक खेती हर किसान परिवार में 16 अक्टूबर 1910 को सीकर में हुआ। उनके पिता श्री जीवनराम एक ओजस्वी एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनका लोहा अंग्रेज अधिकारी बेब साहब मानते थे। उस समय भी उन्होंने समाज परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करली थी। उन्होंने मीणा समाज को स्वावलंबी बनने पर सर्वाधिक बल दिया। इस गुण से मीणा समाज अनेक अपराधों एवं कुरीतियों को त्यागने में सक्षम बन सका। श्री भगवताराम की माता भी बहुत दयालु एवं गुणवान महिला थी। माता-पिता के संस्कारों ने बालक भगवताराम को प्रारंभ से ही प्रभावित कर दिया और वे समाज एवं परोपकार में रुचि लेने लगे। उनकी सुधारवादी विचारधारा अपने माता-पिता से विरासत में मिली जो दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती गई।

भगवताराम अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत गुरु जेठमल के

घर पर हुई थी। बालक भगवताराम प्रखर बुद्धि के होने के कारण शीघ्र ही अपने गुरु के कृपा पात्र बन गये। पढ़ने-लिखने एवं गणित के ज्ञान तक ही उनकी शिक्षा सीमिति थी। परन्तु कर्त्तव्य परायणता एवं सच्चाई उनके जीवन में उतर चुकी थी। उस समय की परंपरा के अनुसार उनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में सुश्री गुलाब देवी से हो गया। यद्यपि गुलाबदेवी अशिक्षित थी परन्तु सहिष्णुता एवं कार्य कुशलता के कारण अपने 50 सदस्य के परिवार को सर्वदा एकता के सूत्र में बाँधे रखा। उनके जीवन की संक्षिप्त झाँकी अगले पृष्ठों में देखने को मिलेगी।

युवावस्था में श्री भगवताराम का जीवन इतना निखर गया था कि उनकी प्रतिष्ठा समाज में दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी। सरकारी अधिकारी भी उनका बहुत आदर करते थे। परहित और समाज में इतने लीन हो गये थे कि दिन भर उनके घर पर सहायता के लिए ताँता लगा रहता था। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और परोपकार को भावना युवावस्था में प्रजामण्डल, एवं खादी बोर्ड से जुड़े रहने के कारण वे सूत की आवश्यकता पूरी कर लेते थे। आगे चलकर उन्होंने किसान आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सामन्तों की बैठ-बेगार का उन्होंने खुलकर विरोध किया।

उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्य मीणा समाज में अद्‌भुत क्रांति लाना था। जरायमपेशा कानून के कारण मीणासमाज में हीनता की भावना घर कर गई थी। अत: आपने इस कानून को हटाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। चौकीदार प्रथा को तिलांजलि देने के लिए लोगों को प्रेरित किया और लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए स्वयं ने भी अपनी हजारों वार्षिक आय वाली चौकीदारी को ठोकर मार दी। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ लोगों के घर घर धरने दिए और सत्याग्रह किया जिसका आशातीत परिणाम निकला अनेक मीणा सरदारों ने मद्यपान आदि बुराइयों को त्याग दिया। सामाजिक कुरीतियों को जड़मूल से समाप्त करने के लिए आपने शिक्षा प्रसार पर सर्वाधिक जोर दिया और मीणा युवकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसी का प्रतिफल है कि आज मीणा जाति के लोग उच्च पदों पर आसीन हैं।

रचनात्मक कार्यों में आपकी बड़ी रुचि थी और दीर्घ काल तक सीकर नगर पालिका के सदस्य रहे। इस काल में चाँदपोल दरवाजे से मीणा मौहल्ला तक सड़क निर्माण, बिजली पानी की व्यवस्था, कुएं तथा विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। अपने विवेक सम्मत एवं प्रखर बुद्धि के कारण सभा न्यायालय में जूरी के पद पर भी रहे। उनका गहन सोच व विवेक इतना प्रखर था कि जिला स्तर के सभी अधिकारी आप से राय लेते थे। अभिमान उनको छू तक नहीं गया था। छोटा-बड़ा, ऊंच-नीच सभी उनके लिए बराबर थे। वे अपने सिद्धान्त के पक्के थे। सत्य पर अटल रहते थे। वे निर्भीक इतने थे कि विनम्रता से उनकी बात नहीं मानने पर उन्होंने साहस बटोर कर कितनी ही बार निर्दोष मीणों को पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाया। जैसाकि ऊपर बताया चुका कि जो विचार कर लेते थे, उसे पूरा करने पर ही संतोष करते थे। 50 हजार वार्षिक चौकीदारी सेवा को उन्होंने इस प्रकार छोड़ दिया, जिस प्रकार श्रीराम ने बनवास में जाने के लिए राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। चौकीदारी भारी आय को त्यागने से यद्यपि उनका परिवार भी अप्रसन्न था फिर भी उन्होंने उसे त्याग ही दिया। उस समय मीणा समाज की रोटी-रोजी का चौकीदारी प्रथा प्रमुख साधन थी। परन्तु सरल, सौम्य स्वभाव के संतोषी समाजसेवी श्री भगवताराम ने अपना पक्का भवन त्याग कर खेड़े में दो झोपड़ियां बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। खादी भण्डार से रुई लाकर पति पत्नी

चरखा कातकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस क्षेत्र में थे वे संत विनोबा भावे।

कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता विशेषकर भी भोगीलाल पण्ड्या एवं श्री माणिक्यलाल वर्मा उनके चरित्र से बहुत प्रभावित थे। वास्तव में वे नेता नहीं थे वरन् समर्पित समाज सेवक थे। आज के इस आपाधापी के युग में जबकि सभी व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचने की ताक में रहते हैं। परन्तु श्री भगवताराम इसके अपवाद थे। नगरपालिका के सदस्य रहकर वे विभिन्न समितियों के पद पर रहकर उन्होंने बहुत ही कुशलता से अपने दायित्व का निर्वाह किया। उन्होंने कभी भी किसी पद की याचना नहीं की। अपने प्रभावी व्यक्तित्व एवं चारित्रिक श्रेष्ठता के द्वारा उन्होंने सभी क्षेत्रों से सम्मान अर्जित किया, परन्तु सर्वदा विनम्र व निराभिमानी बने रहे। निस्वार्थी समाज सेवा उनके जीवन का ध्येय था। वे दु:खी मानव की सेवा को ही नारायण की सेवा मानते थे।

ऐसे त्यागी, महापुरुष श्री भगवताराम अपना सरल, निरोग सार्थक जीवन जीकर 2 जून 1992 ई. को पार्थिव शरीर त्यागकर अन्तर्ध्यान हो गये। आज वे नहीं रहे, परन्तु आज भी वे अमर हैं। उनकी कृतियाँ, सदा-सदा के लिए प्रेरणादायक रहेगी। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें लोग सदैव याद करते हैं। सामाजिक बुराइयों को मिटाने के उपदेश नहीं देते थे, वरन् विचार-विमर्श करते रहते थे। जिला स्तर की कई समितियों के आप सदस्य थे, जिला विधि सहायक समिति, समाज कल्याण समिति, जिला सतर्कता समिति, बद्रीनारायण सोढाणी होम्योपैथिक समिति, टी. वी. अस्पताल जैसी अनेक कल्याणकारी समितियों के आप आजीवन सदस्य रहे।

श्री भगवताराम की संगठन शक्ति बड़ी अद्‌भुत थी। मीणा समाज के लिए आपने अनेक सम्मेलन आयोजित किये। इनमें अपने पैतृक निवास स्थान सीकर का विराट सम्मेलन बहुत ही उल्लेखनीय है। जिसका विस्तृत विवरण हम पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। श्री भगवताराम गाँधीवादी पं. बंशीधर शर्मा श्रीमाधोपुर निवासी को अपना गुरु मानते थे। उनके जीवन पर उन्हीं के परिवार के निकट संबंधी वयोवृद्ध श्री गणपतराम बगराण्या का प्रभाव भी उन पर कम नहीं था। श्री बगराण्या के जीवन पर स्वतंत्र रूप से अन्य पृष्ठों में पढ़ेंगे।

वह समय ही बड़ा विकट था जब एक ओर स्वतंत्रता संग्राम अपने पूर्ण यौवन पर था तो दूसरी ओर मीणा जनजाति व किसानों की अनेक समस्यायें थीं। गरीबों का शोषण और उन पर अत्याचार चरम सीमा पर था। ऐसी स्थिति में समस्त समाज बहुत ही आतंकित था। सरकार की नौकरशाही, सामन्तों की निरंकुशता एवं विदेशी शासन से निर्धन लोगों का जीवन दुभर हो गया। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में श्री भगवताराम ने सभी प्रकार की निरंकुशता का विरोध करने के लिए अपने साथियों का एक दल बना लिया। प्रजामण्डल एवं किसान आन्दोलन से जुड़े लोगों का इस कार्य में भरपूर सहयोग रहा।

श्री भगवताराम का प्रत्येक कार्य निस्वार्थ भावना का रहता था। उन्होंने समाज को दिया, परन्तु उससे लिया कुछ नहीं। वे राजस्थान मीणा समाज के अग्रगणी नेता थे। उनकी सहृदयता के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। सम्मान पाकर भी अभिमान न हो, उनका उपदेश जब जीवन में उतरते हैं, तब ही चरित्र का निर्माण होता है। मृत्यु भोज का विरोध किया तो उन्होंने अपनी पत्नी के स्वर्गवास पर मृत्युभोज नहीं किया। इसी आदर्श से अनुप्राणित होकर उनका परिवार भी समाज सेवा के रचनात्मक कार्य को ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली मानता आ रहा है। 2 जून उनकी पुण्य तिथि पर प्रतिवर्ष मेधावी छात्रों को पारितोषिक

वितरण किया जाता है। उनके पुत्र श्री देवीलाल एवं मंगलचन्द ने उनकी पुण्य तिथि 2 जून 1997 को नगरपालिका सीकर में चाँदपोल द्वार से मीणा मौहल्ले तक सड़क डामर युक्त कराकर सड़क का नाम भगवताराम रोड़ रखने पर 51 हजार रुपये अंशदान देना एक पुनीत एवं स्वस्थ परंपरा है।

प्रसन्नता का विषय है कि उन पदचिन्हों का अनुकरण कर उनका परिवार उन्नति की ओर अग्रसर हैं। यह सब उनकी तपस्या का फल है।

श्री भगवान सिंह तरंगी (डग, जिला- झालावाड़)

आप नारायण सिंह नौरावत के सुपुत्र हैं। नारायण सिंह नौरावत मीणा जाति के महान सपूत हुए हैं। श्रद्धेय मुनि सागर जी द्वारा रचित 'मीणा पुराण की भूमिका' का प्रकाशन आपने ही कराया था। इस तरह डग निवासी (झालावाड़ का नौरावत परिवार समाज में अपनी विशेष पहचान रखता है, जिसका अनेक



स्थलों पर उल्लेख किया जा चुका है) भगवान सिंह तरंगी एक मेधावी छात्र रहे हैं। आपने कक्षा 12 तक की शिक्षा आगरे के प्रेम महाविद्यालय में प्राप्त की। आप एक अच्छे कवि भी रहे। बचपन में ही कविता लिखते थे। बाद में तो आपने कितने ही सक्रिय कवि सम्मेलनों में कविता पाठ किया।

शिक्षा पूरा कर जब अपने निवास स्थान डग आये थे तो उसमें कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन बहुत ही तीव्र गति से चल रहा था। अत: हाड़ौती क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। हाड़ौती प्रजा परिषद के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरोध के साथ-साथ क्षेत्र के राजा महाराजा एवं स्थानीय जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध किया जा रहा था। भगवान सिंह तरंगी कभी पीछे नहीं रहने वाले थे, वे वहाँ के स्थानीय नेता अभिन्नहरी, शहीद नयनूराम एवं कालाबादल के साथ सामन्तों के विरोध में भाग लेने लगे।

आप सभी के प्रयत्न से मीणा जाति की स्वतंत्रता की भावनाओं को दबाने वाला जरायमपेशा कानून समाप्त हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन इस विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। जरायमपेशा कानून के विरोध में प्रत्येक सम्मेलन एवंप्रदर्शनमे आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। अपनी ओजस्वी कविताओं द्वारा जन जागरण करने में आपकी अहम भूमिका रही।

अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया और स्थानीय नेताओं के मार्गदर्शन में अनेक आन्दोलन में भाग लिया। मीणा सुधार समिति जयपुर द्वारा आयोजित जयपाल पटेल की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन में आपने अपनी राष्ट्रीय कविताओं द्वारा लोगों में अद्‌भुत उत्साह का संचार किया। लोग आपकी कविता सुनकर मंत्रमुग्ध हो गये।

15 अगस्त, 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 में कांग्रेस पार्टी डग से आप चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी के विधायक बनकर जयपुर आये तब स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल से आपका सम्पर्क हुआ। झरवाल ने आपको बताया कि जरायमपेशा कानून तो समाप्त हो गया, परन्तु अभी भी राजस्थान सरकार स्वतंत्रता प्रिय मीणा लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुँचाने के लिए उतारू है। राज्य विधानसभा में 'हेबिच्युल ओफेन्स' आदतन अपराधी कानून लाया जा रहा

है, जिसके अनुसार एक बार अपराध हो जाने पर मीणा जाति के लोगों को अपराधी मान लिया जायेगा जबकि अन्य जातियों पर तीन बार अपराध करने पर यह कानून लागू होगा। अत: प्रवर समिति में ही इस कानून को रोक लेना चाहिए, क्योंकि यह मानव समानता में बाधक है।

जयपुर की मीणा सुधार समिति के प्रमुख नेता लक्ष्मीनारायण झरवाल, अड़िसाल सिंह तथा राजेन्द्र कुमार अजेय के साथ अनेक सम्मेलनों में भाग लेकर एकता का कार्य करते रहे। मीणा समाज आपकी सेवाओं को कभी नहीं भूल सकता। अन्त में उपरोक्त भेदकारी कानून भारत सरकार ने समाप्त कर दिया।

भारमल मीणा : उत्साही सक्रिय कार्यकर्ता (जिला जयपुर त. चाकसू)

आप प्रजामण्डल के प्रमुख कार्यकर्ता होने के साथ-साथ मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने वाले प्रदर्शनों में बराबर भाग लेते रहे। मीणा समाज का सम्मेलन चाहे कहीं भी हो भारमल वहाँ पहुंच जाते थे। वहाँ पर अपने ओजस्वी भाषण से जनता में उत्साह का संचार कर देते थे। जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत मीणा जाति पर होने वाले अन्याय का समय-समय पर डटकर विरोध करते रहे।



अन्याय का विरोध करने के साथ-साथ समाज सुधार में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाकसू शीलमाता के मेले में अश्लील नृत्य, गाने व नाच-कूद को रूकवाने में आप बराबर लगे रहे। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी आप बराबर आग्रह करते रहते थे। बालक-बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप बराबर प्रयत्नशील रहते थे। चाकसू व निवाई क्षेत्र के मीणा लोगों से आपका बराबर सम्पर्क बना रहता था, क्योंकि आपका निवास स्थान शीलमाता की डूंगरी के पास ही था। मेले में अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाज की अच्छी सेवा करते थे।

इस क्षेत्र के निर्दोष मीणों को पुलिस द्वारा सताये जाने का निरन्तर विरोध करते थे। उच्च अधिकारियों. को समस्त घटनाओं से सूचित करने में भी वे सबसे आगे थे। आसपास के सामन्तों द्वारा लगाये गये अनुचित कर का भी आप विरोध करने में सबसे आगे थे। आपने पुलिस द्वारा ली गई घूस की रकम को भी मीणा लोगों को वापस दिलवाई।

आपने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ मिलकर अनेक सत्याग्रह संग्राम में भाग लिया और समाज की कुरीतियों और चोरी-चकारी रोकने का भी सदा प्रयत्न करते रहे। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मीणा जाति को नागरिक अधिकार दिलाकर ही आपने चैन की सांस ली। आज भी आप जाति संगठन व समाज सुधार के कार्यों में बराबर भाग लेते रहते हैं।

भौक्तिकराम (ग्राम सीमलखेड़ी, पो. सोजपुर, जिला झालावाड़)

आप ग्राम सीमलखेड़ी पो. सोजपुर जिला झालावाड़ (राज.) के निवासी थे। आपने समाज सुधार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। डग निवासी श्री नारायण सिंह नौरावत की प्रेरणा से आप कितने ही सम्मेलन में भाग लेते रहे। आपका जातीय प्रेम बहुत ही सराहनीय है। इसी से प्रेरति होकर आपने राधेश्याम रामायण की तर्ज पर 'मीनायण' नामक पद्य ग्रन्थ लिखा। चाहते हुए भी जीवन काल में प्रकाशित न करा सके।

अतः आपके पुत्र सीताराम शरण ने विक्रम संवत 2040 में प्रकाशित करवा कर अपने पिता जी इच्छा पूरी की।

पुस्तक में मीणा की उत्पत्ति एवं गौरव गाथा पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। पुस्तक के अंत में मारण-मीणा जाति के तड़ों के साथ अनुक्रमाणिका के अनुसार मीणा जाति के बावन सौ गौत्रों का बत्तीस पृष्ठों में बड़ा व्यवस्थित वर्णन किया है। पुस्तक पठनीय है पुस्तक मिलने का पता इस प्रकार है। श्री सीताराम शरण ग्राम सीमल खेड़ी पोस्ट सोजपुर जिला झालवाड़।

भीम सिंह एडवोकेट (भरतपुर)

जन्म : 15 अप्रैल 1924 निधन : 8 अगस्त 1989

भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के ग्राम वसोकर में आपका जन्म 15 अप्रैल 1924 को हुआ था। अपने पिता हीरा सिंह मिमरोट (मीणा) के चार पुत्रों में से केवल वही शिक्षित हो पाये थे। इन्होंने भरतपुर से इन्टर, आगरा से एम. ए. और जयपुर से एल. एल. बी. की परीक्षाएँ पास की थी।



छात्र जीवन में ही प्रजामण्डल के सम्मेलनों में भाग लेना शुरु कर दिया था। सन् 1946 में आपके प्रयत्नों से 'भरतपुर राज्य मीणा क्षत्रिय सभा' का गठन हुआ। इस संस्था के तत्वावधान में भरतपुर रियासत में जगह-जगह मीणा सम्मेलन हुए, जिनमें भरतपुर में आयोजित 1946 का मीणा सम्मेलन तथा सन् 1948 में बयाना में आयोजित राजपूताना के मीणा समाज के कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन प्रमुख थे।

मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा जरायम पेशा कानून के खिलाफ भरतपुर रियासत में व्यापक अभियान चलाया।

राजस्थान मीणा सुधार सभा का जब गठन हुआ तब आपको उसका प्रधानमंत्री बनाया गया। अखिल भारतीय मीणा संघ के गठन के समय में उसके अध्यक्ष चुने गये थे।

सन् 1957 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने लालसोट की आरक्षित सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में आप स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार नाथू लाल करोल से पराजित हुए। आपकी स्पष्टवादिता तथा प्रखर प्रतिभा कांग्रेस के कुछ नेताओं को अखरी। वे नहीं चाहते थे कि मीणा जाति का राजनीति में कुशल नेतृत्व पनपे इस कारण उन्होंने कप्तान छुट्टन लाल जी जिनको टिकट नहीं मिला था उनको गुप्त रूप से बरगलाया तथा इनको पराजित करवाने के उद्देश्य से स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिलवाया तथा अनेक प्रकार के भ्रामक प्रचार किये। आप प्रगतिशील विचार धारा के थे जो रुढ़िवादी लोगों को रास नहीं आयी।

लम्बे समय तक कुम्हेर तहसील की एपरेरा ग्राम पंचायत के सरपंच रहे तथा सन् 1972 में कुम्हेर पंचायत समिति के प्रधान रहे। अपने प्रधानी काल में कुम्हेर पंचायत समिति में अनेक विकास कार्य किये जिससे इनका क्षेत्र में प्रभाव बहुत बढ़ गया। भरतपुर के सैनिक डिपो बनने से विस्थापित कई गांव के किसानों को अच्छा मुआवजा दिलवाया तथा जमीन दिलवायी। हेलक के पास मीणों के गांव गांधीनगर (शादपुरा) की आदर्श बसावट का श्रेय इन्हीं को जाता है।

सन् 1967 के चुनाव में कुम्हेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। निर्दलीय उम्मीदवार भरतपुर राजघराने के राजा मान सिंह को चुनाव जीतने में पसीना आ गया। राजा मान सिंह द्वारा राजघराने की आन, बान, शान की दुहाई देने पर ही चुनाव जीत सके। कालान्तर में राजा मान सिंह ने डीग विधानसभा को अपना स्थायी चुनाव क्षेत्र बना लिया था। कुम्हेर विधानसभा से कालान्तर में कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेतृत्व जो जन जातियों में दवंग नेतृत्व पनपने के खिलाफ था, नहीं चाहता था कि भीम सिंह जैसे दबंग व्यक्ति विधानसभा में चुनकर आए। इस कारण कई वार विधानसभा का टिकट मिलते मिलते एन वक्त पर उनका विरोध के कारण कटवा दिया जाता था। वे इस तथ्य से भली भाँति परिचित थे। भीमसिंह की जमीन तक गहरी पैठ है तथा वे सामान्य सीट से चुनाव जीत गये तो उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा तथा कुशल नेतृत्व से जनजाति राजनीति को कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं तथा उनकी भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। आपका दबंगपन तथा स्पष्टवादिता के कारण उच्च स्तरीय जातिवादी राजनीति के शिकार हुए।

आप अपने विद्यार्थी काल से ही समाज सुधार के कार्यों से जुड़े रहे। अपने जीवन काल में कई सामाजिक तथा सहकारी संस्थाओं के लम्बे समय तक अध्यक्ष एवं महासचिव रहे। आप एक कुशल वक्ता थे और समय पर खरी खोटी सुनाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे। आपके भाषण बहुत ओजस्वी तथा जोशीले होते थे। आप का जीवन बहु आयामी था। वे अपने सिद्धान्तों के पक्के थे उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं था जो कहते वही करते थे। आपका निधन 8 अगस्त 1989 को हुआ। भरतपुर में वकालत करते हुए अपनी अंतिम सांस तक समाज सुधार के कार्यों में लगे रहे।

कर्मठ समाज सेवक : भौमाराम मीणा (ग्राम- थौलाई, जिला जयपुर)

आपका जन्म थौलाई ग्राम तहसील जमवारामगढ़ में हुआ। मीणा सुधार समिति के मंत्री तथा स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल ने समाज सुधार तथा नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारम्भ किया तब भौमाराम ने झरवाल के नेतृत्व में मीणा समाज सुधार तथा जरायमपेशा कानून के विरुद्ध जन आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।



उन्हीं दिनों जयपुर राज्य प्रजामण्डल द्वारा उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा था तो श्री भौमाराम भी अपने राजनीतिक गुरू झरवाल के साथ इस आन्दोलन में भाग लेने लगे। यहाँ यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि मीणा समाज ने देश की स्वतंत्रता के लिए आयोजित आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्ण जाति के नेता इने-गिने ही थे। वास्तव शक्ति तो जनता जनार्दन की थी, जिसमें मीणा समाज की संख्या सबसे अधिक थी।

भौमाराम की महत्वपूर्ण उपलब्धि थौलाई में आयोजित मीणा सम्मेलन को सफल बनाना है। आपने इसमें तन-मन-धन से सहयोग दिया जो बहुत ही सराहनीय है। इतना ही नहीं बड़वा में आयोजित विराट सम्मेलन जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर तथा टोंक के मीणा बन्धुओं में बहुत ही उत्साह से भाग लिया था, उसको सार्थक एवं सफल बनाने में भौमाराम ने रात-दिन एक कर दिया।

मीणा जन आन्दोलन को व्यापक एवं शक्तिशाली बनाने के लिए आपने कार्यकर्ताओं के एक दल का गठन किया, जिसमें नारायण , मानुताल खवा रानी, रघुनाथ पबड़ी थौलाई, रामजीवन जेफ थौलाई, गणेश कल्याण बूज जेफ मैड, महादेव जेफ, श्यामपुरा आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यों तो इस दल में अनेक लोग थे।

मीणा सुधार समिति का मुख्य कार्य तो जरायमपेशा कानून हटवाकर नागरिक अधिकार प्राप्त करना था, परन्तु उसने यह अनुभव किया कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब इन अधिकारों का प्राप्त कर लेना भी हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होगा। समाज में व्याप्त बुराइयाँ, अश्लील नाच-गान को समाप्त किया जायेगा। शिक्षा का प्रसार आवश्यक समझ कर मीणा बालक-बालिकांओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने का एक अभियान चलाया गया। कुछ भटके हुए लोगों द्वारा किए गए चौरी-चकारी के काम को राजकीय पुलिस विभाग समाप्त नहीं कर पा रहा था। अत: ऐसे भटके हुए लोगों को ठीक रास्ते में लाने तथा सभ्य नागरिक बनाने का बीड़ा भी मीणा सुधार समिति ने उठाया, जिसका विस्तृत विवरण एक स्वतंत्र अध्याय में हम पिछले पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

भौमाराम ने अपने राजनीतिक गुरू लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन में उत्साह से भाग लिया। मद्यपान व अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सुधार दल दोषी व्यक्ति के घर जाकर धरना देता था, जब तक दोषी व्यक्ति अपने अपराध स्वीकार कर प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देता था, तब तक सत्याग्रही जत्था अपराधी के घर पर ही धरना देता रहता था। इसके अतिरिक्त ज्यादा हठी अपराधी जो आसानी से अपराध स्वीकार नहीं करते थे, उनका काला मुँह करके गधे पर बैठाकर गाँव में घुमाया जाता था ताकि अन्य लोग इससे शिक्षा ले सके।

पुलिस के अत्याचारों का भी सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा विरोध किया गया। अनेक चोरियों का पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी तो इस सत्याग्रह दल ने चोरियां पकड़ी और चोरी गए माल को उसके स्वामी को पुन: दिलवाया। इससे पुलिस के बड़े अधिकारी भी मीणा सुधार समिति के कार्यों की प्रशंसा करने लगे। लक्ष्मीनारायण झरवाल का सत्याग्रह आन्दोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था। भौमाराम का इस कार्य में सहयोग रहा। इस सत्याग्रह आन्दोलन की सफलता को देखकर गाँव-गाँव में झरवाल को मीणा जाति का गाँधी कहा जाने लगा।

देश व समाज के लिय समर्पित भैरव लाल काला बादल (कोटा)



आधुनिक युग में देश सेवा एवं स्वतंत्रता सेनानियों में मीणा समाज के अनेक व्यक्ति अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनमें भैरवलाल काला बादल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हाड़ौती अंचल में तत्कालीन कोटा रियासत की छीपा बडोद तहसील के ककोड़ी खेड़ा के जंगलों में जन्मे भैरवलाल ने खानपुर से मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। उनके बाद वे अध्ययन के लिए बाराँ आए। वहाँ पंडित नयनूराम शर्मा व हरिभाई किंकर के साथ प्रजामण्डल का प्रचार करने आये थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण उन्हें पुलिस थानों में हाजरी देनी पड़ती थी। बाराँ में अन्य छात्रों के साथ भैरव लाल जी नयनूराम से भेंट करने लगे। प्रथम साक्षातकार में ही भैरव लाल में देश भक्ति

की ऐसी लौ लगी कि वे पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े। प्रारंभ में किशोर स्वतंत्रता सेनानी भैरवलाल अपने सुरीली आवाज में नयनूराम द्वारा रचित देश प्रेम के गीत गाया करते थे। बाद में स्वयं भी देश भक्ति पूर्ण गीतों की रचना करने लगे जो आगे चलकर बहुत लोकप्रिय हुये।

तत्कालीन शासन के विरूद्ध आजेस्वी गीतों के कारण आपको पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा, परन्तु इससे उनके उत्साह व देश-प्रेम में कोई कमी नहीं आई। अंत में पुलिस पिटाई तथा ब्रिटिश सरकार के गिरफ्तारी वारन्ट से तंग आकर यह युवक हड़ौती से फरार हो गया और निरंतर 1937 से 18 वर्ष तक अपने परिवार से दूर नीम का थाना, जयपुर और शेखावाटी के क्षेत्र में आजादी के गीत गाते रहे। इनको काला बादल नाम से संबोधित किये जाने की भी अपनी कहानी है। 1946 में पंडित जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में उदयपुर देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में पंडित जी की सुरक्षा के लिये बीस स्वयं सेवकों को नियुक्त किया गया जिनमें एक भैरवलाल काला बादल भी थे।

सम्मेलन के दूसरे दिन नेहरु जी प्रात: तीन बजे विश्राम करने पहुँचे। उस समय भैरवलाल मुख्य द्वारा पर पहरा दे रहे थे। नेहरु जी ने विश्राम कक्ष में प्रवेश किया और भैरवलाल नींद से बचने के लिए गीत गाने लगे। यद्यपि गीत हाड़ौती भाषा में था, परन्तु गीत के बोल पंडित जी समझ गये। अत: उन्होंने सहयोगियों मृदुला बेन आदि को गायक को बुलाने का निर्देश दिया। भैरवलाल को नेहरुजी के सामने उपस्थित किया गया। भैरवलाल सहमे से रह गये, संभावतया नींद में बाधा पड़ने के कारण पंडितजी ने उसे बुलाया हो। परन्तु बात ऐसी नहीं थी। नेहरु जी गीत के बोल से इतने प्रभावित हुये कि उसको पुन: सुनने के लिए भैरवलाल को बुलाया था। नेहरु जी गीत की भावना से अत्यन्त प्रभावित हुये।

सम्मेलन के तीसरे दिन नेहरु जी को किसान सम्मेलन को संबोधित करना था। अत: भैरवलाल के काला बादल गीत से सम्मलेन का श्रीगणेश करना चाहते थे। परन्तु वे भैरवलाल का नाम तो भूल गये। अत: उन्होंने मंच से ही घोषणा की कि सम्मेलन का प्रारंभ काला बादल के गीत से होगा। तभी से वे काला बादल के नाम से ही पुकारे जाने लगे। यहाँ काला बादल गीत को उद्धृत करना भी प्रासंगिक होगा।

काला बादल गीत : 1938

काला बादल रे आज तो बरसरे, बलती आग। काला बादल रे।
बादल राजा कान बिना रे, सुणें न म्हों की बात।
थारा मन की तू करे, जद चाले वाँ का हाथ॥

माल खावे चोरड़ा रे खावे, करज खलियान।
कच्चेड़िया में हाकिम खावे, भूखा कथा को प्राण॥
पेट बाँध खेती करॉरे, सगला काश्तकार।
घर में म्हाँके ऊंदर खेले, भरा जगत भण्डार॥

गड़ा पड़े, रोली सड़े रे, उल्टो ले ले दण्ड।
संड मुसंडा पापी हाकिम, खोवे म्हाँको फंड॥
कड़ता का पड़ता नहीं रहे, हड़कमा खुड़-खुड़ खाये।
हाथ जोड़कर गाल्यां खावो भी जाये इजजत।

छोरा छोरी दूध बिनारे, चूड़ बिना घर नार।
नाज नहीं ले लूण नहीं छे, नहीं तेल की धार।

खासी चाले डग डग हाले, बेगी आ गई हार।
भरी जवानी बीच में ही, म्हारो सूख गयो भरतार।

फटी टूटी सोपटयाँ रे, लीक लीरात पाग।
फटी धोवतो फटी अंगरखी, फूट्या म्हां का भाग।

फाटो टूटो लूगड़ो रे, लहंगो बिना सज्याब।

थेगला पर थेगलो दाँ, तो भी देख आब॥
हल बल दाँ खेती करो, करोंजो रेला पैल।
कोई कसूर के कारणे, राजाजी ठेला ठेल॥

बेल बिक गया, नाज बिक गयाऔर बिकग्यो घर बार।
छोरा बिक गया, छोरियाँ बिक गई, अब काँई बेचूं नार॥

काँई सूता छो नींद मेरे, कुत्ता खावे चार।
पटवारी, कानूगो, नाजिम चौथा थानादार॥

उल्टी गंगा बह गई रे, बाड़ खावे खेत।
उल्टा डांटे चोरड़ा कोई, रक्षक कावे रैत॥

स्वतंत्रता के बाद काला बादल राजनीति में आ गये, परन्तु अपने समाज से भी बराबर जुड़े रहे। राजनीतिक जागृति के साथ-साथ समाज सुधार में भी उनका योगदान कम सराहनीय नहीं था। अश्लील गानों, शराबखोरी को बन्द कराने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। अश्लील प्रदर्शन पर रोक के साथ-साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने 'जूड़े' उतारकर काला बादल के सामने फेंक दिये और चुट्टे काट दिये। पिछड़े वर्ग को स्वतंत्रता आन्दोलन से जोड़ने का निरंतर प्रयास करते रहे। बिजौलिया किसान आन्दोलन के प्रणेता विजयसिंह पथिक इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1974 में वे जयप्रकाश नारायण की जन क्रांति से जुड़े। इसके 1977 की जनता पार्टी की राजस्थान सरकार में आप मंत्री बनाये गये।

सादा जीवन व उच्च विचार:– मंत्री बनने के बाद भी उनका जीवन बहुत ही सादा था। आज जैसे मंत्रियों के ठाट-बाट के जीवन से वे सर्वदा दूर रहे। उनके रहन-सहन व घर की स्थिति को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे कभी मंत्री भी रहे। कई राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े काला बादल वृद्धावस्था में भी सदा सक्रिय रहे। 76 वर्ष की अवस्था में भी उनकी वाणी में जोश तथा मीठास यथावत बना रहा। राजनीतिक क्षेत्र में आने पर भी समाज सुधार व मीणा जाति के सुधार आन्दोलन में निरंतर क्रियाशील रहे। आज वे इस संसार में नहीं, परन्तु उनके समाज सुधार के कार्य एवं राजनीतिक में स्वच्छ आचरण के कारण लोगों के हृदय में समाये हुये हैं। उनका 'काला बादल' गीत उनकी स्मृति को पुन: ताजा कर देता है।

श्री भागीरथ लाल मीणा

टोंक फाटक, जयपुर(राज.)

श्री भागीरथ लाल मीणा का जन्म तहसील-नीम के थाने, जिला सीकर के एक छोटे से ग्राम जीलो में 23 जनवरी 1937 को हुआ। आपकी प्रारिम्भक शिक्षा नीम के थाने में हुई। वहाँ अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेने के कारण समाज सेवा की भावना विद्यार्थी जीवन में ही जागृत हो गई। आपके पिता स्वर्गीय कालूराम जी मीणा रेलवे सेवा में थे। इसके साथ ही वे जाति पंचायतों में प्रमुख भाग लेते से आप नीम का थाना तहसील में बहुत ही सम्मान से देखे जाते थे।



उच्च शिक्षा प्राप्त कर सन् 1963 में भारत सरकार के ग्रहमंत्रालय के गुप्तचर विभाग में नियुक्त किए गए। विभिन्न स्थानों पर उत्कृस सेवा के लिए आपको 1988 में भारत सरकार ने इण्डियन पुलिस मेडल(पदक) से सम्मानित किया। इसके पश्चात गुप्तचर विभाग में सराहनीय सेवा के कारण का सर्वोच्च सम्मान ''कोटिल्य'' व पाँच हजार रू. नकद राशि के रूप में प्रदान किया गया।

सेवानिवृत्त होने के बाद 1995 से आप समाज सेवा में लग गए। प्रमुख समाज सेवी तथा स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल द्वारा स्थापित आदिवासी मीणा सेवा संघ में कार्य करने लगे। इसी संदर्भ में आप जयपुर महानगर शाखा के र्निविरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1997 में आप प्रदेश कार्यकारिणी के संयुक्तमंत्री के रूप में आपने समाज के विभिन्न गुटों को एकता के सूत्र में बाधनों का सराहनीय कार्य किया।

मीणा समाज के विभिन्न सम्मेलनों में आपने उत्साह से भाग लिया। समाज सुधार तथा शिक्षा-प्रसार के कार्यों में भी आपकी रूचि सराहनीय है। श्री झरवाल सहाब के साथ उनके निर्देशन में अनेक सुधार कार्यों में भाग लिया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आपका छापोला वंश से संबंध है। छापोलगढ़ छापोला मीणों द्वारा ही जीलो गाँव को बसाया का, यहीं पर आपका जन्म हुआ था। इस क्षेत्र के 12 गाँवों में जन जागृति व समाज सुधार में मीणा समाज सुधार समिति के कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

श्री भागीरथ लाल की समाज सेवा राजकीय पदों से बढ़कर है। आशा है आप आजीवन इसी तरह समाज सेवा में लीन रहेंगे।

भैरववक्ष प्रधानाध्यापक (ग्राम- खोरा लाडखानी, तहसील- बैराठ, जिला जयपुर)

राज्य सेवा में रहते हुए कितने ही आदिवासी जनजाति के बन्धुओं ने जरायमपेशा कानून के विरोध में सदा रुचि ली। ऐसे सज्जनों में खोरा लाडखानी निवासी मास्टर भैरववक्ष जी का नाम स्वभावत: स्मरण हो आता है। आपने बागावास विराट सम्मेलन तथा बाँदीकुई मीणा सम्मेलन में भाग लिया। अध्यापक रहते हुए आपने मीणा समाज में शिक्षा का प्रचार करने का प्रशंसनीय कार्य किया।

लोक सेवक भौंरीलाल मीणा (ग्राम- बागावास, जिला जयपुर)

आपका जन्म 1939 को बागावास निवासी श्री सोनाराम मीणा के घर में हुआ। बागावास मीणा जाति के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तहसील बैराठ के इस ग्राम में ही मीणा समाज ने



जरायमपेशा कानून से मुक्ति पाने पर बहुत ही धूमधाम से विजयोत्सव मनाया था, जिसमें राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री दिवंगत श्री हीरालाल शास्त्री भी उपस्थित हुए थे।

बैराठ में शिक्षा प्राप्त कर राजस्थान के शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। परन्तु जीविका के इस साधन के साथ-साथ आपने समाज की शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन में उच्च स्तर का काम किया। 1952 में मीणा छात्रावास के प्रधान व्यवस्थापक भी आप ही रहे। यह छात्रावास मीणा समाज की संस्था राजस्थान विद्या मन्दिर की ओर से चलाया जाता था, जिसमें निर्धन छात्रों को वस्त्र, पाठ्य-पुस्तकें यहाँ तक कि भोजन भी नि:शुल्क दिया जाता था। यह विद्या अनुष्ठान मीणा समाज की ओर से 40-45 वर्ष तक चलता रहा। स्वर्गीय भौंरीलाल जी ने तन-मन-धन से इसकी सेवा की।

शिक्षा क्षेत्र की सेवा के अतिरिक्त समाजसेवा में भी आपका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अपनी जन्मभूमि बागावास चौरासी में विशाल मीणा सम्मेलन को सफल बनाने में आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह बैराठ मीणा सम्मेलन में भी आपने बहुत ही उत्साह से भाग लिया। जाति सुधार एवं समाज के सम्मेलनों में आप सर्वदा उपस्थित रहे।

मीणा सुधार समिति के प्रधान कार्यालय का संचालन भी आप वर्षों तक करते रहे। आपका स्वर्गवास 1999 में 60 वर्ष की अवस्था में ही हो गया परन्तु अपनी नि:स्वार्थ समाज सेवा के कारण अभी तक समाज के कार्यकर्ताओं के हृदय में समाये हुए हैं। समाज सेवा जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भाग्यवान लोग ही प्राप्त कर सकते हैं।



श्री भंवर लाल मीणा (ग्राम- लाम्प्यां, जिला सीकर)

आपका जन्म 1940 को सीकर जिले के माण्डोता,लाम्प्या ग्राम में हुआ। आप जाने माने समाज सेवी श्री सूरजाराम मीणा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। विद्यालय की शिक्षा पूरी कर वे जयपुर कॉलेज शिक्षा के लिए चले गये। यहीं उनकी मीणा समाज के सूत्रधार एवं मार्गदर्शक श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल से भेंट हुई। अध्ययनरत रहते हुए प्रति रविवार श्री झरवाल से मिलते रहते। श्री झरवाल के वे जल्दी कृपा पात्र

बन गये। 1958 में जब राजस्थान मीणा समाज का गठन हुआ तो पत्र व्यवहार का काम श्री भंवरलाल मीणा को सौंपा गया, जिसे उन्होंने बहुत ही निष्ठा से निभाया। 1963 में शिक्षा पूरी कर वे भारत सरकार की सेवा में चले गए।

समाज सेवी श्री लाम्यां के पुत्र होने के कारण समाज सेवा इनको विरासत में मिली थी। अध्ययनकाल में ही आप मीणा समाज के विभिन्न सम्मेलनों में निरंतर भाग लेते रहे और समाज के लोगों के संपर्क में आये। आपको केन्द्रीय सेवा में जाने के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ वे गुप्तचर विभाग के सहायक केन्द्रीय गुप्तचर अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और अक्टूबर 1996 में डी. आई. जी. के पद से सेवा निवृत्त हुए। गुप्तचर ब्यूरो में वे पहले मीणा थे और डी. आई. जी. के पद प्राप्त करने में भी वे मीणा समाज में प्रथम थे।

सेवाकाल में उन्होंने भारत के दूर-दूर के प्रदेशों के कार्य किया। भारत-म्यांमार (बर्मा) भारत-पाकिस्तान सीमा पर चौकसी का कार्य निष्ठा से किया। मेघालय, अरुणाचल, गुजरात तथा राजस्थान में भी कार्य करने का अवसर मिला। 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय आप गंगानगर में थे। यहाँ की कार्यकुशलता के कारण भारत सरकार ने आपको 'रजत जयंती' तथा 'संग्राम पदक' से सम्मानित किया। पंजाब में आतंकवाद के समय आप गंगानगर थे। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को सशस्त्र बन्दी बनाकर आपने अनेक निर्दोष लोगों की जान बचाई। आपके इन उत्कृष्ट कार्यों के कारण भारत सरकार ने आपको भारतीय पुलिस पदक के साथ ही अपने विभाग के सर्वोच्च पुरस्कार 'सुकृति सम्मान' से पाँच हजार रुपये नकद प्राप्त कर सम्मानित हुए। आपको अन्य सफलताओं के लिए भी छः बार सम्मानित किया गया। इतने प्रमाण पत्र व सम्मान प्राप्त कर के आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया।

सरकारी सेवाओं में रहते हुए भी आप समाज सुधार के कार्य से कभी विमुख नहीं हुए। समाज के लोगों की हर संभव सहायता करने और स्थान-स्थान पर समाज को संगठित करने में रुचि ली। इस तरह समाज सेवा के आप केन्द्र बिन्दु बने रहे।

राज्य सेवा से निवृत्त होने के बाद पूरा समय समाज सेवा में देने का मानस बना लिया और वयोवृद्ध समाज सेवियों से बराबर संपर्क बनाये रखा। समाज के एक केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता को पूरा करने का सतत प्रयास किया। फलस्वरूप फरवरी 1998 को राष्ट्रीय मीणा महासभा के गठन में सफलता प्राप्त की। पूरे देश के मीणा समाज को एक मंच पर लाने का यह प्रथम अवसर था। इस कार्य में वयेवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल का पूरा मार्गदर्शन रहा। वे राष्ट्रीय मीणा सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए।

डी. आई. जी. श्री भंवरलाल का समाज सेवा का कार्य मीणा समाज के उन अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत है, जो उच्च पदों पर आसीन हैं।

मदनसिंह रावत मीणा (ग्राम टोंगा, जिला- मुरैना)

आपका जन्म नौ मई, 1940 को मध्य प्रदेश के ग्राम टोंगा तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना में हुआ। आपके पिता गिरवर सिंह रावत दुधावत गौत्र के मीणा थे। माता गयाकुमारी का गौत्र चन्दनावत था। इनके पिता श्री ब्रिटिश सेना में सूबेदार पद पर थे। एक युद्ध में घायल होने पर आपको सेवानिवृत्त कर दिया और पेन्शन देकर उनके गांव भेज दिया। टोंगा में ही आप स्थायी रूप से निवास करने लगे। यहाँ पर विक्रम

संवत 1896 बैसाख सुदी ग्यारस गुरुवार को आपके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्मोत्सव पर गिरवर सिंह ने अनेक पुण्य के कार्य किये और पुत्र का नाम मदनसिंह रखा। सात वर्ष की आयु में आपको अध्ययन के लिए गुरू आश्रम भेज दिया गया। परन्तु कुछ दिनों बाद इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट परिस्थिति में आपने अपनी पढ़ाई चालू रखी और राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर वन



विभाग में आपकी नौकरी लग गई। परन्तु मीणा समाज की अधोगति को देखकर आपने सरकारी सेबा से त्याग पत्र दे दिया और मीणा समाज सुधार के कार्य में तन-मन-धन से लग गए।

सर्वप्रथम आपने मुरैना में मीणाओं का अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें चार हजार मीणा सरदार शामिल हुए। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आपने कहा कि ''भाईयों हम मत्स्यवंशी हैं। भारत में ही नहीं एशिया महाद्वीप तथा यूरोप में भगवान मत्स्य की सन्तानें निवास करती है। संसार के अनेक भागों पर अपना राज्य था। परन्तु सुरा-सुन्दरियों के चक्कर में आकर अपने प्राचीन गौरव को भूल गए। नल वंशी कछावा शासकों ने छल-कपट से हमारा राज्य छीना, जिससे आप भली-भाँति परिचित हैं। हमारे पूर्वज अपने राज्य रक्षा के लिए शहीद हो गए। राजपूतों से संघर्ष के बाद हमने मुसलमान शासकों से अपनी मर्यादा के लिए अनेक युद्ध किए। अब जो होना था सो हो गया। अब हमें शिक्षा प्राप्त कर समाज में व्याप्त कुरीतियों को छोड़कर उन्नति के रास्ते पर चलना है। मैं नवयुवकों से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपना ध्यान शिक्षा पर केन्द्रित करें। रावत हमारी पदवी मूल रूप से हम मत्स्य भगवान की सन्तान मीना जाति हैं। मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर के पास चाँदपुर में रानाजू शंकर सिंह राज्य करते थे। वे दूधावत गौत्र के थे।

लड़कों की शिक्षा के साथ हमें लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। प्रत्येक लड़की माता का रूप है। अत: उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मद्यपान छोड़कर सभ्य नागरिक बनने का प्रयास करें। इस मद्यपान से हमारे अनेक गौरवशाली राज्य नष्ट हो गए।''

इस भाषण का मीणा जाति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और आपने इस काल से उठाकर भावी उन्नति के एक संगठन की स्थापना उनके द्वारा की गई, जो आज भी मध्य प्रदेश में ''मीना सेवा संगठन'' के नाम से कार्य कर रहा है। आप स्वयं मुरैना मीना समाज संगठन के महामंत्री के रूप में काम करने लगे और इसी तरह की समस्त प्रदेश के 40 जिलों में इसकी शाखायें स्थापित की गई।

प्रत्येक जिले में मीना धर्मशाला में मीना छात्रावास तथा मीना समाज सेवा संगठन की स्थापना की गई। समाज में शिक्षा व जागृति का यह प्रभाव पड़ा कि आज मध्य प्रदेश में मीणा बन्धु अनेक उच्च पदों पर हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यह जाति पीछे नहीं हैं। अनेक जिला परिषदों के अध्यक्ष मीना लोग हैं। विधायक तथा सांसदों की संख्या भी कम नहीं है। इस समस्त उन्नति का श्रेय मदनसिंह को है, जिन्होंने गाँव-गाँव घूमकर मीणा जाति को संगठित कर उन्नति के मार्ग पर ले गए। इन्हीं उपलब्धियों के कारण आप मीणा समाज गाँधी व सरदार पटेल माने जाते हैं। उनके विषय में यह नारा प्रचलित है-

त्याग, तपस्या और बलिदान,
यही है मदनसिंह की पहिचान।

वर्तमान में भी आप समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। आपके दो पुत्र, विजयपाल सिंह तथा यशपाल सिंह सबलगढ़ में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छात्र जीवन में भी दोनों अपने पिता मदन सिंह का अनुसरण कर समाज सेवा में लीन हैं। धन्य है, मदनसिंह का परिवार।

श्री महादेव बैंदाड़ा (जयपुर)

निवासी हीदा की मोरी जयपुर का जन्म 16-10-15 ई. को हुआ। आप मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर पटवारी बन गए। राजस्व विभाग में गिरदावर के पद से सेनानिवृत्त हुए। समाज सुधार में आपका निरंतर



योगदान रहा। जयपुर सुधार समिति के सम्मेलनों में आप भाग लेते रहे। जिस गाँव में आपका दौरा होता था, वहाँ समाज के व्यक्तियों से निरंतर संपर्क में रहते और उनकी कठिनाइयों को हल करने में पूरी सहायता करते। इसके साथ ही समाज सुधार के कार्यों में आप सदा आगे रहे। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतृत्व में समाज सुधार में आपका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 21.1.65 ई. को समाज स्नेह की अटूट छाप छोड़कर स्वर्ग सिधार गए।

श्री जमनालाल गोमलाडू नहान सिंगाना का समाज में पूरा सहयोग रहा। आप अच्छे कवि एवं वक्ता भी थे। आपने गीतों के माध्यम से अपने जाति सुधार में बहुत ही प्रेरणा मिली।

महादेव चाँदा (जिला जयपुर त. चाकसू)

आप खोहगंग के प्रतापी राजा आलन सिंह जी चाँदा के वंशज हैं। आपका जन्म चन्दलाई में हुआ। आप बहुत ही शान्त साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धार्मिक दृष्टि से आप महान तपस्वी मीणा सन्त थे। महादेव चाँदा मीणा ने अपना समस्त जीवन समाज सुधार एवं लोगों के चरित्र निर्माण में लगा दिया।



आपके प्रभाव से अनेक लोग मीना समाज सुधार में लग गये, जिनमें सांवताराम चाँदा चन्दलाई, केसराराम जेफ पटेल परखेड़ा, जगन्नाथ बागड़ी जवाना आदि के नाम उल्लेखनीय है। आपके नेतृत्व में उपर्युक्त महानुभावों ने मीणा जाति के सुधार एवं नागरिक अधिकारों के आन्दोलन में तन-मन-धन से भाग लिया।

जयपुर मीणा सुधार समिति के महामंत्री स्वतंत्रता संग्राम सैनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ आपने जरायमपेशा कानून को हटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिग्गी के विशाल मीणा सम्मेलन में आपने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। मीणा समाज के कुछ समाज कंटकों को ठीक रास्ते में लाने में आपका कार्य बहुत ही सराहनीय था। रामपुरा (मैड) में महिलाओं को भगा ले जाने वाले गिरोह को कठोर दण्ड दिलवाया।

5 जून 1947 को जरायमपेशा कानून के पुतले जलाने वाले जयपुर के विशाल मीणा सम्मेलन में

हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस में सम्मिलित हुए। मीणा आन्दोलन को शक्तिशाली तथा सफल बनाने में आपने रात-दिन एक कर दिया। अन्त में आपकी अभिलाषा पूरी हुई। जयपुर रियासत ने जरायमपेशा कानून को निरस्त कर दिया। 10 अगस्त, 1946 के गजट में इसकी विधिवत घोषणा कर दी गई। जिसका विस्तृत वर्णन हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

महादेव चाँदा और उनके नेतृत्व में अनेक मीणा लोगों ने मीणा समाज की अपूर्व सेवा की। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, परन्तु उनके समाज सुधार के कार्यों से वे अभी तक जीवित हैं। मीणा समाज सदा-सदा के लिए उनको श्रद्धापूर्वक याद करता रहेगा।

समाजसेवक मालाराम पबड़ी (ग्राम छाजणा, जिला सीकर)

आपका जन्म 1907 में ग्राम छाजणा (खण्डेला) जिला सीकर में हुआ। सीकर जिले के आप प्रतिभाशाली और सम्मानीय व्यक्ति थे। राजस्थान मीणा सुधार समिति जयपुर द्वारा संचालित जरायमपेशा कानून हटाने के आन्दोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस समय जयपुर, अलवर, टोंक तथा भरतपुर आदि क्षेत्र में निर्दोष मीणा समाज पर अनेक अत्याचार हो रहे थे। अत: आपने इन अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए गाँव-गाँव घूमकर जनमत तैयार किया। मीणा जाति में व्याप्त अंध विश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का भी आपने भरपूर प्रयास किया। आपके ससुर श्री जीवणराम जी भी समाज सेवा में निरन्तर लगे रहे। मीणा समाज में पंच के रूप में आपकी सेवा सराहनीय रही। हमीरपुर पंचायत के आप वर्षों तक सरपंच रहे।



श्री मालाराम बड़े स्वाभिमानी एवं निर्भीक व्यक्ति थे। मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों का आपने डटकर विरोध किया। अन्त में समाज सेवा करते-करते 30 जून 1979 को अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। आपके स्वर्गवास पर एक जाति बन्धु ने अपनी संवेदना इस प्रकार प्रकट की।

जात को गंगा कहने वाले, सबका मन हर्षाने वाले,
दुखियों का दुख सहने वाला, देखा न कोई दूजा है राम,
तुझको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम।

आपके पुत्र श्री रामचन्द्र, धूड़ाराम, प्रतापराम और नारूराम भी समाज सेवा में निरन्तर लगे रहते हैं। श्री रामचन्द्र मीणा समाज के भामाशाह हैं। आपने मीणा छात्रावास नीम के थाने के लिए 20 मार्च 1999 में तीन लाख रुपये सहायतार्थ दिये। श्री मालाराम के पौत्र देवी सहाय चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर पद पर हैं और हड्डियों के रोग के विशेषज्ञ हैं। मीणा समाज की सेवा के लिए मालाराम का परिवार सदा स्मरणीय रहेगा।

मुंशी नारायणसिंह नौरावत (ग्राम- डग, जिला झालावाड़)

मीणा समाज को उन्नति की राह पर लाने में श्री नारायणसिंह जी नौरावत डग निवासी का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। आप राजस्व विभाग में नाजिम के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मीणा सुधारसमिति के विभिन्न

सम्मेलनों में आप बराबर उपस्थित होते रहे। एक दो सम्मेलन के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका सबसे बड़ा व सराहनीय कार्य मुनि मगनसागरजी द्वारा रचित 'मीन पुराण भूमिका' का प्रकाशन है। इस संदर्भ में मारण कुलभूषण युवक श्री गुलाबचन्द पाट विद्यार्थी हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ही 'मीन-पुराण भूमिका' की प्रेस कॉपी तैयार की थी। युवक गुलाबचंद हरदा निवासी श्री मूलचन्द पाट के सुपुत्र हैं। पाट परिवार बहुत सुसंस्कृत एवं जनसेवी परिवार है।

श्री नारायण सिंह नौरावत के सुपुत्र श्री रामसिंह नौरावत का भी जाति सेवा में बहुमूल्य योगदान रहा। जयपुर मीणा सुधार समिति एवं राजस्थान मीणा समिति के आप बहुत ही अच्छे कार्यकर्त्ता रहे। 1969 के अखिल भारतीय कोटा सम्मेलन में आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नौरावत परिवार मीणा जाति पर पुलिस अत्याचारों का भी निरंतर विरोध करता रहा। महावीरजी के मेले में मीणा जाति के पाँच व्यक्तियों को गोली मार कर पुलिस ने हत्या कर दी। अनेक घायल हो गये थे। उन सभी को न्याय दिलाने का आपने भरसक प्रयास किया, जिसका विस्तृत वर्णन गत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

श्री नारायण सिंह जी नौरावत की इस जाति की उन्नति के प्रति कितनी विराट उत्कण्ठा है वह उनके द्वारा रचित कविता से स्पष्ट हो जाता है।

प्रभो फिर से हमको मारण बना दो ।
गई रूप रेखा, सत्वर दिखा दो ॥
बहे खून में जोश मर्दो सा हम में ।
सत्ता की शक्ति हममें जगा दो ॥
चाँदा से चमके हमारे बिरादर ।
हटमल से चीता, व शेरे बबर ॥
धुनों रोल सम, बैरियों का धुनावत ।
कारण सभ हो गोष्ठी, वरण मल्ल से रावत ॥
मुरकालिया मरोड़े, सभी बौरियों को ।
मारण है कैसे, बतादे जगत को ॥
है हड़प्पा सी हिम्मत, इन्हीं मारणों में ।
शुजाअत दिलेरी, इन्हीं मारणों में ॥
दुवड़ मीन भगवान् बिगड़ी बना दो ।
गई रूप रेखा, फिर से बता दो ॥

मीना बान्धवों, कर्मवीर बनो, हताशा छोड़कर आशा वादी बनो, परमात्मा अवश्य तुम्हारी बिगड़ी को बनावेगा। मेरी तो उस जगतपिता से यही प्रार्थना है।

नौरावत परिवार ने जाति के उत्थान में हर संभव सहयोग दिया और अनेक सुधार कार्यों में इस परिवार का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

श्री मूलचन्द रावत मीणा (ग्राम- श्योपुर कलां, मध्य प्रदेश)

आप मरमर गौत्र के रावत हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि रावत भी मूल रूप से मीणा समाज के ही हैं। रावत तो एक पदवी है, जो अंग्रेजों ने इनके विरोध को शान्त करने के लिए देना प्रारम्भ किया था। मूल रूप से आप नागदा मध्य प्रदेश के निवासी है। परन्तु आजकल श्योपुर कलां जिला मुरैना में कई दशक से रह रहे हैं।



वहाँ आपका खाद्य तेल उद्योग चल रहा है। अपने व्यवसाय से समय निकालकर समाज की एकता एवं उसमें सुधार के लिए काफी उत्साह से कार्य करते हैं। अच्छी आजीविका एवं सरकारी सेवा में जाने से मीणा समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है परन्तु अपने प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए शादी-विवाह में अधिक खर्च करने लगे हैं। श्री मूलचन्द मीणा ने इन खर्चों को कम करने के लिए सामूहिक विवाह का श्योपुर में आयोजन किया, जिसमें 140 जोड़े बहुत कम खर्च में परिणय सूत्र में बंध गये। इससे मध्य वर्ग के लोगों को आशातीत लाभ हुआ। इस सम्मेलन में अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें जयपुर से स्वतंत्रता सैनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं कोटा से श्री भैरूंलाल काला बादल का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

आपने शिक्षा प्रसार में भी विशेष रुचि ली और समाज के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण कराने में भी आपकी अहम भूमिका रही। गांव-गांव घूमकर चन्दा एकत्रित किया। मध्य प्रदेश के रावत समाज को एकता के सूत्र में बांधने का आपने सराहनीय कार्य किया। जयपुर एवं कोटा क्षेत्र की मीणा समाज की सभाओं में भी आप उपस्थित होते रहे। इस तरह से आप मीणा समाज के लोकप्रिय नेता हैं और समाज की उन्नति के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं।

बद्री प्रसाद दुखिया (शाहजहांपुर, राज.)

अलवर जिले के मीणों के प्रसिद्ध ग्राम शाहजहांपुर में सन् 1911 में आपका जन्म हुआ। आपके पिता कालूराम मीना पुलिस में कांस्टेबिल थे। अपने पिता के तीन पुत्रों में आप दूसरे नम्बर के थे। आपके पिता ने तीनों पुत्रों को पढ़ाया। आपने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी। शाहजहांपुर में आर्य समाज की शाखा थी उसमें आप बचपन से जाने लगे। आर्य समाजी नेताओं के सम्पर्क में आने से देश प्रेम की भावना जाग्रत हो गई।



1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन चला उस समय आप सतलज काटन मील्स ऊँकाडा जिला मोन्ट गुमरी में कार्य करते थे। 1942 में मील में हड़ताल करवायी तथा गिरफ्तार हुए तथा दो महीने की जेल की सजा हुई। मोन्ट गुमरी की जेल में 2 महीने की सजा काटी। कालान्तर में आप मीणा सुधार सभा के सम्पर्क में आए तथा जुरायम पेशा कानून के खिलाफ आन्दोलन में सक्रिय भाग लेना शुरु किया। आप उर्दू में भजन तथा कविता बनाकर गांव-गांव जाकर मीणों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का आह्वान करते थे। आपका कार्य क्षेत्र

प्रारम्भ में शेखावाटी जयपुर रहा फ़िर आपने सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर आंचल को केन्द्र बनाकर सामाजिक सुधार के कार्य किए। सर्वोदय कार्यकर्त्ता के रूप में गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में कार्य किया। भूदान-ग्रामदान आन्दोलन में बिहार जाकर पद यात्राएँ की।

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के समय में पंजाब मं पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई थी। शाहजहांपुर भी पंजाब में आता था। उस समय आर्य समाज ने हिन्दी भाषा आन्दोलन चलाया। आप उस आन्दोलन में गिरफ्तार हुए तथा 6 महीने की जेल की सजा हुई। 3 महीने अम्बाला जेल में सजा काटी तथा 3 महीने करनाल जेल में सजा काटी। शराबबन्दी आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा शार्दुल सिंह की नाल पर शराब ठेके को बन्द करवाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए।

सन् 1970 में लालसोट तहसील के मिरजापुर गांव में एक मीणा महिला की हत्या हो गई थी। डॉक्टर तथा थानेदार ने रिश्वत लेकर केस को दबा दिया तो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 15 मार्च 1970 में मुख्यमंत्री के निवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गये इससे पुलिस को हत्यारों को गिरफ्तार करना पड़ा। सवाई माधोपुर के मेलों में नाचने गाने का रिवाज था इसके खिलाफ तथा नुक्ता प्रथा में फिजूल खर्ची के खिलाफ मीणा समाज में जागृति लाने के लिए गांव-गांव जाकर क्षेत्र में समाज सुधार का कार्य किया। आप अपने जीवन की अन्तिम सांस तक सामाजिक कार्यों में लगे रहे। गंगापुर की मीणा धर्मशाला के लिए चन्दा उगाने के लिए उस क्षेत्र के ग्रामों का दौरा किया। आप अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते रहे। राजनीति से हमेशा दूर रहे। राज माता गायत्री देवी ने बस्सी क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था तथा चुनाव का खर्चा भी वे उठाने को तैयार थी। बद्रीप्रसाद दुखिया निस्वार्थ समाज सेवा को ज्यादा महत्त्व देते थे उन्होंने राजमाता का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आप त्याग व तपस्या की साक्षात मूर्ति थे जीवन भर निस्वार्थ समाज सेवा करते रहे।

श्री बंशीधर मीणा (जयपुर)

आप माणुतवाल गौत्र के हैं। प्रारम्भ में आप सोढाला निवास करते थे। छात्र जीवन से ही आप समाज सेवा में लग गये थे। मीणा सुधार समिति के महामंत्री स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल के सम्पर्क में आप 1945 में आये। तभी से उनके मार्गदर्शन में मीणा सम्मेलनों में उत्साह से भाग लेते रहे। जरायमपेशा कानून के विरोध में आयोजित आन्दोलन में भी आपकी भूमिका कम नहीं रही।



जाति में अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न स्थानों पर जन जागरण के लिए जाते रहे। जयपुर तथा चौमूं के क्षेत्र के मीणा समाज से आपने निकट का सम्पर्क साधा और उनको जाति के उत्थान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

सामन्ती तथा जागीरदारों के अत्याचारों की रिपोर्ट आप श्री झरवाल को बराबर देते रहे। श्री झरवाल ने उच्चाधिकारियों से मिलकर अनेक समस्याओं का निदान करवाया। जाति एकता के लिए आप मुनि मगन सागर जी के निवास स्थान उखलाना गए और वहाँ से आप उनका चित्र व मीन पुराण भूमिका लाये। इस तरह से श्री बंशीधर मीणा युवावस्था में ही समाज में लगे रहे। अभी आप मोरीजा रोड पर निवास करते हैं।

समाज सेवक, बन्नाराम जी जुणदियाँ 1899-1975

ग्राम-दूदू, जिला-जयपुर(राज.)

श्री बन्नाराम जी जुणदिया का जन्म 1899 में ग्राम दूदू जिला जयपुर श्री देवाराम जी के घर ऐसे समय में हुआ जब मीणा समाज पर विपत्ति के पहाड़ टूट रहे थे । चारों ओर जराराम पेशा कानून का आंतक छाया हुआ था निरपराध लोगों को भी कानून के शिकंजे में कसा जा रहा था। मीणा सुधार समिति तथा प्रजामण्डल ने इस काले कानून के विरूद्ध सशक्त आन्दोलन चला रखा था । जिसके परिणामस्वरूप जयपुर राज्य ने 10 अगस्त 1946 ई. को इस काले कानून को निरस्त कर दिया था । इतने पर भी पुलिस के दरिन्दें निर्दोष मीणा महापुरूषों पर अनेक अत्याचार करने में लगे हुये थे । स्वर्गीय बन्नाराम जी ने पुलिस के इन अत्याचारों के विरूद्ध अपनी आवाज बुलन्द की ।

पुलिस ने सत्य व न्याय की मांग करने वाले दूदू निवासी श्री बन्नालाल, बिचून के बालूराम और खुदाला त. दूदू जिला जयपुर के मीणों को बिना किसी अपराध के बन्दी बना लिया । उस समय जागीदारों के अत्याचार चर्म सीमा पर थे । उपज के आधे बाटे के साथ अनेक बैठ बेगार से समाज ग्रस्त था । इन सभी का विरोध करने के लिये समाज ने कमर कस ली और चारों और से पुलिस अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाने लगी । इस विरोध कार्यक्रम में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ तथा टोंक जिला के हजारों कार्यकत्ताओं ने भाग लिया ।

एक विशाल सम्मेलन का आयोजन 10 मई 1947 को हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री बंशीधर जी शर्मा ने की ओर उद्‌घाटन श्री लक्ष्मीनारायण जी झरवाल, मंत्री मीणा सुधार समिति के कर कमलों से हुआ । सम्मेलन को सफल बनाने में दूदू के ठाकुर भवानी प्रतापसिंह जी का भी पूर्ण सहयोग रहा । उन्होंने संभागियों का उचित आदर सत्कार किया और किले में ही भोजन की व्यवस्था की । सम्मेलन में अनेक वक्ताओं के ओजस्वी भाषण हुए । बद्रीनारायण जी खोरा ने पुलिस अत्याचारों की घोर निन्दा की ठाकुर भानु प्रतापसिंह ने अपने क्षेत्र में आधा लाटा के स्थान पर तीसरा भाग लेने भी घोषणा कि जो बाद में चौथा कर दिया गया । सम्मेलन की सफलता में बन्नालाल जी का सहयोग भरपूर रहा । आपके पुत्र रामनारायण जी मीणा भी समाज सुधार में सक्रिय है और जाति से में लगे हुए हैं । वे धन्यवाद के पात्र हैं।

समाज सेवा तथा उच्च चरिमा के धनी श्री सॉवतराम मीणा

ग्राम-भानपुर मॉचड़ी, जिला-जयपुर

ईश्वर व प्रकृति की ऐसी देन है, जब समाज में अनाचार अन्याय फैल जाता है तो कोई न कोई ऐसी शक्ति उठ खड़ी होती है, जो प्राण-पण से इस प्रकार के अन्याय को मिटाने में जुट जाती। ऐसे न्यायप्रिय व्यक्तियों में सॉवतराम जी का स्मरण हुए बिना नहीं रहता । आपका जन्म 25 जनवरी, 1915 ग्राम भानपुर मॉचेड़ी जिला जयपुर में हुआ । आपके पिता धोकलराम एक साधारण परिवार में से थे । विपरीत परिस्थितियों में भी वे गाँव में ही शिक्षा प्राप्त करने लगे । ईश्वर ने आपको शारीरिक रूप से बहुत ही बलिष्ट बनाया था, जिसका उपयोग उन्होंने समाज सेवा में किया ।



बाल्यावस्था में ही इनका ध्यान समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर गया । मध निषेध, असत्य, धोखाघड़ी को वे समाज के लिये अभिशाप मानते थे । सत्य व न्याय के पक्षपाती होने के कारण वे समाज पर होने वाले अन्याय को वे फूटी आँख से भी नहीं देख सकते थे । जब पुलिस ने पचास-साठ प्रतिष्ठित मीणा बन्धुओं पर चोरी का झूँठा आरोप लगाकर घेराबन्दी की तो आपने इस कुकृत्य का पुरजोर शब्दों में विरोध किया । फलस्वरूप आपको 15 दिन तक पुलिस हिरासत में रहना पड़ा। परन्तु अन्याय के सामने वे कभी झुके नहीं ।

उनकी यह धारणा थी कि जब तक समाज में जागृत्ति में नहीं, तब तक ऐसे अन्याय होते रहेंगे । अत: उन्होंने जन-जागरण के लिए मीणा समाज की प्रसिद्ध सेड (शितला) माता के मंदिर मानपुरा में समाज के गणमान्य नेताओं की बैठक बुलाई । इसमें सामाजिक बुराइयों को मिटाने का संकल्प लिया गया । वे असत्य का विरोध करने में अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ते थे। इसी प्रश्न पर 1937 से आज तक अपने सुसराल में आना-जाना बन्द कर दिया यह उनकी न्यायप्रियता का ज्वलात उदाहरण है ।

सामाजिक कार्यों के साथ वे पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति थे और संत बन्नादास जी के भक्त बन गए । उनकी प्रेरणा से आजीवन शाकाहारी रहे । मानव प्रेम में उनको स्वार्थ की गंध आती थी। अत: पशुओं ही सेवा पर विशेष ध्यान देते थे । स्वयं कठोर अनुशासन में रहते थे और संतानों में भी अनुशासन देखते थे । यही कारण है कि उनकी संतानें अच्छी उन्नति कर सकी। उनके जेष्ठ पुत्र श्री शंभुदयाल सहकारी विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार दूसरे पुत्र श्री कालूराम उप प्रबंधक राज्य वित्त निगम एवं तीसरे पुत्र नरसी लाल सहायक उप प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र जयपुर में कार्यरत हैं । अपनी संतान की शिक्षा का उन्होंने समुचित प्रबंध किया और जयपुर तथा दिल्ली में शिक्षा दिलवाई ।

श्री सॉवतराम जी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी संतान की शिक्षा के लिये उनके अभिभावकों हर तरह का प्रयास करना चाहिए । समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त श्री सॉवतराम जी के पारिवारिक संबंध अच्छे कुल में हुये । उनके एक दामाद श्री प्रहलाद राम मीणा, दिल्ली पुलिस में उप महानिरीक्षक है तथा उनकी संबंधी महानिरीक्षक पद पर हैं । इन सभी पर श्री सॉवतराम जी के चरित्र की अमिट छाप है और निष्पक्ष होकर न्यायोचित कार्य कर रहे हैं ।

केवल रचनात्मक एवं शिक्षा के कार्य में ही आपकी भूमिका नहीं रही, वरन् मीना समाज के अधिकारों के लिये भी आप निंरतर संघर्षरत रहे और 1940 से ही क्रिमिनल ट्राइब्स के विरोध में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल व श्री प्रभु लाल बारवाल के साथ मीना समाज को संगठित करते रहे। असामाजिक बुराईयों से मीना समाज को बचाने का आप लोगों ने भरपुर प्रयास किया ।

श्री सुरजाराम मीणा ग्राम-ठिकरिया कलाँ, त.-नावाँ, जिला-नागौर(राज.)

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के अंतर्गत नागोर जिले की एक मात्र तहसील नावाँ में मीणा समाज की जनसंख्या 7000 है। यह क्षेत्र गौडाटी के नाम से विख्यात है। नावाँ तहसील क्षेत्र के 24 गावों के मीणा समाज को समय-समय पर उनके कष्टों को सहन करना पड़ा। अपनी आन-बान पर मर मिटने वाले इन परिवारों को प्राचीन काल से ही जोधपुर सरकार ने निर्वासित कर दिया। मीणा समाज की बसावट का यह अंतिम प्राचीन क्षेत्र है।

नावाँ तहसील के ही एक छोटे से ग्राम ठिकरिया कलाँ में श्री सुरजाराम मीणा एक विख्यात समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन जाति सेवा में व्यतीत कर दिया। आपने जयपुर क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री लक्ष्मीनारायरण झरवाल श्री अड़ीसाल सिंह, श्री झूथाराम तथा श्री भगवताराम के सहयोग से 1946 में लुणवा ग्राम में इस क्षेत्र का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मलेन से लोगों में अद्भूत जागृति का संचार हुआ। समाज सुधार के इस शंखनाद में इसी क्षेत्र के श्री तन्नाराम मीणा नोसल, श्री तन्नाराम मीणा श्यामगढ़ का पूरा सहयोग रहा।

आज ये समाज सुधारक हमारे बीच नहीं है, परंतु इनकी समाज सेवा की भावना सदा स्मरणीय रहेगी। स्वर्गीय श्री सुरजाराम ने अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। इनके जेष्ठ-पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर समाज सुधार, शिक्षा प्रसार तथा जन जागरण में तन-मन-धन से लगे हुए हैं। आपने केन्द्रीय सरकार के आर.एम.एस. विभाग में बहुत ही निष्ठा से कार्य किया। सेवा निवृत्ती के बाद 1995 में राजस्थान आदिवासी मीणा समाज की सदस्यता ग्रहण की और 1996 तक जयपुर महानगर मीणा संघ के महामंत्री के रूप में समाज सेवा कर रहे हैं। उच्च पर से सेवानिवृत्त होने वाले मीणा अधिकारी लगे भी यदि इसी तरह समाज सेवा में लगे जायें तो समाज को उन्नति के शिखर पर पहुँचने में देर नहीं लगेगी।

प्रधानाध्यापक सुखदेव जूनदा (रतनगढ़, जिला चूरू)

आपका जन्म चूरू जिले के अंतर्गत रतनगढ़ कस्बे में हुआ था। पिताजी का नाम गणपतरामजी था। वहाँ भी जरायम पेशा कानून लागू था। परन्तु पिताजी ने साहस करके 10 वर्ष आयु में स्कूल भेज दिया।



स्थानीय विद्यालय से 1942 में आठवीं कक्षा के बोर्ड से प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। आपका विवाह 1943 में सीकर के तारापुर निवासी राम जी मीणा की कन्या से हो गया। 1944 में बीकानेर राज्य की प्राथमिक शाला ग्राम सातड़ा में अध्यापक हो गये। अध्यापन काल में ही परीक्षा देते रहे। 1966 तक बी. ए. बी. एड. की उपाधि प्राप्त कर ली।

व्यक्तिगत उन्नति के स्थान पर आपकी समाज सेवा उल्लेखनीय है। रतन नगर में भी मीणा बन्धु बड़े दु:खी थी। जरायम पेशा कानून के अंतर्गत मीणा समाज पर घोर अत्याचार हो रहे थे। अत: आपने पिता गणपतरामजी को इस समस्या के निराकरण का सुझाव प्राप्त करने के लिए मीणा सुधार समिति जयपुर के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के पास भेजा। इनके सुझाव पर बीकानेर राज्य मीणा सम्मेलन का 14 नवंबर 1948 को आयोजित हुआ। इसमें बद्री प्रसाद दुखिया, अडिसाल सिंह जैसे प्रमुख कार्यकर्त्ता आये और मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों की निन्दा की, जिसका परिणाम यह निकला कि बीकानेर राज्य के डी. आई. जी. जसवंतसिंह ने जयपुर से गए नेताओं से भेंट की और मीणा जाति को हाजरी देने से मुक्त कर दिया। श्री जूनदा जिला मीणा पंचायत के मंत्री नियुक्त किए गए। सेवा निवृत्ति के बाद श्री सुखदेव जूणदा मीणा समाज की सेवा में तन मन धन से लगे हुए है।

संत स्वभाव के कर्त्तव्यनिष्ठ : श्री सुन्दरलाल जेफ (कुण्डा, जयपुर)

मानवीय गुणों से परिपूर्ण श्री सुन्दरलाल जेफ का जन्म जयपुर जिले के आमेर ग्राम के निकट कुण्डाग्राम में 1910 ई. में हुआ। आपके पिता हेमराज जी बहुत ही सात्विक प्रकृति के थे। पशुपालन के



साधारण व्यवसाय ही इनकी जीविका का साधना था। ऐसी स्थिति में बालक सुन्दरलाल की उच्च शिक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। परन्तु इस मेधावी बालक के हृदय में पढ़ने लिखने की बड़ी रुचि थी। गायें चराते समय अपनी स्लेट पेंसिल साथ ले जाते थे और दिनभर लिखने में लगे रहते थे। इस प्रसंग में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर व मुनि मगर सागर जी महाराज का स्मरण किये बिना नहीं रहा जाता जिन्होंने अत्यन्त निर्धनता व अभावों में अध्ययन के प्रति रुचि निरंतर बनाये रखी। परिणाम यह निकला कि वे एक आदर्श पुरुष सिद्ध हुए। श्री सुन्दरलाल को भी विद्या के प्रति उनकी उत्कण्ठा को देखकर उपर्युक्त महापुरुषों की श्रेणी में निर्विवाद रूप से रख सकते हैं।

अपनी योग्यता बढ़ाकर आप 1926 ई. में जयपुर राज्य की पुलिस सेवा में आये। इसी बीच आप मीणा समाज के इतिहासकार जैन संत मुनि मगर सागर जी के संपर्क में आये। उनकी प्रेरणा से आपको यह आत्मबोध हुआ कि दुर्गुण अज्ञान रूपी अंधेरे में फैलते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश में अवगुण लुप्त हुये बिना नहीं

रहते। मनुष्य जैसी संगति में रहेगा वैसा ही उसका निर्माण होगा। रहीम के इस दोहे की अभी भी सार्थकताहै।

कदलि सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन
जैसी संगति बैठेये वैसो ही फल दीन

स्वाति नक्षत्र की बून्द जब सीप के मुँह में गिरती है तो मोती बन जाती है। वहीं बूँद जब केले के वृक्ष में गिरती है, तो कपूर बन जाती है और वही बूँद सर्प के मुँह में गिरती है, तो विष बन जाती है। अत: अच्छी संगति में रहने से श्री सुन्दरलाल जी का चरित्र उज्जवल बन सका। यही कारण है कि आप पुलिस जैसे अलोकप्रिय विभाग में रहने पर भी आपने जिस निष्ठा व सद् चरित्र से कार्य किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। यह विभाग ही ऐसा है कि इसमें सच्चाई कार्य करके सेवा निवृत्त हो जाना प्रभु की कृपा ही मानिए। इस विभाग में निरंतर 42 वर्ष सेवारत रहते आपको अनेक प्रमाण-पत्रों से विभूषित किया गया। पुलिस विभाग में आपने डण्डे के बल से कम ही काम लिया वरन् अपने चरित्र के प्रभाव तथा उपदेश से समाज को कितने ही युवकों को सद्मार्ग पर लाने में समर्थ हुए।

अपनी सद्वृत्ति एवं सुधार के कार्यों से तत्कालीन इन्सपेक्टर जनरल पुलिस (आई. जी. पी.) श्री यंग बहुत प्रभावित हुए और आपको अनेक प्रशंसा पत्र दिए। अपराध प्रवृत्ति के लोगों से अपराध छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है। परन्तु आपने प्रेम व सद् व्यवहार से कितने ही भटके हुए व्यक्तियों को सुधारने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। फलस्वरूप 1965 में आप महामहिम राष्ट्रपति से पुलिस पद्क से सम्मानित हुए। सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज सेवा से निरंतर जुड़े रहे। आपकी सौजन्यता व सच्चाई के कारण आप 1970 से 1988 तक निर्विरोध रूप से नगर पालिका आमेर के सदस्य चुने गए। निर्लिप्त भाव से आप की समाज सेवा से प्रभावित होकर अखिल भारतीय आदिवासी मीणा सम्मेलन 1969 में आपको संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। निस्वार्थ सेवा भाव के कारण आप सभी के सम्मानीय बन गये। आज भी अपने जीवन के नौ दशक में भी समाज सेवा में रुचि रखते हैं। गीता के कर्मवाद की आप साक्षात-मूर्ति हैं।

अपने विचारों को आपने 'सुन्दर विचार संग्रह' नामक पुस्तक के माध्यम से जनहित में प्रकाशित करवायाहै। इस संग्रह में समाज के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही सारगर्भित रूप से प्रकाश डाला है। संक्षेप में आपका जीवन दर्शन इस प्रकार है।

(1) सामाजिक कुरीतियाँ व्यक्ति व समाज को दीमक की भाँति चाट रही हैं। ये राजकीय आदेशों से समाप्त नहीं हो सकती। इन्हें हमें ही समाप्त करना है।

(2) देश को अपना समझ कर इसकी सुरक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहें।

(3) घूँसखोरी से कमाया धन एक अभिशाप है।

(4) मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कड़ी मेहतन हमारी उन्नति का आधार है।

(5) समाजवाद में आस्था रखकर छुआछूत एवं सांप्रदायिकता से सदा दूर रहो।

(6) अच्छे व निर्मल चरित्र वाले पुरुष की राज्य व समाज आदर करें।

(7) पुरुषों की शिक्षा के साथ स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हो।

(8) दूसरों को उपदेश देने के पहले स्वयं अपने चरित्र का निर्माण करो।

संक्षेप में ऐसे संत स्वभाव के महापुरुष से मीणा समाज ही नहीं वरन् मानव समाज भी गौरावान्वित है।

सूजाराम पोकरिया (हसनपुरा, जयपुर)

श्री सूजा राम पोकरिया, निवासी-हसनपुरा, युवा अवस्था से ही सरकार के काले कानून के विरूद्ध घृणा थी जब कभी भी मीणा नेताओं के सम्मेलन होते तो आप सक्रिय रूप से भाग लेते रहें हैं।

सन् 1940 में मीणा सुधार समिति - जयपुर के नेता लक्ष्मी नारायण झरवाल के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्यरत थे। मीणा जाति पर जयपुर सरकार ने दिनांक : 7 सितम्बर, 1930 के काले कानून के द्वारा



मीणा जाति में जन्म लेने मात्र से ही जरायम पेशा कानून में फंसा रखा था। जयपुर शहर को 27 चौकियों पर भी जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोतवाली बुलाकर काले हाथ -पैर की करके उनके फिगर प्रिंट थानों पर लिये जाते थे, बिना इजाज्जत के साईकिल रखने

पर पुलिस ने प्रतिबन्ध लगा दिया जिसका विरोध आपने मीणा नेताओं के साथ पूरी ताकत के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर किया। नारायाण जी छोलक, झुँथा जी राई (झरवाल) का भी साथ सराहनीय रहा। तथा मीणा जाति को जरायम पेशा कानून से मुक्ति दिलाने में मीणा जाति आपको योगदान को कभी नहीं भूल पायेगी आज भी आप शतायु अवस्था के आस-पास होने के पश्चात् भी पूरे जोश से मीणा जाति के उत्थान के योगदान के लिय तैयार रहते हैं।

स्वतंत्रता सेनानी, श्री सूरजाराम पबड़ी (ग्राम- सानकोटड़ा, जिला जयपुर)

श्री सूरजाराम अपने युवा काल से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। जरायमपेशा कानून के अंतर्गत मीणा जाति पर उस समय घोर अत्याचार हो रहे थे। अत: आपने कितनी ही यातनायें सहकर इस काले कानून का निडर होकर विरोध किया। आपके पिता का नाम ग्यारसा राम मीणा था और आप सानकोटड़ा



ग्राम तहसील जमारामगढ़ के निवासी थे। यह वही गाँव व जहाँ सदियों तक मीणा जाति का राज्य रहा।

उस समय देश में क्रांति की एक लहर फैल रही थी। एक ओर म. गाँधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरूद्ध अहिंसात्मक ढंग से स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो दूसरी ओर क्रांतिकारी देश भक्त देश की आजादी के लिए हँसते-हँसते फाँसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे। एक तरह से निरंकुश शासन के विरूद्ध एक जन आन्दोलन चल पड़ा था। सूरजाराम जिस गाँव के निवासी थे, जागीरदार, सामन्त भोमिया अपने भोग विलास के लिए निर्धन किसान वर्ग पर अनेक प्रकार के कर थोप रखे थे। लाग-बाग-बाटा बाण से जागीर की जनता इतनी त्रस्त थी कि रात-दिन मेहनत करने पर भी उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। एक तरह से जागीर की जनता तिहरी गुलाम थी, जागीरदार का शासन, उसके ऊपर रियासतों का अंकुश सबसे ऊपर विदेशी शासन का आतंक।

परन्तु ऐसे विरले ही पुरुष हुए हैं जिन्होंने घोर शारीरिक यातनाएं सहकर भी निरंकुश अत्याचारी शासन का विरोध किया। इतिहास को पलट कर देख जाये तो मीणा समाज ने आततायी शासन का सदियों

से विरोध किया है। यह संस्कार इस स्वाभिमानी जाति में नष्ट नहीं हुए और ग्रामीण अंचल में भी ऐसे कितने ही शूरवीर उठ खड़े हुए जिन्होंने अन्याय के विरोध में अपना जीवन ही दाव पर लगा दिया। श्री सूरजाराम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ताल-ठोकर सामन्ती शासन का विरोध किया और अनुचित लाग-बैठ बेगार देना स्पष्ट मना कर दिया, परिणाम यह निकला कि जागीरदार ने इन्हें गाँव से निष्कासित कर दिया गया। 1939 से 1942 तक भूमिगत रहकर जयपुर रियासत के खालसा गाँव में रहकर सान कोटड़ा के सामंत के अन्याय का विरोध करते रहे। यहीं रहकर आप श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के संपर्क में आये और प्रजामण्डल के उत्तरदायी शासन के लिए चल रहे आन्दोलन में भाग लेने लगे। इस आन्दोलन में आप बराबर 1939-1950 तक लगे रहे। स्वतंत्रता सेनानी राजेन्द्र कुमार अजेय, श्री लादू राम जोशी तथा वैद्य विजय शंकर के निर्देशन में आप प्रजामण्डल के आन्दोलन में भाग लेते रहे। भारत स्वतंत्रत होने तथा राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित होने पर आपकी स्वतंत्रता की भावना और उसके लिए आन्दोलन में भाग लेने के कारण स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेन्शन से लाभान्वित किया गया। आज वे इस संसार में नहीं है परन्तु अन्याय के विरूद्ध उनकी आवाज भावी पीढ़ी के कानों में गूँजती रहेगी।

श्री सुरजा राम लाम्यां (ग्राम- लाम्यां, जिला सीकर)

1918 में सीकर जिले के माण्डोता गांव में पैदा हुए। वहीं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था प्राप्त होने पर सन् 1945 में जयपुर मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के संपर्क में आये। उनके साथ ही समाज सुधार के कार्य एवं जरायम पेशा कानून को हटाने वाले जन आन्दोलन से जुड़ गए।



स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यद्यपि उनके भाई मान्डोता में ही रहे। परन्तु वे सीकर जिले के लाम्यां गाँव आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने समाज सुधार का कार्य और तेज कर दिया।

उन्होंने सीकर एवं झुंझुनुं मीणासेवा संघ की इकाई का पुनर्गठन किया, जिसमें श्री रामस्वरूप हिन्दका एक सर्वोदय विचारधारा वाले को मीणा जाति का न होने पर भी अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वे सदा मीणा जन आन्दोलन से जुड़े रहे। श्री भगवताराम, सीकर तथा वे खुद उपाध्यक्ष बने। रींगस में ही कार्यरत श्री प्रभुदयाल हाटवाल को मंत्री बनाया गया। मदनी के कालू जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पीपालिया के मूंगाजी को सदस्य बनाया गया। इस समाज सुधारक टोली ने रींगस से ही पैदल यात्रा प्रारंभ की और सीकर तथा झुंझुनुं जिले के गाँव-गाँव में घूमकर समाज सुधार की अलख जगाई। चोरी करने वालों को सजा देना, चौकीदारी छुड़वाना, शराब बनाने तथा बेचने पर प्रतिबंध के समाज की अनेक कुरीतियां त्यागने की प्रतिज्ञा पत्र भरवाये। इसके साथ ही मीणा समाज के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

उनकी सेवा भावना को देखकरगाँव वाले निर्विरोध रूप से उनको ही सरपंच चुनते थे। ग्राम सहकारी समिति के वर्षों तक अध्यक्ष रहे। वे जीवन पर्यन्त समाज सेवा और आजादी में लगे रहे उन्होंने मीणा समाज की निस्वार्थ सेवा की। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री अडिसाल सिंह कोटपूतली, भैरवलाल काला बादल और भगवताराम उनके निकट सहयोगी रहे। अपनी सादगी व सभी से स्नेह रखने के कारण आप मीणा समाज में ही नहीं अन्य समाज में भी लोकप्रिय थे।

श्री सुल्तानाराम सीहरा (कोटपूतली, जिला जयपुर)

जब-जब देश व समाज पर अत्याचार बढ़ जाते हैं तब तब भगवान जुल्मों को खत्म करने के लिए महापुरुष अवतरित करता है। मीणा समाज के लाखों निर्दोष देशभक्तों में से श्रीमान सुल्ताना राम शीरा का जन्म 1892 में जयपुर रियासत के कोटपूतली ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर आप सन्



1914 में फौज में भर्ती हुए। कुछ समय बाद जयपुर रियासत के पुलिस आई.जी. मिस्टर यंग से मिलकर पुलिस में हवलदार पद पर भर्ती हो गए। . मीणा जाति व निर्दोष देशभक्त पर राजा, महाराजा और अंग्रेज सरकार द्वारा दिनांक 6 सितंबर 1930 में अनेक अत्याचारों की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत जरायमपेश कानून लगा कर सताया जाने लगा।

श्री सुल्ताना राम शीरा से यह बर्दास्त नहीं हुआ तथा मि. यंग साहब से मिलकर उन्हें जरायमपेशा कानून को मीणा जाति पर से समाप्त करने की मांग पेश कर ज्ञापन दिया, मि. यंग ने कहा कि सरकार इस बारे में विचार करके उचित कदम उठाएगी। श्री शीरा ने मीणों को संगठित कर मीणा सम्मेलन शाहजहांपुर व रामगढ़ में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर महाराज (उपलाना) जिला टोंक व श्रीनारायण सिंह नोरावत, डग जिला (झालावाड़) द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में राजपुताना उत्तर प्रदेश, पंजाब के हजारों मीणा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा आप ने जरायमपेश कानून व दादरसी कानून को मीणा जाति पर से रद्द करने की मांग की और प्रस्ताव पारित करवाया।

आप सरकारी नौकरी करते हुए जयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अनेक सभा व सम्मेलन कर जन जागरण के लिए गांव-गांव व शहर का दौरा किया। 1938 में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल जयपुर से मिलकर मीणा सुधार समिति की स्थापना की व 1944 में नीमकाथाना में विशाल सम्मेलन जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता तथा सत्यदेव विद्यालंकार संपादक नवभारत टाइम्स दिल्ली ने उद्घाटन किया तथा जरायमपेशा व दादरसी कानून को मीणा जाति प़र से रद्द करने का प्रस्ताव पारित करवाया। देश आजाद होने पर सेवा निवृति लेकर तन-मन-धन का सहयोग देकर सामाजिक बुराइयों व सामाजिक उत्थान के लिए व आरक्षण दिलाने में आपका योगदान रहा। आपका निधन 10 जून 1962 को हो गया।



श्री हजारी लाल भारती (दुर्गापुरा, जयपुर)

आप दुलोत गौत्र के हैं। आपका जन्म मौजमाबाद में हुआ। शिक्षा प्राप्त करके अपनी योग्यता के आधार पर रेलवे सेवा में आये। आप रिजर्वेशन विभाग में कार्यरत हैं। अपने छात्र जीवन से ही आप जाति सेवा में रुचि लेने लगे। नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जब-जब आन्दोलनों का आयोजन हुआ, आप उनमें उत्साह से भाग लेते रहे। एक शिक्षित व्यक्ति होने के कारण आपने सामाजिक बुराइयों से छुटकारा दिलाने में आपका योगदान बहुत उपयोगी रहा।

आपका विवाह बागड़ी गौत्र की कन्या भँवरी देवी से हुआ, जो स्वयं एम.ए. है। अपनी योग्यता के कारण ही सहकारिता विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इस तरह से इस शिक्षित दम्पत्ति से समाज के जन जागरण में बड़ी सहायता मिली। सेवारत रहते हुए आप समाज सुधार के कार्यों में निरन्तर रूचि लेते रहते हैं। ऐसे परिवार से समाज की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग जाते हैं। अभी आपका निवास स्थान दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के पास है।

समाज सेवक, श्री हरिकिशन मीणा (ग्राम- राजगढ़, जिला अलवर)

राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री भूराराम पटेल, विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा क्षेत्र में उतर गए। सन् 1940 में अलवर रियासत में मीणा सुधार समिति के महामंत्री पद पर काम



किया। इसके बाद राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ की कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत किए गए और जयपुर में छात्रावास निर्माण में चन्दा एकत्रित करने में इनका अच्छा योगदान रहा। इसी तरह अलवर में भी आपने निर्माण समिति के सदस्य रहकर छात्रावास निर्माण में धन एकत्रित किया। राजस्थान व भारत के अन्य प्रान्तों में भी समाज की विचार गोष्ठी व सम्मेलन में निरंतर भाग लेते रहे।

समाज सेवा से प्रभावित होकर आपको भीलवाड़ा सम्मेलन में प्रशस्ति पत्र दिया गया। नारायणी माता के स्थान पर मीणा सम्मेलन में आपका अभिनन्दन किया और साफा बँधवा गया। अभी राजस्थान आदिवासी मीणा संघ के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व आप अलवर रियासत के मीणा समाज में प्रथम स्नातक होने के कारण आपको सरलता से ही राज्य सेवा में काम करने का अवसर मिला। मत्स्य संघ बनने पर 1947 से 1955 तक आपने तहसीलदार के पद पर पूर्ण निष्ठा व इमानदारी से कार्य किया। उन्हीं दिनों कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था, अत: राज्य सेवा से त्यागपत्र देकर कांग्रेस में शामिल हो गए।

1957 के द्वितीय आम चुनाव में आप कांग्रेस प्रत्यशी के रूप में राजगढ़ विधान क्षेत्र से निर्विरोध सदस्य चुने गए। तृतीय आम चुनाव 1962 में आप राजगढ़ से ही विधानसभा के सदस्य चुने गये। यह आपकी लोकप्रियता का ज्वलन्त उदाहरण हैं। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के कारण आपको पराजित होना पड़ा। परन्तु 1972 केपाँचवे आम चुनाव में आप चुनाव में पुन: विधानसभा के लिए चुन लिए गए। कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्त्ता के रूप में 75 वर्ष की अवस्था में भी उत्साह से कार्य कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर आप की समाज सेवा सराहनीय है।



कवि लच्छुराम छापोला (ग्राम- खाजपुर, जिला झुन्झुनू)

भारतीय आदिवासी जाति सेवा संघ नई दिल्ली द्वारा मान्य राजस्थान मीणा सेवा संघ मीणा समाज के विकास कार्य में जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनूं, टोंक, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में सर्वदा कार्य करते रहे। इन क्षेत्रों में जन जागरण करने तथा मीणा समाज में आत्म विश्वास की भावना भरने में खाजपुर निवासी जिला झुंझुनूं श्री लच्छीराम छापोला के योगदान को कभी भुलाया

नहीं जा सकता। आप एक अच्छे कवि भी थे। कविता के माध्यम से आपने आदिवासी समाज में नव चेतना का संचार किया। आपकी समाज सेवा अवैतानिक थी।

आपने राष्ट्रपिता म. गाँधी के साबरमती आश्रम में देशसेवा का व्रत लिया था और वहाँ के नेताओं की साक्षी में समाज सेवा के लिए जीवन दान देने का संकल्प लिया था। आपने समाज सुधार के लिए अब तक नौ पुस्तकें लिखीं जिनसे राजस्थान, गुजरात व मध्यप्रदेश के आदिवासी बन्धुओं को नई प्रेरणा मिली। जरायम पेशा कानून के हटाने के जन आन्दोलन से भी आप बराबर जुड़े रहे। इससे भी अधिक आपने मीणा समाज को उन्नति की राह पर लाने के लिए उनको मद्यपान, अश्लील नाच-गान तथा मृत्यु भोज आदि कुरीतियों को त्यागने के लिए मीणा समाज को नई दिशा प्रदान की। इनके भजन व कविता आज भी मीणा समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। श्री लच्छु राम जी की निस्वार्थ समाज सेवा सदा स्मरणीय रहेगी। इसी प्रकार स्व. श्री सूरजाराम मानुताल भजनो उपदेशक घासी का बास झेम्यार का मीणा समाज के लिए समर्पित रहा है।

मीणा नेता हरसहाय जैफ (नयाबास, जिला सीकर, राज.)

जब-जब देश पर संकट आता है, तब-तब जन कल्याण के लिए महापुरुषों को भगवान अवतारित करते हैं। मीणा समाज के निर्दोष देशभक्तों को अंग्रेज सरकार और राजा-महाराजाओं ने काले कानून में फंसा कर उन पर अमानवीय जुल्मों का कहर ढाया। उसके विरोध के लिए श्री हरसहाय जी जैफ पुत्र फत्थाराम ग्राम मांवड़ा से नीमकाथाना आये। कुछ समय पश्चात नीमकाथाना से नयाबास से कुछ दूरी पर जाकर बस गए।

अंग्रेज पुलिस अधिकारी यंग साहब आई.जी.पी. पुलिस ने मीणा जाति पर क्रीमिनल ट्राइब एक्ट 1930 को थोपकर मीणाओं पर और अधिक से अधिक पुलिस के अन्याय शुरू कर दिए। जिससे तोरावाटी, शेखावाटी में त्राहि-त्राहि मच गई। दिनांक 16-17-18 अप्रेल 1944 में नीमकाथाना में श्री हरसहाय जी जैफ के संयोजन में एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन सम्पादक हिन्दुस्तान समाचार पत्र दिल्ली श्री विद्यालंकार ने किया। और अध्यक्षता मीणा जाति के मुनि मगन सागर जी ने की। उद्घाटन भाषण में श्री विद्यालंकार ने बताया कि मीणा जाति एक बहादुर कौम होने पर भी पुलिस के खूनी पंजे में फंसाकर अधखिली कली की तरह मसोस दिया गया है। केन्द्रीय व राज्य सरकार अनुचित कदम उठाने वालों का पूर्ण रूप से साथ दे रही है जो गलत है। उन्होंने मीणा जाति को शिक्षित बनाकर योग्य नागरिक बनाया जाये ताकि नवनिर्मित भारत के विकास में पूर्ण रूप से भागीदार बन सके।

श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री मीणा सुधार समिति के तत्वावधान में आयोजित सभाओं में और अन्य जाति सुधार कार्यों में श्री हरसहाय जी जैफ ने तन-मन धन से हिस्सा लेकर आखिरी सांस तक अपना योगदान देते रहे। श्री हरसहाय जी जैफ ने सन् 1945 में नयाबास में शिक्षा के लिए पाठशाला के संचालन का आयोजन अपने हाथ में लिया तथा समय-समय पर जिला सीकर क्षेत्र में असामाजिक कार्यों को त्यागने हेतु सभाओं का सुचारू रूप से आयोजन किया। आपने इस योगदान को मीणा जाति की पीढ़ी कभी नहीं भुला सकेगी।

स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल (सांगानेरी गेट, जयपुर)

जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन : आपका जन्म कार्तिक पूर्णिमा विक्रम संवत् 1971 व 2 नवम्बर, 1914 को सूर्योदय के पहले मोती डूंगरी रोड स्थित काली माता के मन्दिर के पास झरवाल सदन में हुआ। यह दिन भारतीय समाज एवं संस्कृति तथा इतिहास में बड़ा महत्त्व रखता है। मत्स्य पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को ही सतयुग में भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए प्रथम अवतार भगवान मत्स्य का अवतार का जन्म हुआ जब ब्रह्मा जी से चारों वेदों को छीनकर शंखाशुर दैत्य रसातल में ले गया। भगवान विष्णु ने



देवताओं के कष्ट निवारण के लिए मत्स्य अवतार का जन्म ग्रहण किया और शंखाशुर का वध किया। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को ही मध्यकाल में मानवता की रक्षा व दलितों के उत्थान, धनवान व निर्धन व ऊंच-नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए गुरु नानकदेव का जन्म हुआ था।

आपके पिता भूरामल झरवाल एवं माता म्होरी बाई डोबाल गौत्र- माता-पिता दोनों बहुत सात्विक एवं धार्मिक विचारों के थे। आपके पिता भूरामल रामनिवास बाग में उच्च पद पर सरकारी अधिकारी का कार्य करते थे। झरवाल ने अपने जीवन में कितने ही उतार-चढ़ाव देखे। उस समय मीणा जाति पर जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत अनेक प्रतिबन्ध थे। अत: इस जाति में शिक्षा प्रसार का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर भी बालक लक्ष्मीनारायण झरवाल में शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी उत्कण्ठा थी। अत: उन्होंने अपने स्तर पर जोशी जी के यहां पढ़ना-लिखना प्रारम्भ किया। इसके बाद आपने घी वालों के रास्ते की जैन मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया और मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की।

इसी बीच जुलाई 1934 ई. में आपके पिता का निधन हो गया। अत: उनके स्थान पर आप रामनिवास बाग में कार्य करने लगे। आपके अधीन दस आसामी थी। आपने वहां भी अपना धार्मिक व राजनैतिक स्वाध्याय जारी रखा। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश परिषद से आयुर्वेदिक विशारद एवं आयुर्वेद शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और इण्डियन मेडिकल बोर्ड, राज्य सरकार, राजस्थान से रजिस्ट्रेशन कराकर चिकित्सा करने का अधिकार प्राप्त किया परन्तु आपका मन सदा समाज और देश के उत्थान में लगा रहता था। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगा रहता था। सन् 1934 से 1938 तक रामनिवास बाग के सेवाकाल में अनेक विद्वानों व साधु-सन्तों के साथ आध्यात्मिक सत्संग करते रहे। इस सत्संग के मुख्य प्रवचक श्री चन्द्र जी अग्रवाल निवासी बारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर थे जो भिवानी आर्य समाज के मंत्री एवं मारवाड़ रिलीफ सोसायटी के सदस्य भी थे। 13 अप्रेल, 1919 को अमृतसर के जलियावाला बाग गोलीकाण्ड में भाग लेने के फलस्वरूप उनके बायें हाथ में गोली लगी थी। रामनिवास बाग में नित्य ही इनका प्रवचन होता था, जिसमें धर्मशास्त्र एवं कांग्रेस की स्थापना से लेकर उस समय तक जिसमें कांग्रेस आन्दोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह साइमन कमीशन के विरोध की घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होती थी।

श्री झरवाल सदा सत्संगों में विशेष रूचि लेते थे। श्री चन्द्र अग्रवाल के माध्यम से जैन वर्धमान पुस्तकालय से भगवान अरष्टनेमी, सति चन्दनबाला, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह व्रत,

भृतहरि शतक, चाणक्य संहिता, सांख्य योग, योगदर्शन और सत्यार्थ प्रकाश, कांग्रेस का इतिहास तथा धर्मशास्त्र की पुस्तकें लाकर पढ़ने लगे। यह क्रम 1934 से 1938 तक बराबर चलता रहा। इसके साथ ही आप जवाहरात के कार्य में रूचि लेने लगे। रामनिवास टेमाणी तथा रामगोपाल डागा जौहरी के यहां माणक, पन्ना, नीलम का कार्य करने लगे। इस तरह झरवाल इस समय तक पूरी तरह से एक जागरूक युवक बन गये और देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था पर गहराई से विचार करने लगे।

राजनीति में प्रवेश : 20 अक्टूबर 1938 में किशनपोल बाजार स्थित आर्य समाज मन्दिर के फुटपाथ पर अधिवेशन शुरू हुआ। उसमें श्री झरवाल ने भी श्री चन्द्र अग्रवाल के साथ भाग लिया। वहीं जयपुर राज्य प्रजामण्डल के संस्थापक सदस्य श्री हीरालाल शास्त्री, वैद्य श्री विजय शंकर शास्त्री स्वतंत्रता सेनानी आदि नेताओं से आपकी भेंट हुई। उसमें उत्तरदायी शासन की मांग उठने लगी थी, जिसमें मुख्य मांग नागरिक अधिकारों की थी। अत: झरवाल भी प्रजामण्डल के कार्यों में गहरी रूचि लेने लगे। उसी समय से खादी वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, जिसे वे अब तक निभा रहे हैं। राष्ट्रपिता पूज्य गांधी जी के सत्य व अहिंसा पर आधारित रचानात्मक कार्य, छूआ-छूत, अंध विश्वास, जागीरदारी, बैठ-बेगार, लाटा-बाटा तथा नशाबन्दी, कोमी एकता, देश की अखंडता, शिक्षा प्रसार जनजागरण आदि में आप की गहरी रूचि दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी और प्रजामण्डल के अधिवेशनों में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया।

उन्हीं दिनों 1938 में नथमल जी के कटला आगरा रोड जयपुर (वर्तमान समय अग्रवाल कालेज के नाम से जाना जाता है) में श्री जमनालाल जी बजाज की अध्यक्षता में प्रजामण्डल का अधिवेशन हुआ। इसमें चर्खा संघ की ओर से खादी प्रदर्शनी भी लगी। वहीं पर श्री झरवाल का परिचय क्रान्तिकारी नेता श्री ओमदत्त शास्त्री व बलवन्त राय देशपाण्डे मंत्री चरखा संघ से हुआ। उस समय जयपुर राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। श्री जमनालाल बजाज अकाल की स्थिति का आकलन करने के लिए वर्धा से रवाना हुए परन्तु राज्य सरकार ने इनके जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार की प्रतिबन्ध की आज्ञा को तोड़कर 12 फरवरी 1939 को प्रवेश किया और उन्हें बन्दी बना लिया और सिसोदिया बाग में कैद कर दिया। प्रजामण्डल के सत्याग्रह आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया। प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री हीरालाल शास्त्री, बाबा हरिचन्द्र शास्त्री एवं रामकरण जोशी, दौसा, सुल्तान सिंह झरवाल जयपुर आदि नेताओं को बन्दी बना लिया। सन् 1941-42 में श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने भी आन्दोलन में उत्साह से भाग लिया। इन्हें मारपीट करके बन्दी बना लिया, छोटी चौपड़ कोतवाली में हाथों में हथकड़ी डालकर कमरे की छत के कुन्दों में जंजीरों से ऊंचा लटका दिया और डण्डों व घूसों से मारपीट की तथा आलपिन चुभाना और बेहोश होने पर नीचे उतार कर पुलिस के जल्लादों ने पेशाब भी पिलाने की चेष्टा की थी पर वे सफल नहीं हुए। इस प्रकार कठोर शारीरिक उत्पीड़न दी। इसके अलावा हाथ व पांव की अंगुलियों के निशान लेने के लिए काली स्याही से प्रिन्ट लिये और मारपीट कर छोड़ दिया और एक रूक्का लिखकर दिया और आदेश दिया कि माणकचौक थाना बड़ी चौपड़ में प्रतिदिन हाजरी दो। कोतवाली पुलिस छोटी चौपड़ से छूटते ही श्री झरवाल बाहर आए तो उन्हें श्री माधोपुर निवासी पंडित श्री बंशीधर शर्मा मिले,आपने साथ खेजड़ों के रास्ते स्थित श्री हीरालाल शास्त्री के शास्त्री सदन जाकर श्री शास्त्री जी को उन्होंने पुलिस मारपीट की पूरी कहानी उनको सुनाई। श्री शास्त्री जी ने कहा कि तुम माणक चौक थाने पर जाकर कह दो कि "मैं हाजरी नहीं दूंगा और न ही जरायमपेशा कानून मानूंगा"। थानेदार कुशलसिंह ने झरवाल को कहा कि अभी तो तुम

जाओ मैं उच्च पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके कदम उठाऊँगा। उस समय उस गौरवशाली मीणा जाति पर जरायमपेशा कानून एवं दादरसी कानून के अन्तर्गत दफा 28 से अनेक अत्याचार हो रहे थे। जिसमें मीणा जाति के पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्ञाननाथ, हनुमान, रामगोपाल आदि को भी तंग किया जाने लगा। श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अब अपना सम्पूर्ण जीवन प्रजामण्डल आन्दोलन तथा मीणा जाति पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में लगा दिया। और मीणों की जयपुर नगर में हर चौकड़ी में सभा करके जनजागरण का कार्य करने में लग गए। मीणा सुधार समिति की स्थापना कर दी गई अध्यक्ष रामबख्स शीरा जमुवारामगढ़, मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल को बनाया और कोषाध्यक्ष श्योनाथ जी छापोला ग्राम मेंगी को तथा कार्यकारिणी में गुलाबचन्द जी गोठवाल, अड़िसाल , भौंरीलाल बिरदावत आदि को चुना गया। मीणा जाति का अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन 1942 में अजिबाबाद जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री झरवाल ने की और उद्घाटन अजमेर के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री चांदकरण शारदा के करकमलों से किया। इसमें श्री झरवाल ने मीणा जाति के गौरवशाली इतिहास तथा मीणों का राज्य कच्छावों ने छल-कपट से छीनने के बारे में और मीणों को जरायमपेशा कानून के षडयंत्र में जकड़ कर नागरिक से वंचित करने के प्रयासों पर प्रकाश डालने के साथ जयपुर रियासत में तथा राजस्थान में मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

नीम का थाना का विराट मीणा सम्मेलन : मुनि मगनसागर जी महाराज की अध्यक्षता में 16 तथा 17 अप्रेल, 1944 को आयोजित किया। इसका उद्घाटन नवभारत टाइम्स के सम्पादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार के कर-कमलों से हुआ। यह सम्मेलन मीणा जाति के संगठन और जागृति में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसमें लक्ष्मीनारायण झरवाल ने जरायमपेशा कानून को रद्द करने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पं.बंशीधर शर्मा और रामकरण जोशी ने किया। रामसिंह नौरावत, बाबा हरिश्चन्द्र शास्त्री जयपुर, मुंशी हरनारायण सिंह और महाशय छाजूसिंह कांवत शाहजहांपुर पंजाब, भगूताराम सीकर, अड़िसाल जी, हरसायह जेफ नयाबास ने सारे सम्मेलन की व्यवस्था बनाने में अर्जुन देव और चिमना- जमना सिंघाना ने जान लगा दी।

सरकार द्वारा बन्दी बनाया गया (1945) : उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्री झरवाल ने जरायमपेशा कानून एवं सामन्तवाद के अत्याचारों के विरुद्ध पुरजोर शब्दों में आवाज उठाना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसा ही किसान सम्मेलन उदयपुरवाटी, गुढ़ापुख, चला, चौकड़ी आदि के जागीरदार के अन्याय के विरुद्ध गुढ़ा में ही प्रजामण्डल के तपस्वी नेता श्री बद्रीनारायण खोरा की अध्यक्षता में 29 व 30 मार्च, 1945 को किसान सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के प्रचार-प्रसार के लिए श्री झरवाल परचे बाट रहे थे, उसी समय आपको नीम का थाना रेलवे स्टेशन के बाहर भारत सुरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत हैड कांस्टेबल आत्माराम द्वारा बन्दी बना लिया गया और छावनी पुलिस मुख्यालय ले जाकर आपको काठ में दे दिया गया और अनेक यातनायें देना शुरू कर दिया। जिसमें चौड़े में नीम के पेड़ के नीचे काठ पड़ा था उसी में झरवाल के दोनों पैरों को फंसा दिया,



आंधी व हवा चलने पर चौड़े मैदान में बालू मिट्टी उड़कर आंखों व मुंह में आने लगी तथा शरीर पर चींचड़े चिपका कर श्री झरवाल का खून चूसने लगे और खाना जिसमें ज्यादातर आटे में कंकर और सब्जी में जंगली चौलाई का साग जो कि लोहे के तछले में दिया जाने लगा। दैनिक नित्यकर्म के लिए भी झरवाल को काठ से निकालकर हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाता था। नहाने धोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण झरवाल को कई दिनों तक बिना नहाये-धोये रहना पड़ता था। इनसभी परिस्थितियों के बावजूद भी झरवाल ने स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालो, परन्तु महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। लम्बे समय तक वहां काठ में रखकर आपको केन्द्रीय कारागर जयपुर में 3 अप्रैल, 1945 को भेज दिया गया। वहां पर दो माह तक अनेक यातनायें दी गई और 29 मई, 1945 को जेल से रिहा कर दिया।

पं.जवाहर लाल नेहरू से भेंट : उस समय हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने यह निश्चय कर लिया था कि देशी रियासतों की जनता के नागरिक अधिकारों की रक्षा किये बिना तो देश की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। अत: देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में होने वाले अधिवेशन पर विचार-विमर्श करने के लिए पंडित नेहरू जयपुर आये। 20 अक्टूबर, 1945 को वैद्य लछीराम जी का बाग मोती डूंगरी रोड, जयपुर में राजस्थान प्रजामण्डल एवं प्रजा परिषद के गणमान्य नेताओं की बैठक हुई। इसमें शेख अब्दुल्ला कश्मीर, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, सूर्य प्रकाश पापा, खोरा जी, बंशीधर जी शर्मा आदि नेताओं ने भाग लिया। उस समय लक्ष्मीनारयण झरवाल ने पंडित नेहरू के समक्ष राजस्थान की रियासतों जयपुर, अलवर तथा टोंक, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा में मीणा जाति पर जन्म लेने के साथ ही जरायमपेशा कानून को लागू कर दिया गया था और लाखों निर्दोष मीणा लोगों को अनेक प्रकार की यातनायें देकर नागरिक अधिकारों से वंचित कर रखा है, इसके लिए क्या किया जाए, मार्गदर्शन मांगा। जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत होने वाले अत्याचारों का विशद विवरण के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।



इन अमानवीय अत्याचारों को सुनकर युवक हृदय सम्राट पं.नेहरू एकदम स्तब्ध रह गये और पास में बैठे जयपुर प्रजामण्डल अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री की ओर हाथ का इशारा बड़े जोश के साथ कहा कि ''प्रजामण्डल को जरायमपेशा कानून को रद्द कराने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अमानवीय काले कानून को फाड़कर जला देना चाहिए।'' बस यहीं से श्री झरवाल को आगे का कार्यक्षेत्र व मार्गदर्शन मिल गया।

देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन : 31 दिसम्बर 1945 व 1, 2, 3 जनवरी, 1946 को उदयपुर में देशी राज्य लोक परिषद का पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अष्टम अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें भारत की 562 रियासतों के जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जयपुर से लक्ष्मीनारायण झरवाल प्रतिनिधि के रूप में अधिवेशन में पहुंचे। वहां भी जरायमपेशा कानून को रद्द करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

पारित किया गया। यहां लक्ष्मीनारायण झरवाल ने प्रस्ताव के समर्थन में अपने तर्क रखे। अधिवेशन के प्रथम दिन व दूसरे दिन आदिवासी जनजाति के मसीहा अमृतलाल ठक्कर बाप्पा की अध्यक्षता में आदिवासी की समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया और जरायमपेशा कानून को रद्द करने के लिए जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा गया। इस प्रकार के प्रबल राजनीतिक समर्थन ने मीणा सुधार समिति में नवजीवन का संचार हुआ और वह इसे रद्द कराने के लिए राज्य सरकार से निरन्तर प्रार्थना पत्र देकर निर्दोष मीणों पर जरायमपेश कानून को समय रहते रद्द कराने का आग्रह करने लगे।

सीकर में विराट मीणा सम्मेलन : 31 मार्च, 1946 को प्रजामण्डल के नेता श्री लादूराम जोशी सीकर की अध्यक्षता में मीणा प्रतिनिधियों के कार्यकर्ता सम्मेलन चांदपोल बाहर सीकर में हुआ, जिसका उद्घाटन अजमेर के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष अजमेर ने किया। इसमें श्री झरवाल ने जरायमपेशा कानून को शीघ्रतिशीघ्र समाप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ।

गृहमंत्री से भेंट : 24 जुलाई, 1946 को पं.बंशीधर शर्मा श्रीमाधोपुर, लक्ष्मीनारायण झरवाल, सूरजनराम जेफ- नयाबास, अड़िसाल, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय के साथ शिष्टमण्डल जरायमपेशा कानून मीणों पर समाप्त किये जाने के लिए ज्ञापन के साथ गृहमंत्री मेजर जनरल श्री अमरसिंह से भेंट की। राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद इस कानून को रद्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस सम्बन्ध में 10 अगस्त, 1946 के गजट नं. 5547 पृष्ठ 51 कालम नं. 4728 में जरायमपेशा कानून को निरस्त करने के आदेश राज्यपत्र में प्रसारित कर दिए।

बागावास सम्मेलन : 27 जुलाई, 1946 के बागावास सम्मेलन में पंडित हीरालाल शास्त्री ने विधिवत घोषणा कर दी कि आज से सभी मीणा स्वतंत्र नागरिक हैं। काले कानून को सरकार ने निर्दोष मीणा जाति पर से समाप्त कर दिया है। इसको विजय दिवस के रूप में मनाया गया और समस्त बागावास व पास की पहाड़ी को रोशनी से जगमगा उठा। बाद में सरकार ने वचन भंग किया और जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत धारा 28 को प्रयोग किया तथा एम.पास देना शुरू कर दिया जिसमें बिना इजाजत ऊंट रखने पर गिरफ्तारी चालू कर दी और इस प्रकार सैकड़ों मीणों के ऊंटों को जब्त करके जेल में भेज दिया गया।

कानून की प्रतियों की होली (5 जून, 1947) : जरायमपेशा कानून की समाप्ति से समस्त मीणा समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस सन्दर्भ में समस्त राजस्थान से लगभग 10 हजार कार्यकर्ता उपस्थित हुए। एक विशाल जुलूस बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार, न्यू गेट और जौहरी बाजार होता हुआ महात्मा गांधी व भारत माता की जय जयकार और जरायमपेश कानून का नाश के नारों के साथ निकाला गया। स्थान-स्थान पर स्थानीय लोगों का भी मीणा समाज के लोगों ने जुलूस में भाग लेने वाले लोगों का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। जुलूस जब जौहरी बाजार में प्रजामण्डल के कार्यालय देवड़ी जी के मन्दिर के पास पहुंचा तथा जुलूस विशाल सभा में परिणित हो गया। अमानुषिक काले जरायमपेशा के विशालकाय राक्षस व जरायमपेशा कानून की प्रतियों व एम.पास को श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने जला दिये और घोषणा की कि हम सब मीणे स्वतंत्रत नागरिक हैं। इस अवसर पर समस्त लोग भाव-विभोर हो उठे, यह उसी प्रकार का रोमांचक दृश्य था, जैसा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर लगे

क्रीमिनल ट्राइब एक्ट प्रतिबंध की होली पूज्य मा.गांधी के कर कमलों से जलाई गई।

ता. 6 जून, 1947 ई. को सुबह 10 बजे गोविन्दराय का रास्ता चांदपोल प्रजामण्डल आश्रम में एक विशाल मीणा प्रतिनिधियों की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा आदि से आये हजारों मीणा पंच, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी, जिन हाथों में तिरंगा झण्डा और तख्तियों पर लिखा हुआ था "नागरिक अधिकार लेकर रहेंगे, क्रीमिनल ट्राइब एक्ट खत्म हो, पुलिस के अमानुषिक अत्याचार समाप्त हों, करेंगे या मरेंगे" के नारे लिखे हुए थे। सभा की अध्यक्षता लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री मीणा सुधार समिति जयपुर कर रहे थे। सभा को सम्बोधित करते हुए आपने बताया कि अंग्रेज सरकार और राजा-महाराजाओं ने मिलकर 1818 में संधि की और राजाओं को शासन में मनचाहे कानून को बनाने एकाधिकार दिया था। देशभक्त मीणों और प्रजामण्डल के नेताओं पर क्रीमिनल ट्राइब एक्ट की 1924 में रचना कर जयपुर राज्य सरकार ने पूरी रिसायत पर अमानवीय जुल्म ढाये जाने लगे, मीणा जाति ने और प्रजामण्डल ने काले कानून का बराबर विरोध किया है। ता. 5 जून, 1947 को करीब दस हजार मीणा जयपुर में प्रभातफेरी, जुलूस निकालकर जौहरी बाजार देवली जी के सामने विशाल सभा करके क्रीमिनल ट्राइब्स एक्ट की प्रतियां व एम. पास को श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने जला दिया है। अब हम सब लोग नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य व केन्द्रीय सरकार हमें गिरफ्तार करके जेल भेजे तो हम सब बड़ी संख्या में जेल जाने को तैयार हैं, यह तय किया गया। हमें अब सत्याग्रह आन्दोलन को चलाने के लिए धन, जन की आवश्यकता है। और अपनी अन्तरात्मा व परमेश्वर साक्षी देकर यह बता दें कि आप जेल जाने को तैयार हैं। इस प्रभावशाली भाषण को सुनकर सब मीणा प्रतिनिधियों ने एक साथ अपने हाथ उठाकर जोर से आवाज लगाई कि हम अपने नागरिक अधिकार व देश की आजादी के लिए जेल जाने को तैयार हैं। अपना सर्वस्व लुटाकर प्राण तक देने को हम सब तैयार हैं। देखते-देखते ही इच्छा से मीणा सरदारों ने हजारों रुपयों का ढेर लगा दिया। श्री [illegible]जेन्द्र कुमार अध्यक्ष मीणा सुधार समिति व भैरूलाल कालाबादल, अडिसाल सिंह कोषाध्यक्ष आदि [illegible]क्ताओं ने प्रभावशाली भाषण दिये। महात्मा गांधी,पंडित नेहरू प्रजाममण्डलवकांग्रेस का जय-जयकार के नारे लगाने के साथ ही सभा समाप्त हो गई। कार्य का आयोजन प्रमुख मीणा मुखिया श्री भगूताराम सीकर, हरसहाय नयाबास, गोमाराम रामपुरा, चन्द्रा बागावास, गणेश मेड, कल्याण बूज, श्री सूरजाराम पोकरिया, नारायण छोलक- आजराजपुरा, झूथा लाल झरवाल, आकाशवाणी जयपुर सुरजराम पबड़ी लाम्या, बन्नाराम जूनदा दूदू जवाहारा मानुताल रातेखेड़ा आदि का भरपूर सहयोग था।

आदरणीय परमपूज्यनीय राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन द्वारा जरायमपेशा जातियों की जांच के लिए श्री चालिया के नेतृत्व में जांच कमीशन नियुक्त किया गया। श्री चालियाव जरायमपेशा जातियों की जांच कमीशन के सदस्य ता. 24 जून, 1950 को चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर होता हुआ ता. 30 जून को जयपुर पहुंचा। 1 जुलाई, 1950 में बागावास, नयाबास आदि मीणों के चाल-चलन व रहन-सहन के सम्बन्ध में जांच करने का कार्यक्रम बना। लक्ष्मीनारायण झरवाल मंत्री मीणा सुधार समिति जयपुर के नेतृत्व में जरायमपेशा जातियों की जांच कमीशन से जयपुर सचिवालय में एक, जुलाई 1950 को मुलाकात की और मीणा जाति में जन्म लेने के साथ ही लाखों निर्दोष ईमानदार लोगों पर जरायमपेशा कानून लगाकर उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखने के बारे में और अनेक प्रकार

के जुल्म तथा यातनाओं का शिकार न बनाये जाने के विरुद्ध में ज्ञापन प्रस्तुत किया। उक्त ज्ञापन को पढ़कर जरायमपेशा जांच कमीशन के सदस्यों के प्रश्नों का लक्ष्मीनारायण झरवाल और राजेन्द्र कुमार जी अजेय, अड़िसाल जी कोटपूतली, सूरजन राय आदि ने सन्तुष्टपूर्ण उत्तर दिया।

जरायमपेशा जांच कमीशन के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मीणा जाति पर लगाये गये जरायमपेशा कानून को रद्द कर दिया जायेगा। इनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने जरायमपेशा कानून को समाप्त कर दिया।

26 जनवरी, 1953 राजस्थान सरकार ने जरायमपेशा कानून के स्थान पर अभ्यस्त अपराधी बिल विधानसभा के स्तर पर पेश करने की घोषणा कर दी। जिसमें मीणा जाति एक बार चोरी डकैती छल कपट आदि की सजा पाने पर अभ्यस्त अपराधी कानून में ले लिया जायेगा जबकि अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा चोरी, डकैती, छल-कपट आदि की तीन बार सजा पाने पर ही अभ्यस्त अपराधी माना जायेगा।

राजस्थान मीणा जाति सुधार समिति जयपुर मंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने मीणा नेताओं से अभ्यस्त अपराधी कानून के द्वारा मीणा जाति पर एक बार और तीन बार सजा में लेने की समस्या पर विचार विमर्श किया तथा यह निर्णय लिया कि इस बिल के विरोध में जनमत तैयार किया जाए। उसी समय 'नेता' नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करके अभ्यस्त अपराधी कानून का विरोध प्रकाशित किया और चन्दलाई, मुण्ड्या, गुणसी, मोहनपुरा, बागावास, बैराठ आदि स्थानों पर मीणा प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कर अभ्यस्त अपराधी कानून के विरोध में प्रस्ताव पास किये गये। और विधानसभा में भी विधानसभा सदस्यों ने विरोध प्रकट किया जिसमें भगवान सिंह तरंगी व भैरूलाल कालाबादल के नाम मुख्य थे। उक्त बिल को प्रवर समिति में भेज कर मीणा जाति के लिए बिल में संशोधन कर दिया।

आरक्षण के लिए संघर्ष : भारत सरकार ने संविधान के प्रावधान के अनुसार आदिवासियों को आरक्षण की चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में सुविधा प्रदान कर दी थी परन्तु जयपुर, अलवर,जोधपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक आदि क्षेत्रों के आदिवासी मीणा जाति को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई। उन्हें पिछड़ा जाति में शुमार किया गया।

बगरू सम्मेलन की अध्यक्षता (14 जून, 1952) : आरक्षण की यह सुविधा केवल आदिवासी भील जाति तक ही सीमित थी। जयपुर, अलवर एवं भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र के विशाल मीणा समूह को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई। ऐसी निराशा की स्थिति से निपटने के लिए लक्ष्मीनारायण झरवाल, राजेन्द्र कुमार अजेय, सीताराम झालानी, जवाहरा राम रामचन्द्र मानुताल राताखेड़ा, झूथा बागड़ा (बगरू) ने दिनांक 15 जून 1952 में बगरू में सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सर्वसम्मति से मीणों को भी आरक्षण लाभ देने का प्रस्ताव पारित किया। श्री झरवाल की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में अलवर, भरतपुर और टोंक के भी मीणा सरदार उपस्थित हुए। इसका विस्तृत वर्णन विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

काका कालेलकर से भेंट (22 जुलाई, 1954) : बगरू प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार को अनेक आवेदन पत्र दिए गए। अन्त में भारत सरकार ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन की नियुक्ति की जिसमें भीखाभाई डूंगरपुर भी सदस्य थे। 22 जुलाई, 1954 को श्री झरवाल एवं

श्री अजेय आदि प्रतिनिधियों ने सचिवालय में काका कालेलकर से भेंट की। लक्ष्मीनारायण झरवाल व राजेन्द्र कुमार अजेय ने काका कालेलकर को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देकर सन्तुष्ट कर दिया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं भारत सरकार को शीघ्र इस बात की अनुशंसा / सिफारिश करूंगा कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जोधपुर आदि क्षेत्र के मीणा लोगों को आरक्षण का लाभ भारत सरकार देवे। काका कालेलकर, भीखाभाई के प्रतिवेदन पर भारत सरकार ने 1956 में जयपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, जोधपुर आदि क्षेत्रों के मीणा समाज को आरक्षण का लाभ देने की आज्ञा भारत सरकार के राज्य पत्र में प्रसारित कर दी। जिससे मीणा छात्रों को छात्रवृत्तियां राज्य व केन्द्र सरकार में नौकरिया, विधानसभा व लोकसभा, जिला परिषद आदि में आरक्षण का लाभ मिलने लगा।

आरक्षण का लाभ मीणा जाति की उन्नति का एक मुख्य आधार सिद्ध हुआ। इसके लिए मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री झरवाल को मुख्य पदाधिकारी आदर की दृष्टि से देखने लगे क्योंकि उनके प्रयत्न से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

समाज सुधार एवं शिक्षा के लिए कार्य : मीणा सुधार समिति के सदस्यों एवं मंत्री झरवाल ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि जब तक सामाजिक बुराइयों का अन्त नहीं होगा तब तक यह जाति उन्नति नहीं कर सकती। अत: सीकर के श्री भगूताराम जी व हरसहाय नयाबास को साथ लेकर अनेक सत्याग्रह जत्थे बनाये गये, जिन्होंने घर-घर जाकर लोगों से असामाजिक कार्य को त्यागने के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरवाये। शीलमाता एवं महावीरजी के मेले में अश्लील गाने और चुट्टे त्यागने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इन सभी का विस्तृत वर्णन विगत पृष्ठों में किया जा चुका है।

तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री पाण्ड्याजी से मिलकर नवाब की हवेली में विमुक्त जाति छात्रावास खुलवाया। इसके अलावा जमवा रामगढ, दौसा, लालसोट, गंगापुर, नीमका थाना, शाहपुरा में मीणा छात्रावास श्री माणिक्य लाल वर्मा अध्यक्ष आदिम जाति सेवक संघ व बनवारी लाल गौड़ मंत्री राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से सम्पर्क करके खुलवाये। इसके बाद राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क कर झालाना डूंगरी के निकट 8 हजार वर्ग गज जमीन एक रुपये टोकन प्रति वर्ग गज से प्राप्त की और मीणा जाति जन सहयोग से लाखों रुपया चन्दा लेकर यहां विशाल छात्रावास भवन बनाकर तैयार करवाया गया, जिसमें सैंकड़ों छात्र रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इसके बाद नीम के थाने में विशाल शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, जिसमें मीणा जाति के छात्रों को शिक्षित बनाकर विकास की ओर तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जिससे हर वर्ष छात्र आई.पी.एस. और आई.ए.एस. उत्तीर्ण हो रहे हैं। जिससे मीणा समाज विकास की ओर बढ़ रहा है और उन्नति की ओर अग्रसर है। इस छात्रावास का श्रेय के.एल. मीणा, सावरमल झरवाल, रामचन्द्र पबड़ी, मुरलीधर झरवाल आदि को जाता है।

भारत सेवक समाज : स्वतंत्रता के बाद रचनात्मक कार्यों में जन सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सेवक समाज की स्थापना 1952 में हो चुकी थी। तत्कालीन सिंचाई उपमंत्री जयसुखलाल हाथी इसके मंत्री बनाये गये। प्रारम्भ से ही भारत सेवक समाज को जन सहयोग में बड़ी सफलता मिली और विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्रों में श्रमदान करने की प्रवृत्ति पनपने लगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जितनी राशि जनता एकत्रित कर

सार्वजनिक कार्यों (सड़क एवं छात्रावास) में लगायेगी, उतनी ही राशि राज्य सरकार देगी। इस व्यवस्था से देश में रचनात्मक कार्यों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। सिंचाई के लिए अनेक बांधों गोदेर बोकडावास, दूदू आदि की मरम्मत कर नहरें निकालने का कार्य लक्ष्मी नारायण झरवाल की देखरेख में जन सहयोग द्वारा किया गया।

भीलवाड़ा में अधिवेशन : भारत सेवक समाज का छठा अधिवेशन भीलवाड़ा के प्रताप नगर में 7 एवं 8 मार्च, 1959 को केन्द्रीय मंत्री, समाजसेवी एवं तपोनिष्ठ नेता श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में आयोजित किया या। इसका उद्‌घाटन अखिल भारतीय भारत सेवक समाज के अध्यक्ष एवं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा किया गया। कई गणमान्य नेता व कार्यकर्ता इस सम्मेलन में उपस्थित हुए।

दिल्ली से प्रस्थान कर जब अखण्ड ज्योति ने राजस्थान में प्रवेश किया तो यहां के अनेक रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया जिनमें श्री बद्रीनारायण, श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं श्री कल्याण सहाय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन लोगों ने बैराठ से भीलवाड़ा तक अखण्ड ज्योति के साथ पदयात्रा की। रास्ते में मनोहरपुर, जयपुर, बिचून, दूद, किशनगढ़, अजमेर अनेक स्थानों पर जनजागरण के लिए सभायें होती रही जिससे लोगों में राष्ट्र-निर्माण के लिए सहयोग व श्रमदान की भावना पैदा हुई।

भीलवाड़ा में इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष राजस्थान में जन चेतना के प्रणेता लोकनायक एवं संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री माणिक्यलाल वर्मा थे। उनके निर्देशन में अधिवेशन की छटा निराली ही थी। राजस्थान के भी तपस्वी नेता गोकुलभाई भट्ट, स्वतंत्रता सेनानी कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी, बनवारी लाल गौड़ तथा भारत सेवक समाज के अनेक कर्मठ कार्यकर्ता रघुवीर सिंह शक्तावत के नेतृत्व में उपस्थित हुए, जिनमें ओमदत्त शास्त्री एवं खोराजी, लक्ष्मीनारायण झरवाल के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

उद्‌घाटन भाषण में पंडित नेहरू ने निर्देश दिए कि लघु सिंचाई अधिक अनउपजाऊ आदि योजना को प्रधानता देकर हमें देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रथमएवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधनों पर ही अधिक बल दिया गया। यह कार्य जन सहयोग एवं रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सहयोग से करने की एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई। राज्य की ओर से तकनीकी सहायता का प्रावधान रखा गया।

भारत सेवक समाज के इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले अनेक नेता तैयार हुए। इनका मुख्य कार्य जनता में श्रमदान के प्रति निष्ठा पैदा कर राष्ट्र-निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था। स्वतंत्रता सेनानी श्री झरवाल ने भी इसमें उत्साह से काम किया। आपने भारत सरकार के अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना को सफल बनाने के लिए गेटोर, चांदमा, बोकड़ा, दूदू आदि बांधों की मरम्मत करवाई। आपकी सहायता के लिए राज्य सरकार की इंजीनियर एवं ओरसियर भी हमेशा उपलब्ध रहते थे।

गोदेर बांध के जीर्णोद्धार के लिए जन चेतना के अग्रदूत प्रजामण्डल के महान नेता लोकनायक माणिक्य लाल वर्मा एवं ओछड़ी (चित्तौड़) के रघुवीर सिंह शक्तावत के नेतृत्व में एक विशाल श्रमदान शिविर का आयोजन गोदेर कस्बा में कया गया। शिविर का उद्‌घाटन भारत सेवक समाज के उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जयसुखलाल हाथी के हाथों हुआ। गोदेर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक श्री जानकी लाल व्यास की अध्यक्षता में विद्यालय को अध्यापकों एवं छात्रों और जनता ने शिविर में श्रमदान का सराहनीय

कार्य किया।

राजस्थान भारत सेवक समाज के अधिवेशन में जयपुर के श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने अपने सहयोगियों के साथ उत्साह से भाग लिया। इस तरह श्री झरवाल का अधिक अन्न उपजाऊ योजना में अभूतपूर्व सहयोग रहा।

पुलिस कैम्पों का विरोध : यद्यपि जरायमपेशा कानून सन् 1946 में ही समाप्त हो चुका था परन्तु पुलिस प्रशासन अभी तक निर्दोष मीणों पर अकारण ही संदेह कर उन्हें मारपीट कर चोरी का पता लगाने के लिए दबाव डाला जाता था। इससे अनेक मीणा परिवार आर्थिक संकट मेंआ गये। अत: राज्य सरकार से मिलकर ऐसे कैम्पों को बन्द करवाया गया। मीणा आदिवासी जातियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया गया। अन्त में आपको सफलता मिली और इस प्रकार के कैम्प लगाना पुलिस ने बन्द कर दिया। इन सभी कैम्पों का विवरण हम विगत पृष्ठों में विस्तार से पढ़ चुके हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण एक व्यक्ति ही नहीं वरन् एक चलती-फिरती संस्था के समान मीणा समाज में सुधार तथा शिक्षा का निरन्तर प्रयास करते रहे। आरक्षण के लिए भी आपने अथक प्रयास किया। मीणा सुधार समिति के प्रयत्नों से मीणा जाति को आरक्षण का लाभ मिला जिसके कारण वह उन्नति के शिखर पर पहुंच रही है। श्री झरवाल की इन सेवाओं तथा समाज सुधार के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह के कारण ही आपको मीणा जाति का ''गांधी व मसीहा'' कहा जाता है। बैराठ, जमुवा रामगढ़, बस्सी, दौसा आदि गाँवों में आपको इसी नाम से जाना जाता है। समाज में आपकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा है।

राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा सम्मान : भारत के तत्कालीन उप राष्ट्रपति डा.शंकर दयाल शर्मा ने आपको प्रशस्ति पत्र व शॉल ओढ़ाकर 25 अक्टूबर, 1988 को जोधपुर में सम्मानित किया। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समिति द्वारा इलाहाबाद त्रिवेणी तट पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा सम्मानित किये गये और प्रशस्ति पत्र के साथ शाल ओढ़ाई गई (19 नवम्बर 1985 ई.) इसके बाद आपके अभिनन्दन का तांता ही लग गया। राजस्थान सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने 2 अगस्त, 1987 ई. में राजभवन में ताम्रपत्र प्रदान कर व साफा बंधा कर पुष्पाहार पहनाकर सम्मानित किया। 11 अप्रैल 1999 को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फूले जयन्ती के समय मूर्ति के अनावरण के अवसर पर सहकार भवन के बाहर स्थित सर्किल पर श्री झरवाल को साफा बंधवा कर एवं शाल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

राजस्थान मीणा शिक्षण संस्थान नीम का थाना के उद्घाटन के अवसर पर 20 मार्च, 1999 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने साफा बंधवाकर एवं शाल ओढ़ाकर पुष्पाहार पहनाकर स्वागत किया। अखिल भारतीय मीणा प्रतिनिधि सम्मेलन के अवसर पर 11 अप्रैल 1999 थानागाजी, अलवर में शाल ओढ़ाकर फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति स्टेशन रोड, जयपुर में भूतपूर्व मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने शाल व प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया।

मानसरोवर दशहरा मेले के अवसर पर श्री शिवचरण माथुर ने शाल ओढ़ाकर एवं साफा बंधवाकर सम्मानित किया। अखिल भारतीय मीणा प्रतिनिधि सेमीनार समय-समय पर उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर तथा कोटा में आयोजित हुए। उन सभी में शाल ओढ़ाकर आपका सम्मान किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण राज्य सरकार ने आपको राज्य स्तरीय स्वतंत्रता सैनानी समिति, राजस्थान

सरकार के गौरवमय पद पर विभूषित किया एवं भास्कर समाचार समूह ने शाल ओढ़ाकर आपका भव्य स्वागत किया। तथा कारों में बिठाकर रामलींला मैदान से जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता में जुलूस निकाल कर तथा जगह-जगह पर जनता ने स्मृति चिन्ह देते हुए स्वागत किया। जिसमें व्यापार मण्डल ने साफा बांधकर स्वागत किया। इसके अतिरिक्त जयपुर जिलाधीश ने सहकार भवन में साफा बांध कर सम्मान किया। 2 अक्टूबर 2000 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जयपुर में राज्य कांग्रेसाध्यक्षा गिरिजा व्यास ने शॉल ओढ़ाकर व प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मान किया तथा 14 नवम्बर 2000 को बिडला सभागार में राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक कुमार गहलोत ने ऊनी शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। तारीख 26 व 27 मार्च 2001 में मत्स्य जयंती की अध्यक्षता की व साफा और शाल ओढ़ाकर सम्मान श्री झरवाल और श्री परसादीलाल मीणा मंत्री राजस्थान सरकार का किया गया।

श्री झरवाल का समाज सेवा एवं रचनात्मक कार्य में इतना विशाल व्यक्तित्व है कि उसे चन्द पृष्ठों में अंकित नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो एक स्वतंत्र पुस्तक भी कम रहेगी। 86 वर्ष की अवस्था में भी आप समाज की उन्नति के कार्यों में बराबर रूचि लेते रहते हैं और कितने ही सम्मेलन के तो आप अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका विस्तृत वर्णन हम पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

वर्षों से आपकी यह हार्दिक इच्छा रही कि मीणा जाति के गौरवमय अतीत और वर्तमान संघर्ष को समेटे हुए समग्र रूप से एक इतिहास लिखा जाए। आज जो आपके हाथ में पुस्तक है, वह आपके अथक प्रयास का ही फल है। श्री झरवाल जैसे निःस्वार्थ सेवाभावी व्यक्ति से मीणा जाति का गौरव बढ़ा है।

समाज सेविका : राजा देवी (सांगानेरी गेट, जयपुर)

आपका जन्म 4 जुलाई, 1917 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री मंगलाराम पबड़ी था। 1923 में आपका विवाह मीणा जाति के प्रमुख सेवक तथा स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारयण झरवाल के साथ हुआ। जब आपके पति श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने समाज सुधार के लिए आर्य समाज में कार्य करना प्रारम्भ



किया तो आप भी समाज सुधार के कार्यों से जुड़ गई। आपके ही कर-कमलों से आर्य समाज किशनपोल बाजार, जयपुर में ज्ञानवती का विवाह भैरूंलाल काला बादल के साथ सम्पादित हुआ। श्री बादल आगे चलकर एक होनहार युवक सिद्ध हुए और राजा देवी की प्रेरणा से समाज सेवा में रुच्चि लेने लगे, जो आगे चलकर राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। यह सब इनकी प्रेरणा से ही हुआ।

राजा देवी अपने पति श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजोत्थान में लग गई। स्वतंत्रता सैनानी एवं लोकप्रिय नेता होने के कारण श्री झरवाल के घर पर मिलने वालों का तांता लगा रहता था। इन लोगों की सेवा में श्रीमती राजा देवी बहुत ही तन्मयता से करती थी। आप छुआछूत में कतई विश्वास नहीं करती थी। मीणा समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने में आप बराबर जुटी रही। अपने पति के साथ प्रजा मण्डल आर्य समाज के कार्यों में भाग लेने लगी। जब आपके पति जेल गए तो आपने अपना धैर्य नहीं खोया और प्रसन्नता से जन आन्दोलन में भाग लेती रही और समय देती रही।

इस तरह पूरा झरवाल परिवार समाजसेवा में लगा रहा। आपके तीन पुत्र हैं। ओम प्रकाश, सत्येन्द्र कुमार और महेन्द्र कुमार हैं।

विशेष बात यह है कि राजा देवी का पूरा परिवार बहुत ही सदाचारी एवं समाज सेवक है।

श्री रघुनाथ पबड़ी (1903-1996) (ग्राम- थौलाई, जिला जयपुर)

मीणा जाति पर जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत आवाज उठाने में आप सर्वदा सचेष्ट रहे। आपका जन्म 1903 ग्राम थौलाई तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में हुआ। आपके पिता का नाम झूथाराम मीणा था। प्रारंभिक शिक्षा अपने स्तर पर जोशी जी की पाठशाला में प्राप्त की। इसके बाद आपकी नियुक्ति रामगढ़ बांध पर निर्मित, स्वर्गीय महाराजा मानसिंह के महलों में फरास के पद पर की गई। वहां महाराजा



साहब का आना-जाना समय-समय पर बराबर बना रहता था। समय मिलने पर आप महाराजा से निवेदन करते, ''अन्नदाता 1930 से जरायमपेशा कानून लागू होने से लाखों निर्दोष मीणा लोग बहुत दु:खी हैं। हजूर आप विचार करने की कृपा करें कि मीणा जाति में जन्म लेने मात्र से क्या कोई अपराधी हो सकता है। अत: मेरा निवेदन है कि आप इस अन्यायपूर्ण कानून को तुरन्त निरस्त करने की कृपा करें।''

दूसरी ओर वे श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, झरवाल सदन, मोती डूंगरी रोड, जयपुर के साथ मिलकर थौलाई, खवारानी, बुज, खराणा, आंधी में सभायें कर मीणा जाति में जागृति लाने तथा जरायमपेशा कानून के विरुद्ध जनमत उठ खड़ा होने के लिए अनेक सभाएं कीं। श्री झरवाल के साथ आप प्रजामण्डल के आन्दोलन में भी भाग लेने लगे, क्योंकि उस समय प्रजामण्डल ने भी नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आन्दोलन चला रखा था। अत: आपने अपनी 30 वर्ष की राजकीय सेवा को तिलांजलि देकर श्री झरवाल के अनुनायी बन गए और सन् 1942 से राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। जयपुर, टोंक, झुंझुनूं, नीमकाथाना, दौसा, लालसोट, बांदीकुई आदि क्षेत्र में मीणा सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। अन्त में मीणा जाति के जन आन्दोलन को सफलता मिली और विवश होकर जयपुर राज्य सरकार ने 10 अगस्त, 1946 को इस काले कानून को विधिवत समाप्त कर दिया और गजट में आज्ञा प्रसारित कर दी। मीणों को पूर्ण रूप से सम्पूर्ण नागरिक अधिकार दे दिये गये।

परन्तु पुलिस अधिकारी व राज्य के उच्च पद पर आसीन यह कभी नहीं चाहते थे कि मीणा जाति उन्नति करके आगे बढ़े। अत: उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गजट की आज्ञा भंग करके अपनी ओर से एम.पास जारी करना प्रारम्भ कर दिया, इसके अनुसार इन पासधारियों को ही कुछ सुविधा भी मिलती थी। शेष पर पहले जैसे प्रतिबंध थे। इसके अतिरिक्त दफा 28 अन्तर्गत मीणों पर यह प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि ऊंट आदि सवारी रखने पर भी रोक लगा दी। इस अन्याय के विरोध में स्वतंत्रता सेनानी श्री झरवाल के साथ मिलकर डटकर विरोध किया और गांव-गांव घूम कर सभायें की और इसके विरोध में जनमत तैयार किया। 5 जून, 1947 को जयपुर नगर में त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल, अजमेरी गेट, न्यू गेट होता हुआ जौहरी बाजार में देवड़ी जी के मंदिर के पास विशाल सभा की और काले कानून के अन्तर्गत

विशाल प्रदर्शन के साथ स्वतंत्रता सेनानी झरवाल ने एम. पास की होली जलाकर इसे हमेशा के लिए भस्मीभूत कर दिया।

इसके अतिरिक्त मीणा जाति में असामाजिक प्रवृत्तयों को रोकने के लिए आपने श्री झरवाल के साथ मिलकर सत्याग्रह जत्थे तैयार किये। गांव को असामाजिक झगड़ों को निपटाने के लिए स्थान-स्थान पर न्याय पंचायतें बनाई गई। उनमें भी श्री रघुनाथ का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। रचनात्मक कार्यों में आप श्री झरवाल के साथ सदा सक्रिय रहे। छात्रावास निर्माण योजना में आपका पूरा सहयोग रहा। मीणा जाति को अनुसुचित जनजाति सूची में लाने तथा उनके लिए आरक्षण के लिए वे सदा संघर्ष करते रहे।

ऐसे कर्म-वीर जाति शुभचिन्तक सेवाभावी श्री रघुनाथ पबड़ी का स्वर्गवास 23 जून, 1996 को अपने गांव थौलाई में हो गया। परन्तु आज जो मीणा जाति उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है, यह मीणा जाति के त्यागमय जीवन का ही प्रतिफल है। रघुनाथ जी पबड़ी के प्रमुख सहयोगी भौमाराम जेफ, रामजीवण जेफ थौलाई, नारायण माणुताल, कजोड़ पटेल, कल्याण झरवाल बूज आदि का सहयोग रहा।

श्री रणजीत मल जेफ (नीमकाथाना, जिला- सीकर)

आपका जन्म 2 जून, 1920 को कुकाड़ा ठिकाना नायला में हुआ। आपके पिता नायला ठिकाने के कामदार थे। आप मूल रूप से गांव मण्डोली नीमकाथाना जिला सीकर के रहने वाले थे। नौ दस वर्ष नायला रहकर आपका परिवार अपने मूल निवास स्थान मण्डोली आ गया। वहीं आपने 1939 में जयपुर स्टेट बोर्ड से कक्षा आठ की परीक्षा दी। तत्पश्चात 1943 में आप मण्डोली स्कूल में अध्यापक बन गए। इसी वर्ष से आपने समाज सुधार के कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1944 के नीम के थाने में मुनि मगनसागर जी की अध्यक्षता में होने वाले विशाल मीणा सम्मेलन में भाग लिया।



1949 में आपने नार्मल ट्रेनिंग स्कूल तोपखाना जयपुर में अध्यापन कार्य का शिक्षण प्राप्त किया। फलस्वरूप आप प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन हुए। इसके साथ ही आप मीणा समाज के शिक्षा कार्य में गहरी रुचि लेने लगे। श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल द्वारा संचालित राजस्थान विद्या मंदिर, नीम का थाना शाखा के छात्रावास का प्रबन्ध आपने बहुत ही कुशलता से किया। इस छात्रावास में 30 छात्र नि:शुल्क निवास करते थे। राज्य सरकार से भी 1995 तक सहायता मिलती रही परन्तु बन्द होने के कारण छात्रावास बन्द हो गया। 26 अगस्त, 1956 को संचालित इस छात्रावास में अनेक छात्रों ने अपना स्वर्णिम विकास किया।

इस छात्रावास की व्यवस्था ऐसी अच्छी थी कि अनेक होनहार विद्यार्थियों ने इसके माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त की। यहां से निकले हुए मीणा समाज के छात्रों ने आगे चलकर अच्छी उन्नति की और राजपत्रित अधिकारी के पद पर अनेक मीणा बन्धु आसीन हुए।

श्री रणजीत मल जी जेफ ने जरायमपेशा कानून को निरस्त कराने वाले आन्दोलन में उत्साह से भाग लिया। अन्त में 10 अगस्त, 1946 को जयपुर राज्य सरकार को यह कानून निरस्त करना पड़ा। इसके बाद आरक्षण प्राप्त करने के लिए चले आन्दोलन में आपने उत्साह से भाग लिया। अन्त में 22 जुलाई, 1956

को मीणा समाज को इसमें सफलता मिली। श्री जेफ के रचनात्मक कार्यों के लिए अनेक अधिकारियों ने समय-समय परआपको प्रशंसा पत्र दिए। समाज के बहुत ही प्रिय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जीवन के आठवें दशक में भी आप समाज सेवा में लगे हुए हैं।

श्री रूपाराम पटेल (ग्राम- बड़खेड़ा, तहसील- चाकसू, जिला जयपुर)

आप बड़खेड़ा ग्राम तहसील चाकसू, जिला- जयपुर के निवासी थे। मीणा सुधार समिति द्वारा आयोजित सम्मेलनों में आप निरन्तर भाग लेते रहे। अपने क्षेत्र के मीणा बन्धुओं को भी समाज की एकता के लिए प्रेरित करते रहे। महादेव जी चन्दलाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की उन्नति में लगे रहे। आप बहुत ही सरल, सादा जीवन एवं उच्च विचार के व्यक्ति थे। प्रभु भक्ति में आपकी विशेष रुचि थी। समाज की कुरीतियों विशेषकर मद्यपान को त्यागने के लिए आपने अनेक गांवों की पदयात्रा की। समाज के लोगों को व्यर्थ के खर्चे से बचने तथा मितव्ययता से रहने का आग्रह करते थे। मृत्युभोज को बन्द करने पर अधिक जोर दिया। क्योंकि इससे साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। कभी-कभी तो इस बुरी प्रथा के कारण मीणा बन्धुओं को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। आपका यह कथन हम सभी के लिए ग्रहणीय है कि ''अच्छे समय में बचाओगे तो बुरे समय में काम आयेगा।''



वैद्य रामनाथ बगराण्या (जिला जयपुर त. बैराठ)

पांछुडाला तहसील बैराठ जिला जयपुर के निवासी वैद्य रामनाथ ने जयपुर- टोंक रियासत में गाँव-गाँव घूमकर समाज चेतना तथा सुधार के लिए प्रेरणादायक गीतों के द्वारा मीणा समाज में अद्‌भुत उत्साह का संचार किया। नागरिक अधिकारों में रुकावट बने जागीरदारों के अन्याय तथा पुलिस के दमन चक्र का आपने विरोध किया। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आप दिन-रात लगे रहे। जयपुर क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण झरवाल, अड़िसाल सिंह, भीमराज सीकर, महादेव चाँदा, साँवताराम चान्दा चन्दलाई आदि के साथ मिलकर मीणा जाति के अधिकारों के लिए निरन्तर संघर्षरत रहे।



मीणा जाति के निर्धन लोगों की आपने नि:शुल्क चिकित्सा का सराहनीय व पवित्र कार्य किया। चौकीदारी प्रथा को छोड़ने की प्रेरणा के साथ आपने सामन्ती शासन में निर्दोष मीणा समाज पर होने वाले अत्याचारों का डटकर विरोध किया। डिग्गी समाज सुधार पंचायत के अन्तर्गत मुण्डा का बास मीणा बीलवा के गांवों में चोरों का पता लगवा कर आपने पंचायत द्वारा दण्ड दिलवाया ताकि भविष्य में चोरी-चकारी करके मीणा समाज को कलंकित ना करें। चोरों तथा पुलिस के दलालों का भी आपने पता लगवाया और समाज कंटकों को गधे पर बिठाकर ग्राम में घुमवाया ताकि वे लज्जित होकर फिर ऐसा कार्य नहीं करें। अनेक सेठ-साहूकारों को

चोरी का माल वापस दिलवाकर मीणा पंचायत ने सराहनीय कार्य किया, जिसका विस्तृत विवरण हम पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

सुनारी, भुवारा, बीलवा के जागीरदारों के अन्याय के विरुद्ध आपने आवाज उठाई और जनमत तैयार किया। भूवारिया के ठाकुर ने बैठ-बेगार न देने पर मीणा समाज पर गोली चला दी, जिसके फलस्वरूप झूथा मीणा शहीद हो गए और अन्य लोग घायल हो गये। इस प्रकार आपने जयपुर तथा टोंक रियासत में मीणा समाज पर होने वाले अन्याय को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किये और गाँव-गाँव घूमकर लोगों में आत्मविश्वास का संचार किया और प्रेरणा दी कि अन्याय के सामने कभी नत मस्तक न हो। मीणा जाति एक हजार वर्ष तक आपने स्वाभिमान के लिए लड़ती रही है। अत: हम निडर होकर अन्याय का विरोध करें।

इन सभी आन्दोलन व समाज सुधारों का परिणाम यह निकला कि मीणा युवकों में उत्साह का विस्तार हुआ और वे शिक्षित होकर निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य सेवा में राजपत्रित पद प्राप्त कर मीणा जाति के गौरव को बढ़ा रहे है। इन सभी पर प्रकाश डालने के लिए तो एक स्वतंत्र पुस्तक भी प्रकाशित की जावेगी। उन्नतशील इन मीणा सरदारों का कर्त्तव्य है कि वे अन्य पिछड़े भाईयों को भी आगे ला वें।

श्री रामप्रताप मेवाल (ग्राम- खोरा, जिला जयपुर)

श्री राम प्रताप मेवाल पुत्र रामदेव मीणा का जन्म जुलाई 1920 ई. में ग्राम खोरा मीणा तहसील आमेर, जिला जयपुर में हुआ। शिक्षा जोशी जी पाठशाला में हुई। आप प्रजा मण्डल व कांग्रेस के सदस्य भी शुरू से युवा अवस्था में हो गये। मीणा जाति के सुधार कार्य में रुचि लेते रहे हैं। मीणा जाति में चौकीदार व जमींदार के भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। मीणा जाति में एकता लाने के लिए श्री दरयाव सिंह शहाजांपुर निवासी की सुपुत्री से श्री हरिनारायण ने अपने सुपुत्र के साथ व्याह किया जो आजकल पुलिस महानिरीक्षक



पद पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं। मेवाल गौत्र का राज्य प्राचीनकाल में कूकस नगर में था, जो आमेर से उत्तर की दशा पर दिल्ली रोड 10 किलोमीटर पर स्थित है।

कूकस से मेवाल राजाओं ने अपनी क्यारा में राजधानी बनाई जो अलवर जिला राजगढ़ के पश्चिमी में है। मेवाल गौत्र के मीणा राजाओं के बाराह खेड़े कूकस के पास बसे हुए थे, जिनमें से खोरा मीणा प्रमुख खेड़ा है। स्वतन्त्रता के आन्दोलन में प्रजा मण्डल कांग्रेस के 1942 से 1947 तक सक्रिय भाग लिया। मीणा जाति में अनेक कुरीतियां का सुधार अभियान में भी सक्रिय भाग लिया। क्रान्तिकारी स्वतंत्रता सैनानी लक्ष्मीनारायण झरवाल, जयपुर के साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर मीणा जाति के लाखों निर्दोष देशभक्तों पर मीणा जाति में जन्म लेने पर लगे काले कानून जरायमपेशा का विरोध किया और खत्म कराने में तन-मन-धन से सहयोग किया। आप न्याय पंचायत अचरोल अध्यक्ष भी चुने गए। आपके अधीन आठ पंचायतों को 1961 से 1976 तक जनता को न्याय देकर विकास की ओर बढ़ाया। क्रय-विक्रय सहकारी समिति के भी अध्यक्ष

रहे। मीणा जाति के सम्मेलन में बराबर समय-समय पर सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और कस्बों में पदयात्रा करके सामाजिक विकास का अलख जगाया है, जिससे मीणा जाति सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रही है। मीणा जाति के पुरुष-स्त्रियाँ लाखों की संख्या में तीज, गणगौर, शीलमाता के मेलों में नाच-कूद करके अश्लीलता का प्रदर्शन करते थे, जिस पर रोक लगाकर बन्द करने में योगदान रहा है। मीणा जाति में शिक्षा का भी प्रचार-प्रसार करने में भी अहम भूमिका रही है।

श्री रामनारायण मानुताल (किशनपोल बाजार, जयपुर)

किशनपोल बाजार निवासी श्री गणेश मीणा के घर 1920 में आपका जन्म हुआ। मीडिल तक शिक्षा प्राप्त कर आप समाज सुधार के कार्यों में लग गये। 1942 में मीणा वीर दल की स्थापना में आपका सहयोग

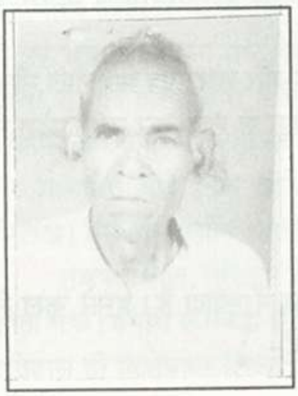


रहा और स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ रहकर आपने समाज पर थोपे गए जरायमपेशा कानून का डटकर विरोध किया। और चौकीदार- जमींदार का भेदभाव को समाप्त करके कौमी एकता के लिए भरपूर प्रयास किया।

आपके निवास पर मीणा जाति के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन समय-समय पर होता रहता था। जिसमें मीणा जाति पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने की योजना बनाई जाती थी। 1940 में आई.जी. पुलिस यंग साहब थे जब मीणा समाज पर दफा 28 लागू किया। इसके विरोध में आपने जन जागरण किया। इस कानून के अन्तर्गत मीणा समाज साईकिल एवं ऊंट लट्ठा तक नहीं रख सकता था। इस अमानवीय कानून के विरोध के लिए किशनपोल बाजार में और प्रत्येक मोहल्ले में सभायें की।

अन्त में मीणा समाज के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जयपुर राज्य सरकार को इस काले कानून को निरस्त करना पड़ा। दस हजार मीणा कार्यकर्ताओं ने 5 जून 1947 को इस कानून की प्रतियों को जलाने के आयोजन में भाग लिया। श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के कर-कमलों से जरायमपेशा कानून के पुतले को आग लगाई गई। लोगों में बड़ा उत्साह का संचार हुआ। आज मीणा जाति जिस प्रकार उन्नति के पथ पर चल रही है, उसका श्रेय समाज को सामाजिक अधिकारों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले नेताओं को हैं।

रामनारायण पुत्र श्री जौहरी लाल मीना



निवासी- नाहरसिंहपुरा, पो.आ. लिवाली, तहसील- बामनवास, जिला- सवाई माधोपुर (राज.)

जन्म- आसोज सं. 1989, सन् 1932

मेरे जन्म के बाद पिताजी को पटेलाई की पदवी मिली, पहले पिताजी के बड़े सहोदर भ्राता श्री रामपाल जी पटेल थे। रामपाल जी की अकाल मृत्यु होने पर पिताजी हमारे परिवार में सबसे बड़े थे। पटेलाई सरकार द्वारा समाप्त करने तक पटेल रहे। 12 साल की उम्र में मैं ''प्रजा मण्डल'' का सदस्य बना और खादी पहनना शुरू कर दिया। ''छोटी सी चवन्नी चाँदी

की, जय बोलो महात्मा गाँधी की'' हमारी वालेन्टियर सेना गली-गली और मौहल्ले-मौहल्ले में ''जय बोलो महात्मा गाँधी'' की यह हमारा मुख्य नारा था। 15 अगस्त, 1947 को जब भारत आजाद हो गया। श्री हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, श्यामलालजी वकील, राजेन्द्र कुमार ''अजय'', राज बहादुर, लक्ष्मीनारायण झरवाल, जयपुर व भैरूलाल जी काला बादल- कोटा, बद्रीप्रसाद दुखिया-शाहजहांपुर, अड़िसाल सिंह- कोटपूतली, बोदन राम सूबेदार- अलवर, श्योनारायण (पीलोदा वाले), धूड़मल वैद्य, किशनलाल खण्डीप, भीमसिंह जी, कुम्भाराम आर्य, कालूराम पटेल (बामनवास), पृथ्वीराज, लोहरेराम, पोथीराम व मन्नू किशना- बल्लभगढ़ भरतपुर आदि गणमान्य नेताओं से निकट सम्बन्ध रहे हैं।

देश सेवा व समाज सेवा गाँवों में जाकर मीणाओं की कुरीतियां जैसे- ऊँचा चोटा बाँधना, गोजा पहनना, शरीर गोदना गुदवाना, गले में कण्ठी पहनना और सामान्य रांग के गहने और पीतल के जेवर, ऊंचे चुट्टे और कैलादेवी, श्री महावीर जी, तीज, गणगौर, शीलमाता, बांकी देवी व कदम खुण्डी मेलों में अश्लील गाने गाना व नाचना-कूदना इत्यादि कुरीतियों को बन्द करने के लिए भाषणों व सम्मेलनों का बहुत असर पड़ा। शिक्षा में भी समाज आगे बढ़ा। आरा नुकता प्रथा बन्द करना, फिजूलखर्ची रोकना हमारा मुख्य कार्य रहा है। सवाई माधोपुर, हिण्डौन, करौली, महवा, टोडाभीम, सिकराय आदि हमेशा-हमेशा के लिए मीणा जाति में फैली कुरीतियों पर रोक लगाने के कार्य में श्री कालूजी पटेल, श्री पृथ्वीराज पटेल का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिला। इन दोनों महापुरुषों ने रियासत काल में अच्छी प्रतिष्ठा पाई और विधानसभा के सदस्य भी रहे। जिनके पौत्र आई.ए.एस., आई.पी.एस. हैं, जिनमें नमोनारायण जी (आई.जी.) का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

केन्द्र में माननीय श्री गुलजारी लाल नन्दा ने भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनाकर तहसील स्तर तक गठन किया था और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं स्वयं शिकायत लिखता था और भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अफसर हमसे भय खाते थे। आजादी के बाद कांग्रेस का क्रियाशील सदस्य बना व मण्डल कांग्रेस कमेटी लिवाली का मंत्री काफी समय तक रहा हूँ। श्री झरवाल के मार्गदर्शन पर जीवन भर मीणों के विकास में संलग्न रहा हूँ।

हमारा गाँव ग्राम पंचायत ककराला का वार्ड 4 का पंच निर्विरोध काफी समय रहा और पंचायत का उप सरपंच भी अब तक पंच रहा, तब तक उप सरपंच रहा और पंचायत समिति की स्थाई समितियों का सदस्य भी कई बार रहा। सत्य निष्ठा से रहना हमारा कार्य रहा। समाज व देश सेवा करना, गरीबों का उत्थान करना आदि सामाजिक कार्य हमारी नस-नस में भरा है। अभी वृद्धावस्था में भी बराबर समाज के उत्थान में लगा रहता हूँ।

पुत्र चि.बत्तीलाल मीना (आई.पी.एस.) आंध्र प्रदेश में देश सेवारत है और छोटा पुत्र बाबूलाल मीना (आई.ए.एस.) है और बीना मीणा (आई.ए.एस.) सूरजपोल दरवाजा जयपुर से शादी कर उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में है।

''जनी जने तो ऐसा जन कै दाता कै शूर,
नहीं तो रहे बांझड़ी काहे गवावे नूर''

अब समय गुण्डे-बदमाशों का दबदबा ज्यादा है। इनकी संख्या देश में ज्यादा है। हमारे कुल में संग्राम सिंह जी बहुत ही बहादुर हुए हैं, जिनकी संक्षिप्त कथा लिख रहा हूँ-

अलाउद्दीन खिलाजी मुसलमान बादशाह दिल्ली ने लिवाली परगना तोड़कर परगना बड़ी उदेई कायम कर दिया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने लड़ते हुए कभी भी उदेई परगना को मान्यता नहीं दी और न किसी प्रकार का कर ही दिया। सांगा की शादी में बरात जाने पर पीछे से गाय घिरवाकर उदेई मंगा ली। बरात वापस आने पर किसी व्यक्ति के मुँह से यह बात निकल गई कि सांगा निठौरा की बरात में जाने से गाँव की गाय घिर गई, वरना किसी की क्या हिम्मत थी कि गाय चली जाए। इसी बात पर सांगा ने कांकर डोरना नहीं खुलवाये और उदेई जाकर गाय छुड़ाने का हठ कर लिया और माँ व बहिन ने काफी समझाया परन्तु सांगा नहीं रुका। घर से निकलने पर देहरी से पैर फिसल गया और साफा नीचे गिर गया। सांगा नीली घोड़ी पर सवार होकर मय हथियारों के बड़ी उदेई को चल दिया। आगे कुम्हार कोरा बर्तन लेकर मिल गया, छाणा लाते मिल गई, इकली हरिणी, दूजो सियार बायाँ तीतर बोल गया। तीन कोस पर तेली मिल गया लेकिन सांगा इतने अपशकुन होने के बाद भी नहीं रूका और उदेई में जिस जगह गाय थी, उस जगह का फरसा तोड़कर नीली घोड़ी को खैर के पेड़ से बांधकर घमासान लड़ाई लड़ा। तेरह पैड तो सांगा मूड से लड़ा व 12 पैड निमुण्ड लड़ा, शीश कटने पर सेल में टाँग लिया और उदेई को नेस्तनाबूद कर सांगा घोड़ी पर बैठकर वापस गाँव आ गया। शाम को फरसे पर औरतों ने ठेन दिया, ''देखां बिना सिर का ही घोड़ी पर बैठकर आया है।'' उसी जगह पर लाश घोड़ी से गिर गई तथा लाड़ी भी वहीं सती हो गई। वह स्थान आज भी लिवाली में मौजूद है और पहला बच्चा पैदा होने पर आज भी सांगा पुजता है, उसके बाद लड़के की शादी होती है। यह प्रथा हमारे कुल में हजारों सालों से प्रचलित है। औरतें रात जगाती हैं। ऐसे वीरों को लाखों प्रणाम! बारबाड़ मीणाओं का लिवाली, बामनवास, अमावरा, जीत, कैमला, बरदाला, बड़ा गाँव आदि जगह राज रहा है।

मीणा जाति और इतिहासकार

मीणा जाति के क्रमबद्ध इतिहास का नितान्त अभाव रहा, परन्तु अनेक प्राचीन ग्रन्थों में यत्र-तत्र इनका उल्लेख अवश्य देखने को मिलता है। सिन्धु घाटी सभ्यता से महाराजा हर्ष तक इनके विषय में अनेक स्थानों पर इनका विवरण मिलता है। प्राचीन भारत के महाकाव्य काल, रामायण तथा महाभारत में अनेक स्थलों पर आदिवासी राज्यों का उल्लेख है, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में फैले हुए थे। महाभारत काल में मत्स्य राष्ट्र मीणा जाति का एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जिसका विस्तृत वर्णन हम पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। मत्स्य राष्ट्र के विघटन के बाद इस जाति के अनेक गणराज्य भारत में फैल गए। छः सौ ईस्वी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक राजस्थान के अनेक स्थानों पर इस जाति ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस जाति का शासन पूरी तरह से जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। इनके छोटे-छोटे गणराज्य थे इसलिए भी इनका क्रमबद्ध इतिहास देखने को नहीं मिलता। ऐसे भी प्राचीन भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन का अभाव था।

राजपूत काल, मुस्लिम काल में क्रमबद्ध इतिहास का श्रीगणेश हुआ जो अंग्रेजी शासनकाल में उन्नत होता गया। हमारा क्रमबद्ध इतिहास यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखा गया। अतः उन्होंने राजपूतों व मुगलों का इतिहास ही विशेषकर लिखा। हमारे समाज की परम्परा एवं गणतंत्रीय प्रणाली से वे परिचित भी नहीं थे।

अत: उन्होंने आदिवासी जाति के गणराज्य पर कुछ भी नहीं लिखा। इन जातियों का इतिहास चारण-भाटों व जागाओं की हस्तलिखित पोथियों तक ही सिमट कर रह गया। राजपूत काल तथा मुसलमान काल में अधिकतर इतिहासकार अपने आश्रयदाता शासकों के इतिहास को ही लिखवाये। बिखरे हुए आदिवासियों की इसलिए भी इतिहास में उपेक्षा होती रही।

राजस्थान में ग्यारहवीं सदी में राजपूत राज्यों का उदय हुआ परन्तु हर्ष के साम्राज्य के विघटन और ग्यारहवीं सदी के बीच के जनजाति राज्यों की सर्वदा उपेक्षा हुई। अन्य राजवंशों के राज्य के समान ही अंग्रेज इतिहासकारों ने ही इस जाति के गौरवमय इतिहास की ओर देखना प्रारम्भ किया, इनमें कर्नल जेम्स टाड का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने गहन अध्ययन तथा खोज के बाद यह सिद्ध किया कि राजपूतों के पहले राजस्थान में मीणा जाति के शक्तिशाली राज्य थे। राजपूतों ने विश्वासघात करके इन भोली जातियों की सौजन्यता का अनुचित लाभ उठाकर एक-एक करके इस चरित्रवान मीणा जाति के राज्यों को धोखे से हथिया लिया, जिनका विस्तृत वर्णन हम पूर्व पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हम उन इतिहासकारों के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने पहली बार इस सत्य को उजागर किया कि राजपूतों ने धोखे से आदिवासी जनजाति मीणा राज्यों को समाप्त किया। ऐसे न्यायप्रिय इतिहासकारों में कर्नल जेम्स टाड, वीर विनोद के लेखक श्यामलदास जी तथा राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार गौरीशंकर हीराचन्द औझा का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

जैन मुनि मगन सागर मीणा गोठवाल (ग्राम- उणियारा, जिला टोंक)

आपके जीवन वृत्त के विषय में हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। आप टोंक जिले के उणियारा के पास उखलाना गाँव के रहने वाले थे। पटवारी से अक्षर ज्ञान सीख कर आप संस्कृत के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित बन गये। आपने सात खण्डों में संस्कृत भाषा में मीन पुराण लिखा जिसका संक्षिप्त हिन्दी मीन पुराण की भूमिका रूप में डग (झालावाड़) निवासी रामसिंह नौरावत के सौजन्य से प्रकाशित हुआ।



आपने इस ग्रन्थ में प्राचीनकाल से मध्यकाल तक मीणा जाति की गौरवगाथा का वर्णन किया है। आपके कथनानुसार मीणा जाति शुद्ध रूप से क्षत्री और आर्यवंश परम्परा से सम्बन्धित है। उनकी दृष्टि में राजपूत क्षत्रिय नहीं है। इनका प्रादुर्भाव ग्यारहवीं सदी में हुआ।

विद्वान जैन मुनि ने अनेक शास्त्रों का उद्धरण देकर यह सिद्ध किया है कि मीणा जाति प्राचीनतम आदिवासी जनजाति हैं।

मुनिजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मीणा जाति में अपने प्राचीन गौरव का संचार करना था। इस जाति की जागृति के लिए आपने सर्वप्रथम 1944 में मीणा समाज का नीम के थाने में विराट मीणा सम्मेलन का आयोजन किया, जिनका विस्तृत उल्लेख हम पूर्व पृष्ठों में कर चुके हैं। मुनिजी के इस उपकार का मीणा समाज सदा ऋणी रहेगा।

कर्नल जेम्स टॉड (1782-1835)

टॉड 18 वर्ष की आयु में 1800 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सैनिक सेवा में भरती होकर भारत आये थे। इसके बाद आप कम्पनी सरकार की ओर से राजपूताने के राजदूत बनकर काम करने लगे। राजपूताना प्रवास के समय आपको इसे निकट से देखने को मिला। यहाँ के वीरों की शौर्य गाथाओं से आप बहुत प्रभावित हुए और आपने "एनाल्स एण्ड एण्टिक्विटीज" नामक राजपूताने का इतिहास दो जिल्दों में लिखा। इतिहास लेखन के समय आप आदिवासी जनजातियों के सम्पर्क में आये। विशेषकर खेराड़ के मीणों के शौर्य एवं शिष्टाचार से अत्यधिक प्रभावित हुए। मीणा जाति के अतिथि सत्कार ने इनके हृदय पर



अनूठी छाप छोड़ी। अत: इस जाति के प्राचीन इतिहास के विषय में स्वभावत: ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जाँच-पड़ताल से इन्हें पता चला कि खोहगंग, मांच, झोटवाड़ा, गेटोर, आमेर में विभिन्न गौत्र के मीणा शासकों का राज्य था। इसी तरह हाड़ौती में मीणाओं का शक्तिशाली राज्य था। राजपूताने का यह प्रथम प्रामाणिक इतिहास था।

उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि खोहगंग में चाँदावंशी राजाओं का शक्तिशाली राज्य था। ग्वालियर से निष्कासित रानी व उसके नवजात शिशु को दया करके अपने यहाँ शरण दी। दयालु आनलसिंह चांदा मीणा ने इस रानी को अपनी बहिन बनाया। परन्तु इसी के लड़के दुल्हाराय ने बड़ा होकर राज्यलिप्सा में आकर जब आलनसिंह व अन्य मीणा सरदारों के साथ कुल परम्परा के अनुसार एक तलाई में तर्पण देते समय वध कर दिया गया। खोहगंग के बाद इसके बंशजों ने एक-एक करके ढूँढ़ाड़ क्षेत्र के सभी मीणा राज्यों का अन्त कर दिया। मीणा जाति को इस महान इतिहासकार की कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने मीणा जाति के इतिहास के उजागर किया। टाड साहब के वर्णन के आधार पर ही विगत अध्याय में मीणा राज्यों पर विस्तार से लिखा गया है। वहाँ पर अनेक स्थलों पर सन्दर्भ भी दिए गए हैं।



कवि राजा श्यामलदास (1836-1893)

(उदयपुर)

मेवाड़ (उदयपुर) के विद्यानुरागी महाराणा सज्जन सिंह के संरक्षण में अपने 23 वर्ष के निरन्तर अध्ययन के बाद ढाई हजार पृष्ठों के राजपूताने का इतिहास "वीर-विनोद" लिखा। यह ग्रन्थ 1866 ई. में प्रकाशित हुआ। वीर-विनोद टाड के राजपूताने के इतिहास का विस्तृत एवं परिष्कृत रूप है। कविराजा ने भी टाड के द्वारा रचित इतिहास के आधार पर जयपुर राज्य के मीणा राज्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त वीर-विनोद की यह विशेषता है कि इसमें मीणा जाति के सामन्तवार व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध

सशक्त आन्दोलन का विशेष विवरण है। लुहारी के मीणों ने अंग्रेजों तथा मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध एक जबरदस्त सशस्त्र युद्ध किया था। उसका आंखों देखा सजीव वर्णन आपने किया है।

खेरवाड़ा में अंग्रेजी छावनी मीणा तथा भीलों द्वारा लूटने का वर्णन भी इस विशद ग्रन्थ में है। अंग्रेज सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे, कविराजा ने ही महाराणा की ओर से जाकर वहाँ शान्ति स्थापित की। कविराजा ने मेर, मीणें तथा मेव को एक ही माना है। मेरों तथा मेवों द्वारा संचालित आजादी की लड़ाई का भी इस ग्रन्थ में वर्णन है। कविराजा ने यह भी लिखा है कि लुहारी के मीणों की सहायता के लिए जयपुर तथा टोंक क्षेत्र के लगभग पांच हजार मीणें पहुंचे थे। मीणा जाति द्वारा अपने शोषण के विरुद्ध किए गए आन्दोलन का सजीव वर्णन करने में वीर-विनोद का प्रथम स्थान है।

गौरीशंकर हीराचन्द औझा (1862-1947) (कचहरी रोड, अजमेर)

आपका जन्म 15 सितम्बर 1862 को उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपने अपनी सेवा मेवाड़ राज्य से प्रारम्भ की। कई वर्षों तक आप कविराजा के सहयोगी रहे। उनकी प्रेरणा से आपने इतिहास लिखने का कार्य शुरू किया। जेम्स टॉड के ग्रन्थ एनाल्स एण्ड एण्टिक्विटीज तथा वीर-विनोद को आधार बनाकर आपने बहुत ही खोजपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखा।



राजस्थान के इतिहास में मीणा जाति के राज्यों के वर्णन के साथ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वर्णन में मीणा जाति के योगदान को अच्छी तरह से उभारा गया। आपने लिखा कि राजा-महाराजा अंग्रेजों के हितैषी बन चुके थे। उनके अधीन बनकर अपना स्वाभिमान खो चुके थे परन्तु आदिवासी जनजातियों ने कभी अपनी स्वतंत्रता को सुख-सुविधा के लिए बलिदान नहीं किया। वरन् वे स्वयं स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ते रहे।

औझा जी ने बहुत करूण हृदय से 1857 की क्रान्ति का वर्णन किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि राजस्थान उठ जाता और यहाँ के राजा-महाराजा क्रान्तिकारी देशभक्त आदिवासी जातियों का नेतृत्व करते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपने जहाँ जैपुर के मीणों का आजादी की लड़ाई में योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की है, जिसका विस्तृत वर्णन हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण (1815-1868) (बूंदी)

सन् 1840 ई. में 15 वर्ष के लगातार परिश्रम से पैंतीस हजार दोहों में वंशभास्कर नामक ग्रन्थ लिखा। यद्यपि इसमें बूँदी, कोटा के राजवंशों पर अधिक लिखा गया, परन्तु उन्होंने राजा-महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों की दासता को उचित नहीं ठहराया और राजाओं को 1857 की क्रान्ति में भाग लेने के लिए तैयार करने की भरसक प्रयास किया। इन्होंने तांत्या टोपे के नेतृत्व में आदिवासी जनता का टोंक नवाब के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख किया है। उन वीरों की प्रशंसा की है जो आजादी की लड़ाई में भाग लेने को उद्यत थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा-

इला न देणी आपणी हालरिया हुलराय।
पूत सीखावे पालणे मरण बड़ाई माय॥

आदिवासी मीणा जाति का चरित्र इस कथन का उचित भाष्य है।

रावत सारस्वत (मीरा मार्ग, पीतल फैक्ट्री के पास, झोटवाड़ा रोड, जयपुर)

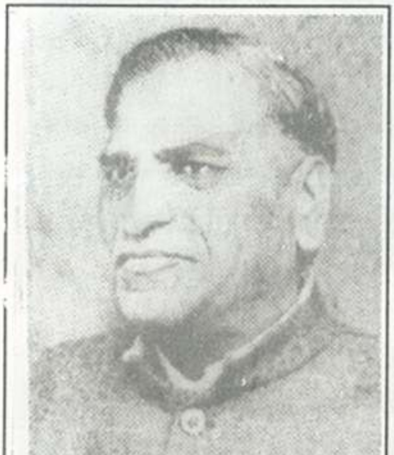
मीन पुराण की भूमिका को आधार मानकर स्वर्गीय सारस्वत ने 'मीणा जाति का इतिहास' नए तथ्यों के आधार पर लिखा। रावत जी को इतिहास के लिए सामग्री जुटाने में बस्सी के सामाजिक कार्यकर्ता झूंथालाल नाढला बस्सी, जिला जयपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रावत सारस्वत द्वारा लिखित इतिहास में मीणा जाति के उद्भव के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। आपने फादर हैरास के यात्रा वर्णन का भी अपनी पुस्तक में समावेश किया है। पुस्तक की विशेषता यह है कि परिशिष्ट में प्रमुख मीणा राजवंशों की सारिणी भी दी गई है।

इतना होने पर भी जरायमपेशा कानून व मीणा जाति का नागरिक अधिकारों के संघर्ष का उल्लेख मात्र किया है। इस कमी को पूरी करने के लिए ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल की प्रेरणा से यह पुस्तक लिखी गई।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री नन्दकिशोर पारीक

(नन्दकिशोर पारीक मार्ग, बापू नगर, जयपुर)

आपका जन्म 3 सितम्बर, 1926 को जयपुर नगर के प्रतिष्ठित पारीक परिवार में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करके आपने 1954 में राजस्थान जन सम्पर्क सेवा में प्रवेश किया और 1981 में संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवाकाल में ही आपने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दे दिया था। फलस्वरूप 1979 में राजस्थान सरकार ने आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में 'विशिष्ट योग्यता पुरस्कार' से सम्मानित किया। सेवाकाल के पूर्व भी आप राजस्थान के प्रथम दैनिक 'लोकवाणी' के सम्पादक मण्डल में रह चुके थे। सेवाकाल में भी आप अबाध रूप से ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर लिखते रहे।



आपकी लेखन कला से प्रभावित होकर 'राजस्थान पत्रिका' के संस्थापक श्री कर्पूरचन्द कुलिश ने सर्वप्रथम आपको 'पत्रिका' के जोधपुर संस्करण के सम्पादक का कार्य सौंपा। वहाँ से आप जयपुर आ गये और आपको जयपुर की अनछुई घटनाओं पर प्रकाश डालने के 'पत्रिका' के 'नगर परिक्रमा' कॉलम का सम्पादक 1972 में बनाया गया, जिसे आपने जीवन पर्यन्त निभाया।

'नगर परिक्रमा' में गुलाबी नगर जयपुर की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन ही नहीं है, वरन् यहां के गली-कूचों, हाट बाजार के प्राचीन महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ढूँढ़ाड़ प्रदेश के गौरवशाली स्वतंत्र मीणा राज्यों पर भी नगर परिक्रमा में समय-समय पर लिखा जाता रहा। राजपूतों ने किस तरह मीणा राज्यों को छल-कपट से अपने हाथ में लिया, उस पर भी नगर परिक्रमा में क्रमशः उल्लेख किया गया।

मीणा सुधार समिति जयपुर के मंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल का आपसे निकट सम्पर्क था। अत: जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख स्वतंत्रता सैनानी झरवाल, श्री पारीक जी से किया करते थे। अत: नगर परिक्रमा में जरायमपेशा कानून पर भी समय-समय पर प्रकाश डाला गया।

मीणा समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाएं आपकी आंखों से ओझल न हो सकी। अत: आपने सम्राट अकबर के समय के सन्त दादूदयाल के परम भक्त झाझूजी-माझूजी तथा बाद के राधास्वामी पंथ के सन्त मेघदासजी के विचारों को नगर परिक्रमा में विशेष स्थान दिया। मीणा समाज की धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता पर भी पारीक जी ने समुचित प्रकाश डाला। महावीरजी के मेले तथा ऋषभदेव केसरिया जी मन्दिर में आदिवासी जनजातियों की प्रमुखता पर भी नगर परिक्रमा में खूब विस्तार से लिखा गया।

भारमल के बाद कच्छावा राजाओं के साथ मीणा समाज के सम्मानजनक समझौते और अधिकारों पर भी प्रकाश डाला गया। राजमहलों व खजानों की सुरक्षा पर मीणा लोगों की कर्त्तव्य परायणता पर पारीक जी ने खूब लिखा। नगर रक्षा की 27 चौकियों की सुरक्षा का भार मीणा जाति पर था। इन सत्ताईस चौकियों का विस्तार से वर्णन 'नगर परिक्रमा' में देखने को मिलता है। अत: मीणा जाति की ऐसी कोई भी घटना आपकी कलम से बच न सकी। मार्टिन ब्लैक हत्या के कारण दो मीणा युवकों को फाँसी दिए जाने की घटना का भी आपने उल्लेख किया। उस समय की वस्तुस्थिति पर 'नगर परिक्रमा' के दो तीन अंकों में लिखा गया।

मीणा जाति द्वारा आयोजित सम्मेलनों तथा नागरिक अधिकारों का भी विस्तार से वर्णन 'नगर परिक्रमा' में देखने को मिलता है। सच पूछा जाये तो 'नगर परिक्रमा' कॉलम मीणा जाति का संक्षिप्त इतिहास है। नगर परिक्रमा के आलेखों को स्थायी रूप देने के लिए आपने ''राजदरबार एवं रानीवास'' नामक सचित्र पुस्तक का प्रकाशन किया। यह पुस्तक एक तरह से जयपुर के जन-जीवन का रुचि-पूर्ण इतिहास है, जिसे पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति गदगद हो जाता है।

ऐसे सौम्य जनवादी मूर्धन्य लेखक श्री नन्दकिशोर पारीक का हृदयगति रूक जाने के कारण 18 दिसम्बर, 1999 को निधन हो गया। जन्म-मृत्यु प्रकृति का सनातन नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। परन्तु पारीक जी की लेखनी उनको अमर बना गई। विशेषकर मीणा जाति उनकी आभारी है कि उन्होंने इस जाति के गौरव तथा पतन को अपनी लेखनी का विषय बनाया।

मूर्धन्य लेखक : डॉ.प्रहलाद सिंह (दौसा, राज.)

आप श्री मोहर सिंह के सुपुत्र हैं। शिक्षा प्राप्त करके आप पशु चिकित्सा में डाक्टर की उपाधि प्राप्त की। आप प्रारम्भ से मेधावी छात्र रहे हैं। विज्ञान विषय के स्नातक होने पर भी आपकी रुचि इतिहास विषय में अधिक है। यही कारण है कि अपनी मीणा जाति के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास में कई शोध पूर्ण लेख लिखे। मत्स्य राष्ट्र के वैभव पूर्ण इतिहास पर आपने अनेक आलेख लिखे। मीणा राज्यों के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियों को प्रमाण सहित स्पष्ट किया। नहान तथा नाहन अलग-अलग मीणा राज्य थे जबकि अनेक लोगों ने इसे दौसा के निकट वाले नाहन राज्य को ही प्रमुखता दी है। इस तरह आपने अनेक शोध



पूर्ण लेख ''अरावली उद्घोष'' में प्रकाशित करवाये।

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मीणा जाति के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में आपने नये तथ्य उजागर किये। मुगल वंश के राजकुमारों को क्रान्ति के समय शरण देने वाले मीणा सरदार ही थे, जिनका संक्षिप्त विवरण पहले दिया जा चुका है। स्वतंत्रता सैनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल से भी आपका सम्पर्क बराबर बना रहता है।

राजकीय सेवा में रहते हुए भी आप जाति सुधार के कार्य में निरन्तर रुचि रखते हैं। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में भी मीणा सुधार समिति को बराबर सहयोग देते रहते हैं। आप समाज के जागरूक कार्यकर्ता हैं। आपकी सबसे बड़ी देन मीणा समाज के गौरवपूर्ण इतिहास सप्रमाण उजागर करना। भाषा सरल एवं प्रभावशील है। निरन्तर कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। अन्य युवकों को भी इनसे प्रेरणा लेनी है।

बालूलाल पानगड़िया (मोती डूंगरी रोड, दरगाह के पास, जयपुर- 4)

आप राजस्थान के मूर्धन्य लेखक हैं। राजस्थान के इतिहास पर अनेक पुस्तकें लिखी। राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा में रहते हुए भी आपका जनजाति आन्दोलन से विशेष स्नेह रहा क्योंकि राज्य सेवा के पहले आपने प्रजामण्डल के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।



पानगड़िया कितने ही पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक मण्डल से जुड़े रहे। 1976 में राजकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद तो आपने सभी पूर्व ग्रन्थों की कमी को पूरी करते हुए 'राजस्थान का इतिहास' लिखा। आपकी सबसे प्रिय पुस्तक 'राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम' है। यह प्रथम अवसर है कि जनजाति आन्दोलन पर इतना विस्तार से लिखा गया। मीणा जाति में जन जागृति का आपने सजीव वर्णन किया है। जीवन के आठवें दशक में भी आप बहुत सजग लेखक हैं और वर्तमान समस्याओं पर लब्ध-प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में आप लिखते ही रहते हैं।

मीणा जाति के अनेक सम्मेलनों में आपकी उपस्थिति इस जनजाति के प्रति विशेष स्नेह को प्रकट करता है। अन्य लेखकों की भाँति आप भी मीणा जाति को प्राचीन आर्य जाति से सम्बन्धित मानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति के योगदान को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पुस्तक में उभारा है।

श्री हीरालाल मीणा एक प्रबुद्ध लेखक (डूंगरपुर, राज.)

श्री हीरालाल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आदिवासी जनजाति की सेवा में निरन्तर लगे रहते हैं। राजस्थान आदिवासी संघ जयपुर के आप अध्यक्ष हैं परन्तु आपका मुख्यालय डूंगरपुर में हैं। वहीं आ

एडवोकेट, राजस्थान डूंगरपुर में कार्यरत हैं। एम.ए., एल.एल.बी. शिक्षा प्राप्त कर आप पिछड़ी आदिवासी जनजाति की सेवा के लिए संघर्ष रत रहते हैं। उनके चरित्र की विशेषता अन्य आदिवासी अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत है कि उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी अपनी जमीन को न भूलें।

आपने आदिवासी समाज का अतीत गौरव नामक पुस्तक लिखी। उसमें आपने बताया कि वीरवर महाराणा प्रताप के 25 वर्ष के वनवासी जीवन में आदिवासी जनजाति के लोग ही प्रताप की सेवा सुश्रुषा में लगे रहते थे। मुगल सैनिकों की गतिविधि से निरन्तर प्रताप को सूचित करते रहते थे। इस प्रसंग में एक उदाहरण बहुत ही रोमांचकारी है। दो आदिवासी मीणा बालक प्रताप के परिवार के लिए भोजन सामग्री



जुटाकर लौट रहे थे। मुगल सैनिकों ने उनको पूछताछ के लिए पकड़ लिया और प्रताप के निवास के विषय में बताने के लिए उन्हें धमकाने लगे परन्तु ये आदिवासी अपनी मातृभूमि के इतने सच्चे सेवक निकले कि उनको यातनायें देने पर भी वे दृढ़ रहे और यही कहते रहे कि ''हम तो गायें चराने का काम करते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं। इस पर क्रूर मुगल सैनिक अपनी बात पर अड़े रहे और उन्हें एक पेड़ पर उल्टा लटका कर नीचे आग लगा दी। अधजली अवस्था में नीचे उतार कर पुन: प्रताप का ठिकाना बताने के लिए दवाब डाला। परन्तु बच्चे ठिकाना न बताने के लिए अडिग रहे। अन्त में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन दे दिया। ऐसे कितने ही आदिवासी मीणा समाज के देश के लिए बलिदान होने के उदाहरण सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकार अकबरी सेना के घेराव में जब महाराणा फंस गये तब एक बार ऋषभदेव के पास भटका वाली नाल में हींग कोटिडिया ने महाराणा को सलाह दी कि, महाराणा! मेरी टूटी-फूटी अंगरखी व पगड़ी बांध कर और मुझे आपकी वर्दी दे दो और आदिवासी बनकर यहां से आप निकल जाओ। महाराणा ने ऐसा ही किया और वो बच निकले। जब हींग कोटिडिया महाराणा के कपड़े पहन कर घोड़े पर हाथ में तलवार लेकर सवार हुआ तो अकबर के सैनिकों ने मार गिराया और उसका सर काटकर बादशाह के पास भिजवा दिया। जब अकबर बादशाह ने सिर को देखा तो कहा कि यह महाराणा प्रताप का सिर नहीं है। परन्तु इतिहास में इनकी अवहेलना की गई। श्री हीरालाल अहारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ''आदिवासी समाज के अतीत के गौरव पर समुचित प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में आदिवासी बन्धुओं की निडरता एवं स्वातंत्र्य प्रेम पर भी प्रकाश डाला गया है। उनके अनुसार 'हामजी भोराया' एक ऐसा आदिवासी वीर हुआ है जिसे अंग्रेजी शासन उदयपुर तथा डूंगरपुर के शासक भी भय खाते थे।

स्वतंत्रता के सजग प्रहरी वीरवर महाराणा प्रताप की सेवा में आदिवासी वीर निरन्तर लगे रहे। परन्तु उनके त्याग व बलिदान को इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। सादड़ी के साहूकार भामाशाह ने प्रताप को मेवाड़ राज्य से कमाई गई 22 हजार अशर्फियां भेंट की थी। उसे इतिहास में बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।

डूंगरपुर का प्रथम शासक 'डूंगर बलण्डा' आदिवासी शासक था। उसी ने डूंगरपुर बसाया। उदयपुर में महाराणाओं के पहले उदा-खराड़ी नामक आदिवासी का शासन था। ऐसे कितने ही प्रसंग इस पुस्तक में संजोये गये हैं। युवा समाजसेवी हीरालाल अहारी अभी भी समाज सेवा में लीन हैं और पिछड़ों को आगे

बढ़ाने में सहायता देते रहते हैं। श्री हीरालाल अहारी जिला परिषद में मीणों को कार्य के बदले कम मजदूरी के विरोध में विधानसभा जयपुर में उन पर हो रहे आर्थिक अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए धरना दिया।

लक्ष्मी नारायण मीणा (मालवीय नगर, जयपुर)

आप मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय सेवा से राजपत्रित अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने 'मीणा जनजाति' के नाम से इतिहास की पुस्तक लिखी। पुस्तक की विशेषता यह है कि मीणा जाति के विश्वव्यापी रूप को निखारा गया है। कला व संस्कृति पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। पुस्तक पठनीय है।

श्रीमती मयूरी भारद्वाज (सम्पादक- हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली)

श्रीमती मयूरी भारद्वाज का राजस्थान के नवलगढ़ जिला झुंझनूं में जन्म हुआ। आप बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी हैं, अब तक अनेक क्षेत्रों में कार्य किए। बम्बई से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के पश्चात कुछ वर्षों तक सक्रिय राजनीति से भी सम्बन्ध रहा। अनेक जन आन्दोलनों से जुड़ी, जिसकेपरिणामस्वरूप जेल यात्रा का दण्ड भी भुगतना पड़ा। किन्तु कालान्तार में राजनीति को छोड़कर सम्पूर्ण रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया।

नवभारत टाइम्स बम्बई में कुछ अर्से तक फ्री लांस पत्रकार के रूप में काम किया। अनेक लेख लिखे। अन्य पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित रहीं किन्तु इधर अनेक वर्षों से दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिन्दुस्तान में संवाददाता के रूप में कार्य कर रही है। राजनीति रिपोर्टिंग के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किये हैं। अनेक स्थलों की यात्राएं की और तथ्यपरक रोचक, रोचमांक यात्रा वृतान्त लिखे। यों तो देश के विभिन्न स्थलों के निकट का सम्पर्क रहा किन्तु राजस्थान सेविशेष लगाव होने के कारण वहां का विशद अध्ययन किया।



राजस्थान् रूपहला है। रंगीला है। वहां की रेत में ही रंग नहीं जनजीवन में भी कम रंगीलापन नहीं है। कुदरत ने एक प्रकार की अद्‌भुत सरसता प्रदान की है। भांति-भांति के रंगों के संगम में समाए यहां के निवासियों के परिधान, संघर्षरत समाज को एक नया जीवन दर्शन प्रदान करते हैं।

सचमुच में बड़ा रहस्यमय है राजस्थान। जितने विशाल ऐतिहासिक किले एक साथ वहां हैं, उतने शायद ही विश्व के किसी क्षेत्र में हो। वहां के अतीत का सौन्दर्यपूर्ण इतिहास राजपूत रणबांकुरों के गौरवमय बलिदान का साक्षी है। हल्दीघाटी, चित्तौड़, रणथम्भौर में तीर्थ आज भी प्रेरणा के अनादि स्रोत हैं। तीर्थराज पुष्कर, महर्षि कपिल की तपोभूमि, नाथद्वारा आदि मध्य स्थलों के अतिरिक्त अजमेर शरीफ, रामदेवरा तीर्थ भी धार्मिक सहिष्णुता एवं एकता के प्रतीक हैं। जहां हिन्दु-मुसलमान मिलकर प्रार्थना करते हैं।

पर्यटन स्थलों की भी भरमार है राजस्थान में! राजस्थान का उदयपुर, गुलाबी नगर जयपुर, पश्चि

विहार भरतपुर, माउन्ट आबू, सरिस्का, भृतृहरि कई दर्शनीय स्थान हैं। तपते रेगिस्तान में हरे-भरे शीतल मरु उद्यान, यह पुस्तक राजस्थान का वर्णन ही नहीं एक अंतरंग आत्मीय झांकी भी प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से राजस्थान के हर पहलू को आसानी से देखा जा सकता है।

''रंगीला राजस्थान के सम्बन्ध में अखबारों में लेख पढ़ कर क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल जयपुर मेरे से हिन्दुस्तान अखबार कार्यालय दिल्ली में ता. 4 अक्टूबर, 1989 में मिले और राजस्थान के देशभक्त लाखों मीणों को राजा-महाराजाओं ने केवल मीणा जाति में जन्म लेने मात्र से ही उन्हें क्रीमिनल ट्राइब एक्ट में फंसा कर नागरिक अधिकारों से वंचित कर रखा है। यह कहानी उनसे सुन कर दुख हुआ और उन्हें कहा कि अन्याय का मुकाबला करना मनुष्य का धर्म है। उन्होंने काले कानून का हिम्मत के साथ मुकाबला किया और उन्हें क्रीमिनल ट्राइब एक्ट को समाप्त करने में सफलता मिली। मीणा जाति व स्वतंत्रता आन्दोलन की पुस्तक लिख रहे हैं, वह प्रेरणादायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।''

श्री रामचन्द्र पलात (ग्राम- भीण्डा, जिला- डूंगरपुर)

राजस्थान की वनविहारी जनजातियां विशद शोध ग्रन्थ के लेखक श्री रामचन्द्र पलात मीणा का जन्म बागड़ प्रदेश में डूंगरपुर जिले के भीण्डा गांव में एक बहुत ही गरीब मीणा परिवार में सन् 1946 में हुआ था। आप सरल, नम्र, शालीन, सहिष्णु एवं मृदु भाषी स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन मार्ग का



स्वयं निर्माण किया है। सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आपने विद्या भवन, उदयपुर से ग्राम सेवा में डिप्लोमा (बी.ए. के समकक्ष) किया और तदन्तर राजस्थान विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में एम.ए. की उपाधि ली। जनजातीय समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के प्रति सतत संवेदनशील रहते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण में आप सदैव सक्रिय पूरी तरह सहयोग देते रहे हैं। आपका उपरोक्त शोध ग्रन्थ राजस्थान के दक्षिणी अंचल की मीणा, भील-मीणा, भील, डाभोर, गिरासिया और सहरिया जनजातियों की संस्कृति, इतिहास और उनके सामाजिक जीवन में आते रहे उतार-चढ़ाव का एक क्रमबद्ध मौलिक अध्ययन है। वस्तुतः इतनी ढेर सारी सामग्री जुटा पाना अत्यन्त कष्टसाध्य रहा होगा। इसके अलावा, आपने अपने ही सीमित साधनों से इसे प्रकाशित भी करवाया, जो इनकी जागृत निष्ठा, अखण्ड आत्म-विश्वास, अथक अध्यवसाय एवं निरपेक्ष समर्पण- भावना का ही द्योतक है। राजस्थान के अन्य अंचलों- ढूंढ़ाड़, हाड़ौती, मेरवाड़ा, मारवाड़ आदि में रह रही जनजातियों के बारे में भी ऐसे शोध ग्रन्थ लिखे जाने चाहिएं। इन अंचलों में रह रहे बुद्धिजीवी यदि इस दिशा में कुछ कर दिखायें, तो निश्चित रूप से अपने समाज की बहुत बड़ी सेवा करेंगे।

श्री रामचन्द्र पलात ने राजस्थान की विभिन्न अनुसूचित जातियों, घूमन्तु जातियों और जनजातियों के सामाजिक जीवन, आवास, व्यवसाय, शिक्षा, उनकी समस्याएं और उनका निराकरण आदि पर भी एक शोध ग्रन्थ लिखकर राज्य एवं केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। आपसे हम भविष्य में भी युग-

युगों से पीड़ित, दमित और शोषित मानव समुदाय से सम्बन्धित और भी रचनाओं व कृतियों की आशा करते हैं।

लेखन क्षेत्र की प्रतिभा के रूप में आपको राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित कर मान सम्मान भी मिलता रहा है।

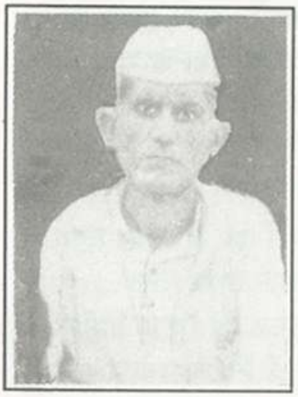
1. भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा 6 दिसम्बर, 1990 को अकादमी ने हिमाचल भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में आपको डॉ. अम्बडे कर फैलोशिप से सम्मानित किया गया।
2. महाराणा मेवाड़ फाउण्डेशन उदयपुर द्वारा 10 अप्रेल 1994 को भारतीय परिवेश में आदिवासी समाज के उत्थान एवं सुधार के लिए आप द्वारा सम्पादित स्थायी मूल्य की सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको राजमहल के प्रांगण में आयोजित विशाल वार्षिक समर्पण समारोह में राणा पूँजा सम्मान से सम्मानित किया गया। फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह मेवाड़ ने 10,001 रुपया नकद, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया तथा शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया।
3. इसी तरह तृतीय भारतीय जनजाति विचार गोष्ठी एवं सम्मेलन कोटा में दिनांक 20 जून 1994 को मेवाड़ और बांगड़ क्षेत्र (राजस्थान) कीं जनजातियों में प्रथम पुस्तक लेखक के उपलक्ष्य में आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मेलन में सम्मानित किया गया।

समाज कल्याण विभाग राजस्थान में आप निम्नलिखित महत्वपूर्ण राजपत्रिता पदों पर सेवारत रहे हैं-

1. परिवीक्षा अधिकारी राजकीय किशोर गृह उदयपुर।
2. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह उदयपुर

स्वर्गीय झूँथा लाल नाँढ़ला बस्सी जिला जयपुर (राज.)

आप मीणा जाति के वरिष्ठ नेताओं में एक थे । स्वतंत्रता सैनानी श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरायम पेशा कानून समाप्त करवाने में कार्य किया । ये जीवन भर समाज की उन्नति के लिये काम करते रहे ।



मीणा जाति का इतिहास लेखक रावत सारस्वत को समस्त सामग्री आपने ही जुटाई । इसके अतिरिक्त कल्याण जी के मेले में अश्लील नाच-गान त्याग कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप कितने ही मीणा सम्मेलन में उपस्थित हुए और अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया ।

शिक्षा प्रसार में आपकी देन अमूल्य है । झालाना डूँगरी में विशाल मीणा छात्रावास आपकी ही देन हैं ।

वास्तव में ऐसे त्यागी व समाज सेवक महानुभावों पर मीणा जाति को गर्व है । आपके पूर्वजों का गेटोर व झोटवाडा में एक छत्र राज्य रहा ।

अन्य समाज सेवी

राजस्थान राज्य समाज सेवा एवं राजनीतिक जागृति में किसी से पीछे नहीं रहा। सामन्ती व्यवस्था को चुनौती देने वालों की यहाँ कमी नहीं है। ऐसे महानुभावों में चौ. घासीराम, सरदार हरलाल सिंह, बाबा नरसिंहदास, श्री रामनारायण चौधरी कोटा के पं. अभिन्नहरि शास्त्री, नेताराम सिंह, अलवर के मास्टर भोला लाल, भरतपुर के श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री गणेश लाल उस्ताद, श्री सूरज प्रकाश पापा, श्री रामचन्द्र बेड़ा एवं श्री सुमनेश जोशी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये सभी लोग नागरिक अधिकारों के लिए सर्वदा संघर्षरत रहे। श्री सुमनेश ने राजस्थान के तपोनिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को प्रकाश में लाने के लिए आपने 'राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी' नामक महत्त्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया। ये सभी लोग किसी न किसी रूप में आदिवासी आन्दोलन से जुड़े रहे। इनके अलावा मीणा समाज के कई समाजसेवियों, जिनमें कप्तान छुट्टनलाल (सवाई माधोपुर) और श्री कालूराम जी मीणा (बामणवास) व अन्य के बारे में सामग्री उपलब्ध न करवाने के कारण उनके बारे में पुस्तक के प्रथम संस्करण में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। भविष्य में किसी भी प्रकार की समाजसेवा से सम्बन्धित व्यक्तित्व के बारे में सामग्री उपलब्ध करवाने पर पुस्तक के द्वितीय संस्करण में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

❑❑❑

विभिन्न पत्र-पत्रिकाएँ

अनेक पत्र-पत्रिकाओं में भी मीणा जाति पर अनेक सामग्री प्रकाशित होती रहती है। वर्तमान में दो पत्रिकाएँ ''अरावली उद्‌घोष'' तथा ''मीना भारती'' पत्रिका इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। ''अरावली उद्‌घोष'' उदयपुर से निकलती है। इसके सम्पादक बी.पी. वर्मा ने पत्रिका को अर्थपूर्ण तथा पठनीय बनाने में उत्तम कार्य किया है।

दूसरी पत्रिका ''मीना भारती'' बोराज से लगभग सात वर्षों से निकल रही है। इसके सम्पादक फतेहसिंह मीना ने मीना जाति पर विविध सामग्री जुटाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस पत्रिका का निरन्तर विस्तार हो रहा है। दोनों पत्रिकाएँ मीना समाज की उत्तम सेवा के साथ अच्छी जानकारी दे रही है।

अध्याय 10

सभ्यता एवं संस्कृति

मानव का आविर्भाव और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का उदय वस्तुत: एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का परस्पर सम्बन्ध बड़ा अटूट है। दोनों का श्री गणेश प्रकृति की सुरम्य वाटिका में हुआ और निरन्तर विकासोन्मुख होते गये। कालचक्र ने दोनों को धराशायी करना चाहा, परन्तु संघर्षशील मानव ने कभी घुटने नहीं टेके और सिर उठाकर ऊपर उठने की प्रक्रिया को जारी रखा। फलस्वरूप आज मानव के विकास के साथ ही उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार चन्द्रमा तक हो चुका है। वास्तव में मानव तथा उसकी सभ्यता एवं संस्कृति इसी क्रम में मूल्यवान है। विपरीत परिस्थिति में उसने अपना सिर नहीं झुकाया और निरन्तर मानवोचित व्यवहार की स्थापना के लिए संघर्ष करती रही। आज अपने परिश्रम, योग्यता एवं प्रतिभा से देश व समाज में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना सकी। यह वैचारिक दृढ़ता का ही प्रतिफल है, जो सभ्यता व संस्कृति का ही दूसरा रूप है।

सामाजिक जीवन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने स्वभाव व आवश्यकता के अनुसार अपने समाज का सृजन करता है। मनुष्य के वातावरण एवं विचारधारा में सतत परिवर्तन होता रहता है। अत: इस परिवर्तन के सन्दर्भ में समाज का स्वरूप भी निरन्तर बदलता रहता है। मीणा जनजाति ने भी अपनी प्रवृतियों, आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने समाज का सृजन किया। अत: पूर्व सामाजिक संरचना व आज के सामाजिक संरचना में अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। परन्तु किसी भी जाति या जनजाति की समाज रूपी भवन का निर्माण उसके आचार एवं प्रवृत्ति रूपी मूल स्तम्भों पर किया जाता है, जो कुछ अंशों में ही परिवर्तित होता है।

अन्य जातियों की भाँति ही मीणा जनजाति का भी समाज था, जो प्रारम्भ मातृ सत्तात्मक था, जिसने कालान्तर में पितृ सत्तात्मक रूप धारण कर लिया। पिता परिवार का प्रधान होता है, जो परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, विकास आदि के लिए उत्तरदाती होता है। मीणा जनजाति के लोग गांव और नगरों में निवास करते थे और अब भी करते हैं। जब आर्य, यवन, शिवि, अर्जुनायन, मालव, शक, हूण, राजपूत आदि जातियों के आक्रमणों के विरुद्ध इनके क्रमश: युद्ध हुए तो इन्होंने जंगलों और पहाड़ों में शरण ली, वहीं अपना निवास स्थल बनाया। पहले के अध्यायों में यह स्पष्ट हो चुका है कि राजपूत काल में मीणा जनजाति सामाजिक संगठन की दृष्टि से 12 पालों, 32 तड़ों तथा 5200 गौत्रों में विभक्त थी। आज भी प्राय: यही स्थिति है।

कर्नल जैम्स टाड ने मीणा जनजाति को प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया। प्रथम शुद्ध या आर्य मिश्रित मीणा। इसे कर्नल टाड ने मैना कहा है। उसने इसे अधिक स्पष्ट करने से इसे पंचवारा भी कहा है। इनकी पांच शाखायें हैं, उसरा, सिडरा, चाँदा आदि। इनमें उसरा को अधिक महत्त्व दिया गया है। द्वितीय शाखा को मीना कहा गया है, जिसमें 12 पाल, 32 तड़ एवं 5200 गौत्र हैं। अलवर गजेटियर में मेजर

पाबलेट ने सामाजिक संगठन की दृष्टि से मीना जनजाति को दो भागों में विभक्त किया है। जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। अब इस प्रकार का भेद मिट गया है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि कर्नल जेम्स टाड के अनुसार मीणा जनजाति के राजस्थान में राज्य इस प्रकार थे। माँच (जमारामगढ़), सिराह मीणा जनजाति का, अम्बर (आमेर) में सुसावत मीणा, गेटोर में नाढला मीणा का, ढूंढ़ाड का पचवारा मीणा, बूँदी के उसरा मीणा, अजमेर के उत्तर पश्चिम में चीता मीणा का राज्य था।

वैवाहिक व्यवस्था

यह व्यवस्था लगभग अन्य जातियों के समान ही है। परन्तु जनजातियों की यह व्यवस्था अधिक प्रगतिशील है। जैसे मीणा जनजाति में युवा होने पर ही विवाह करने की व्यवस्था थी। दूसरे शब्दों में इस समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। युवक-युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। विवाह के पूर्व लोकगीतों से यौन सम्बन्धों का ज्ञान करवाना। आर्थिक दृष्टि से विवाह करना इस जाति में भी आवश्यक माना गया है। वस्तुत: जनजातियों में विवाह एक नागरिक समझौता था, जो स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक थे।



मीणा जनजाति की वैवाहिक व्यवस्था अन्य जनजातियों से थोड़ी भिन्न है। क्योंकि प्राचीनकाल में इनका आर्यों के साथ सम्पर्क था, जो राजपूत काल में दूध और पानी के रूप में बदल गया। अत: जनजाति के वैवाहिक प्रथा एवं आर्यों की वैवाहिक व्यवस्था का समन्वय हो गया। जैसे द्वार पर तोरण लटका कर तोरण मारने की प्रथा, मीणा जनजाति की प्रथा से लिया गया। उस समय यह प्रथा शिकारी जीवन एवं निशानेबाजी की श्रेष्ठता का परिचायक थी। मीणा जनजाति ने भी आर्यों के वैवाहिक रीति-रीवाजों को आत्मसात कर लिया। जैसे सात फेरे खाना, घर जोड़ा (गठजोड़) वर-वधू के क्रमश: दुपट्टा और साड़ी की छोर को बाँधना। हथलेवा वर-वधू के हाथों का मिलान, यह सभी प्रथा आर्यों के सम्पर्क से आई। विधवा विवाह का भी प्रचलन जनजातियों ने सनातन काल में रहा है। विधवा विवाह प्राय: देवर से ही किया जाता है। देवर न होने पर पति के सगोत्र से भी विधवा विवाह कर सकती है। परिवार में विवाह करने के पीछे भी दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम विधवा को अपने परिवार का अभिन्न अंग बनाये रखना और द्वितीय कारण यह है कि मीणा समाज में स्त्रियों के गहनों के मूल्य का अधिक महत्व होना। परन्तु मीणा विधवा को अपने परिवार से हट कर भी विवाह करने का पूरा



अधिकार है।

मीणा जनजाति में अन्तर्जातीय विवाह करने की भी प्रथा थी। यह हम पढ़ चुके हैं कि ग्यारहवीं सदी में जिन मीणों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उनको ही आज मेव या मेवाती कहा जाता है। परन्तु मुगल सम्राट अकबर के समय तक मीणों व मेवातियों में वैवाहिक सम्बन्ध थे। राजपूतों से भी इस जाति के वैवाहिक सम्बन्ध के भी अनेक उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। राणा परिवार के बीका ने 1531 में इस प्रदेश के भील-मीणा राजा भामरदेव को मारकर उसकी रानी देवली से विवाह किया। देवली के नाम पर ही ''देवलिया'' नामक विशाल नगर बसाया गया, जो कालान्तर में मालवा प्रान्तों का एक प्रमुख अंग बन गया। इतना ही नहीं यह मालवीय सभ्यता व संस्कृति का भी प्रमुख केन्द्र बन गया। कांठल राज परिवार में देवली मीणा की चोटी की पूजा विजयदशमी पर आज भी होती है।

इसी तरह कोटा राज्य के राव मुकन्द सिंह ने बन में शिकार करते समय खैराबाद की विवाहिता सुन्दरी ''अबला'' को वन में विचरण करते समय देख लिया था। उस पर मोहित होकर उसे अपने राज महलों में ले आया। डॉ.मथुरालाल शर्मा ने कोटा राज्य के इतिहास में लिखा है कि अबला का पति नंगी तलवार लेकर मुकन्द सिंह के पास पहुंचा, उसे मारने की धमकी दी। परन्तु राव मुकन्द सिंह ने अबला के पति को एक जागीर देकर शान्त कर दिया। जागीर ही नहीं उसे कोटा-बूँदी के बीच दर्रे से जाने वाले ऊँट, हाथी, घोड़ी और बैलगाड़ी से कर प्राप्त करने का भी अधिकार दिया। अबला मीणों ने भी यह मांग रखी कि दर्रे पर उसका महल बने, वहां दीपक ज्योति सदा प्रज्जवलित रहे। काफी समय तक यह दीपक प्रज्जवलित रहा। अबला ने कोटा में अपने नाम से एक बावड़ी भी बनवाई।

मीणा जनजाति में तलाक की प्रथा भी प्रचलित है। यह प्रथा इनमें बहुत ही सरल व सामान्य है। यदि कोई मीणा सज्जन मनमुटाव के कारण अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है तो वह अपने साफे को फाड़ता है और उसके टुकड़े को अपनी स्त्री को दे देता है। पत्नी इस साफे के टुकड़े के साथ अपने सिर पर पानी के दो घड़े रखती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी दिशा में प्रस्थान कर देती है। उसके मार्ग में आने वाला प्रथम सुयोग्य व्यक्ति उस घड़े को उतारता है, वही उसका पति बन जाता है। कर्नल टाड ने इस प्रकार की तलाक को 'निकाला' कहा है। मीणों की भांति अन्य जातियों में भी यह प्रथा है। परन्तु आजकल सभ्य मीणा समाज में यह प्रथा नहीं के बराबर है। पति-पत्नी बहुत ही स्नेह से रहते हैं।

मध्यकाल में मुसलमान मीणों, मेव, मेवाती आदि से हिन्दू मीणों के वैवाहिक सम्बन्धों के भी अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। टोडरमल मेव के पुत्र दरिया खां का बादाराव की पुत्री शशिवदनी से हुआ था परन्तु इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से यह कहा जाता है। चौहान राजपूतों से धर्म परिवर्तन कर कायमखानी बने मुसलमानों के सम्बन्ध राजपूतों से नहीं होते थे परन्तु मीणों से सम्बन्ध प्राय: होते थे। धर्म परिवर्तन समाज निर्माण में बाधक नहीं था।

मेरवाड़ा के चीता और बदाड़ों ने धर्मभेद होते हुए भी विवाह होते। अजमेर के चीता मीणा अन्तर्जातीय विवाह के ही परिणाम है। मीणा जाति में राजपूतों के समान ही स्वयं वर की प्रथा भी देखने को मिलती है। ''हण्डू कड़ी'' नामक ऐसी ही प्रथा सवाई माधोपुर जिले में प्रचलित थीं, जिसमें जल भरे घड़े लेकर जाती हुई महिला के पीछे दौड़कर जाने वाले जो प्रथम वहां पहुंच महिला के घड़े उतार लेता था, उसी के साथ उसका विवाह हो जाता था।

शिक्षित समाज में आजकल आर्य पद्धति से ही विवाह होने लगे हैं। ब्राह्मण लोग ही विधि-विधान से विवाह कराते हैं। आर्थिक सम्पन्नता के साथ विवाह आदि संस्कार भी किसी बड़े सेठ-साहूकारों से कम नहीं है। प्राचीन व मध्यकाल में मीणा समाज में सती प्रथा के उदाहरण भी कहीं-कहीं देखने को मिलते हैं। महाभारत काल में विराट राजा के साले कीचक के परिवार की स्त्रियों के सती होने के प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल में खोह के महाराजा आलण सिंह की रानी उनके साथ सती हुई थी। परन्तु आजकल यह प्रथा शिक्षा के प्रसार के कारण समाप्त हो गई और ऐसे भी यह दण्डनीय अपराध भी है।

वस्त्र एवं आभूषण

वस्त्र तथा आभूषण व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति और उसकी मनोवृति का परिचायक है।



प्राचीन व मध्यकाल में सामान्यत: पुरुष धोती, उपवस्त्र, अंगरखी, दुपट्टा व पगड़ी धारण करते हैं जो प्राय: सफेद होते हैं। वस्त्र के साथ ही पुरुष आभूषण भी धारण करते थे। इनके प्रमुख आभूषण कुण्डल, कड़ा, भुजबन्ध, करधनी, अंगूठी और हार है जो सोने, चाँदी, पीतल आदि धातुओं के होते हैं। युग के परिवर्तन के साथ आर्यों, राजपूतों व मुसलमानों से संपर्क के कारण न्यूनाधिक इनमें परिवर्तन होता रहा। आजकल शिक्षा के प्रसार तथा राजकीय सेवा में उच्च पदों के कारण शिक्षित लोग पेन्ट-कोट-बुशर्ट आदि धारण करते है। परन्तु गाँवों में धोती, अंगरखी एवं साफे का प्रचलन अभी भी है।

मीणा जनजाति की महिलाओं के वस्त्र प्राय: साड़ी (लूगड़ी), घाघरा (लहंगा) है। वस्त्रों के साथ आभूषणों को धारण करने की भी प्रथा है। इनके प्रमुख आभूषण कुण्डल, करधनी, झूमका, हथपाल, पगपाल, नथ, पायल व मुद्रिका आदि हैं। इनका विशेष आभूषण राखड़ी है जिसका प्रचलन राजपूतों से सम्पर्क के कारण हुआ। परंतु शिक्षित वर्ग में इस प्रकार के आभूषण व वस्त्रों का प्रचलन कम हो गया है। धोती, लहंगा का अधिक प्रचलन है। मीणा सुधार समिति के प्रचार से पीतल के कड़े, नेवरी पहनने की प्रथा बन्द हो गई। चौकीदार मीणों में राजपूत परंपरा के अनुसार पर्दा रखते थे। मेवासों के जागीरदार होने के कारण चौकीदार मीणों की स्त्रीयां जब बाहर निकलती तो राजपूत महिला की भाँति अपनी लूगड़ी पर सफेद चादर लपेट कर पर्दा रखती थी। आभूषण के साथ शरीर के अंग पर गोदन भी करते हैं। पुरुष किसी देवता की छवि तथा फूल आदि अपने हाथों पर तथा स्त्रियाँ गाल, हाथ पैर, ठोडी आदि पर बिदियां, फूल बिच्छू पहनती आदि गुदवाती हैं। परंतु शहरी सभ्यता के कारण यह प्रथा भी बन्द होती जा रही है। ढूंढ़ाड़ की मीणा महिलायें जाट महिलाओं की भांति नाक में नथ नहीं पहनतीं।

आकृति एवं गठन:- शारीरिक गठन के रूप से स्त्रियां तथा पुरुष दोनों बहुत सुन्दर है। कद लंबा, गठीला, नाक प्राय: तिखी व बड़ी होती है। प्राय: इनका रंग गोरा है। अत: इन्हें आर्येत्तर जाति का नहीं कहा जा सकता है। पहाड़ व जंगलों में रहने के कारण भी इनका रंग भीलों की भाँति काला नहीं है। यह तथ्य

इनके मूल स्त्रोत से भी मिले हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें शक माना है। इनमें से संदेह नहीं कि मीणा स्त्री पुरुष प्राय: बहुत ही सुन्दर होतें हैं।

भोजन व पेय पदार्थ:- मीणा जनजाति के लोग शाहकारी एवं मांसाहारी दोनो हैं। परंतु शाकाहारी परिवार की संख्या अधिक है। गाय भी परिवार से जुड़ने के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मध्यकाल के प्रारंभ में शासकीय जाति के कारण जी भर कर शराब पी जाती थी। अफीम खाने का प्रचलन था। तमाखू पीने की प्रथा भी है। अधिकतर हुक्कों का प्रयोग होता था। ग्रामीण अंचल में अभी तक बीड़ी पीने का बहुत अधिक प्रचलन है। शहरों में शिक्षा के प्रसार के साथ धूम्रपान कम होता जा रहा है।

मध्यकाल में मीणा जाति के मद्यपान के कारण अपार क्षति उठानी पड़ी। बूंदी व माँच के स्वतंत्र राज्य मद्यपान की अधिकता के कारण नष्ट हो गए जिनका विस्तृत वर्णन विगत पृष्ठों में पढ़ चुके है।

मनोरंजन उत्सव तथा मेले:- मीणों की 'हथाई' पुरुषों की एक मात्र मनोरंजन स्थल थी यहां बैठकर वे गाँव-गली तथा समाज की बातें करते थे। पुराने समय में इन्हीं हथाइयों पर बैठकर युद्ध, शांति और राजनीतिक चर्चा होती थी। एक तरह से यह इनके विचार गोष्ठी का स्थल था। ऐसी ऐतिहासिक हथाइयाँ आज भी देखने को मिलती है। किसी ऊँचाई के स्थान पर एक लंबा चौड़ा देलान बना कर हथाई बनाते थे। कहीं-कहीं पहाड़ी चट्नों को भी हथाई बना लेते थे। थानागाजी तहसील में मैजोड़ तथा बूज में बनी हथाई प्राचीन मानी जाती है।

मीणा समाज को प्राय: उत्सव प्रिय होता है। नाच-गान इनके प्रिय रहे है। अशिक्षा के कारण मीणा स्त्री-पुरुष शहरों में मेलों के समय असंस्कृत तथा अश्लील गाने तथा नाच के समय अश्लील वातावरण होता था। परंतु जयपुर सुधार समिति के अथक प्रयास से मेलों के अधिकतर इस प्रकार अश्लील गीत बन्द हो गये। अब मेले में मीणें लोग नाचते-कूदते नहीं दिखाई देते हैं। वे सभ्य समाज की भांति मेलों में शामील होते हैं। मेवात तथा ढूँढाड़ में मीणा समाज के प्रिय मेलें इस प्रकार है- श्री महावीर जी, करोली की केला देवी, चाकसू की शीतला, बरवाड़ा की चौथ माता, बैनाड़ की कल्याण जी, लालसोट की पापलदा माता, नई नाथ के महादेव जी, नटाटा के पीपा भोमिया जी, टहला कि पास नारायणी माता, गोनेर के जगदीश जी, सिकराय में रामनवमी, आमेर में लखेर जी, रामसर में बाँधी माता आदि में मीणा समाज प्राय: भाग लेता है। ऋषि गौतम नाथ का मेला मारवाड़ प्रदेश में तथा ऋषभदेव एवं मातृ कुण्डिया का मेला उदयपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है।

राजस्थान में प्रचलित त्यौहार तीज, गणगौर, दशहरा, होली, दीपावली आदि भी मीणा समाज में बहुत ही उत्साह से मनाते है। मारवाड़ के मेर होली के अवसर पर 'अहेर-। (शिकार) क्रीड़ा भी करते है। वैवाहिक तथा मृतक संस्कारों के समय मीणों के जागा इनके पूर्वजों को यशगान करते है। शासक वर्ग में होने से अपने यशोपन सुनकर मस्त हो जाते थे। अपने पूर्वजों की शोर्यगाथाओं की श्रवण करने में मीणा समाज बड़ा रूचि लेता था। इसी प्रसंग को जयमाल कहा जाता है।

ढूँढ़ाड़ के बाहर मीणा स्त्रियाँ, पचवारा, की पाँच मेवासियों आदि के गीत, दोहे-वार्ता आदि लोग बड़े चाव से सुनते है एवं मेव मीणों के प्रसिद्ध दोहे है। उनकी प्रशस्तियाँ अभी तक प्रचलित है। मेवात में टोडरमल बादाराव, दरियाखाँ-शशिवदनी तथा लाली आदि प्रसिद्ध प्रचलित लोक-कथायें आज भी सुनने को मिलती है। अन्य भी अनेक कथायें हैं। यह अभी शोध का विषय है।

मीणा समाज का उत्सव प्रिय प्रवृति ने उन्हें अनेक बार कर्त्तव्य विमुख कर शत्रुओं से पराजित होने के लिये विवश कर दिया था, जिसका विस्तृत वर्णन पूर्व पृष्ठों में पढ़ चके हैं। उत्सव के समय वे लोग अपनी सुधि भूल कर एवं एक दूसरे झगड़ते थे। मदिरापान इनको और अधिक मतवाला बना देता था।

आर्थिक जीवन:- मीणा जाति मूल रूप से आदिम जनजातिहै। सभी विद्वन् एक स्वर से इमे आदिवासी जनजाति मानते हैं। ये लोग बीहड़ जंगलों में रहकर आत्म रक्षा करते हुए अपना जीवन पोषण करते आये है। प्राचीन एवं मध्यकाल में यह शासक जाति अवश्य रही, परंतु अधिकांश लोगों का आवास पहाड़ियों पर अधिक धने जंगलों में आसानी से न पहुंच सकने वाले स्थानों पर होते थे। इन रक्षा संस्थानों को मीणों के मेवासे कहा जाता था। इन्हीं के चारों ओर इस जाति के कच्चे मकान होते थे। ऐसे मकानों का समूह,पाल कहलाती थी। प्राय: एक पाल में एक गोत्र विशेष के लोग ही रहते थे। पाल का नामकरण भी उसी गोत्र के अनुसार होता था। प्रारंभ में ऐसे बारह पाल थे। आदिवासी भीलों के भी ऐसे ही पाल होते हैं।

भारतीय जन जातियों की आर्थिक जीवन प्रधानत: प्रकृति पर निर्भर है। उनके आर्थिक जीवन के प्रमुख स्त्रोत जंगल, पहाड़, घाटियाँ और नदियाँ ही रहे हैं। वे संघर्षमय अर्थिक जीवन व्यतीत करते थे। कृषि, पशुपालन इनक्रे प्रमुख व्यवसाय थे। परंतु मीणा जन जाति प्राचीन काल से ही शासक जाति रही है। अत: भारतवर्ष की अन्य जातियों की आर्थिक स्थिति और इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक अन्तर है। केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं आर्थिक दृष्टि से भी वे दो भागों में विभाजित है। जमींदार एवं चौकीदार। जमीदार मीणों का आर्थिक जीवन राजसी था, उनके उनके छोटे छोटे मेवासी थे। कृषक मीणा खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। चौकीदार मीणों का मुख्य कार्य गाँव की रक्षा करना था उसके लिये उन्हें जमीन पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी और अनेक वस्तुओं से उन्हें कर लेने का भी अधिकार था। व्यापार की रक्षा में भी उनका मुख्य स्थान था। इनके लिए माल सकुशल पहुँचने पर वे व्यापारियों से "बुलावा"नामक कर लेते थे।

कृषि के साथ पशुपाल भी इनका मुख्य व्यवसाय था। मीणों का पशुधन बड़ा विख्यात रहा है। मत्स्य राज की एक लाख गायों का महाभारत में वर्णन मिलता है। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़-बकरी मुख्य है। खेती के लिए बैल तथा सवारी के ऊँट भी रखते है। अपने शासकीय जीवन में उनके पास घोड़े भी बहुतायत से थे। इतिहासकार स्टीफेन के अनुसार वे समुद्री नाविक भी थे। इससे विदित होता है कि वे विदेशी व्यापार भी करते थे।

शिक्षा के प्रचार के साथ इनकी अर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है। प्रांत व केन्द्र में मीणा जाति के लोग उच्च पदों पर आसीन हैं। संक्षिप्त विवरण अंतिम पृष्ठों में दिया जायेगा।

राजनीतिक जीवन:- मीणा जाति स्वभाव से ही जनतंत्रवादी रही है। इनकी राजसत्ता कुल-परंपरा वाली तथा जनतंत्रात्मक थी। ढूंढ़ाड़ क्षेत्र में इनकें अनेक राज्य थे। खोह, माँच, गेटोर आमेर मीणा राज्य की शासन प्रणाली जनतांत्रिक थी। आमेर इनका संघ राज्य था। गांव के चुने हुए प्रतिनिधि राजकार्य में सहायता करते थे। ऊँच-नीच का समाज में कोई स्थान नहीं था। एक समय महाराजा जयपुर ने किसी विशेष अवसर पर निमत मीणा को निमंत्रण भेजा परंतु पालकी एक ही भेजी। मीणों ने अपनी जूतियां इस पालकी में रखदी और सभी मीणा बन्धु पैदल ही चले गये।

प्राचीन भारतीय पंचायती परंपरा के अनुसार, मीणा समाज में आज भी पंचायत प्रथा की प्रधानता है। समाज के अनेक विकट विषय पंचायत द्वारा ही हल कर लिए जाते हैं। विशेषकर विवाह, तलाक, चरित्रहीनता, मौसर, ऋण आदि के व्यक्तिगत प्रश्न एवं सामाजिक प्रश्न पंचायत के समक्ष रखे जाते हैं। पंचायत के निर्णय सर्वमान्य होते हैं। कुलों के वयोवृद्ध लोग इस पंचायत के सदस्य होते हैं। अपराधियों को दण्ड के भी इनकी अनोखी प्रणाली है। कबूतरों को अनाज, जाति भोज, ब्रह्म भोज, गंगा या पुष्कर स्नान, पंचों की जूतियाँ सिर पर रखना, धूप में खड़ा रखना आदि मुख्य हैं। एक पैसे या धेले का दण्ड सबसे बड़ा समझा जाता है।

अपराधियों की जाँच के भी अनेक तरीके हैं। एक साफ सुथरे स्थान को लीप-पोत कर उस पर देवी की ज्योति जलाई जाती है। उस स्थल पर एक कटार को जमीन में धंसा कर उसे निकालने के लिए कहा जाता है, जो सच्चा होता है, वह निकालने का साहस करता है। पंचों का निर्णय न मानने पर अपराधी को जाति से भी बहिष्कृत किया जाता है। गंगा स्नान कर गंगोज (जाति तथा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भोज) करने के बाद ही पुन: जाति में लिया जाता है।

आधुनिक युग में भी मीणा सुधार समिति के तत्वावधान में इन जाति पंचायतों ने समाज सुधार के क्षेत्र में आशातीत कार्य किया। अनेक लोगों ने पंचायतों के सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अपना जीवन सुधार लिया। सुधार समिति की ओर से एदी (सुस्त) लोगों का समूह भेजा जाता था। वे वहाँ धरना दे देते थे। इतने पर भी कोई मद्यपान व चोरी चकारी का कार्य नहीं छोड़ता उसका मुँह काला कर गांव में घुमाया जाता था। जयपुर राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री मेजर अमर सिंह जी ने इस प्रकार के सुधार कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और पुलिस को आदेश दिया कि वे पंचायतों को सहयोग प्रदान करें। शिक्षित समाज में अब यह कार्य संगठनों ने ले लिया है। समाज के हितों के लिए राज्य से संघर्ष करता है।

धार्मिक जीवन:- मीणा समाज मूलरूप से शैव तथा शाक्त हैं। महादेव इनके इष्टदेव हैं। मीणों के बनवाए हुए अनेक शिव मंदिर अनेक प्राचीन स्थानों पर देखने को मिलते हैं। आज भी प्राय: मीणा लोग शिवभक्त हैं। टोडा-बिलोत, मैगी बूँदा, कमारा, राजोर, खोह, आमेर, माँची तथा नई में मीणा समाज के द्वारा निर्मित शिव मंदिर विद्यमान हैं। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित प्रसिद्ध ताड़केश्वर जी का मंदिर भी बहुत प्राचीन काल में मीणों की ही देन है। जयपुर नगर बसने के पहले, इस क्षेत्र में मीणा बंधु ही निवास करते थे। यह शोध का विषय है। अन्य हिन्दू समाज की भाँति हनुमान, भैरव, शीतला आदि को भी ये लोग मानते हैं। रामकृष्ण अवतारों के साथ मीनेष भगवान को भी ये विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं। आजकल शिक्षित समाज मीनेष भगवान के उपासक हैं। उनके नाम पर ही जाति के रूप में मीना के स्थान पर मत्स्य रखने लग गये हैं।

आयुध जीवी होने के कारण वे शक्ति की अधिष्ठात्री देवियों की विभिन्न रूप में पूजा करते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इनको सिन्धुघाटी सभ्यता से जोड़ा है, शिव एवं मातृदेवी की उपासना इनमें सनातन काल से चली आ रही है। प्रत्येक मीणा गौत्र की एक अधिष्ठात्री देवी है। इन देवियों के नाम भी पृथक-पृथक हैं, जैसे बाकी, ध्यावण, दाँत, पपलाद, आसावरी, जीण, कलिका, चौथ, श्यावड़, बणजारी, बड़वासडा, गुड़वाय, पाली, बिरासर्णी। अंबा माता के नाम पर आमेर मीणों ने ही बसवाया था जिसका संक्षिप्त विवरण हम पहले पढ़ चुके हैं।

धार्मिक सद्भाव:- मीणा समाज में धार्मिक कट्टरता कहीं देखने को भी नहीं मिलती। धर्म के लिए किए गए युद्धों की बात इनके इतिहास में कहीं नहीं देखी गई। जब किसी देव की शपथ ले लेता है, तो प्राण देकर भी अपने वचनों का पालन करते हैं। खैराड़ के मीणें 'महादेव की शपथ' को सर्वोपरि मानते हैं। इस क्षेत्र में देवी की उपासना का भी अधिक प्रचलन है। नवरात्रा में देवी के सामने बलि देने का भी प्रचलन था। शिक्षा के प्रसार के साथ पशु बलि की प्रथा कम होती जा रही है। मीणा जाति की धार्मिक समन्वय की चर्चा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जनजाति प्राचीन काल से ही शासक जाति रही है। उस समय इस जाति का संबंध आर्य जातियों से हो गया था। अत: धार्मिक दृष्टि से इनके आचरण में जनजातियों और आर्य जातियों के धार्मिक नियमों का समावेश हो गया था। धार्मिक दृष्टि से मूलत: विष्णु के अवतार भगवान मत्स्य के अनुयायी हैं। मत्स्य भगवान के अतिरिक्त शक्ति के उपासक होने के नाते अम्बादेवी इनकी सर्व प्रमुख आराध्य देवी है।

धार्मिक सहिष्णुता एवं सद्भाव जैसीभावनाइसजाति में हैवैसीअन्य किसी जाति में दृष्टिगोचर नहीं होती। वस्तुत:यह सर्वदा से गुण ग्राही रही है। किसी धर्म व संप्रदाय में मनावोचित गुण दिखाई दिया, तुरन्त इस जाति ने ग्रहण कर लिया। इस संदर्भ में जैन धर्म में इनकी आस्था के भी प्रमाण देखने को मिलता है। सवाई माधोपुर जिले के भगवान महावीर जी के प्रति इनकी आस्था कम नहीं। श्री महावीर जी के मेले में भगवान के रथ को जुलूस में सर्वप्रथम आगे बढ़ाने की परंपरा मीणा समाज द्वारा ही निभाई जाती है। मेले में भगवान महावीर के दर्शन कर अपने आपको धन्य मानते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन की उस व्यापक नीति को धर्म कहते हैं, जिसके पालन करने से मनुष्य सद् प्रवृत्तियों की ओर बढ़ता है।

महावीर स्वामी के अतिरिक्त खेरवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख जैन तीर्थ ऋषभ देव के प्रति भी मीणा समाज की आस्था देखने को मिलती है। ऐसी जनश्रुति है कि यह मूर्ति धूलिया भील-मीणा के भू-गर्भ से प्राप्त हुई थी, तभी से इस गाँव का नाम धुंलेव पड़ा। यहाँ से धूलिया-भील मीणा को स्वप्न के अनुसार यह मूर्ति उसके खेत में एक फुट ऊँचे आसन पर विराजमान थी। मूर्ति के नीचे मध्य भाग में दो बैलों के बीच देवी आदि सभी धातुओं के बने हुए हैं। ऋषभ-देव भगवान की मूर्ति काले पत्थर की होने से आदिवासी भील मीणा समाज ऋषभदेव भगवान को कालाजी या केशरिया बाबा कहते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार औझाजी ने राजस्थान के इतिहास में इस तीर्थ की सार्वजनिक मान्यता के विषय में लिखा है ''समस्त भारत में यही एक मान्यतार्थ है, जहों दिगम्बर तथा श्वेताम्बर जेन, वैष्णव, शैव, भील एवं मीणा स्नान कर समान रूप से मूर्ति की पूजा करते हैं।'' आदिवासी भी मंदिर में जाकर अपने हाथों से मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। चैत्र मास के मेले में आदिवासी भी बड़े उत्साह से भाग ले सकते हैं।

ऋषि गौतम जी का मेला:-सिरोही जिलेकेपोसालिया स्थित चौटीला ग्राम के निकट सुकडी नदी के तट पर भरने वाला यह मेला विशुद्ध रूप से आदिवासियों का मेला है। इसमें मारवाड़ के ग्यारह परगने मीणा समाज के अतिरिक्त गुजरात, मध्यप्रदेश का मीणा समाज भी इसमें भाग लेता है। यह मेला बैशाखी पर्व 13 अप्रैल को भरता है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि रियासत के समय से ही मेले की समस्त व्यवस्था मीणा समाज के हाथ में है। मंदिर के पास अपनी भूमि भी है। भूमि के विवाद को समाप्त करने के लिए भारत सरकार पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री बूटा सिंह के परामर्श से राजस्थान सरकार ने जमीन की पास बुक व पट्टा मीणा समाज को दे दिया था। इस क्षेत्र के समाज सेवी कांग्रेस दल के नेता लादूराम व्यावड़वाल एवं समाज सेवी

एडवोकेट एवं कमेटी के विधि परामर्शदाता शशि शेखर को योगदान सराहनीय है। इनके प्रयत्न से राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने स्थायी रूप से मंदिर की भूमि मीणा समाज की समिति को देने के आदेश प्रदान कर दिए। मेले की व्यवस्था मीणा समाज बहुत ही उत्तम ढंग से करता है। वर्ष में एक बार मिलकर समाज प्रसन्नता से फूल उठता है।

अंध विश्वास:- अन्य ग्रामीणों की भाँति मीणा समाज में भी कई अंध विश्वास घर किए हुए हैं। इनमें शकुन लेना प्रमुख है। शकुन लिए बिना ये लोग अन्यत्र प्रस्थान नहीं करते। शकुन वास्तव में दीर्घकाल के अनुभव के निचोड़ के रूप में पीढ़ियों से समाज में परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। शकुन भारतीय ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमुख अंग है।

मीणों के अंध विश्वास के कुछ और मनोरंजक तथ्य सुनने को मिलते है। एक कहावत मीणा समाज में प्रचलित है ''मीणा मालाव जाति, कछावा, हलबासी, कछावों'' द्वारा मीणों की भूमि हथिया लेने पर प्राचीन काल में मीणा लोग मालवा के पठारों की ओर चले गए। उनकी स्मृति में यह कहावत चल पड़ी।

एक अन्य अंधविश्वास जो वर्षों तक मीणा समाज में घर करता गया, वह है कि मीणा सर्वदा अशिक्षित रहेंगे क्योंकि गुलाबीनगर के संस्थापक श्री सवाई जयसिंह ने मीणों की बुद्धि अश्वमेघ यज्ञ में होम दी है। अत: पढ़ने से क्या लाभ वर्षों तक मीणा समाज इस अंधविश्वास के कारण अशिक्षित रहा। मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं अन्य लोगों ने इसअंधविश्वाससेलोगों का पिण्ड छुड़वाया कि बुद्धि भी कही होमी जाती है? इस अंधविश्वास को हटने पर मीणा समाज द्रुतगति से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने लगा। परिणाम बहुत ही सुखद निकले कि आज इस समाज के लोग राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऊँचे पदों पर हैं।

नि:शस्त्र होकर तर्पण देना:- अन्य हिन्दू समाज की भाँति ये अश्वनि मास में श्राद्ध नहीं करते। गूजरों की भाँति दीपावली के दिन ही श्राद्ध किया करते हैं। यह दिन और यह प्रथा मीणा समाज के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय रहेगी। इस दिन ढूंढाड़ प्रदेश के सर्वप्रथम मीणा ''राज्य खोह'' पर आक्रमक राजपूतों द्वारा अवसर का लाभ उठाकर नि:शस्त्र मीणों पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया था। उन शहीदों की स्मृति में मीणा समाज दीपावली को तर्पण देता है। नि:शस्त्र होकर तर्पण देने की प्रथा अनेक अवसरों पर बहुत ही घातक रही। अब शिक्षित समाज में इस प्रकार के अंध विश्वासों का कोई स्थान नहीं है।

चारित्रिक विशेषतायें:- पिछले अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी इस जाति ने अपने असीम धैर्य एवं साहस का परिचय दिया। सहिष्णुता एवं सदाचार इस जाति की प्रमुख विशेषतायें रही हैं। परिस्थितियों ने कुछ समय के लिए लूट-खसोट के लिए विवश कर दिया था। परन्तु ्पके पीछे धन के प्रति तृष्णा नहीं थी। वरन् आततायियों के विरूद्ध अपने रोष एवं शौर्य का यह कार्य प्रतीक था। इस संदर्भ में इतिहासकार स्टेफन ने ठीक ही लिखा है ''द वेन्ट ऑन दीज रेड्स नोट ऑनली टू इनरिच देमसेल्वेज बट टू डिसपले देयर मेनलीनेस एण्ड बोल्डनेस'' टाड ने लिखा है, ''मीणा प्रकृति प्रेमी है, वन के सच्चे स्वामी है, सम्मान करना इनका गुण है, ऐसी पवित्र भावना संसार की किसी भी जाति के मैंने नहीं देखी गई।''

श्री आर. व्ही. रसेल तथा हीरालाल ने अपनी पुस्तक ''ट्राइब्स एण्ड कॉस्ट्स ऑफ सेन्ट्रल प्रोवेन्सेज

ऑफ इण्डिया'' जिल्द चार-पृष्ठ 239-241 पर स्पष्ट लिखा है कि ''जयपुर के राज परिवार में मीणा जनजाति को सर्वोच्च प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त था। इनको इस राजपरिवार से विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। इसका ज्वलंत प्रमाण यह है कि जयपुर के राजा अपने राज्याभिषेक के दिन कालीखोह के मीणा मुखिया के पैर के अंगूठे के रक्त का तिलक अपने ललाट पर लगाते थे। कर्नल जेम्स टाड ने भी अपनी पुस्तक एनाल्स एण्ड एन्टि क्वीटीज ऑफ राजस्थान के दूसरे भाग के पृष्ठ 347 पर इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं।

कर्नल जेम्स टाड आगे लिखा है कि ''मीणा प्रकृति की सच्ची संतान है और वे अपने अधिकारों के सम्मानित होने पर अपने स्वामी के प्रभुत्व के शाश्वत होने के लिए कार्य करते हैं।'' मीणा जाति के शौर्य राजनीतिक एवं सामाजिक सम्मान का वर्णन करते हुए टाड लिखते हैं कि ''कछवा राजाओं के एवं मीणा सरदारों के राजचिन्ह एवं अधिकार चिन्ह एवं नगाड़ा आदि एक ही थे। वे बूंदी के राजा के साथ समानता का दावा करते थे। इसका प्रमाण है कि मीणा सरदारों ने बूँदी के राजकुमारों से अपनी राजकुमारी का विवाह करने का प्रस्ताव रखा था।

श्री स्टीफन, श्री आर. व्ही. रसेल और हीरालाल तथा कर्नल जेम्स टाड के समान ही मध्यकालीन भारत के प्रमुख इतिहासकार चन्दबरंदाई ने भी मीणा जनजाति के चारित्रिक गुणों एवं विशेषताओं का वर्णन किया है। मीणा सरदारों ने मंडोर के परिहार राजा नाहरराव का पक्ष लेकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। मीणा सरदार पर्वत वीरा के नेतृत्व में चार हजार मीणा शूरवीरों ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया। वह इतिहास में अद्वितीय है। चन्दबरदाई ने लिखा है कि ''युद्ध में मीणा सरदार यमदूत के रूप में प्रकट हुए थे। उनके तीर कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनके किले व गढ़ी को तोड़ना असंभव था। सुमेरू पर्वत की भाँति वे अपने स्वामी की रक्षा के लिए डटे रहे। उनका पराक्रम व शौर्य असीम था।''

देशी तथा विदेशी इतिहासकारों की उपर्युक्त धारणाओं का सिंहावलोकन किया जाये तो यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ''मीणा नर नारियों को अपने चारित्रिक गुणों तथा विशेषताओं के कारण इतिहास में अकल्पनीय स्थान है। मीणा नारियों का सबसे बड़ा गुण है, उनका अनुपम सौंदर्य इसी प्रकार मीणा पुरुषों के सर्वोत्तम गुण है, उनका सुडौल एवं सुन्दर होने के साथ ही साहसी, पुरुषार्थी, सत्यवादी, स्वामीभक्त, कर्त्तव्य परायण, ईमानदारी, आज्ञाकारी एवं धनुष का धनी होना है। अपने वचन का पालन करने में रघुवंशी परंपरा को निभाते चले आये हैं-

''रघुकुल रीत सदा चली आई।
प्राण जाय पर वचन न जाई॥

इतिहास में ऐसे अनेक आख्यान है कि मीणा सरदारों ने अपने वचन पालन के लिए अपने प्राणों को सहर्ष न्यौछावर कर दिया। रणक्षेत्र में शत्रु के सम्मुख पैर स्थापित करने में राजा बलि एवं अंगद के समान थे। मीणा जनजाति की स्वामी भक्ति, कर्त्तव्य परायणता तथा सच्चाई के विषय में कहा जाताहै कि ''आमेर के राजकोष की रक्षा का कार्य केवल मीणा रक्षक दल को ही दिया जाता था। राजकोष का ज्ञान केवल मीणा रक्षक-दल को ही रहता था। इस गुप्त राजकोष से केवल संकट काल में धन निकालने देते थे। राजा अपनी इच्छानुसार बिना रक्षक दल की आज्ञा के धन नहीं निकाल सकता था। राजा की स्वेच्छाचारिता पर मीणा रक्षकदल का अंकुश था।'' राजकोषके अतिरिक्त राजमहल, रनिवास, पुरालेखागारआदिकेरक्षकभी

केवल मीणा सरदार ही थे।

मीणा जनजाति की स्वामीभक्ति कर्त्तव्यपरायणता एवं सच्चाई के विषय में कहा जाता है कि ''एक समय एक मीणा संतरी जब राजमहल को रक्षा कार्य में व्यस्त था, तब एक स्वजाति ने आकर उसने राजमहल देखने की इच्छा प्रकट की राजमहल देखकर वह जाने लगा तो संतेरे की टोकरी में रखे, संतरों पर उसका मन मचल गया और विवश हो उसने टोकरी में से एक संतरा उठा लिया। जब संतरी ने टोकरी में रखे संतरों को गिना तो एक कम मिला। तत्काल उसने राजमहल देखकर गए बन्धु को जा पकड़ा और उससे संतरा लेने के बात कहकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया कि इस प्रकार के कार्य हमारी जाति पर कलंक है। इतना ही नहीं राजकोष के संबंध में अपने पुत्र द्वारा संक्षिप्त बातचीत करने पर दण्ड स्वरूप संतरी ने अपने ही पुत्र का सिर उड़ा दिया। कर्त्तव्यनिष्ठा के ऐसे उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलते।

शिष्टाचार एवं अतिथि सेवा:- कर्नल टाड ने मीना जनजाति के शिष्टाचार की अपने ग्रन्थ में भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मीणा सरदार अपने से बड़ों के साथ बहुत विनम्रता पूर्ण शिष्टाचार दिखाते हैं। जब दो मीणा सरदार परस्पर मिलता है तो अभिवादन के पश्चात पूछते हैं- ''को रावता कोड जाओ छो'' अर्थात् हे वीर कहाँ जा रहे हो? मेरवाड़ा क्षेत्र में सजातीय को 'रावत' तथा अपरिचित को अतिथि पावणां (पाहुन) कहते हैं। अतिथि सत्कार इस जाति की सबसे बड़ी विशेषता है। संसार की सभ्य से सभ्य जाति में भी अपरिचित का इतना सत्कार नहीं होता होगा, जितना मीणा समाज के द्वार पर उपस्थित अतिथि का। एक बार जो अतिथि उनके द्वार पर आ जाता है, तो प्राण देकर भी उसकी रक्षा करेंगे। उसे अभयदान मिलता है। स्वयं भूखे रहकर मीणा दंपत्ति दूसरों को भोजन देंगे। घर में कुछ न होकर दूर दूर के प्रदेशों में जाकर अपनी बुद्धिबल से अतिथि सेवा के लिए कुछ न कुछ ले आयेंगे और 'अतिथि देवो भव' सिद्धांत की रक्षा कहेंगे। आज के समाज को अतिथि सेवा की परंपरा जनजाति समाज की ही देन है। शरण में आये की रक्षा करने में वे राजा शिवि के समान थे।

दानवीर:- मुक्त हाथ से दान देने में वे कर्ण के समान थे। मीणा शासकों व अन्य सम्पन्न व्यक्तियों को दानवीरता के अनेक आख्यान सुनने को मिलते हैं। राव मेदा ने याचकों को अपनी रानी तक का दान कर दिया, जिससे याचक बहुत प्रभावित हुए। पहाड़ों पर रस्सा बाँधकर नृत्य दिखाने वाली कंजरी को शाहजादी से छीनी हुई सवा लाख की सोने की पायजेब पुरस्कार में दे दी थी। मरु जाते समय मारवाड़ के प्रवासियों को भोजन कराने में तथा प्रतिदिन अंजलि भर मुद्राओं का दान करने आदि की अनेक गाथायें कही जाती हैं। क्यारा के राजा भाँवर देवने दिल्ली के राजा अनंगपाल पर धावा बोला कर उसके खजाने से सोने के पायजेब ले आये और जीत की खुशी में कंजरी को पारितोषिक में दी।

निश्छल तथा स्वावलंबी:- कठोर श्रम से उपार्जित धन से ही वे जीवन निर्वाह करते हैं। भूखे रहना इनको स्वीकार है, परन्तु यह जनजाति कभी भीख मांगकर अपना पेट नहीं भरती निश्छलता मीणा जाति को विरासत में मिली है। आदिम जातियों का स्वाभाविक भोलापन मीणा समाज में आज भी दिखाई देता है। इसी भोलेपन के कारण राजपूतों व मुसलमानों ने इनको एक समान छला। मीणा राजाओं ने अपने भोलेपन के कारण ही दूसरों पर विश्वास किया। ढूँढाड़, मीणा राज्य को कछवों ने 'मामा' कहकर राज्य छीना। परन्तु धन्य है, इस जाति को इसने अपकार का बदला उपकार से दिया। जीवन भर अपने साथ किये गये धोखे को भूलकर राजाओं के राज्य की रक्षा करते रहे। बाद में भी अंग्रेजों के चक्कर में आकर इस जाति

के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए राजपूत राजाओं को विशेषकर जयपुर रियासत के राजाओं ने अपराधी जनजाति का जैसा अमानवीय कानून इन पर थोपा, जिसका विस्तृत विवरण विगत अध्याय में पढ़ चुके हैं। इस जाति का जीवट ही है कि इतने अत्याचार सहकर भी आज उन्नति के शिखर पर पहुंचने का निरंतर प्रयास कर रही है।

सांस्कृतिक गाथायें:- यद्यपि इतिहासकारों ने इनकी गाथाओं की अनदेखी की है, परन्तु समाज में इनकी शौर्य गाथाओं में अब तक विद्यमान है। मेवात क्षेत्र के टोडरमल- बाडाराव दरिया खाँ- शशिवदनी, लाली तथा घुड़ चिड़ी मेव खां के आख्यान प्रसिद्ध है। मेरवाड़ के राजू रावत, भीमटा रावत, हड़मल चीता, दाऊद खाँ, करणसी रावत, पयलाद के आख्यान प्रचलित है। ढूँढाड़ के मेदाराव, हड़पो डोबवाल, भीखो देवड़वाल आदि मेवासियों के गीत अब तक गाये जाते हैं। गोडवाड़ में सोसू मीणा तथा फूलाड़ी की प्रेम गाथा भी प्रचलित थी। यह र्वग चित्रकारों का भी प्रिय रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में 'डूंगर जी जवार जी' नामक प्रसिद्ध लोक गाथा का उल्लेख है। अन्य शौर्य गाथा भी शोध का विषय है। मालवा में मीणों के अनेक सांस्कृतिक आख्यान देखने को मिलते हैं।

मालवा का शूरवीर भाभर देव:- देवलिया के प्राचीन आदिवासी नेता 'भाभर देव' का उल्लेख कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने भी किया है। भाभर देव ने मालवा से चढ़ाई कर लाट गुजरात में सूरत नगर को तहस नहस कर दिया था। यह वीर सूरमा मीणा जनजाति में अमर है। इस शूरवीर की समाधि देवालिया में अभी भी विद्यमान है। उसके द्वारा बनवाया हुआ 'गंगनाथ महादेव का मंदिर, इस प्राचीन नगर के खण्डहरों में अभी भी सुरक्षित है।' हीमवंती, रजतवर्ण 'शबे मालवा' जब मालवा के अंतहीन मैदानों में अपना अंचल पसारकर अभंग नृत्य करती है, तब मीणा सुन्दरियों के मधुर कण्ठों से 'भामर देव' के अमर आख्यान का गौरव गीत समवेत स्वर में दूर-दूर तक गूँज उठता है।

अनेक सरिताओं और सरोवरों से सुसज्जित, गिरिराज अर्वली पृष्ठ भूमि से अनुरंजित, संसार के सुन्दरतम वनों से श्रृंगारित 'कांठल' की गोद में आज से एक सहस्त्र वर्ष पूर्व जब मेवाड़ के शिशोदियों ने घोड़ा और तलवार लेकर प्रवेश किया, तब यहाँ आर्यों की संतति- सुन्दर चेहरे और लंबे कद वाले मीणा आदिवासियों के गणराज्य अपने सर्वोच्च सोपान पर थे। सीशोदियों ने छल, बल और कौशल से इन आदिवासी भील मीणों को मालवा के मैदानों से हराकर अरावली की पहाड़ी स्थल में शरण लेने को बाध्य किया था। धन्य इस जाति को, संकट के समय इस जाति ने शिशोदियों की रक्षा की थी।

वास्तुकला

आदिवासी जनजातियों के इतिहास को राजपूत जाति से आश्रय पाने वाले इतिहासकारों ने सर्वदा उपेक्षा की है। छोटे-मोटे किलों की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने ऐसे नगरों का भी निर्माण किया है, जो आज पूर्ण-यौवन पर है।

आमेर नगर:- आमेर का पूर्व अंबावती नगर मीणा लोगों ने अपनी इस्टदेवी अंबा माता के नाम से ही बसाया था। यह विवाद का विषय नहीं है। सवाई जयसिंह ने इस नगर को इसलिये छोड़ा होगा कि यह मीणों के द्वारा ही बसाया गया था।

झोटवाड़ा:- यह क्षेत्र भी झोटा मीणा सरदार द्वारा बसाया गया था। इसीलिए यह क्षेत्र झोटवाड़ा कहलाता है। यहां भी प्राचीन खण्डहर अभी तक देखे जा सकते हैं, जो निश्चित रूप से मीणा सरदारों द्वारा

मीणा जाति के प्रमुख किले



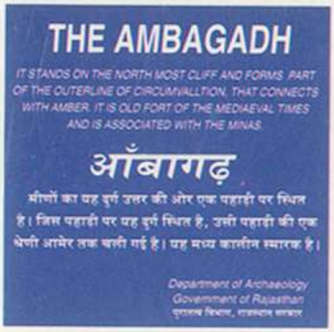
राजा आलम सिंह चांदा के महल के अवशेष, खोहगंग, जयपुर



राव नाथू मीणा, गौत्र सीहरा के महल के अवशेष, रामगढ़, जयपुर



आँम्बागढ किला, जयपुर





हथरोई का किला, जयपुर



राजा अहाड़ो मीणा गौत्र मान्दड़, सरजोली के विध्वंस महल, जयपुर



राव झरिया, गौत्र झरवाल के विध्वंस महल, झिरी, जिला अलवर



राव बाधा गौत्र ब्याडवाल के विध्वंस महल, नरेठ, जिला अलवर

बनवाई गई गढ़ी के अवशेष हैं। झोटवाड़ा एवं जामडोली जेठवाड़ा में भी नाढ़ला राज्य था। जो वि. सं. 235-1011 तक रहा।

कोटा नगरः- इस हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ा चौहान शासकों के पूर्व संपूर्ण क्षेत्र भील-मीणों का स्वामित्व था। बूँदी पर जैता मीणा का राज्य समाप्त कर हाड़ा देवा ने इस पर अधिकार किया था। इसका वर्णन विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। 'आसलपुरा' का ध्वस्त नगर और 'अकेलगढ़' का पुराना किला भील मीणों ने ही बनाया था। कोटा नगर के पूर्व इस भूमि पर कोटिया भील का शासन था। उसे मारकर ही राजपूतों ने कोटा नगर बसाया। भंवरगढ़ का किला मीणों का था डॉ. मथुरालाल शर्मा ने कोटा राज्य के इतिहास में इसका उल्लेख किया है।

जालौरः- इस नगर का निर्माता 'जला' नामक मीणा था। जालौर क्षेत्र में मीणों का प्रभुत्व था। जालौर क्षेत्र के 'भाद्राजूण' कस्बे की 500 घरों की जनसंख्या में से तीन चौथाई मीणों की थी। इसी कस्बे के हरराज मीणा ने जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिसे जोधपुर के राजा उदयसिंह ने मरवा दिया था।

बाँसवाड़ाः- इस क्षेत्र का अधिपति बॉस्या या बसना भील मीणा था। जगमाल सिसोदिया ने बॉस्या को मारकर ही बाँसवाड़ा नगर बसाया।

डूँगरपुरः- इस क्षेत्र के स्वतंत्र आदिवासी राजा डूँगरिया को नशे में मारकर डूँगरिया की पाल पर अधिकार कर लिया और उसके नाम पर डूँगरपुर नगर का निर्माण हुआ। जिस प्रकार जयपुर के राजा का राजतिलक 'खोह' के मीणा सरदार के अंगूठे के रक्त से किया जाता है, उसी प्रकार (बाम्वर-संस्कृत शब्द, डूँगरपुर-बाँसवाड़ा राज्य के लिए यह प्रथा रही है कि डूँगरिया केवंशज परिवार का पुरुष अपनी अंगुली के रक्त से नये राजा का राजतिलक करता है।

मीणा राजाओं के किले

शासक जाति रहने के कारण इनके किले भी अवश्य थे। उस समय के मीणा राजाओं के किले मध्यकाल जैसे विशाल काय नहीं थे। मीणों के दुर्गों में दो से तीन तक एक पर एक रक्षा प्राचीर और भीतरी भाग में एक साधारण जलाशय तथा निवास के लिए दो चार कोठरियां आदि होती थी। मीणों द्वारा बनाये गये किलों का कछावा शासनकाल में रूपान्तर हो चुका था। अतः मीणा राजाओं द्वारा बनाये गये किलों के मूल स्वरूप के विषय में और अधिक बताना कठिन है। संक्षेप में मीणा राजाओं द्वारा बनाये गये किले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

आमागढ़ का किलाः- यह किला निश्चित रूप से मीणा राजाओं द्वारा बनाया गया है। पुरातत्व विभाग के सूचना पट्ट से यह और भी स्पष्ट हो जाता है। यह किला सैनिक दृष्टि से निर्मित हुआ होगा। किले के अन्दर एक जलाशय और दो तीन पक्के भवन हैं। तीन परकोटे हैं।

जयगढ़ का किलाः- यह किला कछावा राजाओं द्वारा निर्मित करवाया गया। परन्तु इस क्षेत्र पर मीणा सरदारों का आधिपत्य था। अतः मूलरूप से यह मीणा राजाओं द्वारा ही बनवाया गया था। आमेर पर कछावा राजपूतों ने ग्यारहवीं सदी में विजय प्राप्त की थी। इससे पहले इस पहाड़ी पर मीणा सरदारों के बनाये गये किले थे। कोई भी राज्य बिना किसी गढी या किले के नहीं हो सकता। अतः मीणा राज महलों के भग्नावशेष पर भी यह किला बना होगा।

नाहरगढ़ का किलाः- नाहरगढ़ का वर्तमान भव्य दुर्ग यद्यपि निश्चित रूप से माधोसिंह जी प्रथम

द्वारा बनवाया गया है। जयपुर के कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह दुर्ग 1774 ई. में सवाई जयसिंह जी द्वारा निर्मित करवाया गया है। परन्तु इस दुर्ग के पीछे मीणों की विस्तृत बस्ती थी। इससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दुर्ग मीणा सरदारों का ही था। इनके पराजय के बाद बस्ती उजड़ गई और किले में भी अनेक परिवर्तन कर दिए गए।

किले के भीतरी भाग में कुछ मकान तथा जलाशय है। इनके अवलोकन से विदित होताहै कि ये भवन आमागढ़ एवं कुन्तलगढ़ की शैली के बने हुये हैं। अतः मूलरूप से यह किला मीणों का ही था।

हथरोई का किलाः- अजमेर मार्ग पर स्थित हथरोई का किला एक टेकरी पर बना हुआ है। इसके प्राचीर आज भी सुरक्षित है। यहाँ एक गढ़ी है और इसके पास ही शिवमंदिर है। यह मंदिर जयपुर नगर के बसने के पहले का है। यह तो स्पष्ट है कि मीणा सरदार शिवभक्त थे। अतः यह मंदिर भी मीणों द्वारा बनवाया गया। हत्थाराव ने हथरोई बसाई थी। इसकी सीमा भांकरोटा तक फैली हुई थी और पांच सौ सैनिक घुड़सवार इसके पास थे और यह जनता की जान-माल की रक्षा करता था और बाहर के आक्रमणकारियों से अनेक लड़ाइयां लड़ी। कछावा राजपूतों के साथ इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया और युद्ध करते-करते शहीद हो गए। इसके वंशज धूलेश्वर गार्डन के पास हैं जिनके पास हथरोई के आसपास का पूरे क्षेत्र के पट्टे उनके पास आज भी मौजूद हैं। ये झरवाल गोत्र के हैं।

खोह का किलाः- चाँदा राजाओं केसमय के महल यहाँ अभी भी विद्यमान है। नक्कारखाना एवं तल्लाई उस समय के वैभव चिन्ह हैं।

जमारामगढ़ः- यह किला भी मूल रूप से मीणों का ही था। राव मेदा के समय में बने यहाँ अनेक महल हैं, जिन्हें देखकर मीणा समाज आज भी अपने आपको गौरवान्वित समझता है। राव मेदा के माच राज्य का वर्णन हम पूर्व पृष्ठों में विस्तार से जान चुके हैं।

नहान का विशाल दुर्गः- नहान नगर गोमलाडू मीणाओं के आधिपत्य में था। इस नगर को आमेर नरेश भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की सहायता से नष्ट कर दिया था। इस नगर की विशालता के बारे में हम पहले विस्तार से जान चुके हैं। कर्नल टाडने भी इस संदर्भ में लिखा है।

बावन कोट छप्पन दरवाजा

मीणा मर्द नहान का राजा

इससे स्पष्ट है कियहां एक विशाल किला मीणों द्वारा बनवाया गया था।

रणथंभौर का किलाः- सवाई माधोपुर से 10 किमी. दूर रणथंभौर का किला चौहानों के पहले मीणों के ही अधिकार में था। यह किला मूलरूप से टाटू खॉप के मीणों द्वारा निर्मित करवाया गया। हम्मीर देव की सेना में सीहरा वंश के अनेक मीणा शूरवीरों ने अलाउद्दीन की सेना से जमकर युद्ध किया था।

बूँदी एवं मेनाल के किलेः- यहां के प्राचीन किले मीणों द्वारा ही निर्मित कराये गये थे। क्योंकि यहाँ पर मीणा सरदारों का एक छत्र राज्य था।

मनोहर थाने का किलाः- झालावाड़ क्षेत्र में स्थित यह किला तीन सौ वर्ष प्राचीन है। कवि श्यामलदासजी ने वीर विनोद ग्रन्थ के पृष्ठ 1390-91 पर लिखा है कि इस कस्बे को मनोहर खाँ ने बसाया था। इसके बाद इस किले पर भील मीणों का अधिकार हो गया। भील-मीणों से यह किला कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने अधिकार में कर लिया। कोटा राज्य के इतिहास में इस किले का उल्लेख करते

हुए डॉ. मथुरा लाल शर्मा लिखते हैं कि मुगलकाल के बाद इस किले पर भील मीणों ने अधिकार कर लिया। यहां के भील-मीणा राजा चक्रसेन बहुत लोकप्रिय शासक हुये हैं। कर्नल जेम्स टाड ने राजस्थान के इतिहास भाग दो पृ. 300 तथा 355 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ''महाराव भीमसिंह (वि. सं. 1764-1744) के समय से पहले इस किले पर भील-मीणों का अधिकार था और भील-मीणा राजा चक्रसेन यहाँ शासन करता था।+

इस प्रतापी राजा को दूर-दूर के आदिवासी अपना नेता मानते थे। उसके पास 500 सवार और 800 तीरन्दाज सर्वदा रक्षार्थ रहा करते थे। परन्तु महाराव भीमसिंह जी ने चक्रसेन को वहाँ से खदेड़ दिया। चक्रसेन मालवा चला गया, जहाँ उसके वंशज मानधाता ओंकारनाथ में अब तक शासन करते हैं।

इस प्रकार के अनेक किले आदिवासियों द्वारा बनवाये गये थे, जिनका परिचय अभी शोध का विषय है।

गैटोर की छतरियाँ:- यद्यपि वर्तमान में ये छतरिया जयपुर राजघराने का शमशान स्थल रही है। परन्तु जयपुर बसने के पूर्व इस स्थान पर गैटोर नामक गाँव बसा हुआ था। यहाँ नाढ़ला गौत्रीय मीणों का शासन था। इन छतरियों के पीछे पहाड़ी के खोह में आज भी अनेक भवनों के खण्डहर विद्यमान है। यहाँ एक छोटा कुण्ड भी है, ऐसा कुण्ड आमागढ़ तथा आमेर के कुन्तलगढ़ में भी स्थित है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ भी मीणा राजाओं द्वारा अनेक भवन रहे होंगे। गैटोर मूलरूप से 'गेटा' मीणा द्वारा बसाया गया था। इसी कारण इस क्षेत्र को गैटोर की घाटी कहा जाता है। इसके विषय में पहले विस्तृत रूप से लिखा जाचुका है। गैटोर में नाढ़ला वंश का शासन विक्रमसंवत 235 से 1011 विक्रम संवत् तक रहा।

अनेक गढ़ियें:- प्राचीन ढूँढाड़ क्षेत्र में आठ-आठ या दस-दस किलोमीटर की दूरी पर 52 निवास क्षेत्र थे (बस्तियाँ थीं) जो मीणा सरदारों की थी। इन पर इन बस्तियों में मीणों राजाओं की एक-एक गढ़ी थी। इनकी प्रधान राजधानी आमेर थी। वर्तमान जयपुर से 8 किमी. दूर खोह का राज्य था, जहाँ पर चाँदा मीणा शासकों का शासन था। इसी तरह पश्चिम में 51 किमी. की दूरी पर झोटवाड़ा में झोटा मीणों की जागीर थी। उत्तर में 3 किमी. की दूरी पर गेटा मीणा का शासन था। इन दोनों राज्यों पर नाढ़ला गौत्रीय मीणों का शासन था।

मंदिर तथा बावड़ियाँ:- मीणों की प्राचीन गढ़ियों का रूपान्तर हो जाने से तथा इतिहासकारों ने इनको कछवाहों द्वारा निर्मित बताये जाने से यह शोध का विषय है। परन्तु इतना तो निश्चित है कि इस संपूर्ण क्षेत्र पर मीणों का शासन होने से उनके द्वारा निर्मित किले अवश्य थे, जिस के खण्डहर अभी भी यत्र तत्र देखे जा सकते हैं।

मीणा समाज के देव भवनों में शिव मंदिर प्रमुख है। सभी मीणा कालीन शिव मंदिर शिखरबद्ध शैली के बने हुए हैं। जिनके गर्भगृह की छतें दसवीं-ग्यारहवीं सदी में प्रचलित प्राचीन हिन्दू वास्तुकला के अनुसार एक पर एक तिरछे पत्थर रखकर बनाई गई हैं। गोल गुम्बदों का प्रचलन मुस्लिम वास्तुकला का प्रतीक है। गर्भगृह में कोई उठा हुआ पीठासन नहीं पाया जाता, जिससे विदित होता है कि वहाँ शिवलिंग स्थापित होगा।

गर्भगृह के बाहर चौकोर मण्डप के पहले तथा गणेश की मूर्तियां ही प्रमुख हैं। मंदिर की बाहरी दीवालों पर विभिन्न कलात्मक मूर्तियाँ बनी होती हैं। जिनमें पौराणिक प्रसंग अंकित हैं। विद्वानों की मान्यता

मीणा जाति के प्रमुख मन्दिर



बाई जी का मन्दिर, बड़ी चौपड़, जयपुर



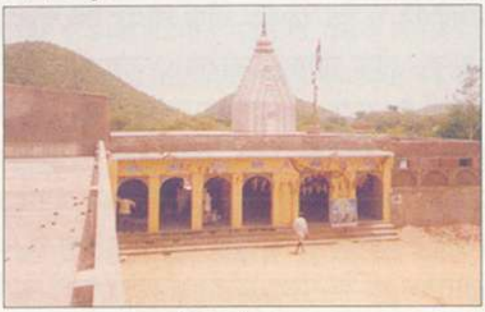
श्यामसुन्दर जी का मन्दिर, छोटी चौपड, जयपुर



शिव मन्दिर, नई का नाथ, जयपुर



शिव मन्दिर, हथरोई, जयपुर



मत्स्य मन्दिर, नई का नाथ, जयपुर



शिव मन्दिर, रामगढ़ बन्धा, जयपुर



अम्बा माता का मन्दिर, आँबागढ़, जयपुर



कुलदेवी के मन्दिर के अवशेष, झरी, अलवर

है कि सौराष्ट्र के शिखर बंध मंदिरों की स्थापत्य कला पर मीणों की स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

बुज की बावड़ी मीणा कालीन है। यह स्योगुण मीणों द्वारा बनवाई गई थी। इसी तरह आभानेरी में भी मीणा कालीन बावड़ी तथा भवन देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में गहन अध्ययन की आवश्यकता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलताजी में अंबामाता का मंदिर भी मीणा समाज के ऋषियों द्वारा ही बनवाया गया। इसका निर्माण काल विक्रम संवत् 232 है।

शिखरबन्द बाईजी का मन्दिर (बड़ी चौपड़ जयपुर)

जयपुर शहर ओर इसके आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों तथा धार्मिक संस्थाओं की ओर से बनवाए गए हजारों मन्दिर हैं जिसमें सैंकड़ों मन्दिर ऐसे हैं जो विशाल हैं तथा अधिकांश का निर्माण जयपुर शहर की स्थापना के काल में कराया गया तथा जयपुर की स्थापना के समय समय गलता दरवाजे से चांदपोल दरवाजे के बीच तीन चौपड़ों का निर्माण कराया गया तथा इन चौपड़ों के दक्षिण पूर्वी खन्दों (कोनों) में तीन कलशमय शिखरबन्द मन्दिर बनवाएं गए। तत्कालीन सांगानेर चौपड़ जिसे आज माणक चौक चौपड़ या बड़ी चौपड़ के नाम से जाना जाता है, इसके दक्षिण पूर्वी खन्दें में ऊंची पैड़ियों वाला शिखरबन्द मन्दिर बना है जिसे लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर कहा़ा जाता है किन्तु यह मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी के बजाए बाई जी का मन्दिर के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के निर्माण मीणा समाज की एक साध्वी बीचू बाई (विचित्र कंवर) ने संवत् 1794 में करवाया था।

बाई जी के मन्दिर में पहुँचने से पूर्व माणक चौक चौपड़ की भीड़ तथा खन्दे में भीड़ भरा फूल बाजार, सर्राफा बाजार तथा अन्य अनेक बाधाओं को पार करना होता है। मन्दिर पहली मंजिल पर है जिसके नीचे की मंजिल पर दुकानें है। बाइस सीढ़ियां पार करने के बाद पश्चिम मुखी मुख्य द्वार आता है। यह दरवाजा पार करते ही सामने एक जालीदार चौकी शिखरयुक्त मन्दिर है जिसके दांयी व बायीं ओर से रास्ता जाता है। यह मन्दिर गरूड़जी का मन्दिर है जो पूर्व मुखी है तथा पश्चिम मुखी मुख्य लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर के ठीक सामने बना है। गरूड़जी की मूर्ति करीब दो सवा दो फीट ऊंची है तथा रजतमय है।

पश्चिमी मुखी लक्ष्मीनारायण जी के मुख्य मन्दिर में प्रवेश करने के लिए चार-पांच सीढ़ियां फिर चढ़नी होती है। इस मन्दिर के तीन शिखर हैं। प्रवेश कक्ष पर शिखर छोटा है। महल के विशाल कक्ष का शिखर अधिक चौड़ा तथा बड़ा है जबकि मूर्ति कक्ष का शिविर सबसे ऊंचा तथा मुख्य शिखर है। कुछ वर्ष पूर्व मूर्ति कक्ष के ऊपर लगा कलश रख-रखाव के अभाव में गिर गया था जिसे जीर्णोद्धार कर पुन: लगा दिया गया।

मुख्य मन्दिर में प्रवेश करते ही विशाल कक्ष आता है जिसकी छत गोलाईदार है तथा यह सम्पूर्ण मन्दिर पत्थर का बना है जबकि फर्श,उस समय के बड़े-बड़े संगमरम' कीचौकी का बना है जो कालान्तर में पीले पड़ गए हैं तथा कहीं-कहीं घिस भी गए हैं। मन्दिर शिखर बड़े-बड़े पत्थरों को नीचे रखकर तथा उनके ऊपर मोड़ देते हुए छोटे पत्थर हैं क्योंकि जिस समय मन्दिर का निर्माण हुआ था उस समय आर.सी.सी. जैसी तकनीक तो थी नहीं।

लक्ष्मीनारायण जी की मूर्ति पश्चिम मुखी है तथा मूर्तिकक्षकेबाहरचौखट संगरमर की है जिन पर अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियां खुदी हैं। लक्ष्मीनारायण जी की मूर्ति अनूठी कलात्मकता लिए है तथा

काले पत्थर से बनी यह मूर्ति अद्वितीय है क्योंकि एक विशाल प्रस्तर (पत्थर को ही काट कर पहले गरूड़ बनाया गया, उस पर विष्णु भगवान की मूर्ति तराशी गई जिनके चारों हाथों में शंख,चक्र, गदा, पद्य स्थापित किए गए । साथ ही भगवान विष्णु की बांयी जंघा पर लक्ष्मीजी को विराजमान किया गया एवं दोनों ओर जय और विजय द्वारपाल तराशे गए। ये सारी मूर्तियां एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई। मूर्ति लगभग दो फीट ऊंची तथा साढ़े चार फीट चौड़ी मूर्तियां एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई। मूर्ति लगभग दो फीट ऊंची तथा साढ़े चार फीट चौड़ी है। यह मूर्ति सबसे ऊंचे शिखर के नीचे बने कक्ष में स्थापित है। इस कक्ष के मुख्य द्वार के वाहन द्वादश (बाहर) अवतार है जो कक्ष की सफेद संगमरमर की विशाल चौखट पर खुदे हैं। बाहर एक ओर आले में गणेशजी की मूर्ति स्थापित है जबकि दूसरी तरफ शंकर पार्वती एवं उनके वाहन नन्दी की मूर्तियां रखी हैं। यहीं पर वीर हनुमानजी की मूर्ति भी है। बाहर विशाल शिखर वाले कक्ष में बांयी ओर एक छोटा-सा कक्ष है जिसमें भुवनेश्वरी देवी का मनिदर है। मन्दिर में ढोल, नगारे, माइक रखे हैं, जिनका प्रयोग आरती के समय किया जाता है।

इसी मन्दिर के उत्तर पश्चिमी छोर पर एक शिव मन्दिर है तथा यह शिव मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर से भी पुराना है। शिव मन्दिर पूर्वमुखी है तथा इस शिव मन्दिर के ऊपर एक गुमटी बनी है जिसमें मन्दिर के वर्तमान महन्त पं. पुरूषोतम शर्मा ''भारती'' के अनुसार पुराने समय में दीया जलाकर रोशनी की जाती थी किन्तु आजकल इस गुमटी पर एक मजार बनी बताई जाती है। मंदिर के बांयी ओर पिछवाड़े में महंत पुरूषोत्तम शर्मा ''भारती'' एवं परिवार रहता है।

मन्दिर के वर्तमान महंत पुरूषोत्तम शर्मा ''भारती'' के अनुसार यहां सर्वप्रथम शिव मन्दिर स्थापित किया गया था इस शिव मन्दिर की स्थापना वर्तमान महंत के वंशज आमेर तहसील के बिलौंची ग्राम के जयजयराम जी महाराज ने की । संवत् 1794 की ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को आमेर के समीप ही सीसावास ग्राम के मीणा भवानी राम की वैराग्यवान पुत्री बिचू बाई (विचित कुमारी) ने मन्दिर में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापित करवाई तथा मंदिर को विशाल रूप दिया तथा पिछवाड़े में बगीचे का निर्माण करवाया ताकि मंदिर में पुष्प इत्यादि चढ़ते रहें। मन्दिर के दस्तावेजों के अनुसार लक्ष्मीनारायण जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महाराजा जयसिंह जी भी पधारे इस अवसर पर विचित्र कुमारीइसी मंदिर के महंत तथा जयजयजराम जी के पुत्र जगन्नाथ जी को मंदिर की सम्पूर्ण सम्पति वबगीची तथा इसके अहाते में बनी 25 दुकाने अपने गुरू को ही बख्शीश में देकर सेवा लीन रहने लगी तथा देह उत्सर्ग काल से यहीं रही। महन्त जगन्नाथ के बाद रामसी किंकर, महन्त रामसेवक जी, एवं उनके बाद महादेव जी महन्त हुए । महादेव जी के बाद महन्त विजयलाल जी, महन्त भूरामल जी व महन्त बंशीधरजो वर्तमान महन्त हैं पं. पुरूषोत्तम शर्मा ''भारती'' के पिता थे।

संवत् 1925 में जयपुर के अन्य वैष्णव मन्दिरों की भांति बाई जी के मंदिर को भी संकट के दौर से गुंजरना पड़ा तथा कुछ वर्षों के लिये मन्दिर की सेवा-पूजा में भी व्यवधान आया। संवत् 1925 में जयपुर के तत्कालीन शासक महाराजा रामसिंह के शिव भक्त होने का नाजायज लाभ उन्हीं के राज दरबार में मौजूद एक शैव ब्राह्मण बक्षीराम व्यास ने उठाया उसने महाराजा की मार्फत एक आदेश निकलवा दिया कि वैष्णव मत के सभी अनुयायी महन्त व पुजारी अपने ललाट पर खड़े तिलक के स्थान पर त्रिपुण्ड (आड़ा तीन रेखाओं वाला) तिलक ही निकालें। बक्षी राम व्यास को जब महाराजा ने पोथी खाना और

सूरतखाना का हाकिम बना दिया तो उसने सवाईप्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह जैसे राजाओं के आदमकद चित्रों में उनके ललाटकाखड़ा तिलक मिटवाकर त्रिपुण्ड ही लगवा दिये। जयपुर में शैवों की इस मनमानी पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई तथा उस समय सारे बाजार स्त्रियां यह गीत गाती निकलती थीं–राजा थाराराज में बध गयो बख्शी व्यास, उभ ने आडा करया जाज्यो सत्यानाश इस घटना का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार नन्दकिशोर पारीक की पुस्तक राजदरबार ओर रनिवास के पृष्ठ 60 पर भी मिलता है। इस आदेश के विरोध में बाई जी के मन्दिर सहित जयपुर के 17 बड़े मन्दिरों के महन्त मन्दिरों का भार तत्कालीन जयपुर रियासत को सौंप तीर्थ यात्रा पर चले गये। उस समय बाई जी के मन्दिर के महंत महादेव जी थे। निरन्तर विरोध के कारण महाराजा ने करीब ढाई वर्ष बाद आदेशवापसले लिया और इस प्रकार यह तिलकों की लड़ाई समाप्त हो गयी। तो महन्त महादेव जी वापिस आ गये और मन्दिर की सेवा पूजा का भार पुनः सौंपने की रियासत से मांग की । लम्बे समय तक यह विवाद चलता रहा। इसी दौरान देश आजाद हो गया और जयपुर रियासत का विलय राजस्थान में हो गया। उस समय विवाद राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग को हस्तान्तरित हो गया। सन् 1955 में मन्दिर की सेवा का भार महंत पं. बंशीधर जी को सौंप दिया गया। वर्तमान में मन्दिर की सेवा पूजा उनके पूत्र महन्त पं. पुरूषोत्तम शर्मा ''भारती'' करते हैं।

ताड़केश्वर मन्दिर (चौड़ा रास्ता, जयपुर)

आज का गुलाबी शहर जयपुर मीणा बस्तियों के भग्नावशेषों पर ही बनाया गया था। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव के आसपास मीणा जाति की ही बस्तियाँ थीं। अत: मूल रूप से किसी समय यह मन्दिर मीणा जाति के आराध्य देव शिव का ही था। यह तो निर्विवाद है कि आदिवासी मीणा जाति प्रारम्भ से ही शिव भक्त रही है। आज का विशाल मन्दिर उस समय नहीं था। परन्तु मूल रूप से यह स्थान मीणों से आराध्य देव शिव का ही था। यह एक शोध का विषय है।

इस प्रकार का गोमतेश्वर महादेव का मन्दिर भी मीणों का ही है। इसका उल्लेख हम पूर्व पृष्ठों में विस्तार से कर चुके हैं। मीणा जाति प्रारम्भ से ही धर्मपरायण व सहिष्णु रही है। महावीर जी के मन्दिर तथा मेले में इनका प्रमुख स्थान है। इसी तरह उदयपुर क्षेत्र के ऋषभ देव मन्दिर में भी मीणा जाति का प्रमुख स्थान है।

जयपुर का गलता तीर्थ

यह हम पढ़ चुके हैं कि मीणा राज्यों के बाद आमेर कच्छावा राजपूतों की प्रथम राजधानी थी। इसके बाद सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर बसाया, जिसे महाराजा रामसिंह ने गुलाबी रंग प्रदान किया। इस नगर के बसाने के पहले चारों ओर मीणों की ढाणियाँ थी। इससे स्पष्ट है कि यहाँ के अधिकतर तीर्थ स्थल मीणा जाति से ही सम्बन्धित रहे होंगे।

यह भी हम पढ़ चुके हैं कि मीणा जनजाति एक आदिवासी जाति है। सिन्धु घाटी सभ्यता में भी इनके वैभव के चिन्ह मिलते हैं। अत: ढूँढ़ाड क्षेत्र में भी इनके प्राचीन तीर्थ अवश्य रहे होंगे। जागाओं के प्राचीन आलेखों को देखकर रामप्रसाद जागा नांगल सुसावत ने बताया कि गलता तीर्थ की स्थापना करने वाले गालब ऋषि जाति से मीणा थे। इस तीर्थ का निर्माण विक्रम संवत् 232 में हुआ। यहाँ तपस्या करने वाले गालब ऋषि मीणा जाति के थे। आगे भी इस गद्दी के महन्त मीणा हुए, जिनका उल्लेख पूर्व में कर चुके हैं।

चूली बावड़ी, सरजोली, जिला जयपुर







आँवागढ़, जयपुर की बावड़ी



खोहगंग स्थित बावड़ी, जयपुर



चूली बावड़ी, सरजोली, जिला जयपुर

राजा नाहिल भोमिया का मन्दिर, क्यारा, जिला जयपुर

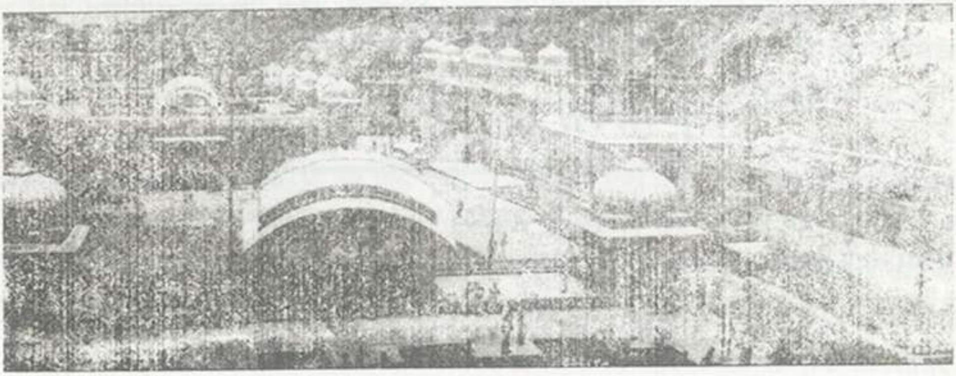






इस स्थान की विशेषता यह है कि पहाड़ों के मध्य से एक झरना है, जिसे गोमुख कहते हैं। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। गोमुख का जल कुण्डों में गिरता है, जिसमें स्नान करके भक्त लोग अपने आपको धन्य मानते हैं। यहाँ गणेशजी, शिवजी तथा रामकृष्ण के भव्य मन्दिर हैं। ढूँढ़ाड के इस तीर्थ का वही स्थान है, जो अजमेर के निकट स्थित पुष्कर का है। चारों धाम की यात्रा की सफलता गलता तीर्थ में स्नान करने से ही होती है। महात्मा गांधी की भस्मी भी 1948 में यहाँ प्रवाहित की गई थी।

मीणा जाति के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के झरने व कुण्ड देखने को मिलते हैं, जिनमें सवाई माधोपुर (रणथम्भौर) के किले में भी ऐसा ही गोमुख है। इस तरह एक झरना व उससे भरे जाने वाले कुण्ड मेनाल में भी पाये जाते हैं, जो किसी समय मीणाओं के राज्य की राजधानी थे। यहाँ के विशाल खण्डहर बहुत ही कलात्मक हैं।



मीणा समाज की प्रमुख बावड़ियाँ

शासक जाति एवं परिश्रम-शील व परोपकारी भावना वाली जाति होने के कारण मीणा जाति ने अनेक जनोपयोगी कार्य किए। इन कार्यों में समय-समय पर इस समाज द्वारा निर्मित बावड़ियों का प्रमुख स्थान है। इनमें से कुछ बावड़ियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।

(1) चूली बावड़ी:- गांव सरजोली में निर्मित बावडी, अरोड़ा मांदड़ द्वारा बनाई गयी है। बावड़ी का नाम चूली पड़ने के पीछे भी एक मार्मिक घटना है। उस समय की मान्यता थी कि भवन के स्थायीत्व व रक्षा के लिए किसी प्रिय वस्तु की बलि देनी पड़ती थी। अत: पिता ने इस कार्य के स्थायीत्व के लिए अपनी पुत्री चूली की बलि दी थी। इस त्यागमय बलिदान का ही परिणाम है कि इस बावड़ी में भरपूर पानी है जबकि सरजोली में पानी का अभाव है।

इस बावड़ी की दूसरी विशेषता यह है कि पहाड को काटकर बावड़ी का रूप दिया गया। सीढ़ियां भी पहाड़ को काटकर ही एलिफेन्टा की गुफाओं की भांति इस बावड़ी को भी पहाड़ों को तरास कर ही बनाया गयी है।

(2) पन्ना मीणा की बावड़ी :- आमेर स्थित यह बावड़ी आज बहुत लोकप्रिय है और इसके निर्माता पन्ना मीणा के नाम से ही विख्यात है। किसी समय यह बावड़ी आस पास क्षेत्र के लिए अटूर जल स्त्रोत था।

प्रमुख भौमियाँ

मीणा जाति में कितने ही भौमिये हुए है, जिन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा तथा अपने स्वामी के स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। इनके इस प्रकार के बलिदान की मीणा समाज में बहुत बड़ी मान्यता है

नाहिल भौमियाँ :- ऐसे वीर पुरूषों में नायला के नाहिल भौमिया जी का प्रमुख स्थान हैं। वहां उनका स्थान बना हुआ है और एक सुन्दर अलंकृत मूर्ति है। आस पास के क्षेत्र के ही नहीं वरन् दूर दूर के लोग उनकी पूजा करने आते हैं और मांग पूरी करने की हार्दिक प्रार्थना करते हैं। नव विवाहित अपनी जात जगाने में भी वहां आते हैं। वे नाहिल भौमियों के नाम से प्रसिद्ध हैं।

पीपा भौमियां :- इसी प्रकार के वीर पुरूष पीपा भौमिया के नाम से नटाटा में हुए हैं। यहां भी रात्री जागरण में बहुत से लोग आते हैं और अपनी मनोतिए पूरी होने पर सवामणि या प्रसाद चढाते हैं।

मीणा समाज के संत

मीणासमाज आयुधजीवी एवं शासक अवश्य था। परन्तु संत-पुरुषों की इस समाज में कोई कमी नहीं थी। इनपर तो एक स्वतंत्र पुस्तक भी कम रहेगी। यहाँ पर इस समाज के कुछ प्रसिद्ध संतों का परिचय इस प्रकार है। यह हम देख चुके हैं कि मीणा समाज धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार एवं सहिष्णु है। इस प्रकार का उदार एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण अन्य जातियों में देखने को नहीं मिलता।

नाढ़ला मीणा सरदार नाढ़ो ऋषि की संतान मानी जाती है। वंशवृक्ष के अनुसार भौम ऋषि के बाद गालब ऋषि, गुबाला ऋषि, लाबा ऋषि, संतोष ऋषि और सुन्दर ऋषि हुए। सुन्दर ऋषि की संतान नाढ़ो ऋषि थे, जिन्होंने गलता तीर्थ पर तपस्या की थी। खोह के चान्दा वंशीय राव के कोई संतान नहीं थी। अत: उन्होंने गालव आश्रम गलता तीर्थ में स्नान करके नाढ़ो ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे संतान प्राप्ति का वरदान देने की कृपा करें।

ऋषि ने वरदान तो सहर्ष दे दिया, परन्तु यह शर्त रख दी कि प्रथम संतान ऋषि को भेंट करनी पड़ेगी। चाँदाराव के प्रथम संतान होने पर नाढ़ो ऋषि ने ईला से विवाह कर लिया। उनसे जो संतान हुई नाढ़ला गौत्रीय मीणों का वंश चला और उन्हें गैटोर, झोटवाड़ा, जामडोली (पुराना घाट) जैसे विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया।

गैटोर में गालवसी और जेठवाड़ा (झोटवाड़ा) में जेठा राव इस वंश में प्रतापी शासक हुए हैं। ये दोनों दानवीर थे। झोटवाड़ा इन्होंने ही बसाया था। वंशवृक्ष के अनुसार जेठोराव का भाई सीगोराव था। गैटोर घाटी, पालोडा, रतनपुर, जामडोली, पालेड़ाइन लोगों ने बसाये थे। जेठोराव का पौत्र व राव सांवतराम नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस वृतान्त का उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि गलता पीठ का बहुत प्राचीन काल में मीणा ऋषियों से संबंध रहा है। कुछ विद्वानों का तो यह भी कहना है कि महान् भक्त ध्रुव गोमलाड़ ऋषियों की देन है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। यह सभी शोध का विषय है।

प्राचीन काल के अतिरिक्त मध्य काल में मीणा संभाग में बहुत ही चमत्कारी संत हुए हैं। ढूँढाड़ क्षेत्र के अतिरिक्त मारवाड़ में भी अनेक पहुंचे हुये संत हुए हैं। घाटमदास, घाटम ऋषि के नाम से महान् संत हुए

हैं। घाटमदास जी के बाद दानारामजी तथा पूनमदास जी महान् संत हुये जिनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र के मीणा भी बहुत धर्म परायण एवं चरित्रवान हुए। अपनी मान-मर्यादा के लिए राजपूतों तथा मुसलमानों से निरंतर संघर्ष करते रहे। घाटम ऋषि का उल्लेख भक्तमाल में कई स्थानों पर हुआ है।

मुनि मगनसागर जी महाराज ग्राम-उखलाना, जिला-टोंक

जाति पाँति पूछै नहीं कोई।
हरि को भजे सो हरि को होई॥

कबीर जी की इस साखी को सार्थक करने वाले मुनि मगन सागर जी का जन्म टोंक जिले के उखलाना ग्राम में गौठवाल गौत्र के मारण (मीना) परिवार में सन् 1881 ई. में हुआ था। वह ऐसा समय था कि जनजाति तो क्या उच्च वर्ग में भी शिक्षा का प्रसार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में साधन न होने पर भी गांव के पटवारी से अक्षर ज्ञान करने लगे। आपका जन्म नाम मंगला था। पिता भैरुलाल जी व माता हरल्ली बाई अशिक्षित एवं निर्धन होते हुए भी अच्छे संस्कार युक्त थे। मंगला पर भी इनके संस्कारों का प्रभाव पड़ा और वे अच्छे वातावरण सत्संगत की ओर उन्मुख रहने लगे।

एक समय श्वेताम्बर जैन साधुओं की एक मण्डली उखलाना गाँव में आई हुई थी। मंगला भी उनका प्रवचन सुनने गया। प्रवचन ने उनको इतना प्रभावित किया कि वे भी जैन धर्म में दीक्षित होकर मानव समाज की सेवा करने को तैयार हो गये। ऐसे इस गांव में गोठवाल गोत्र के मीणा समाज के 200 घर थे जो सभी जैन धर्म में दीक्षित थे। मुनि जी गृह त्यागकर मीणा समाज को सुसंस्कृत करने को लालायित थे। अत: उन्होंने जैन आचार्य कृपाचन्दजी से जैन संत बनने की दीक्षा प्राप्त की और मंगला से मुनि मगनसागर जी बन गए।

जैन विद्वान आचार्यों के सानिध्य में स्वाध्याय करते करते वे जैन दर्शन के अच्छे ज्ञाता बन गए। ''करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान'' मुनि जी हिन्दी, संस्कृत, मराठी, गुजराती तथा बंगलाभाषा के अच्छे ज्ञाता हो गये। इन भाषाओं के ज्ञान का उपयोग आपने बंगल, उड़ीसा, गुजरात तथा महाराष्ट्र में जैन दर्शन का प्रचार करने में किया। मुनि जी का कहना था कि- ''संस्कारयुक्त घर में ही सुख-सुविधा रहती है। प्रेम व परस्पर सहयोग से समाज का वातावरण श्रेष्ठ होता है। संस्कार युक्त समाज से बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। बचपन में पड़े संस्कारों का प्रभाव अमिट है। बचपन में जैसे संस्कार बन जायें वैसा ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वस्थ समाज व राष्ट्र निर्माण के लिये बच्चों को संस्कार युक्त बनाना आवश्यक है।

मुनि जी अपने ज्ञान को बराबर बढ़ाते रहे और उन्होंने छोटी-बड़ी 30 पुस्तकें लिख डाली। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण संस्कृत में सात खण्ड में लिखा हुआ मीन पुराण है। मीण पुराण इतने विस्तार में लिखने का भी एक कारण है। उनके साथी एक जैन संत ने ताना मार दिया हो तो, मीणा जाति से ही न! शायद उस सज्जन को कबीर की इस साखी का ज्ञान नहीं था-

जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।
मौल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान॥

मुनि जी ने साथी के उपालंभ को एक चुनौती के रूप में लिया। उनके हृदय में यह बात खटकने लगी कि सदियों राज करने वाली वीर मारण जाति को लोग आदर की की दृष्टि से क्यों नहीं देखते? अत: उनको

मारण (मीना) जाति का गौरवपूर्ण इतिहास लोगों के सामने रखने की धुन सवार हो गई।

उन्होंने मत्स्यावतार इस जाति का उद्‌गम बताते हुए वेदों में ''मेनि शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह इसी जाति से संबंधित है। मेनि का शब्दार्थ ब्रजकाय है। अर्थात् वह जाति जो ब्रज के समान बली है, वह मेना या मीना जाति कहलाती है। मीना जाति भारत के मूल एवं वास्तविक क्षत्रिय जाति से थे। अभी जो राजपूत हैं वह विदेशी शक-हूण जाति की संतानें हैं। इन मीन या मेना राजाओं का उल्लेख यजुर्वेद में भी इस प्रकार है- ''विषम्यो मेनालम''।

मेनाल चित्तौड़ जिले में प्राचीन स्थान है, वहां इसी जाति का विशाल राज्य था। यजुर्वेद में ही एक श्लोक है, जिसका अर्थ है कि अन्याय जुल्म, षड़यंत्रों व पापों से मनुष्य को बचावे मना करें उस प्रजावत्सल क्षत्रिय जाति को मेनाल कहते हैं। श्री मद् भागवत के 12वें स्कन्ध में भावी राजाओं के प्रकरण में मीना जाति का समस्त भारत पर राज्य बताया।

जैनाचार्यों के अनुसार श्री ऋषभदेव के सौ पुत्रों में से एक पुत्र मत्स्य देव था अपने नाम से इसने मत्स्य प्रदेश को आबाद कर अपना वंश चलाया जिसने भारत के अनेक प्रदेशों में फैलकर अपना राज्य स्थापित किया। ऋषभदेव भगवान से संबंधित होने के कारण आज भी जैन तीर्थ महावीर जी एवं ऋषभदेव में इस जाति को भगवान की सेवा में प्राथमिकताएं दी हुई हैं।

यह तो ऐतिहासिक सत्य है कि मत्स्यराज्य, कुरु, राज्य के दक्षिण और यमुना के बीच पश्चिम में था। वर्तमान में अलवर, भरतपुर व जयपुर, के प्रदेश इसके अंतर्गत थे। इधर चित्तौड़ पर मीणों का शासन था। यहां का अंतिम शासक मान था जिसको संवत् 802 में मारकर बप्पा रावल ने अपना राज्य स्थापित किया। ग्वालियर तथा मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों पर मीणों का राज्य था।

इस शक्तिशाली मीणा जाति के दमन करने में कछावा राजपूतों का विशेष योगदान रहा। मुगलों से मिलकर राजपूतों ने समस्त मीणा राज्यों को उखाड़कर उनकी राजधानियों को धूल में मिला दिया। इन सभी का वर्णन ''मीन पुराणा के सात खण्डों में किया गया है। इसके तीन खण्डों को मीनोत मुंशी नारायण सिंह जी नौरावत रिटायर्ड नाजिम मनोहर भवन, डग (झालावाड़) ने करवाया। मीन पुराण में मीणा जाति के 12 पाल, 32 तडे और बावन सौ प्रमुख गौत्रों का सविस्तार वर्णन है। मुनि जी स्वयं गोठवाल गोत्र के थे। जिसका राज्य अखलाना में भी था। मुनि जी ने उखलाना गोठवाल राजवंश पर एक कविता लिखी जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:-

उखाणों गढ़ सब सनातन नाम,
बाद जैन के भूपति देशा प्रकट नाम।

मीन पुराण के अतिरिक्त मुनि जी ने ''सिद्धान्त मुनि सागर'' तीन भाग, तेरापंथियों से प्रश्नोत्तर, जैन जाति निर्णय समीक्षा''''हमीर रासो सार'' में राणा हमीर के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में मीनों ने वीरता प्रदर्शित की। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश, समाज की रक्षा के लिए मुगलों से मीणा राजाओं ने अनेक युद्ध किये। मुगलों की सहायता से राजपूतों ने मीन राज्य को किस प्रकार नष्ट किया इसका भी मुनि जी ने विस्तृत वर्णन किया है। मीन जाति के गौरवपूर्ण इतिहास को प्रकाश में लाने के बाद मुनि जी ने इस जाति में नव चेतना का संचार करने का अथक प्रयास किया।

उत्थान व पतन प्रकृति का नियम है, इस जाति की दशा अंग्रेजी राज्य आते-आते तो इतनी दयनीय

हो गई थी कि इनको सामान्य नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। भारत सरकार ने 1924 में इन पर नियंत्रण करने के लिए ''क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट'' अपराधी जाति कानून लागू कर दिया। जयपुर राज्य में मीणों को अपराधी जाति घोषित कर दी गई। इसके अनुसार 12 वर्ष से ऊपर सभी स्त्री पुरुष को प्रतिदिन पुलिस स्टेशन पर उपस्थित होना पड़ता था। मुनि जी से यह सब न देखा गया। वे केवल जैन मुनि के नाते उपासों में ही नहीं बैठे रहें, वरन् मीणा समाज की दयनीय स्थिति सुधारने के लिये कर्म क्षेत्र में भी उतरे। इनकी प्रेरणा से अधिवेशन हुये। सन् 1932 में शाहजहाँपुर में मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में विशाल मीणा सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन मुंशी नारायण सिंह नौरावत ने किया। इस सम्मेलन में जरायम पेशा कानून को मीणों पर से हटाने की मांग की गई। ''अपराधी जाति कानून'' को समाप्त करने की पुरजोर शब्दों में मांग की गई। उद्घाटन नारायण सिंहजी हरनारायण बुलंद शहर यू. पी. ने किया।

अब मीणा जाति के लोग चौकीदार एवं कृषि कार्यों में लग गए। इस पर भी इन पर अनेक अत्याचार किये गये। अनेक बैठ-बेगार लगाई गई।

इनके सामाजिक कार्य एवं रहन सहन के तरीकों पर भी अनेक प्रतिबंध लगाये गये। चौकीदारी का कार्य इनको इनकी इच्छा के विरूद्ध सौंपा गया। इस कार्य के लिए थोड़ी सी जमीन दी जाती थी और और दादरसी कानून थोपा गया। चौकीदारी के समय साधारण चोरी होने पर भी इनको भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ती थी। जमींदार मीणों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। उनसे जागदारी प्रथा के अंतर्गत लाटा बाटा भेंट-बैगार ली जाती थी।

इस प्रकार के शोषण व दमन का विरोध करने के लिए मुनि मगनसागर जी की अध्यक्षता में सन् 1944 में मीणों का एक विशाल अधिवेशन हुआ और नीम के थाने में जिसमें खादी प्रदर्शनी की भी स्थापना की गई। सम्मेलन का उद्घाटन करने हिन्दुस्तान दैनिक के संपादक दिल्ली के सत्यदेव विद्यालंकर आये। उन्होंने मीणा जाति के इतिहास पर विशेष प्रकाश डाला। सम्मेलन के संयोजक और सफल बनाने में क्रांतिकारी देशभक्त लक्ष्मीनारायण झरवाल का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा और जरायम पेशा कानून को रद्द करने का प्रस्ताव रख कर जोरदार विरोध किया। मुनि जी की प्रेरणा से अनेक लोग मीणा जाति के उत्थान के लिये तैयार हुये। इस आंदोलन को सक्रिय योगदान देकर सफल बनाने में विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद शर्मा, राजेन्द्र कुमार अजेय, लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री कृष्ण मत्स्य अरिसाल सिंह, चरखा संघ के मंत्री बलवन्त देश पाण्डे, रामकरण जोशी (दौसा) बंशीधर शर्मा और भगुता राम सीकर, गणपतराम नरड़, भैरूलालकाला बादल, रामसिंह नोरावत, मालाराम पबड़ी, सुर्जनसिंह जैसे का नाम उल्लेखनीय है। इस सम्मेलन में शक्ति और मुनि जी के आर्शीवाद से 3 जुलाई 1946 को जरायम पेशा कानून में सुधार किया गया। 28 अक्टूबर को बागावास में भावी रणनीति तैयार करने के लिए मीणों को विशाल सम्मेलन हुआ। इसमें हजारों मीणों ने भाग लिया। चौकीदारी प्रथा का त्याग पत्र दिया और जो जमीनें चौकीदारी में दी गई थी वे खालसा कर ली गई। पुलिस के अत्याचारों के कारण 5 जून 1947 को लक्ष्मीनारायण झरवाल के नेतृत्व में मीणों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ और कानून की प्रतियां जलाई गई। उसी दिन से मीणों ने पुलिस में हाजरी देना बन्द कर दिया गया। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ी। 28 वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद 1950 में एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसके सामने श्री झरवाल ने ज्ञापन देकर के कानून को रद्द करवाया और मीणों को सम्पूर्ण नागरिक अधिकार दिलवाये। स्वतंत्र वातावरण में मीणा जाति

के अनेक लोग राज्यों एवं केन्द्र में उच्च पदों पर आसीन है और विकास की ओर कदम बढ़ते गये। इनका कर्त्तव्य है कि अपने लोगों को आगे लाने में पूरी मदद करें।

इस तरह आधुनिक युग में भी अनेक मीणा संत हुये हैं। जो बहुत दूर-दूर तक स्थान बना कर लोगों में सदाचार का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे संतों में ग्रामीण क्षेत्र गठवाड़ी में संत बनादासजी है।

घाटम ऋषि

इनको पहले घाटम चोर कहा जाता था क्योंकि ये पहले जीविकोपार्जन के लिए चोरी किया करते थे। परन्तु कुछ वर्षों में इनके जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि इनको भौतिक पदार्थों से घृणा हो गई और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। भारतीय परंपरा में बाल्मिकी आदि का भी इसी प्रकार परिवर्तन हुआ था।

कृष्ण स्नेही द्वारा रचित भक्तमाला भाषा पृ. 287 में इनका वर्णन इस प्रकार है। इसके अनुसार- एक दिन घाटम जी को अपने धंधे से घृणा हुई और बहुत ही दुखी होकर वे संत के पास पहुँचे। संत ने उनकी व्यथा सुनकर कहा कि ''यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो हरिभजन में लीन हो जाओ और नित-प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करो।'' घाटम जी ने संत के आदेशानुसार चोरी चकारी का घृणित कार्य छोड़ दिया और सात्विक जीवन व्यतीत कर प्रतिदिन हरिदर्शन के लिए मंदिर जाने लगे। इस नियम का उन्होंने कठोरता से पालन किया।

एक दिन इनको विलंब हो गया और सोचा कि इतने कम समय में तो मंदिर तक पहुंचा नहीं जा सकता। अत: विवश होकर उन्होंने राजा की घुड़साल से काला घोड़ा चुरा लिया। यह देखकर संतरी घाटम जी के पीछे दौड़े। परन्तु संतरी यह देखकर आश्चर्य में डूब गया कि घोड़ा सफेद हो गया। संतरी ने सभी घटना आकर राजा को सुनाई। राजा स्वयं घाटमजी के चमत्कार से आश्चर्य में डूब गए और स्वयं उनके पास जाकर चरणों में गिर पड़े। उनका आदर कर उनके लिए एक आश्रम बनवा दिया। आश्रम का नाम 'घाटम घाट' कहा जाता है। सेऊ सम्मन आपके ही शिष्य थे।

दादू पंथ ब्रह्मदास चारण लिखित 'भक्तमाल' संपादक उदयराज अूंजल ने पृष्ठ 52 पर लिखा है-

''घाटम का घोड़ा पलट किय अजूल कारे'' इस वृत्तान्त में घोड़ा चुराने का कारण गुरु की भेंट बताया गया। भक्तमाल में घाटमजी का सत्यवादिता की प्रशंसा की गई है। घाटम जी के समान ही झाझू जी एवं माझू जी मीणों के महान संत हुये हैं।

संत झाझू जी माझू जी (संवत 1621-84)

आप ढूँढाड़ के झोटवाड़ा ग्राम के निवासी थे। झोटवाड़ा में नाँढ़ला गौत्रीय मीणा सरदारों का शासन था। इस बस्ती का निर्माता भी जेटा मीणा ही था। इस मीणा जनजाति गणराज्य पर जब कछावा राजपूतों ने अधिकार कर लिया और इस क्षेत्र को उजाड़ दिया। ऐसी परिस्थितियों में जीवन निर्वाह के लिए मीणा सरदार इधर उधर भटकने लगे। झाझू जी तथा माझू जी को मीणा युवक रत्नाकर भील (वाल्मीकि) की भाँति लूट-खसोट का काम करने लगे। घूमते-घामते वे सांभर पहुँच गये। वहाँ संत दादू जी उपदेश कर रहे थे कि हमें सदाचार से रहना चाहिए और चोरी-चकारी का कार्य पाप है। दोनों मीणा युवकों को प्रारंभ में यह बात ठीक न लगी और वे दादूजी का प्राण हरने के लिए उनकी कुटिया के पीछे जा खड़े हुए। उस समय दादू जी एक पद गा रहे थे-

रहसी एक उपावन हारा, और चालसी सब संसारा॥
चलसी गगन धरणि सब चलसी, चलसी पवन अरुपानी।
चलसी सूर चंद पुन चलसी, चलसी जुगजाम वारा।
चलसी काल ब्याल पुनि चलसी, सर्व पसारा॥
लसी स्वर्ग नरक भी चलसी, चलसी भूषण हारा।
चलसी सुख दुख भी चलसी, चलसी कर्म विचारा॥
चलसी चंचल निश्चल चलसी, चलसी जो कुछ किन्हा।
दादू देख रहे आविनाशो और सब घट क्षीना॥

झाझू मांझू जी ने जब पद सुना तो विचार करने लगे कि यथार्थ उपदेश है, किन्तु हम तो संसार की 84 लाख योनियों में भटकते रहे हैं। जन्म-मरण से छूटने का मार्ग दादू ही बता सकते हैं। उन्होंने दादूजी से अपने को शिष्य रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। इस पर दादूजी ने कहा कि इस दुश्चक्र से छुटकारा पाने का एक मात्र उपाय एक अद्वेत परमात्मा के भजन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति ही है। दादूजी ने सनातन भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया।

ऐसा तत्व अनपुम भाइ, मरे न जीवे कालन खाई।
पावक जारे न मारा मरई, काटा कटे न यारा शूई।
अक्षर खिरे न लाजे काई, क्षति धाम जल डूब न जाई।
माटी मिले न गगन दिलाई, आघट एक रस रह्या समाई।
ऐसा तत्व अनुपम कहिए, सोमह दादू नहि न रहिए।

दादू ने झाझू जी माझू जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। दोनों मीणा सरदार चोरी आदि के अपराध छोड़कर भगवद् भजन में लग गए। दोनों विरक्त होकर साँभर से लौटे और झोटवाड़ा ग्राम के बाहर अपना साधना धाम बना लिया। वही निरंतर निर्गुण ब्रह्म का भजन करने लगे और शीघ्र अच्छे संतों के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। अपनी शेष आयु झोटवाड़ा में ही व्यतीत की और यहीं वे ब्रह्म लीन हुए। उनके समाधि स्थल पर एक छोटी सी गुमटी बनी थी। यहाँ पर महामण्डलेश्वर रामदयालदास ने सवंत् 2013 में दादू मंदिर, सत्संग भवन और छोटा सा एक बगीचा लगाया और इसे आश्रम का रूप प्रदान किया। यहां पर एक शिलालेख लगा हुआ है। जिसके अनुसार उस समय इस पर 45000 रुपये व्यय हुये। इस लेख के अनुसार इस सत्संग भवन में 45000 रु. व्यय हुए और इस लेख के अनुसार दादूजी का समय 1621 से 1681 माना जाता है।

दादूपंथियों में विरक्त साधुओं की मंडलियां दादूजी के समय में ही चल पड़ी। विरक्त साधु किसी स्थान विशेष का आश्रय नहीं लेते और न किसी प्रकार की संपत्ति अर्जित करते हैं। शरीर संरक्षण के लिए कषाय वस्त्र पहन कर हाथ में कमण्डल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। मण्डली के साथ भ्रमण के कारण ऐसे साधु मण्डलेश्वर कहलाते हैं। संवत् 1800 तक इस प्रकार की मंडलियाँ चलती रहीं। रामदयाल दास तपस्वियों के साथ भ्रमण करते थे। मारवाड़ क्षेत्र में भी इस प्रकार मीणा दादू पंथी संतों की मण्डलियाँ चलती थीं। केवल राम एवं बालूराम की मण्डली इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कुछ वर्षों तक मण्डली घूमाने के बाद वे उनके शिष्य रामदयाल दास के साथ झोटवाड़ा आये और झाझूजी और

माझूजी के स्थान का पुर्नरुद्धार किया। यहीं रामदयालदास ने शरीर छोड़ा। उनकी स्मृति में बसंत पंचमी पर अच्छा मेला भरता है। जिसमें क्षेत्र के मीणें बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं। यह स्थान इसलिए पवित्र माना जाता है कि पूर्व में रही अपराधी प्रवृत्ति को त्यागकर अपने गुरु के उपदेश से दो मीणा सज्जनों ने हरिभजन का व्रत लिया। कथा एवं कीर्तन से अपने सतसंगियों के मन में सदाचार का संचार कर ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देते थे। इस कारण आसपास के क्षेत्र में इन दोनों मीणा संतों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। उनके पास अच्छे-अच्छे संतों का ताँता लगा रहता था। दादू संप्रदाय में उनका निम्नलिखित पद बहुत प्रसिद्ध है-

झोटवाड़ों गाँव तहाँ झाँझू माँझू रहै,
सदा हरिभक्ति रत सेवक विचारे हैं।
मन में उछाह अति संतन की सेवा करै,
हरष कुटुम्ब सु सने बड़े सारे है॥
प्रीति से बुलायै ताते संत चले आवे,
कथा की रतन गावे गुरु दादू यूं उधारे हैं।
कीन्हीं गुरु भक्ति दोऊ संत अनुरक्त चित्त,
तन मन धन नवछावर उतारे हैं।

झाँझू जी माँझू जी का विस्तृत परिचय राघवदास ने भक्तिमाल में दिया है और उनको दादू संप्रदाय के दिग्गज संत बताया है।

बाद में इस पंथ में अनेक पहुँचे हुए संत हुए हैं और स्थान स्थान दादू द्वारा का निर्माण करवा कर स्थानीय समाज में ईश्वर प्रेम का संचार किया। जयपुर रियासत के राजाओंने दादू द्वारों को जागीरें प्रदान की। इन दादू द्वारों पर मीणा समाज का आधिपत्य रहा। अब संत वृत्ति छोड़कर पूर्ण रूप से गृहस्थ बन गये। ढूँढाड़ क्षेत्र में प्रत्येक कस्बे में दादू द्वारा देखने को मिलेगा, वहाँ आज भी मीणा सरदारों का स्वामित्व है। इनमें बल्लभानन्द जी का नरायाणा का आश्रम प्रसिद्ध विरक्त साधु मण्डली के अतिरिक्त स्वेत वस्त्रधारी भी दादू पंथी भी इस क्षेत्र में अधिकतर पाये जाते हैं। ये साधु नागा कहलाते हैं। इनका पूर्व का आयुधी जीवन साकार हो, उन्हें पूर्व जयपुर रियासत में मीणा नागा साधुओं की एक अलग ही सैनिक टुकड़ी थी। मीणा समाज में संत व शौर्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जयपुर के सैन्य संगठन में जब हरिदास नागा साधुओं थे, तब नागा साधुओं की जमात का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय सात जमातें व ग्यारह अखाड़े प्रमुख माने गये। इन जमातों के महन्तों में निवाई के महन्त को तीन गाँव जागीर में मिले हुए थे। दरबार में निवाई के महन्त को कुर्सी का सम्मान प्राप्त था। इस तरह मीणा बन्धु संत दादू दयाल के परम भक्त रहे हैं। आज भी ढूँढाड़ के क्षेत्र में अनेक गाँवों में दादू द्वारे बने हुए हैं। परन्तु अब भक्ति की वह परंपरा मीणा महन्तों में नहीं रही और गृहस्थ बनकर कृषि कार्य में व्यस्त है।

राधा स्वामी सत्संग : बाबा मेघादास

जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मीणा समाज में जैसी उदारता सहिष्णुक्त एवं समन्वय की भावना को मिलती है, वैसी अन्य समाज में देखने को नहीं मिलती। सनातन धर्म इनका मुख्य धर्म है। कार व साकार दोनों में इनकी गहरी आस्था है। जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल श्री महावीर जी एवं देव जी की आराधना में हम इस जाति की रुचि के विषय में हम पढ़ चुके हैं। मध्यकाल में जब

मीणा जाति के प्रमुख सन्त



मुनि श्री मगन सागर
टौंक राज.



बाबा श्री बन्ना दास जी
गटवाडी, राज.



श्री रामनाथ जी महाराज
श्योदासपुरा, राज.



बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज
अलवर राज.



बाबा श्री मल्लादास जी महाराज
अलवर राज.



श्री गिरवरदास जी
महुआ, राज.



महात्मा बल्लभानन्द जी मण्डलेश्वर
निवाई, टौंक राज.

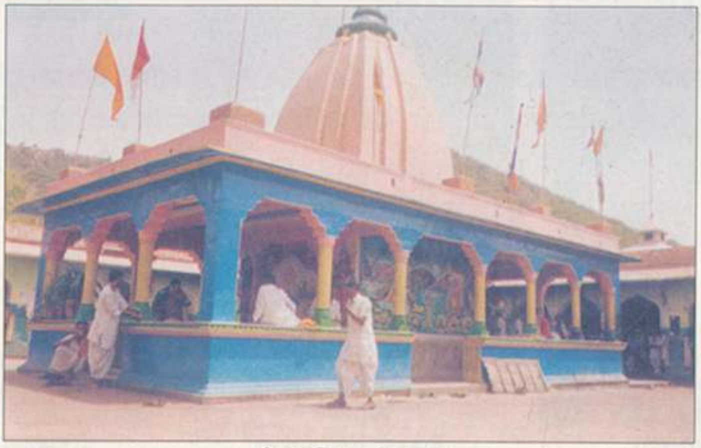


साध्वी राधादेवी बागड़ी
चौमू, जयपुर राज.



साध्वी सुशीला महाराज
नया वास, सीकर, राज.

नई का नाथ स्थित शिव व मत्स्य मन्दिर, जिला जयपुर



शिव मन्दिर, नई का नाथ







श्री 1008 गुरू महाराज हनुमानदास

बाबा रामदास मीणा (गोडारिया)



मत्स्य मन्दिर, नई का नाथ

बना रहा। अन्त में अपनी माता से 5 किलो अनाज लेकर चल दिया। उसके साथ दो गूजर साथी भी दिल्ली चले गये।

दिल्ली में उसने एक कारखाने में काम करना शुरु किया। परन्तु वहाँ भी उसका मन नहीं लगा और अपने परिचित बालूराम को कहने लगा कि मेरा मन हरिदर्शन का प्यासा है। बालूराम मेघादास की उत्कृष्ट अभिलाषा को समझ गया और उसे वह राधा स्वामी सत्संग भवन ले गया। वहाँ स्वामी रासबिहारी दास सत्संग कर रहे थे। मेघादास उस सत्संग में रम गया। स्वामी रासबिहारी दास ने उन्हें पाँच दिन तक उपदेश दिया और निरंतर गौसेवा व प्रभु-भजन का उपदेश देकर जपुर भेज दिया। वह चौमूं पहुँचा और अपनी कुटिया बनाकर वहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने लगे। उनकी शिष्या सहजोबाई और महन्त नारायण दास ने मेघादास जी की भाँति अपने उपदेशों के रूप में 'वाणी' प्रकाशित की। इसके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है।

गुरु मेहर से जाग पड़ा, त्रिकुटी में आसन डोला।
जोत निरंजन रूप लखाया, श्याम महल हैं न्हाण संजोया।
जूनागढ़ में जूना पुरुष, पुरुष में पुरुष दिखाय दिया।
गगन गगन जहाँ अनहद बैन बजाय रहे दखाया।

कहे मेघादास में राधा स्वामी सत्‌गुरु, राम बिहारी दास आय बताया। बाबा मेघादास की कुटिया में उनकी शिष्या सहजोबाई अभी भी है। उनकी वाणी राजस्थानी में है।

सहजों ने सहज मिला गुरु पूरा, भरम भूत जब भाग्या रे।
मेघदास गुरु राधास्वामी नाम बतागो रै॥

राधा स्वामी सत्संग साधना में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अत:यह पंथ गुरुमत प्रधान है। गुरु की शरण में जाने से ही मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। 'गुरु' का अर्थ इस पंथ में इस प्रकार है। 'गु' का आशय अंधकार है और 'रु' का अर्थ है प्रकाश। अंधकार के मार्ग से निकलकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर कराने वाला व्यक्ति ही गुरु है। मेघदास की कुटिया अब राधास्वामी बाग के रूप में एक विशाल सत्संग के रूप में अभी भी इस मत का प्रचार कर रहा है। जयपुर में बिलवा के निकट एक विशाल राधास्वामी आराधना केन्द्र बन गया है। इस तरह मीणा बन्धु सभी प्रकार के भक्तिमार्ग को अपनाते हैं।

भक्तिमति विचित्र कंवर (बीचू बाई)

आमेर के निकट सीस्यावास गाँव के मीणा भवानी राम की वैराग्यवान पुत्री बीचू बाई ने विक्रम संवत् 1794 ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को इस मंदिर में लक्ष्मीनारायण की मूर्ति स्थापित करवाई तथा विशाल रूप प्रदान किया। इससे पहले इस मंदिर में शिव की मूर्ति थी। बीचू बाई ने मंदिर के पीछे विशाल बगीची का निर्माण करवाया ताकि मंदिर में तुलसी पत्र एवं पुष्प यहीं से चढ़ते रहें। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जयसिंह जी भी आये थे। बाद में साध्वी विचित्र कंवर इसी मंदिर के महन्त तथा जयराम के पुत्र जगन्नाथ जी की शिष्या बन गई और मंदिर की संपूर्ण संपत्ति, बगीची, इसके आहते में बनी खन्दक की दुकानें सभी कुछ अपने गुरु को ही भेंट कर तथा सेवालीन रहने लगी और स्वर्ग सिधारने तक यहीं रहीं।

संवत् 1925 को अन्य वैष्णव मंदिरों की भाँति बाई जी के मंदिर को भी संकट से गुजरना पड़ा।

जयपुर को गुलाब रंग प्रदान करने वाले महाराज रामसिंह जी शिव भक्त थे, अत: उस समय के मुसाहिब बक्षीराम ब्यास के कहने में आकर सभी वैष्णव पुजारियों को अपने ललाट पर खड़े तिलक के स्थान पर त्रिपुण्ड तीन रेखाओं वाला आड़ा तिलक लगाने के लिए विवश कर दिया। इसके विरोध में लगभग 17 मंदिरों के पुजारी जयपुर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गये। उस समय यहाँ के पुजारी श्री लक्ष्मीनारायण थे। लगभग ढाई वर्ष बाद रामसिंह जी ने पुन: खड़ा तिलक लगाने की आज्ञा प्रदान की। इस तरह बाई जी के मंदिर को भी संकट से गुजरना पड़ा।

माणक चौक स्थिति मंदिर अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर रूप में प्रतिष्ठित है, परन्तु अभी भी यह बाई जी के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। इस सभी वृत्तान्त का आशय यही है कि यह मंदिर मीणा साध्वी बीचू बाई का बनवाया हुआ है। मीणा समाज में महिलायें भी भक्तिमती हुई हैं, जिन्होंने समाज के नाम को भी गौरावान्वित किया।

महाराज बनादास जी

जमारामगढ़ तहसील में गठवाड़ी एक कस्बा है। यहाँ पर भी मेवासों की गढ़ी बनी हुई हैं। साठ प्रतिशत जनसंख्या मीणा समाज की। यहाँ एक साधारण मीणा परिवार में बनादास जी का जन्म हुआ। बचपन में ही इनको हरिभजन की लत लग गई। रात-रात भर भजन करते रहते। गर्मी के अन्दर बालू रेत के टीबों में बैठ कर घोर तपस्या में लीन रहते। तपस्या के कारण आपकी वाणी में सिद्धि हो गई। लोगों की भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ने लगी। फिर स्थान-स्थान पर सत्संग का ताँता लग गया। आप खाकी वेशधारी साधु हैं।

धूणी 24 घंटे चलती रहती है। गाँव गठवाडी के उत्तर दिशा के एक विशाल टीबे पर आपने हनुमान जी व भगवान राम का एक विशाल मंदिर बनवाया। भेंट स्वरूप जो भी आता है, उसे जनसेवा में खर्चा करते हैं। मंदिर में सदाव्रत चलता रहता है। बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों व अतिथियों का खूब आदर सत्कार होता है।

सभी के प्रति आपका अपूर्व स्नेह होने के कारण आश्रम पर भक्तों की सदा भीड़ रहती है। हनुमान जयंती व रामनवमी का उत्सव बहुत ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। गाँव के सभी व्यक्तियों को इन उत्सवों पर भोजन कराया जाता है।

स्थानीय विद्यालय के छात्रों को वस्त्र तथा पुस्तकें प्रदान करते रहते हैं।

तरुवर फूल नहीं खात है सरवर पिये नहीं पानि।
कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजानि॥

अत: आश्रम की सभी राशि जनहित में खर्च होती है।

भृतहरि

भारतीय इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिखे गये इतिहास का अनुवाद मात्र है। अंग्रेज लोग हमारे लोक जीवन से परिचित नहीं थे। अंत: उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सच पूछा जाये तो हमारा वास्तविक इतिहास चारण भाट एवं जागा की पोथियों में अंकित हैं। इनमें घटनाओं का आंखों देखा वर्णन है। राजा भृतहरि वास्तव में मीणा जाति से सम्बन्धित थे। इसका विस्तृत वर्णन रामप्रसाद जागा गांव- नांगल

सुसावत, तहसील आमेर, जिला जयपुर की बही एवं पोथियों में देखने को मिलता है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

जागाओं के वर्णानुसार रायसर क्षेत्र के माता बांकी (दुर्गा) के भक्त जाखीवाल राज करते थे। राज्य भ्रष्ट होने पर दो पुत्रों एक पुत्री भृतहरि एवं विक्रम तथा मैनावती को लेकर पीहर चम्पावती आ बसी।

प्राचीनकाल में चम्पावती, फेफावती, तामावती नामक मीणा नगर राज्य थे। आजकल इस क्षेत्र को 'चाकसू' कहते हैं, जो जयपुर से कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर से 40 कि.मी. दूर स्थित है। इस चाकसू क्षेत्र में चंपावती राज्य में राजा भृतहरि के नाना 'गंधर्व सेन' मीणा राज्य करते थे। भृतहरि, विक्रमादित्य एवं बहिन मैनावती अपनी मां के पास चम्पावती नगरी में ही रहते थे। ऋषि के श्राप के कारण इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। इससे भृतहरि अपने भाई विक्रमादित्य एवं बहिन नैनावती को यह नगर छोड़ना पड़ा और मालवा की ओर प्रस्थान करना पड़ा। वहां मालवा में उज्जैन के राजा के कोई संतान नहीं थी। अत: उसने यह घोषणा कर दी कि प्रात:काल सर्वप्रथम जो नगर के प्रवेश द्वार पर दिखाई देगा वही उज्जैन राज्य का उत्तराधिकारी होगा।

देवयोग से भृतहरि ही प्रात:काल राज्य के द्वारा पर दिखाई दिए। अत: उनको उज्जैन राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। वहाँ पर उन्हें अपनी रानी के चरित्र पर संदेह के कारण वैराग्य हो गया और उन्होंने राज-पाट छोड़कर सन्यास ले लिया और ईश्वरोपासना में घोर तपस्या करने राजस्थान की ओर चल पड़े। यहां तक अपनी रानी पिंगला को भी मां स्वरूप मान कर उससे भी भिक्षा लेने लगे। इस सन्दर्भ में अनेक लोकगीत प्रचलित हैं।

मीणा जाति के शासक चरित्र के बड़े धनी होते थे। वे वचन के बहुत दृढ़ होते थे। ऐसा प्रसंग राव मेधा के सम्बन्ध में भी हुआ। मेले में वे अपनी स्त्री को पहचान न सके और उसे बहन कहकर पुकारा। फिर क्या था? आजीवन वे अपनी पत्नी को भी बहिन के रूप में मानते रहे। इसी तरह उज्जैन के राजा भृतहरि ने सन्यास लेकर अपनी पत्नी को भी मां स्वरूप समझा। इस प्रकार की वचन की दृढ़ता अन्य जातियों में देखने को नहीं मिलती।

भृतहरि के सन्यास लेने के बाद उनके भाई विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने और उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी शकों को मालवा से खदेड़ दिया। इसी उपलक्ष में उन्होंने विक्रम संवत चलाया जो आजकल 2059 है और ईस्वी सन् से 57 वर्ष पहले का है। यहीं पर बहिन नैनावती ने पुत्र गोपीचन्द को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर धारा नगरी में राज्य किया और बाद में आपने राज सत्ता व सुख का त्याग कर सन्यास ले लिया।

इनकी वंशावली से स्पष्ट है कि भृतहरि, उनके भाई महाराजा विक्रमादित्य एवं इनके भानेज गोपीचन्द सभी के सभी मीणा जाति के महान प्रतापी पुरुष हुए हैं।

राजा भृतहरि ने उज्जैन का राज्य त्याग कर राजस्थान में प्रवेश किया और मेवात क्षेत्र के प्रमुख अलवर नगर के आसपास घोर तपस्या की। बाद में आपकी बहिन नैनावती के पुत्र गोपीचन्द ने भी इसी क्षेत्र में अपनी साधना को मूर्तरूप प्रदान किया। राजा से बने इन दोनों संत-पुरुषों का मेवात क्षेत्र में बहुत ही श्रद्धा व सम्मान से पूजा जाता है। अलवर में सरिस्का के पास भृतहरि नामक स्थान पर भादवा सुदी अष्टमी को भृतहरि का मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं और भृतहरि के समाधि स्थल पर श्रद्धा

सुमन चढ़ाते हैं।

उज्जैन में भी भृतहरि नामक एक पवित्र स्थान है, जहां प्रति 12वें वर्ष विशाल कुम्भ का मेला भरता है। उज्जैन स्थित भृतहरि शिला के प्रसिद्ध मंदिर के सर्वदा से ही मीना जाति के लोग ही पुजारी रहते आये हैं। भृतहरि जी एक विद्वान पुरुष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में तीन शतक, नीति शतक, श्रृगार शतक एवं वैराग्य शतक लिखे। इसमें समस्त मानवजीवन को दिशा-निर्देश देनी वाली शिक्षायें समायी हुई है, जो बहुत ही विद्वता पूर्ण है। इनकी प्रशस्ती में यह पद बहुत प्रचलित है-

भोगे रोग भयम्, कुले इच्छती भयम्
रूप्ये जराय भयम्, शरीरे मृत्यु भयम्
वैरागे सर्व अभयम्

महासती नारायणी माता

यह वर्णन पहले आ चुका है कि मीणा जाति भगवान शंकर एवं देवी के उपासक थे। यह भी हम जान चुके हैं कि मीणा जाति के स्त्री-पुरुष बहुत धर्म परामण हैं। इनमें से अनेक महिलायें अपने सतीत्व एवं धर्म की रक्षार्थ सती हुई हैं। इनमें महासती नारायणी माता का प्रमुख स्थान है। विक्रम संवत 1056 ई. में आपने अपने पति के साथ महाप्रयाण किया था। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

गढ़ राजोर से गढ़ मोरा को जाते समय बीहड़ जंगल में एक मीणा युवक विश्राम के लिए नीचे उतरे। इतने में एक काले सांप ने उनको डस लिया। देवयोग से मीणा युवक तुरन्त ही काल के ग्रास बन गए। युवरानी नारायणी भी उनके साथ थीं। अत: उन्होंने पतिव्रत धर्म के पालनार्थ तुरन्त ही सती होने का निर्णय ले लिया। निकट जंगल में गायें चराने वाले (ग्वालों) ने सती के लिए जंगल से लकड़ी काट कर चिता तैयार की। अब अग्नि की समस्या उत्पन्न हुई तो सती के सत के प्रताप से स्वत: ही चिता में अग्नि प्रज्ज्वलित हो गई।

सती के इस प्रताप एवं पति धर्म के पालन से वहां त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश स्वयं उपस्थित हुए और वरदान मांगने लगे तो महासती ने यही वरदान दिया कि आप त्रिदेव इस भूमि में ही निवास करें। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। इस पर ग्वालों ने भी सती से प्रार्थना की कि इस क्षेत्र में जल की कमी है। अत: इस भूमि में ही जल का प्रबन्ध करने की कृपा करें। ग्वालों की विनति स्वीकार करते हुए माँ ने कहा कि "आप कोई एक लड़का मेरी चिता में से जलती हुई लकड़ी लेकर सीधे चलते जाना। जहाँ तक आप सीधे जाते रहोगे, वहाँ मीठा पानी का नाला बन जायेगा।

मीणा समाज के देवी-देवताओं में नारायणी माता का प्रमुख स्थान है। आज भी मीणा समाज इसको तीर्थ के रूप में मानकर प्रतिवर्ष बैसाख सुदी ग्यारस को यहां के मेले में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। आज भी इस क्षेत्र के मीणा समुदाय के लोग यहीं पर अपने बच्चों के केश-मोचन करवाते हैं। जड़ूला परम्परा के अनुसार महासती के मन्दिर में पुजारी मीणा समाज के लोग ही रहते आये हैं। मीणा समुदाय के नाई गौत्र के होने के कारण नाई समुदाय भी यहीं अपने बच्चों के जड़ूले उतारते हैं। मंदिर दौसा के राजा दुल्हाराय कछवाह का बनाया हुआ है, जिसने आगे चलकर खोहगंग पर भी धोखे से अधिकार कर लिया और आलनसिंह की पत्नी के सती होते समय उनसे ढूंढ़ाड़ में राज्य स्थापित करने का वरदान मांगा था। जमाय माता का मन्दिर भी उसने बनाया था।

मीना समाज के सिद्ध पुरुष श्री श्री श्री 1008 श्री मल्लादास बाबा

महाराज ने मीणा समाज के ग्राम अलीपुर हिगोटा, तहसील महुवा जिला दौसा में जन्म लिया। उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए जप, तप एवं व्रत करते रहे।

महाराज जी को जब अपने गृहस्थ के कार्य करते हुए एक अनोखी व अद्‌भुत घटना घटी। बैल चलते-चलते अचानक रूक गये। बैलों को बार-बार हांकने के पश्चात भी बैल जब टस से मस नहीं हुए, तब देखा कि एक बालक रास्ते में पड़ा हुआ था तथा बैलों ने बालक की हत्या न हो, अपने शरीर पर कठोर यातना झेली।

महाराज को अचानक ज्ञान हुआ कि मुझ मनुष्य से ज्यादा समझदार तो बैल है। उसी दिन से गृहस्थ त्याग कर साधु हो गये। गांव एवं रिश्तेदारों के समझाने पर भी उन्होंने सभी लोगों को ज्ञान का प्रचार कर उनकी समस्याओं का निवारण कर साधु बनने का औचित्य स्पष्ट किया। गांव के पास ही बाण गंगा में 12 वर्ष कठोर तपस्या कर बाद में विभिन्न स्थानों पर जिसमें पारासर आश्रम तपस्या का मुख्य स्थान है, अन्त में तालाब गांव के पास जहाज स्थान पर तपस्या की है, जहाज स्थान प्राचीन काल के झज्जर स्थान के नाम से जाना जाता है। जहाज स्थान अति पावन एवं सिद्ध स्थान है। उस स्थान पर सिद्ध पुरुष ही ठहर सकते हैं। महाराज की दैवीय शक्ति ने परीक्षा ली, जिसमें रात्रि में राक्षसों का भयंकर युद्ध करना, महात्माओं के रूप में आकर जहाज स्थान को त्यागने के लिए कहना, शेरों के रूप में रास्ते में सामने खड़ा होना जैसी सामान्य घटना घटती रही। दैवीय शक्ति ने उनको परीक्षा में सही पाया जाने पर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा जहाज स्थान पर उन्होंने 20 वर्ष तक तपस्या की। अन्त में दैवीय शक्तियों के निर्देशानुसार ऊपर आश्रम स्थापित किया। धूणा लगाने के लिए जब उन्होंने जमीन खोदी तो वहां उन्हें पुराना धूणा मिला, जिसे महाराज ने चेतन किया। महाराज ने उक्त धूणा को यज्ञ वैदी बना दिया तथा स्वयं अन्य धूणा पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे।

महाराज ने लोगों को सामान्य भाषा में उपदेश दिये तथा हमेशा सद् कर्म, माता-पिता व सास-श्वसुर की सेवा, गरीबों पर दया एवं ईश्वर पर कठोर एवं धैयपूर्वक विश्वास की शिक्षा देते थे। मन की चिन्ता को बात ही बात में दूर कर देते थे। पिशाच प्रवृत्तियों का नाश हेतु लोगों को डांट-फटकार लगाकर दूर कर देते थे। महाराज का गुरू स्थान हूला (महुवा) में था। जहाज स्थान पर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन प्रसाद एवं पक्षियों हेतु 100 किलोग्राम चुग्गा प्रतिदिन करते थे। महाराज ने माह 23 अक्टूबर, 1998 में शरीर त्याग किया।

मीना समाज के सन्त श्री श्री श्री 1008 श्री कल्याणदास जी महाराज

मीना समाज में जन्म लेकर सिद्ध पुरुष हुए हैं। ग्राम कीलपुर खेड़ा, तहसील राजगढ़ में जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही सत्य की खोज में सन्यास धारण किया। महाराज की जन्मभूमि सिद्ध-महात्माओं की सिद्ध भूमि रही है। विशेष प्रेरणा से महाराज ने 18 वर्ष की आयु में ही श्री श्री श्री 1008 श्री जगदेवदास (दण्डवती) से दीक्षा प्राप्त कर संसार में सत्य की खोज में निकल गये।

बचपन में महाराज श्री मार्गेसिद्ध बाबा (बीवाई में तृतीय पीढ़ी के नाथ) की दण्डवत परिक्रमा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था। अन्न-जल त्याग करते हुए परिक्रमा कर रहे थे कि अचानक तीव्र प्यास लगी

एवं मूर्छित हो गए। एक देव पुरुष साधू के वेश में प्रकट हुआ और पानी पिलाया तथा कहा कि बेटे तेरी परिक्रमा मान ली, वापिस घर चले जाओ। महाराज ने कहा कि ''मेरे अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हो गये, अब मुझे आपकी शरण में ले लो।'' देवपुरुष ने तथास्तु कहकर अन्तर्ध्यान हो गये। उस दिन से महाराज ने घर त्याग दिया एवं साधु बन गये।

विभिन्न स्थानों पर कठोर तपस्या करते हुए जहाज स्थान (झज्जर ऋषि का स्थान) पर तपस्या की एवं गुरु आज्ञा से चित्रकूट चले गये। विभिन्न स्थानों पर तपस्या के साथ-साथ हिमालय पर्वत (नेपाल) में तपस्या की एवं चारों दिशाओं के धार्मिक स्थान द्वारकापुरी, रामेश्वरम्, जगन्नाथ एवं आसाम में कामाच्छा के स्थान पर कई बार यात्रा कर अपने आशीर्वाद से हजारों शिष्यों का कल्याण किया।

महाराज जी ने लोगों में धार्मिक भावना को जागृत करने के लिए काफी बड़े-बड़े यज्ञ कराये तथा आश्रमों की स्थापना की, जिसमें मुख्य है- केमला, सुन्दरपुर, सिटावट, बिवाई एवं गुरु आश्रम चित्रकूट (सरसा वन) मुख्य है। महाराज जी ने लोगों के कल्याणार्थ भक्ति भावना जागृत कर रहे हैं तथा कल्याणकारी के रूप में सही अर्थ में अद्वितीय सिद्ध पुरुष हैं।

स्वामी बल्लभानन्द मण्डलेश्वर

आप ब्यावड़ गौत्र के मीणा सन्त हैं। आपका जन्म ग्राम सीदड़ा तहसील निवाई, जिला- टोंक में हुआ। आपने बाल्यकाल में ही दादूपंथ में दीक्षा ले ली थी। दूदू के पास उदयपुरिया ग्राम में दादू द्वारा था, वहीं आप निवास करते थे। यद्यपि आपका क्षेत्र भक्ति व सत्संग ही था परन्तु निर्दोष मीणा जाति पर होने वाले अत्याचार आपसे नहीं देखे गए और इस घोर अन्याय के निवारण के लिए जन आन्दोलन का नेतृत्व करने लगे।

1935 के लगभग आप जयपुर समाज के प्रमुख नेता लक्ष्मीनारायण झरवाल से आपकी प्रथम भेंट हुई, तभी से आप सक्रिय राजनीति में उतर आये। उन्हीं दिनों जयपुर राज्य प्रजामण्डल भी उत्तरदायी शासन एवं नागरिक अधिकारों के आन्दोलन कर रहा था। आप भी इसमें रूचि लेने लगे और 1939 में झुंझुनूं में स्वामी मंगलदास जी के जत्थे में आपने गिरफ्तारी दी। अन्त में प्रजामण्डल के नेता हीरालाल शास्त्री आदि को जब जेल से छोड़ा गया, तब आपको जेल से छोड़ दिया गया।

इतना ही नहीं आपने जरायमपेशा कानून को हटवाने तथा नागरिक अधिकारों के लिए मीणा सुधार समिति जयपुर द्वारा संचालित आन्दोलन में बहुत ही उत्साह से भाग लिया। लक्ष्मीनारायण झरवाल एवं बंशीधर शर्मा जैसे मीणा समाज के प्रबुद्ध नेताओं के साथ समाज सुधार एवं राजनीतिक अधिकारों की मांग के समर्थन में जनमत तैयार किया। अनेक स्थानों पर सभायें की।

नरायणा (नरैना) तालाब की पाल की दादू बारादरी पर आपके नेतृत्व में एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिनमें अजमेर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष क्रान्तिकारी ज्वाला प्रसाद भी शामिल हुए। जयपुर से लक्ष्मीनारायण झरवाल के साथ अनेक मीणा जाति के नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया। मीणा समाज की सेवा के लिए महात्मा बल्लभानन्द जी सदा स्मरणीय रहेंगे।

आप बहुत त्यागी सन्त थे। मीणा जाति पर होने वाले अन्याय के विरोध के लिए सदा तैयार रहे। आपका मीणा समाज की स्वतंत्रता और उनको आरक्षण में लाभ दिलाने के क्षेत्र में सदा सहयोग रहा। आपने मीणा युवकों की शिक्षा के लिए दस बीघा जमीन छात्रावास के लिए दान दे दी थी। परन्तु बाद में

सरकार ने मालविया इंजीनियरिंग कालेज के लिए इसे अवाप्त कर लिया।

इस तरह महामण्डलेश्वर महात्मा बल्लभानन्द ने मुनि मगनसागर जी की भाँति ही समाज सेवा कर अपना नाम अमर कर लिया। इसके लिए मीणा समाज आपको बहुत श्रद्धा से स्मरण करता रहेगा।

भगवान अदूता (अद्वैत) नन्द गिरी

आप बहुत ही त्यागी पुरुष थे। भगवा वस्त्र कुरता तथा लूंगी धारण करते थे। यद्यपि आपने साधु वेश धारण कर लिया था परन्तु समाज सुधार के कार्यों में सदा सक्रिय रहे। हर्ष, माच तथा आमेर आश्रम बनाकर समय-समय पर वहाँ निवास करते रहते थे। स्वामी विवेकानन्द की भाँति आपकी दृढ़ मान्यता थी कि अपनी मुक्ति के लिए एकान्त में बैठकर तप तपस्या करना सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म मानव सेवा है। पीड़ित एवं पिछड़े लोगों को गले लगाकर उन्हें उन्नति के राह पर ले जाना ही सच्चा धर्म है।

अदूता नन्द गिरी इसी मंतव्य को उजागर करने के लिए मीणा बहुल गाँव तथा कस्बों में भ्रमण करते रहते थे और उनको कुरीतियाँ एवं अंध विश्वास को त्यागने का उपदेश देते रहते थे। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण झरवाल की उनसे चौड़ा रास्ता स्थित चौरू के रास्ते में सदाचार कन्या पाठशाला में आयोजित मीणा सम्मेलन में प्रथम भेंट 1940 में हुई। इसी रास्ते में मीणा जाति के अधिकार एवं उन्नति के लिए महंगी निवासी श्योनाथ छापोला के मकान मीणा युवा कार्यकर्ता मिलते रहते थे। इनमें जयपुर सुधार समिति के मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल, सुल्ताना राम, भंवर सिंह छाड़वाल, मारवाड़ जंक्शन, अड़िसाल सिंह छापोला कोटपूतली निवासी आदि समाज के प्रबुद्ध कार्यकर्ता मिलते रहते थे और रात-रात भर बैठकर समाज सुधार की चर्चा करते रहते थे।

रात्रि के समय समाज सुधार के लिए अनेक योजनाएं बनाते रहते थे। सर्वोत्तम माध्यम शिक्षा प्रसार है। अत: इस हेतु श्योनाथ छापोला के मकान में रात्रि पाठशाला चलाई जाती थी, जिसमें आदिवासी जनजाति के छात्रों को पढ़ाया जाता था। इस कार्य में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में प्रजामण्डल की ओर से सहयोग दिया जाता था। इस नाते मीणा कार्यकर्ता प्रजामण्डल के प्रचार में जुट गए। प्रजामण्डल के विस्तार के लिए नए-नए सदस्य बनाने में मीणा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। मीणा जाति के सुधार तथा शिक्षा में पं.बंशीधर शर्मा एवं वैद्य विजयशंकर शास्त्री भी समय-समय पर मीणा सुधार समिति के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते थे, जिसका विस्तृत विवरण हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं।

श्री श्री 1008 बाबा रामेश्वरदास जी महाराज

जिला सवाईमाधोपुर के मीणा जाति में जन्में-झोझेश्वर (महादेवजी) के 45 वर्षों तक अखण्ड तपस्यारत रहकर सिद्धपुरुष ने दशकों तक पालीघाट (मध्यप्रदेश सीमा पर चम्बल के किनारे प्राचीन रामेश्वरनाथ मंदिर पर भंडारा चलाया। ग्रामीण तथा भक्त जन को मोक्ष का मार्ग दिखाते लगभग 115 वर्ष की आयु में सन 1994 में स्वर्ग सिधारे।

संत श्री सुशीला महाराज

पुरुषों के समान ही भारत में अनेक भक्तिमति साध्वी नारियां भी हुई हैं, जिन्होंने सांसारिक सुखों को तुच्छ समझकर अपना सम्पूर्ण प्रभु स्मरण में लगा दिया। राजस्थान वीर भूमि के साथ भक्ति के क्षेत्र में

किसी राज्य से पीछे नहीं है। यहां मीरां बाई, सहजो बाई, करमा बाई जैसी भक्तिमति नारियां हुई, जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु भक्ति में अर्पित कर दिया।

मीणा समाज में पहुंचे हुए अनेक सन्त हुए हैं। इस क्षेत्र में महिलायें भी पीछे नहीं रही। मध्य काल में सवाई जयसिंह के समय बीचू बाई नामक मीणा महिला ने अपना सर्पूण जीवन प्रभु सेवा में लगा दिया। बड़ी चौपड़ (जयपुर) पर बाईं जी का मन्दिर उनके द्वारा ही बनाया गया है।

आधुनिक युग में बी नयाबास निवासी भक्तिमति संत श्री सुशीला बाई ने बचपन से प्रभु स्मरण को अपना मूल मंत्र बना लिया। आपका जन्म विक्रम संवत 1983 को मिति आषाढ़ सुदी अष्टमी को हुआ था। माता श्रीमती सुश्री देवी एक धर्मनिष्ठ महिला थी। माता-पिता के संस्कारों का प्रभाव बालिका सुशीला पर पड़ने लगा। वे इकतारा एवं खड़ताल पर भगवान का भजन गाने से इनका मन वैराग्य की ओर मुड़ गया। अत: गांव से दूर विक्रम संवत 2004 में अपना एक आश्रम बनाकर साधना में जुट गई। यहां पर आपने पवन-पुत्र हनुमान का मन्दिर बनवाया।

आपकी पवित्र भक्ति भावना से प्रभावित हो, आश्रम में नर-नारियों के आने-जाने का तांता लग गया। इस प्रकार के कोलाहल को भक्ति भावना में बाधा समझ कर आपने इस आश्रम को त्याग दिया। गोरधनपुरा और नीम के थाना के बीच जंगल में आपने एक नया आश्रम बनवाया। यहीं पर आपने 14 वर्ष का मौन व्रत रखा। वि.सं. 2012 स्थापित इस आश्रम में ज्येष्ठ बुदी अमावस्या को मौन व्रत खोला। माँ के दूध के अतिरिक्त आपने कभी भी घी-दूध का सेवन नहीं किया। इस आश्रम में आपने लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का मन्दिर बनवाया। आश्रम के चारों ओर परकोटा बनाने का श्रेय श्री श्याम सुन्दर जी पापड़ा को है। आप महाराज की सेवा में ही रहते हैं।

किसी भी साधक व साधिका के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। अत: आपने जगदीशपुर में 150 वर्षीय तपोनिष्ठ संत श्री गंगादास जी से दीक्षा ली। प्रभु भक्ति के अतिरिक्त समाज सुधार में भी आपने बढ़-चढ़कर भाग लिया। समाज में व्याप्त पशु बलि एवं मदिरा पान को छुड़वाने का अभियान चलावाया। सभी उच्च कोटि के सन्तों के पदों का संग्रह कर संत भजनावली नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। माया मोह से दूर रहकर दया धर्म पालन का आपने उपदेश दिया। मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करने के लिए निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिये हैं-

असंयतात्मना योगी दुष्प्राप्य: इति मे मति:

वश्यात्मना तु मताता, शवयोऽवस्तु मुपायना

आपका यही उपदेश है कि वासनाओं से हटकर रात-दिन प्रभु भक्ति में मन लगाने से ही आत्मा का कल्याण है।

❑❑❑

अध्याय 11

स्वतंत्रता के बाद पुलिस दमन चक्र

सरकारी दमनचक्र एवं गोली काण्डों का विरोध

जन अपराधी कानून समाप्त हो गये तथा भारत की स्वतंत्रता के बाद मीणा समाज में जागृति की अद्‌भुत लहर दौड़ गई। अब मीणा जाति के लोग एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करने लगे। परन्तु यही प्रगति स्वार्थी तथा दमनकारी अधिकारियों की आँखों का कांटा बन गयी। इस जाति के दमन के लिए स्वतंत्रता के बाद भी अनेक अत्याचार समय-समय पर होते रहे। मीणा जाति परस्पर स्नेह एवं सांप्रदायिक सद्‌भाव के लिए सर्वदा विख्यात रही है। मानव धर्म की उपासक यह जाति सांप्रदायिक विद्वेष से हमेशा दूर रही। इसकी सहनशीलता एवं सहिष्णुता के आख्यानों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। इससे अधिक क्षमा-शीलता एवं सहिष्णुता का उत्तम उदाहरण क्या होगा? जिन राजपूत राजाओं ने धोखे से इनका राज्य छीन लिया। उनके परिवार एवं राज्य की रक्षा का भार जीवन पर्यन्त बहुत ही उत्तरदायित्व से उठाते रहे। जब देशी नरेश अंग्रेजों के गुलाम बन कर आदिवासी जनजाति की स्वतंत्रता की भावना को दबाने लगे, तब स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रिय आदिवासी मीणा जाति ने स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर भाग लिया जिसका विशद वर्णन हम विगत अध्याय में पढ़ चुके हैं।

महावीर जी के मेले में गोलीकाण्ड (1949)

स्वतंत्रता प्रिय आदिवासी जनजातियों को अपने आका अंग्रेजों के आदेश से देशी राजा भी गोलियों से भुनते रहे। इसका संक्षिप्त विवरण भी हम विगत पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। दुःख व असंतोष की बात तो यह है कि भारत की स्वतंत्रता एवं रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित होने के बाद भी आदिवासी मीणा जाति के दमन के लिए समय-समय पर नृशंस हत्या काण्ड होते रहे। ऐसा ही एक उदाहरण सवाईमोधापुर जिले के महावीर जी के मेले का है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मीणा जाति में सर्वधर्म समभाव परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस तरह से जैन धर्म एवं सनातन हिन्दू धर्म में इनकी समान आस्था रहती आई है। इस सांस्कृतिक रुचि का वर्णन हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेगे।

भगवान महावीर जी के तीर्थ स्थल में मीणों की भागीदार वर्षों से चली आ रही है। मंदिर की रक्षा के उत्तरदायित्व के साथ भगवान महावीर के रथ एवं बेवाण को उठाने का काम सदियों से मीणा जाति के लोग ही करते हैं। इस क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य होने के कारण महावीर जी के मेले में भी इसकी उपस्थिति भरपूर रहती है। महावीरजी के मेले में मीणा समाज के अनेक लोग एकत्रित होते रहते हैं। उस समय पास-पड़ौस के जिलों से लगभग तीन चार लाख मीणें मेले में उपस्थित होते हैं। एक परिपाटी के अनुसार भगवान महावीर जी के रथ को सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का काम महार गोत्रीय मीणें ही करते हैं। भगवान महावीर के प्रति अपार श्रद्धा के कारण इस मेले में अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। मीणा जाति के लोग महावीर जी के मेले के अवसर पर बहुत ही भक्ति भाव से भजन कीर्तन करने के साथ नाच कूद करते रहते

हैं। कनकदण्डवत करते हुए मीलों दूर से जै बोलते हुए आते हैं।

अहिंसा के अवतार भगवान वीर के तीर्थ स्थल उनके जन्मदिन बैशाख चतुदर्शी एवं पूर्णिमा पर एक विशाल मेले का आयोजन 14 अप्रैल 1949 को हमेशा की भाँति आयोजित हुआ। परम्परा के अनुसार इस क्षेत्र के हजारों मीणें भी मेले में उपस्थित थे। संयोग से उस समय एक झोपड़ी में आग लग गई। मीणा सुधार समिति का कैम्प भी मेले में लगा हुआ था। सभा में मीणा नेता लक्ष्मीनारायण झरवाल, अड़िसाल सिंह, राजेन्द्र कुमार अजेय के अलावा भी अन्य व्यक्ति मौजूद थे। सम्भवत: प्रतिक्रियावादी सामन्त वर्ग ने मीणा जाति को बदनाम करने के लिए लगा दी थी।

उस समय मीणा सुधार समिति के कार्यकर्त्ता लाउड स्पीकर पर समाज सुधार पर भाषण दे रहे थे। अनेक मीणा लोग बहुत ही शांति से सभा में बैठे हुए थे। झोपड़ी की आग से उनका तनिक भी संबंध नहीं था और न ही उससे कोई आदमी झुलसा, परन्तु आग की चिंगारी अगली फूस झोपड़ियों में जा लगी। पुलिस तथा अग्निशमन दल ने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

इसी बीच मीणाजाति से द्वेष रखने वालों ने हिण्डोन नाजिम (एस. डी. ओ.) श्री फतेसिंह शेखावत को सूचित कर दिया कि झोंपड़ी में आग लगा कर मेले को भंग करने का कार्य मीणों ने ही किया है। हिण्डोन क्षेत्र के मीणा अनुचित लगान व बैठ बेगार का विरोध करते आये हैं और प्रजामण्डल के नेतृत्व में सामन्तवाद के सदा विरोधी रहे हैं। अत: हिन्डोन के नाजिम श्री फतेसिंह ने मीणों की स्वतंत्रता की भावना, लगान विरोधी आन्दोलन को दबाने का सही उचित अवसर समझा और द्वेष एवं ईर्ष्या के वशीभूत होकर बिना किसी पूर्व सूचना के शांति से बैठे लोगों को चारों ओर से घेर लिया। चालीस पचास सिपाहियों के साथ स्वयं भी बीच में खड़े होकर निशस्त्र मीणा समुदाय के विरूद्ध मोर्चा संभाल लिया और दनादन गोलियाँ दागना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि जलियाँ वाले बाग में जनरल डायर ने 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में किया था। स्वयं नाजिम ने भी अपनी पिस्तौल से गोलियाँ दागना प्रारम्भ कर दिया। नाजिम साहब ने मानवता को तिलांजलि देकर उनसे लगभग 150 गज की दूरी स्थित शीशम के पेड़ पर बैठे मेले का दृश्य देखने वाले युवक को यह समझकर गोली से उड़ा दिया कि शायद यह मीणा युवक है। श्री गोपीचन्द वकील सवाई माधोपुर ने इस नृशंस हत्या काण्ड को अपनी आँखों से देखा। गले में कण्ठी व डोरा होने के कारण उनको विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से यह मीणा युवक था।

इधर मेले में एकत्रित मीणा सरदार बीच बचाव के लिए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस उन्हें हाथों से संकेत करके आगे बढ़ने से रोकती रही तो दूसरी ओर खड़े मीणा समुदाय पर दनादन गोलियों की वर्षा होती रही। इस तरह 50-60 राउन्ड हुये। इस गोलीकाण्ड में सोते हुए तीन युवक वहीं धाराशायी हो गये और अनेक घायल हो गये। मीणा सुधार समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या पाँच थी। विचारणीय बिन्दु तो यह है कि गोली के स्थान पर अश्रु गैस व लाठी चार्ज से भी काम लिया जा सकता था। परन्तु सामन्त विचारधारा के नाजिम साहब को मीणा जनजागृति से द्वेष था और राज्य के उत्तरदायी शासन पर भी यह कलंक का टीका लगाना था। खेद की बात तो यह थी कि घण्टों तक लाशों को भी नहीं उठाने दिया गया। घायलों के उपचार का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। हत्याकाण्ड के बाद डिप्टी कमीश्नर श्री दुर्गाप्रसाद घटना स्थल पर पहुँचे और वहाँ धारा 144 लगा दी गई। मीणा सुधार समिति के सदस्यों को मृतकों तथा घायलों के पास फटकने तक नहीं दिया गया और पुलिस की जीपों में भरकर घायलों को उठा ले गये। घायलों से

मिलने का अवसर भी किसी को नहीं दिया गया। यह कैसी नृशंसता थी। सवाई माधोपुर के कमीश्नर श्री दुर्गाप्रसाद डी. आई. जी. पुलिस श्री हुकूमत राय एवं पुलिस अधीक्षक श्री जनकसिंह दुर्घटना के बाद वहाँ पहुँचे।

पुलिस गोलीबारी के बाद श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय, श्री बद्री प्रसाद दुखिया, श्री रामसिंह नौरावत झालावाड़ एवं श्री भँवरलाल मीणा के साथ मीणा सुधार समिति का एक शिष्ट मण्डल डिप्टी कमीश्नर के पास पहुँचा और गोलीकाण्ड की जाँच के लिए सुविधा माँगी गई, जिसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पुलिस अधीक्षक का व्यवहार बहुत ही निन्दनीय था और मीणा सुधार समिति के सदस्यों को घायलों को देखने के लिए जैन डिस्पेन्सरी में भी नहीं जाने दिया गया। मेला भंग हो गया। महावीर स्वामी का रथ भी नहीं निकल सका। इस तरह से नाजिम श्री फतेसिंह की विवेकहीनता से यह सब काण्ड हुआ। कमीश्नर डी. आई. जी. भी यदि अपने उत्तरदायित्व को समझ कर समय पर वहाँ पहुँच जाते तो मेले तथा मीणा समाज की यह दुर्दशा नहीं होती। इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रशासन व पुलिस पर था। 14 अप्रेल को प्रात: 10 बजे झोपड़ी में आग लगी, परन्तु पुलिस ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं दूसरी बार आग लगी तो भी पुलिस घटना की उपेक्षा करती रही। उसे मीणा जाति से प्रतिशोध लेना था क्योंकि अब वे स्वतंत्र स्वाधीन नागरिक थे। पुलिस का नियम उन पर से पूरी तरह हट चुका था। जयपुर मीणा सुधर समिति की प्रगति से पुलिस बहुत ही द्वेष रखती थी। अत: राजस्थान की पन्द्रह लाख से ऊपर मत्स्य जाति की सर्वोच्च संस्था ''राजस्थान मीणा सुधार समिति'' ने पुर जोर शब्दों में मांग की –

(1) नाजिम श्री फतेहसिंह को तुरन्त निलंबित कर उन पर निर्दोष मीणों की हत्या करने का अभियोग चलाया जाये।

(2) किसी भी उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में जाँच आयोग स्थापित किया जाये, जिसमें जनता के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ राजस्थान मीणा महासभा के दो प्रतिनिधि लिए जा सकें। जाँच पूरी तरह से खुली हो। प्रत्यक्षदर्शी लोगों को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता हो।

(3) मृतक व्यक्ति एवं धायल व्यक्तियों के आश्रितों को उचित धन क्षतिपूर्ति में दिया जाए।

(4) पुलिस अपना अपराध छिपाने के लिए निर्दोष मीणा लोगों पर उपद्रव भड़काने का जो झूँठा आरोप लगा रही है, उसे तुरन्त रोका जाये। इससे निष्पक्ष जाँच में अवश्य बाधा पहुँचेगी।

इस मांग पत्र को श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री राजेन्द्र कुमार अजेय ने भारत सरकार व राज्य सरकार के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री के पास भेजा। भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, गृह एवं उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल के पास भी भेजा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी इस हृदय विदारक घटना से सूचित किया गया ताकि अब भी नाजिम श्री फतेसिंह को उचित दण्ड दिया जाये।

खाटूश्याम जी के मीणों पर अत्याचार (अप्रैल 1953)

खाटूश्यामजी में निरन्तर चोरी होने से वहाँ के थानेदार ने यहाँ के सभी मीणों को बन्दी बना लिया और उनको खूब मारा-पीटा। उनको औंधा लटका कर अनेक यातनायें दी जाने लगी और कहा कि जब तक तुम सभी चोरियों का पता नहीं लगाओगे, पुलिस तुम्हें कठोर यातनायें देती रहेंगी। श्री गणपातराम तथा गाडाराम दो मीणों को कहा कि तुम क्षेत्र में जाकर चोरियों का पता लगाकर माल बरामद कराने में पुलिस

की मदद करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। गांव खाटू में तब ही आना जब चोरी मिल जावे।

निर्दोष मीणा आतंकित होकर श्रीमाधोपुर पहुँचे और वहाँ श्रमजीवी आश्रम के अध्यक्ष पं.बंशीधर शर्मा से मिले और बताया कि खाटू के मीणों का किसी भी चोरी में कोई भी हाथ नहीं है, बिना वजह निर्दोष मीणों को मारा-पीटा जा रहा है। मीणों की करुण कहानी सुनकर पं.बंशीधर शर्मा ने कहा कि आप जयपुर मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल के पास जाओ, वह तुम्हारी सभी समस्यायें हल कर देंगे। दोनों मीणा सरदार जयपुर आकर श्री झरवाल के पास पहुंचे और अपनी व्यथा उनको सुनाई तो झरवाल पुलिस के अत्याचारों को सुनकर आश्चर्य में डूब गए और तुरन्त उनके साथ खाटूश्यामजी के लिए प्रस्थान कर गए।

वहाँ जाकर पता लगाया कि चोरियाँ करने वाले अन्य लोग हैं। पुलिस असली चोरों से घूस लेकर उनको नहीं पकड़ती और निर्दोष लोगों को तंग करती है। श्री झरवाल के साथ श्री सुरजाराम पबड़ी, लाम्मा भी साथ हो गए। थानेदार ने देखा कि मीणा नेता आए हुए हैं तो उन्होंने गाँव के लोगों को एकत्रित किया और कहा कि जिनकी चोरियां हो गई है, वे सभी इन नेताओं को बतायें ताकि ये नेता मीणों को समझा-बुझाकर तुम्हारा सामान वापस दिला देंगे। झरवाल ने छानबीन करके पता लगाया कि चोरियां सोहला गोरिया गाँव के प्रसिद्ध चोरों ने की है। पुलिस रिश्वत लेकर इन चोरियों को दबा देती है और सारा दोष खाटू श्यामजी के मीणों पर मढ़ा जाता है।

रात्रि को सभा श्री सुरजाराम लाम्या की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गाँव वालों को सभी तरह से समझाया गया कि चोरियों खाटूश्यामजी के चोरों ने नहीं की है। सोहला गोरिया के लोगों ने की है और पंचायत ने माल भी बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। व्यर्थ में ही खाटू के मीणों को सताया जा रहा है। श्री झरवाल ने कहा कि आप पुलिस की मारपीट से डरकर चोरियां कबूल न करें। आप निडर रहें। आप पर अत्याचार जो हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी मुझे हैं। जयपुर जाकर राज्य के मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि जरायमपेशा कानून समाप्त होने पर भी पुलिस मीणों पर चोरी के झूंठे आरोप लगाती है। जब कहीं भी चोरी हो जाती है तो समस्त इलाके के मीणों को एकत्रित कर उनको मारा-पीटा जाता है। पर जबकि पंच पंचायत करके अपराधी व्यक्तियों के बारे में पुलिस को उनके नाम उजागर कर देती थी। लेकिन पुलिस अपने दलालों के मार्फत् घूंस लेकर वास्तविक चोरों को छोड़ देती है और निर्दोष लोगों को मारा-पीटा जाता है।

झरवाल जयपुर आए और मुख्यमंत्री से मिलकर पुलिस के नाम आदेश भिजवाया गया कि मीणों को किसी भी तरह तंग न करें। सही चोर का पता लगाया जावे और शान्ति स्थापित की जावे।

सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर मीणा लोगों की हत्याएँ

पुलिस के निमर्म अत्याचारों के अतिरिक्त सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर मीणाओं की हत्या करवाने में पुलिस का हाथ रहा। पुलिस की निष्क्रियता व मीणा जाति के प्रति दुर्भावना रखने के कारण ही इस प्रकार की हत्याकाण्ड आये दिन होते रहते थे। ऐसी ही एक घटना गाँव बिदरका तहसील लालसोट की है, जहाँ के चमारों ने पानी के नाले को लेकर दो मीणाओं की हत्या कर दी। प्रतिशोध में ग्राम सोदड़ तहसील लालसोट में 20-7-68 को पाटन निवासी सोन्या पिता टोडू चमार की हत्या कुछ मीणों ने कर दी। इससे पहले 14-7-68 को गाँव बिदरका में रामचन्द्र पिता देवा, श्री मोहन पिता कोरया मीणा की हत्या चमारों

द्वारा कर दी गई थी। पुलिस ने दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के स्थान पर क्षेत्र की समस्त मीणा जाति के लोगों की धरपकड़ प्रारंभ कर दी। इस सारे प्रकरण की जाँच के लिए श्री किशनलाल वर्मा अध्यक्ष राजस्थान सेवा संघ और मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल, श्री पी. के. चौधरी अध्यक्ष जयपुर जिला कांग्रेस को लेकर उस क्षेत्र में पहुँचे। इस दौरे के समय लालसोट पंचायत समिति के प्रधान श्री साँवरमल व वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता तथा पंचायत समिति दौसा के अध्यक्ष श्री रामसहाय उनके साथ थे। इनके अतिरिक्त बस्सी तहसील क्षेत्र के दो प्रमुख व्यक्ति श्री झूँथा लाल, सरपंच बस्सी, श्री महादेव सरपंच ग्राम झर भी वहाँ उपस्थित थे।

पूरी छानबीन के बाद जाँच दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह सांप्रदायिक दंगा पुलिस की उपेक्षा वृत्ति के कारण हुआ। इसके बाद पुलिस ने मीणा क्षेत्र के गाँवों में आतंक का राज्य छा दिया। गाँव सोन्दड़ तहसील लालसोट में 60 मीणों के घर हैं। जिनमें रामसहाय मीणा सरपंच सोन्दड़ और उसके पिता के अलावा सभी मीणा पुलिस के आतंक से गाँव छोड़कर चले गये हैं। गाँव सिया के बास व तूंगा के आस-पास 30-40 गाँव ऐसे हैं, जहाँ इस जाति की संख्या अधिक है। इस समस्त क्षेत्र के आदमी पुलिस के आतंक से जंगल में चले गये हैं। घरों पर केवल महिलायें रह गई हैं। खेती बाड़ी नष्ट होती जा रही है। पुलिस का आतंक यहाँ तक छा गया कि कहीं भी मीणा दिखाई देता उसे पुलिस पकड़ लेती।

जाँच प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री किशनलाल को तूँगा निवासियों ने बताया कि रामगढ़ पचारा व तूँगा में सामान लेने आये मीणों को भी पुलिस ने बिना किसी अपराध के पकड़ लिया। गाँव वालों ने यह भी बताया कि मोटर स्टेण्ड व बाजार में जहाँ कहीं मीणा दिखाई देता पुलिस उनको बन्दी बनाकर जेल भेज देती। इस तरह पुलिस ने 40 मीणों को जयपुर सेन्ट्रल भेज दिया। वहाँ पाँच-पाँच हजार रुपये की जमानत राशि भरने पर इनको रिहा किया गया। इतना ही नहीं जमानतदारों की जानकारी व पहचान के लिए समस्त पत्रावली तहसील भेजी जाती थी, जिससे निर्दोष लोगों को रिहा होने में काफी समय लगता था। जाँच प्रतिनिधिमण्डल के नेता, विधायक राजस्थान विधानसभा एवं राजस्थान मीणा समाज के अध्यक्ष ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास किया और पुलिस की बर्बरता की निन्दा करते हुए उन्होंने पुलिस के भय से घर छोड़कर जाने मीणा बन्धुओं से निवेदन किया कि आप अपने घरों पर लौट जायें। किसी प्रकार का भय मन में नहीं रखें। मीणा सुधार समिति आपकी सहायत के लिए प्रतिक्षण तत्पर है।

श्री वर्मा ने लालसोट में शांति समितियाँ बनवाईं। जिनमें सभी वर्गों के लोगों को लिया गया। शांति समिति के सदस्यों की धारणा थी कि कुछ समय के लिए पुलिस यहाँ से हट जाये तो पुलिस के भय से भागे हुए लोग अपने घरों पर लौट आयेंगे और इस तरह पुलिस आतंक से उजड़े हुए घर पुनः आबाद हो जायेंगे। श्री वर्मा ने राज्य सरकार से भी निवेदन किया कि पुलिस तथा एस. डी. ओ. द्वारा किये जा रहे, मीणों के दमन चक्र को तुरन्त रोके जिससे क्षेत्र में शांति व परस्पर सहयोग का वातारण बन जाये। शांति समितियाँ राज्य को पूरा सहयोग देगी, परन्तु यह तब ही संभव है कि पुलिस का अत्याचार तुरन्त बन्द किया जाये। इसी से मीणा जाति में विश्वास पैदा होगा और अपने घरों में लौटकर गाँव की मुख्य धारा से पुनः जुड़ जायेंगे। सभी शांति से रहना प्रारंभ कर देंगे।

पुरानाबास के मीणों का उत्पीड़न

मीणा सुधार समिति ने यह अनुभव किया कि नये बास व पुराने बास के मीणा समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है। समिति के अध्यक्ष श्री गणपत राम बगराणा, कोषाध्यक्ष अड़िसाल सिंह तथा मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने इस क्षेत्र में जाकर वस्तु स्थिति को देखा तो अनुभव हुआ कि इनके रहने के घर बहुत ही टूटे-फूटे हैं। रोजगार के कोई साधन नहीं होने पर बहुत ही निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हें। इस पर दुःख की बात यह देखी गई कि पुलिस तथा स्थानीय जागीरदार, सामन्त व भौमियाँ इन पर आपत्ति के पहाड़ ढा रहे हैं। राज्य की ओर से जनजाति अपराधी कानून समाप्त हो चुके हैं, परन्तु पुलिस तथा सामन्त इनको चौकीदारी करने को तंग करते रहते हैं। किसी अन्य जाति द्वारा चोरी कर लेने पर मीणा लोगों पर संदेह कर इनको एक जगह बाड़े में बन्द करके मार-पीट कर चोरी के संबंध में पूछताछ की जाती है। सामन्त भौमियों तथा शक्तिशाली लोग बन्दूक की नोंक पर इनकी जमीन जायदाद छीनते रहते हैं। इन वर्गों को पुलिस सहायता रहने से आदिवासी मीणा जाति को न्याय नहीं मिल पाता। मीणा सुधार समिति सरकार के सामने इस संबंध में कितने ही प्रतिवेदन दे चुकी, परन्तु ढाक के वही तीन पात बूड़थल के मीणों को चौकीदारी न करने के कारण उन्हें मारा-पीटा जाता है। नेवरी के सूरजराम मीणा को चौकीदारी न करने के कारण इमली के पेड़ पर लटका कर सार्वजनिक रूप से जागीरदारों ने पीटा। समिति के कार्यकर्त्ताओं ने इस संबंध में डी. आई. जी. से भी भेंट की। चौकीदारी न करने के कारण इस क्षेत्र के भौमियों ने सुल्तान राम (शेखावाटी) के रामदेव मीणा और उसके सत्तर वर्षीय बूढ़े पिता को लाठियों से पीटा। स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त भौमियों के दबाव में आकर व्यापारियों ने इनको सामान देना भी बन्द कर दिया। जनता में इस घटना से बड़ा असंतोष था। अन्याय सहकर भी बूड़थल तथा नेवरी को मीणों ने कभी पुलिस व सामन्तों की पराधीनता स्वीकार नहीं की। समिति की ओर से इस साहसपूर्ण कार्य के लिए बूड़थल के कानाराम तथा गोदूराम को धन्यवाद अर्पित किया गया। इसके साथ ही नेवरी के निवासी श्री सुरजराम तथा सुल्ताना गाँव (शेखावाटी) के निवासी श्री रामदेव के कार्यों की प्रशंसा की गई।

नयाबास के लोगों पर अत्याचार निरंतर जारी रहा। इसका विस्तृत विवरण अगली कुछ पंक्तियों में करेगे। इससे पहले अजमेर डिवीजन की पुलिस के अत्याचारों का वर्णन करना आवश्यक है जो, इस प्रकार है। अजमेर डिवीजन की पुलिस के नृशंस अत्याचारों की कहानी सुनकर पाठक दंग रह जायेंगे। 14-5-60 से 30-5-60 तक अजीतगढ़ तथा 2 जून से 24 जून तक चंदबाजी में अजमेर डिवीजन की पुलिस ने उस क्षेत्र में चोरी हुई घटनाओं का पता लगाने के लिए कैम्प लगाया। इन कैम्पों में नया बास, सॉवलपुरा, पृथ्वीपुरा, सीलपुर, गोंवडी, रुराणी, श्रीमाधोपुर, खेतपुरा (खण्डेला) छाजणा, गौंवली, भूदोली, नीमेड़ा, झाज, गुरारा, बजाका, वसई आदि अनेक गाँवों के प्रतिष्ठित मीणाों को अकारण ही संदेह में पकड़ा गया। बन्दी बनाने के बाद नियमानुसार उन्हें 24 घण्टे में न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया। यह कानून का उल्लंघन मात्र ही नहीं वरन् भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है।

नियमानुसार न्यायालय में उपस्थित करने की बात तो छोड़िए, कैम्पों में जिस प्रकार इन निर्दोष लोगों को सताया गया वह मानवता पर एक कलंक ही कहा जायेगा। विशेषकर स्वाधीन भारत की लोकतांत्रिक सरकारों को यह खुली चुनौती है। संदेह में बन्दी निर्दोष लोगों को मारा-पीटा हीनहीं गया वरन् झूठ बोलने

के लिए बाध्य किया गया। झूठ न बोलने के कारण उनके मुँह पर टट्टी-पेशाब तक लगाया गया, उनके गुप्तांगों पर बिजली के करंट लगाये गये। इस प्रकार निरपराध मीणा सरदारों को अनेक अमानवीय यातनाएँ दी गई। महिलाओं के साथ इससे भी भीषण अत्याचार किये गये। उसे देखकर तो लज्जा भी लज्जा जाती है। एक महिला के सिर पर काली हाण्डी रखकर ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार उन्हें अपमानित करने के लिए उसका जुलूस निकाला गया और उसे अजीतगढ़ के कैम्प में लाकर सैकड़ों व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी चोली उतार कर उसके स्तनों पर बिजली के करन्ट लगाये गये और बाद में निर्लज्ज पुलिस ने उसे नंगा किया।

मीणा जाति के होने के कारण ही सैकड़ों निरपराध प्रतिष्ठित लोगों को पुलिस ने बन्दी बनाकर चोरी के पता लगाने के नाम पर मालूम नहीं कितनी रिश्वत ली एवं लूटमार की इसे तो भगवान ही जानता है। इस प्रकार के अत्याचारों से मीणा समाज में असंतोष भड़कना स्वाभाविक था। अत: समाजसेवी और मीणा सुधार समिति के प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री बद्रीप्रसाद दुखिया एवं श्रीरामनारायण अभय ने विधानसभा एवं ससंद सदस्यों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया कि आप विधानसभा एवं संसद में प्रश्न उठाकर सरकार के सामने पुलिस के अत्याचारों का भाण्डा फोड़कर के निर्दोष लोगों की प्रतिष्ठा को बचाने का पवित्र कार्य करें और सरकार से निष्पक्ष जॉच कराने का प्रयास करें।

सुरक्षा दल द्वारा अत्याचार

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सरकार सांप्रदायिक उपद्रव रोकने में पूरी तरह असफल हो रही थी जिससे नयाबास के पाँच मीणा सज्जनों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह सुरक्षादल की स्थापना रामकुँवर गूजर के नेतृत्व में की गई। इसका उद्देश्य मीणा जाति को आतंकित करना था, क्योंकि यह जाति सर्वदा से ही स्वतंत्रता प्रिय रही और स्वतंत्रता संग्राम में सर्वदा कांग्रेस के साथ रही। सन् 1967 में नीम का थाना निर्वाचन क्षेत्र से श्री मोहन मोदी कांग्रेस की ओर से खड़े हुए और इनके विरूद्ध रामकुँवर स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे। अत: इस क्षेत्र में चार हजार मत कांग्रेस के पक्ष में पड़े। परिणाम यह निकला कि उसने मीणों से प्रतिशोध के लिए एक सुरक्षादल की स्थापना की इस दल में प्रतिक्रियावादी, कही जाट, गूजर एवं राजपूत लोग थे क्योंकि स्वतंत्रतपार्टी भी सामन्त लोगों की प्रतिक्रियावादी पार्टी ही थी।

1967 के चुनाव में पराजित होने के पहले भी 1962 में रामकुँवर गूजर इसी मोदी परिवार के श्री मुक्ति लाल मोदी से पराजित हो चुका था। अत: राम कुँवर ने यह मानस बना लिया कि मीणा जाति का दमन किए बिना वह कभी भी चुनाव में विजयी नहीं हो सकता। इस उद्देश्य के लिए उसने सुरक्षादल की स्थापना 1967 में की। लोगों को यह समझाया कि इस दल की स्थापना के पीछे इस क्षेत्र को मीणा जाति से बचाना है। परन्तु वास्तविक उद्देश्य इसका राजनीतिक प्रतिशोध की भावना थी। इस सुरक्षा दल ने समस्त नीम का थाना क्षेत्र में आतंक का राज्य स्थापित कर रखा था। सुरक्षादल के नाम से स्थान-स्थान पर सभा करके राम कुँवर व उसके साथी खुले आम मीणों के प्रति जहर उगलते और घोषणा करते थे। सीकर व झुंझुनुं जिले से इनको नष्ट कर दो। राजपूत मीणों से द्वेष रखते थे क्योंकि नीम का थाना क्षेत्र के समीप के उदयपुरवासी क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी श्योपत सिंह की सहायता कर उसे मीणों ने विजयी बनाया था। श्री श्योपतसिंह के विरूद्ध लड़ने वाले इन्द्रसिंह को पराजित कराया था।

अत: गूजर, राजपूतों एवं जाटों के सुरक्षादल ने मीणों को सुखचैन से नहीं रहने दिया। निर्धन मीणों की जमीन हथियाना तो इन प्रतिक्रियावादी सामन्ती लोगों के लिए साधारण बात थी। प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षा दल लोगों पर इतना हावी हो गया था कि जो मीणा लोगों से संपर्क रखता या बात करता उस पर ग्यारह रुपये से दण्डित किया जाने लगा। इस तरह से सुरक्षादल की आतंकपूर्ण कार्यों से इस क्षेत्र का मीणा समाज पिछली 8-10 वर्ष से पूरी तरह से दुख पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। मीणों पर चोरी के झूँठे अभियोग लगाकर इनको तंग किया जाने लगा। आयेदिन मार-पीट करना तो सुरक्षा दल के लिए साधारण बात थी।

पाँच प्रतिष्ठित मीणा सज्जनों की हत्या 19-9-64

खेतराम अपने पाँच सात साथियों को लेकर गाँव चींचड़ोली के निकट गाँव चुन्दड़ा में खातेदारी की भूमि जोतने के लिए गया। एस. डी. एम.खेतड़ी ने खेतराम को अपनी जमीन जोतने की स्वीकृति दे दी थी। इतना स्पष्ट प्रमाण होने पर भी सुरक्षादल के लोगों ने खेतराम व उसके साथियों पर धावा बोल दिया और अनेक लोगों के साथ मार-पीट की और खेतराम को खेत में हल नहीं चलाने दिया। यह पूरी तरह से अत्याचार था। परन्तु पुलिस ने इन प्रतिकियावादी ताकतों के अन्याय को रोकने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि क्षेत्र की पुलिस से सुरक्षा दल की पूरी तरह से मिलीभगत थी। पुलिस की उपेक्षा के कारण पाँच प्रतिष्ठित मीणों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

20-9-1967 को बलवे की रिपोर्ट करने के लिए खेतराम अपने साथियों के साथ नीम का थाना आया और वहाँ बहुत ही कठिनाई से स्थानीय एम. एल. ए. की सहायता से रिपोर्ट लिखवाई। वहाँ से खेतराम को खेतड़ी पुलिस स्टेशन जाना था, क्योंकि जहाँ पर यह घटना घटी वह खेतड़ी क्षेत्र में था। इन सभी बातों का पता सुरक्षादल का मुखिया रामकुँवर लगाता रहता था। पता लगते ही कि खेतराम ने ज्योंही अपने पाँच मीणा बन्धुओं व अन्य दो व्यक्ति के साथ नीम का थाना बस से प्रस्थान किया। इसकी सूचना रामकुँवर तथा इन्दा सरपंच ने नीम के थाने से लगभग 13 किमी. दूर गाँव के निकट तिबारे में बैठे शास्त्रों से सुज्जित 400-500 आदमियों को दे दी। सूचना मिलते ही इस आतंकवादी दल ने खेतड़ी से नीम का थाना जाने वाली बस को तिबारे पर ही रोक लिया ताकि उसका चालक नीम के थाने से आने वाली बस को कुछ भी सूचना न दे सके। इतना ही नहीं खेतड़ी से नीम का थाना कॉलेज में पढ़ने जाने वाले दो मीणा छात्रों को भी बस से उतार लिया और उन निर्दोष बालकों की हत्या करने पर उतारू हो गये। परन्तु बस में बैठे लोगों ने हाथा-जोड़ी करके इन मीणा बालकों को बचा लिया।

इतनी देर में नीम का थाना वाली बस आ गई जिसमें खेतराम के साथी बैठे थे। इन आतंकवादियों ने बस से पहले मालीराम को उतारा और उस पर अन्धाधुन्ध बर्छी व भालों से वार करने लगे। तुरन्त ही मालीराम के प्राण पखेरू उड़ गए। इसके बाद खेतराम को भी बस से उतार कर मार डाला और बर्छी से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसी तरह खेतराम के भाई जमनालाल को मौत के घाट उतार दिया। चौथे आदमी दुर्गाप्रसाद टेलर को भी मार गिराया। पांचवे व्यक्ति भूराराम को बस से उतार कर थोड़ी दूर ले जाकर गोली से उड़ा दिया। मारने के बाद इन पाँचों व्यक्तियों के शवों बर्छी भाले से क्षत-विक्षित कर दिया ताकि ये पहचाने न जा सके। छठा व्यक्ति मालाराम मीणा था उसने ब्राह्मण बन कर अपनी जान बचाई। सातवां आदमी अवसर का लाभ उठाकर छिपकर अपनी जान बचा सका। इस प्रकार की नृशंस हत्याकाण्ड की सूचना बस चालक ने खेतड़ी पुलिस स्टेशन पर दी। दो घण्टे बाद पुलिस और और वह लाशों को उठाकर

ले गई। इस दर्दनाक क्रूर हत्याकाण्ड से बस के सभी यात्री भयभीत हो गए और विचार में पड़ गये कि अब क्या होने वाला है? मीणा सुधार समिति को जब इस नृशंस हत्याकाण्ड की सूचना मिली तो उसने जयपुर में शहीदों के प्रति एक शोक सभा का आयोजन किया।

जयपुर में शोक सभा

21 तथा 22-6-69 को राजस्थान मीणा सेवा संघ के तत्वावधान में जयपुर में एक शोक सभा की गई। इस सभा में नयाबास के मारे गये पाँचों व्यक्तियों के प्रति भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें समस्त प्रकरण की जाँच के लिए ग्यारह आदमियों की एक समिति बनाई गई। जिसको स्थान-स्थान पर शहीदों की स्मृति में शोक सभा करने व उनके स्मारक बनाने का काम सौंपा गया। सभा में सुरक्षा बल के दानवी कार्यों को रोकने एवं निष्पक्ष जाँच के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया। समिति की ओर से भी एक जाँच दल बनाया गया।

हत्याकाण्ड की जाँच

25-9-69 को राजस्थान मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष श्री किशनलाल वर्मा, सिकराय एम. एल. ए., श्री समरथलाल मीणा, यातायात एवं आयुर्वेद उपमंत्री तथा कल्याणमल मीणा एम. एल. ए. जहाजपुर, हत्याकाण्ड के जाँच के लिए नयाबास पहुंचे। जाँच के समय वहाँ के लोगों ने बताया कि सुरक्षादल की ओर से सीकर तथा झुंझुनुं जिले के मीणों के साथ जो क्रूर अन्याय हो रहे हैं, उसको समय रहते राज्य सरकार की पुलिस व राज्य सरकार ठोस कदम उठाती तो निरपराध मीणों की हत्यायें नहीं होती।

पुलिस की अकर्मण्यता व निष्क्रियता

गाँव वालों ने एक स्वर में कहा कि निर्विवाद रूप से यह घटना पुलिस की ढिलाई तथा अकर्मण्यता से हुई। सुरक्षा दल की इतनी दु:साहस पूर्ण कार्यवाही पर सरकार को पहले से अंकुश लगाना था परन्तु पुलिस भी इन आततायियों से मिली हुई थी। जब सुरक्षादल ने 19-9-69 को मीणों के खेत पर आक्रमण किया तो इस अन्याय को रोकने के पुलिस को तुरन्त कदम उठाना चाहिए था। परन्तु खेतड़ी के थानेदार बच्चनसिंह तथा उपअधीक्षक खण्डेलवाल ने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यदि वे समय पर सुरक्षादल के कुकृत्यों को रोकते तो 20-9-69 का यह निमर्म हत्याकाण्ड किसी तरह से टल सकता था।

लोगों ने यह भी बताया कि स्वतंत्रता के बाद भी पिछड़े वर्ग की उपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नागरिक अधिकार केवल कागजों पर रह गये हैं। सामन्त लोग हरिजन व आदिवासी भाइयों को मार देते हैं और आये दिन उनको सताते रहते हैं। लोगों ने कहा कि यदि आज किसी उच्चवर्ग के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो ना मालूम कितने ही पुलिस अधिकारी निलंबित हो जाते और अनेक लोगों के स्थानान्तर हो जाते। परन्तु निर्धन असहाय आदिवासी भाइयों की हत्या पर सरकार आँख मूंद कर बैठी हुई है। दु:ख तो इस बात का है कि देश भर में गाँधी शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और बापू के प्रिय आदिवासी भाईयों की निर्मम हत्या की जा रही है। यह हम सभी के लिए कलंक की बात है। जाँच के समय यह भी सत्य उभर कर सामने आया कि मीणा प्रधान क्षत्र गाँव पापड़ा, पचलंगी मणा कसास, शैफरा गँवार, चींचड़ोली, सराय, बागौली व सीकर तथा झुंझुनुं जिले की सीमा पर रहने वाले मीणेां का जीवन बड़े खतरे में है। अत:

इनको पुलिस की सुरक्षा प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है। जाँच के समय लोगों ने बताया कि खेतड़ी के थानेदार बच्चनसिंह ने मृतक खेतराम से जमीन जुतवाने के लिए दो सौ रुपये रिश्वत माँगे जबकि खेतड़ी के एस. डी. एम. का खेतराम के पास जमीन जोतने के स्पष्ट आदेश था। बच्चनसिंह मीणों का घोर शत्रु था। इसकी जानकारी एस. डी. एम. खण्डेलवाल को कितनी ही बार दी गई, परन्तु कुछ भी कार्यवाही नहीं की। यदि बच्चनसिंह को वहाँ से हटा दिया जाता तो यह हत्याकाण्ड नहीं होता।

सुरक्षा का दल को पुलिस का प्रश्रय

सुरक्षादल सार्वजनिक रूप से सभायें कर लोगों को आतंकित करता रहता हैं। पुलिस यह सब देखती रहती हैं। अपराधी कानून हटने पर मीणाओं को बदनाम करने के लिए सुरक्षादल अन्य जातियों से चोरियाँ करवाता है और चोरी के माल में सुरक्षादल व पुलिस का भी भाग रहता है। गत वर्ष हुई चोरियों का विश्लेषण किया जाये तो मीणों के स्थान पर अन्य जाति के लोग ही इसमें अधिक लिप्त पाये गये। राज्य सरकार ने आदिवासियों के पुनर्वास का कुछ भी प्रबंध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त हत्या काण्ड में लिप्त सरपंच इन्दा को बन्दी बनाकर दूसरे दिन ही छोड़ दिया गया। पुलिस ने अपराधियों से वे शस्त्र भी हस्तगत नहीं किए हैं, जिनका हत्याओं में प्रयोग हुआ। सुरक्षा दल के लोगों द्वारा लूटी गई मृत लोगों की घड़ी, गले की चेन तथा नकद राशि भी पुलिस ने बरामद नहीं की। इससे स्पष्ट है कि सुरक्षादल व पुलिस की मिलीभगत से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है।

शहीदों का संक्षिप्त परिचय

नयाबास के पाँच व्यक्तियों में से 45 वर्षीय मास्टर मालीराम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जाति सुधारक एवं कांग्रेस के कार्यकर्त्ता थे। वे अपना अधिकतर समय जाति सेवा में ही व्यतीत करते थे। दूसरे व्यक्ति भूराराम भी कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्त्ता था, वह नीम का थाना पंचायत समिति का भी सदस्य था। तीसरा व्यक्ति खेतराम नयाबास का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था जो इस जिले में जातीय सुधार के लिए कार्य करते रहते थे। चौथा व्यक्ति जमनालाल खेतराम का बड़ा भाई था, वह भी तन-मन-धन से जातीय उन्नति में लगा रहता था। पाँचवा व्यक्ति दुर्गाप्रसाद टेलर भी गाँव नयाबास का प्रतिष्ठित व समाज सुधारक था। इनकी जातीय सेवा बड़ी प्रशंसनीय है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखतो हुए राजस्थान मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष एवं एम. एल. ए. श्री किशनलाल वर्मा ने सरकार के सामने निम्नलिखित बिन्दु विचारार्थ रखे।

सरकार से मांग (1) हत्याकाण्ड से संबंधित सभी व्यक्तियों को तुरन्त बन्दी बनाकर उनके विरूद्ध अभियोग चलाया जाये।

(2) हत्याकाण्ड से संबंधित कुछ व्यक्ति बन्दी बनाए जा चुके हैं, राजनीतिक दबाव में आकर उन्हें छोड़ा नहीं जाये।

(3) जिन व्यक्तियों का हत्याकाण्ड से सीधा संबंध है, उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसे जघन्य हत्याकाण्ड करने का किसी का दुसाहस न हो।

(4) सुरक्षादल जिसने इस क्षेत्र में आतंक फैला रखा है, उस पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाये। उदण्डता पूर्वक नियम हाथ में लेने से सरकारी प्रतिष्ठा पर भी कलंक है।

(5) हत्याकाण्ड की अनदेखी करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये।

(6) सीकर तथा झुंझुनुं जिले के मीणा बन्धुओं की सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाये और वहाँ निष्पक्ष न्यायप्रिय अधिकारियों को लगाया जाये।

(7) सुरक्षादल पर प्रतिबंध लगाने के साथ आतंक फैलाकर जो धनराशि उन्होंने निर्दोष भोले-भाले नागरिकों से प्राप्त की, उसकी जाँच कर धनराशि संबंधित व्यक्तियों को लौटाई जाए।

(8) सांप्रदायिक उपद्रवों की अनदेखी न की जाये और राज्यनीति के अनुसार सांप्रदायिक तत्वों को इस प्रकार कठोरता से दबाया जाये कि भविष्य में किसी प्रकार के सांप्रदायिक उपद्रव न भड़के।

उपर्युक्त मांग पत्र को लेकर राजस्थान मीणा सुधार समिति के कार्यकत्ता राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं गृहमंत्री श्री दामोदर लाल व्यास से भी मिले और भारत सरकार को भी माँग पत्र भेजा गया। गृहमंत्री श्री दामोदर लाल व्यास से खेतड़ी के थानाधिकारी बच्चन सिंह को वहाँ तुरन्त हटाने की मांग की गई।

पुलिस के निमर्म अत्याचार एवं क्रूर बलात्कार की श्रृंखला

स्वतंत्रता के बाद भी पुलिस ने इस स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमानी जाति पर जो क्रूर अत्याचार किये, वे विश्व इतिहासर में अन्यत्र देखने को नहीं मिलते। इस संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागाँधी को राजस्थान आदिवासी मीणा समाज के अध्यक्ष श्री किशनलाल तथा मंत्री लक्ष्मीनारायण झरवाल ने जो ज्ञापन दिया, उसको पढ़कर पाठकों का हृदय भी द्रवित हुए बिना नहीं रहेगा।

ज्ञापन का संक्षिप्त मूल पाठ इस प्रकार है-

महामहिम राष्ट्रपति महोदय,

श्रीमान को मीणा जाति पर नृशंस अत्याचारों का वर्णन करने से पहले इस जाति पर सदियों से होने वाले अत्याचारों की श्रृंखला इस प्रकार है।

दमनकारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क्रूर दमन से पीड़ित आदिवासियों की हृदय विदारक करूण कहानी बहुत लंबी है। 12वीं सदी से पूर्व सारे राजस्थान में आदिम जनजातियों का एक छत्र राज्य था। 12वीं सदी में राजपूत सामन्त वर्ग ने विश्वासघात करके इस जाति का राज्य छीन लिया। तभी से पराजित विस्थापित जनजाति पर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े। राजमहल छोड़कर विदेशी आक्रान्ताओं ने इस जाति को जंगलों में शरण लेने को बाध्य कर दिया। फिर भी इस जाति ने हिम्मत नहीं हारी और विजेता राजपूत सामन्तशाही शासन, मुगल शाही साम्राजयवादी और विदेशी अंग्रेज सत्ताधारियों से अपनी स्वत्व तथा अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करती रही। छापामार युद्ध प्रणाली से निरंकुश शासकों के नाक में दम इस जाति ने कर दिया था। महाभारत काल में इस मत्स्य जाति के अनेक गणराज्य थे। इनकी स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने जनजाति अपराधी कानून (क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट) बनाकर इस स्वाभिमानी जाति का दमन करना प्रारंभ कर दिया। इस कानून की धाराएँ सुनकर तो आप आश्चर्य में पड़े बिना नहीं रहेंगे। महामहिम

आप ही विचार कीजिए कि किसी जाति में जन्म लेते ही क्या वह चोर हो जाता है? परन्तु इस जाति के साथ ऐसा ही हुआ। मीणा जाति में जन्म लेने मात्र से नवजात शिशु को चोर मान लिया गया।

इस अमानवीय कानून की पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल ने समय-समय पर निन्दा की। राष्ट्रीय आन्दोलन में भी इस काले कानून को हटाने को प्राथमिकता दी गई। अंत में स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग और मीणा जाति के निरंतर संघर्ष से इस दानवी काले कानून का अन्त हुआ। भारत की स्वतंत्रता के साथ इस निडर जाति ने संतोष की साँस ली और सोचा कि लोकतंत्र द्वारा स्थापित लोकप्रिय सरकार में इस जाति के साथ न्याय होगा और इसे स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर मिलेगा। परन्तु हुआ इसका उल्टा। अकारण ही यह जाति पुलिस दमन की शिकार होती रही। व्यर्थ में चोरी के अपराध लगा कर पुलिस इस जाति पर निरंतर अत्याचार करती रही। भारतीय संविधान लागू होने पर भी नागरिक अधिकारों का उपभोग इस जातियों से छीन लिया गया।

अत्याचारों की लंबी श्रृंखला

राजस्थान के लोकतांत्रिक शासन में भी यहां की भ्रष्ट पुलिस ने मीणा जाति पर बर्बर अत्याचार समाप्त नहीं किये। चौकीदारी प्रथा समाप्त होने पर नगर सुरक्षा का समस्त भार पुलिस पर आ जाता है। परन्तु चोरी डकैती की घटनाओं को रोक पाने में असमर्थ पुलिस इस जाति को सताने लगी। चोरी की झूँठी अफवाह प्रसारित कर 1960 में अजीतगढ़ आदि पुलिस के ग्यारह अभियानों में टकनेरगढ़ की आदिवासी निर्दोष अबलाओं को नंगी कर उनके सिर पर काली हाण्डी रखकर उनको अपमानित कर उनके साथ बलात्कार किया। पुरुषों के बिजली के करन्ट लगवाये। चौमू थाने के अंतर्गत राधापुरा ग्राम में पुलिस के अधिकारियों ने अपनी कामवासना को शांत करने के लिए घेरा डालकर एक आदिवासी महिला को पकड़ लिया, विरोध करने पर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जिससे भेड़ें मर गई। महिनों तक इस आदिवासी गाँव को पुलिस ने घेर कर क्रूर यातनायें दीं। इस समस्त प्रकरण का विवरण श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, श्री छुट्टनलाल एवं भैरवलाल काला बादल ने सरकार के सामने प्रस्तुत किया, परन्तु दोषियों को कुछ भी दण्ड नहीं मिला। इससे पुलिस के अत्याचार निरंतर बढ़ते गए।

नयाबास काण्ड

अभी नयाबास के पाँच लोगों की आतंकवादी सुरक्षादल द्वारा हत्या किये जाने को लोग भूल भी न पाये थे। 20 सितंबर 1969 में यह हत्याकाण्ड पुलिस की निष्क्रियता के कारण हुआ। राज्य सरकार को इस पुलिस दमन से अवगत कराया तो पुलिस ने दमन रोकने के स्थान पर और भी क्रूर दमन का सहारा लिया। 29, जून 1972 गुरुवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया मध्य रात्रि में पुलिस ने नयाबास को घेर लिया। लोगों की नृशंस यातनायें दी जाने लगीं। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

ग्राम नयाबास तहसील नीम का थाना जिला झुंझुनुं को इस आशंका से आर.ए. सी. के 1100 जवानों तथा जिले के थाने के 300 सिपाहियों द्वारा अर्द्धरात्रि में घेर लिया कि इस क्षेत्र में चोरी करने वाले यहीं के लोग हैं। स्थान-स्थान पर मशीनगनें लगा दीं। उस समय की गृहमंत्राणी श्रीमती कमला के आदेश से प्रात: चार बजे की भोर वेला में आदिवासी मीणा जाति के घर में प्रवेश कर सशस्त्र पुलिस दल ने लोगों को मारना-पीटना प्रारंभ कर दिया। दस वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष तक के वृद्ध को मार-मार कर बेहाल कर दिया और सभी व्यक्तियों को ट्रकों में भर कर पुलिस थाने भेज दिया गया। दमन का यहीं अन्त नहीं

हुआ। उस गाँव में दस अतिथियों को भी बन्दी बना लिया गया।

पुरुष विहीन मकानों में घुसकर असहाय अबलाओं पर भी पुलिस के दरिन्दे टूट पड़े और लातों घूसों से मार-मार कर उनकी हड्डी-पसली एक कर दी। बूढ़ी माताओं के सामने उनकी युवा बहुओं के बाल पकड़कर खींचा गया और हृदयहीनता से उनको पीटा गया।

कठोर यातानायें देकर सिर पर रस्सी बाँधकर बट लगा कर उसे मरोड़ा गया। घरों में रखा नगदी रुपया चाँदी के कलदार रुपये, जेवर लूट लिए गए। सन्दूकों व कोठों को तोड़-फोड़ डाला। घरों के कोने-कोने खोद डाले, फर्श उखाड़ दिए गए। सीढ़ियों के नीचे की भुखारियों को खोदा गया। खूँटियों के स्थान की दीवारों को खोदा, जालियाँ ताकें, आलियाँ सब तोड़ डाले। पशुओं के बाड़ों को सरियों से खोद डाला। मकानों व खेतों के पट्टे, लेन-देन के बहियों, सैनिक के रेलवे पास आदि सभी पुलिस उठा ले गई। यहाँ तक आगे होने वाली शादियों के कपड़े व जेवर को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। दफा 550 लगा कर ऊँट भी पुलिस ले गई। जिससे कृषि कार्य भी असंभव हो गया।

अबलाओं की पुकार में बाधा

इस नृशंस अत्याचार से पीड़ित, त्रस्त आतंकित 40-50 महिलायें आत्मरक्षार्थ न्याय के लिए साहस बटोर कर गाँव से निकली तो गाँव के बाहर छतारियों के पास पुलिस ने उनको रोक लिया और लातों व घूसों से मार-मार उनको गाँव की ओर धकेल दिया गया। नयाबास के कारागृह में बन्दी निर्दोष लोगों को किसी से मिलने नहीं दिया गया।

बन्दीगृह में पुलिस का निमर्म अत्याचार

मानवीय व्यवहार को ताक में रखकर बन्दी लोगों को पुलिस दल ने बुरी तरह से मारा पीटा। हाथ पैर के जोड़ों पर लाठियों से मारते रहे। प्रात: 4 बजे तक पुलिस का दमन चक्र चलता रहा। बन्दी लोगों से उनके सगे संबंधियों को भी नहीं मिलने दिया गया। पुलिस के लूट का बाजार गर्म था, पैसे लेकर ही मिलने की स्वीकृति दी जाती थी।

चोरी के नाम पर बदनाम करने का कुंठित षड़यंत्र

नयाबास से मीणा बन्धुओं की पसीने की कमाई के धन को ट्रकों में भरकर नीम के थाने ले आये और उसे चोरी का माल बताकर जनता को भड़काने लगे कि यह सब माल मीणों ने चोरी करके एकत्रित किया है। नयाबास में मीणों ने अपने घरों में तहखाने बना रखे हैं और उनमें चोरी का माल भरा रखते हैं। यही माल हम ट्रकों में भरकर लाये हैं।

पुलिस ने अपने अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए मीणा जाति को बदनाम करने में कोई कसर उठा कर नहीं रखी और यह झूँठा प्रचार करने लगे की मीणा की चोरी की प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए पुलिस ने यह सब कुछ किया है। परन्तु सच्चाई यह थी कि यह माल चोरी का नहीं था वरन् मीणों की निजी संपत्ति थी। मीणा जाति के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। नयाबास को चोरों का अड्डा बता कर जनता में यहाँ के मीणा बन्धुओं के प्रति घृणा फैलाने का काम पुलिस निरंतर करती रही।

नीम का थाना कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी वहाँ के प्रिंसीपल डराने धमकाने लगे और वहां अध्ययनरत मीणा छात्रों की छात्रवृत्तियाँ भी रोक ली गई। गृहमंत्री का यह कहना भी दुर्भावना पूर्ण था कि नयाबास के मीणें रात-दित चोरी करते रहते हैं। इसी कारण पुलिस ने उनके घरों की तलाशी ली और उन्हें

बन्दी बनाया। इस तरह झूँठा प्रचार और मनगढ़ंत कहानी गढ़ कर पुलिस समस्त मीणा जाति को बदनाम करने लगी। वस्तुत: पुलिस मीणों को नागरिक अधिकार मिल जाने पर उनसे द्वेष रखती थी। दु:ख की बात तो यह थी कि लोकतंत्र शासन प्रणाली द्वारा स्थापित राज्यमंत्री मण्डल की गृहमंत्री, गृह मंत्राणी श्रीमती कमला बेनीवाल भी पुलिस के कथनों पर विश्वास करके मीणाजाति के विरूद्ध जहर उगलने लगी। यदि वह पुलिस के झूँठे आरोप पर विश्वास न कर स्वयं नयाबास आकर सच्चाई का पता लगाती तो ज्यादा ठीक रहता।

आदिवासी मीणा संघ द्वारा जाँच

पुलिस के द्वेषपूर्ण एवं कुत्सित प्रचार का भाण्डा-फोड़ करने के लिए 28 जुलाई, 1972 को जाँच दल वहाँ पहुँचा। श्री किशनलाल वर्मा अध्यक्ष, मीणासेवा संघ विधानसभा सदस्य रामचन्द्र मीणा और रामगोपाल मीणा को साथ लेकर नयाबास पहुँचे। पुलिस के कुकृत्य तथा विनाशकारी दृश्य को देखकर सभी बड़े दु:खी हुए। उन्होंने देखा कि यह सब मीणा जाति को बदनाम करने का पुलिस का षड़यंत्र है। न तो वहाँ कोई सुरंग है और न तहखाने हैं। जो माल पुलिस चोरी का बता रही है, वह मीणाओं की गाढ़ी कमाई का माल है। मीणा समाज के इन जन प्रतिनिधियों ने पुलिस की लूटमार को पिण्डारियों की लूटपाट से कम नहीं बताया। यह देखकर सभी आश्चर्य में डूब गए कि गाँधी शताब्दी वर्ष में भी पुलिस ऐसी जघन्य अपराध कर सकती है। सभी को चोर डाकू मानकर उनके घरों को उजाड़ना कहाँ की मानवता है?

राजस्थान, आदिवासियों का विशाल यातनागृह

उपर्युक्त हृदय-विदारक दृश्यों को देखकर तो यह विदित होता है कि राजस्थान में आदिवासियों पर पुलिस के बर्बर आक्रमण कम नहीं हुए हैं। भारत को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष हो चुके और यह वर्ष स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती वर्ष है परन्तु भोले-भाले अनपढ़ आदवासियों के लिए तो निमर्म अत्याचार का वर्ष है। दु:ख तो इस बात का है कि इस समाज के लोग आरक्षण का लाभ उठाकर विधायक एवं संसद सदस्य बन बैठे हैं, वे भी अनुशासन के चाबुक के भय एवं अपनी कुर्सी के लालच में मूक बनकर बैठे हैं। पद लोलुप होकर वे मानवता की हत्या में सहयोग दे रहे हैं। जब साधारण मानवीय धर्म को छोड़कर निर्दोष आदिवासियों की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता है तो राजस्थान आदिवासियों के लिए नरक ही सिद्ध हो रहा है। निर्दोष अबलाओं पर अत्याचार लोकतंत्र शासन पर कलंक है। खेद है कि सभ्य समाज भी अन्याय के विरोध में आगे नहीं आया। सभी प्रशासन के आतंक से भयभीत है।

पुलिस ने नयाबास में से कुछ ही दूरी में आश्रम बनाकर तपस्वी की भाँति रहने वाले माता-पिता को भी नहीं छोड़ा। यह समस्त परिवार जन सेवा में लगा रहता है। पुलिस ने इनके घरों को भी उजाड़कर रख दिया। नयाबास केवल चोरों का घर नहीं है। यहाँ मीणासमाज में अनेक शिक्षित लोग भी हैं। मीणा समाज के कितने ही युवक सेना, पुलिस, रेलवे, खेतड़ी, ताम्रखान, आर. ए. सी. आदि विभागों में सेवारत हैं। इतना ही नहीं पंजाब तथा दिल्ली प्रशासन में अनेक युवक थानेदार के पद पर हैं। अत: ऐसे सभ्य मीणा समाज को चोर व डाकू मान लेना पुलिस की विवेक हीनता ही है।

अन्याय के विरोध में मीणा सेवा संघ की माँग

राजस्थान पुलिस के अमानुषिक अत्याचारों से पीड़ित नयाबास के भीषण रोमांचकारी काण्ड पर ार विमर्श करने के लिए राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक राजकीय ासगृह जयपुर में दिनांक 24.9.72 को श्री जयनारायण विधायक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। क में नयाबास में पुलिस अत्याचारों पर विचार विमर्श हुआ तथा समाचारों में प्रकाशित तथ्यों पर भी ार किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष एवं भूतपूर्व विधानसभा स्य श्री किशन लाल वर्मा की आँखों देखी रिपोर्ट पर भी गंभीरता से विचार किया गया। इन सभी तथ्यों आधार पर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित तथ्यों को र एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार है।

(1) नयाबासकाण्ड से संबंधित सभी पुलिस कर्मचारियों को तुरन्त निलंबित किया जाये। क्योंकि ोंने न्याय व राजकीय गरिमा को ताक में रखकर विवेकहीन होकर निर्दोष आदिवासियों पर भीषण ाचार किए हैं। अपराधी पुलिस अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाये।

(2) राजनीति दबाव में आकर किसीपुलिस अधिकारी को दोषमुक्त नहीं किया जाये।

(3) निष्पक्ष जाँच के लिए यह आवश्यक है कि इस काण्ड से संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों यहाँ से हटा दिये जायें।

(4) निष्पक्ष जाँच के लिए महिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर नयाबास में शिविर लगाकर पीड़ित ालाओं के बयान लिए जावें। पीड़ितों को न्याय के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाए।

(5) नयाबास के सैनिक परिवारों के उत्पीड़न की जाँच के लिए बाहर के सैनिक अधिकारी लगाये । खेतड़ी व नीम के थाने के सैनिक अधिकारियों को जाँच से दूर रखा जाये, क्योंकि वे इस लूट काण्ड लिप्त थे।

(6) पुलिस द्वारा लूट का माल वापिस दिलाया जाये। तोड़-फोड़ और लूटपाट की क्षतिपूर्ति देने का ध किया जाये।

(7) उन सभी आदिवासी लोगों को राहत राशि दी जाये, क्योंकि महीनों तक कारावास में रहने के ण उनकी खेती बाड़ी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इस समय आदिवासी भूख से पीड़ित हैं। उन्हें वलम्बी होने में कितने ही वर्ष लगेंगे। अत: उनकी आर्थिक सहायता की जाये।

(8) विधायक एवं संसद सदस्य को इस काण्ड की जानकारी देने की पूरी स्वतंत्रता है। उन पर पार्टी शासन का अंकुश ना लगाया जाये और काण्ड की सच्ची तस्वीर रखने की पूरी छूट हो। केवल स्वार्थी जनप्रतिनिधियों के संख्या बल पर निर्दोष जनता पर अन्याय न करें।

अविलम्ब कार्यवाही हेतु मांग पत्र प्रस्तुत है।

❑❑❑





THE AMBAGADH

IT STANDS ON THE NORTH MOST CLIFF AND FORMS PART OF THE OUTERLINE OF CIRCUMALLATION, THAT CONNECTS WITH AMBER IT IS OLD FORT OF THE MEDIAEVAL TIMES AND IS ASSOCIATED WITH THE MINAS.

आँबागढ़

मीणों का यह दुर्ग उत्तर की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है, उसी पहाड़ी की एक श्रेणी आमेर तक चली गई है। यह मध्य कालीन स्मारक है।

Department of Archaeology
Government of Rajasthan
पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार



